

# उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948

## भाग-1

### विषय सूची

धारायें		पृष्ठ संख्या
धारा 1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
धारा 2.	परिभाषायें	2
धारा 3	अधिनियम के अधीन कर के लिये दायित्व	21
धारा 3-क	कर की दर	25
धारा 3-कक	बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर कर का उद्ग्रहण	34
धारा 3-कख	माल के साथ बेची गयी पैकिंग सामग्री पर कर की दर	35
धारा 3-ककक	कतिपय बिक्रियों के सम्बन्ध में उपधारणा	35
धारा 3-कककक	कतिपय परिस्थितियों में माल की खरीद पर कर का दायित्व	36
धारा 3-ख	मिथ्या प्रमाण-पत्र आदि जारी करने पर दायित्व	38
धारा 3-ग	विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व	40
धारा 3-घ	कतिपय माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर का लगाया जाना	41
धारा 3-ङ	कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर	49
धारा 3-च	किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर कर	49
धारा 3-छ	कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर	54
धारा 4	कर से छूट	56
धारा 4-क	कतिपय मामलों में व्यापार कर से छूट	59
धारा 4-कक	कतिपय औद्योगिक इकाइयों को कर की दर में रियायत	84
धारा 4-ककक	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों को विशेष रियायत	84
धारा 4-ख	कुछ निर्माताओं को विशेष छूट	85
धारा 4-खख	कतिपय मामलों में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री पर भुगतान किये गये कर का मुजरा	94
धारा 4-ग	भारत के बाहर तैयार माल का निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत	95
धारा 5	कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर की छूट	95
धारा 6	अधिकारिता के प्रति आपत्ति	95
धारा 7	विक्रय धन का निश्चित करना और कर का निर्धारण	96

धारा 7-क	कर निर्धारण वर्ष के निर्धारित भाग के लिये विक्रय धन का विवरण-पत्र ....	117
धारा 7-ख	कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित किये जाने पर .....	117
धारा 7-ग	मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा .....	118
धारा 7-घ	कर दायित्व का समाधान .....	118
धारा 7-ङ	विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांक करना .....	119
धारा 7-च	अन्य धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना .....	120
धारा 8	कर का भुगतान तथा उसकी प्रगति .....	120
धारा 8-क	व्यापारियों की रजिस्ट्री और उनके द्वारा कर की वसूली .....	131
धारा 8-ख	कतिपय मामलों में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण .....	138
धारा 8-खख	व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना .....	140
धारा 8-ग	राजस्व के हित में प्रतिभूति .....	141
धारा 8-घ	संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती .....	146
धारा 8-ङ	अभिकर्ता द्वारा कटौती .....	149
धारा 9	अपील .....	150
धारा 10	अधिकरण .....	158
धारा 10-क	आज्ञायें जिनके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा .....	176
धारा 10-ख	कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण .....	176
धारा 11	विशेष मामलों में उच्च-न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अन्तर्प्रस्त है .....	179
धारा 12	व्यापारियों द्वारा लेखा रखना .....	186
धारा 12-क	साबित करने का भार .....	187
धारा 12-ख	अपील में अतिरिक्त साक्ष्य .....	190
धारा 13	लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और .....	190
धारा 13-क	निरीक्षण करने का अधिकार .....	190
धारा 13-कक	अभिग्रहण (Seize) करने का अधिकार .....	194
धारा 13-ख	न्यून मूल्यांकन की दशा में माल को अधिग्रहीत करने की शक्ति .....	206
धारा 14	पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति .....	207
धारा 14-क	अपराध और दण्ड .....	207
धारा 15	कम्पनियों द्वारा अपराध .....	210
धारा 15-क	अपराधों का समाधान .....	211
धारा 16	कतिपय दशाओं में अर्धदण्ड .....	211
धारा 17	हानि-रक्षा .....	228
	कतिपय कार्यवाहियों पर रोक .....	228

विषय सूची

धारा 18	पुनर्निर्माणित अथवा नये फर्मों पर कर-निर्धारण तथा साझा का बदला जाना .....	228
धारा 19	अल्पवयस्क तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर-निर्धारण .....	230
धारा 20	प्रतिपालक (कोर्ट आफ वार्ड्स) आदि पर कर-निर्धारण .....	231
धारा 21	उस विक्रय-धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर-निर्धारित न किया गया हो, कर-निर्धारित करना .....	231
धारा 22 ✓	भूल का सुधार .....	242
धारा 23	कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी .....	246
धारा 24	नियम बनाने का अधिकार .....	247
धारा 25	भूतलक्षी दिनोंक से विज्ञप्तियाँ जारी करने का अधिकार .....	249
धारा 26	विलीन (स्टेट्स) राज्य में उक्त अधिनियम को प्रचलित करना .....	249
धारा 27	निकाल दी गई .....	249
धारा 28 ✓	जॉच चौकियाँ तथा नाके की स्थापना .....	249
धारा 28-क ✓	घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना .....	250
धारा 28-ख	राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना .....	254
धारा 29 ✓	धनराशि की वापसी .....	256
धारा 29-क	किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गई धनराशि के वितरण की प्रक्रिया .....	259
धारा 29-ख	घोषित माल के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति .....	262
धारा 30	कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति .....	263
धारा 31	.....	265
धारा 32	कतिपय मामलों में शुल्क .....	266
धारा 33	वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध .....	268
धारा 34	राजस्व को कफ्ट वंचित करने के लिए किये गये अन्तरण को शून्य होना .....	269
धारा 35	विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण .....	269
धारा 36	किस्त मन्जूर करने का अधिकार .....	271
धारा 37	निकाल दिया गया .....	272
धारा 38	रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा .....	272

# उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948

## वादानुक्रमणिका

### धारा 1. छोटा नाम, विस्तार और प्रारम्भ

Associated Distributors Ltd., Ghaziabad vs. C.T.T., [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173. ....	2
Bharat Timbers and another vs. State of U.P., [2004] 39 STR 1. ....	1
Bangal Iron Corporation vs. Commercial Tax Officer, (1993) 90 STC 47 (SC). ....	1
C.S.T. vs. Adarsh Paper Co., 1985 UPTC 15 : (1985) 1 STR 156. ....	2
C.S.T. vs. Trilok Nath and Sons, 1984 UPTC 204. ....	1
C.S.T. vs. Dhanraj Dal Mill, Aligarh, [2003] 38 STR 819. ....	2
Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura vs. C.T.T., [2001] 34 STR 484. ....	2
Eskay Remedies vs. State of U.P., [2003] 37 STR 273. ....	2
Haji Lal Mohd. Biri Works vs. State of U.P. and others, (1973) 32 STC 496. ....	1
Indian Oil Corporation Ltd. vs. State of U.P., [2004] 39 STR 269 : 2004 UPTC 170. ....	2
K. Three Electronics Ltd., vs. Divisional Level Committee, [2004] 39 STR (Tri) 17. ....	1
Kirloskar Ferrous Industries Ltd. vs. Dy. C.C.T., [2002] 35 STR 67 (Kam.). ....	2
Rattanlal Om Prakash vs. C.S.T., [2004] 39 STR 219. ....	2
Union of India vs. Godrej Phillips India Ltd. AIR 1986 SC 806 : 1986 UPTC 977. ....	1
Vam Organic Chemicals Ltd. v. State of U.P., [2003] 37 STR 215 : 2003 UPTC 467. ....	2
Varghese K.P. vs. I.T.O., 1981 UPTC 1268 (SC) : (1981) 131 ITR 507 (SC). ....	2

### धारा 2. परिभाषायें

#### (क) "कर-निर्धारक अधिकारी"

Agarwal and Brothers vs. C.S.T., 1974 UPTC 48. ....	3
C.S.T. vs. India Tobacco Co., 1983 UPTC 157. ....	3
C.S.T. vs. Kanpur Dal & Rice Mills, (1970) 25 STC 511. ....	3
C.S.T. vs. New Prakash Hotel, 1981 UPTC 1115. ....	3
C.S.T. vs. Person Tools and Plants, Kanpur, (1975) 35 STC 413 (SC). ....	3
C.S.T. vs. Sadanand Arhti, 1979 UPTC 816. ....	3
C.S.T. vs. Saraswati Press, Dehradun, 1984 UPTC 1105. ....	3
C.S.T. vs. Sarju Prasad Ram Kumar, (1976) 37 STC 533 (SC). ....	3
C.S.T. vs. Sterling Machines Tools, (1983) 53 STC 90 (All); 1983 UPTC 300. ....	3
Indian Iron & Steel Co. Ltd. vs. Sales Tax Officer, (1973) 32 STC 95 : 1972 UPTC 414. ....	3
Jagannath Prasad vs. State of U.P., AIR 1963 SC 416. ....	3
Roorki Taxation Bar Association vs. Assistant Commissioner (E), 1988 UPTC 24. ....	3
Shyam Manohar Dixit vs. Sales Tax Officer, 1970 UPTC 88. ....	3
State of Orissa vs. Chako Bhai Ghela Bhai & Co., (1960) 11 STC 716 (SC). ....	3
State of U.P. vs. Duli Chand Kali Prasad, (1968) 22 STC 191. ....	3
Ujjam Bai vs. State, AIR 1979 SC 1621. ....	3
Vishwanath Jhumghumwala, Varanasi vs. State of U.P., 1986 UPTC 1028. ....	3

#### (कक) "व्यापार"

C.S.T. vs. Jain Steel & Alloys Ltd. etc., Hapur, [2003] 38 STR 832. ....	4
C.S.T. vs. Mahaprabandhak Jal Sansthan, [2001] 34 STR 471 : 2000 UPTC 1000. ....	5

C.S.T. vs. Peekays Pharmaceuticals, [1989] 9 STR 114 ; 1989 UPTC 220.....	5
C.S.T., vs. Vasudeo Rao, (1981) 48 STC 447 (MP).....	5
C.T.T. vs. British India Corporation Ltd., Kanpur, [2003] 38 STR 608.....	4
Cementation Patel (Durgapur) vs. C.S.T. West Bengal, (1981) 47 STC 385 (Cal).....	5
District Controller of Stores, N.R., Jodhpur vs. A.C.T.O., (1976) 37 STC 385.....	5
Govt. of India vs. C.S.T., [1989] 9 STR 453.....	5
Indian Insurance Co. Association vs. Dy. C.T.O., Madras, (1969) 24 STC 79 (Mad).....	5
Northern India Caterers vs. Lt. Governor of Delhi, 1980 UPTC 326.....	5
Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd. vs. C.S.T., [1986] 3 STR 315.....	5
Raza Textiles Ltd. vs. C.S.T., [1990] 12 STR 310 : 1991 UPTC 175.....	5
Refreshment Centre, Meerut vs. C.S.T., [1990] 11 STR 203 : 1990 UPTC 334.....	5
State of T.N. vs. Board of Trustees of the port of Madras, [1999] 29 STR 281 (SC).....	5
State of T.N. vs. Burmah Shell Oil Storage & Distributing Co., (1973) 31 STC 426 (SC).....	5
The Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur vs. C.S.T., 1980 UPTC 1.....	5
The New India Assurance Co. vs. Dy. C.T.O. Madras, (1972) 29 STC 539 (Mad).....	5
United India Fire & General Insurance Co. vs. C.S.T., 1987 UPTC 20 (LB).....	5
<b>(ख) "कमिश्नर"</b>	
Dula Ram Panna Lal vs. A.C.S.T., (1963) 14 STC 675.....	6
<b>(ग) "व्यापारी"</b>	
Anand Saran Anoop Saran vs. C.S.T., 1976 UPTC 628.....	9
Bengal Cement Co. vs. State of Mysore, 1976 UPTC 208 (SC).....	9
C.S.T. vs. D.C. Dhawan & Co, (1970) 25 STC 12 (SC).....	9
C.S.T. vs. Educational Enterprises, [2001] 34 STR 638.....	9
C.S.T. vs. Jain Steel & Alloys Ltd. etc., Hapur, [2003] 38 STR 832.....	9
C.S.T. vs. M.P. Electricity Board, (1970) 25 STC 188 (SC).....	9
C.S.T. vs. Sai Publication Fund, [2002] 35 STR 250 (SC) : 2002 UPTC 335 (SC).....	9
City Booking Agency vs. State of U.P., [1990] 12 STR 277; 1990 UPTC 1294.....	9
Gurmukh Rai Radhey Prasad vs. State of Bihar, (1970) 25 STC 70 (Pat.).....	9
Guru Bux Cycle Works, Hapur vs. C.S.T., [1990] 12 STR 285; 1991 UPTC 46.....	9
Munna Lal Shukla vs. State of U.P., 1983 UPTC 289.....	9
Pawa Brokers Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [1990] 11 STR 248; 1990 UPTC 407.....	9
Progressive Enterprises vs. C.S.T., [1988] 7 STR 242; 1988 UPTC 90.....	9
Progressive Enterprises, Bajpur, Nainital vs. C.S.T., [1988] 7 STR 242.....	9
Rana & Company, Allahabad vs. C.S.T., [2004] 39 STR 21.....	9
Sarjoo Prasad Pitam Lal vs. Judge Revision, (1963) 14 STC 884 (All).....	9
State of A.P. vs. H. Abdul Bashir & Bros., (1964) 15 STC 644 (SC).....	9
State of U.P. vs. Union of India, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC).....	9
Tara Chand Kalloo Ram vs. Sales Tax Officer, (1962) 13 STC 957.....	9
Union of India and Another vs. State of U.P. and Another, [1999] 29 STR 207.....	9
<b>(घ) "माल"</b>	
Associated Cement Companies Ltd. vs. Comm. of Customs, [2002] 35 STR 192 (SC).....	10
C.S.T. vs. B.M. Wood Works, Alld., 1971 UPTC 145.....	10
C.S.T. M.P., Indore vs. M.P. Electricity Board, (1970) 25 STC 188 (SC).....	10
George P. Mathew vs. State of Kerala, (1979) 43 STC 438 (Kerala).....	10
K. Srinivasalu Co. vs. Dy. C.T.O. Nellore, (1975) 35 STC 262 (A.P.).....	10
State of U.P. vs. Union of India, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404.....	10

**(क-1) "निर्माण"**

Ashirwad Ispat Udyog and others vs. S.L.C., [1999] 29 STR 6 (SC) .....	11
Attar Singh Sarraf vs. C.S.T., [1998] 27 STR 162 .....	11
B.P. Oil Mills Ltd. vs. Sales Tax Tribunal, [1998] 28 STR 477 .....	11
C.S.T. vs. Ashoka Steel Corporation, Aligarh, [1999] 29 STR 270 .....	11
C.S.T. vs. Scrap India, 1995 UPTC 409 : [1995] 22 STR 40 .....	11
J.J. Enterprises vs. C.S.T., 1995 UPTC 1347 .....	11
Kumar Paints and Mill Stores, Meerut vs. C.T.T., [2003] 38 STR 810 .....	10
Moradabad Transport Company, Moradabad vs. C.S.T., [1999] 29 STR 228 .....	11
Sapna Latex Manufacturing Works vs. C.S.T., 1997 UPTC 1223 .....	11
State of Maharashtra vs. Mahalaxmi Stores, [2003] 37 STR 28 (SC) : 2003 UPTC 453 .....	11
Vishwanath Jhunjhunwala vs. State of U.P., 1996 UPTC 1028 : [1996] 24 STR 127 .....	11

**(कड) "निर्माता"**

Allahabad Law Agency vs. C.S.T., [2001] 33 STR 423 .....	12
Anil Kumar vs. C.S.T., 1997 UPTC 908 .....	12
<b>Bharat Timbers and another vs. State of U.P., [2004] 39 STR 1 .....</b>	<b>12</b>
C.S.T. vs. Damodar Das & Sons, [1997] 25 STR 239 .....	12
C.S.T. vs. Patel Bechar Bhai Lalu Bhai, Lalitpur, [1999] 30 STR 565 .....	12
C.S.T. vs. Sant Kumar & Co. Tendu Patti, Vyapari, [2003] 37 STR 91 : 2003 UPTC 270 .....	12
Kisan Timber Broker, Pilibhit vs. State of U.P., [2003] 38 STR 876 : 2003 UPTC 1242 (SC) .....	12

**(छछ) "क्रय मूल्य"**

<b>C.S.T. vs. Indian Terpentine and Rosin Co., Bareilly, [2004] 39 STR 216 .....</b>	<b>13</b>
Durgey Associate vs. C.S.T., 1994 UPTC 303 : [1993] 17 STR 66 .....	13
Indian Aluminium Cables Ltd. vs. C.S.T., 1994 UPTC 610 .....	13
Simbholi Industries vs. C.S.T., 1994 UPTC 1057 .....	13
Simbholi Industries vs. C.S.T., 1994 UPTC 1076 .....	13

**(ज) "बिक्री"**

Ansar Brick Works vs. C.S.T., 2000 UPTC 514 .....	15
Bharat & Company vs. T.T.O., Raksa, Jhansi, [2003] 37 STR 147 : 2003 UPTC 95 .....	15
C.S.T. vs. Actuas Victuous Pvt. Ltd., Bareilly, [1999] 30 STR 630 .....	16
C.S.T. vs. Chauttala Shudh Bhojnalaya, 1996 UPTC 114 : [1995] 22 STR 340 .....	16
C.S.T. vs. Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur, [2001] 33 STR 440 .....	15
C.S.T. vs. Gwalior Sweet House, Mirzapur, [1998] 28 STR 457 .....	16
C.S.T. vs. Hotel Relax, Dehradun, [1997] 25 STR 212 .....	16
C.S.T. vs. Neera Hotel and Restaurant, [1999] 29 STR 77 : 1999 UPTC 96 .....	16
C.S.T. vs. Northern Railway Catering Department, [1994] 20 STR 126 : 1995 UPTC 17 (SC) .....	16
C.S.T. vs. Sai Electricals, Meerut, [1987] 5 STR 363 .....	17
C.T.T. vs. Jakir Jussain Modern H. Sec. School, Dodhpur, Aligarh, [2001] 33 STR 77 .....	15
C.T.T. vs. Pramod Dal & Oil Mills, [2001] 33 STR 235 .....	15
Durga Metal Works (P.) Ltd. vs. A.C. (A) Sales Tax, Gorakhpur, [1999] 29 STR 305 .....	16
Dy. Director (Construction) Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad Bareilly vs. Trade Tax Department, Bareilly, 2000 UPTC 966 .....	15
Escotal Mobile Communications Ltd. vs. Union of India, [2002] 36 STR 446 (Ker) .....	15
Ex. En. Electricity Const. Division vs. C.S.T., [1994] 19 STR 97 : 1994 UPTC 438 .....	15
Guljag Industries Ltd. vs. State of Rajasthan, [2003] 38 STR 568 (Raj.) .....	15

Hotel Clark Shiraz, Agra vs. C.T.T., [1998] 28 STR (Trib.) 116.....	16
K. Damodaraswamy Naidu & Bros. etc. vs. State of Tamil Naidu, [1999] 30 STR 685 (SC).....	15, 16
(2000) 117 STC (SC).....	15, 16
M.K.R. Frozen Food Exports (P) Ltd. vs. State of U.P., [1996] 24 STR 269.....	17
Madhu Restaurant, Bagh Muzaffar Khan, Agra vs. C.S.T., [1999] 30 STR 442.....	16
Modi Industries Ltd. vs. C.S.T., [1998] 28 STR 644.....	16
N.M. Goyal & Co. vs. Sales Tax Officer, Rajnandgaon, 1990 UPTC 865.....	15
Onkar Nath vs. C.S.T., [2001] 33 STR 298.....	15
Oudh Sugar Mills vs. State of U.P., 1995 UPTC 723: [1995] 22 STR 231 (LB).....	16
U.P. State Sugar Corporation Ltd. vs. C.S.T., [1997] 25 STR 229: 1997 UPTC 1092.....	15
Vikas Sales Corporation vs. C.C.T., [1996] 24 STR 160.....	17

(अ) "विक्रय-धन"

C.S.T. vs. Alodeal Chemicals Manufacturing Co. Pvt. Ltd., [1998] 28 STR 381.....	19
C.S.T. vs. Alodeal Chemicals Manufacturing Co., [2003] 37 STR 324: 2003 UPTC 816.....	18
C.S.T. vs. Alodeal Chemicals Mfg. Co. (P) Ltd., [2001] 33 STR 443 (SC).....	18
C.S.T. vs. Anil Coal Corporation, [1987] 5 STR 371.....	20
C.S.T. vs. Indian Aluminium Cable Co., 1995 UPTC 705.....	19
C.T.T. vs. Acid and Chemicals Pvt. Ltd., Hasanpur, [1999] 30 STR 424.....	19
C.T.T. vs. Hari Fertilizers, Varanasi, [2003] 38 STR 845: 2004 UPTC 223.....	18
C.T.T. vs. Jagdamba Estates (Pvt.) Ltd., [2003] 38 STR 826.....	18
C.T.T. vs. Sunil Kumar Goel, [2003] 37 STR 425: 2003 UPTC 1036.....	18
Chatta Sugar Co. Ltd. vs. C.S.T., 2000 UPTC 828.....	19
Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura vs. C.T.T., [2001] 34 STR 434.....	18
Eicher Goodearth Ltd. vs. C.S.T., 1996 UPTC 17.....	19
Gujarat Ambuja Cement Ltd. and Another vs. Assessing Authority-Cum-Assistant Excise & Taxation Commissioner, [1999] 30 STR 509 (HP).....	19
Hamdard Wafk Laboratories vs. C.S.T., [2003] 38 STR 875.....	18
Hind Lamps Ltd. vs. C.S.T., [2003] 38 STR 678: 2003 UPTC 971.....	18
Hyderabad Asbestos Cement products, Ghaziabad vs. C.S.T., [1999] 29 STR 45.....	19
Indian Oil Corporation Ltd, Agra vs. C.T.T., [1999] 29 STR 223.....	19
J.J. Enterprises vs. C.S.T., 1995 UPTC 1347.....	20
Kailash Chandra Joshi vs. C.S.T., 1996 UPTC 1280: [1996] 24 STR 225.....	20
Madras Refineries Limited vs. State of Tamil Nadu, [2001] 34 STR 587 (SC).....	18
Modi Industries Ltd. vs. C.S.T. 2000 UPTC 149.....	18
Modi Rubber Ltd., Ghaziabad vs. C.S.T., [2003] 38 STR 739.....	18
Natraj Organics Ltd. vs. Assistant Commissioner (A) Sales Tax, 1995 UPTC 504.....	19
Neyveli Lignite Corporation Ltd. vs. C.T.O., Kuddalore, [2001] 34 STR 651 (SC).....	18
Rai Coal Depot, Varanasi vs. C.T.T., [1999] 29 STR 277.....	19
Sharma Coal Company vs. C.S.T., [2001] 34 STR 457.....	18
Shyam Coal Commission Agent vs. C.S.T., [1999] 30 STR 382.....	19
Swadeshi Polytex Limited vs. C.S.T., 1996 UPTC 980: [1996] 23 STR 140.....	20
Tata Timken Limited Noida vs. C.T.T., [1999] 30 STR 368.....	19
The Triveni Engineering Works, Ltd. Naini, Allahabad vs. C.T.T., [1999] 29 STR 181.....	19

(ब) "संकर्म संविदा"

Anand Saran Anoop Saran vs. C.S.T., 1976 UPTC 628.....	21
C.S.T. vs. Klatmak Glass Works, Firozabad, 1983 UPTC 174.....	21
Northern India Caterers (India) Ltd. vs. Lt. Governor of Delhi, (1980) 42 STC 346 (SC).....	21

State of Maharashtra vs. Sarvodaya Printing Press, [1999] 30 STR 675. ....	21
--	----

**धारा 3. अधिनियम के अधीन कर के लिये दायित्व**

C.T.T. vs. Munshi Ram Madanu Lal, Moreganj, Saharanpur, [2001] 33 STR 381. ....	23
Dhampur Sugar Mills Ltd. vs. C.S.T., 1996 UPTC 184: [1996] 23 STR 58. ....	24
Hari Narain Nand Gopal vs. C.S.T., [1998] 28 STR 382. ....	24
Khandelwal Grain Agency vs. C.T.T., [2001] 33 STR 143. ....	24
Ramesh Chandra Brick Kiln Owner vs. C.S.T., [1987] 6 STR 288. ....	24
Ramsaran Lal Brickclin Owner vs. C.S.T., [2001] 33 STR 248. ....	23
Shankar Scrap Supplier vs. C.T.T., 1999 STD (HC) 7. ....	24
State of U.P. vs. Union of India, [2003] 37 STR 183 (SC): 2003 UPTC 404 (SC). ....	23
Vasanthamal Foundries vs. Union of India, [1995] 22 STR 326. ....	24

**धारा 3-क. कर की दर**

Agarwal Metal Suppliers, Hathras vs. C.T.T., [2002] 36 STR 551 : 2002 UPTC 946. ....	28
Agilent Technologies India Pvt., Ltd. vs. C.T.T., [2003] 38 STR 748 : 2003 UPTC 977. ....	28
Ajit Kumar and Company, Saharanpur vs. C.T.T., 2000 UPTC 527. ....	29
Allied Distillation Co. vs. C.S.T., 1995 UPTC 393. ....	32, 34
Anil Kumar Subzi Beej Bikreta, (u/s. 35) ....	29
Associated Distributors Ltd. Ghaziabad vs. C.T.T., [2002] 35 STR 78. ....	28
Atul Agricultural & Allied Industries, Jhansi vs. C.T.T., [1999] 29 STR 227. ....	31
Atul Agricultural Corporation vs. C.S.T., [1988] 7 STR 120. ....	34
B.P. Oil Mills Ltd., [1998] 28 STR 477 (SC): 1998 UPTC 1020 (SC). ....	29
Balaji Agency vs. C.S.T., 1994 UPTC 184. ....	32
Banaras Supplies Agency vs. C.S.T., [1987] 6 STR 66. ....	34
British India Corporation Ltd. vs. C.S.T., [1987] 5 STR 378 (Full Bench). ....	34
C.S.T. vs. Agarwal Wood Works, [1987] 6 STR 135. ....	34
C.S.T. vs. Ahmad Nagar Gramodyog Vikas Sansthan, [1998] 28 STR 454. ....	32
C.S.T. vs. Anil Metal Industries, Agra, [1999] 29 STR 265. ....	31
C.S.T. vs. Bombay Readymade Stores, [1996] 24 STR 295 : 1996 UPTC 1256. ....	32
C.S.T. vs. C.A. Glass Works, [1995] 22 STR 312: 1996 UPTC 1. ....	33
C.S.T. vs. Cattle Food Plant, PCDF Ltd., Partapur, Meerut, [2001] 34 STR 529. ....	28
C.S.T. vs. Cawnpore Chemical Works, [2004] 39 STR 257. ....	27
C.S.T. vs. Chaudhury Iron Stores, Loha Mandi, Agra, [1999] 29 STR 163. ....	31
C.S.T. vs. Doon Engineering Pvt. Ltd., [1995] 22 STR 123: 1995 UPTC 1326. ....	33
C.S.T. vs. Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur, [2001] 33 STR 440. ....	28
C.S.T. vs. H.M. Industries, 1980 UPTC 364. ....	33
C.S.T. vs. Jain Tube Co., 1994 UPTC 1150. ....	31
C.S.T. vs. Krishna Homeo Pharmacy, Gorakhpur, [2003] 38 STR 716 : 2003 UPTC 919. ....	27
C.S.T. vs. Magan Mal Nemi Chand, [1995] 22 STR 109: 1995 UPTC 912. ....	33
C.S.T. vs. Manish Metal Works, Noida, [2004] 39 STR 105. ....	27
C.S.T. vs. Miniature Bulb Industries (Pvt.) Ltd., [1995] 22 STR 145: 1995 UPTC 1158. ....	33
C.S.T. vs. Modi Industries, [1997] 25 STR 61. ....	31
C.S.T. vs. Modi Paun Ltd., Ghaziabad, [1998] 28 STR 464. ....	31
C.S.T. vs. Mohan Udyog, 1995 UPTC 634. ....	32
C.S.T. vs. Northern Railway Catering & Vending, [2004] 39 STR 90. ....	27
C.S.T. vs. Paliwal Glass Works Shikohabad, 1999 UPTC 681. ....	30
C.S.T. vs. R.K. Trading Co., [2001] 33 STR 388. ....	29



C.S.T. vs. R.S. Steel Works, Bareilly, [1999] 29 STR 158. ....	31
C.S.T. vs. Samrat Trading Co., Mirzapur, [1999] 29 STR 167. ....	30
C.S.T. vs. Shere Punjab Biscuit Factory, 1983 UPTC 489. ....	33
<b>C.S.T. vs. Tomar Agriculture India, Baraut, [2004] 39 STR 151. ....</b>	<b>27</b>
C.S.T. vs. Vanaspati Agents, [1991] 14 STR 261: 1991 UPTC 1320. ....	33
C.S.T. vs. Vijay Aluminium Works, Fazalganj, Kanpur, [1999] 30 STR 456. ....	30
C.S.T. vs. Vijaya Hosiery Factory, [1997] 25 STR 303: 1997 UPTC 40. ....	33
C.S.T. vs. Woodoo Co., Agra, 1980 UPTC 931. ....	33
<b>C.T.T. vs. Bharat Straw Board and Paper Mills (P) Ltd., [2004] 39 STR 201. ....</b>	<b>27</b>
C.T.T. vs. British India Corporation Ltd., Kanpur, [2003] 38 STR 608. ....	27
C.T.T. vs. Ganesh & Co., 2000 UPTC 214. ....	29
C.T.T. vs. Kailash Motors, [1999] 30 STR 629. ....	30
C.T.T. vs. Khandelwal Rassi Bhandar, Moradabad, [1997] 25 STR 113: 1997 UPTC 166. ..	32
C.T.T. vs. Parikh Gramodyog Sansthan, [2003] 37 STR 301 : 2003 UPTC 603. ....	28
C.T.T. vs. Parmanand and Co., 1999 UPTC 44. ....	30
C.T.T. vs. Punjab Steel Works, Gorakhpur, [2001] 34 STR 606. ....	28
Camphor and Allied Products Ltd., Bareilly vs. C.S.T., [1999] 30 STR 632. ....	30
Canon India Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [2003] 37 STR 137 (LB) : 2003 UPTC 10 (LB). ....	28
Chandra Bhan Paras Das Jain, Agra vs. C.T.T., [2003] 37 STR 247. ....	28
Chemtreat Chemicals, Bareilly vs. State of U.P., 1997 UPTC 1224. ....	32
D. S. M. Group of Industries vs. Chairman T.T. Tribunal, [2002] 36 STR 707 (LB). ....	28
D. S. M. Group of Industries vs. State of U.P., [2002] 36 STR 715 (LB). ....	28
Deepak Brothers vs. Commissioner Trade Tax, 2000 UPTC 778. ....	29
Executive Engineer, Electricity Board vs. C.S.T., 1994 UPTC 283. ....	32
Ganga Devi Agencies vs. C.S.T., [1994] 19 STR 83 : 1994 UPTC 582. ....	32
Gaurav Traders Gorakhpur, (u/s. 35) ....	29
<b>Gupta Chemical Company etc. vs. C.S.T. [2004] 39 STR 12. ....</b>	<b>27</b>
Hindustan Safety Glass Works vs. C.S.T., [1998] 28 STR 473. ....	31
I.T.C. Agro Tech Ltd. vs. C.T.T., 2000 UPTC 362. ....	29
I.T.C. Agro-Tech Limited vs. C.T.T., [2001] 33 STR 102. ....	28
India Supply Corporation vs. State of U.P., [1991] 14 STR 236: 1991 UPTC 1193. ....	33
Indian Oil Corporation Limited, Agra vs. C.S.T., [1998] 28 STR 640. ....	31
Indian Oil Corporation Ltd, Agra vs. C.T.T., [1999] 29 STR 225. ....	31
International Chemical Industries vs. C.S.T. [1998] 27 STR 167. ....	31
International Chemical Industries, Modinagar vs. C.S.T., [1998] 27 STR 167. ....	31
J.J. Enterprises vs. C.T.T., [1996] 24 STR 1: 1996 UPTC 471. ....	33
Jaganath Das Balbhadra Das Bros, Allahabad vs. C.S.T., [1999] 30 STR 474. ....	30
Jain Marble Home vs. Sales Tax Tribunal, [1996] 23 STR 85. ....	33
Khaitan Electricals Ltd. vs. C.S.T., 1999 UPTC 683. ....	30
Kishan Bros. vs. C.T.T., [2001] 33 STR 250. ....	28
Laxmi Paper Mart and another, [1997] 25 STR 213. ....	32
Madura Coats vs. C.S.T., [1998] 27 STR 197. ....	32
Mercury laboratories Pvt. Ltd. vs. State of U.P., 2000 UPTC 82. ....	29
Modi Rubber Limited., Ghaziabad vs. C.S.T., [2003] 38 STR 739. ....	27
Motor Industries Co. Ltd. vs. State of U.P., 1994 UPTC 685. ....	32
Munjal Rubber Industries, Meerut Cantt. vs. C.T.T., [1999] 29 STR 198. ....	31
Nath Engineering Co., Etah vs. State of U.P., 1983 UPTC 237. ....	33
New Vikas hardware House vs. C.S.T., STI 2000 Aild 25. ....	30

<b>Rita Ice Cream vs. C.S.T., [2004] 39 STR 166.</b> .....	27
<b>Sangam X-ray and Pathology and another vs. State of U.P., [2001] 34 STR 586.</b> .....	28
<b>Shahji Engineering &amp; Fabricators, Bareilly vs. C.T.T., [2002] 35 STR 278.</b> .....	28
<b>Sharpege Ltd., Meerut vs. C.S.T., [1987] 6 STR 373.</b> .....	34
<b>State of Kerala vs. V. Padmanabhan, 2000 UPTC 377 (SC).</b> .....	29
<b>State of U.P. vs. Engineering Traders, 1990 UPTC 638.</b> .....	33
<b>Sugal and Damani vs. State of U.P. and another, 2000 UPTC 706.</b> .....	29
<b>Swadeshi Iron and Steel Works, Kanpur vs. C.S.T., [1998] 28 STR 459.</b> .....	32
<b>Swadeshi Polytex Ltd. vs. C.S.T., [1996] 23 STR 140 : 1996 UPTC 980.</b> .....	33
<b>Tata Agricultural Works vs. C.S.T., [1987] 6 STR 261.</b> .....	34
<b>Tips and Tubes Cosmetics (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad vs. C.S.T., [1997] 26 STR 794.</b> .....	32
<b>U.P. State Sugar Corporation Ltd. vs. C.S.T., [1998] 28 STR 493.</b> .....	31
<b>United Copies (India) Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [1995] 21 STR 137: 1995 UPTC 168.</b> .....	32

**धारा 3-कक. बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर कर का उद्ग्रहण**

<b>C.S.T. vs. Agra Belting Works, 2000 UPTC 381 (SC).</b> .....	35
<b>C.S.T. vs. Bareilly Skin Traders, Bareilly, [2003] 38 STR 800 : 2003 UPTC 850.</b> .....	34

**धारा 3-कख. माल के साथ बेची गयी पैकिंग सामग्री पर कर की दर**

<b>C.S.T. vs. The Kishan Sahakari Chini Mills, Shahjahanpur, [2004] 39 STR 154.</b> .....	35
<b>C.T.T. vs. U.P. State Sugar Corporation, [2001] 34 STR 622.</b> .....	35
<b>Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura vs. C.T.T., [2001] 34 STR 484 : 2000 UPTC 828.</b> .....	35
<b>Chahata Sugar Co. Ltd., Mathura vs. C.T.T., [2001] 34 STR 633.</b> .....	35
<b>The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd. Nainital vs. C.T.T., [2001] 33 STR 66.</b> .....	35

**धारा 3-ककक. कतिपय बिक्रियों के सम्बन्ध में उपधारणा**

<b>Bharat Iron Stores vs. C.S.T., 1994 UPTC 130.</b> .....	36
<b>Deependra Metal Works vs. C.S.T., 1994 UPTC 533.</b> .....	36
<b>Excellent Motors vs. AddL Commissioner, T.T.O., Kanpur, [2004] 39 STR 71.</b> .....	36
<b>Gaurav Traders, Kanoon Goyan, Meerut vs. C.S.T., [2002] 35 STR 116 (HC).</b> .....	36
<b>Indra Steels Private Ltd. vs. C.S.T., [1995] 21 STR 25 : 1995 UPTC 4.</b> .....	36
<b>Pioneer Tanneries Glue Works, Kanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 246.</b> .....	36

**धारा 3-कककक. कतिपय परिस्थितियों में माल की खरीद पर कर का दायित्व**

<b>C.S.T. vs. Cawnpore Chemical Works, [2004] 39 STR 257.</b> .....	37
<b>C.S.T. vs. Bareilly Skin Traders, Bareilly, [2003] 38 STR 800 : 2003 UPTC 845.</b> .....	37
<b>C.S.T. vs. Indian Oil Seed Agency, 1980 UPTC 469.</b> .....	38
<b>C.S.T. vs. Madan Lal Dana &amp; Sons, [1987] 6 STR 94.</b> .....	38
<b>Krishna Biharilal Bhagwan Das vs. C.S.T., [2004] 39 STR 208.</b> .....	37
<b>Nathmal Mahabir Prasad vs. C.S.T., [1996] 24 STR 337 : 1996 UPTC 1258.</b> .....	38
<b>Riyazul Islam, Brick-kiln Owner vs. C.S.T., [1987] 6 STR 183.</b> .....	38
<b>Shivam Overseas Corporation, Noida vs. C.T.T., [2003] 38 STR 501.</b> .....	38
<b>Vijay Dal Mills vs. C.S.T., [2001] 34 STR 449.</b> .....	38
<b>Vijay Dall Mills Kanpur vs. C.S.T., 2000 UPTC 983.</b> .....	38

**धारा 3-ख. मिथ्या प्रमाण-पत्र आदि जारी करने पर दायित्व**

<b>Arora Steel Udyog (p) Ltd, Alld. vs. C.T.T., [1999] 29 STR 190.</b> .....	39
<b>B.P. Compressors vs. C.S.T., 1995 UPTC 256.</b> .....	39
<b>Bajrang Industries vs. C.T.T., [2001] 33 STR 243.</b> .....	39

Bhagwan Das & Co. vs. State of U.P., [2003] 37 STR 80 : 2003 UPTC 140. ....	39
C.S.T. vs. Aahuja Screw Factory, Khurja, 1988 TLD 1. ....	40
C.S.T. vs. Gauraya Straw & Card Board Mill, [1999] 30 STR 438. ....	39
C.S.T. vs. Vijendra Industries, [1987] 6 STR 154. ....	40
C.T.T. vs. Pack Well Print Industries Ltd., Dehradun, 2000 UPTC 729. ....	39
C.T.T. vs. Spox India and Allied Industries, Kanpur, [1998] 28 STR 628. ....	39
Mahabir Rice Mill, Saharanpur vs. C.S.T., [2001] 34 STR 466. ....	39
Oversease Trade Linkers, Agra vs. C.S.T., [1988] 7 STR 384. ....	40
Sahni Engineering Works vs. C.S.T., 1994 UPTC 70. ....	39
Shyam Industries, Industrial Estate, Gorakhpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 706. ....	39
Solar Premises (P) Ltd. vs. C.S.T., [1995] 22 STR 268: 1996 UPTC 987. ....	40
Varanasi Auto Sales vs. C.S.T., 1994 UPTC 974. ....	40
Willard India Ltd. vs. C.T.T., [1999] 30 STR 624. ....	39

### धारा 3-ग. विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व

C.S.T. vs. S. Nabi Husain, Moradabad, 1983 UPTC 452. ....	41
Kanodia Brothers vs. C.S.T., 1972 UPTC 479. ....	41

### धारा 3-घ. कतिपय माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर का लगाया जाना

Agrawal Rice Mill, Bijnor vs. C.S.T., [2001] 34 STR 463. ....	46
Agrawal Rice Mill, Bijnor vs. C.S.T., [2001] 34 STR 463. ....	46
Ajai Kumar and Company, Badaun vs. C.S.T., [2001] 33 STR 283. ....	46
Arvind Kumar Gupta vs. C.S.T., [2001] 33 STR 117. ....	46
Bhawani Roller Flour Mills Pvt. Ltd. vs. Sr. Regional Manager, F.C.I., [2003] 38 STR 631. ....	45
C.S.T. vs. Abdul Ghani Banne Mian, Bijnor, 2000 UPTC 303. ....	46
C.S.T. vs. Baba Rice & Dal Mill, Khurja, [1999] 29 STR 53. ....	47
C.S.T. vs. Babu Ram Mohan Lal, 1987 UPTC 317. ....	48
C.S.T. vs. Babu Ram Mohan Lal, 1987 UPTC 318. ....	48
C.S.T. vs. Brij Mohan and Company, Moradabad, [1999] 30 STR 452. ....	47
C.S.T. vs. Cawnpore Chemical Works, [2004] 39 STR 257. ....	45
C.S.T. vs. Dhanraj Dal Mill, Aligarh, [2003] 38 STR 819. ....	45
C.S.T. vs. Dhanraj Dal Mill, Aligarh, [2003] 38 STR 819. ....	45
C.S.T. vs. Geep Co-operative Society, Allahabad, 1975 UPTC 288. ....	48
C.S.T. vs. Goel & Brothers, Jagner, Agra, [1999] 30 STR 443. ....	47
C.S.T. vs. Jai Shiv Trading Co., [1999] 30 STR 466. ....	47
C.S.T. vs. Khandelwal & Co., Bareilly, [1987] 6 STR 400. ....	48
C.S.T. vs. Khanna Rice Mills, [2001] 33 STR 80. ....	46
C.S.T. vs. National Cereals Products Ltd., [1998] 28 STR 449. ....	47
C.S.T. vs. Radhey Shiam Kedar Nath, [1996] 23 STR 307: 1996 UPTC 1132. ....	48
C.S.T. vs. Ram Chandra Asha Ram, 2000 UPTC 636 (SC). ....	46
C.S.T. vs. Ram Karan Das Anil Kumar Arhti, Shahjahanpur, [2003] 37 STR 299. ....	45
C.S.T. vs. Ramesh Dal Mill, Hathras, [2004] 39 STR 156. ....	45
C.S.T. vs. Shanti Pal Khandsari, Bareilly, 1987 ATJ 592. ....	48
C.S.T. vs. Sunder Lal Kapoor Chandra, Lalitpur, [2004] 39 STR 108. ....	45
C.S.T. vs. U.P. Straw and Agro Product Ltd., Moradabad, [2004] 39 STR 240. ....	44
C.T.T. vs. Acid and Chemicals Pvt. Ltd., Hasanpur, [1999] 30 STR 424. ....	47
C.T.T. vs. Mauzi Ram Rameshwar Das, Mathura, [2003] 37 STR 131 : 2002 UPTC 1233. ....	45
C.T.T. vs. Mohan Lal Naresh Kumar, Muzaffarnagar, [2003] 37 STR 92 : 2003 UPTC 307. ....	45

C.T.T. vs. New Brij Sudh Deshi Ghee Store, [2002] 36 STR 649 : 2002 UPTC 1031. ....	46
Chhotey Lal Jai Prakash vs. C.S.T., [1993] 18 STR 347: 1994 UPTC 85. ....	48
Chittarnal Narain Das vs. C.S.T., (1970) 26 STC 344 : (1970) UPTC 1276. ....	47
Dhan Prakash Cane Crushers, Kasoli vs. C.S.T., [2002] 35 STR 358 : 2002 UPTC 788. ....	46
Food Corporation of India vs. State of Kerala and others, [1997] 26 STR 542 (SC). ....	48
Gupta Grain Merchant vs. C.T.T., [2002] 36 STR 375. ....	46
Hiralal Ratan Lal vs. S.T.O., 1974 UPTC 115 (SC). ....	48
J.K. Jute Mills Co. vs. State of U.P., 12 STC 429 (SC). ....	48
Kanodia Flour Mills and another vs. State of U.P. and others, [1999] 30 STR 400. ....	47
M.P. Traders vs. C.T.T., [2001] 33 STR 21. ....	46
<b>Mathura Commercial Company vs. C.S.T., [2004] 39 STR 142. ....</b>	<b>45</b>
Mukund Lal Banarasi Lal vs. C.S.T., [2003] 37 STR 121 : 2003 UPTC 525. ....	46
Mukund Lal Banarasi Lal case, [2003] 37 STR 121. ....	45
<b>Parvati Mills, Sahjanwa, Gorakhpur vs. Sales Tax Officer, [2004] 39 STR 147. ....</b>	<b>45</b>
Pramod Sugar Corporation, Shyamganj, Bareilly vs. C.T.T., [2002] 36 STR 681. ....	46
Ram Richhpal Vijai Kumar vs. C.S.T., [1988] 7 STR 251. ....	48
Ram Swaroop Agarwal vs. C.T.T., [1999] 29 STR 69. ....	47
Ram Vilas Ram Gopal case, (1969) 24 STC 508. ....	47
Satish Trading Co. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 95. ....	45
Shekher Chand Subhash Chand vs. C.S.T., 1994 UPTC 56. ....	48
Shiv Prasad Kanhaiya Lal, Bahraich vs. C.S.T., [2002] 36 STR (Tri) 196. ....	48
Shivam Industries, Agra vs. C.T.T., [2001] 33 STR 196. ....	47
Shree Krishna Abhushan Bhandar vs. Central Ordnance Depot, [1999] 29 STR 247. ....	47
Swastic Pulses Industries (Pvt.) Ltd. vs. State of U.P., [1998] 28 STR 461. ....	47

### धारा 3-ड. कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर [निकाल दिया गया]

Bangal Iron Corporation vs. Commercial Tax Officer, (1993) 90 STC 47 (SC). ....	49
C.S.T. vs. Heera Electrodes, [2001] 34 STR 468 : 2000 UPTC 1026. ....	49
Dy. C.S.T. vs. Aysha Hosiery Factory, [1992] 15 STR 309 (SC) : 1992 UPTC 454 (SC). ....	49

### धारा 3-च. किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर कर

20th Century Finance Corporation Ltd. vs. State of Maharashtra, 2000 UPTC 593 (SC). ....	53
Ahuja Goods Agency & anr. vs. State of U.P., [1997] 26 STR 536. ....	54
Anurag Enterprises vs. State of U.P., 1996 UPTC 6. ....	54
Associated Cement Companies Ltd. vs. Comm. of Customs, [2002] 35 STR 192 (SC). ....	52, 53
Banda Tent House Association vs. State of U.P., [2003] 38 STR 879 : 2004 UPTC 133. ....	52
C.S.T. vs. Varanasi Auto Sales (P) Ltd., 1996 UPTC 288. ....	54
C.T.T. vs. Jabbar Body Repairing, [2001] 33 STR 67. ....	52
C.T.T. vs. Tata Eng. & Locomotive Co., [2003] 37 STR 94. ....	52
C.T.T. vs. Varanasi Auto Sales Pvt. Ltd., Alaipur, Varanasi, [2001] 33 STR 18. ....	53
Dharam Prakash Agarwal vs. C.T.T., [1998] 28 STR 645. ....	54
Engineers Enterprises vs. Dy. Commissioner, Allahabad, [1996] 24 STR 120. ....	54
Food Corporation of India vs. C.S.T., [1987] 6 STR 209. ....	54
Garrison Engineer (P) Prem Nagar vs. C.R.T., [1999] 30 STR 640. ....	53
H.C.L. Office Automation Ltd. vs. Asstt. Commissioner Trade Tax, 2000 UPTC 837. ....	53
Ishwar Industries vs. State of U.P., [1995] 22 STR 183. ....	54
Jai Prakash Industries Ltd. vs. State of U.P., [2003] 37 STR 398 : 2003 UPTC 1272. ....	52

Kanodia Road Lines vs. State of U.P., [1995] 21 STR 323. ....	54
Lalooji and Sons vs. State of U.P. and others, [2004] 39 STR 67 : 2003 UPTC 900. ....	52
Om Pal Singh vs. State of U.P., [1999] 30 STR 394. ....	53, 54
Project Technologists Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 104 : 2002 UPTC 162. ....	53
Santosh & Company, New Delhi vs. C.T.T., [1999] 30 STR 649. ....	53
Sardar Tundla Goods Transport Agency vs. State of U.P., [1999] 30 STR 380. ....	53
State of A.P. and another vs. Rashtriya Ispat Nigam Ltd., [2002] 35 STR 189 (SC). ....	52
State of U.P. vs. Bridge & Roof Co., [1997] 25 STR 328 (SC) : 1997 UPTC 246 (SC). ....	54
State of U.P. vs. Union of India, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC). ....	52
Swaroop Vegetable Products India Ltd. vs. State of U.P., [1998] 27 STR 206. ....	54
Tata Elxsi Limited vs. State of Uttaranchal, [2004] 39 STR 231 (Utt.). ....	52
Union of India vs. State of U.P., [1999] 29 STR 207. ....	53
V.K. Singhal vs. State of U.P., [1995] 21 STR 244. ....	54
Vaaho Photo International vs. State of U.P., [2003] 38 STR 462 : 2003 UPTC 600. ....	52

### धारा 3-घ. कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर

C.S.T. vs. Cawnpore Chemical Works, [2004] 39 STR 257. ....	56
C.T.T. vs. Maha Prabandhak Jal Sansthan, [2001] 34 STR 471 : 2000 UPTC 1000. ....	56
C.T.T. vs. Rama Safe Industries, [2001] 33 STR 332. ....	56
C.S.T. vs. Saharanpur Int. Nirmata, 1981 UPTC 1209. ....	56
J.K. Mullik vs. State of Madras, (1972) 30 STC 443. ....	56
Modi Rubber vs. State of U.P., [1997] 25 STR 73. ....	56
Swaroop Industries, Bareilly and another vs. State of U.P., 2000 UPTC 850. ....	56

### धारा 4. कर से छूट

Baldeo Das Kunwar Sen vs. State of U.P., [1996] 23 STR 68 : 1996 UPTC 396. ....	58
C.S.T. vs. Agrahari Rope Stores, [2003] 38 STR 651 : 2003 UPTC 1179. ....	57
C.S.T. vs. Bairnag Gram Swaraj Sangh, [2000] 31 STR 52. ....	58
C.S.T. vs. Dhawan Industrial Works, 1995 UPTC 590. ....	58
C.S.T. vs. Phoolson Agricultural Industries, [1987] 5 STR 338. ....	59
C.S.T. vs. Singhal Trading Company, 1994 UPTC 1097. ....	58
C.S.T. vs. U.P. Straw and Agro Product Ltd., Moradabad, [2004] 39 STR 240. ....	57
C.T.T. vs. Hiralal Ram Das, Visheshwarganj, Varanasi, [1999] 30 STR 465. ....	58
C.T.T. vs. Nainital Dugadha Utapadak Sahkari Sangh Ltd. Nainital, [2001] 33 STR 355. ....	57
C.T.T. vs. Rajesh Kumar Vikas Kumar Panday, Gorakhpur, [1999] 29 STR 315. ....	58
Dayal Singh Kulfiwala vs. C.S.T., 1978 UPTC 732. ....	58
Deepak Brothers vs. C.T.T., 2000 UPTC 778. ....	58
Khadi & Village Industries Commission vs. C.S.T., [2001] 33 STR 394. ....	58
Piya Pharmaceuticals Works vs. Dy. C. (E), Sales Tax, [1998] 27 STR 34. ....	58
Ram Chand Asha Ram vs. C.S.T., 1996 UPTC 1328. ....	58
Swadishta Soya Products vs. State of U.P. and others, [2001] 34 STR 664. ....	57
Venytics Peripherals Pvt. Ltd. vs. C.S.T., 1995 UPTC 247. ....	58

### धारा 4-क. कतिपय मामलों में व्यापार कर से छूट

Aakash Cement Pvt. Ltd. vs. C.S.T., 2000 UPTC 298. ....	76
Abhinav Steels Private Ltd. vs. C.T.T., [2003] 38 STR 700 : 2004 UPTC 6. ....	72
Adarsh Polypack vs. State of U.P. and others, [1996] 23 STR 340 : 1996 UPTC 915. ....	83
Allied Motors Private Ltd. vs. State of U.P., 1994 UPTC 735. ....	80

Alvin Cement Private Ltd., vs. C.T.T., [1999] 30 STR 489 : 1999 UPTC 1028. ....	79
Amit Plastic Industry vs. D.L.C., 1994 UPTC 121. ....	80
Anil Kumar Ramesh Chandra vs. State of U.P., 2000 UPTC 383. ....	76
Arya Flavours (Pvt.) Ltd., Noida vs. C.T.T., [1999] 30 STR 353. ....	82
Ashish Electronics vs. State of U.P., 1995 UPTC 289. ....	81
B.S. Charti vs. Hussain Nhanhu Jamadar, 1999 (1) SCC 273 (SC). ....	76
Baj Temp Ltd., Bombay vs. C.I.T., Bombay, 1992 UPTC 857 (SC). ....	82
Balaji Oil & Ice Industries vs. D.L.C., 1997 UPTC 95. ....	83
Barelia Coke Industries vs. C.T.T., [2002] 35 STR 28 : 2002 UPTC 76. ....	74
Bharat Steel Rolling Mill vs. C.T.T., [2002] 35 STR 42 : 2002 UPTC 122. ....	74
Bharat Steel Rolling Mill vs. C.T.T., [2002] 35 STR 42 : 2002 UPTC 122. ....	75
Bhawani Glass Works, Firozabad vs. C.S.T., [1997] 26 STR 810. ....	80
Bindal Batteries Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [2003] 38 STR 887. ....	71
C.I.T. vs. Straw Board Manufacturing Co., 1989 Supl. (2) SCC 523. ....	82
C.S.T. vs. Brij Mohan and Company, Moradabad, [1999] 30 STR 452. ....	77
C.S.T. vs. Brij Mohan and Company, Moradabad, [1999] 30 STR 452. ....	78
C.S.T. vs. Industrial Coal Enterprises, [1999] 29 STR 172 (SC) : 1999 UPTC 250. ....	80
C.S.T. vs. Jagannatha Cotton Company [1995] 22 STR 335 (SC). ....	81
C.S.T. vs. Kothari Moulders, [1999] 30 STR 488 (LB). ....	78
C.S.T. vs. Ocean Time Agency, Agra, 2000 UPTC 153. ....	76
C.S.T. vs. Usha Rectifier Corporation (I) Ltd., 2000 UPTC 35 (LB). ....	76
C.T.T. vs. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghaziabad, [2002] 36 STR 669. ....	73
C.T.T. vs. J.P.S. Plastic Pvt. Ltd., Meerut, [2001] 34 STR 560 (LB). ....	75
C.T.T. vs. Modipon Ltd., Modi Nagar, [1999] 30 STR 356 : 1999 UPTC 1108. ....	79
C.T.T. vs. Precise Laboratories Ltd. Ghaziabad, [2002] 35 STR 6 : 2002 UPTC 36. ....	74
C.T.T. vs. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd., Moradabad, [1999] 30 STR 605. ....	78
C.T.T. vs. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd., Moradabad, [1999] 30 STR 605. ....	78
C.T.T. vs. Rohit Products Moradabad, 2000 UPTC 906. ....	75
C.T.T. vs. Saket Surgicals India Pvt. Ltd., [2003] 38 STR 531 (LB) : 2003 UPTC 439 (LB). ..	71
Calcutta Silicate & Chemical Ind. vs. State of U.P., [2003] 38 STR 771 : 2003 UPTC 968. ..	71
Chandel Rice Mills Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [1999] 29 STR 90 (LB) : 1999 UPTC 7 (LB). ..	79
Chandra Stamping Works Bulandshahar vs. C.T.T., 2000 UPTC 433. ....	76
Continental Chemicals Ltd. vs. S.T.O., [1999] 29 STR 187 (SC) : 1999 UPTC 220. ....	79
Continental Chemicals vs. Sales Tax Officer, 1996 UPTC 399. ....	82
Creative Handicrafts vs. Chairman, Noida, [1996] 23 STR 231 : 1996 UPTC 436. ....	82
D. S. M. Group of Ind. vs. State of U.P., [2002] 36 STR 703 (LB) : 2002 UPTC 1008 (LB). ..	74
D.E.I. Ltd. etc. vs. State of U.P., [1987] 5 STR 446. ....	83
D.L.C. vs. Harswarup Drum Udyog, [1999] 29 STR 180 (SC) : 1999 UPTC 217. ....	80
D.L.C. vs. Sahu Stone Crushing Industries, [1997] 25 STR 64 : 1996 UPTC 1372 (SC). ....	83
Dilip Industries vs. State of U.P., 1987 UPTC 412. ....	83
Doaba Cold Storage and Ice Fac. Allahabad vs. State of U.P., [2001] 34 STR 558. ....	75
Ellora Mechanical Products vs. Chairman, Noida, [1999] 29 STR 301 : 1999 UPTC 400. ....	79
Eskay Remedies vs. State of U.P., [2003] 37 STR 273 : 2003 UPTC 254. ....	72
Etah Steels Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 252 : 2003 UPTC 1252. ....	73
Goodwill Brick Kiln vs. C.T.T., [2002] 35 STR 298 : 2002 UPTC 508. ....	75
Gujarat Ambuja Cement Ltd. and Another vs. Assessing Authority-Cum-Assistant Excise & Taxation Commissioner, [1999] 30 STR 509 (HP). ....	77
H.M. Industries & another vs. Sales Tax Officer, [2003] 38 STR 804 : 2003 UPTC 496. ....	71

Herig Crankshafts Ltd. vs. C.S.T., [2002] 36 STR 675.....	73
Hytek Machine Tools vs. D.L.C., 1994 UPTC 193.....	80
J.N. Industries vs. State of U.P., 1995 UPTC 933.....	81
Jagat Machinery Manufacturers Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [1987] 6 STR 433.....	84
Jai Durga Detergent and Chemicals vs. C.S.T., [1995] 21 STR 183; 1995 UPTC 89.....	81
Jain Shudh Vanaspati case, 1983 UPTC 198.....	76
<b>Janta Dal Mill vs. C.S.T., [2004] 39 STR 205.....</b>	<b>71</b>
Janta Dal Mill, Fatehpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 350 : 1999 UPTC 1123.....	79
Janta Dal Mill, Radha Nagar, Fatehpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 350.....	82
Kajaria Ceramics Ltd. vs. C.T.T., 2000 UPTC 154.....	77
Kalpatru Udyog vs. C.S.T., [1995] 21 STR 219; 1995 UPTC 789.....	82
Kanhaiya Beverages Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 116 : 2003 UPTC 549.....	72
Kediya Electrical Appliances vs. C.T.T., [2001] 34 STR 527.....	75
Krishna Mohan Agarwal vs. State of U.P., 1996 UPTC 949.....	83
Krisons Electronic Systems vs. State of U.P., [1995] 22 STR 155; 1995 UPTC 1257.....	81
Kumar Fuels vs. State of U.P., [1986] 3 STR 329.....	84
Kumar Oil Mill (Pvt.) Ltd. vs. State of U.P., [1996] 23 STR 228; 1996 UPTC 305.....	82
Lata Plastic Works vs. State of U.P., 1996 UPTC 638.....	82
M.K. Vinyal Pvt. Ltd. vs. D.L.C., [1996] 24 STR 219; 1996 UPTC 1114.....	83
Magnum Papers Pvt. Ltd. vs. State of U.P., [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.....	72
Mahabir Agro Products, Ltd., Bareilly vs. C.T.T., 2000 UPTC 503.....	76
Mala Roller Flour Mills, Meerut vs. C.T.T., [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.....	78
Mala Roller Flour Mills, Meerut vs. C.T.T., [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.....	79
Mangalam Steels, Gwalior Road, Jhansi vs. C.T.T., [2002] 35 STR 239 : 2002 UPTC 450.....	74
Mansarovar Bottling Company Ltd. vs. C.T.T., [1999] 30 STR 337 : 1999 UPTC 864.....	81, 82
Markwel Paper Plast Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2002] 36 STR 522 : 2002 UPTC 637.....	73
Markwell Paper Plast Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 377 : 2003 UPTC 892.....	73
Mirdula Detergents (P) Ltd. vs. C.S.T., [1998] 27 STR 193.....	80
Morgardshammar India Ltd. vs. S.L.C., [1995] 22 STR 5; 1995 UPTC 334.....	81
Neel Kamal Oil Mills vs. State of U.P., 1994 UPTC 606.....	80
Newage Printing Ink Co. vs. State of U.P., 1995 UPTC 952.....	81
Nylogrip Belting Co. vs. State of U.P., 1995 UPTC 443.....	81
Old Village Industries Ltd. vs. Trade Tax Tribunal, [1998] 28 STR 637.....	80
<b>Panalfa Dongwon India Limited, Noida vs. C.T.T., [2004] 39 STR 250.....</b>	<b>71</b>
Pappu Sweets and Biscuits etc. vs. C.T.T., [1998] 28 STR 537 (SC).....	80
Paswara Petrochem Limited, Meerut vs. C.T.T., [2002] 36 STR 361 : 2002 UPTC 598.....	73
Paswara Petrochem Limited, Meerut vs. C.T.T., [2002] 36 STR 361 : 2002 UPTC 598.....	73
Pawan Industries, Buland Shahar vs. State of U.P., [1987] 6 STR 21.....	83
Perfect Pack, Moradabad and another vs. State of U.P. and others, [2001] 34 STR 546.....	75
Polycan Industries Allahabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 480.....	77
Polypack pvt. Ltd., Kanpur vs. C.T.T., 2000 UPTC 442.....	75
Preet Rice Mills vs. D.L.C., 1994 UPTC 1211.....	81
Prime Chemical Industries vs. State of U.P., [1994] 20 STR 210; 1994 UPTC 953.....	81
Progressive Components (Pvt.) Ltd. vs. C.S.T., 2000 UPTC 131.....	77
Progressive Componets (Pvt.) Ltd. vs. C.T.T., 2000 UPTC 131.....	76
Raibareilly Flour Mills Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [1999] 29 STR 169.....	79
Rotomac Electricals Pvt. Ltd., Noida vs. T.T.T., [2003] 38 STR 600 : 2003 UPTC 1088.....	71

Royal Laminators (P) Ltd., Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 29 STR 146. ....	79
S.D. Cement (Pvt.) Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 388. ....	72
S.L.C. vs. Morgardshammar India Ltd., [1996] 23 STR 298: 1996 UPTC 213 (SC). ....	82
Sahu Stone Crushing Industries vs. D.L.C., 1994 UPTC 1. ....	80
Sahu Stone Crushing Industries vs. D.L.C., 1994 UPTC 1. ....	83
Saraswati Packing Industries vs. State of U.P., 1994 UPTC 1033. ....	81
Shalimar International vs. State of U.P., [1997] 26 STR 801. ....	80
Shanti Pulses, Saharanpur vs. C.T.T. [2002] 35 STR 3 : 2002 UPTC 16. ....	73
Sharda Foundry & Engineering Works vs. C.T.T., [2003] 37 STR 381 : 2003 UPTC 807. ...	72
Sharp Leathers Limited, Agra vs. C.T.T., [2002] 35 STR 14 : 2002 UPTC 96. ....	74
Shivaji Belting Company vs. C.T.T., 2000 UPTC 147. ....	76
Shivalik Pipes, Gautambudh Nagar vs. C.T.T., [2003] 37 STR 46 : 2003 UPTC 309. ....	73
Shree Amonia Chemicals (Pvt.) Ltd. vs. C.T.T., 2000 UPTC 141. ....	76
Small Steel Industries vs. State of U.P. [1994] 20 STR 106: 1994 UPTC 519. ....	80
Sri Laxmi Tel Udyog and another vs. State of U.P., [2003] 37 STR 340 : 2003 UPTC 500. ..	72
Sunny Enterprises, Bareilly vs. T.T. Tribunal, [1999] 30 STR 572 : 1999 UPTC 1028. ....	79
Superlite Engineering, Delhi Road, Meerut vs. C.T.T., [1999] 30 STR 345. ....	82
Suraj Vanaspati Ltd. vs. C.T.T., [1999] 30 STR 617. ....	78
Suraj Vanaspati Ltd., Sikandrabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 617. ....	77
Suraj Vanaspati Ltd., Sikandrabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 617. ....	78
Swastik Tubes (P.) Ltd. vs. T.T. Tribunal, U.P., [2002] 36 STR 525 : 2002 UPTC 700. ....	73
Tanuk Pharma (India) Ltd. Noida vs. C.T.T., [2002] 35 STR 96 : 2002 UPTC 204. ....	74
Tarun Alum (P) Limited, Bareilly vs. C.T.T., [2003] 38 STR 489. ....	71
Tribhuvan Industries Ltd. vs. C.T.T., [2002] 36 STR 511 : 2002 UPTC 711. ....	73
V.S. Auto Parts Pvt. Ltd., Panki, Kanpur vs. C.T.T., [2002] 35 STR 296 : 2002 UPTC 521. ...	75
Vallappally plantations Pvt. Ltd. vs. State of Kerala, 1999 (3) J.T. 496 (SC). ....	76
Venus Chemical Industries vs. State of U.P., [1996] 23 STR 353: 1996 UPTC 453. ....	82
Wax and Allied Products, Bareilly vs. C.S.T., [1999] 30 STR 614. ....	78

#### धारा 4-ख. कुछ निर्माताओं को विशेष छूट

Agarwal Oil Mills vs. S.T.O., [1996] 23 STR 116: 1996 UPTC 335. ....	93
Agrawal Oil Industries vs. C.S.T., [1988] 7 STR 153. ....	94
C.S.T. vs. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd., [2003] 38 STR 787 : 2003 UPTC 1064. ....	89
C.S.T. vs. Brahmani Paper Mills Pvt. Ltd., Ghaziabad, [1999] 29 STR 136. ....	91
C.S.T. vs. Indian Terpentine and Rosin Co., Bareilly, [2004] 39 STR 216. ....	89
C.S.T. vs. Meerut Roller Flour Mills, [1995] 21 STR 273: 1995 UPTC 285. ....	92
C.S.T. vs. Pankaj Gas Cylinder Ltd., [1995] 22 STR 83 : 1995 UPTC 548. ....	93
C.S.T. vs. Raju Oil Mill, Jhansi, [1999] 29 STR 42. ....	91
C.S.T. vs. Rana Steel, Saharanpur, [2003] 37 STR 334 : 2003 UPTC 532. ....	90
C.S.T. vs. Shiv Dori Niwar Industries, [1997] 25 STR 312. ....	92
C.S.T. vs. Sidhumal Paper Conversion, Ghaziabad, [1997] 25 STR 12. ....	92
C.S.T. vs. The Kishan Sahakari Chini Mills, Shahjahanpur, [2004] 39 STR 154. ....	89
C.S.T. vs. U.P. Straw & Agro Products Ltd., 1994 UPTC 199. ....	92
C.S.T. vs. Vijay Rubber Industries, Meerut, [2004] 39 STR 144 : 2003 UPTC 865. ....	89
C.T.T. vs. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghaziabad, [2002] 36 STR 669. ....	90
C.T.T. vs. Jitendra Oil Mill, [2003] 37 STR 106 : 2003 UPTC 266. ....	90
C.T.T. vs. Speed Packing Ltd. Ghaziabad, 2000 UPTC 404. ....	91
Chhitar Mal Ram Dayal vs. C.S.T., 1980 UPTC 274. ....	93



Dayal Industries vs. C.S.T., 1997 UPTC 975. ....	92
Desh Rice Oil & Flour Mill vs. C.S.T., [1986] 4 STR 422. ....	94
Diwan Rexin (P) Ltd. vs. State of U.P., 1996 UPTC 551. ....	93
Hari Om Gupta vs. State of U.P., 1995 UPTC 368. ....	93
India Casting Co. vs. C.S.T., [1997] 26 STR 470. ....	92
Indu Engineering & Textiles Ltd. vs. Assistant Commissioner (A), 1987 UPTC 632. ....	93
Industrial Cables vs. State of U.P. and others, [1997] 25 STR 308 (LB). ....	92
Jayshree Tyres Rubber Products vs. C.S.T., [1994] 19 STR 92. ....	92
Jitendra Oil Mills vs. State of U.P., 1994 UPTC 950. ....	92
Khatema Fibers Ltd. Etc. vs. State of Uttar Pradesh & Another, [2001] 33 STR 277 (SC). ....	91
Kumar Hosiery Factory vs. C.S.T., [1994] 19 STR 67; 1994 UPTC 564. ....	92
Lalji Board Industries vs. State of U.P., (1998) 27 STR 173 (FB); 1998 UPTC 311. ....	91, 92
Laxmi Distributing Agency Pvt. Ltd. vs. State of U.P., 1987 UPTC 969. ....	93
Mahabir Wire Netting Industries vs. C.S.T., [1987] 5 STR 205. ....	94
Manish Paper & Board Mills Ltd. vs. State of U.P., 1994 UPTC 164. ....	92
Nanak Gramodyog vs. C.S.T., 1994 UPTC 1081. ....	92
P.N.C. Construction Company vs. State of U.P., [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262. ....	90
Parvati Mills, Sahjanwa, Gorakhpur vs. Sales Tax Officer, [2004] 39 STR 147. ....	89
Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut vs. C.T.T., [2001] 33 STR 301. ....	91
S.S. Brothers vs. C.T.T., [2001] 33 STR 312. ....	91
Sai Electricals (P) Ltd. vs. C.S.T., 1997 UPTC 721. ....	92
Sai Electricals (P) Ltd., Meerut vs. C.S.T., [2003] 38 STR 554 : 2004 UPTC 9. ....	90
Shakti Flour Mills vs. State of U.P., [1995] 22 STR 89; 1994 UPTC 1255. ....	92
Star Paper Mills Ltd. Saharanpur vs. C.S.T., [2003] 38 STR 859. ....	89
Suraj Brothers & Co. vs. C.T.T., [2002] 36 STR 400. ....	90
Tannery and Footwear Corporation vs. State of U.P., 1995 UPTC 736. ....	93
U.P. Aluminium Industries vs. D.L.C., [1987] 6 STR 366. ....	93
Vam Organic Chemicals Ltd. vs. C.S.T., 2000 UPTC 105. ....	93
Vam Organic Chemicals Ltd. vs. State of U.P., [2003] 37 STR 215 : 2003 UPTC 467. ....	90

### धारा 5. कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर की छूट

Bela Cement Ltd. vs. State of U.P., [2004] 39 STR 323. ....	95
C.S.T. vs. Indian Turpentine and Resin Company, [2003] 38 STR 766 : 2003 UPTC 925. ....	95

### धारा 6. अधिकारिता के प्रति आपत्ति

C.C.T. vs. West Bengal Taxation Tribunal, [2001] 33 STR 168 (Cal). ....	96
C.K.T. Calcutta vs. C.S.T., [1994] 20 STR 368 : STI 1994 All 499. ....	96
C.S. Kesvan vs. State of Kerala, [1999] 30 STR 581 (Ker. HC). ....	96
C.S.T. vs. Mool Chand Gutzari Lal, [2004] 39 STR 223 : 2004 UPTC 71. ....	96
C.S.T. vs. Sabir Husain Joot Vyapari, 1994 UPTC 26. ....	96
C.S.T. vs. Vrijendra Industries, [1987] 6 STR 154. ....	96
S. Unnikrishnan vs. State of Kerala, [2001] 33 STR 176 (Ker). ....	96

### धारा 7. विक्रय धन का निश्चित करना और कर का निर्धारण

Abdul Kadir Brick Company vs. C.S.T., [2004] 39 STR 157. ....	99
Ahuja Brothers, Naini, Allahabad vs. C.S.T., [2000] 31 STR 21. ....	111
Ajai Kumar and Company, Badaun vs. C.S.T., [2001] 33 STR 283. ....	105
Allen Roller Flour Mills, Izatnagar, Bareilly vs. C.T.T., [1999] 30 STR 708. ....	112
Ansari Saw mills vs. C.T.T., [2002] 36 STR 386 : 2002 UPTC 652. ....	102

Ansari Yarn and Handicraft vs. C.T.T., [2001] 33 STR 71. ....	105
Arvind Kumar Gupta vs. C.S.T., [2001] 33 STR 117. ....	106
Ashok Kumar Gupta vs. C.T.T., [2001] 33 STR 239. ....	106
Ashok Road Lines, Agra vs. C.S.T., [2003] 38 STR 504. ....	100
Atma Steel Pvt. Ltd., Bulandshahar vs. C.S.T., [2001] 33 STR 421. ....	109
Babu Lal Chhote Lal vs. C.S.T., 1987 UPTC 366. ....	115
Baikunth Nath Agrawal, Lauta Dealer vs. C.S.T., [2001] 33 STR 255. ....	106, 107
Bansidhar Bankelal, Agra vs. C.S.T., [2000] 31 STR 31. ....	111
Bharat Brick Field vs. State of U.P., [2000] 31 STR 37. ....	111
Bharat Int Udyog vs. C.T.T., [2001] 33 STR 251. ....	106
Bhoorey Mal Nand Kishore vs. C.S.T., 1994 UPTC 1127. ....	114
Bijadhar Ram Dwarika Ram vs. C.S.T., [1987] 6 STR 80. ....	115
Bishan Swaroop Mangal Sain, Ghaziabad vs. C.S.T., [2001] 34 STR 607. ....	104
Bombay Shoe Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 241. ....	107
C. Eleven Products, Khurja vs. C.S.T., [2003] 38 STR 618 : 2003 UPTC 1048. ....	99
C.S.T. vs. Akansha Steels Pvt. Ltd., Moradabad Road, Sambhal, [2001] 33 STR 64. ....	104
C.S.T. vs. Arora Wool International, [2001] 33 STR 369. ....	108
C.S.T. vs. Basti Sugar Mills Company Ltd., [2004] 39 STR 139. ....	99
C.S.T. vs. Dal Chandra Suresh Chandra, [2001] 33 STR 380. ....	108
C.S.T. vs. Durga Ispat Pvt. Ltd. Meerut Road, Muzaffarnagar, [2001] 33 STR 386. ....	109
C.S.T. vs. Dwarika Prasad Kesarwani, [2001] 33 STR 361. ....	107
C.S.T. vs. Girja Shanker Awanish Kumar, [1997] 25 STR 315 (SC). ....	114
C.S.T. vs. Golden Traders, Iqbal Super Market, Ghaziabad, [2003] 37 STR 251. ....	100
C.S.T. vs. Gorakhpur Spun Pipe, Gorakhpur, [2001] 33 STR 286. ....	110
C.S.T. vs. Industrial Mill Stores, 1983 UPTC 807. ....	114
C.S.T. vs. Kishore Singh Oswal, [1999] 30 STR 711. ....	111, 112
C.S.T. vs. Nangal Electric Co. New Delhi, [1999] 29 STR 302. ....	113
C.S.T. vs. Northern Railway Catering and Vending, 2000 UPTC 765. ....	110
C.S.T. vs. Om Engineering Corporation, 1982 UPTC 70. ....	115
C.S.T. vs. Parvez Chemical Industries, [2001] 33 STR 379. ....	108
C.S.T. vs. Premier Engineering Co., [2004] 39 STR 197. ....	98
C.S.T. vs. Rahul Traders, [1994] 20 STR 74 : 1994 UPTC 1035. ....	114
C.S.T. vs. Ram Karan Das Anil Kumar Arhti, [2003] 37 STR 299 : 2003 UPTC 425. ....	102
C.S.T. vs. Radhey Shyam Dharmendra Kumar, [2001] 33 STR 374. ....	108
C.S.T. vs. Ramala Sahakari Chini Mills Ltd., Ramala, [1999] 30 STR 436. ....	112
C.S.T. vs. Samar Cotton Mills, 1981 UPTC 1217. ....	115
C.S.T. vs. Shah Chappal Stores, Gorakhpur, [2003] 37 STR 289 : 2003 UPTC 963. ....	102
C.S.T. vs. Shah Chappal Stores, Gorakhpur, [2003] 37 STR 289 : 2003 UPTC 963. ....	102
C.S.T. vs. Virendra Kumar Rajesh Kumar, [2000] 31 STR 30. ....	111
C.T.T. vs. Ashok Iron and Steel Rolling Mills, [2003] 37 STR 81 : 2003 UPTC 176. ....	101
C.T.T. vs. Bajrang Coal Agency, Assi, Varanasi, [2001] 33 STR 65. ....	104
C.T.T. vs. Bajrang Coal Agency, Assi, Varanasi, [2001] 33 STR 65. ....	104
C.T.T. vs. Bajrang Coal Agency, Varanasi, [2001] 33 STR 56. ....	104
C.T.T. vs. Banugha Bricks Corporation, Jagdishpura, Agra, [2001] 33 STR 82. ....	105
C.T.T. vs. Chandra Coal Suppliers, [2001] 33 STR 403. ....	109
C.T.T. vs. Ganesh Metal Industries, Mirzapur Gorakhpur, [2001] 33 STR 76. ....	105
C.T.T. vs. Goel Steel Rolling Mill., [2001] 33 STR 393. ....	108
C.T.T. vs. Khandelwal Engineering Works, [2003] 37 STR 285 : 2003 UPTC 478. ....	100

C.T.T. vs. Mata Pal and Brother, [2001] 33 STR 72. ....	105
C.T.T. vs. Mohan Lal Naresh Kumar, M. Nagar, [2003] 37 STR 92 : 2003 UPTC 307. ....	101
C.T.T. vs. Mool Chandra Sudhir Kumar, Hathras, Aligarh, [2003] 37 STR 283. ....	100
C.T.T. vs. Purvanchal Krishi Yantra Udyog, [2001] 33 STR 358. ....	106
C.T.T. vs. Rama Coal Depot, Muradaha, Varanasi, [2001] 33 STR 87. ....	105
C.T.T. vs. Sandeep and Co., Meerut, [2001] 33 STR 90. ....	105
C.T.T. vs. Sas Engineers Pvt. Ltd., [2001] 33 STR 326. ....	107
C.T.T. vs. Shiv Shanker Murti Foundary, Sarai, Aligarh, [2001] 33 STR 68. ....	104
C.T.T. vs. Shri Ram Traders, [2001] 33 STR 257. ....	107
C.T.T. vs. Shubham Sheera Supply Co., [2001] 33 STR 364. ....	108
C.T.T. vs. Shyam Garments, Nayaganj, Hathras, [1999] 29 STR 154. ....	113
C.T.T. vs. Sunil Kumar Goel, [2003] 37 STR 425. ....	100
C.T.T. vs. Super Food Products, 78 Rajendranagar, Meerut, [2001] 33 STR 74. ....	105
C.T.T. vs. The Coal Traders, [2003] 37 STR 287 : 2003 UPTC 429. ....	101
C.T.T. vs. Vishwanath Prasad Chagan Lal, [2001] 33 STR 89. ....	105
Charanji Lal Rajendra Kumar Oil Dealer, Babina, Jhansi vs. C.T.T., [1999] 29 STR 231. ....	114
Chaudhary Cane Crusher, Village Amboli, Saharanpur vs. C.S.T., [2003] 37 STR 248. ....	101
Chetan Das vs. C.T.T., [2001] 33 STR 73. ....	105
Chetwani Brick Field vs. C.S.T., [1988] 7 STR 359. ....	116
Chhedi Lal vs. C.S.T., 1983 UPTC 801. ....	114
Chhedilal vs. C.S.T., [2000] 31 STR 26. ....	111
Choudhary Bhatta Co. Daultabad vs. C.T.T., [2003] 37 STR 295. ....	102
Collector of Customs vs. State of West Bengal, (1999) 113 STC 67. ....	110
Das Industries, Deoband vs. C.S.T., [1988] 7 STR 405. ....	117
<b>Dayal Bandhu Bhattha, Puranpur, Pilibhit vs. C.S.T., [2004] 39 STR 129. ....</b>	<b>99</b>
Devi Singh Raghuvar Singh Kachcha Arhati vs. C.S.T., [2000] 31 STR 27. ....	111
Dhampur Sugar Mills Ltd. vs. C.T.T., [2001] 33 STR 199. ....	106
Dhanna Lal Nand Lal vs. C.S.T., [2003] 38 STR 510. ....	99
Dilaver Singh Bhatta vs. C.T.T., [1998] 28 STR 467. ....	114
Durgajee Int Udyog vs. C.S.T., [2001] 33 STR 376. ....	108
Dwarika Nath Steels Strips Ltd., Ghaziabad vs. C.S.T., [2001] 33 STR 93. ....	109
Dwarika Prasad vs. C.S.T., [2001] 34 STR 492. ....	104
Fragrance House vs. C.S.T., [2001] 33 STR 329. ....	108
Ganesh Ice Cream Factory vs. C.T.T., [2002] 36 STR 374 : 2002 UPTC 662. ....	102
Ganesh Jewellers vs. C.S.T., 1987 UPTC 1004. ....	116
<b>Gopi Nath Gupta vs. C.S.T., [2004] 39 STR 94. ....</b>	<b>99</b>
<b>Gulshan Brick Works vs. C.S.T., [2004] 39 STR 140. ....</b>	<b>99</b>
Gupta Glass Industries, Hathras vs. C.S.T., [2000] 31 STR 58. ....	111
Guru Nanak Brick Field vs. C.S.T., [1987] 6 STR 422. ....	116
H.A. International vs. C.T.T., [2001] 33 STR 356. ....	106
H.S.R. Bhatta Co. vs. C.S.T., [1998] 28 STR 469. ....	114
Harbans Brick Field vs. C.S.T., [1988] 7 STR 412. ....	116
Hari Chand Hemant Kumar, Allahabad vs. C.S.T., [2001] 34 STR 624. ....	104
Hemraj Udyog, Agra vs. C.T.T., [1997] 25 STR 198 : 1997 UPTC 170. ....	114
Hindustan Yarn Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 290. ....	107
I.P. Bhatiya & Co. vs. C.S.T., [1988] 7 STR 294. ....	116
Indian Herbs Research & Supply Co., Sharda Nagar vs. C.S.T., [1999] 29 STR 32. ....	114
<b>Indian Telephone Industries, Nainital vs. C.S.T., [2004] 39 STR 178. ....</b>	<b>99</b>

Ismail Khan vs. C.S.T., [2001] 33 STR 293.....	107
Jagannath Prasad Kailash Chandra vs. C.T.T., [2002] 36 STR 417 : 2002 UPTC 815.....	102
Jai Ambey Trading Co. vs. C.S.T., [2003] 37 STR 265 : 2003 UPTC 1276.....	101
Jain Rolling Mills, Mukundnagar, Ghaziabad vs. C.S.T., [1999] 30 STR 638.....	111
Jaiswal Brick Field vs. C.S.T., [1987] 5 STR 165.....	116
Janta Brick Field, Kunda, Pratapgrah vs. C.T.T., [2002] 36 STR 379 : 2002 UPTC 772.....	102
Jay Cee Rolling Shutter & Iron Engineer Works vs. C.S.T., [2001] 33 STR 362.....	108
Jay Cee Rolling Shutter & Iron Engineer Works vs. C.S.T., [2001] 33 STR 362.....	109
Kailash Chandra Suresh Chandra, Fatehpur Sikri, Agra vs. C.S.T., [2001] 33 STR 69.....	105
Kanha Vanaspati Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 34 : 2002 UPTC 1.....	103
Kanha Vanaspati Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 34 : 2002 UPTC 1.....	103
Karam Chand Thapar and Bros vs. State of U.P., 1975 UPTC 22.....	100
Katiyar Oil and Flour Mills vs. C.S.T., [2001] 33 STR 296.....	107
Kewal Krishna Mahendra Kumar vs. C.S.T., [1987] 5 STR 334.....	115
Kisan Gur Khandsari Udyog vs. C.T.T., [2002] 35 STR 269 : 2002 UPTC 312.....	103
Kishori Lal Agarwal, Cycle Dealer vs. C.T.T., [1999] 29 STR 95.....	113
Kohli Co-operative Industries vs. C.S.T., [1988] 7 STR 345.....	116
Krishna Bhatta Company vs. C.S.T., [2003] 38 STR 675 : 2004 UPTC 163.....	100
<b>Krishna Biharilal Bhagwan Das vs. C.S.T., [2004] 39 STR 208.....</b>	<b>98</b>
Kusum Enterprises, Allahabad vs. C.S.T., [2003] 38 STR 657.....	100
Laxmi Brick Field vs. C.S.T., [2002] 35 STR 493 : 2002 UPTC 159.....	103
<b>Laxmi Sugandh Company, Kanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 207.....</b>	<b>98</b>
Ludhiyana Cycle Stores vs. C.S.T., [1987] 6 STR 138.....	115
Luxmi Brick field vs. C.T.T., [2002] 35 STR 54 : 2002 UPTC 159.....	103
M. Swastik P. Brick Field, Allahabad vs. C.T.T., [2003] 38 STR 599.....	99
<b>Madhavar Bricks Field, Paithikhera, Fatehabad, Agra vs. C.S.T., [2004] 39 STR 137.....</b>	<b>99</b>
Madras Rubber Factory Ltd. vs. S.T.O., [1999] 30 STR 371.....	113
Mahesh Chand, Hathras, Distt. Aligarh vs. C.T.T., [1999] 30 STR 448.....	111
<b>Mahesh Chandra &amp; Company, Bareilly vs. C.S.T., [2004] 39 STR 199.....</b>	<b>98</b>
Malha Ram Kalyan Das Bhatta, Khatauli vs. C.S.T., [2001] 33 STR 407.....	109
Malik Rice Mill, Kemari, Rampur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 431.....	112
Mangal Prasad Kanhaiya Lal vs. C.S.T., [2001] 33 STR 396.....	109
Mau Goods Transport Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 387.....	110
Mercury laboratories Pvt. Ltd. vs. State of U.P., 2000 UPTC (LB) 82.....	110
Munna Lal Sons & Co. (P) Ltd. vs. C.T.T., [2002] 36 STR 542 : 2002 UPTC 952.....	102
Murcury Laboratories vs. State of U.P., 2000 UPTC 82.....	110
Murli Coal Depot, Varanasi vs. C.T.T., [1999] 29 STR 309.....	113
National Brick Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 417.....	109
National Bricks Co. vs. C.S.T., [1987] 6 STR 451.....	117
New Sangam Refrigeration vs. Member Tribunal, [2002] 35 STR 231 : 2002 UPTC 485.....	103
Northern India Engineering, Varanasi vs. C.T.T., [2002] 36 STR 533.....	102
Om Oil Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 83.....	105
Padam Gramodyog Samiti vs. C.T.T., [2003] 37 STR 391 : 2003 UPTC 896.....	101
Paryag Brick Field, Lukerganj, Allahabad vs. C.S.T., [2001] 33 STR 63.....	104
Patel Brick Field vs. C.S.T., [2001] 34 STR 623.....	104
Pilot Shoes & Chappal Gramodyog vs. C.T.T., [2002] 35 STR 247 : 2002 UPTC 486.....	103
Pradeep Kumar and Company, Arhati, Jahangirabad vs. C.T.T., [1999] 29 STR 272.....	113

Prakash Coal Company, Jaunpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 379. ....	112
Prakash Paper Mart vs. C.S.T., 1981 UPTC 857. ....	115
Prem Chand Suresh Chand vs. C.S.T., [2001] 33 STR 39 : 2001 UPTC 37. ....	104
Prem Chandra Ramesh Chandra, vs. C.S.T., [1999] 29 STR 192. ....	113
Priti Traders vs. C.S.T., [1988] 7 STR 373. ....	117
Quraishi Bricks Suppliers vs. C.S.T., 2000 UPTC 50. ....	110
Radhey Shyam & Company, Agra vs. C.T.T., [2003] 38 STR 806 : 2003 UPTC 710. ....	99
Raj Kumar Sanjay Kumar & Sons, Priyawan, Pratapgarh vs. C.S.T., [1999] 30 STR 637. ....	110
Raj Ornaments vs. C.S.T., 2000 UPTC 732. ....	110
Rajendra Cycle Stores vs. C.S.T., [2003] 37 STR 249. ....	101
Raju Coal Traders, Varanasi vs. C.T.T., [1999] 30 STR 450. ....	112
Ram Chandra vs. C.T.T., [2003] 37 STR 111 : 2003 UPTC 555. ....	101
Ram Nath Ram Poojan Int Bhatta, Ghazipur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 714. ....	112
Ram Richhpal Vijai Kumar vs. C.S.T., [1988] 7 STR 251. ....	116
Ram Sugar Works vs. C.S.T., [2001] 33 STR 331. ....	108
Ramesh Chandra Kailash Chandra vs. C.S.T., 1983 UPTC 306. ....	115
Rameshwar Dayal & Co. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 334. ....	109
Rana Jewellers (Gold), Allahabad vs. C.T.T., [2002] 36 STR 477 : 2002 UPTC 617. ....	102
Randhir Singh Kamal Bhan Singh, Handia, Alld. vs. C.S.T., [2000] 31 STR 32. ....	111
Randhir Singh Kamal Bhan Singh, Handia, Alld. vs. C.S.T., [2000] 31 STR 32. ....	111
Regal Ice Factory vs. C.S.T., [2001] 33 STR 126. ....	106
Roopesh Brick Field, Agra vs. C.S.T., [2000] 31 STR 34. ....	111
Roshan Metal Stores, Thathrahi, Bindki, Fatehpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 366. ....	112
S. Kumar & Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 370. ....	108
S. Kumar & Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 370. ....	108
S.R. Industries vs. C.S.T., 1983 UPTC 749. ....	114
Sanjeev Kumar vs. C.T.T., [1999] 30 STR 446. ....	111
Shafique Bano and Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 412. ....	109
Shama Brick Field vs. C.S.T., [2003] 37 STR 107. ....	101
Sheo Narain Bhagwan Das vs. C.S.T., 2000 UPTC 733. ....	110
Shivan Industries, Shahjahanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 110. ....	99
Shobha Scooter House, Varanasi vs. C.S.T., [2001] 34 STR 454. ....	104
Shree Shiv Candle Works, Bareilly vs. C.S.T., [2002] 35 STR 260 : 2002 UPTC 308. ....	103
Singhal Brick Works vs. C.S.T., 1988 ATJ 479. ....	116
Soma Mal & Sons vs. C.S.T., [2001] 33 STR 323. ....	107
Sri Prakash Shri Krishna Das vs. C.S.T., [1987] 5 STR 291. ....	116
State of U.P. vs. D.S.M. Group of Industries, [2003] 37 STR 171 (SC). ....	101
Sukhdeo Rai Kapoor vs. C.S.T., [2001] 33 STR 397. ....	109
Sunil Kumar Havaladar vs. C.S.T., [2001] 34 STR 512. ....	103
Surendra Kumar Wine Merchant vs. C.T.T., [2001] 33 STR 236. ....	110
Sushil Kumar Sharad Kumar, Allahabad vs. C.S.T., [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260. ....	101
Sushil Kumar Sharad Kumar, Allahabad vs. C.S.T., [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260. ....	102
Taj Trading Co., Rampur vs. C.T.T., [2002] 36 STR 409 : 2002 UPTC 525. ....	102
United Hardware Stores vs. C.T.T., [2003] 37 STR 321 : 2003 UPTC 401. ....	100
Universal Polyvinyl Chloride Gromodyog Sansthan vs. State of U.P., 2000 UPTC 848. ....	110
Uttam Int Bhandar vs. C.S.T., [1999] 30 STR 469. ....	112
Veenus Paper Products, Agra vs. C.S.T., [1999] 29 STR 48. ....	113

Vijay Paper Mart vs. C.T.T., [1999] 30 STR 588. ....	112
Vinod Kumar Brick Kiln Owner vs. C.S.T., [1999] 30 STR 560. ....	112

**धारा 7-घ. कर दायित्व का समाधान**

Bajrang Int Udyog vs. Dy. Commissioner (E) Sales Tax, 1993 UPTC 469 (DB). ....	119
Bhadauria Gram Sewa Sansthan, Fatehpur vs. A.C. Sales Tax, [2003] 38 STR 792. ....	119
Cimmco Ltd. vs. State of U.P., 1997 UPTC 611 (DB). ....	119
Dharam Vir Ghai vs. Dy. Commissioner Sales Tax, 1994 UPTC 732. ....	119
Jai Sharma Int Udyog vs. Deputy Collector (Collection), 1992 UPTC 116 (DB). ....	119
Jethanand Bhatia vs. State of U.P., 1995 UPTC 186. ....	119
Lalooji and Sons vs. State of U.P. and others, [2004] 39 STR 67 : 2003 UPTC 700. .	119
Ram Prakash Vijaya Kumar Pvt. Ltd. vs. Dy. C. (E) Sales Tax, 1996 UPTC 998 (DB). ....	119
Rameshwar Chand Mittal vs. Addl. Commissioner (Legal), 1996 UPTC 1306. ....	119
Union of India vs. Jesus Sales Corporation, J.T. 1996 (3) (SC) 597. ....	119

**धारा 8. कर का भुगतान तथा उसकी प्रगति**

Aditya Trading Company, Ghaziabad vs. State of U.P., [1999] 30 STR 570. ....	128
Associated Cement Company vs. C.T.O., 1981 UPTC 1329 (SC). ....	129
Banwari Lal Buddha vs. C.S.T., 1987 UPTC 880. ....	129
Banwari Lal Budhsen vs. C.S.T., [1987] 6 STR 169. ....	130
C.K. Chemicals vs. C.S.T., 1989 UPTC 999. ....	129
C.S.T. vs. Actuas Victuous Pvt. Ltd., [1999] 30 STR 630. ....	128
C.S.T. vs. Actuas Victuous Pvt. Ltd., 1999 UPTC 966. ....	127
C.S.T. vs. Annapurna Mills, 1994 UPTC 182. ....	130
C.S.T. vs. Baba Rice & Dal Malls, (1999) 29 STR 53. ....	127
C.S.T. vs. Baba Rice and Dal Mill, Khurja, [1999] 29 STR 53. ....	129
C.S.T. vs. Damodar Das Kalyan Das, 1996 UPTC 589. ....	130
C.S.T. vs. Heera Electrodes, Kosipur, [2001] 34 STR 468. ....	126
C.S.T. vs. Hindustan Aluminium Corporation, [1999] 29 STR 120 (SC). ....	129
C.S.T. vs. Hindustan Aluminium Corporation, 1999 UPTC 1 (SC). ....	127
C.S.T. vs. L.H. Sugar Factory Ltd., Kashipur, [2001] 34 STR 609. ....	126
C.S.T. vs. Marble Emporium, 1989 UPTC 880. ....	129
C.S.T. vs. Public Int Company, Dhampur, 2000 UPTC 739. ....	126
C.S.T. vs. S.P. Singh, Contractor, [1996] 23 STR 205 & 207 : 1996 UPTC 1040. ....	130
C.S.T. vs. Satya Narain Suresh Chand, [2003] 37 STR 348 : 2004 UPTC 140. ....	126
C.T.T. vs. Heera Electrodes, 2000 UPTC 1026. ....	127
C.T.T. vs. Indian Communication Network Ltd., 1998 STD (HC) 11. ....	127
C.T.T. vs. Omvik Electronic (P) Ltd. Kanpur, [2003] 37 STR 293 : 2003 UPTC 805. ....	125
C.T.T. vs. Rampur Distillery & Chemicals co. Ltd., 1998 STD (HC) 10. ....	127
C.T.T. vs. Sar Copper Alloy Semis Pvt. Ltd., [2000] 31 STR 42. ....	127
C.T.T. vs. Saru Copper Alloy Semis P. Ltd. STI 2000 Alld. ....	127
Chedi Lal Gupta vs. Addl. Comm. of Trade Tax, Varanasi, [2001] 34 STR 650. ....	126
Classic Rugs Private Ltd., New Delhi vs. A.C. (A), [2002] 35 STR 300 : 2002 UPTC 659. ....	126
Commissioner Sales Tax vs. Refreshment Centre, Meerut, 2000 UPTC 889. ....	127
Deena Art Silk Store, Pili Kothi, Varanasi vs. C.T.T., [2003] 37 STR 291. ....	126
Deewan Rubber Industries vs. C.S.T., [1996] 23 STR 342 : 1996 UPTC 646. ....	130
Englishia Wine Country Sprit Shop vs. C.T.T., [2002] 36 STR 695 : 2002 UPTC 1094. ....	126
Ferolite Jointings Private Ltd. vs. State of U.P., [1999] 30 STR 359. ....	127

G.C. Mehrotra vs. Dy. Collector, Sales Tax (Collection) Alld., [1997] 26 STR 668. ....	130
General Manager, BSNL vs. A.C., Trade Tax, [2003] 38 STR 673 : 2003 UPTC 1201. ....	125
Gupta Glass Industries vs. C.S.T., [2000] 31 STR 58. ....	127
Gupta Glass Industries vs. C.S.T., 2000 UPTC 40. ....	127
Har Lal Shah vs. A.S.T.O., 1983 UPTC 525. ....	131
Hari Ram Seth Khandasari vs. C.S.T., [2003] 38 STR 906 : 2004 UPTC 106. ....	125
Hind Lamp vs. State of U.P., 1986 UPTC 54. ....	129
Hindustan Aluminium Corporation vs. C.S.T., 1996 UPTC 795. ....	129
Israr Ahmad vs. Tahsildar Sadar, Muzaffar Nagar, [2002] 35 STR 293 : 2002 UPTC 642. .	126
J.K. Synthetics Ltd. vs. C.T.O. 1994 UPTC 893 (SC). ....	129
Jag Bhushan Kumar Jain and other vs. State of U.P., [1999] 29 STR 330. ....	129
Kamal Kishore Khandelwal vs. Sales Tax Officer, [1987] 6 STR 82. ....	131
Lee. S. Bedi vs. Sales Tax Officer, 1975 UPTC 311. ....	131
Mahabir Metal Company and others vs. State of U.P., [1999] 30 STR 361. ....	129
Manoj Kumar Mishra vs. State of U.P., [2001] 33 STR 127. ....	126
N.C. Jain, Meerut vs. Chief Secretary, Government of U.P., [2001] 34 STR 591. ....	126
<b>Naresh Chandra Gupta, Kasganj, Etah vs. D.M., Etah, [2004] 39 STR 37. ....</b>	<b>125</b>
Pal and Company, Najibabad, Bijnore vs. C.S.T., [1988] 7 STR 80. ....	131
Pinsel Computer Products vs. State of U.P., [2003] 37 STR 416 : 2004 UPTC 157. ....	125
Prahlad Roy vs. Sales Tax Officer, 1976 UPTC 129. ....	130
Praveen Agarwal vs. Dy. Collector, 1994 UPTC 920. ....	130
Raghunath Rai Talwar, Kanpur vs. State of U.P., [1999] 30 STR 562. ....	128
Raj Nath Gupta vs. State of U.P., [1999] 30 STR 569. ....	128
Rajendra Kumar Jaipuria vs. Dy. Collector (Collection) Sales Tax, [1999] 29 STR 206. ....	129
Rakesh Kumar Mittal vs. Deputy Collector (Collection), Dehradun, 2000 UPTC 775. ....	126
Ram Kumar Gupta vs. C.S.T., [1994] 19 STR 70 : 1994 UPTC 174. ....	130
Ram Swaroop Agarwal vs. C.S.T., 1999 UPTC 272. ....	127
Ram Swarup Agarwal vs. C.S.T., [1999] 29 STR 164. ....	130
<b>Sanjay Kumar Gupta, Kanpur Nagar vs. D.M., Fatehpur, [2004] 39 STR 31. ....</b>	<b>125</b>
Sardar Gurdeep Singh, Bareilly vs. C.S.T., 1988 TLD 16. ....	131
Shailesh Kumar vs. Dy. Collector (Collection) Sales Tax, [1999] 29 STR 195. ....	127, 128
Shree Bhagwati Flour Mills vs. C.S.T., [1997] 26 STR 453. ....	130
Simbholi Sugar Mills Ltd. vs. C.S.T., 2000 UPTC 336. ....	127
<b>Sri Ram Gupta, Kanpur vs. Assistant Collector (Collection), [2004] 39 STR 64. ....</b>	<b>125</b>
Sudarshan Kumar Gulati vs. Dy. Collector, 1994 UPTC 717. ....	130
U.P. State Cement Corporation vs. C.S.T., 2000 UPTC 284. ....	127
Urfitd Complex India Ltd. vs. C.T.T., [1995] 21 STR 137 : 1995 UPTC 168. ....	130
Vijay Dal Mills vs. C.S.T., [2001] 34 STR 449. ....	126
Vijaya Dal Mills, Kanpur vs. Commissioner Sales Tax, 2000 UPTC 983. ....	127

### धारा 8-क. व्यापारियों की रजिस्ट्री और उनके द्वारा कर की वसूली

Allahabad Wire Drawing Industries Pvt. Ltd., vs. U.P. Small Industries Corporation Ltd., [2003] 38 STR 782 : 2003 UPTC 1059. ....	137
Amit Traders, Bareilly vs. C.T.T., [2001] 34 STR 525. ....	138
C.T.T. vs. Bajaj Steel and Industries, Kanpur, [2003] 38 STR 741 : 2003 UPTC 1012. ....	137
C.T.T. vs. Chauriha Traders, Kirana Vyapari, [2002] 36 STR 548 : 2002 UPTC 1046. ....	138
C.T.T. vs. Deep Briquette Industries, Lucknow, [2003] 37 STR 331 : 2003 UPTC 542. ....	137
K.V.M. Supariwala vs. A.C. (Assessment), 1997 UPTC 274. ....	138

Modern Gift Emporium vs. C.S.T., [1987] 5 STR : 1987 32 TLD 39 : 1987 12 ATJ 68. ....	138
Rakesh Coal Agency vs. S.T.O., 1983 UPTC 615. ....	138
Sri Hanuman Bhandar, Hapur vs. State of U.P., [1999] 29 STR 171. ....	138
Suhasaria Products, Varanasi vs. C.T.T., [1999] 30 STR 386 : 1999 UPTC 64. ....	138

**धारा 8-खख. व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना**

Israr Ahmad vs. Tahsildar Sadar, Muzaffarnagar, [2002] 35 STR 293 : 2002 UPTC 642. ....	140
---	-----

**धारा 8-ग. राजस्व के हित में प्रतिभूति**

Dinesh Chand Akash Kumar vs. State of U.P., [2000] 31 STR 18. ....	145
Girraj Stone Crusher Pvt. Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 344 : 2003 UPTC 241. ....	144
K.K. Steels Agra vs. Asstt. Commissioner (Assessment) Trade Tax, 2000 UPTC 872. ...	145
Kanha Vanaspati Ltd. vs. C.T.T., [1999] 29 STR 87 : 1999 UPTC 4. ....	145
Kurele Traders, Orai vs. C.T.T., [1999] 29 STR 308. ....	145
Mahadeo Traders vs. C.S.T., [1986] 4 STR 441. ....	146
National Traders, Varanasi vs. C.S.T., [1987] 5 STR 126. ....	145
Surya Scooters Pvt. Ltd. vs. State of U.P. and another, [1986] 3 STR 357. ....	145

**धारा 8-घ. संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती**

Allahabad Milling Co. (Pvt.) Limited vs. C.S.T., [2003] 38 STR 620 : 2003 UPTC 1057. ...	148
C.S.T. vs. N.T.P.C. Ltd., Dadri, Ghaziabad, [2004] 39 STR 182. ....	148
Executive Officer, Municipal Board vs. C.T.T., [2003] 37 STR 268. ....	148
Garrison Engineer (Air Force) Agra vs. C.T.T., [2002] 35 STR 241 : 2002 UPTC 442. ....	149
Lala Lajpat Rai & Associated Hospital vs. C.S.T., [1996] 23 STR 163 : 1996 UPTC 1075..	149
Meerut Development Authority vs. C.S.T., [2001] 33 STR 32. ....	149
Rawatsons Engineer Ltd. vs. Assistant Engineer, [2004] 39 STR 34 : 2004 UPTC 64. ....	148

**धारा 8-ङ. अभिकर्ता द्वारा कटौती**

Nathpa Jhakri Jt. Venture vs. State of H.P., [2001] 34 STR 549 (SC) : 2000 UPTC 459. ....	150
Rapti Commission Agency vs. State of U.P., [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780. ....	149
Steel Authority of India Ltd. vs. State of Orissa, [2001] 34 STR 572 (SC). ....	150

**धारा 9. अपील**

Advance Pipes Ltd. vs. T.T. Tribunal, Ghaziabad, [2002] 36 STR 443 : 2002 UPTC 750. .	154
Agarwal Machinery Stores vs. C.S.T., 1974 UPTC 330. ....	157
Agrawal Motors (Tyres), Mirzapur vs. C.T.T., [2001] 34 STR 589. ....	155
Alpa Marketing Enterprises vs. C.T.T., [2003] 37 STR 69 : 2003 UPTC 212. ....	154
Anil Shoe Corner vs. C.T.T., [1997] 25 STR 384. ....	157
Annapurna Laghu Dal Udyog, Jhansi vs. Trade Tax Tribunal, [1999] 29 STR 67. ....	157
Associated Distributors Ltd. Ghaziabad vs. C.T.T., [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173. .	154
Atma Ram Misra vs. C.S.T., [1987] 5 STR 464. ....	158
Balaji Oil Mill vs. C.T.T., [1999] 29 STR 156. ....	156
Banwari Lal Budh Sen vs. C.S.T., [1987] 6 STR 169. ....	158
Bhanwar Singh and Brothers and another vs. C.S.T., [2004] 39 STR 195. ....	153
Bij and Company, Ghaziabad vs. C.S.T., [1999] 29 STR 300. ....	156
C.S.T. vs. Budh Prasad Jagdish Prasad, 1982 UPTC 17. ....	157
C.S.T. vs. Gaya Prasad Arora, 1994 UPTC 119. ....	157
C.S.T. vs. Tilak Ram Arhti, 1976 UPTC 586. ....	157
C.S.T. vs. Vaish Glass Works, (1974) 33 STC 513 (All.). ....	157



Central Distillery & Breweries Ltd. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 172 : 2002 UPTC 1249. ....	154
Darshan Tent House, Allahabad vs. C.T.T., [2002] 35 STR 114 : 2002 UPTC 333. ....	155
Deen Brothers vs. C.S.T., 1987 TLD 188. ....	158
Dinesh Chand Akash Kumar vs. State of U.P., (2000) 31 STR 20. ....	156
G.D. Steels & Gases Pvt. Limited, Sahibabad, Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 29 STR 36. ..	156
Gayatri Gems vs. C.S.T., [2002] 35 STR 227 : 2002 UPTC 426. ....	154
Ghaziabad Development Authority vs. C.S.T., [2001] 34 STR 504. ....	155
Harihar Sugandh (P) Ltd. Kannauj vs. C.T.T., 2000 UPTC 756. ....	155
Indian Telephone Industries, Nainital vs. C.S.T., [2004] 39 STR 178. ....	153
Jagdamba Brick Industries, Agra vs. C.S.T., [2003] 38 STR 687. ....	153
Jain Brass Rolling Mills vs. C.S.T., [1986] 3 STR 295. ....	158
Kansal Trading Company vs. Member Sales Tax Tribunal, [2001] 33 STR 173. ....	155
Madan Studio vs. Assistant Commissioner, 1975 UPTC 58. ....	157
Mercury Laboratories vs. State of U.P., 2000 UPTC 82. ....	156
Mitusi & Company Ltd., Sonbhadra vs. C.S.T., [1999] 29 STR 197. ....	157
Najibabad Stone Crusher Gramodyog vs. C.T.T., [2002] 35 STR 272 : 2002 UPTC 292. ...	155
Nand Lal Baburi, Chandauli vs. C.T.T., [2002] 36 STR 725 : 2002 UPTC 1107. ....	154
Panwar Brick Field vs. C.T.T., [2003] 38 STR 612 : 2003 UPTC 1002. ....	153
Precise Laboratories Ltd. vs. C.T.T., [1999] 29 STR 229 : (2000) 117 STC 226 (All). ....	156
Radhey Shyam Shree Krishna vs. C.T.T., [2003] 38 STR 759 : 2003 UPTC 1021. ....	153
Ram Pal & Co. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 262. ....	154
Remeshwar Dayal & Co. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 359. ....	155
Sanjeev Kumar Timber Traders vs. C.T.T., [2002] 35 STR 357 : 2002 UPTC 650. ....	155
Saru Smelting Pvt. Ltd., Meerut vs. C.S.T., [1997] 25 STR 66. ....	157
Sheela Agency, Etawah vs. C.S.T., [1999] 30 STR 440. ....	156
Shiv Narain & Co. vs. C.S.T., [2003] 37 STR 365. ....	154
Somani Iron and Steel Ltd., Kanpur vs. C.S.T., [1999] 30 STR 471. ....	156
Sri Durga Gramodyog Sansthan, Varanasi vs. C.T.T., [2001] 34 STR 627. ....	155
State of A.P. vs. Asbestos Cement Production Ltd., 1994 UPTC 859 (SC). ....	157
Steel Fabricator vs. C.S.T., [1995] 21 STR 92; 1995 UPTC 192. ....	157
U.P. Brick Field, Mori Kalan, Baraut, Meerut vs. C.S.T., [1998] 28 STR 631. ....	157
U.P. Rolling Mills Co. Pvt. Ltd., Kanpur vs. C.S.T., 2000 UPTC 943. ....	155
Uday Bhan Yadav Ent Bhatta, Ballia vs. C.T.T., [1999] 29 STR 68. ....	156
Universal Polyvinyl Chloride Gromodyog Sansthan vs. State of U.P., 2000 UPTC 848. ....	156
Vakeel Ahmad vs. C.S.T., 1994 UPTC 323. ....	157
Vegpro Foods & Feeds Limited, Jalaun vs. C.T.T., [2003] 37 STR 30 : 2003 UPTC 154. ....	154
Virendra Pal Gupta vs. State of U.P., [2003] 37 STR 73 : 2003 UPTC 306. ....	154
Zafar Leather Cloth House vs. C.S.T., [2001] 34 STR 703. ....	155

### धारा 10. अधिकरण

Agarwal Coke Industries vs. C.T.T., [2002] 35 STR 32 : 2002 UPTC 82. ....	167
Ajanta Arts vs. C.S.T., [1987] 5 STR 112. ....	172
Alucast Rural Industrial Estate vs. C.S.T., 1994 UPTC 18. ....	171
Anand General Stores vs. C.S.T., [1987] 5 STR 387. ....	173
Anant Ram Prem Prakash vs. State of U.P., [2003] 38 STR 525 : 2003 UPTC 1263. ....	164
Apollo Tyres Limited vs. T.T. Tribunal, Meerut, [2002] 36 STR 693. ....	167
Associated Cement Companies Ltd. vs. C.S.T., [2004] 39 STR 24. ....	164
Associated Distributors Ltd. Ghaziabad vs. C.T.T., [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173. .	167

Bairi Nag Gram Swaraj Sangh vs. C.T.T., [2000] 31 STR 73.	169
Bhagwan Vanaspati Mills Ltd. vs. T. T. Tribunal, [2002] 36 STR 488 : 2002 UPTC 730.	166
Bharat Heavy Electricals Ltd., Jhansi vs. C.T.T., [2001] 34 STR 632	168
Bharti Carpenter Workshop vs. C.S.T., [2003] 38 STR 648 : 2003 UPTC 1166.	164
Bihar Sponge Iron Limited, Modi Nagar vs. Trade Tax Tribunal, [1999] 30 STR 432.	171
Brindban Beverages Ltd. Bareilly vs. T.T.T., [2001] 33 STR 425.	169
C.I.T. vs. Dhadi Sahu, 199 I.T.R. Page 610	170
C.S.T. vs. Babu Lal Buddha Lal, Allahabad, 1983 STD 12.	172
C.S.T. vs. Bartaria & Sons, Bareilly, [1987] 6 STR 98.	174
C.S.T. vs. Bulaki Das Vinod Kumar, [1987] 5 STR 155.	173
C.S.T. vs. Ganesh Ent Udyog, [1987] 5 STR 141.	172
C.S.T. vs. Ganesh Int Udyog, Roorkee, [1987] 5 STR 141.	173
C.S.T. vs. Gaya Prasad Anil Kumar, Allahabad, [1986] 4 STR 502.	172
C.S.T. vs. J.K. Satch Agricultural Machines Ltd., Kanpur, 1999 UPTC 1297.	171
C.S.T. vs. Madan Lal Dana & Sons, Bareilly, [1987] 6 STR 94.	173
C.S.T. vs. R.S. Steel Works, 13 Civil Lines, Bareilly, [2003] 38 STR 836.	164
C.S.T. vs. State Electricity Board, [1986] 3 STR 466.	172
C.S.T. vs. Sunderdas Brick Field, Allahabad, [2001] 34 STR 630.	168
C.S.T. vs. Surendra Kumar Amar Nath, [1994] 19 STR 103 : 1994 UPTC 578.	171
C.S.T. vs. Uma Trading Company, [1988] 7 STR 156.	176
C.S.T. vs. Vijendra Industries, [1987] 6 STR 154.	174
C.T.T. vs. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghaziabad, [2002] 36 STR 669.	167
C.T.T. vs. Marwah and Co., Dehradun, [2001] 33 STR 345.	169
C.T.T. vs. U.P. Paper Corporation. Pvt. Ltd., [2001] 33 STR 337 (SC).	169
Cescon Limited vs. C.S.T., [2001] 33 STR 416.	169
Commissioner of Income Tax vs. Dhadi Sahu, 199 ITR 610.	170
Dewan Enterprises vs. C.T.T., 1998 UPTC 1186.	170
Dhruva Kumar & Sons vs. C.S.T., [1988] 7 STR 93.	175
Dwadesh Shreni Trading Company, Agra vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 71.	165
Fusion Fittings (I) Ltd., Noida vs. State of U.P., [2002] 36 STR 687 : 2003 UPTC 163.	167
Ganga Brick Industries vs. C.S.T., 1994 UPTC 195.	172
Ganga Welfare Society, Ballia vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 226 : 2003 UPTC 369.	165
Ganga Welfare Society vs. T.T. Tribunal, Varanasi, [2003] 37 STR 98 : 2003 UPTC 369.	165
Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd. vs. Trade Tax Tribunal, [1997] 25 STR 22.	171
Geeta Traders, Koonch, Jallon vs. C.T.T., [2002] 36 STR 690 : 2002 UPTC 1054.	167
Grindlays Bank vs. Central Government Industrial Tribunal, AIR 1981 (SC) 606.	171
Hari Prasad vs. C.S.T., [1994] 20 STR 313 : 1995 UPTC 215.	172
Hewlett Packard India Ltd. vs. T.T. Tribunal, [2002] 36 STR 684 : 2002 UPTC 982.	167
Income Tax Appellate Tribunal vs. V.K. Agrawal, [1999] 30 STR (I.T. Section) 227 (SC).	170
Indian Farmers Fertilizer Co-operative vs. C.T.T., [2002] 36 STR 554 : 2002 UPTC 1049.	166
Indian Oil Corporation Ltd, Agra vs. C.T.T., [1999] 29 STR 223.	171
Indian Steel Works vs. C.S.T., [2003] 37 STR 280 : 2003 UPTC 424.	165
Ismail Khan vs. C.S.T., [2001] 33 STR 293.	169
Jagannath Rai vs. C.S.T., [1988] 7 STR 395.	175
Jai Hind Bhatta vs. C.S.T., [1988] 7 STR 438.	175
Jain Son Tractors, Bijnor vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 129 : 2003 UPTC 540.	165
Jamuna Prasad Jaiswal vs. C.T.T., [2003] 37 STR 353 : 2003 UPTC 1068.	165

Janta Bricks Factory vs. C.S.T., [1987] 6 STR 22 : 1987 UPTC 1797 : 1987 ATJ 454. ....	173
Janta Bricks Factory vs. C.S.T., [1987] 6 STR 22 : 1987 UPTC 1797 : 1987 ATJ 454. ....	174
Kalakankar Bricks Factory, Alapur, Pratapgarh vs. C.T.T., [2003] 37 STR 67. ....	165
Khalil Usmani vs. T.T. Tribunal, Agra, [2002] 36 STR 585 : 2002 UPTC 1064. ....	166
Khanna Novelties vs. C.S.T., [1987] 5 STR 573. ....	175
Kheria Brothers vs. A.C. (J) Sales Tax, [1995] 22 STR 50 : 1995 UPTC 593. ....	172
Krishna Bhatta Company vs. C.S.T., [2003] 38 STR 675. ....	164
Kuldeep Memorial Trust, Devband, Saharanpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 603. ....	169
Kunwar Rice Mill, Bijnor vs. Trade Tax Tribunal, [2002] 36 STR 628 : 2002 UPTC 880. ...	167
Lord Krishna Textiles Mills, Saharanpur vs. C.T.T., [2002] 36 STR 631 : 2002 UPTC 832. ...	166
M.P. Patdar and Company vs. Additional Judge, 1982 UPTC 117. ....	171
Manoj Dal Mills, Agra vs. C.S.T., [1999] 29 STR 269. ....	170
Maruti Trades vs. C.T.T., [2004] 39 STR 49. ....	164
Modi Rubbers Ltd. vs. Trade Tax Tribunal, [1999] 29 STR 102. ....	169
Mohd. Meera vs. Theeru Malaia, AIR 1966 (SC) 430. ....	170
Monnet Industries Ltd. vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 56 : 2003 UPTC 165. ....	165
Murli Coal Depot vs. C.T.T. (T.T.R. No. 719/2002), [2003] 37 STR 104 : 2003 UPTC 315. .	164
Murli Coal Depot vs. C.T.T. (T.T.R. No. 720/2002), [2003] 37 STR 102 : 2003 UPTC 451. .	165
New Okhla Industrial Development Authority vs. State of U.P., [1999] 30 STR 604. ....	171
Newson Food Products, Sarsol, Aligarh vs. C.T.T., [1999] 29 STR 152. ....	170
O.R.S. Steels Private Limited vs. T.T. Tribunal, [2002] 36 STR 633 : 2002 UPTC 1063. ....	167
P.N.C. Construction Company Ltd. vs. State of U.P., [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262. ...	167
Panwar Brick Field vs. C.T.T., [2003] 38 STR 612. ....	164
Pawan Kumar Agrawal vs. C.S.T., [1988] 7 STR 445. ....	175
Poshwal Chemical Industries, Kanpur Nagar vs. C.T.T., [2001] 34 STR 635. ....	168
Prem Heavy Eng. Works P. Ltd. vs. T. T. Tribunal, [2003] 37 STR 374 : 2003 UPTC 887. .	166
Punjab Paint Colour & Varnish Works (P.) Ltd. vs. C.T.T., [1999] 30 STR 496. ....	170
R.H.L. Profiles Limited vs. T.T. Tribunal, Kanpur, [2003] 37 STR 418. ....	166
Radhey Shyam and Company vs. C.S.T., [1996] 23 STR 77. ....	171
Raj Bahadur Gupta vs. Member, T.T. Tribunal, [2002] 36 STR 540 : 2002 UPTC 1014. ....	166
Ram Bharose Lal Hari Shanker vs. C.T.T., [2001] 34 STR 626. ....	169
Ram Sewak Coal Depot, Mirzapur vs. C.T.T., [2003] 38 STR 514 : 2003 UPTC 608. ....	164
Ramesh Chandra Brick Kiln Owner vs. C.S.T., [1987] 6 STR 288. ....	174
Ranglal Gauri Shanker vs. C.S.T., 1994 UPTC 47. ....	171
Ravi Art Ceramics Industries, Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 375. ....	169
S.A.E. India Ltd. vs. C.T.T., 1994 UPTC 550. ....	172
S.P. Jain and Company vs. Trade Tax Tribunal, Ghaziabad & Anr., [2001] 34 STR 660. ..	168
Sachchida Nand and Partners, Badaun vs. C.T.T., [2002] 36 STR 630 : 2002 UPTC 850. .	167
Samrat Carpet, Aild. v C.T.T., 1999 UPTC 1203. ....	171
Sanjay Oil and Flour Mills, Aligarh vs. C.T.T., [2002] 36 STR 516 : 2002 UPTC 810. ....	166
Sarang Electronics (Pvt.) Ltd., Muzaffarnagar vs. C.T.T., [1998] 27 STR 214. ....	171
Satnam Verma vs. Union of India, AIR 1985 SC 294. ....	171
Satyam Steels, Ghaziabad vs. C.S.T., [2001] 34 STR 509. ....	168
Shivam Behari Tiwari vs. Goods Tax Officer, 1985 UPTC 638. ....	171
Shivam Gramodhyog Sansthan vs. C.T.T., 1998 UPTC 843. ....	170
Singh Coal Briquette vs. T.T. Tribunal, Varanasi, [2002] 35 STR 162 : 2002 UPTC 245. ...	168
Sitaram Bhatta, Bagpat vs. C.S.T., 1982 UPTC 792. ....	172
Sonali Trading Company vs. S.T. Tribunal, [2002] 36 STR 437 (LB) : 2002 UPTC 683. ....	166

Sonebhadra Fuels, Chandauli vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 64. ....	165
Sukhwasi Lal Brijesh Chandra, Budaun vs. C.S.T., [1987] 6 STR 205. ....	173, 174
Sumat Kumar Jain vs. C.S.T., [2001] 34 STR 496. ....	168
Sumat Kumar Jain vs. C.S.T., 2000 UPTC 1016. ....	169
Suresh Chand Mittal, Bulandshahr vs. C.S.T., 1988 TLD 152. ....	175
Swarup Vegetable Products Industries vs. T.T.T., [2002] 35 STR 262 : 2002 UPTC 300. ...	168
Taj Cutlery & Allied Agencies, Moradabad vs. C.S.T., [1987] 6 STR 417. ....	175
Tara Prasad Arun Kumar vs. C.S.T., [1988] 7 STR 167. ....	175
Tarachand Pahwa & Sons vs. C.S.T., [1988] TLD 103. ....	174
Tata Coffee Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 77 : 2002 UPTC 156. ....	168
Telecom District Manager, BSNL, Badaun vs. S.T. Tribunal, [2004] 39 STR 70. ....	164
U.P. Furnishers vs. T.T. Tribunal, Agra, [2002] 36 STR 579 : 2002 UPTC 1082. ....	166
U.P. State Bridge Corporation Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 238 : 2002 UPTC 455. ....	168
Union of India vs. U.P. Trade Tax Tribunal, Meerut, [2004] 39 STR 62. ....	164
Union Carbide India Ltd. vs. C.S.T., 1983 UPTC 744. ....	173
Vaibhav Casting Pvt. Ltd. vs. T.T. Tribunal, [2003] 37 STR 52 : 2003 UPTC 117. ....	165
Vardhman Trading Co. vs. Sales Tax Tribunal, 1994 UPTC 577. ....	172
Ved Praksah, Dhanaura vs. A.C. (Assessment) Trade Tax, [1999] 29 STR 312. ....	170
Vishvanath Foundry Works, Sahjanva vs. C.S.T., [1987] 6 STR 391. ....	173
Yadav Timber vs. C.T.T., [2002] 36 STR 536 : 2002 UPTC 636. ....	166

**धारा 10-ख. कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण**

A.K. Corporation vs. State of U.P., 1994 UPTC 75. ....	178
Anand General Store vs. C.S.T., [1987] 5 STR 387. ....	179
Ashok Tin & General Industries, Agra vs. C.T.T., [2003] 37 STR 263 : 2003 UPTC 489. .	177
Balaji Trading Co. vs. C.S.T., 2000 UPTC 391. ....	178
C.S.T. vs. Agan Lal Fakir Chand, Arhti, [1996] 24 STR 101 : 1996 UPTC 1087. ....	178, 179
C.S.T. vs. J.K. Satch Agricultural Machines Ltd., Kanpur, 1999 UPTC 1297. ....	178
C.S.T. vs. Mahamahim Shiv Agriculture Implements, [2004] 39 STR 98. ....	177
C.S.T. vs. Shakir Metal Works, Tantanpada, Aligarh, [2001] 33 STR 401. ....	177
C.S.T. vs. Singhal Metal Traders, Moradabad, [2004] 39 STR 10. ....	177
C.T.T. vs. Suhag Industries, Kanpur, [2000] 31 STR 49. ....	178
C.S.T. vs. Trilok Chandra Braj Bhushan, [2001] 33 STR 320. ....	177
Ceat Tyres of India Ltd. vs. C.S.T., [1997] 25 STR 122. ....	179
Commandant Central Weapons Stores, C.R.P.F., Rampur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 678. .	178
Jhoola Refineries Ltd., Varanasi vs. C.T.T., [2002] 35 STR 244 : 2002 UPTC 458. ....	177
Lal Chand Radhey Shyam, Meerut vs. C.S.T., [1999] 30 STR 462. ....	178
Pooran Chand & Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 253. ....	177
Rubey Industries Corporation, Noida vs. C.S.T., [2001] 33 STR 428. ....	177, 178
S.D.O., Telephones vs. C.S.T., [1994] 20 STR 288 : 1994 UPTC 58. ....	179
Samrat Carpet vs. C.T.T., 1999 UPTC 1203. ....	178
Shyam Lal Om Prakash vs. Revising Authority, 1994 UPTC 525. ....	179
State of Andhra Pradesh vs. T.G. Lachmaia Shetti, 1994 UPTC 825. ....	178
United Tractors vs. State of U.P. and others, [1996] 24 STR 303 : 1996 UPTC 1185. ....	179

**धारा 11. विशेष मामलों में उच्च-न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अन्तर्गस्त है**

Banaras Supply Agency, Varanasi vs. C.S.T., [1987] 6 STR 66. ....	184
Banarasi Das & Sons vs. C.S.T., [1988] 7 STR 341. ....	185

Banwari Lal Buddha Sen vs. C.S.T., [1987] 6 STR 169. ....	184
C.S.T. vs. Bareilly Express Transport Co., Delhi, [1988] 7 STR 214. ....	185
C.S.T. vs. Doon Engineering (P) Ltd., 1995 UPTC 1326: [1995] 22 STR 123. ....	183
C.S.T. vs. Malik General Store, Muzaffarnagar, [2001] 34 STR 482. ....	182
C.S.T. vs. Munna Lal Anil Kumar, 1986 TLD 212. ....	185
C.S.T. vs. Prag Ice and Oil Mills, 2000 UPTC 874 (SC). ....	182
C.S.T. vs. Pyare Lal Shyam Lal, 1983 STD 9. ....	183
C.T.T. vs. Bhagwati Trading Co., [2002] 35 STR 31 : 2002 UPTC 7. ....	182
C.T.T. vs. Kothari Pouches Ltd., Noida, 2000 UPTC 561. ....	183
Commandant Central Weapons Stores, C.R.P.F., Rampur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 678. ....	183
Devi Singh Raghavar Singh Kachcha Arhati vs. C.S.T., [2000] 31 STR 27. ....	183
Ganesh Flour Mills Co. vs. C.S.T., 1986 TLD 102. ....	185
Girja Shanker & Co. vs. C.S.T., [1988] 7 STR 206. ....	185
Guddi Glass House vs. C.T.T., [1998] 27 STR 189. ....	183
Gupta Glass Industries vs. C.S.T., 2000 UPTC 40. ....	183
Harvansh Brick Field vs. C.S.T., [1988] 7 STR 412. ....	185
Indodan Milk Products Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 235 : 2002 UPTC 502. ....	182
Jaiswal Brick Field vs. C.S.T., [1987] 5 STR 165. ....	183, 184
Kanha Vanaspati Ltd. vs. C.T.T., [2002] 35 STR 34. ....	182
Keshri Devi Agarwal (Smt.) vs. C.S.T., 1986 TLD 3. ....	184
Lakhi Ram Deep Chand vs. C.S.T., [1988] 7 STR 240. ....	185
Luxmi Ji Flour & Dal Mills vs. C.S.T., [1987] 5 STR 343 (339). ....	184
Mahaveer Singh Narain Singh vs. C.S.T., 1997 UPTC 101. ....	183
Meerut Development Authority vs. C.S.T., [2001] 33 STR 32. ....	182
Nafees Ahmad, B.K.O., Basti vs. C.T.T., [2002] 36 STR 582 : 2002 UPTC 1085. ....	182
Naseer (Driver) vs. C.T.T., [2002] 36 STR 537 : 2002 UPTC 1043. ....	182
New Okhla Development Authority vs. Commissioner Trade Tax, 2000 UPTC 448. ....	182
Oil and Natural Gas Commission vs. C.C.E., 1991(4) Judgment Today 158 (SC). ....	182
Om Ayurvedic Pharmacy, Basti vs. C.T.T., [2003] 37 STR 55 : 2003 UPTC 175. ....	181
Pradeshia Industrial and investment Corporation vs. Dy. Collector, 1994 UPTC 833. ....	182
Savitri Khansari Udhog vs. C.S.T., [1999] 29 STR 134. ....	183
Shri Krishan Kumar vs. C.S.T., [1987] 6 STR 44. ....	184
State Electricity Board vs. C.S.T., 2000 UPTC 492. ....	182
Sumera Brick Field, Gorakhpur vs. C.S.T., [1988] 7 STR 356. ....	185
Super Cotton Dowl Refilling Works vs. C.S.T., 1987 TLD 218. ....	184
Tannumal Brick Kiln vs. C.S.T., [1996] 23 STR 38; 1996 UPTC 65. ....	183
Transport Corporation of India Ltd. vs. C.T.T., [1998] 28 STR 369. ....	183
U.P. Avas Evam Vikas Parishad vs. C.T.T., 2000 UPTC 513. ....	182
U.P. State Electricity Board vs. C.T.T., [2000] 31 STR 45. ....	183
Vijai Narayan Pandey vs. C.S.T., [1986] 3 STR 73. ....	185
Z.B. Engineering Works vs. Trade Tax Tribunal, Agra, [2000] 31 STR 50. ....	183
Zubey Sugar Works vs. C.T.T., [2003] 37 STR 61 : 2003 UPTC 214. ....	182

### धारा 12. व्यापारियों द्वारा लेखा रखना

Agarwal Plastic Industries vs. C.S.T., [1989] 10 STR 444 : 1989 ATJ 1025. ....	186
Agarwal Plastic Industries vs. C.S.T., [1991] 14 STR 92 : 1991 STI (All) 304. ....	186
C.S.T. vs. Girija Shankar Awanish Kumar, [1997] 25 STR 315 (SC) : 1997 UPTC 213. ....	187
C.T.T. vs. Shri Ram Traders, [2001] 33 STR 257. ....	187

Eastern Tube Co. vs. C.S.T., 1980 UPTC 1119. ....	187
Ganesh Ice Cream Factory vs. C.T.T., [2002] 36 STR 374 : 2002 UPTC 662. ....	187
Imran Khan vs. C.S.T., 1982 UPTC 238. ....	187
Mahesh Kumar vs. C.S.T., 1997 NTN 682. ....	187
Munna Lal Sons & Co. (P) Ltd. vs. C.T.T., [2002] 36 STR 542 : 2003 UPTC 952. ....	187
New Golden Electric Works vs. C.S.T., 1992 UPTC 1056 : 1992 (23) ATJ 758. ....	187
Shambhoo Ratan Shailendra Kumar vs. C.S.T., (1972) 30 STC 374. ....	187
Sushil Kumar Sharad Kumar vs. C.S.T., [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260. ....	186
Uma Shakar Vijay Shanker vs. C.S.T., 1981 UPTC 201. ....	187
Vishnu Charan Manufacturing Co. vs. C.S.T., [1993] 18 STR 232 : 1993 UPTC 796. ....	187

### धारा 12-क. साबित करने का भार

Bulbul Prasad Amar Nath vs. C.S.T., [1988] 7 STR 365. ....	189
C.S.T. vs. Bakhtawar Lal Kailash Chand, 1995 UPTC 830. ....	189
C.S.T. vs. Basti Sugar Mills Company Ltd., [2004] 39 STR 139. ....	189
C.S.T. vs. Goel Metal Industries, 1994 UPTC 1184. ....	189
C.S.T. vs. Jai Shiv Trading Co., [1999] 30 STR 466. ....	189
C.S.T. vs. Phoolson Trading Corporation, [1987] 6 STR 284. ....	189
C.T.T. vs. Sunil Kumar Goal, [2003] 38 STR 562 : 2003 UPTC 1036. ....	189
Enterprising Traders vs. C.S.T., [1987] 5 STR 264. ....	189
Ilyas Ahmad, Body Maker vs. C.S.T., [1987] 6 STR 248. ....	189
Kailash Chandra Suresh Chandra, Fatehpur Sikri, Agra vs. C.S.T., [2001] 33 STR 69. ....	189
Kanhoria Pipe and Fittings Co. vs. C.S.T., 2000 UPTC 81. ....	189
Olympic International vs. C.S.T., [2001] 33 STR 25. ....	189
Ram Chandra vs. C.T.T., [2003] 37 STR 111 : 2003 UPTC 555. ....	189
Rathi Super Steels Ltd. vs. C.T.T., [1998] 28 STR 489. ....	189
Tirugi Narayan Pandey vs. C.T.T., [2001] 33 STR 414. ....	189
United Hardware Stores vs. C.T.T., [2003] 37 STR 321 : 2003 UPTC 401. ....	189

### धारा 12-ख. अपील में अतिरिक्त साक्ष्य

C.S.T. vs. Bomabay Jewellers, 1996 UPTC 69. ....	190
C.S.T. vs. Gauri Shaker Krishna Kant, 1980 ATJ (Supp) 292 : STI 1981 (All) 15. ....	190
C.S.T. vs. Jain Tube Co., 1994 UPTC 1150. ....	190
Dhan Prakash Cane Crushers vs. C.S.T., [2002] 35 STR 358 : 2002 UPTC 788. ....	190
Eastern India Match Co., Khalilabad, Basti vs. C.S.T., [1999] 29 STR 157. ....	190
Micro Abrasive (India) Ltd. Dhampur, Bijnor vs. C.T.T., 1995 NTN 232. ....	190
Pramod Sugar Corporation, Shyamganj, Bareilly vs. C.T.T., [2002] 36 STR 681. ....	190
Vindhya Basu Pratisthan vs. C.S.T., [1997] 25 STR 116 : 1997 NTN 134. ....	190

### धारा 13. लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

Agarwal Engineering Stores vs. State of U.P., 1971 UPTC 210 (FB). ....	194
Jhunjunwala Oils Mills vs. State of U.P., 1994 UPTC 172. ....	194
Kailash Chand Om Deo Oil Mills vs. S.T.O., 1994 UPTC 402. ....	194
Mahalakshmi Polyplast Pvt. Ltd. vs. State of U.P., 1994 UPTC 1161 (DB). ....	194
Polar Industries vs. A.C.(S.I.B.), Trade Tax, Noida, [2002] 36 STR 407 : 2002 UPTC 505. ....	193
Ram Singh vs. State of U.P., 2000 UPTC 865. ....	194
Shakti Briquette vs. State of U.P. and others, [2002] 35 STR 267 : 2002 UPTC 328. ....	194

Vishambher Singh Layak Ram vs. C.S.T., 1972 UPTC 742. ....	194
<b>धारा 13-क. अभिग्रहण (Seize) करने का अधिकार</b>	
Alka Trading Company vs. C.T.T., [2002] 35 STR 148 : 2002 UPTC 237. ....	199
Aman Trading Company, Barrelly vs. C.T.T., [2002] 36 STR 697 : 2002 UPTC 998. ....	198
Anita Gupta (Smt.) vs. State of U.P., [2002] 36 STR 475 : 2002 UPTC 657. ....	198
Behati Roto Plastic (Pvt.) Limited, Ghaziabad vs. C.T.T., [2003] 37 STR 403. ....	197
Bihar Carrying Corporation, Patna vs. C.T.T., [1999] 30 STR 420. ....	204, 205
C.S.T. vs. Lord Krishna Sweet and Bakery, Muzaffarnagar, [2003] 37 STR 260. ....	197
C.S.T. vs. Durga Prasad Ram Nath, Kanpur, [2004] 39 STR 59. ....	197
C.S.T. vs. Gramophone Company of India, Kanpur, [2001] 34 STR 608. ....	201
C.S.T. vs. Mac dowell & Company Ltd., Ghaziabad, [2001] 33 STR 95. ....	202
C.S.T. vs. Mahendra Radio & Television Pvt. Ltd. Meerut, [2001] 33 STR 31. ....	200
C.S.T. vs. Seth Industrial Corporation & Malwa U.P. Roadways, 1994 UPTC 140. ....	204
C.S.T. vs. Sterling Machine Tools, 1983 UPTC 300. ....	205
C.S.T. vs. Sterling Machine Tools, 1983 UPTC 300. ....	206
C.T.T. vs. Anode Forma Pvt. Ltd., Panki Ind. Area, Kanpur, [2001] 33 STR 62. ....	201
C.T.T. vs. Anoop Traders, Azamgarh, [2001] 33 STR 78. ....	201
C.T.T. vs. Balaji Traders, [2002] 35 STR 291 : 2002 UPTC 529. ....	199
C.T.T. vs. Bharat Interstate Carrier, Delhi, [2002] 36 STR 529. ....	198
C.T.T. vs. Bharat Kumar, [2001] 33 STR 427. ....	201
C.T.T. vs. Dharpal Singh, Narsana, Mathura, [2001] 33 STR 60. ....	201
C.T.T. vs. Jabalpur Golden Transport Co., [2002] 35 STR 319. ....	200
C.T.T. vs. Kanpur Metal Products, [2001] 33 STR 406. ....	202
C.T.T. vs. Kishan International, [2001] 33 STR 325. ....	200
C.T.T. vs. Lahariya Glass Industries, Hathras, [2001] 33 STR 79. ....	201
C.T.T. vs. Leather World Wide, Noida, [2001] 33 STR 133. ....	202
C.T.T. vs. M.M. Medical Agency, Aligarh, [2001] 33 STR 19. ....	201
C.T.T. vs. Mohd. Maqsidul Haq, [2002] 35 STR 328 : 2002 UPTC 654. ....	200
C.T.T. vs. Navin Road Lines, Gwalior, [2001] 33 STR 411. ....	202
C.T.T. vs. Om Carrying Corporation, [2001] 33 STR 399. ....	202
C.T.T. vs. Rais Khan, Nagpur, [1999] 30 STR 664. ....	203
C.T.T. vs. Ram Singh, [2002] 35 STR 175 : 2002 UPTC 247. ....	200
C.T.T. vs. Ravi Oil Mill, Gursarai, Jhansi, [2001] 33 STR 75. ....	201
C.T.T. vs. Sahu Traders, [2001] 33 STR 366. ....	202
C.T.T. vs. Shree Vishnu Traders, [2002] 35 STR 232 : 2002 UPTC 495. ....	199
C.T.T. vs. Shresh Udyog, Industrial Estate, Gorakhpur, [2001] 33 STR 408. ....	201
C.T.T. vs. Shyam Ji Traders, [2003] 37 STR 88 : 2003 UPTC 123. ....	197
C.T.T. vs. Sushil & Brothers, Kannauj, [2001] 33 STR 404. ....	202
Capital Power Systems Limited Noida vs. C.T.T., [2002] 36 STR 662 : 2002 UPTC 1112. .	199
Central Distillery & Breweries Ltd., [1999] 29 STR 60. ....	204
Chand Rice Mill, Nangla Akil, Dist. Rampur vs. C.S.T., [1999] 30 STR 506. ....	206
Crop Health Product Ltd., Gajraula vs. C.T.T., [2003] 38 STR 722. ....	197
D.K. Steels, Jhansi vs. C.S.T., [1999] 29 STR 328. ....	204
Dasmesh Transport Organisation, Ludhiana vs. C.T.T., [1999] 29 STR 94. ....	204
G.E. Apar Lighting (P) Ltd. vs. C.S.T., [1995] 22 STR 283; 1996 UPTC 66. ....	205
Garuda Carriers & Shipping Pvt. Ltd., vs. C.T.T., [2003] 37 STR 157 : 2002 UPTC 1198. .	198
Godawari Steels Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 417 : 1999 UPTC 1046. ....	203

Godawari Steels, 15-Navyug Market, Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 417. ....	204
Gulshan Kumar Handa, Jhansi vs. C.T.T., [2001] 33 STR 130. ....	202
Gulshan Kumar Handa, Jhansi vs. C.T.T., [2001] 33 STR 130. ....	202
Harbansh Lal Malhotra & Sons Ltd. vs. State of U.P., [1987] 6 STR 56. ....	205
I.G. Shoes Pvt. Ltd., Kanpur vs. C.T.T., [2002] 36 STR 634 : 2002 UPTC 902. ....	199
Indian Oil Corporation Limited, Idgah, Agra vs. C.T.T., [1999] 30 STR 434. ....	204
Indian Trading CO., Varanasi vs. C.T.T., [2002] 36 STR 431 : 2002 UPTC 593. ....	199
Indian Trading Company, Varanasi vs. C.T.T., [2002] 35 STR 314 : 2002 UPTC 593. ....	200
J.J. Enterprises vs. C.S.T., [1995] 21 STR 266; 1995 UPTC 1203. ....	205
Jagannath Prasad Kailash Chandra vs. C.T.T., [2002] 36 STR 420 : 2002 UPTC 620. ....	198
Kanhaiya Traders vs. Sales Tax Officer, 1987 UPTC 131. ....	206
Kanpur Agra Goods Transport Co. vs. C.T.T., [2003] 37 STR 59 : 2003 UPTC 137. ....	198
Kashi Papers vs. C.S.T., [1994] 20 STR 291; 1994 UPTC 977. ....	205
Kothari Pouches Limited vs. C.T.T., [2002] 35 STR 101 : 2002 UPTC 216. ....	199
Krishna Synthetic Ltd. vs. State of U.P., [1995] 22 STR 151; 1995 UPTC 1198. ....	204
Krishna Traders, Kanpur Nagar vs. State of U.P. and others, 2000 UPTC 506. ....	203
Kunj Bihari Mantri & Sons vs. C.S.T., 1994 UPTC 620. ....	205
Madhya Bharat Transport Carrier vs. C.T.T., [2004] 39 STR 42 : 2003 UPTC 1218. ....	197
Mishrilal & Sons vs. Trade Tax Tribunal, [2003] 37 STR 66. ....	198
Misra Traders vs. C.S.T., 1994 UPTC 13. ....	204
Mohd Ateeq Siddiqui vs. State of U.P., [2004] 39 STR 80 : 2004 UPTC 154. ....	197
Naresh Traders vs. C.T.T., 2000 UPTC 483. ....	202
New J.T.C. Corporation, Delhi vs. State of U.P., [1999] 30 STR 573. ....	203
Nirmala Devi vs. State of U.P., 1994 UPTC 996. ....	205
Nitish Trading Company, Kanpur vs. C.T.T., 2000 UPTC 431. ....	202
Olympic International, Ghaziabad vs. C.S.T., [2001] 33 STR 137. ....	201
Panipat Indore Transport Co., Delhi vs. C.T.T., [2002] 36 STR 730 : 2002 UPTC 1124. ....	199
Polar Industries Limited, Noida vs. C.T.T., [2003] 37 STR 109 : 2003 UPTC 545. ....	198
Radhey Shyam Paper Stores vs. C.S.T., 1994 UPTC 35. ....	204
Raghunath Laxminarain Spices Pvt. Ltd. vs. State of U.P. and others, 2000 UPTC 554. ....	203
Raja Enterprises vs. C.S.T., [2001] 33 STR 322. ....	206
Rajendra Sood vs. T.T.O Checkpost, Sainya, [1998] 27 STR 184. ....	204
Ram Singh vs. State of U.P., 2000 UPTC 865. ....	203
Rapti Commission Agency vs. State of U.P., [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780. ....	197
Ravi Goods Carrier, New Delhi vs. C.T.T., 2000 UPTC 429. ....	202
Ritco Transport Co., Varanasi vs. C.T.T., 2000 UPTC 488. ....	202
Satya Narayan Bhanwar Lal vs. C.T.T., [2001] 34 STR 459. ....	200
Securipax India Pvt., Ltd., New Delhi vs. C.T.T., [2002] 36 STR 513 : 2002 UPTC 713. ....	198
Shaw Stock Distillery vs. Sales Tax Officer, 1983 UPTC 387. ....	205
Shiv Traders, Kanpur vs. C.T.T., [2001] 33 STR 391. ....	200
Shiv Trading Co., Manila, Dholpur vs. C.T.T., [2002] 36 STR 380 : 2002 UPTC 739. ....	199
Shivaji Belting Corporation vs. C.T.T., [2001] 34 STR 639. ....	200
Shivam Roadways, and another vs. C.T.T., [2002] 35 STR 40 : 2002 UPTC 28. ....	199
Sir Shadi Lal Enterprises Ltd. vs. Trade Tax Tribunal, [1997] 26 STR 792. ....	204
Som Distilleries and Breweries Ltd. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 434. ....	201
Subhash and Company vs. C.T.T., [2002] 36 STR 388 : 2002 UPTC 670. ....	198
Suhag Industries vs. Sales Tax Tribunal, [1995] 21 STR 275; 1995 UPTC 171. ....	205
Suhail Ahmad vs. C.S.T., [1999] 29 STR 179. ....	203



Suraj Kumar Yadav vs. C.T.T., [2002] 36 STR 738 : 2002 UPTC 1060. ....	199
Suresh Chand Satish Chand, Kanpur vs. State of U.P., [1985] 2 STR 344. ....	206
Swastika Pipe Ltd., Ghaziabad vs. C.T.T., [2003] 37 STR 76 : 2003 UPTC 397. ....	197
Tarsem Singh, Calcutta vs. Trade Tax Officer, 2000 UPTC 19. ....	203
Union of India vs. Sales Tax Officer, [1986] 4 STR 378. ....	206
Unique Enterprises, Lal Quan, Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 30 STR 586. ....	203
V.K. Traders vs. C.T.T., [2003] 37 STR 74. ....	198
Vijay Paper Mart vs. C.T.T., [1999] 30 STR 588. ....	203
Yog Petro Pvt. Ltd., Kanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 88. ....	197

#### धारा 14. अपराध और दण्ड

Ashok Kumar vs. State of U.P. and others, [2001] 34 STR 641 : 2000 UPTC 916. ....	210
Deepak Jain, Agra vs. State of U.P. and others, [2002] 36 STR 428. ....	210
Gulshan Kumar Handa, Jhansi vs. C.T.T., [2001] 33 STR 130. ....	210
Krishna Traders vs. State of U.P., 2000 UPTC 274. ....	210
Kuldeep Singh (Sri) vs. The State of U.P. and others, [2001] 34 STR 548. ....	210
Mohd. Ateeq Siddiqui vs. State of U.P., [2003] 37 STR 469. ....	210
New J.T.C. Corporation vs. State of U.P., [1999] 30 STR 573 : 1999 UPTC 1226. ....	210

#### धारा 15-क. कतिपय दशाओं में अर्थदण्ड

##### 15-ए(1)(ए)

Adarsh Cement Product (Pvt.) Ltd., Ghaziabad vs. C.S.T., [1988] 7 STR 38. ....	214
C.S.T. vs. Bhoore Singh Basant Singh, [1988] 7 STR 42. ....	214
C.S.T. vs. Naresh Udyog, Loni, Ghaziabad, [1988] 7 STR 59. ....	214
C.S.T. vs. R.S. Steel Works, Civil Lines Bareilly, [1999] 29 STR 241. ....	213
C.S.T. vs. Shree Gopal Motors, [1986] 3 STR 491. ....	214
C.T.T. vs. Pragati Sales, [2001] 33 STR 245. ....	212
C.T.T. vs. Tata Iron Steel Co. Ltd., Kanpur, 2000 UPTC 471. ....	212
C.T.T. vs. Modipon Ltd., Modi Nagar, [1999] 30 STR 356. ....	213
Deen Dayal vs. C.S.T., [1988] 7 STR 415. ....	214
Krishna Arhat Kendra vs. C.S.T., [2003] 37 STR 337 : 2003 UPTC 522. ....	212
Modi Industries Ltd., Modinagar vs. C.S.T., [2003] 38 STR 797 : 2003 UPTC 1019. ....	212
Nav Bharat Automobiles, Nunhai, Agra vs. C.S.T., [1999] 30 STR 592. ....	213
Pangasa Garments vs. C.S.T., [2001] 33 STR 247. ....	212
Pradeep Phosphates Ltd. vs. C.T.T., [2000] 31 STR 54 : 2000 UPTC 8. ....	212, 213
Premier Vinyl Flooring Ltd. vs. C.S.T., 1994 UPTC 773. ....	213
Syn Biotics vs. C.S.T., [2004] 39 STR 96. ....	212
Willard India Limited vs. C.S.T., [1987] 5 STR 374. ....	213
Willard India Ltd. Sikandrabad vs. C.S.T., 1988 TLD 148. ....	214
Willard India Ltd. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 134. ....	212

##### 15-ए(1)(बी)

Abdul Rasheed Brick Klin Owner vs. C.S.T., 1994 UPTC 280. ....	216
C.S.T. vs. Jagdish Rai Shyam Mohan, A.K. Muzaffarnagar, [2003] 38 STR 611. ....	215
C.S.T. vs. K.B. Industries Baspur, district Rampur, 2000 UPTC 753. ....	215
Deen Dayal vs. C.S.T., [1988] 7 STR 415. ....	216
Dhanna Lal Nand Lal vs. C.S.T., [2003] 38 STR 510. ....	215
Durga Prasad Jugal Kishore, Jhansi vs. C.S.T., [2001] 34 STR 583. ....	215

Ganesh Rice and Dal Mills vs. C.S.T., 1987 UPTC 456. ....	216
Jagdish Narain Shankar Prasad vs. C.S.T., [2001] 33 STR 219. ....	215
Jai Durga Khandsari Udyog vs. C.S.T., [1987] 6 STR 84. ....	216
Kailash Coal and Coke Co., Moradabad vs. C.S.T., [2003] 37 STR 356 : 2003 UPTC 875. ....	215
Ocean Time Agency vs. C.T.T., [1997] 25 STR 379. ....	215
P. Anand & Sons vs. C.S.T., [2004] 39 STR 165 : 2004 UPTC 217. ....	214
Ram Shyam Trading Co. vs. C.S.T., [2001] 34 STR 502. ....	215
Shree Ram Traders vs. C.S.T., [2000] 31 STR 61 : 2000 UPTC 42. ....	215, 216
Sikka Metal Works vs. C.S.T., [2001] 34 STR 581. ....	215
Sundarlal Jaiswal vs. C.T.T., [2000] 31 STR 47. ....	215

**15-ए(1)(डी)**

Bans Augar Zips (P) Ltd., Ghaziabad vs. C.T.T., [1999] 29 STR 49. ....	217
C.T.T. vs. Lalta Prasad Vishan Lal, Shyamganj, Bareilly, [2001] 33 STR 91. ....	217
Kunal Traders, Varanasi vs. C.T.T., [2003] 37 STR 58 : 2003 UPTC 120. ....	217
Motwani Brothers, Badshah Bagh, Varanasi vs. C.T.T., [2003] 37 STR 65. ....	216
P. Anand & Sons vs. C.S.T., [2004] 39 STR 165 : 2004 UPTC 217. ....	216
Zen Agencies, Varanasi vs. C.T.T., [2003] 37 STR 90 : 2003 UPTC 233. ....	217

**15-ए(1)(ई)**

Hindustan Metal Industries, Hapur vs. C.S.T., [1988] 7 STR 418. ....	217
--	-----

**15-ए(1)(जी)**

C.T.T. vs. The Fairex Productions, 2003 NTN 263. ....	217
Girish Chand vs. C.S.T., 1994 UPTC 305. ....	217
Razi Art Emporium vs. C.S.T., 1996 UPTC 518. ....	217

**15-ए(1)(एल)**

C.S.T. vs. Jagdish Rai Shyam Mohan, [2001] 33 STR 316. ....	218
Jwala Industries, Nainital vs. C.S.T., 1999 UPTC 742. ....	218
Ramesh & Company Battha vs. C.S.T., [2001] 33 STR 335. ....	218

**15-ए(1)(ओ)**

Atlas Cycle Industries Ltd. vs. C.S.T., [2004] 39 STR 75. ....	219
Auto Trading Co., Bareilly vs. C.S.T., [2004] 39 STR 53. ....	220
Baikunth Nath Agrawal Lauta Dealer vs. C.S.T., [2001] 33 STR 216. ....	222
C.S.T. vs. A.K. Chemicals, [2001] 33 STR 372. ....	221
C.S.T. vs. Bharat Post Dodhastores, Muzaffarnagar, [2003] 37 STR 330. ....	221
C.S.T. vs. Bulaki Das Vinod Kumar, Ghaziabad, [1987] 5 STR 156. ....	223
C.S.T. vs. Haryana Tube Co. Pvt. Ltd., Hisar, [2003] 38 STR 828 : 2003 UPTC 1140. ....	220
C.S.T. vs. J.B. Lamination (P) Ltd., Noida, Ghaziabad, [1998] 28 STR 379. ....	222
C.S.T. vs. Jai Bharat Transport Corporation, Belanganj, Agra, [2003] 37 STR 270. ....	220
C.S.T. vs. Jaipur Golden Transport Co., Delhi, [1999] 30 STR 627. ....	222
C.S.T. vs. Karam Chand & Bros. (C.S.) Ltd., [1999] 29 STR 224. ....	222
C.S.T. vs. Parasrampuriah Synthetics Ltd. Delhi, [2003] 38 STR 900. ....	220
C.S.T. vs. S.R. Paper Cores, [2001] 33 STR 383. ....	222
C.S.T. vs. Shakti Cylinder Pvt. Ltd., [1996] 23 STR 338; 1996 UPTC 549. ....	223
C.S.T. vs. Swadeshi Polytex Ltd., [2004] 39 STR 210. ....	219
C.T.T. vs. Avery India Ltd. Swarup Nagar, Kanpur, [2001] 33 STR 61. ....	221
C.T.T. vs. Bharat Heavy Electricals Ltd., 2000 UPTC 418. ....	222

C.T.T. vs. Modi Olveti Ltd., Rampur, [1999] 30 STR 436. ....	222
C.T.T. vs. Supreme Engineering Works, [2001] 33 STR 365. ....	221
C.T.T. vs. Suresh Chandra Jain, Jhansi, [1999] 30 STR 494. ....	222
<b>Century Laminating Company, Hapur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 184. ....</b>	<b>219</b>
Dharam Pal Satya Pal vs. C.S.T., [2001] 33 STR 288. ....	221
Elegant Associates Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [1994] 19 STR 115: 1994 UPTC 9. ....	223
<b>Goel Steel Tubes vs. C.S.T., [2004] 39 STR 161. ....</b>	<b>219</b>
I.C.I. India Limited vs. C.S.T., [2003] 38 STR 497 : 2003 UPTC 491. ....	220
J.M. Bakshi & Company, Bombay vs. C.S.T., [2003] 38 STR 902. ....	220
Krishna Products Ltd. vs. C.S.T., 1994 UPTC 382. ....	223
<b>Mahesh Chandra &amp; Company, Bareilly vs. C.S.T., [2004] 39 STR 199. ....</b>	<b>219</b>
Meenakshi Tradin Company, Saharanpur vs. C.S.T., [1999] 30 STR 478. ....	222
Mewa Lal & Sons vs. C.T.T., [2002] 35 STR 75 : 2003 UPTC 165. ....	221
Modi Industries Ltd. vs. C.S.T., [1995] 21 STR 181; 1995 UPTC 928. ....	223
Modi Industries Ltd., Modinagar vs. C.S.T., [2003] 38 STR 795 : 2003 UPTC 1032. ....	220
Modi Industries, Ltd. vs. C.S.T. [2000] 31 STR 65. ....	222
Network Limited vs. C.T.T., [1999] 30 STR 373. ....	222
Northern Motors, Kanpur vs. C.T.T., [2003] 37 STR 395 : 2003 UPTC 884. ....	221
Opt India Madicure Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 114 : STI 2001 Alld. 16. ....	221
Pepsico India Holding Ltd. vs. C.T.T., [2003] 38 STR 664 (LB) : 2003 UPTC 856 (LB). ....	220
Prakash Enterprises, Ghaziabad vs. c.S.T., [2001] 34 STR 461. ....	221
Rasool Handicrafts Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [1995] 21 STR 161; 1995 UPTC 909. ....	223
S. Narain Bhai Shanker Lal, Varanasi vs. C.S.T., 1987 TLD 176. ....	223
<b>Sahai Tractor Automobiles, Bulandshahar vs. C.S.T., [2004] 39 STR 193. ....</b>	<b>219</b>
Securipax India Pvt. Ltd., Ghaziabad vs. C.S.T., [2001] 33 STR 23. ....	221
Shivalik Pipes, Gautambudh Nagar vs. C.T.T., [2003] 37 STR 37 : 2003 UPTC 272. ...	220, 221
Transport Traders Organisation, Bombay vs. C.T.T., [1999] 29 STR 279. ....	223
<b>Ureka Polymers Ltd. vs. Trade Tax Tribunal, Ghaziabad, [2004] 39 STR 159. ....</b>	<b>219</b>
<b>Yardan Textiles vs. C.S.T., [2004] 39 STR 103. ....</b>	<b>219</b>
Western India Enterprises Ltd., Delhi vs. C.S.T., [2003] 38 STR 898 : 2003 UPTC 724. ....	220

#### 15-ए(1)(क्यू)

C.T.T. vs. Gurjeet Singh S/o. Sri Atma Singh, Agra, [2003] 38 STR 764. ....	224
Indian Roadways Corporation Ltd. vs. C.S.T., 1994 UPTC 319. ....	224
Kailash Chandra Gupta vs. C.T.T., [2003] 37 STR 412 : 2003 UPTC 1168. ....	224
<b>Kishorilal &amp; Raja Ram vs. C.S.T., [2004] 39 STR 163. ....</b>	<b>224</b>
Pharindra Nath Chaturvedi vs. C.S.T., 1996 UPTC 774. ....	224
Raj Kishore, Kalyanganj, Aligarh vs. C.S.T., [2003] 38 STR 847. ....	224
Transport Corporation of India vs. C.S.T., [1996] 23 STR 209. ....	224

#### 15-ए(1)(क्यूक्यू)

B.S. Metal Printing and Pressing Works, Agra vs. C.S.T., [1998] 27 STR 164. ....	225
C.S.T. vs. Prahlad Rai Sat Narain, Hapur, [1988] 7 STR 372. ....	226
C.S.T. vs. Spintex Trading Company, Hospital Road, Kanpur, [2001] 33 STR 384. ....	225
C.T.T. vs. The State Trading Corporation, [1999] 30 STR 661. ....	225
C.T.T. vs. Sahu Sons, [2001] 33 STR 328. ....	225
C.T.T. vs. Sun Rise Enterprises, Dehradun, [2001] 33 STR 58. ....	225
Gopal Rai Sri Ram vs. C.T.T., [1997] 26 STR 766. ....	226

Hari Mandir Mineral Traders vs. C.S.T., [2003] 38 STR 829 : 2003 UPTC 1030. ....	224
Hira Lal Ayodhya Prasad vs. State of U.P., [2001] 33 STR 97. ....	225
Jwala Industries vs. C.S.T., 1995 UPTC 1218. ....	226
Kwality Ice Cream Co. Allahabad vs. C.S.T., 2000 UPTC 913. ....	225
M.M. Company vs. C.S.T., [2001] 33 STR 367. ....	225
Majhola Distillery and Chemical Works vs. C.S.T., [1999] 29 STR 332. ....	225

**15-ए(1)(6) :**

C.S.T. vs. Sethi Industrial Corporation, 1994 UPTC 140. ....	228
--	-----

**धारा 16. हानि-रक्षा**

Narain Mishra vs. Pramod Kumar Gupta, [2003] 37 STR 181 (SC). ....	228
--	-----

**धारा 17. कतिपय कार्यवाहियों पर रोक**

Deepak Bhalla (Smt.) vs. State of U.P. and others, 1992 UPTC 41 (DB). ....	228
Dhule Bhai vs. State of M.P., AIR 1969(SC) 78. ....	228
State of Orissa vs. Laxminarain Lal, (1978) 43 STC 364 (Ori). ....	228
V.K. Malik vs. State of Haryana, 2002 (32) STJ 73. ....	228

**धारा 18. पुनर्निर्माणित अथवा नये फर्मों पर कर-निर्धारण तथा साझा का बदला जाना**

Kunwar Bahadur Sanjay Kumar vs. C.S.T., [1987] 5 STR 150. ....	230
Ramesh Chand Brick Kiln Owner vs. C.S.T., [1987] 6 STR 288. ....	230

**धारा 19. अल्पवयस्क तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर-निर्धारण**

C.S.T. vs. Bishan Swaroop Bansal, 1984 UPTC 463 : 1984 ATJ 374. ....	230
--	-----

**धारा 20. प्रतिपालक (कोर्ट आफ वार्ड्स) आदि पर कर-निर्धारण**

C.S.T. vs. Ram Sewak Hari Om, 1982 UPTC 168. ....	231
---	-----

**धारा 21. उस विक्रय-धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर-निर्धारित न किया गया हो, कर-निर्धारित करना**

Addl. Comm. (Legal) vs. Jyoti Traders, [1999] 29 STR 122 (SC) : 1999 UPTC 45. ....	238, 239
Agency King vs. C.S.T., [1987] 5 STR 544. ....	241
Anand Export Corporation vs. C.S.T., [1996] 23 STR 75; 1996 UPTC 81. ....	241
Anand Khandsari Udyog vs. C.T.T., [1997] 25 STR 302; 1997 UPTC 175. ....	241
Balaji Brick Field vs. Trade Tax Officer, Firozabad, [1997] 26 STR 619. ....	240
C.S.T. vs. Agan Lal Fakir Chand, [1996] 24 STR 101; 1996 UPTC 1087. ....	240
C.S.T. vs. Auto Sales Corporation, [1987] 6 STR 33. ....	241
C.S.T. vs. Bhagwan Das Haridas, [1987] 5 STR 448. ....	242
C.S.T. vs. Continental Pumps and Motors Ltd., 2000 UPTC 466. ....	238
C.S.T. vs. J.K. Cotton Spinning & Weaving Mills Co. Ltd., Kanpur, [2003] 38 STR 606. ....	236
C.S.T. vs. Jai Bharat Bhatta Co., 1979 UPTC 834. ....	241
C.S.T. vs. Jain Khandsari Udyog, [1996] 24 STR 34; 1996 UPTC 1160. ....	240
C.S.T. vs. Madhu Chemical Works, Bareilly, [1988] 7 STR 134. ....	241
C.S.T. vs. Mool Chand Gulzari Lal, [2004] 39 STR 223 : 2004 UPTC 71. ....	235
C.S.T. vs. National Sugar Industries, Meerut, [1986] 4 STR 446. ....	242
C.S.T. vs. R.K. Construction Co., Alaipur, Varanasi, [1999] 30 STR 444. ....	238
C.S.T. vs. R.S. Steel Works, Bareilly, [2003] 38 STR 836. ....	236
C.S.T. vs. Rungta and Bros, Tamkuhi Road, Deoria [2003] 37 STR 281 : 2003 UPTC 520. ....	236

<b>C.S.T. vs. S.K. Goel Contractor, [2004] 39 STR 84.</b> .....	236
C.S.T. vs. Samrat Trading Company, Mirzapur, [2001] 34 STR 620. ....	238
C.S.T. vs. Sanjay Traders, [2001] 33 STR 218. ....	237
C.T.T. vs. Tripathi and Sons, Deoria, [1999] 29 STR 327. ....	239
C.T.T. vs. Anil Kumar Sudhir Kumar, [2001] 33 STR 20. ....	238
C.T.T. vs. J.P. Rewa cement, Allahabad, [1999] 30 STR 405. ....	239
Carew and Company Ltd. vs. C.T.T., [1997] 26 STR 453. ....	240
Chandra Brothers vs. State of U.P., [2003] 38 STR 509. ....	236
Chopra Diesel vs. State of U.P. and others, [1994] 19 STR 27; 1994 UPTC 115. ....	240
Dalmia Dairy Industries Ltd. vs. State of U.P., [2003] 38 STR 883. ....	236
Dinesh Crystal, Rampur vs. State of U.P., [2002] 36 STR 535. ....	237
Durga Metal Works (P.) Ltd. vs. A.C. (A) Sales Tax, Gorakhpur, [1999] 29 STR 305. ....	239
Excellent Motors vs. Addl. Commissioner, T.T. Officer, Kanpur, [2004] 39 STR 71. .	235
Gaurav Traders, Kanoon Goyan, Meerut vs. C.S.T., [2002] 35 STR 116. ....	237
Gopal Metal Industries, Mirzapur vs. C.S.T., [1988] 7 STR 13. ....	241
Gujarat Cooperative Milk Marketing Fedration vs. A.C. (A), [2003] 37 STR 230. ....	236, 237
Hira Lal Ratan Lal vs. C.S.T., 2000 UPTC 416. ....	238
Indian Oil Corporation Ltd., Agra vs. C.S.T., [1999] 29 STR 253. ....	239
Indo National Limited vs. State of U.P., 1995 UPTC 924. ....	240
Industrial Cables (India) Ltd. vs. State of U.P. and others, [1997] 25 STR 308 (LB) ....	240
Jagdamba Steel, Kanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 106. ....	235
Jagdamba Steel, Kanpur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 106. ....	235
Jain Sugar Works, Hapur vs. C.S.T., 2000 UPTC 413. ....	238
Jata Shankar Singh, SonBhadra vs. C.T.T., [2003] 38 STR 753 : 2003 UPTC 1043. ....	236
Kundan Lal Shrikishan vs. C.S.T., [1987] 5 STR 425. ....	241
Kunj Behari Mantri & Sons vs. C.S.T., 1994 UPTC 620. ....	240
Matanhelia Trading Co., and another vs. State of U.P., [1999] 30 STR 374. ....	238
Modi Zerox Ltd., Rampur vs. Addl. C.T.T. Moradabad and Another, 2000 UPTC 502. ....	238
Mohini and Company and another vs. T.T.O, Firozabad, [2001] 33 STR 419. ....	237
Moolchand Harish Chand vs. C.S.T., [1994] 20 STR 7; 1994 UPTC 928. ....	240
Munna Lal Sot vs. C.S.T., [1987] 5 STR 572. ....	241
Munna Lal, Roorkee vs. C.S.T., [1997] 26 STR 804. ....	240
Om Traders vs. C.T.T., [2002] 35 STR 309 : 2002 UPTC 646. ....	237
P. Anand & Sons vs. C.S.T. (No. 490/1992), [2004] 39 STR 131 : 2004 UPTC 202... ..	236
P. Anand & Sons, Agra vs. C.S.T., [2004] 39 STR 14. ....	235
Parasher and another vs. Basant Sen Dwarika Das, A.I.R. 1963 SC 1358. ....	241
Pradeep Kumar Pramod Kumar vs. C.S.T., 1994 UPTC 372. ....	240
Prakash Paper House, Allahabad vs. C.S.T., 1987 TLD 167. ....	242
Raj Kamal Biscuit Factory, Kanpur vs. C.T.T., [1999] 30 STR 641. ....	239
Rajesh Agros, Meerut vs. C.T.T., [2002] 36 STR 573 : 2002 UPTC 1069. ....	237
Ram Prakash Naresh kumar, Aligarh vs. C.T.T., [2004] 39 STR 55. ....	235
Ramesh Chand Divesh Kumar, Muzaffar Nagar vs. C.T.T., [1999] 30 STR 364. ....	238
Royal Trading Co. Saharanpur vs. Trade Tax Officer, 2000 UPTC 642. ....	238
Samvat Biscuit and Confectionery Works vs. C.S.T., 1994 UPTC 1144. ....	240
Savitri Khandsari Udyog, Sambhal vs. C.S.T., [1999] 29 STR 134. ....	239
Shakti Udyog, Bijnor vs. C.S.T., [2001] 34 STR 599. ....	237
Shambhu Dayal Gupta Kheda Waley vs. C.T.T., [1997] 25 STR 180. ....	240

Shiv General Industries vs. C.S.T., 1997 UPTC 49. ....	240
Shiv Shakti Traders vs. C.T.T., [2002] 35 STR 304 : 2002 UPTC 665. ....	237
Shyam Babu Vaishya & Co. vs. A.C. Trade Tax, [2004] 39 STR 26 : 2004 UPTC 210.235	
U.P. Co-operative Spinning Mills Ltd. vs. State of U.P., 1997 UPTC 77. ....	241
U.P. Rolling Mills Company Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [2001] 34 STR 506. ....	237
U.P. State Sugar Corporation Ltd. Unit Rampur vs. C.S.T., [2004] 39 STR 51. ....	236
U.P. Sugar Co. Ltd., Padrauna vs. Trade Tax Officer, [1999] 30 STR 390. ....	239
Vijai Kumar Surendra Kumar vs. Sales Tax Officer, [1999] 29 STR 316. ....	239

## धारा 22. भूल का सुधार

Amritsar Oil Works, Agra vs. C.S.T., [2004] 39 STR 101. ....	243
C.S.T. vs. Ashoka Silicate Factory, Kanpur, [2003] 37 STR 83 : 2003 UPTC 121. ....	243
C.S.T. vs. Controller of Stores, N.E.R., Gorakhpur, 1985 TLD 80. ....	246
C.S.T. vs. Essential Oil & Chemicals, Bareilly, [2003] 37 STR 86. ....	243
C.S.T. vs. India Steel Supply Company, [1987] 5 STR 485. ....	246
C.S.T. vs. Indian Explosives Ltd., Kanpur, [2003] 37 STR 32 : 2003 UPTC 363. ....	243
C.S.T. vs. Jalashwar Ram, Gorakhpur, [2003] 38 STR 629. ....	243
C.S.T. vs. Malik General Store, Muzaffamagar, [2001] 34 STR 482. ....	244
C.S.T. vs. Prakash Chandra Narendra Kumar, [2003] 38 STR 63 : 2003 UPTC 843. ....	243
C.S.T. vs. Patel Bechar Bhai Lalu Bhai, Lalitpur, [1999] 30 STR 565. ....	244
C.S.T. vs. R.S. Steel Works, Bareilly, [2003] 38 STR 836. ....	243
C.S.T. vs. Sukh Lal Ice & Cold Storage Co., Jhansi, 1994 UPTC 105. ....	245
C.S.T. vs. Triveni Engineering Works, 1985 TLD 16. ....	246
C.T.T. vs. Anandeshwar Industries, Kanpur, [2003] 37 STR 327 : 2003 UPTC 829. ....	244
C.T.T. vs. Arun Kumar Atul Kumar, Aligarh, [2003] 38 STR 524. ....	243
Charanji Lal Rajendra Kumar Oil Dealer, Babina, Jhansi vs. C.T.T., [1999] 29 STR 231. ....	244
Concrete Spun Pipe Works vs. Sales Tax Officer, Kanpur, (1969) 24 STC 48. ....	244
D.S.M. Group vs. Chairman, T.T. Tribunal, [2002] 36 STR 707 (LB) : 2002 UPTC 955. ....	244
Daulat Industries, Moradabad. vs. C.T.T., 2000 UPTC 928. ....	244
Gujarat Cooperative Milk Marketing Fedration v. A.C. (A), [2003] 37 STR 230. ....	243
Gupta Glass Industries, Hathras vs. C.S.T., [2000] 31 STR 58. ....	244
Hindustan Safety Glass Works, Allahabad vs. C.T.T., [2002] 36 STR 545. ....	244
I.T.C. Agro Tech Ltd. vs. C.T.T., 2000 UPTC 362. ....	244
I.T.C. Agro-Tech Limited vs. C.T.T., [2001] 33 STR 102. ....	244
Indian Herbs Research and Supply Co. vs. C.S.T., [1987] 5 STR 435. ....	246
Kakkar General Stores vs. State of U.P., [1996] 24 STR 144 : 1997 UPTC 56. ....	244, 245
Khedia Brothers, Lalitpur, etc. vs. A.C. (J), Sales Tax, [1999] 29 STR 138. ....	244
Kundan Lal Shrikishan vs. C.S.T., [1987] 5 STR 425. ....	245
L.P. Nagar and Co. vs. C.S.T., 1997 UPTC 51. ....	245
Lakshmi Narain Anand Prakash vs. C.S.T., [1986] 3 STR 81. ....	246
Luxmi Ji Flour and Dal Mills vs. C.S.T., [1987] 5 STR 343. ....	245
Matwala Ram Kishan Chand vs. C.S.T., [1988] 7 STR 433. ....	245
Precise Laboratories Ltd. vs. C.T.T., (2000) 117 STC 226 (All). ....	244
Ram Sewak Coal Depot, Mirzapur vs. C.T.T., [2003] 38 STR 514 : 2003 UPTC 608. ....	243
Rita Ice Cream vs. C.S.T., [2004] 39 STR 166. ....	243
Shree Bhagwati Flour Mills vs. C.S.T., [1997] 26 STR 453. ....	245
Uttarakhand Udyog (P) Ltd. vs. C.S.T., [1994] 20 STR 295; 1994 UPTC 1243. ....	245

**धारा 23. कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी**

Kailash Nath & Others vs. Tota Ram Kanhaiya Lal & Others, 1975 UPTC 164.....	247
Shaw Wallance and Co. vs. Sri Venkateshwaran Bone Mill, (1980) 45 STC 416 (AP).....	247

**धारा 25. भूतलक्षी दिनोंक से विज्ञप्तियाँ जारी करने का अधिकार**

Ashok & Brothers vs. State of U.P., [1997] 25 STR 108 : 1997 UPTC 178.....	249
Pradeep Agarbatti vs. State of Punjab, [1997] 26 STR 857 (SC).....	249

**धारा 28. जाँच चौकियाँ तथा नाके की स्थापना**

C.S.T. vs. Kamal Fuel Industries, Cheppel Street, Meerut, [1999] 29 STR 160. ....	249
Jain Shudh Vanaspati Ltd. vs. State of U.P., 1983 UPTC 198. ....	250

**धारा 28-क. घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना**

Bharat & Company vs. T.T.O., Raksa, Jhansi, [2003] 37 STR 147 : 2003 UPTC 95.....	253
C.S.T. vs. Delhi Calcutta Carrying Corpo., [2004] 39 STR 100 : 2003 UPTC 949. ...	253
C.S.T. vs. Kamal Fuel Industries, Cheppel Street, Meerut, [1999] 29 STR 160. ....	254
C.T.T. vs. Rais Khan, Nagpur, [1999] 30 STR 664.....	253, 254
C.T.T. vs. Subhash Steel Trading Corporation, Jhansi, [2001] 33 STR 59. ....	254
C.T.T. vs. Verma Roadways, Kanpur, [1999] 29 STR 153. ....	254
Electric Foreman (Construction), Agra vs. C.S.T., [1994] 19 STR 42 : 1994 UPTC 189. ...	254
Godhan Singh Tyagi vs. C.T.T., STI 1997 Alld. 355. ....	254
Intelligence Officer of S.T. vs. Yogesh Trading, [2002] 35 STR 275 : 2002 UPTC 315. ....	253
Mohd. Kasim S/o Mohd. Zahoor vs. State of U.P., [2003] 38 STR 449 : 2003 UPTC 625. ....	253
Parry and Company Ltd., New Delhi vs. C.S.T., [2003] 38 STR 894 : 2003 UPTC 742. ....	253
Ranjan Kumar Goel vs. C.T.T., [1998] 27 STR 21.....	254

**धारा 28-ख. राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना**

Ashok Road Lines, Agra vs. C.S.T., [2003] 38 STR 504. ....	255
Bihar Carrying Corporation, Patna vs. C.T.T., [1999] 30 STR 420. ....	255
C.T.T. vs. Assam Bengal Carrier U.P. Border, Ghaziabad, [1999] 30 STR 499. ....	255
C.T.T. vs. Indian Roadways Corporation, U.P. Border, Delhi, [1999] 29 STR 155. ....	255
C.T.T. vs. Mohan Roadlines, Gwalior, M.P., [2001] 34 STR 636. ....	255
C.T.T. vs. Ravi Traders, [2001] 33 STR 373. ....	255
K. Joshi Enterprises vs. State of U.P., 1998 UPTC 202. ....	255
Om Carrying Corporation vs. C.T.T., 2000 UPTC 526. ....	255
Sodhi Transport Company and another etc. vs. State of U.P., [1986] 4 STR 1. ....	256

**धारा 29. धनराशि की तापसी**

Allahabad Wire Drawing Ind. vs. U.P. Small Ind. Corpo., [2003] 38 STR 782. ....	257
Anuj Bricks vs. State of U.P., 2000 UPTC 999.....	258
Baburam Daya Nand Prakash vs. State of U.P., [1997] 26 STR 678. ....	259
Baburam Dayanand Prakash vs. State of U.P., 1997 UPTC 1264. ....	258
Bharat Heavy Electricals Ltd. Sonbhadra vs. State of U.P., 2000 UPTC 557. ....	258
C.S.T. vs. Auraiya Chamber of Commerce, 1986 UPTC 917 (SC).....	259
C.S.T. vs. R.S. Steel Works Bareilly, [1999] 29 STR 241 : 1999 UPTC 767. ....	258
C.T.T. vs. Hindustan Safety Glass Works Pvt. Ltd., Allahabad, [1999] 29 STR 325. ....	259
C.T.T. vs. Sterting Machine Tools, [2000] 31 STR 67 : 2000 UPTC 29. ....	258

D.S. Sugar Industries, Baraut vs. State of U.P., [2002] 36 STR 748 : 2002 UPTC 1096. ....	258
Deys Medical Stores Ltd. vs. C.S.T., [2004] 39 STR 380. ....	257
Hari Ram Seth Khandsari vs. C.S.T., [2003] 38 STR 906. ....	258
Hind Lamps Limited, Shikohabad vs. C.S.T., [2003] 38 STR 641 : 2003 UPTC 971. ....	257
Modi Industries vs. C.S.T., 1982 UPTC 1097. ....	259
R.L. Veerendra & Co. vs. Assessing Officer, [1997] 25 STR 38; 1997 UPTC 114. ....	259
Raj Moti Dal Mills, Hathras vs. S.T.O., [2003] 38 STR 682 : 2003 UPTC 1131. ....	257
Rattanlal Om Prakash vs. C.S.T., [2004] 39 STR 219. ....	257
Shiva Commodities vs. T.T.O. (Check Post), Raksa, [2002] 36 STR 469 : 2002 UPTC 640. ....	258
Starling Machine Tools, Agra, vs. C.T.T., 2000 UPTC 838. ....	258
Tata Refractories Ltd. & another vs. S.T.O. and others, [2003] 37 STR 34 (SC). ....	258
Trade Link India, Ghaziabad vs. T.T.O., [2002] 35 STR 125 : 2002 UPTC 136. ....	258

### धारा 29-क. किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गई धनराशि के वितरण की प्रक्रिया

Abdul Kadar and Company vs. S.T.O., Hyderabad, 15 STC 403 .....	261
Agarwal Enterprises vs. T.T.O. Allahabad, [1997] 26 STR 491. ....	260
Ashoka Batteries vs. C.S.T., [1994] 19 STR 88; 1994 UPTC 462. ....	260
Ashoka Marketing Ltd. vs. State of Bihar, 26 STC 254 .....	261
C.S.T. vs. Auraiya Chamber of Commerce, [1986] 4 STR 178. ....	261
C.S.T. vs. Kumar Aluminium Industries Shahjahanpur, 2000 UPTC 745. ....	260
C.S.T. vs. Kumar aluminium Industries, [2000] 31 STR 71. ....	260
C.S.T. vs. U.P. State Cement Corporation, [1986] 4 STR 480. ....	261
C.T.T. vs. Sterling Machine Tools, [2000] 31 STR 67. ....	260
C.T.T. vs. Sterling Machines Tools, 2000 UPTC 29 .....	260
C.T.T., vs. Rampur Distillery & Chemical Co. Ltd., [1997] 26 STR 517. ....	260
D.C.M. Limited, Daurala Sugar Works, Daurala, Meerut vs. C.T.T., [1999] 30 STR 412. ...	260
D.C.M. Shriram Consolidated Ltd. vs. State of U.P., [2002] 35 STR 140 : 2002 UPTC 65. ....	260
Hira Lal Ayodhya Prasad vs. State of U.P., [2001] 33 STR 97. ....	260
Indian Tarpintine and Rasin Co. Ltd. vs. C.T.T., [1998] 28 STR (Trib) 124. ....	261
Kasturi Lal Har Lal vs. State of U.P. and others, [1987] 5 STR 1 (SC). ....	261
Kheria Brothers vs. Asstt. Comm. (J) Sales Tax, [1995] 22 STR 50 ; 1995 UPTC 593. ....	261
Mangoo Mal Chandra Prakash vs. State of U.P., [1987] 6 STR 339. ....	262
O.D. Industries vs. State of U.P., [1996] 23 STR 125; 1996 UPTC 307. ....	261
R.S. Joshi vs. Ajit Mills, (1977) 4 SCC 98 .....	261
State of U.P. vs. Annapurna Biscuit Manufacturing Co. ....	261
The A.C. (J), Sales Tax vs. Kheria Brothers, [1998] 28 STR 630 (SC). ....	261

### धारा 29-ख. घोषित माल के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति

Om Dal Factory vs. State of U.P., 1996 UPTC 1079. ....	262
Ram Karan Das Anil Kumar vs. C.T.T., 1995 UPTC 54. ....	263

### धारा 30. कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति

Atul Coal Depo vs. C.S.T., STI 1992 (All) 261. ....	265
Badaun Bone Mills vs. C.S.T., 1995 UPTC 237. ....	264
C.S.T. vs. R.P. Dixit Sajhidar, 2000 UPTC 888 (SC). ....	264
Chaudhary Chemicals vs. C.S.T., 1993 UPTC 1146. ....	265



Goenka Overseas Pvt. Ltd. vs. C.S.T., [2001] 33 STR 390. ....	264
Jagdamba Bardana Store vs. C.S.T., 1990 UPTC 12. ....	265
Jakhodia Engineering Works vs. C.S.T., 1993 UPTC 30 : [1993] 17 STR 39. ....	264
Kesharwani Int (Brick), Udyog Varanasi vs. C.T.T., [2003] 37 STR 145 : 2003 UPTC 101. ....	264
Laxmi Kant Pandey, Banda vs. C.S.T., [1999] 29 STR 331. ....	264
Nand Lal Baburi, Chandauli vs. C.T.T., [2002] 36 STR 725 : 2002 UPTC 1107. ....	264
National Steel Works vs. C.S.T., 1992 (23) ATJ 577 : 1992 NTN 153. ....	264
New Iron and Metal Industries vs. C.S.T., [1986] 3 STR 387. ....	265
Sab Chemist vs. C.S.T., 1995 UPTC 571. ....	264
Shiv Narain & Co. vs. C.S.T., [2003] 37 STR 365. ....	264
Shiv Traders, Muzaffarnagar vs. C.S.T., [1997] 26 STR (Art.) pp. 15-20. ....	264

### धारा 32. कतिपय मामलों में शुल्क

Parthi Raj Chandra Birani vs. C.S.T., 1995 UPTC 904 : STI 1995 (All) 196. ....	267
Premier Venyl Flooring Ltd. vs. C.S.T., [1993] 18 STR 370 : 1993 UPTC 1078. ....	267

### धारा 33. वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध

Jhaboo Ram vs. Deputy Collector (Collection), [1987] 6 STR 8. ....	268
Lal Jee and others vs. C.S.T. and others, STI 1993 (All) 77. ....	268
N.C. Jain, Meerut vs. Chief Secretary, Government of U.P., [2001] 34 STR 591. ....	268
Ram Narain vs. Collector and others, 1970 UPTC 143. ....	268
Ram Narain Agarwal vs. State of U.P., STI 1983 (SC) 287. ....	268
Samaria vs. State of U.P., 1981 ATJ 386. ....	268
Praveen Agarwal vs. Deputy Collector, 1994 UPTC 920. ....	268
Vishnu Kumar Gupta and another vs. State of U.P., 1997 UPTC 787. ....	269

### धारा 34. राजस्व को कपट वंचित करने के लिए किये गये अन्तरण को शून्य होना

Ananti Devi vs. Additional Collector, 1970 UPTC 34. ....	269
Anjam Ali vs. Sales Tax Officer (C.P.), 1997 NTN 170. ....	269
Mahngoo Yadav vs. State of U.P., 1987 UPTC 199. ....	269
Manoj Kumar Mishra vs. State of U.P., [2001] 33 STR 127. ....	269

### धारा 35. विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण

Anil Kumar Subzi Beej Bikreta, Varanasi, [2001] 33 STR (Statutes) page 9. ....	270
C.S.T. vs. Super Cotton Bowl Refilling Works, [1989] 9 STR 422 (SC) : 1989 UPTC 489 (SC) : (1989) 73 STC 61 (SC) : 1989 (1) SCC 643 : STI 1989 (SC) 14. ....	271
Gaurav Traders, Pandey Hata, Gorakhpur, [2001] 33 STR (Statutes) page 9. ....	271
J.J. Enterprises vs. C.T.T., [1996] 24 STR 1 : 1996 UPTC 471. ....	271
Hotel Balaji vs. State of A.P., [1993] 17 STR 153 (SC) : 1993 UPTC 318 (SC). ....	271

### धारा 36. किस्त मन्जूर करने का अधिकार

Anand Food Products vs. C.S.T., 1990 STI 257 (All). ....	272
Bilas Tubes Ltd. vs. State of U.P. & Others, 1999 UPTC 1078. ....	272

### धारा 38. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा

Amitabh Textiles Mills Ltd. vs. State of U.P., 1993 UPTC 200. ....	272
Modi Industries Ltd. vs. State of U.P., 1997 35 STI (All) 321 : 1997 NTN 491. ....	272

# उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1948)

उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये

## अधिनियम

चूँकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. छोटा नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश [व्यापार कर] अधिनियम, 1948 कहलायेगा।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सब स्थानों पर लागू होगा।

(3) यह 1 अप्रैल, 1948 से लागू समझा जायेगा।

## महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 5 के अनुसार यदि किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट में यह स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो कि किस तिथि से ऐक्ट लागू होगा, तब संविधान के लागू होने के बाद की तिथि से राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के आफिसियल गजेट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझा जायेगा। *Haji Lal Mohd. Biri Works v. State of U.P.*, (1973) 32 STC 496.

यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 21 केवल परिनियमित संलेखों के बनाने, संशोधित करने, विखण्डित करने या उनमें फेरबदल करने के लिए लागू होती है। इसके अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में संशोधन नहीं किया जा सकता है। *K. Three Electronics Pvt. Ltd., v. Divisional Level Committee*, [2004] 39 STR (Tri) 17.

कर अधिनियम में जो नियम स्पष्ट दिये गये हैं, उनका पालन किया जाना चाहिये। अपने मन से न तो कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। *C.S.T. v. Trilok Nath and Sons*, 1984 UPTC 204.

किसी भी अधिनियम के संवैधानिक होने की अवधारणा है न्यायालय को इसे असंवैधानिक घोषित करने से बचना चाहिये जब तक कि स्पष्टतः यह वैसा न हो। राज्य के लिये न्यायालय को बाधक नहीं बनना चाहिये विशेषकर कर और सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाहियों पर। *Bharat Timbers and another v. State of U.P.*, [2004] 39 STR 1.

## "प्रामिजरी स्टोपेल का सिद्धान्त" (Doctrine of Promissory Estoppel)

उक्त सिद्धान्त विधानमण्डल, सरकार अथवा सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध लागू नहीं होता। *Union of India v. Godrej Phillips India Ltd.* AIR 1986 SC 806 : 1986 UPTC 977.

विभागीय निर्देशों से अदालतें बाध्य नहीं हैं और विधिक प्राविधानों के विरुद्ध कोई स्टोपेल का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। *Bangal Iron Corporation v. C.T.O.*, (1993) 90 STC 47 (SC).

**"न्यायिक टिप्पणी" (Judicial observation)**

अधिकारियों द्वारा वापसी योग्य धनराशि पर देय ब्याज का भुगतान न किया जाना विधान का उल्लंघन है तथा उनके द्वारा विधिक उत्तरदायित्व का अनिर्वहन है। *Rattanlal Om Prakash v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 219.

**"रेस-जुडिकेटा का सिद्धान्त" (Principle of Res-judicata)**

कर अधिनियम में उक्त सिद्धान्त लागू नहीं होता किन्तु गत वर्षों में किसी वस्तु को व्यापारी के हित में समझी गयी हो तो परिस्थितियों व्यापारी के हित में समझी जायेगी। *C.S.T. v. Adarsh Paper Co.*, 1985 UPTC 15 : (1985) 1 STR 156.

**"घोषणात्मक विधान" (Declaratory statutes)**

घोषणात्मक विधान संदेहात्मक स्थितियों को स्पष्ट करते हैं तथा पूर्वगामी प्रभाव के होते हैं। *Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 484.

**Interpretation of statute :**

अधिनियम की व्याख्या करते समय न तो कोई शब्द अलग किया जाना चाहिये न ही कोई शब्द जोड़ा जाना चाहिए। *Vam Organic Chemicals Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 215.

करारोपण तथा करमुक्ति से सम्बन्धित प्राविधान का निरूपण सामान्य रूप में जैसा जाना जाता है उसी रूप में होना चाहिये। *Associated Distributors Ltd., Ghaziabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173.

किसी वस्तु का वर्गीकरण करते समय उत्पादक/निर्माता द्वारा विज्ञापनों में दिया गया विवरण निश्चयात्मक नहीं है—इसके लिये निर्माण प्रयुक्त सामग्री तथा निर्मित वस्तु का उपयोग निर्णायक तथ्य है। *Associated Distributors Ltd. Ghaziabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 78.

**"उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या" Interpretation of decision of Supreme Court**

छोटी पीठ के निर्णय को इस प्रकार लिया जाना चाहिये कि बृहत्तर पीठ के निर्णय से उसका विरोध न हो—छोटी पीठ बड़ी पीठ के निर्णय को उलट नहीं सकती है। *Indian Oil Corporation Ltd. v. State of U.P.*, [2004] 39 STR 269.

**"परिपत्र" (Circular of Commissioner)**

कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र (सरकुलर) विभागीय अधिकारियों के लिये बाध्यकारी है। *C.S.T. v. Dhanraj Dal Mill, Aligarh*, [2003] 38 STR 819.

करमुक्ति देने सम्बन्धी विज्ञप्ति की व्याख्या करने वाले कमिश्नर के परिपत्र अधिकारियों के लिये बाध्यकारी हैं। *Eskay Remedies v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 273.

कमिश्नर के परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी हैं। *Kirloskar Ferrous Industries Ltd. v. Dy. C.C.T.*, [2002] 35 STR 67 (Karn.).

विभागीय परिपत्र व निर्देश अधिनियम के प्राविधानों को समझाने के लिये उचित मार्गदर्शन हो सकते हैं किन्तु जब अधिनियम की भाषा सरल व सपष्ट हो तब उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। *Varghese K.P. v. I.T.O.*, 1981 UPTC 1268 (SC) : (1981) 131 ITR 507 (SC).

**2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात किसी के संदर्भ विषय के विपरीत न हो,—**

- (क) "कर-निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है;

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**कर-निर्धारण अधिकारी**—राज्य सरकार को कर निर्धारण अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। *State of U.P. v. Dull Chand Kali Prasad*, (1968) 22 STC 191. See *Roorki Taxation Bar Association v. Assistant Commissioner (E)*, 1988 UPTC 24.

**कर-निर्धारण अधिकारी**—माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिये सभी कर प्राधिकारी बाध्य हैं। *Indian Iron & Steel Co. Ltd. v. Sales Tax Officer*, (1973) 32 STC 95 : 1972 UPTC 414.

अधिनियम एवं नियमावली में विरोधात्मक तथ्य होने की स्थिति में अधिनियम का पालन किया जायेगा। शासन किसी भी क्षेत्र के लिये कर-निर्धारण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। *State of U.P. v. Dull Chand kashi Prasad*, (1968) 22 STC 191.

**व्यापार**—कागज व प्रिंटिंग का सामूहिक बिल बनाते हुये माल का हस्तांतरण बिक्री समझौता न होकर कार्य सम्पदा है। *C.S.T. v. Saraswati Press, Dehradun*, 1984 UPTC 1105.

यू०पी० ऐक्ट सं० 38/1975 के अन्तर्गत व्यापार की परिभाषा दिनांक 1.3.1973 से विस्तृत किये जाने के कारण अप्रयोज्य, खराब मशीनरी तथा उसके पूर्ण, स्क्रेप व वेस्ट की आकस्मिक व पूरक बिक्री को व्यापार समझा जायेगा। *C.S.T. v. India Tobacco Co.*, 1983 UPTC 157.

जाब वर्क के लिये फार्म 31 के आधार पर आयात नहीं किया जा सकता क्योंकि जाब वर्क व्यापार नहीं है अतः फार्म 31 प्रदान न किया जाना विधि अनुकूल है। *Vishwanath Jhumghumwala, Varanasi v. State of U.P.*, 1986 UPTC 1028.

मात्र वस्तुओं की खरीद 'व्यापार' समझा जायेगा। *C.S.T. v. New Prakash Hotel*, 1981 UPTC 1115.

**अधिकार क्षेत्र**—नियमावली के नियम 3(1) में व्यापार-कर अधिकारी के नियुक्त होने पर सभी व्यापारी जो उसकी सीमा में व्यापार करते हैं, पर कर-निर्धारण अधिकारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। *Shyam Manohar Dutt v. Sales Tax Officer*, 1970 UPTC 88.

व्यापार कर अधिकारी (सचल दल) कर निर्धारण अधिकारी है। *C.S.T., v. Sterling Machines Tools*, (1983) 53 STC 90 (All); 1983 UPTC 300.

यदि एक मंडल में कई अधिकारी कार्यरत हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र आयुक्त व्यापार-कर द्वारा निर्धारित होना चाहिये। *C.S.T. v. Sarju Prasad Ram Kumar*, (1976) 37 STC 533 (SC).

**अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता**—अधिकार क्षेत्र का नियम प्रोसीजरल नहीं है। *C.S.T. v. Sadanand Arhtl*, 1979 UPTC 816.

**कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी कोर्ट नहीं है**—अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी समान अधिकार का प्रयोग करने के कारण मात्र अर्द्ध न्यायिक अथारिटी है। *C.S.T. v. Person Tools and Plants, Kanpur*, (1975) 35 STC 413 (SC); *State of Orissa v. Chako Bhai Ghela Bhai & Co.*, (1960) 11 STC 716 (SC); *C.S.T. v. Kanpur Dal & Rice Mills*, (1970) 25 STC 511; *Jagannath Prasad v. State of*

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रणाली 1.11.1978)।

U.P., AIR 1963 SC 416; *Ujjam Bai v. State*, AIR 1979 SC 1621; *Agarwal and Brothers v. C.S.T.*, 1974 UPTC 48.

<sup>1</sup>[(क-1) "अपील सुनने वाला अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे धारा 9 के अधीन अपील की जा सकेगी];

[प्रयोजनार्थ नियम 65 देखें]

(कक) "व्यापार" माल खरीदने या बेचने के व्यापार के सम्बन्ध में, व्यापार के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :

- (1) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाई जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं; <sup>1</sup>[ \* \* \* ]
- <sup>2</sup>[(2) किसी पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल को प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो); और
- (3) संयन्त्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल अथवा कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन या उसके किसी हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या चीजन या उसमें से कोई भी चीज, खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो ]:

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है, जिसमें माल खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो ;

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कैन्टीन के द्वारा कर्मचारियों को माल की बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत क्रय विक्रय की श्रेणी में आता है। *C.T.T. v. British India Corporation Ltd., Kanpur*, [2003] 38 STR 608.

नई इकाई स्थापित करने हेतु क्रय की गई सामग्री बेच दी गई क्योंकि व्यापारी ने इसे स्थापित करने का इरादा बदल दिया। प्रश्नगत बिक्री व्यापार से सम्बन्धित नहीं कही जा सकती है तथा ऐसे विक्रेता को व्यापारी नहीं कहा जा सकता है। *C.S.T. v. Jain Steel & Alloys Ltd. etc., Hapur*, [2003] 38 STR 832.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द "और" निकाल दिया गया (प्रभावी 13.9.1985)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 13.9.1985)।

उ०प्र० वाटर सप्लाई तथा सीवेरेज एक्ट 1975, के अन्तर्गत गठित जल संस्थान द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का शुद्धीकरण करने के उपरान्त क्लोराइन का मिश्रण करके जनसामान्य को उसकी आपूर्ति किया जाना व्यापारिक क्रिया कलाप नहीं है। *C.S.T. v. Mahaprabandhak Jal Sansthan*, [2001] 34 STR 471 : 2000 UPTC 1000.

किसी संस्था का मुख्य कार्य यदि व्यापार नहीं है तब आकस्मिक बिक्री को व्यापार नहीं समझा जा सकता, जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि व्यापार करने का उद्देश्य निहित था। *State of Tamil Nadu v. Board of Trustees of the port of Madras*, [1999] 29 STR 281 (SC).

अप्रयोज्य कोयले की बिक्री व्यापार है तथा कर योग्य है। *C.S.T. v. Peekays Pharmaceuticals*, [1989] 9 STR 114 : 1989 UPTC 220.

काउन्टर्स बिक्री में प्रमुख उद्देश्य खाद्य पदार्थ की बिक्री है न कि सेवा, अतः करयोग्य है। *Refreshment Centre, Meerut v. C.S.T.*, [1990] 11 STR 203 : 1990 UPTC 334.

व्यापारी द्वारा रद्दी कागज की बिक्री पर कर देय है। *Govt. of India v. C.S.T.*, [1989] 9 STR 453.

दिनांक 1-3-73 से पूर्व पुरानी व अप्रयुक्त वस्तु कर योग्य नहीं थी। *Raza Textiles Ltd. v. C.S.T.*, [1990] 12 STR 310; 1991 UPTC 175.

व्यापार—इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा यदा कदा पुरानी टूटी गाड़ियों की बिक्री व्यापार की श्रेणी में न होने के कारण कर आरोपित नहीं किया जा सकता। *Oriental Fire and General Insurance v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 315.

क्षतिग्रस्त गाड़ियों का बीमा कम्पनी द्वारा विक्रय—बीमा कम्पनी क्षतिग्रस्त गाड़ियों का विक्रय करने से व्यापारी नहीं हो सकती है। अतः स्कूप गाड़ियों के विक्रय के सौदे बीमा कम्पनी द्वारा किये जाने पर बीमा कम्पनी पर बिक्री—कर नहीं लगाया जा सकता। *United India Fire & General Insurance Co. v. C.S.T.*, 1987 UPTC 20 (LB).

जनरल बीमा कम्पनी का मुख्य कार्य अपने ग्राहकों की सेवा करना है, न कि माल की बिक्री व खरीद करना है। इसलिये बीमा कम्पनी व्यापारी नहीं है तथा उसके द्वारा क्षतिग्रस्त मोटर का बेचना व्यापार की परिभाषा में नहीं आता। अतः बिक्र—कर देय नहीं है। *Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd. v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 315.

रेलवे द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री जिन को प्राप्त व छुड़वाया नहीं गया, व्यापार नहीं है। *Cementation Patel (Durgapur) v. C.S.T. West Bengal*, (1981) 47 STC 385 (Cal).

इन्श्योरेंस कम्पनी व्यापारी नहीं है। *The New India Assurance Co. v. Dy. C.T.O. Madras*, (1972) 29 STC 539 (Mad); *Indian Insurance Co. Association v. Dy. C.T.O., Madras*, (1969) 24 STC 79 (Mad); *Oriental Fire General Insurance Co. v. C.S.T.*, (1986) 3 STR 315.

अप्रयोज्य वस्तु तथा आईरन स्कूप की बिक्री जो रेलवे द्वारा की जाती है, व्यापार है। *District Controller of Stores, N.R., Jodhpur v. Assistant Commercial Taxation Officer*, (1976) 37 STC 385. परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *State of Tamil Nadu v. Burnah Shell Oil Storage and Distributing Co. of India Ltd.*, (1973) 31 STC 426 (SC) में दिये गए निर्णय का अनुपालन आवश्यक है।

कैन्टीन द्वारा की गई बिक्री कर योग्य नहीं है। *M/s. The Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur v. C.S.T.*, 1980 UPTC 1.

होटल व रेस्ट्रों द्वारा की गई बिक्री कर योग्य नहीं है। *Northern India Caterers v. Lt. Governor of Delhi*, 1980 UPTC 326.

स्थिर पूंजी व बन्द व्यापार पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। *C.S.T., v. Vasudeo Rao*, (1981) 48 STC 447 (MP).

<sup>1</sup>[(ख) "कमिश्नर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर व्यापार कर से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार कर के अपर कमिश्नर, <sup>2</sup>[या संयुक्त कमिश्नर] भी हैं;

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

उ०प्र० व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2003 के द्वारा "संयुक्त कमिश्नर या उप कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या संयुक्त कमिश्नर" रखा गया तथा इसे दि० 18.10.2002 से प्रभावी किया गया।

**कमिश्नर**—अधिकारों का प्रतिनिधायन के साथ कर्तव्यों का प्रतिनिधायन भी सम्मिलित है। *Dula Ram Panna Lal v. Assistant Commissioner, Sales Tax*, (1963) 14 STC 675.

<sup>1</sup>[(खख) "व्यापार कर" का तात्पर्य यथास्थिति, माल की बिक्री या खरीद पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर से है;]

<sup>2</sup>[(ग) "व्यापारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश में (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :

- (1) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन), जो ऐसा व्यापार करता है;
- (2) कोई मध्यवर्णिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता (मर्केंटाइल एजेन्ट) चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो, और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;
- (3) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है, चाहे इच्छुक क्रेता की प्रस्थापना उसके द्वारा स्वीकार

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 14.5.1994)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "संयुक्त कमिश्नर या उप कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

- की जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकित द्वारा;
- (4) कोई सरकार जो, चाहे व्यापार के दौरान या अन्यथा, नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;
- (5) प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के बाहर से निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है—
- (क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथापरिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता; या
- (ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के लेखों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता; या
- (ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रतिभू;
- (6) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय;
- [(7) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है;
- (8) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद/आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है :];

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे कृषि या औद्योगिक उपज का, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया गया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग बन्धकदार, कार्तकार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुङ्कुट या पशुओं से कुङ्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी नहीं समझा जायगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 13.9.1985)।



### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

'असोसिएशन आफ परसन्स' (व्यक्तियों का समुदाय) बनाने के लिये आवश्यक है कि उसके सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ किसी उद्देश्य के लिये जुड़े हों। *Rana & Company, Allahabad v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 21.

**व्यापारी**—नई इकाई स्थापित करने हेतु क्रय की गई सामग्री बेच दी गई क्योंकि व्यापारी ने इसे स्थापित करने का इरादा बदल दिया। प्रश्नगत बिक्री व्यापार से सम्बन्धित नहीं कही जा सकती है तथा ऐसे विक्रेता को व्यापारी नहीं कहा जा सकता है। *C.S.T. v. Jain Steel & Alloys Ltd. etc., Hapur*, [2003] 38 STR 832.

**व्यापारी**—डाट द्वारा टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवश्यक उपकरण प्रदान करके उसे एक्सचेंज से जोड़कर सेवा देना तथा रेंटल वसूल करना बिक्री है तथा "डाट" व्यापारी की श्रेणी में आता है। *State of U.P. v. Union of India*, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC).

किसी व्यक्ति को मात्र इस आधार पर साझीदार नहीं माना जा सकता कि उसने दूसरे का परिचय बैंक से करवाया था। *C.S.T. v. S/s. Educational Enterprises*, [2001] 34 STR 638.

**व्यापारी**—करदाता का मुख्य क्रिया कलाप शिरडी के साईबाबा के सन्देश का प्रचार प्रसार है—ऐसे संदेशों वाली पुस्तकें एवं सामग्री की आपूर्ति मुख्य क्रिया कलाप की सहायक क्रिया है। जब मुख्य क्रिया कलाप ही व्यवसाय की श्रेणी में नहीं है तो सहायक क्रियाएँ व्यापारिक क्रिया कलाप नहीं हो सकतीं जब तक कि उन्हें स्वतंत्र रूप से न किया जाय। न्यास को व्यापारी तथा आपूर्ति को व्यवसाय नहीं माना गया। *Commissioner of Sales Tax v. Sai Publication Fund*, [2002] 35 STR 250 (SC) : 2002 UPTC 335 (SC).

**व्यापारी**—कच्चा आदती व्यापारी की श्रेणी में आता है। तौल करने वाला व्यक्ति 'व्यापारी' नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसका कोई भी अधिकार माल के क्रय-विक्रय पर नहीं होता है। वह केवल माल की तौल करता है। *Anand Saran Anoop Saran v. C.S.T.*, 1976 UPTC 628.

न्यायाधिकरण का अनुसंधान कि "काश्तकार" धारा 2(ग) के अन्तर्गत व्यापारी नहीं हो सकता विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया और आम तौर से नहीं मंजूर किया जा सकता। व्यापारी होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति क्रय तथा विक्रय के कार्यों में अवश्य लगा हुआ हो। विक्रय स्वयं यह सिद्ध करता है कि व्यापारी व्यापार कर रहा है। *Progressive Enterprises, Bajpur, Nainital v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 242.

**व्यापारी कौन है** : देखें *C.S.T. v. D.C. Dhawan & Co.* (1970) 25 STC 12 (SC); *M/s. Sarjoo Prasad Pitam Lal v. Judge Revision*, (1963) 14 STC 884 (All); *State of A.P. v. H. Abdul Bashir & Bros.*, (1964) 15 STC 644 (SC).

टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त शुल्क पर कर निर्धारण में निहित मूल प्रश्न कि क्या भारत सरकार व्यापारी है, भारत सरकार द्वारा खरीद एवं बिक्री न किये जाने के कारण "व्यापारी" की श्रेणी में नहीं है। *Union of India and Another v. State of U.P. and Another*, [1999] 29 STR 207.

यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 7(3) के अन्तर्गत दी गई नोटिस के उत्तर में यह दावा किया गया कि वह व्यापारी नहीं है, अधिकारी निर्णय लेने के लिये सक्षम है। *Pawa Brokers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1990] 11 STR 248; 1990 UPTC 407.

व्यापारी की परिभाषा में शब्द "व्यक्ति" के होने के कारण व्यक्ति भी व्यापारी की श्रेणी में माना जायेगा। *Guru Bux Cycle Works, Hapur v. C.S.T.*, [1990] 12 STR 285; 1991 UPTC 46.

किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाला कार्य व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, तथ्यों की जांच किये जाने पर आधारित है। *City Booking Agency v. State of U.P.*, [1990] 12 STR 277; 1990 UPTC 1294.

यदि तेल निकालने वाला खरीद एवं बिक्री करता है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी है परन्तु यदि वह तेल के लिये भुगतान प्राप्त करता है तब ऐसा कार्य मजदूरी पर होने के कारण अधिनियम की परिधि से बाहर है। *Progressive Enterprises v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 242; 1988 UPTC 90.

कोर्ट द्वारा नियुक्त 'रिसीवर' व्यापारी नहीं है। *Murra Lal Shukla v. State of U.P.*, 1983 UPTC 289.

विद्युत बोर्ड जो बिजली का उत्पादन वितरण एवं बेचने का कार्य करता है व्यापारी है। *C.S.T. v. M.P. Electricity Board*, (1970) 25 STC 188 (SC).

कमीशन एजेंट : *Tara Chand Kalloo Ram v. Sales Tax Officer*, (1962) 13 STC 957.

डेल ग्रेडर एजेंट : *Gurmukh Rai Radhey Prasad v. State of Bihar*, (1970) 25 STC 70 (Pat.); *Bengal Cement Co. v. State of Mysore*, 1976 UPTC 208 (SC).

1[(ग-1) "कारोबार का स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान, जहाँ कोई व्यापारी कारोबार करता है, से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

- (1) कोई दुकान, भण्डारागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान जहाँ व्यापारी अपने माल का भण्डारण करता है;
- (2) कोई स्थान जहाँ कोई व्यापारी माल का उत्पादन या निर्माण करता है;
- (3) कोई स्थान जहाँ कोई व्यापारी अपनी लेखा बही रखता है;
- (4) कोई स्थान जहाँ कोई व्यापारी संकर्म संविदा निष्पादित करता है या जहाँ माल के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है;
- (5) किसी भी मामले में जहाँ कोई व्यापारी किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान:]

1[(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा के निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुयें और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों, और जिन्हें बिक्री के संविदा के अधीन पृथक् करने का अनुबन्ध हो, किन्तु इसके अन्तर्गत

अनुयोज्य दावा, स्टॉक, शेयर, प्रतिभूति या डाक विभाग द्वारा बेची गई डाक लेखन सामग्री नहीं है]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**वस्तु**—टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक उपकरण तार तथा केबुल गुड्स की श्रेणी में आते हैं। *State of U.P. v. Union of India*, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404.

**वस्तु**—मीडिया चाहे वह कम्प्यूटर डिस्क, पुस्तक अथवा कैसेट के रूप में हो यदि वह सूचना तकनीक, उसकी डिजाइन या ड्राइंग से सम्बन्धित है, वस्तु की श्रेणी में आती है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, [2002] 35 STR 192 (SC).

**वस्तु**—ड्राइंग, डिजाइन, मैनुअल जो मशीनरी तथा औद्योगिक तकनीक से सम्बन्धित है कागज अथवा कैसेट पर आने के पश्चात् वस्तु बन जाती है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, [2002] 35 STR 192 (SC).

ड्राइंग, प्लान, मैनुअल विधि मान्य रूप से वस्तु है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, [2002] 35 STR 192 (SC).

बिना समझीते के, पेड़ की बिक्री वस्तु नहीं है। *C.S.T. v. B.M. Wood Works, Alld.*, 1971 UPTC 145.

कटा हुआ पेड़ अचल सम्पत्ति नहीं है अतः कर योग्य है। *George P. Mathew v. State of Kerala*, (1979) 43 STC 438 (Kerala).

बिजली व जानवर 'वस्तु' की श्रेणी में आते हैं। *C.S.T. M.P., Indore v. M.P. Electricity Board*, (1970) 25 STC 188 (SC) ; *K. Srinivasalu Co. v. Dy. C.T.O. Nellore*, (1975) 35 STC 262 (A.P.)

- (घ-1) "घोषित माल" का तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 द्वारा अन्तर्राज्यीय (Inter State) व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल से है ;]
- (ङ) "आयातकर्ता" का तात्पर्य किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे व्यापारी से है जो राज्य में माल का आयात किये जाने के पश्चात् प्रथम बार उसकी बिक्री करे;
- (ञ-1) "निर्माण" का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्य प्रकार से प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलित करने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा निर्माण या निर्माण विधा नहीं है जो निर्धारित की जाय,

### [प्रयोजनार्थ नियम 8-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**निर्माण**—अधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष अंकित किया गया कि सफेद रंग में स्टेनर्स का मिश्रण करने के बाद एक नया उत्पाद निर्मित हुआ यह तथ्यात्मक निष्कर्ष है जिसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न दिये जाने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। *Kumar Paints and Mill Stores, Meerut v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 810.

हर प्रकार की प्रक्रिया से निर्माण नहीं होता। हर बदलाव निर्माण नहीं है। बोर्डर्स को तोड़कर गिट्टी बनाना निर्माण की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इससे कोई नई वस्तु अस्तित्व में नहीं आता है। *State of Maharashtra v. Mahalaxmi Stores*, [2003] 37 STR 28 (SC) : 2003 UPTC 453.

आइरन स्कैप, जो डिफेक्टिव एंगिल आदि के रूप में था, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, जिससे उसका प्रयोग रोलिंग मिल तथा फाउण्डरी में हो सके, म०प्र० बिक्रीकर अधिनियम की धारा 2 (जे) के अंतर्गत निर्माण की श्रेणी में आता है। *Ashirwad Ispat Udyog and others v. State Level Committee*, [1999] 29 STR 6 (SC).

ट्रान्सपोर्टर पर पारेषण विक्रेता अथवा पारेषण क्रेता की पहचान सुनिश्चित करने का भार नहीं है और यदि पारेषिती का पता न लगाया जा सके तो सामान्यतया ट्रान्सपोर्टर को आयातकर्ता नहीं माना जा सकता। *M/s. Moradabad Transport Company, Moradabad v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 228.

ग्रेडिंग तथा कटिंग के कारण आइरन तथा स्टील स्कैप का निर्माण माना जाना किसी वाद के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित होगा। *C.S.T. v. Ashoka Steel Corporation, Aligarh*, [1999] 29 STR 270.

अपीलार्थी ने कर प्रदत्त अलसी तेल, अन्डी (एरण्ड) तेल तथा सरसों तेल खरीद कर एक निश्चित प्रक्रियात्मक प्रणाली के अन्तर्गत उसका शोधन किया—कमिश्नर ने धारा 35 के आदेश द्वारा शोधित तेल की बिक्री पर 4% का कर दायित्व निर्णीत किया—उच्चतम न्यायालय ने शोधन की प्रक्रिया से प्राप्त शोधित तेल को निर्माण किया हुआ माना तथा कमिश्नर एवं उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। *M/s. B.P. Oil Mills Ltd. v. Sales Tax Tribunal*, [1998] 28 STR 477.

पुराने गहने की मरम्मत व सफाई निर्माण की परिभाषा में नहीं आती। *Attar Singh Sarraf v. C.S.T.*, [1998] 27 STR 162.

बड़े ड्रम में से छोटी पैकिंग करके वस्तु के बेचे जाने की स्थिति में वस्तु का निर्माण नहीं होता। *Sapna Latex Manufacturing Works v. C.S.T.*, 1997 UPTC 1223.

पुराने वाहनों में प्रयोज्य व अप्रयोज्य पार्ट यदि अलग किया जाता है तो उसे निर्माण समझा जायेगा। *C.S.T. v. Scrap India*, 1995 UPTC 409 : [1995] 22 STR 40.

यदि टिन शीट क्रय कर, विभिन्न नाप में काटकर, निर्देशित सामग्री छापी जाती है तो उसे निर्माण समझा जायेगा क्योंकि भिन्न वस्तु का सृजन किया गया। *J.J. Enterprises v. C.S.T.*, 1995 UPTC 1347.

जाब पर किया कार्य सेवा है अतः उसे व्यापार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। *Vishwanath Jhunjhunwala v. State of U.P.*, 1996 UPTC 1028 : [1996] 24 STR 127.

<sup>1</sup>[(डड) "निर्माता" किसी माल के सम्बन्ध में, निर्माता का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (1) ऐसा व्यापारी जो ऐसी साइकिलें बेचता है जिसके पुर्जे पूर्णतया अलग-अलग हों,
- (2) ऐसा व्यापारी जो किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, जो ऐक्ट

की धारा-4, 4-क और 4-ककक के अधीन छूट प्राप्त बिक्री से भिन्न, अपनी बिक्री पर कर का देनदार न हो, खरीद करता है।]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से धारा 2(ईई) में संशोधन करके कृषकों के उद्यान उत्पाद की बिक्री करने वाले कमीशन एजेन्ट को काल्पनिक निर्माता मानकर उनपर करारोपण करने का विधान असंवैधानिक नहीं है तथा उसके क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया परिपत्र दिनांक 13.12.2001 अविधिक नहीं है। *Bharat Timbers and another v. State of U.P.*, [2004] 39 STR 1.

कृषक का कृषि उत्पाद एवं उद्यान-उत्पाद की बिक्री करने वाला कमीशन एजेन्ट 'निर्माता' है तथा उसके द्वारा की गई ऐसी बिक्री पर करदेयता है। *Kisan Timber Broker, Pilibhit v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 876 : 2003 UPTC 1242 (SC).

राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में तेंदू पत्तों का चुनना, एकत्र करना व पैक करना व्यापारी को निर्माता की श्रेणी में नहीं रखता है। *C.S.T. v. Sant Kumar & Co. Tendu Patti, Vyapari, Lalitpur*, [2003] 37 STR 91 : 2003 UPTC 270.

प्रकाशक व्यापारी द्वारा मुद्रक को कागज दिया गया। कागज की रद्दी व कटिंग मुद्रक द्वारा वापस नहीं किया गया। प्रकाशक पर फार्म 31 से मंगाये गये कागज की मुद्रण हेतु न भेजी गयी मात्रा निर्धारित करने के पश्चात करयोग्य विक्रयधन निश्चित करना चाहिये। *M/s Allahabad Law Agency v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 423.

उ० प्र० तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 एवं उ० प्र० व्यापार कर अधिनियम, के प्राविधानों के समन्वय के उपरान्त व्यापारी को तेंदू पत्ता का निर्माता नहीं माना गया है। *C.S.T. v. Patel Bechar Bhai Lahu Bhai, Lalitpur*, [1999] 30 STR 565.

जंगल से तेन्दु पत्ता एकत्रित करने वाला व्यापारी, निर्माता नहीं है। *C.S.T. v. Damodar Das & Sons*, [1997] 25 STR 239; *Anil Kumar v. C.S.T.*, 1997 UPTC 908.

(ब) "निर्धारित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये हुये नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है;

(घ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

[प्रयोजनार्थ नियम 3(1) देखें]

(छ) "क्रय मूल्य" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल की खरीद के निमित्त दिये गये अथवा देय मूल्यवान प्रतिफल से है, जिसमें से वह धनराशि निकाल दी जायेगी, जो व्यवसाय के प्रथानुसार विक्रेता द्वारा नकद कटौती के रूप में दी गई हो, तथा इसके अन्तर्गत विक्रेता द्वारा सम्प्रदान के समय अथवा उससे पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गयी कोई धनराशि भी है, सिवाय भाड़े अथवा सम्प्रदान के व्यय के अथवा प्रतिष्ठान के व्यय के, जबकि ऐसा व्यय पृथक् रूप से लिया गया हो,

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

• धारा 2(जीजी)—क्रय मूल्य—शासन के आदेशानुसार लीसा की खरीद पर क्रेता ने रु० 5 प्रति क्विंटल का भुगतान जिला परिषद को किया। इसे क्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता है। *C.S.T. v. Indian Terpentine and Rosin Co., Bareilly*, [2004] 39 STR 216.

परिवहन व्यय एवं जंगल से बीजों को एकत्रित किये जाने में हुये व्यय को क्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। *Durgey Associate v. C.S.T.*, 1994 UPTC 303; [1993] 17 STR 66.

उत्पादन शुल्क का भुगतान निर्माता द्वारा किये जाने के उपरान्त यदि शासन द्वारा वापस कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसे विक्रय धन का अंश नहीं समझा जा सकता। *Indian Aluminium Cables Ltd. v. C.S.T.*, 1994 UPTC 610.

एक्सपोर्ट ड्यूटी विक्रय मूल्य का भाग होने पर विक्रय धन में से घटाया नहीं जा सकता। *Simbholi Industries v. C.S.T.*, 1994 UPTC 1057.

उत्पादन शुल्क यदि वसूला नहीं गया है तो उस व्यापारी के विक्रय धन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। *Simbholi Industries v. C.S.T.*, 1994 UPTC 1076.

**(छछछ) "पंजीकृत व्यापारी" का तात्पर्य धारा 8-क के अधीन पंजीकृत व्यापारी से है;**

**1[(ज) 'बिक्री' का, उसके व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पदों सहित तात्पर्य ऐसे माल के स्वामित्व के (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) अन्तरण से है जो नकद रुपये या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:**

- (1) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के स्वामित्व का, संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में, अन्तरण;
- (2) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);
- (3) अवक्रय या किस्तों में भुगतान की किसी प्रणाली के आधार पर माल का परिदान करना;
- (4) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार का (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) अन्तरण;
- (5) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी अनिगमित संघ (एसोसियेशन) या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्भरण; और

- (6) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से माल का, जो मानव उपभोग के लिये खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय हो (चाहे मादक हो या नहीं), सम्भरण जहाँ ऐसा सम्भरण या सेवा नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो];

<sup>1</sup>[स्पष्टीकरण-1—निम्नलिखित मामलों में कोई बिक्री या खरीद राज्य में हुई समझी जायगी:—

- (1) उपखण्ड (2) के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में, इस बात के होते हुए भी कि संकर्म संविदा के लिये करार पूर्णतः या भागतः राज्य के बाहर किया गया हो, यदि संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या अन्य किसी रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण के समय ऐसा माल राज्य में हो;
- (2) उपखण्ड (4) के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में, इस बात के होते हुए भी कि पट्टे के लिये करार राज्य के बाहर किया गया हो या पट्टेदार को माल राज्य के बाहर दिया गया हो, यदि पट्टेदार द्वारा किसी अवधि के दौरान राज्य के भीतर माल का उपयोग किया जाता है ॥

<sup>2</sup>[स्पष्टीकरण-2—इस ऐक्ट में दी गई किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित दशाओं में, दो स्वतंत्र बिक्री या खरीद इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये, हुई समझी जायेगी—

- (क) जब माल मालिक से उसके विक्रय अभिकर्ता को, और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को आन्तरित किया जाये, या
- (ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को, और क्रय अभिकर्ता से उसके मालिक को अन्तरित किया जाये, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता ने उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में—
  - (1) माल का विक्रय एक दर पर किया है और अपने मालिक को विक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया है, या
  - (2) माल का क्रय एक दर पर किया है और उसे अपने मालिक को उसे दूसरी दर पर आगे बढ़ाया है, या
  - (3) अपने मालिक की ओर से की गई बिक्री या खरीद में उसके द्वारा किए गए सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने मालिक को नहीं दिया है, या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया (दि० 13.9.1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा)।  
 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया (दि० 28.9.1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा)।

(4) किसी फर्जी या अविद्यमान मालिक के लिये कार्य किया है ]:

**महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा**

**बिक्री**—ग्राहक को सिम कार्ड देना तथा एक्टिवेशन चार्ज वसूल करना करयोग्य सेवा में आता है। *Escotal Mobile Communications Ltd. v. Union of India*, [2002] 36 STR 446 (Ker).

जब आपतत: बिक्री अन्तरप्रान्तीय पाई जा रही है। स्थानीय विधान के अन्तर्गत उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता है। *Guljag Industries Ltd. v. State of Rajasthan*, [2003] 38 STR 568 (Raj.)

सम्प्रेषिती का नाम माल पाने वाले के स्थान पर यदि किया गया है तो उसके विरुद्ध किसी कर की बकाया धनराशि की वसूली हेतु अभिग्रहीत माल जमानत जमा किये जाने के बाद भी अधिकारी द्वारा रोका जा सकता है। *Bharat & Company v. T.T.O., Sahayta Kendra, Raksa, Jhansi*, [2003] 37 STR 147 : 2003 UPTC 95.

शिक्षण संस्था द्वारा स्टेशनरी कापी, टाई तथा बेल्ट खरीद कर उस पर अपना इम्ब्लेम लिखवाया गया। संस्था द्वारा इसे परीक्षा हेतु खरीद बताई गई। इससे यह नहीं सिद्ध पाया गया कि यह वस्तुयें बिक्री की गई। *C.T.T. v. Jakir Jussain Modern H. Sec. School, Dodhpur, Aligarh*, [2001] 33 STR 77.

बोरों में अनाज की बिक्री की गई तथा क्रेता से बोरों के लिये कोई चार्ज नहीं लिया गया। बारदाना की बिक्री अवधारित करके उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता। *C.T.T. v. S/s Pramod Dal & Oil Mills*, [2001] 33 STR 235.

मिठाई नमकीन चाय बिक्रेता द्वारा सेवा कार्य के आधार पर करमुक्ति का दावा किया गया—व्यापारी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में दिये गये तथ्यों पर अधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णीत किया कि सम्यवहार में सेवा तत्व नहीं था। कर निर्धारण उचित पाया गया। *M/s. Onkar Nath v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 298.

कैन्टीन के द्वारा कर्मचारियों को भोजन की आपूर्ति बिक्री है और करयोग्य है। *C.S.T. v. Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur*, [2001] 33 STR 440.

फर्म के पार्टनरों के मध्य उत्पादित ईटों का वितरण बिना नगद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये, होने के फलस्वरूप 'बिक्री' नहीं समझी जा सकती। *M/s Ansar Brick Works v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 514.

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद बरेली द्वारा संविदा के अन्तर्गत सीमेन्ट की पूर्ति की गई तथा उसका मूल्य ठेकेदार के दायको में से काट लिया गया। सीमेन्ट की सप्लाई 'व्यापार' है तथा बिक्री करयोग्य है। संविदा के प्रस्तर 11 से स्पष्ट है बिक्री बची हुई सीमेन्ट के वापस होने पर ठेकेदार को एक निश्चित मूल्य मिलना था। *Dy. Director (Construction) Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad Bareilly v. Trade Tax Department, Bareilly*, 2000 UPTC 966. **Followed** : (i) *N.M. Goyal & Co. v. Sales Tax Officer, Rajnandgaon*, 1990 UPTC 865 (ii) *Executive Engineer Electricity Const. Division. U.P.S.E.B. v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 97 : 1994 UPTC 438 and (iii) *M/s. U.P. State Sugar Corporation Ltd. v. C.S.T.*, [1997] 25 STR 229 : 1997 UPTC 1092.

संविधान के छियालिसवें संशोधन एवं तदनुरूप राज्य बिक्री कर विधि में संशोधन के फलस्वरूप ग्राहकों को भोजन एवं पेय पदार्थ की आपूर्ति कर योग्य है। *M/s K. Damodaraswamy Naidu & Bros. etc. etc. v. The State of Tamil Nadu & Another*, [1999] 30 STR 685 (SC) : [2000] 117 STC 1 (SC) : STI 1999 (SC) 93.



रेस्टोरेंट में ग्राहक को भोजन की आपूर्ति बिक्री है अथवा सेवा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्यवहार का मूलभूत उद्देश्य क्या था—प्रश्न तथ्यपरक है एवं कोई विधिक बिन्दु नहीं उत्पन्न होता है। *Madhu Restaurant, Bagh Muzaffar Khan, Agra v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 442.

शीतल पेय निर्माता द्वारा क्रेट बोतल में पेय की आपूर्ति क्रेट बोतल का किराया पेय निर्माता के विक्रय धन का भाग नहीं। *C.S.T. v. S/s. Actuas Victuous Pvt. Ltd., Bareilly*, [1999] 30 STR 630.

ग्राहकों को मिनरल वाटर की आपूर्ति बिना शुल्क किये जाने के कारण कर देय नहीं है और वह विक्रयधन का अंश नहीं समझा जा सकता। पूर्व व्यापार कर अधिकरण का समान बिन्दु पर निर्णय वर्तमान पीठ के लिये मान्य व बाध्य है। *M/s. Hotel Clark Shiraz, Agra v. C.T.T.*, [1998] 28 STR (Trib.) 116.

होटल एवं रेस्तरां द्वारा भोजन, मृदु पेय की आपूर्ति से प्राप्त धनराशि 3 फरवरी, 1983 से पूर्व विक्रय-लज्जन का अंश नहीं माना जा सकता। *C.S.T. v. S/s. Neera Hotel and Restaurant*, [1999] 29 STR 77 : 1999 UPTC 96.

*K. Damodaraswamy Naidu & Bros. etc. etc. v. State of Tamil Naidu & Another*, [1999] 30 STR 685 (SC) : (2000) 117 STC (SC) का अवलोकन करें जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि 2-2-1983 से पूर्व भोज्य पदार्थ एवं मृदु पेय की बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता।

पुराने बर्तनों को पारिश्रमिक लेकर नये बर्तनों से बदलने का सम्यवहार बिक्री नहीं है। *Durga Metal Works (P.) Ltd. v. A.C. (A) Sales Tax, Gorakhpur*, [1999] 29 STR 305

भाड़ा तथा माल लादने एवं उतारने के खर्चे, यदि बिल में अलग से चार्ज किये गये हैं, विक्रय में सम्मिलित नहीं किये जा सकते, किन्तु बीमा तथा रख रखाव पर हुये व्यय को विक्रय धन की गणना करते समय अलग नहीं किया जा सकता। *Modi Industries Ltd. v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 644.

ग्राहक को सेवा के प्रयोजन हेतु भोजन दिया जाना। यदि सम्यवहार का मूल उद्देश्य बिक्री करना है और सेवा केवल आनुसंगिक है तो उसे बिक्री माना जायेगा किन्तु यदि मूल उद्देश्य सेवा करना है तो सम्यवहार बिक्री की श्रेणी में नहीं आयेगा। अधिकरण ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि मूल उद्देश्य सेवा का था अतः उसका आदेश वैधानिक नहीं पाया गया। *C.S.T. v. S/s. Gwalior Sweet House, Mirzapur*, [1998] 28 STR 457.

46वाँ संविधान संशोधन जो दिनांक 31-2-83 से लागू हुआ है, के पूर्व की बिक्री पर कर आरोपित नहीं हो सकता। *C.S.T. v. Hotel Relax, Dehradun*, [1997] 25 STR 212.

नार्दन रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थ दिया जाना 46वाँ संविधान संशोधन के परिभाषा के अनुसार करयोग्य है। *C.S.T. v. Northern Railway Catering Department*, [1994] 20 STR 126: 1995 UPTC 17 (SC).

घीनी की बिक्री में, बोरों की बिक्री यदि सम्मिलित नहीं है तो उस पर कर आरोपित नहीं हो सकता। *Oudh Sugar Mills v. State of U.P.*, 1995 UPTC 723: [1995] 22 STR 231 (LB).

व्यापार का प्रमुख उद्देश्य बिक्री या सेवा है, प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करता है। *C.S.T. v. Chauttala Shudh Bhojnalaya*, 1996 UPTC 114 : [1995] 22 STR 340.

आर०ई०पी० लाइसेंस का हस्तांतरण वस्तु की बिक्री होने के कारण करयोग्य है। *Vikas Sales*

*Corporation v. C.C.T.*, [1996] 24 STR 160 का अनुसरण किया गया। *M.K.R. Frozen Food Exports (P) Ltd. v. State of U.P.*, 1996 UPTC 1312; [1996] 24 STR 269.

फुटकर भागों को ट्रान्सफार्मर की मरम्मत में प्रयोग करने से फुटकर भागों का विक्रय कब पूर्ण माना जायेगा—पहले फुटकर भागों पर कर निर्धारण उस वर्ष में किया जाता था जब निरीक्षणोपरान्त ट्रान्सफार्मर अनुमोदित कर दिये जाते थे। जब यही ढंग करदाता ने बराबर साल-ब-साल अपनाया और वह ढंग राजस्व विभाग ने मंजूर किया तब उस ढंग के विपरीत जाना अच्छा कारण नहीं प्रतीत होता। अधिकरण का यह निष्कर्ष सही प्रतीत होता है कि फुटकर भागों का विक्रय उस वर्ष पूर्ण हुआ माना जायेगा जब कि मरम्मत किये हुए ट्रान्सफार्मर का निरीक्षण के पश्चात् अनुमोदन किया जाय और करदाता को उसका भुगतान किया जाय। *C.S.T. v. Sai Electricals, Meerut*, [1987] 5 STR 363.

<sup>1</sup>[(ज-1) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन गठित <sup>2</sup>[व्यापार कर अधिकरण] से है];

[प्रयोजनार्थ नियम 69 व 70 देखें]

(झ) "विक्रय-धन" का तात्पर्य उस कुल धनराशि से है, जितने का माल, किसी व्यापारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा अपनी ओर से या दूसरों की ओर से, नकद रुपये या बाद में किये जाने वाले भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिक्री के रूप में दिया या वितरित किया जाय या बेचा जाय;

स्पष्टीकरण-1—[निकाल दिया गया]।

स्पष्टीकरण-2—ऐसी शर्तों और ऐसे प्रतिबन्धों, यदि कोई हों, की पाबन्दी के साथ, जो इस निमित्त निर्धारित किये जायें—

<sup>3</sup>(1) उस धनराशि में, जिस पर माल बेचा या क्रय किया जाय, ऐसी पैकिंग सामग्री का मूल्य जिसमें वे पैक किये जायें और ऐसी कोई रकम भी सम्मिलित होंगी जिन्हें बिके हुये माल के सम्बन्ध में माल के परिदान के समय या पूर्व व्यापारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये लिया गया हो, सिवाय भाड़े या माल के परिदान के व्यय के अथवा संस्थापन के व्यय के या <sup>4</sup>[माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर] के रूप में वसूल की गयी धनराशि के जबकि ऐसा व्यय या धनराशि पृथक् रूप से लिया गया हो];

(2) किसी विक्रय के सम्बन्ध में मूल्य पर दी गई कोई नकद या अन्य बट्टे की रकम (डिस्काउन्ट) और ग्राहकों द्वारा लौटाई गई वस्तुओं के सम्बन्ध में वापस की गई कोई रकम विक्रय-धन में सम्मिलित नहीं की जायेगी; और

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।  
 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 4(च) द्वारा शब्द "बिक्रीकर अधिकरण" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकरण" रखा गया।  
 3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.8.1990)।  
 4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द "बिक्रीकर या क्रयकर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (3) यदि किसी मामले में ऐसा हो कि किसी विशेष ग्राहक की सुविधा के लिये कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल ले और तुरन्त उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे तो ऐसे माल से सम्बन्धित बिक्री केवल उपर्युक्त दूसरे व्यापारी के ही विक्रय-धन में सम्मिलित की जायेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 44 देखें]

महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**विक्रयधन—उत्पाद शुल्क बिल में अलग से चार्ज किये जाने पर भी विक्रय धन का भाग है।** *Hind Lamps Ltd. v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 678 : 2003 UPTC 971.

**विक्रयधन—दि० 4.11.1974 से 31.3.1975 के मध्य वसूला गया कर एवं अतिविक्रय कर विक्रय धन का भाग है।** *Modi Rubber Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 739.

**विक्रयधन—सरकार द्वारा प्रदत्त सबसिडी (अनुदान) व्यापारी के विक्रय धन का अंश नहीं है।** *C.T.T. v. Hari Fertilizers, Varanasi*, [2003] 38 STR 845.

**विक्रयधन—भाड़ा अलग से वसूल किया गया। नियम 44 के अन्तर्गत यह विक्रयधन का भाग नहीं हो सकता है।** *C.T.T. v. Jagdamba Estates (Pvt.) Ltd.*, [2003] 38 STR 826.

**विक्रयधन—व्यापारी द्वारा ग्राहकों को नियमित रूप से दिया जाने वाला डिस्काउन्ट करयोग्य विक्रयधन का भाग नहीं है।** *Hamdard Wajf Laboratories v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 875.

**विक्रयधन—4-11-1974 से 26-5-1975 के बीच व्यापारी द्वारा क्रय कर अथवा विक्रय कर के रूप में वसूली गई धनराशि विक्रयधन का भाग है।** *C.S.T. v. Alodeal Chemicals Manufacturing Co., Meerut*, [2003] 37 STR 324 : 2003 UPTC 816.

**विक्रयधन—व्यापारी ने फार्म 31, 32 तथा सी के विरुद्ध कोयला खरीदा तथा भाड़ा का भुगतान किया। कोयला भट्ठा मालिकों को बेचा तथा भाड़ा अलग से चार्ज किया। भाड़ा उसके विक्रयधन का भाग है।** *C.T.T. v. Sunil Kumar Goel*, [2003] 37 STR 425 : 2003 UPTC 1036.

**पेट्रोलियम परिशोधक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को तेल की बिक्री राज्य के भीतर प्रथम बिक्री नहीं मानी जाती है और पूल एकाउन्ट से प्राप्त धनराशि प्रथम बिक्री पर व्यापारी को प्राप्त हुई है अतः यह व्यापारी का करयोग्य विक्रयधन नहीं है।** *Madras Refineries Limited v. State of Tamil Nadu*, [2001] 34 STR 587 (SC).

**सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि विक्रयधन अथवा क्रयराशि का भाग नहीं है।** *Neyveli Lignite Corporation Ltd. v. C.T.O., Kuddalore*, [2001] 34 STR 651 (SC).

**अधिकरण द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया कि व्यापारी कमीशन एजेन्ट है। ऐसी स्थिति उच्च न्यायालय द्वारा कमीशन एजेन्ट न होना निश्चित किया जाना उचित नहीं है।** *M/s. Sharma Coal Company v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 457.

**विक्रयधन में पैकिंग मटेरियल का मूल्य सम्मिलित होता है।** *M/s Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 484.

**व्यापारी द्वारा वसूल की गई बिक्री कर की धनराशि विक्रय धन का भाग है।** *C.S.T. v. Alodeal Chemicals Mfg. Co. (P) Ltd.*, [2001] 33 STR 443 (SC).

**विक्रयधन—डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पृथक से वसूल किये जाने के कारण विक्रय धन का अंश नहीं है।** *Modi Industries Ltd. v. C.S.T.* 2000 UPTC 149.

**विक्रयधन**—यदि करमुक्त वस्तु बेची गई है तो पैकिंग मैटेरियल पर ~~कर~~ **बैज** नहीं होगा। *M/s. Chatta Sugar Co. Ltd. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 828.

**विक्रयधन**—रासायनिक उर्वरक को शासकीय सहायक अनुदान प्राप्त करके कम दर पर विक्रय किये जाने की स्थिति में अनुदान की राशि विक्रयधन का भाग नहीं है। *C.T.T. v. S/s. Acid and Chemicals Pvt. Ltd., Hasanpur*, [1999] 30 STR 424.

**विक्रयधन**—भुगतान की गयी रायल्टी की धनराशि को विक्रयधन नहीं कहा जा सकता। *Gujarat Ambuja Cement Ltd. and Another v. Assessing Authority-Cum-Assistant Excise & Taxation Commissioner*, [1999] 30 STR 509 (HP).

यदि बिल में वस्तु के मूल्य में कर की धनराशि सम्मिलित करके दर्शाई गई है तथा कर का उल्लेख अलग कर दिया गया है, तब विक्रयधन में कर की धनराशि को सम्मिलित किया जाना वैधानिक नहीं है। *Tata Timken Limited Noida v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 368.

कमीशन एजेन्ट की हैसियत से व्यापार किया जाना अधिकरण द्वारा अमान्य ठहराया गया जिसमें हस्तक्षेप किया जाना वांछित नहीं। कोयले के आयात में भाड़ा वहन करने का उत्तर दायित्व आयातक का होने के फलस्वरूप किसके द्वारा भुगतान किया गया विचारणीय नहीं। विक्रयधन निर्धारित किये जाने का आधार न्यायोचित होने के फलस्वरूप वाद प्रति प्रेषित। *Shyam Coal Commission Agent v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 382.

**विक्रयधन**—बिल में अलग से चार्ज किया गया बीमा व्यय विक्रयधन का भाग नहीं है। *Hyderabad Asbestos Cement products U.P. Border Ghaziabad v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 45.

**विक्रय धन**—व्यापारी द्वारा वसूल किया गया बिक्री कर क्या विक्रयधन का भाग है? यदि व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कर वसूल करने का अधिकारी था तो करारोपण हेतु वसूल किया गया कर विक्रय धन का भाग नहीं माना जायेगा। *C.S.T. v. Alodeal Chemicals Manufacturing Co. Pvt. Ltd.*, [1998] 28 STR 381.

भाड़ा की धनराशि बिलों में अलग से वसूल किये जाने की स्थिति में इसे विक्रयधन का भाग नहीं माना जा सकता। *The Triveni Engineering Works, Ltd. Naini, Allahabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 181.

क्रेता द्वारा उत्पाद शुल्क नहीं दिया गया है तो उसे विक्रयधन का भाग नहीं माना जा सकता है। *M/s. Indian Oil Corporation Ltd, Agra v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 223.

निजी खाते में खरीद पर दिया गया भाड़ा विक्रय धन का अंश है। प्रथम अपीलीय आदेश में अनुमानित औसत विक्रय दर में हस्तक्षेप हेतु अधिकरण ने आधार नहीं दिये। अधिकरण का आदेश विधि सम्मत नहीं। *Rai Coal Depot, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 277.

भाड़े की धनराशि विक्रयधन का अंश किन्हीं परिस्थितियों में नहीं होता है। तथ्यात्मक विवाद में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करने से इन्कार तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये अनुमान को गलत सिद्ध करने हेतु कारण नहीं दिये जाने पर उस अनुमान को अप्रभावी बनाने वाला अधिकरण का आदेश विधि सम्मत नहीं। *Rai Coal Depot, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 278.

रासायनिक खाद्य पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सबसीडी को विक्रय धन का भाग नहीं समझा जा सकता। 1995 UPTC 738 एवं 1996 UPTC 283 का भी अवलोकन करें। *Natraj Organics Ltd. v. Assistant Commissioner (A) Sales Tax*, 1995 UPTC 504.

भाड़ा व इनश्योरेंस यदि पृथक से वसूला गया है तो उक्त धनराशि विक्रय धन का अंश नहीं है। *C.S.T. v. Indian Aluminium Cable Co.*, 1995 UPTC 705.

सिक्योरिटी, प्रोत्साहन हेतु धनराशि, पदार्थ एवं श्रम सेवा को विक्रय धन का अंश नहीं माना जा सकता। *Eicher Goodearth Ltd. v. C.S.T.*, 1996 UPTC 17.

टेक्सटाईल कमेटी फीस यदि व्यापारी द्वारा वसूला गया तो वह विक्रय धन का अंश समझा जायेगा। *Swadeshi Polytex Limited v. C.S.T.*, 1996 UPTC 980: [1996] 23 STR 140.

उत्पादन शुल्क यदि निर्माता द्वारा भुगतान किया गया तथा क्रेताओं से वसूल किया गया तो वह विक्रय मूल्य का अंश है तथा विक्रय धन में सम्मिलित समझा जायेगा। *J.J. Enterprises v. C.S.T.*, 1995 UPTC 1347.

प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष एक दूसरे से अलग है तथा प्रतिबंध का सिद्धान्त लागू नहीं होता। *Kailash Chandra Joshi v. C.S.T.*, 1996 UPTC 1280: [1996] 24 STR 225.

व्या भाड़े को करदाता (कोयला के अभिकर्ता) के आवर्तन में शामिल किया जा सकता है—अधिकरण का यह निष्कर्ष कि करदाता जो कि कोयला का अभिकर्ता है इसलिये भाड़े को उसके आवर्तन में शामिल नहीं किया जा सकता, उचित प्रतीत होता है। *C.S.T. v. Anil Coal Corporation*, [1987] 5 STR 371.

(झझ) "सजातीय पद सहित क्रय-धन" से तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा खरीदे गये माल के, दिये गये अथवा देय मूल्यों की धनराशियों के उस योग से है, जो उस धनराशि को, यदि कोई हो तो, निकाल कर आये, जो किसी विक्रेता द्वारा व्यापारी को उस माल के सम्बन्ध में वापस की जाय, जो कि उस विक्रेता को ऐसे समय के अन्दर लौटा दिया जाय जो नियत किया जाय;

[प्रयोजनार्थ नियम 44-क देखें]

(ज)(1) "कर-निर्धारण वर्ष" से तात्पर्य उन बारह महीनों से है जो 31 मार्च को पूरे हों;

(2) [निकाल दिया गया]।

(ट) "गाड़ी" के अन्तर्गत ऐसी बाइसिकिल, बैलगाड़ी, जलयान या पशु भी हैं जो बोझ ढो रहे हों।]

[प्रयोजनार्थ नियम 83 व 84 देखें]

<sup>1</sup>[(ठ) "किसी जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी" के अन्तर्गत <sup>2</sup>[व्यापार कर अधिकारी श्रेणी दो] से अनिम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी भी है जो ऐसी जांच चौकी या नाका पर तैनात हो।]

[प्रयोजनार्थ नियम 83 व 84 देखें]

<sup>3</sup>[(ड) "संकर्म संविदा" के अन्तर्गत नकद रुपये आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के लिये, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सन्निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण करने, बनाने, परिनिर्माण करने, लगाने, सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या चालू करने के लिए कोई अनुबन्ध भी हैं।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 4.1.1979)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**बिक्री अथवा संविदा**—रसीद पुस्तिका छपाई के बाद संविदा के अनुसार आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध की बिक्री नहीं कहा जा सकता। *State of Maharashtra v. Sarvodaya Printing Press Fine Arts Printers*, [1999] 30 STR 675.

**कच्चे माल का हस्तांतरण**—यदि कोई व्यापारी अपने कच्चे माल जैसे सोडा ऐश, कोयला इत्यादि का हस्तांतरण किसी अन्य फर्म का ग्लास (शीशा) की प्राप्ति हेतु करता है तो ऐसा हस्तांतरण बिक्री के अन्तर्गत नहीं आयेगा और न ही उस पर कर देय होगा। *C.S.T. v. Klatmak Glass Works, Firozabad*, 1983 UPTC 174.

**विक्रय अथवा सेवा**—होटल अथवा जलपान गृहों को प्रदाय किया गया खाद्य या पेय पदार्थ का संव्यवहार 'विक्रय' नहीं बल्कि 'सेवा' है। यह प्रदाय 'विक्रय' न होने के कारण बिक्रीकर से कर देय नहीं है। *Northern India Caterers (India) Ltd. v. Lt. Governor of Delhi*, (1980) 42 STC 346 (SC).

**व्यापारी**—कच्चा आढ़ती व्यापारी की श्रेणी में आता है। तौल करने वाला व्यक्ति 'व्यापारी' नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसका कोई भी अधिकार माल के क्रय-विक्रय पर नहीं होता है। वह केवल माल की तौल करता है। *Anand Saran Anoop Saran v. C.S.T.*, 1976 UPTC 628.

1[(ब) "कर" के अन्तर्गत अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि भी हैं।]

2[(ण) "पट्टा" का तात्पर्य किसी करार या प्रबन्ध जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी भी अवधि के लिये चाहे विनिर्दिष्ट हो या नहीं, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिना स्वामित्व के अन्तरण के, अन्तरित किया जाता है, से है, और जिसमें उप-पट्टा भी सम्मिलित है किन्तु अवक्रय द्वारा या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी प्रणाली द्वारा अन्तरण सम्मिलित नहीं है;

(त) "पट्टेदार" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसको पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाए, से है;

(थ) "पट्टाकर्ता" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसके द्वारा पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है।]

### [प्रयोजनार्थ नियम 2 देखें]

**3. अधिनियम के अधीन कर के लिये दायित्व**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये यथास्थिति, अपने विक्रय-धन या क्रय-धन, या दोनों पर, जो नियत रीति से

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 13.9.1985)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया (प्रभावी 13.9.1985)।

अवधारित किया जायेगा, धारा 3-क या 3-घ द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित दरों पर कर का भुगतान करेगा।

(2) कोई व्यापारी धारा 18 में की गई अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के सिवाय उपधारा (1) के अधीन कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान उसके—

- (क) धारा 3-घ के अधीन विज्ञापित माल के क्रय धन का;
- (ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर, देय क्रय-धन का;
- †[(ग) धारा 3-घ के अधीन विज्ञापित माल की बिक्री के विक्रय-धन, जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर क्रय न किया गया हो;]
- (घ) सभी माल के (धारा 3-घ के अधीन विज्ञापित माल को छोड़कर) बिक्री के विक्रय-धन का चाहे ऐसी बिक्री व्यापारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा, डिपो या अभिकर्ता के माध्यम से राज्य के भीतर अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या राज्य के बाहर की जाए;

कुल योग निर्माता की स्थिति में †[एक लाख] रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में †[एक लाख पचास हजार] रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में, तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो।

(3) उपधारा (2) की कोई बात—

(क) व्यापारी द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल की बिक्री, जिसका विक्रय-धन धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन कर योग्य हो; या

(ख) किसी व्यापारी द्वारा—

- (1) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विक्रेता व्यापारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये माल, या जैसी भी दशा हो;
- (2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन निर्धारित कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, खरीदे या आयात किये गये माल;
- (3) उपखण्ड (1) या उपखण्ड (2) में अभिदिष्ट माल का प्रयोग करके अपने द्वारा निर्मित माल;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा शब्द "पचास हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" एवं शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार" रखा गया (प्रभावी 1.1.1992)।

की बिक्री के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(4) जब उपधारा (2) के अधीन विज्ञापित में निर्दिष्ट धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय तब किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

(क) इस प्रकार परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित विक्रय-धन पर मानो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि परिवर्तित की गई हो; और

(ख) शेष धनराशि पर, इस प्रकार से मानो परिवर्तित की गई धनराशि सभी सारवान दिनोंको पर प्रवृत्त रही हो;

(5) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।

1[(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझे, वहाँ वह, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यापारी को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल की बिक्री किसी अन्य व्यापारी को करने पर, जिसे एतदपश्चात् इस उपधारा में क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यथास्थिति, ऐसे कर या समाधान धनराशि का, जो ऐसे माल की पुनः बिक्री या ऐसे माल से निर्मित किसी अन्य वस्तु की बिक्री की दशा में क्रेता द्वारा देय हो, दायी होने की अनुमति दे सकती है और यदि ऐसा व्यापारी ऐसे दायित्व की जिम्मेदारी लेता है तो वह क्रेता के स्थान पर ऐसे माल की ऐसी पुनः बिक्री या ऐसी वस्तु की बिक्री के विक्रय धन के सम्बन्ध में कर या समाधान धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।]

[प्रयोजनार्थ नियम 44 व 44-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

टेलीफोन सेवा देने के लिये डाट द्वारा उपकरण तथा अन्य सहायक सामग्री प्रदान कर पूरे सिस्टम के साथ उसे जोड़ना तथा सेवा प्राप्त करने हेतु उस का उपभोक्ता को प्रयोग का अधिकार देना करयोग्य है। *State of U.P. & Anr. etc. etc. v. Union of India & Another etc. etc.*, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC).

प्रथम अपील में ईटों का अन्तिम रहतिया 4.5 लाख स्वीकार किया गया। अधिकरण द्वारा बिना किसी कारण इसे अस्वीकार किया जाना उचित नहीं पाया गया। *M/s. Ramsaran Lal Brickcltn Owner v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 248.

प्रान्त बाहर के व्यापारी हेतु आदत में की गई खरीद अन्तर्राज्यीय खरीद है जो राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है। विक्रेता को प्रान्त बाहर के खरीददार के बारे में व्यापारी द्वारा बताया जाना अवश्यक नहीं है। *C.T.T. v. S/s Munshi Ram Madanu Lal, Moregarj, Saharanpur*, [2001] 33 STR 381.



मक्का पोहा 'कचरी' में आता है या नहीं इसका निर्णय करने हेतु व्यापार जगत में समझे जाने वाले अर्थ को आधार बनाना चाहिये। *M/s. Khandelwal Grain Agency v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 143.

व्यापारी का कथन कि अमरी अवर्गीकृत वस्तु में है और यह आयातकर्ता अथवा निर्माता के बिन्दु पर करदेय होने के कारण इसके विक्रय-धन पर कर देयता नहीं क्योंकि वह न तो आयातकर्ता है और न ही निर्माता है। *M/s. Hari Narain Nand Gopal v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 382.

जहाँ व्यापारी का कथन कि फार्म उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया तथा उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी रूप से प्राप्त कर उसका प्रयोग किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कर-निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का दायित्व कि, हस्ताक्षर का मिलान करवा कर व्यापारी के उक्त कथन की पुष्टि करना चाहिये था। *Shankar Scrap Supplier v. C.T.T.*, 1999 STD (HC) 7.

बग्गास व गन्ना एक ही वस्तु है तथा आयरन व स्टील का टुकड़ा आयरन व स्टील ही है। *Dhampur Sugar Mills Ltd. v. C.S.T.*, 1996 UPTC 184: [1996] 23 STR 58.

एकल कर-निर्धारण—दो ईंटों के भट्टों का जिसका एक ही करदाता है उसके समस्त आवर्तनों का एकल कर-निर्धारण विधि न्यायोचित है। यह आवर्तन कई विभिन्न कारोबारों का हो सकता है, परन्तु सभी कारोबारों के आवर्तन का एकल कर-निर्धारण हो सकता है। *Ramesh Chandra Brick Kiln Owner v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 288.

फाउन्टेन मशीन द्वारा शीतल पेय के कन्सन्ट्रेट (Concentrate), कार्बन डाई आक्साईड व पानी एक निश्चित मात्रा से फाउन्टेन मशीन में प्रवाह से तैयार किया गया शीतल पेय निर्माण है तथा निर्माता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर कर देय है। पं०सं०-डि० कमि० (वि०अनु०शा०) मु०-12-1999-2000/1123/व्यापार कर, दि० 21.8.1999.

ग्लूकोज (डैक्सट्रोज) पाउडर व लिक्विड ग्लूकोज की बिक्री पर करदेयता के सम्बन्ध में 1987 UPTC 850 में दिये गये निर्णय के अनुसार विज्ञापित सं० 7038 दि० 31-1-1985 की प्रविष्टि में सम्मिलित न होने के फलस्वरूप ग्लूकोज करयोग्य समझा जायेगा। पं०सं०-विधि-1(1)-एम-3-(97-98) 166/व्यापार कर, दि० 23.5.1997.

सर्वश्री वसन्धमल फाउन्ड्रीज बनाम यूनियन आफ इन्डिया, [1995] 22 STR 326 का अनुसरण करते हुये कास्ट आइरन कास्टिंग्स कास्ट आइरन की श्रेणी में आता है तथा आइरन एवं स्टील की भाँति कर योग्य माना गया है। पं०सं०-विधि-2(1)-9(96-97) 1216/व्यापार कर, दि० 21.2.1997.

कास्ट आयरन पाइप्स व फिटिंग्स "कास्ट आयरन कास्टिंग्स" की परिभाषा में आती है। अतः उसकी करदेयता कास्ट आयरन कास्टिंग्स की दृष्टि से होगी। पं०सं० 2(1)(9)(1)-(93-94)1365/व्यापार कर, दि० 13.2.1995.

सिन्डर ऐश जो कोयले के बिल्कुल जल जाने के बाद बचती है, की करदेयता के सम्बन्ध में, विज्ञापित सं० एस०टी०-2-5782/दस-10(1)/80 दि० 7-9-1981 की प्रविष्टि में "कोयला जिसके अन्तर्गत कोक अपने सब रूपों में है, किन्तु जिसके अन्तर्गत लकड़ी का कोयला नहीं है" में सिन्डर ऐश सम्मिलित होता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सिन्डर ऐश व्यापारिक भाषा में एक अलग वस्तु है और इसका प्रयोग भी कोयले से भिन्न है। इसलिये किसी अन्य विज्ञापित के अभाव में सिन्डर ऐश अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर आरोपित किया जा सकेगा। पं०सं० विधि-1(2) सामान्य (95-96)529 व्यापार कर, दि० 9.8.1995.

फार्म 3 क से खरीदी गई आर्टों रिकशा की चेसिस पर बाड़ी बनवाकर पूरे टैम्पों बेचे जाने की दशा में उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा-3कककक के अंतर्गत कर देय होगा। परिपत्र 7/1992, पत्र सं० विधि-1(1) (एम-5)-92-93-176/बिक्री कर, दि० 30.4.1992.

कुछ निर्माता चीनी मिलों से निम्नयोज्य वस्तुओं के रूप में बायलर तथा सम्बन्धित पाइप आदि क्रय करके विभिन्न प्रकार के पाइप का निर्माण कर बिक्री करते हैं। यह प्रक्रिया धारा 2(ई-1) में निर्माण की परिभाषा में आने के फलस्वरूप उक्त के निर्माण पर कर देय होगा। प०सं० विधि-2145 दि० 12.1.1993.

हाईट्रेसाइल स्टील वायर लोहा व इस्पात ही है। प०सं०-विधि-755 दि० 18.8.1994.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15(सी) के अनुसार चावल पर देय कर में से उस चावल के निर्माण में प्रयुक्त धान की खरीद पर दिये गये क्रय कर का ही समायोजन चावल पर कर देने वाले व्यापारी को मिलेगा। इसी प्रकार यदि चावल निर्माता द्वारा निर्मित चावल का 60% लेवी में दिया गया है तथा शेष 40% चावल की बिक्री पंजीकृत व्यापारियों को करके कोई कर का दायित्व स्वीकार नहीं किया गया है, तब चावल की बिक्री पर उस निर्माता का कोई कर का दायित्व न होने के कारण उसे धान की खरीद पर दिये गये क्रय कर का समायोजन नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार चावल मिल द्वारा लेवी में जो चावल दिया जा रहा है, उससे सम्बन्धित धान की खरीद पर दिये गये क्रयकर का समायोजन का लाभ चावल मिल को नहीं मिलेगा तथा उन्हें उसी चावल के निर्माण में प्रयुक्त धान की खरीद पर दिये गये क्रयकर का समायोजन का लाभ मिलेगा जिस चावल की बिक्री पर उनके द्वारा कर दिया जा रहा है। प०सं०-विधि 1(2-पी-10(95-96)1230/व्यापारकर, दि० 24.1.1996.

ट्रैक्टर में प्रयुक्त की जाने वाली विशेष प्रकार की पुली 'यदि उक्त पुली का प्रयोग केवल ट्रैक्टर के साथ होता है अन्यत्र नहीं, तब विज्ञप्ति संख्या एस०टी० 2-5785/10(1)/80 दि० 7.9.1981 के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं उसके पुर्जों की भौति कर देय होगा। प०सं०-विधि 1(1)-(ए-1)-91-92-2013 दिनांक 14.2.1992.

पशुचलित वाहनों में प्रयोग किये जाने वाले रिम व धुरे विज्ञप्ति सं० 7038, दि० 31.1.1985 में उल्लिखित 'कृषि यन्त्र' के अन्तर्गत आने के कारण करमुक्त है। पत्र सं० विधि-(1)-(ए-1)-91-92/आठ दिनांक 26-2-1992.

**3-क. कर की दर—**(1) धारा 3-घ में यथा-उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर—

<sup>1</sup>[(क) 'घोषित माल' के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर पर या जहां राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा कोई अन्य एकल स्थल या कम दर घोषित करे, वहाँ ऐसे स्थल पर या ऐसी कम दर पर लगाया जायेगा;]

<sup>2</sup>[(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल से भिन्न <sup>3</sup>[ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर], ऐसे स्थल पर और पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000) द्वारा उपधारा (1) में खण्ड ख एवं ग को (ख), (ग), (ग-1), (घ), और (ङ) के स्थान प्रतिस्थापित किया गया। 1 नवम्बर, 2000 से पूर्व उपधारा (1) में खण्ड (ख), (ग), (ग-1), (घ), और (ङ) निम्नलिखित था।  
(ख) किसी होटल या जल-पान गृह या उसके भाग के कैबरे या मंच प्रदर्शन (पलोर-शो) की व्यवस्था के साथ उपभोग के लिए प्रस्तुत खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, ऐसी दर पर, जो पचास प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायेगा;
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।

जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करें, लगाया जाएगा और भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्थलों और भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है।

- (ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दस प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।]

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में, ऐसे दिनोंक से जिसे उस निमित्त विज्ञापित किया जाये, विक्रय धन पर कर की दर या कर के स्थल में इस प्रकार परिष्कार कर सकती है किन्तु दर [दस प्रतिशत] से अधिक न हो।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनोंक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनोंक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात से कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।

- (ग) सभी प्रकार की सिगट और सिगटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर सिगट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथा परिभाषित मोटर सिगट, डीजल आयल और अल्कोहल सम्मिलित है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर या ऐसे अन्य एकल स्थल पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, बीस प्रतिशत की दर पर या पैंतीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री और खरीद पर कर देय हो तो इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी माल पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा;

- (ग-1) लाटरी टिकटों के विक्रय धन पर ऐसे स्थल पर और पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायेगा;

- (घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, ऐसे स्थल पर, ऐसी दर पर, जो बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायेगा और उक्त अनुसूची की किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्थलों और भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है: प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गई किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की किसी ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

- (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग), (ग-1) और (घ) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दस प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा।

11(3) जहाँ राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किसी स्थल या दर पर जिस पर कि अधिनियम के अधीन व्यापारी द्वारा देय कर की उपधारा (1) के खण्ड (ख) खण्ड (ग), खण्ड (ग-1) खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) जैसा कि यह उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन उद्गृहीत किया जाय और ऐसी घोषणा ऐसे प्रारम्भ पर प्रवृत्त है तो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् भी ऐसी दर या कर स्थल प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि उसे उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय ॥

### प्रयोजनार्थ नियम 12-क देखें

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कोल ऐश कोयला की भाँति करयोग्य है। *C.S.T. v. Cawnpore Chemical Works*, [2004] 39 STR 257.

धारा 3-ए—मिल बोर्ड पैकिंग मैटेरियल है तथा इसके निर्माण हेतु आवश्यक कच्चा माल की खरीद मान्यता प्राप्त व्यापारी के हाथों करमुक्त है। *C.T.T. v. Bharat Straw Board and Paper Mills (P) Ltd.*, [2004] 39 STR 201.

बोल्ट चाकनट तथा स्टडबोल्ट जो पशुचालित गाड़ियों में प्रयुक्त होते हैं कृषि यंत्र के पुर्जे की भाँति करमुक्त हैं। *C.S.T. v. Tomar Agriculture India, Baraut*, [2004] 39 STR 151.

आइसक्रीम कर योग्य है। *Rita Ice Cream v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 166.

स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, आइरन स्टील स्क्रैप नहीं है अतः 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। *C.S.T. v. Manish Metal Works, Noida*, [2004] 39 STR 105.

यदि पोटेशियम क्लोरेट की रासायनिक उर्वरक की भाँति बिक्री विधि के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है तो फर्टिलाइज़र कन्ट्रोल आर्डर 1985 में पोटेशियम क्लोरेट का उल्लेख न होने से करदाता के इसे रासायनिक उर्वरक की भाँति बेचने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। *Gupta Chemical Company etc. v. C.S.T.* [2004] 39 STR 12.

रेलवे की कैटरिंग तथा वेन्डिंग यूनिट को संविधान के अनुच्छेद 285(1) का लाभ उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को खाना दिया जाना सेवा है या बिक्री, इसका निर्णय करने हेतु वाद अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। *C.S.T. v. Northern Railway Catering & Vending*, [2004] 39 STR 90.

कर की दर—रबर फ्लैप मोटर यान की ऐसेसरी नहीं है तथा 8 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। *Modi Rubber Limited., Ghaziabad v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 739.

वस्तु का वर्गीकरण—कार्डिगन एवं पुलओवर होजिरी गुड्स की भाँति कर योग्य हैं। *C.T.T. v. British India Corporation Ltd., Kanpur*, [2003] 38 STR 608.

वस्तु का वर्गीकरण—उत्पाद "आर्निका हेयर आयल" के क्या औषधीय गुण हैं और सामान्यतया लोग इसे क्या मानते हैं इस पर अधिकरण द्वारा निष्कर्ष नहीं अंकित किया गया। यह सौन्दर्य वृद्धि के काम आता है मात्र इतने से इसे औषधि नहीं माना जा सकता है। *C.S.T. v. Krishna Homeo Pharmacy, Gorakhpur*, [2003] 38 STR 716 : 2003 UPTC 919.

वस्तु का वर्गीकरण—ई.सी.जी. मशीन, डेफिब्रिलेटर, कलर डापलर सिस्टम, पेशेन्ट मानीटरिंग इक्विपमेंट्स, हैण्ड-हेल्ड मल्टी-मीटर, आर.एफ. नेटवर्क एनालाइजर्स, कम्प्युनिकेशन परफार्मेंस एनालाइजर्स, मिनी ओ.टी.डी.आर. विज्ञापित संख्या 3402 दि० 1-10-1994 की प्रविष्टि 74 से आच्छादित है तथा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा बढ़ाया गया (प्रभावी 1.11.2000)।

इलेक्ट्रानिक गुड्स हैं। *Agilent Technologies India Pvt., Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 748 : 2003 UPTC 977.

फोटो कापियर—कर की दर—इलेक्ट्रान सिद्धान्तों पर चलने वाली पूर्णतया स्वचालित फोटो कापियर मशीन इलेक्ट्रानिक वस्तु है न कि डुप्लीकेटिंग मशीन। *Canon India Private Limited v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 137 (LB) : 2003 UPTC 10 (LB).

धारा 3-ए—वस्तु का वर्गीकरण—साबूदाना के वर्गीकरण तथा उस पर करदेयता के बिन्दु पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि इस वस्तु का व्यापार करने वाले लोग इसे किस भाँति जानते हैं। *Chandra Bhan Paras Das Jain, Agra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 247.

धारा 3-ए—वस्तु का वर्गीकरण—दि० 31 मार्च 1992 की प्रविष्टि सं० 74(एफ) के परिपेक्ष्य में वोल्टेज स्टैबिलाइजर्स इलेक्ट्रानिक गुड्स हैं। *Commissioner of Trade Tax v. Parikh Gramodyog Sansthan*, [2003] 37 STR 301 : 2003 UPTC 603.

विज्ञप्ति दिनांक 30-6-1990 की भूल को ठीक करते हुये दिनांक 23.10.1990 की विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित मेटल पर लागू की गयी कर की दर दिनांक 1.7.1990 से नहीं प्रत्युत दिनांक 23.10.1990 से ही लागू किया जा सकता है। *Agarwal Metal Suppliers, Hathras v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 551 : 2002 UPTC 946.

प्रशासनिक व्यय के नाम से बिना कोई सेवा दिये वसूल की गई धनराशि कर है। *D. S. M. Group of Industries v. Chairman T.T. Tribunal*, [2002] 36 STR 707 (LB).

शीरा की बिक्री पर उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं आरोपित किया जा सकता है। *D. S. M. Group of Industries v. State of U.P.*, [2002] 36 STR 715 (LB).

“स्वाद कैण्डी” तथा “बबुलगम” कन्फेक्शनरी तथा “बबुलगम” दवा की श्रेणी में आता है। *Associated Distributors Ltd. Ghaziabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 78.

जाब वर्क—ग्राहक द्वारा प्रदत्त सामग्री से उसके लिये निर्मित मेन्था टैंक जाब वर्क है जिस पर करारोपण का कोई औचित्य नहीं है। *M/s Shahji Engineering & Fabricators, Bareilly v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 278.

वैज्ञानिक विधि से पशुओं के लिये बनाया गया “पराग पशु आहार” पशुओं का चारा नहीं माना जा सकता तथा इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर देयता है। *C.S.T. v. S/s. Cattle Food Plant, PCDF Ltd., Partapur, Meerut*, [2001] 34 STR 529.

धारा 3-ए—राना बनाम मध्य प्रदेश शासन में दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए एक्सरे, सीटी स्कैन तथा अल्ट्रासाउण्ड को कर योग्य नहीं माना गया। *Sangam X-ray and Pathology and another v. State of U.P.*, [2001] 34 STR 586.

धारा 3-ए एवं 4-बी—व्यापारी द्वारा बेचे गये टैंक क्रेता द्वारा उपयोग में लाये जाने की स्थिति में इसे पुराने अप्रयोग्य वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। *C.T.T. v. S/s. Punjab Steel Works, Gorakhpur*, [2001] 34 STR 606.

बादाम ठंडाई शर्बत पर कर की दर निश्चित करने हेतु बिल में दिये गये विवरण को आधार न बना कर यह देखा जाना चाहिए कि सामान्यतया इसे किस रूप में समझा जाता है। *M/s. Kishan Bros. v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 250.

कोल ऐश कोयला नहीं है। *C.S.T. v. Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur*, [2001] 33 STR 440.

परिशोधित सरसों का तेल तथा परिशोधित सूर्यमुखी का तेल सरसों एवं सूर्यमुखी के तेल की भाँति ही करयोग्य है। *I.T.C. Agro-Tech Limited v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 102.

अधिकरण ने शीरा की खरीद स्थानीय मानी तथा व्यापारी को निर्माता अथवा आयातक नहीं माना। यह तथ्य परक आदेश उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होने से सही है। *C.S.T. v. R.K. Trading Co.*, [2001] 33 STR 388.

विज्ञप्ति संख्या टी०टी०-2-2072/11 दिनांक 29.8.1996 जिसके द्वारा लाटरी टिकट की बिक्री पर 20% की दर से कर आरोपित किया जाना असंवैधानिक है क्योंकि धारा 3-क (2) के अन्तर्गत शर्तों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष विज्ञप्ति रखे जाने का तात्पर्य सदन के एजेन्डा के अनुसार विचार हेतु अथवा स्पीकर की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त साक्ष्य के अभाव में जारी विज्ञप्ति को प्रभावी नहीं माना जा सकता। जो धनराशि लाटरी टिकट जीतने वाले को दी गई वह नियम 44(ख) के अन्तर्गत घटाये जाने योग्य है। अनुयोज्य दावा (Action claim) पर कर आरोपित किया जाना विधान मंडल की क्षमता के बाहर है। *Sugal and Damani v. State of U.P. and another*, 2000 UPTC 706 (लखनऊ पीठ)।

रिफिल, बाल प्वाइन्ट पेन का एक भाग है तथा पेन, पेन्सिल तथा फाउन्टेन पेन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। *State of Kerala v. V. Padmanabhan*, 2000 UPTC 377 (SC).

परिशोधित सरसों का तेल व सोयाबीन का तेल, परिशोधन के उपरान्त भी सरसों व सोयाबीन का तेल की भाँति विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-2-3366/XI दिनांक 1.4.93, एस०टी०-2-1085/XI दिनांक 15-5-95 तथा एस०टी०-2-2297/XI दिनांक 14-9-95 कर के अनुसार 2% से करयोग्य रहेगा क्योंकि परिशोधन के फलस्वरूप वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता।

**सर्वश्री बी०पी० आयल मिल्स लिमिटेड**, [1998] 28 STR 477 (SC) : 1998 UPTC 1020 (SC) के तथ्य भिन्न थे। उक्त वाद में विवाद उक्त विज्ञप्ति संख्या 31(a) अथवा (b) के अन्तर्गत कर आरोपित किये जाने का न होकर तथ्य यह थे कि व्यापारी ने करयोग्य अथवा स्वयं निर्मित विभिन्न प्रकार के तेलों की खरीद पर कर का भुगतान करते हुये की थी। उसका दावा यह था कि परिशोधन के उपरान्त उस पर पुनः कर आरोपित नहीं किया जा सकता। निर्णय यह हुआ कि तेल का परिशोधन निर्माण की प्रक्रिया है। अतः उक्त निर्णय को वर्तमान वाद में, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गलत उपयोग किया गया। परिशोधन के उपरान्त प्रकृति के न बदले जाने के कारण सरसों के तेल अथवा सोयाबीन की भाँति ही कर योग्य रहेगा। (1) *I.T.C. Agro Tech Ltd. v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 362 (2) *Ajit Kumar and Company, Saharanpur v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 527.

जीवन रक्षक औषधि भिन्न ब्रैंड नाम से किये जाने पर तब तक करमुक्त रहेगी जब तक कि चैकित्सिक मूल्यों में कोई परिवर्तन हो किया जाय। *Mercury laboratories Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, 2000 UPTC 82.

पिचका मटर क्या सब्जी बीज होने के कारण करमुक्त है? विधिक रूप से ऐसा प्रमाणित करने का भार व्यापारी पर है। प्रमाणित न कर सकने के फलस्वरूप करदेयता व्यापारी पर है। *C.T.T. v. Ganesh & Co.*, 2000 UPTC 214.

पिचकी मटर, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा तथा पेठा के बीज को सब्जी का बीज नहीं माना जा सकता है तथा विज्ञप्ति संख्या-एस०टी०-2-2893/दस-9(116)/75, दि० 1.4.1986 के अन्तर्गत कर मुक्ति नहीं है। पं०सं० विधि 1(1)-92-93/350 दिनांक 25.5.1992.

**तरबूज के बीज**-विज्ञप्ति सं० 7038/10 दि० 31.1.1985 के अनुसार कर मुक्त नहीं है। पं०सं० न्याय- प्र० अधि० (92-93)1190/बिक्रीकर, दि० 3.6.1992.

तरबूज का बीज, सब्जी का बीज प्रमाणित नहीं है। उक्त मिठाई उत्पादकों द्वारा सूखे मेवे की भाँति प्रयुक्त किया जाता है। अतः करमुक्त नहीं है। *Deepak Brothers v. Commissioner Trade Tax*, 2000 UPTC 778.

सर्वश्री अनिल कुमार सब्जी बीज बिक्रेता, वाराणसी, के प्रार्थना-पत्र सं० टी०टी०ए० 38/2000 पर धारा 35 के अन्तर्गत निर्णय दि० 13.10.2000 के बाद में निर्णीत किया गया कि बोड़ा, लोबिया, चितला दाना विज्ञप्ति सं० 2993, दि० 1.4.1986 के अन्तर्गत सब्जी के बीज में नहीं आते हैं, बल्कि इन पर करदेयता दलहन की भाँति है जो विज्ञप्ति सं० क०नि०-2-1165/XI-9(231)/94 दि० 10.4.2000 द्वारा कर योग्य है और प्रथम क्रेता के बिन्दु पर करदेयता है। प०सं० डिप्टी कमिश्नर-धारा-35/143/व्यापार कर, दि० 1.11.2000.

सर्वश्री गौरव ट्रेडर्स, खरादी टोला, पाण्डे हाता, गोरखपुर, के प्रार्थना-पत्र सं० टी०टी०ए० 57/96 पर धारा 35 के अन्तर्गत निर्णय दि० 30.9.2000 के बाद में निर्णीत किया गया कि विज्ञप्ति सं० 7038 दि० 31.1.85, विज्ञप्ति सं० 3714 दि० 5.6.85, विज्ञप्ति सं० 303 दि० 1.2.89 एवं विज्ञप्ति सं० 595 दि० 6.4.99 के द्वारा "टेक्सटाईल" को करमुक्त किया गया है, किन्तु पी०वी०सी०/एच०डी०पी०ई० फैब्रिक्स, रेयान या नायलान टायर कार्ड फैब्रिक, टायर कार्ड वार्प शीट्स को विशिष्ट रूप से करमुक्ति के लिये "टेक्सटाईल" से अलग रखा गया है। एच०डी०पी०ई० फैब्रिक जिसमें नायलान फैब्रिक, फिवानेट फैब्रिक व मासक्वीटो नेट फैब्रिक शामिल है किसी विज्ञप्ति से उसकी करदेयता आच्छादित नहीं है। अतः वर्गीकृत न होने के कारण इस पर निर्माता या आयातकर्ता के द्वारा बिक्री किये जाने के बिन्दु पर करदेयता है। प०सं० डिप्टी कमिश्नर-धारा-35/143/व्यापार कर, दि० 1.11.2000.

बेसन-बेसन आटे की परिभाषा में आता है। अतः तदनुसार कर देय है। प०सं० 563/बिक्रीकर, दि० 29.6.1992.

सनमाईका विज्ञप्ति संख्या 5784 दिनांक 7-9-1981 से आच्छादित होने के कारण 8% की दर से करयोग्य है। *New Vikas hardware House v. C.S.T.*, STI 2000 Alld 25.

साफ्ट ड्रिंक कन्सेन्ट्रेट जो साफ्ट ड्रिंक के तैयार करने के लिये उपयोग किया जाता है अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य है। *C.T.T. v. Parmanand and Co.*, 1999 UPTC 44.

प्रपत्र 3क में दी गई घोषणा का अनुपालन न करने पर क्रेता व्यापारी की गलतियों हेतु बिक्रेता व्यापारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। *C.T.T. v. Kailash Motors*, [1999] 30 STR 629.

हर सुगन्धित वस्तु को इत्र और सुगन्धियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। *M/s. Camphor and Allied Products Ltd., Bareilly v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 632.

वाटर पम्प विज्ञप्ति संख्या 6562 दिनांक 12-9-1986 के क्रमांक 38 में वर्णित मशीनरी, वाटर पम्प की श्रेणी की भाँति कर योग्य है न कि विज्ञप्ति संख्या 5784/X दिनांक 7-9-1981 के क्रमांक 57 में वर्णित वस्तुओं के कम्पोनेन्ट या पार्ट के रूप में। *M/s. Khaitan Electricals Ltd. v. C.S.T.*, 1999 UPTC 683.

शीशे की बनी चिमनी व हरीकेन लालटेन की चिमनी में कोई अन्तर नहीं, विज्ञप्ति संख्या 5784/X दिनांक 7-9-81 की क्रम संख्या 4 के अनुसार अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य। *C.S.T. v. S/s. Pallwal Glass Works Shikohabad*, 1999 UPTC 681.

स्थानीय खरीद सिद्ध करने का भार व्यापारी पर है। *M/s. Jagannath Das Balbhadra Das Bros, Allahabad v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 474.

अल्युमिनियम की चादरें अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य हैं। *C.S.T. v. S/s. Vijay Aluminium Works, Fazalgarh, Kanpur*, [1999] 30 STR 456.

तैदू पत्ता का व्यवसाय—मूल करनिर्धारण में व्यापारी को करयोग्य नहीं माना गया धारा 21 के अंतर्गत व्यापारी को निर्माता मानते हुये कर आरोपित किया गया—अधिकरण ने निर्णय दिया के व्यापारी की लेखा पुस्तकें, पूर्ण रूपेण देखने के बाद करमुक्ति दी गई थी अतः करारोपण उचित नहीं—व्यापारी को निर्माता न मानने का अधिकरण का निर्णय उचित। *C.S.T. v. M/s. Samrat Trading Co., Mirzapur*, [1999] 29 STR 167.

फुटबाल में प्रयोग किया जाने वाला रबर ब्लैडर 'खेल के सामान' के अन्तर्गत आता है। *M/s. Munjal Rubber Industries, Meerut Cantt. v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 198.

जिंक पर कर देयता—जिंक की बिक्री पर 2% की दर से कर देय है। *C.S.T. v. M/s. R.S. Steel Works, Bareilly*, [1999] 29 STR 158.

जिंकड्रास व जिंक एक ही वस्तु है। *C.S.T. v. Jain Tube Co.*, 1994 UPTC 1150.

वाटर मेथनोल मिक्सचर को अवर्गीकृत वस्तु के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किये जाने के पश्चात अधिकरण का निर्णय कि यह मेथाइल अल्कोहल है, त्रुटिपूर्ण है। *M/s. Indian Oil Corporation Ltd, Agra v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 225.

वाटर मेथनोल मिक्सचर जो मेथाइल अल्कोहल में एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर जल मिश्रण से प्राप्त होता है, तथा जिसका प्रयोग वायुयान में उड़ान भरते समय किया जाता है, मेथाइल अल्कोहल से भिन्न एक नई वस्तु है तथा अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य है। *M/s. Indian Oil Corporation Limited, Agra v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 640.

डिजर्ट कूलर्स की बाड़ी तथा स्टैंड अवर्गीकृत वस्तुओं की भाँति कर योग्य है। *Atul Agricultural & Allied Industries, Jhansi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 227.

प्रपत्र 3क पर आधारित कर में छूट की मांग—निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर मांग अस्वीकृत की गई कि जारी करने वाले व्यापारी को विभाग ने यह प्रपत्र निर्गत नहीं किया—विभाग यह नहीं बता सका कि फिर किसको उसके द्वारा यह प्रपत्र निर्गत किये गये थे—अपीलीय निर्णयों की पुष्टि की गई। *C.S.T. v. S/s. Chaudhury Iron Stores, Loha Mandi, Agra*, [1999] 29 STR 163.

क्रेता व्यापारी ने विभाग से प्राप्त 3क प्रपत्रों का गलत प्रयोग करके विक्रेता को जारी किया। विक्रेता ने सदाशयतापूर्वक प्रपत्र स्वीकार किया। विक्रेता पर कर भार नहीं डाला जा सकता। *C.S.T. v. Anil Metal Industries, Agra*, [1999] 29 STR 265.

चीनी की बिक्री बोरा में की गई—बोरा पर कर के दायित्व के सम्बन्ध में कमिश्नर व्यापार कर के परिपत्र को याची द्वारा चुनौती दी गई—प्रतिवादी द्वारा इंगित किया गया कि प्रस्तुत प्रश्न अक्ध सुगर मिल्स तथा बलरामपुर चीनी मिल्स के वादों में निर्णीत हो चुका है—कमिश्नर व्यापार कर का परिपत्र रद्द किये जाने योग्य। *U.P. State Sugar Corporation Ltd. v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 493.

सामान्यतया विन्डस्क्रीन के रूप में ज्ञात ग्लास स्क्रीन अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में आता है और इसे ग्लास या ग्लासवेअर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। *M/s. Hindustan Safety Glass Works v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 473.

सिन्डर ऐश में प्रज्ज्वलनशीलता अवशेष रहती है और इसे छोटे कारखानों में कोयले की भाँति प्रयोग किया जा सकता है अतः इस पर कोयले की भाँति करदेयता है। *C.S.T. v. M/s. Modi Paur Ltd., Ghaziabad*, [1998] 28 STR 464.

सिन्डर 'कोयला व उसके अन्य प्रकार' से भिन्न होने के कारण उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है। कोयला व सिन्डर में विशेष भिन्नता यह है कि कोयला खनिज पदार्थ उत्पाद है जब कि सिन्डर खनिज पदार्थ का उत्पाद नहीं है। यह खनिज पदार्थ के उत्पाद का उत्पाद है। *M/s. International Chemical Industries, Modinagar v. C.S.T.*, [1998] 27 STR 167.

सिन्डर ऐश व कोल ऐश एक ही वस्तु है। *C.S.T. v. Modi Industries*, [1997] 25 STR 61.

कर देयता—कोयला व राखी दो भिन्न वस्तुएँ हैं। कोयला खनिज उत्पाद है, परन्तु राखी खनिज पदार्थ के उत्पाद का उत्पाद है। *M/s. International Chemical Industries v. C.S.T.* [1998] 27 STR 167.



रेवेट्स का निर्माण पीतल से किया जाता है अतः इसे पीतल की वस्तुओं में मानते हुए 3.5% की दर से कर लगाया जाना चाहिये। *Swadeshi Iron and Steel Works, Kanpur v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 459.

लइम स्टोन अथवा लाइम स्टोन प्रोडक्ट तथा सीमेंट दोनों दो भिन्न वस्तुयें हैं और सीमेंट जाली को लाइमस्टोन प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता है। *C.S.T. v. S/s. Ahmad Nagar Gramodyog Vikas Sansthan*, [1998] 28 STR 454.

सिलाई घागा एवं कढ़ाई घागा में कोई अन्तर नहीं है। दोनों 2% की दर से करयोग्य है। *Madura Coats v. C.S.T.*, [1998] 27 STR 197.

कुमकुम जो 'शिल्पा' के नाम से बाजार में बिक्री की जाती है उसे सौन्दर्य प्रसाधन की श्रेणी में समझते हुये कर आरोपित नहीं किया जा सकता। यह अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य है। *Tips and Tubes Cosmetics (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 794.

डीमेन्था आयल 'सभी प्रकार के तेल' की श्रेणी में कर योग्य है। *Chemtreat Chemicals, Bareilly v. State of U.P.*, 1997 UPTC 1224.

विज्ञप्ति सं० 6623 दि० 1-12-73 द्वारा प्रांत के अन्दर से खरीदे गये कागज से निर्मित अभ्यास पुस्तिका कर मुक्त है तथा विज्ञप्ति सं० 6624 दिनांक 1-12-73 द्वारा अन्य अभ्यास पुस्तिका 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है उक्त स्थिति मत भेदक होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 304(ए) के विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 1994 UPTC 474 का समर्थन किया जाता है। *State of U.P. and another v. M/s. Laxmi Paper Mart and another*, [1997] 25 STR 213.

प्लास्टिक की डोरी 4% की दर से करयोग्य है तथा उसे अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर आरोपित नहीं किया जा सकता। *C.T.T. v. S/s. Khandelwal Rassi Bhandar, Moradabad*, [1997] 25 STR 113; 1997 UPTC 166.

कोई वस्तु सौन्दर्य प्रसाधन है अथवा औषधि, उसके सामान्य प्रयोग पर निर्भर करता है। *Balaji Agency v. C.S.T.*, 1994 UPTC 184.

विद्युत ट्रांसफार्मर से निकाला गया कोर-स्टैम्पिंग, पुराना एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के रूप में 8% की दर से कर योग्य है। *Executive Engineer, Electricity Board v. C.S.T.*, 1994 UPTC 283.

नाईलान मोनो फिलामेंट अवर्गीकृत वस्तु के रूप में कर योग्य है तथा उसे यार्न की श्रेणी में नहीं समझा जा सकता यद्यपि उसका रूप यार्न की भाँति है। *Ganga Devi Agencies v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 83 : 1994 UPTC 582.

फ्यूल इन्जेक्शन संयंत्र डीजल इंजन का पार्ट है न कि मोटर वाहन का। *Motor Industries Co. Ltd. v. State of U.P.*, 1994 UPTC 685.

सामान्य व्यापारिक जगत में मेंथाल (पीपरमेंट) को औषधि नहीं समझा जाता। *Allied Distillation Co. v. C.S.T.*, 1995 UPTC 393.

ऐक्रेलिक केशमिलान से बने कार्डीगन व होजरी की वह वस्तुयें जो मानव की पोशाक के रूप में प्रयुक्त होती हैं, सिले सिलाये कपड़ों की तरह करयोग्य है। *C.S.T. v. Bombay Readymade Stores*, [1996] 24 STR 295 : 1996 UPTC 1256.

पेंटिंग व वार्निश के लिये सामग्री में ब्रश को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Mohan Udyog*, 1995 UPTC 634.

रबर के पट्टे अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य है न कि मोटर वाहन की सहयोगी वस्तु की भाँति। *United Copies (India) Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 137: 1995 UPTC 168.

छोटे बल्ब अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य है। *C.S.T. v. Miniature Bulb Industries India (Pvt.) Ltd.*, [1995] 22 STR 145: 1995 UPTC 1158.

सुतली जो टाट पट्टी के बुनने में प्रयुक्त होती है, यार्न की भाँति कर योग्य है। *C.S.T. v. Magan Mal Nemi Chand*, [1995] 22 STR 109: 1995 UPTC 912.

आटोमेटिक जल स्तर यंत्र, बर्फ व पानी नापने के यंत्र वैज्ञानिक संयंत्रों की श्रेणी में आते हैं। *C.S.T. v. Doon Engineering Pvt. Ltd.*, [1995] 22 STR 123: 1995 UPTC 1326.

शीशे के खोल जो छोटे बल्ब के निर्माण हेतु निर्मित किये जाते हैं, अवर्गीकृत वस्तु के रूप में कर योग्य हैं। *C.S.T. v. C.A. Glass Works*, [1995] 22 STR 312: 1996 UPTC 1.

संगमरमर के बड़े व छोटे पत्थर, पत्थर की श्रेणी में तथा उससे बने टाईल्स सभी प्रकार के टाईल्स की भाँति करयोग्य है। *Jain Marble Home v. Sales Tax Tribunal*, [1996] 23 STR 85.

पी०वी०सी० की चप्पलें व पुराने जूते जो कबाड़ियों से खरीदे जाते हैं, वे निष्प्रयोज्य उत्पादक वस्तु की भाँति करयोग्य नहीं है। निष्प्रयोज्य उत्पादक वस्तु का अर्थ भिन्न है। *J.J. Enterprises v. C.T.T.*, [1996] 24 STR 1: 1996 UPTC 471.

निष्प्रयोज्य पालीस्टर स्टेपल फाईबर अपने निहित गुणों को नष्ट नहीं करता अतः वह पालीस्टर स्टेपल फाईबर की भाँति कर योग्य है। *Swadeshi Polytex Ltd. v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 140: 1996 UPTC 980.

होजरी एक सामान्य शब्द है जिसमें बनियान, भोजे तथा होजरी क्लाथ भी सम्मिलित है। *C.S.T. v. Vjaya Hosiery Factory*, [1997] 25 STR 303: 1997 UPTC 40.

**बोरेक्स (सुहागा)**—खनिज पदार्थ होने के फलस्वरूप विज्ञापित संख्या एस०टी०-4049/दिनांक 30.5.75 के अनुसार 2% की दर से वर्ष 77-78, 78-79 व 79-80 में कर योग्य है। *C.S.T. v. Vanaspatti Agents*, [1991] 14 STR 261: 1991 UPTC 1320.

एम मीटर तथा वोल्टमीटर बिजली के सामान की भाँति 12% की दर से करयोग्य है तथा सर्विस मीटर जो विद्युत शक्ति की मात्रा को रिकार्ड करने के लिये लगाया जाता है 7% की दर से विद्युत वितरण यंत्र के रूप में कर योग्य है। *M/s. India Supply Corporation v. State of U.P.*, [1991] 14 STR 236: 1991 UPTC 1193.

**घाटर पम्प तथा पम्पिंग सेट**—विज्ञापित संख्या 6627/X-दिनांक 1.12.73 जो यू०पी० ऐक्ट नं० 38/1975 दिनांक 22.8.1975 द्वारा संशोधित की गई, 7% की दर से मशीनरी तथा इसके अतिरिक्त पुर्जे की श्रेणी में कर योग्य है। *State of U.P. v. Engineering Traders*, 1990 UPTC 638.

पम्पिंग सेट (नलकूप) भी कृषि उपकरण है। यू०पी० बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पम्पिंग सेट (नलकूप) पर तीन प्रतिशत की दर से बिक्री-कर देय है। *Nath Engineering Co., Etah v. State of U.P.*, 1983 UPTC 237.

**अवर्गीकृत वस्तु**—बिस्कुट पका हुआ भोजन की श्रेणी में नहीं आता बल्कि यह अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में आता है। *C.S.T. v. Shere Punjab Biscuit Factory*, 1983 UPTC 489.

**सिंवाई की मशीन**—उत्तर प्रदेश विज्ञापित सं० एस०टी० 3115/X-900(55)-67, दि० 18.6.1971 के अनुसार सिंवाई की मशीन रसोई घर में प्रयोग करने वाला सामान है अतः रसोई के सामान की भाँति कर योग्य है। *C.S.T. v. H.M. Industries*, 1980 UPTC 364.

प्रत्येक बिक्री पर लट्ठा व बांस कर योग्य वस्तुएं हैं। *C.S.T. v. Woodoo Co., Agra*, 1980 UPTC 931.

**होजरी की वस्तुयें**—ऊनी कार्डिगन्स और पुलोवर्स होजरी की वस्तुयें हैं और उनके टर्न-ओवर पर अधिसूचना संख्या 3612/दस-900 (21)-69 दिनोंक 1 जुलाई, 1969 के अनुसार उसी प्रकार कर देय होगा जिस प्रकार होजरी की वस्तुओं पर। *British India Corporation Ltd. v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 378 (Full Bench).

डिमेन्था आयल तथा मेन्था आयल एक ही वस्तु है। *Allied Distillation Co. v. C.S.T.*, 1995 UPTC 393.

**बन्द डिब्बों में बिस्कुट की बिक्री पर कर की दर**—डिब्बों में बन्द बिस्कुट की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता है। *Banaras Supplies Agency v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 66.

**अतुल प्लेटेड रिम्स**—ये कृषि उपकरण के समान हैं और इस पर 4 प्रतिशत कर लगने योग्य है। *Atul Agricultural Corporation v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 120.

करदाता द्वारा निर्मित किया हुआ 'इरैसमिक ब्लेड' अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 8 प्रतिशत की दर से कर देय है न कि स्टेनलेस-स्टील के सामान की भाँति। *Sharpege Ltd., Meerut v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 373.

**बटन तथा बोर्ड**—करदाता द्वारा निर्मित किया हुआ अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12 प्रतिशत की दर से कर लगने योग्य है। *C.S.T. v. Agarwal Wood Works*, [1987] 6 STR 135.

विज्ञप्ति दिनोंक 10 फरवरी, 1972 के अनुसार करदाता द्वारा निर्मित टैक्टर ट्रेलर्स की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर है। *Tata Agricultural Works v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 261.

**[3-कक. बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर कर का उद्ग्रहण**—धारा 3-क और 3-घ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, घोषित माल से भिन्न किसी माल या माल के वर्ग की राज्य के भीतर बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर धारा 3-क या 3-घ के अधीन जारी विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट दरों पर और यदि कर की दर के सम्बन्ध में ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो तो धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट दस प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी] :

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय धन के ऐसे भाग पर जिस पर राज्य के भीतर पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद पर कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, या पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद के ऐसे विक्रय धन पर जिस पर ऐक्ट के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन छूट दे दी गयी हो, कोई कर देय नहीं होगा।]

**[प्रयोजनार्थ नियम 12-क देखें]**

**महत्त्वपूर्ण विधिक अवधारणा**

अपंजीकृत व्यापारी से कच्चा चमड़ा तथा जानवरों की खाल की खरीद पर क्रेता व्यापारी को कर मुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। *C.S.T. v. Bareilly Skin Traders, Bareilly*, [2003] 38 STR 800 : 2003 UPTC 850.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा धारा 3-कक बढ़ाई गयी (प्रभावी 8.8.1997)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा "धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में यथाविनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनोंक 5-3-2001)

धारा 3-कक के अन्तर्गत यह प्रविधान है कि यदि कोई वस्तु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित वस्तु है तब प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार एक सूत्रीय कर आरोपित किये जाने का प्राविधान होना चाहिये। तथा बिक्री दर उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित कर की दर से अधिक नहीं होनी चाहिये। चूँकि काटन बेल्टिंग "काटन फैब्रिक" जैसा कि धारा 14 में वर्णित है के अन्तर्गत आती है अतः कोई विज्ञप्ति न होने के कारण करमुक्त है। उच्च न्यायालय द्वारा 4% की दर से आरोपित कर निरस्त योग्य है। *Commissioner of Sales Tax v. Agra Belting Works*, 2000 UPTC 381 (SC).

**1[3-कख. माल के साथ बेची गयी पैकिंग सामग्री पर कर की दर—**इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, जहां माल पैकिंग सामग्री के साथ बेचा या खरीदा जाय, वहां पैकिंग सामग्री की बिक्री या खरीद पर—

(क) ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ बेचे या खरीदे गये माल की बिक्री या खरीद पर प्रयोज्य दर पर कर लगेगा;

(ख) कोई कर नहीं लगेगा, यदि व्यापारी द्वारा बेचा गया या खरीदा गया ऐसा माल कर से मुक्त हो।]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

बोरे का दाम अलग से नहीं चार्ज किया गया। क्रेता बिक्रेता के बीच स्पष्ट या अन्तरनिहित करार नहीं। बोरा व्यापारी के हाथों कर योग्य नहीं। *C.S.T. v. The Kishan Sahakari Chini Mills, Shahjahanpur*, [2004] 39 STR 154.

धारा 3-एबी—करमुक्त चीनी की बिक्री में प्रयुक्त बोरो का मूल्य क्रेता से न चार्ज करने की दशा में व्यापारी पर कोई कर देयता नहीं है। *C.T.T. v. U.P. State Sugar Corporation*, [2001] 34 STR 622.

धारा 3-एबी—यू०पी० ऐक्ट संख्या 28/1991 द्वारा धारा 3-कख जो यद्यपि दिनांक 1.8.1990 से लायी गयी, वह पूर्वगामी प्रभाव रखती है तथा यदि करमुक्त वस्तु बेची गई है तो पैकिंग मैटेरियल पर कर देय नहीं होगा। *Chhatta Sugar Co. Ltd., Mathura v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 484 : 2000 UPTC 828.

धारा 3-एबी—करमुक्त वस्तु की बिक्री में प्रयुक्त पैकिंग मैटेरियल पर कोई करदेयता नहीं है। *M/s. Chahata Sugar Co. Ltd., Mathura v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 633.

चीनी की बिक्री में प्रयुक्त बारदाना कर योग्य नहीं है। धारा 3-एबी पूर्वगामी प्रभावयुक्त है। *The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd. Nainital v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 66.

**3-ककक. कतिपय बिक्रियों के सम्बन्ध में उपधारणा—**यदि इस अधिनियम के अधीन माल पर कर केवल उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर लगाया जाना हो तो किसी व्यापारी द्वारा—

(क) किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को, जो उन्हें राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्जीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसी रूप और अवस्था में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, पुनः बिक्री के लिए क्रय नहीं करता है; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.8.1990)।

(ख) रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को, की गई प्रत्येक बिक्री तब तक उपभोक्ता को की गई बिक्री समझी जायेगी जब तक कि व्यापारी उसे कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, और इस प्रयोजन के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाय, क्रेता व्यापारी से प्राप्त घोषणा-पत्र भी कर-निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत न कर दे।

### [प्रयोजनार्थ नियम 12-क देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कच्चा चमड़ा बिना फार्म 3क खरीद करने पर क्रेता को की गई बिक्री उपभोक्ता को की गई बिक्री है तथा क्रेता द्वारा बिक्री करने पर कर देयता नहीं है। *Pioneer Tanneries Glue Works, Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 246.

फार्म 3क का लाभ व्यापारी द्वारा प्राप्त किया गया जिसे जाँच पर गलत पाया गया। धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना विधि सम्मत। *Excellent Motors v. Addl. Commissioner, Trade Tax Officer, Kanpur*, [2004] 39 STR 71.

प्रपत्र 3क व 3ख के विरुद्ध बिक्री करते समय बिक्रेता व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह देख ले कि प्रपत्र में कोई त्रुटि तो नहीं है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह क्रेता व्यापारी तथा प्रश्नगत फार्म की सत्यता की जाँच करे। यदि फार्म देने वाला व्यापारी बाद में नहीं मिल पाता है तो फार्म के आधार पर की गयी करमुक्ति वापस नहीं ली जा सकती है। *M/s. Gaurav Traders, Kanoon Goyan, Meerut v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 116 (HC).

यदि व्यापारी की ओर से कोई भूल व लापरवाही नहीं की गई है तो फार्म 3क जो उसने क्रेता व्यापारी से प्राप्त किये हैं, पर लाभ अनुमन्य है। *Bharat Iron Stores v. C.S.T.*, 1994 UPTC 130.

व्यापारी निर्माता है तथा यदि उसके द्वारा की गई बिक्री 3 क फार्म से समर्थित नहीं है तो बिक्री उपभोक्ता को मानी जायेगी। *Deependra Metal Works v. C.S.T.*, 1994 UPTC 533.

बिक्रेता व्यापारी पर तब तक कर का दायित्व स्थिर नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो कि क्रेता व्यापारी फार्म 3क जारी करने के लिये अधिकृत नहीं था तथा बिक्रेता व्यापारी की अवैधानिक कार्य किये जाने में मिली भगत थी। *Indra Steels Private Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 25: 1995 UPTC 4.

<sup>1</sup>[3-कककक. कतिपय परिस्थितियों में माल की खरीद पर कर का दायित्व—धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यापारी, जो <sup>2</sup>[इस ऐक्ट के अधीन] कर देय, कोई माल—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं है तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर उसी दर पर जिस पर ऐसी परिस्थितियों के न होने पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय होता, कर का देनदार होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से, चाहे ऐसे

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.4.1974)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित तथा पुनः क.स.वि.-2-3110/XI-9 (460)/94 उ०अ० अधि०-15-48-आदेश-97 दि० 30-9-1997 द्वारा संशोधित (प्रभावी 8.8.1997)।

व्यक्ति द्वारा कर देय हो या नहीं, क्रय करता है तो ऐसे माल की क्रय कीमत पर उसी दर पर, जिस पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय है, कर का देनदार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसे माल की क्रय कीमत पर कोई कर देय न होगा, यदि—

- (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये ऐसे माल पर कर पहले ही लगाया जा चुका हो या [इस ऐक्ट के अधीन] लगाया जा सकता हो;
- (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किए गये ऐसे माल के सम्बन्ध में कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो;
- (3) क्रेता व्यापारी ऐसे माल को उसी रूप और अवस्था में, जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पुनः बेचता है या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है;
- (4) ऐसे माल पर ऐक्ट की धारा 4-क के अधीन छूट दी जा सकती है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा और धारा 3-कककक के प्रयोजन के लिए—

- (1) उपयुक्त प्रकार से क्रय की गई कच्ची कपास को औटने के पश्चात् ओटी हुई कपास, या
- (2) उपर्युक्त प्रकार से क्रय की गई कच्ची खाल और चमड़े को परिष्कृत या शोधन करने के पश्चात् परिष्कृत खाल और चमड़ा या शोधित चमड़े, या
- (3) उपर्युक्त प्रकार से क्रय किये गये धान को कूटने के पश्चात् 2 सितम्बर, 1976 को प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान चावल की बिक्री, उसी रूप और अवस्था में समझी जायेगी।]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

अपंजीकृत व्यापारी से कोयले की खरीद पर करदेयता से तभी बचा जा सकता है जब यह सिद्ध किया जाय कि उस पर कर पहले दिया जा चुका है। *C.S.T. v. Cawnpore Chemical Works*, [2004] 39 STR 257.

धारा 3-एएएए—अधिकरण द्वारा टिप्पणी की गई कि कर निर्धारण अधिकारी धारा 3-कककक के अन्तर्गत आरोपित कर को वेव कर सकता है। उसे यह निष्कर्ष देना चाहिये था कि क्या प्रश्नगत सम्यवहार 3-कककक में करयोग्य है अथवा नहीं। वाद प्रति प्रेषित किया गया। *M/s Krishna Biharilal Bhagwan Das v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 208.

कच्चा चमड़ा के क्रेता को खरीद पर कर मुक्ति का लाभ लेने के लिये परन्तुक (i), (ii) तथा (iii) में दी गई शर्तों का अनुपालन सिद्ध करना होगा। *C.S.T. v. Bareilly Skin Traders, Bareilly*, [2003] 38 STR 800 : 2003 UPTC 845.

व्यापारी ने विशिष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई उत्पादन नहीं किया है तथा दिल्ली के व्यापारी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित तथा पुनः क.स.वि.-2-3110/XI-9 (460)/94 उ०प्र० अधि०-15-48-आदेश-97 दि० 30-9-1997 द्वारा संशोधित (प्रभावी 8.8.1997)।

से माल खरीद कर निर्यात किया है। इस कथन की जाँच नहीं की गई। वाद प्रतिप्रेषित किया गया। केन्द्रीय बिक्री निर्धारित करने का कोई आधार न दिये जाने के कारण केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कर निर्धारण अपास्त किया गया। *Shivam Overseas Corporation, Noida v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 501.

उपभोक्ता को बिक्री किये जाने के बिन्दु पर कर योग्य वस्तु प्रपत्र 3-क देकर क्रय की गई वस्तु प्रान्त बाहर आदत पर बेचने पर कर देयता बनती है भले ही बिक्री के समय कर बिन्दु बदल गया हो। *M/s Vijay Dal Mills v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 449.

धारा 3-कककक के अन्तर्गत कर की देनदारी खरीद की तिथि पर सुनिश्चित हो जाती है। यदि बिक्री के समय उस वस्तु पर उपभोक्ता के बिन्दु से हटकर किसी अन्य बिन्दु पर देय हो जाय तब उसका प्रभाव धारा 3-कककक के अन्तर्गत लगने वाले कर पर नहीं पड़ेगा। *M/s. Vijay Dall Mills Kanpur v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 983.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5-(1) एवं (3) के अन्तर्गत बिना किसी संविदा तथा अज्ञात बिक्रेता से खरीद होने पर धारा 3-कककक लागू होगी। *Nathmal Mahabir Prasad v. C.S.T.*, [1996] 24 STR 337 : 1996 UPTC 1258.

**क्रय कर देने का दायित्व**—किसी व्यापारी पर धारा 3-कककक के अधीन कर देने का दायित्व है, तो उस व्यापारी पर धारा 3-कककक के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जा सकता। *C.S.T. v. Indian Oil Seed Agency*, 1980 UPTC 469.

अधिकरण ने कोई निष्कर्ष धारा 3-कककक के अधीन कर के दायित्व के सम्बन्ध में नहीं निकाला। अधिकरण के ऐसे आदेश को रद्द कर दिया गया तथा उसको यह निर्देश दिया गया कि वह कर के दायित्व के प्रश्न पर पुनः विचार धारा 3-कककक के अधीन करे तथा मामले को इस भाग का निर्णय, गुण व दोष के आधार पर विधिपूर्वक करे। *C.S.T. v. Madan Lal Dana & Sons*, [1987] 6 STR 94.

यदि करदाता के बही खाते अस्वीकार कर दिये गये हैं तो ऐसी दशा में धारा 3-कककक के अधीन कोयले का अनुमानित आवर्तन किया जा सकता है। *Riyazul Islam, Brick-kiln Owner v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 183.

**[3-ख. मिथ्या प्रमाण-पत्र आदि जारी करने पर दायित्व**—इस नियम में अन्यत्र दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, और धारा 14 और 15-क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो <sup>2</sup>[व्यक्ति] इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन निर्धारित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र किसी अन्य <sup>2</sup>[व्यक्ति] को जारी करे जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति <sup>3</sup>[के साथ या उसके द्वारा] किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर देय हो जाता है, वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जायगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 द्वारा रखी गयी (प्रमावी 1.4.1974)।

2. 'व्यापारी' शब्द के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. 'के साथ' शब्द के स्थान पर 'के साथ या उसके द्वारा' उ०प्र० अधि० सं० 4 सन् 1982 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

**स्पष्टीकरण**—यदि प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करने वाला <sup>2</sup>[व्यक्ति] उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये गये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये गलत समझा जायेगा।]

[प्रयोजनार्थ नियम 12-क, 12-ख, 12-ग, 25, 25-क,

46-ख, 46-ग 77, 77-क व 86 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

पात्रता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी द्वारा चावल का निर्माण करके बेचा गया तथा क्रेता को प्रपत्र 3-ग(2) जारी किया गया जिससे प्रथम क्रेता व्यापारी कर से छूट पा गया। व्यापारी ने प्रपत्र 3-ग(2) गलत जारी किया तथा धारा 3-बी के अन्तर्गत देय कर के बराबर की धनराशि की उसकी देनदारी बनती है। *M/s. Mahabtr Rice Mill, Saharanpur v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 466.

व्यापारी को धारा 3-बी के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सामान्यतया उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। *Bhagwan Das & Co. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 80 : 2003 UPTC 140.

निर्माता व्यापारी द्वारा चावल की बिक्री हेतु क्रेता को फार्म 3-ग(2) जारी किया गया जिसके लिये उस पर धारा 3-ख के अन्तर्गत कार्यवाही विधि—समस्त पाई गई। *M/s. Bajrang Industries v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 243.

धारा 3-ख के प्रविधान उसी स्थिति में लागू होते हैं जबकि अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत प्रस्तावित किसी घोषणा—पत्र के आधार पर करमुक्ति का दावा प्राप्त किया गया हो। *Commissioner of Trade Tax v. Pack Well Print Industries Ltd., Dehradun*, 2000 UPTC 729.

धारा 3-ख में कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु यह निष्कर्ष आवश्यक है कि घोषणापत्र गलत जारी किया गया है अथवा असत्य है। *Arora Steel Udyog (p) Ltd, Alld. v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 190.

मान्यता प्रमाण पत्र धारक द्वारा प्रपत्र 3 ख में की गई घोषणा गलत नहीं पाई गई अतः धारा 3-ख का आदेश रद्द किया गया। *Willard India Ltd. v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 624.

प्रथम खरीद पर देय कर निर्माता द्वारा 3 ग (2) फार्म जारी करने के कारण देय नहीं रह गया। 3 ग (2) फार्म गलत जारी किया गया तथा धारा 3-ख के अन्तर्गत दायित्व निर्धारण सही पाया गया। *Shyam Industries, Industrial Estate, Gorakhpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 706.

कर देयता के बिन्दु और सम्बन्धित वस्तु की पहचान के सम्बन्ध में अधिकरण का निष्कर्ष तथ्य परक होने तथा उसमें कोई त्रुटि न पाये जाने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने से उच्च न्यायालय ने इन्कार किया। *C.S.T. v. Gauraya Straw & Card Board Mill*, [1999] 30 STR 438.

धारा 4-ख(2) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र में एम० एस० वायर सम्मिलित होने के फलस्वरूप धारा 3-ख के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं। *C.T.T. v. Spox India and Allied Industries, Kanpur*, [1998] 28 STR 628.

धारा 3-ख के अन्तर्गत अर्धदंड तब तक आरोपित नहीं किया जा सकता जब तक यह प्रमाणित न हो जाये कि फार्म 3-ख गलत व झूठा है। *Sahni Engineering Works v. C.S.T.*, 1994 UPTC 70.



धारा 3-ख के अन्तर्गत पारित आदेश कर निर्धारण आदेश नहीं है अतः निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित होना अनिवार्य नहीं है। *B.P. Compressors v. C.S.T.*, 1995 UPTC 256; *Varanasi Auto Sales v. C.S.T.*, 1994 UPTC 974.

यदि अर्थदंड, मान्यता प्रमाण पत्र के पूर्वगामी प्रभाव से संशोधित किये जाने के फलस्वरूप आरोपित किया गया है तो वह विधिनुकूल नहीं है क्योंकि पूर्वगामी प्रभाव से मान्यता प्रमाण पत्र संशोधित नहीं किया जा सकता। *Solar Premises (P) Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 22 STR 268; 1996 UPTC 987.

धारा 3-ख के तहत आदेश कर निर्धारण अधिकारी ही पारित कर सकता है और वही इसके लिये सक्षम है। धारा 3-ख केवल मशीनरी धारा है। कर-निर्धारण अधिकारी धारा 3-ख के अधीन करदाता के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। *C.S.T. v. Vijendra Industries*, [1987] 6 STR 154.

धारा 3-ख के अधीन कर इस आधार पर लगाया गया कि करदाता ने गलत घोषणा-पत्र 3-ख में दिया था कि उसे पूर्ण मुक्ति मिल सके। अधिकरण ने कर का लगान रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने केस पुनः विचार हेतु प्रत्यावर्तन कर दिया कि कर उसी समय लगने योग्य होगा यदि करदाता ने फार्म 3-ख में गलत घोषणा की है या उसमें परिवर्तन किया है। *C.S.T. v. Aahuja Screw Factory, Khurja*, 1988 TLD 1.

**धारा 3-ख के अधीन कार्यवाही**—फार्म 3-ए के आधार पर संगमरमर के सामान की खरीद क्रेता को कर दिये बगैर की गई। फार्म 3-ए गलत दिया गया जिसके लिये कर-निर्धारण अधिकारी करदाता से जिसने गलत फार्म कर छिपाने हेतु दिया, कर वसूल करने के लिये सक्षम है। *Oversease Trade Linkers, Agra v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 384.

**3-ग. विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व**—(1) यदि व्यापारी के अधीन कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो, तथा ऐसी फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

- (क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनोंक तक देय अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायेगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो, तथा वह बन्द नहीं था; और
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के समय उक्त फर्म का हिस्सेदार अथवा उस संघ अथवा कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, व्यापार के इस प्रकार बन्द होने पर भी उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर तथा आरोपित अर्थदण्ड का पृथक्-पृथक् तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण या अर्थदण्ड का आरोपण व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही व्यापारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संगठन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संगठित फर्म या संघ तथा पुनः संगठन के पूर्व यथा विद्यमान उस फर्म या संघ के हिस्सेदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक्, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनः संगठन के पहले की किसी अवधि के लिये उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो ।]

(2) हस्तान्तरिती पर कर का दायित्व—यदि कर के देनदार किसी व्यापारी के व्यापार का स्वामित्व हस्तान्तरित किया जाय तो हस्तान्तरकर्ता तथा हस्तान्तरिती (transferee), ऐसे हस्तान्तरण के समय तक उक्त व्यापार के सम्बन्ध में देय, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, कर के संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक देनदार होंगे, चाहे कर का निर्धारण या अर्थदण्ड का आरोपण ऐसे हस्तान्तरण के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।

(3) यदि पुनः संगठित फर्म अथवा संघ से उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अथवा हस्तान्तरिती से उपधारा (2) के अधीन, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, कर वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म अथवा संघ या हस्तान्तरिती को अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से वसूल कर ले जो उस कर का मूलतः देनदार था।

**स्पष्टीकरण**—किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनः संगठन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायेगा।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

विघटित फर्म के खिलाफ किसी भी एक साझीदार पर कर-निर्धारण और कर की वसूली के लिये नोटिस की तामीली करना पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि फर्म के प्रत्येक साझीदार पर नोटिस की तामीली हो। *C.S.T. v. S. Nabi Husain, Moradabad, 1983 UPTC 452.*

कर का आरोपण फर्म के आदाता पर नहीं किया जा सकता है। फर्म पर लगे हुए बिक्री-कर को फर्म की सम्पत्ति से ही भुगतान किया जायेगा। *Kanodia Brothers v. C.S.T., 1972 UPTC 479.*

**3-घ. 'कतिपय माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर का लगाया जाना'**—(1) सिवाय उस दशा में जिसकी व्यवस्था उपधारा (2) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये व्यापारी द्वारा (चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे), या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय-एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर किये गये—

(क) अफीम के प्रथम क्रय के सम्बन्ध में ऐसी दर से जो 'पैंतिश प्रतिशत' से अधिक न होगी;

(ख) किसी ऐसे अन्य माल के प्रथम क्रय के सम्बन्ध में, ऐसी दर से, जो—

(1) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर; तथा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 7 द्वारा शब्द "कतिपय माल पर क्रय कर या विक्रय कर का लगाया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा खण्ड (क) में शब्द "पैंतिश प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा क.स.वि.-2-2371/XI-9 (251)/97, दि० 23-11-1998 द्वारा दि० 1.12.1998 से प्रभावी।

(2) अन्य माल के सम्बन्ध में, <sup>1</sup>[बीस प्रतिशत] से अधिक नहीं होगी। ऐसे क्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, और ऐसे दिनोंक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित द्वारा निर्दिष्ट करे, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा :

<sup>2</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञापित द्वारा ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में, विक्रय धन पर कर के स्थल का परिष्कार कर सकती है।]

**स्पष्टीकरण-1**—इस उपधारा के अधीन कर-योग्य विक्रय-धन अवधारित करने के लिये, वह धनराशि जिससे एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्रय किया जाय, उसके कुल विक्रय-धन से केवल तब कम कर दी जायेगी जब यह साबित कर दिया जाय कि प्रश्नगत क्रय प्रथम क्रय नहीं है।

**स्पष्टीकरण-2**—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10, 1955) की धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में खाद्यान्न के क्रय के सम्बन्ध में, जिसमें उद्ग्रहण अंश से अधिक का कोई क्रय भी सम्मिलित है राज्य सरकार या उसके क्रय अभिकर्ता से किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय ऐसे खाद्यान्न का प्रथम क्रय होगा और तदनुसार ऐसे व्यापारी पर उस स्थल पर कर लगाया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित किसी माल के सम्बन्ध में क्रयकर्ता <sup>3</sup>[\*\*\*] चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हो, तो प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए उस व्यापारी के, जो ऐसे क्रयकर्ता को ऐसा माल बेच रहा हो अथवा जिसके माध्यम से ऐसे माल की बिक्री की जा रही हो, ऐसे माल के विक्रय-धन पर, जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, और कर की दर वही रहेगी जो उपधारा (1) में विज्ञापित की गयी हो।

#### [प्रयोजनार्थ नियम 44 देखें]

(3) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन अथवा क्रय-धन पर, यथास्थिति, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन कर देय हो, और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा उसी विक्रय-धन अथवा क्रयधन पर कर का देनदार न होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा क.स.वि. -2-2371/XI-9 (251)/97, दि० 23-11-1998 द्वारा दि० 1.12.1998 से प्रभावी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित तथा क.स.वि. -2-2371/XI-9 (251)/97, दि० 23-11-1998 द्वारा दि० 1.12.1998 से प्रभावी।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 6 द्वारा 'अथवा यथास्थिति प्रथम क्रय कर्ता' निकाला गया।

(4) [\*\*\*] निकाल दी गयी।

(5) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 18 के उपबन्ध इस धारा के अधीन देयकर के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(6) यदि कोई माल, जिसके सम्बन्ध में किसी अन्य धारा के अधीन कर लगाया जाय, इस धारा के अधीन विज्ञापित किया जाय अथवा यदि इस धारा के अधीन विज्ञापित कोई माल अनुसूचित (denotified) कर दिया जाय और उसके सम्बन्ध में किसी अन्य धारा के अधीन किसी कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाय, तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी, अर्थात्—

(क) उस अवधि के लिए, जिसमें इस धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके क्रय-धन या विक्रय-धन पर, जैसी भी दशा हो; और

(ख) उस अवधि के लिये, जिसमें किसी अन्य धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके विक्रय-धन पर।

(7)(क) जब तक कि व्यापारी, विक्रेता व्यापारी से, प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में किया गया प्रत्येक क्रय, उप-धारा (1) [\*\*\*] के प्रयोजनार्थ, प्रथम क्रय माना जायेगा।

[प्रयोजनार्थ नियम 12-ख (1) व (12) देखें]

(ख) जब तक कि माल बेचने वाला व्यापारी ऐसे माल के क्रेता से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में की गई प्रत्येक बिक्री, उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को की गई बिक्री मानी जायेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 12-ख (1) व (12) देखें]

(8) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम-से-कम

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा उपधारा (4) लोप किया गया (प्रभावी 1.12.1998) पूर्व में उपधारा (4) निम्न रूप में था :

(4) इस धारा के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, इस प्रकार विज्ञापित माल के सम्बन्ध में किसी अन्य धारा के अधीन कोई कर नहीं लगाया जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 के द्वारा शब्द 'के खण्ड (ख)' निकाल दिये गये।

कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगी, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।

**स्पष्टीकरण-(1)**—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित माल एक दूसरे से भिन्न समझे जायेंगे, अर्थात्—

- (क) खाण्डसारी, शीरा, जिसके अन्तर्गत शीरा सायर, शीरा गलावट और शीरा सलावट भी है;
- (ख) राब, जिसके अन्तर्गत राब सायर, राब गलावट और राब सलावट भी है;
- (ग) गुड़-लौटा और गुड़-रसकट;

और तदनुसार, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उक्त माल में से किसी एक पर धारा 3-क के अन्तर्गत केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि उनमें से किसी अन्य पर इस धारा के अधीन कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका है, अथवा विलोमतः।

**[स्पष्टीकरण-(2)**—पहली अक्टूबर, 1964 को प्रारम्भ होने वाले और 14 नवम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले किसी अवधि के सम्बन्ध में कर निर्धारण प्रयोजन के लिये दले हुये या प्रसंस्कृत खाद्यान्न, अनाज या दाल को बिना दले या अप्रसंस्कृत खाद्यान्न, अनाज या दाल से भिन्न समझा जायेगा, और तदनुसार इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह दले हुये या प्रसंस्कृत खाद्यान्न अनाज या दाल के, ऐसी अवधि के सम्बन्ध में, प्रथम क्रय के सम्बन्ध में कर आरोपित किये जाने, लगाये जाने या वसूल किये जाने को केवल इस कारण प्रतिषिद्ध करती है कि ऐसे खाद्यान्न, अनाज या दाल पर उसके बिना दले हुये या अप्रसंस्कृत रूप में कर आरोपित किया, लगाया या वसूल किया जा चुका है।]

[प्रयोजनार्थ नियम 12-ख व 44-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धान की भूसी तथा चावल की भूसी दो विभिन्न वस्तुयें हैं। धान की भूसी की खरीद करने पर क्रेता व्यापारी पर कोई करदेयता नहीं है। *C.S.T. v. U.P. Straw and Agro Product Ltd., Moradabad, [2004] 39 STR 240.*

फार्म 3ग तभी जारी किया जा सकता है जबकि प्रश्नगत वस्तु पर कर का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि बिना जाँच के यह नहीं सुनिश्चित किया जा सकता अतः करनिर्धारण अधिकारी को फार्म 3ग

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980 द्वारा अन्तःस्थापित।

जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। *Parvati Mills, Sahjanwa, Gorakhpur v. Sales Tax Officer*, [2004] 39 STR 147.

फार्म 3घ पर की गई बिक्री पर करदाता करमुक्ति का अधिकारी है। यदि फार्म गलत जारी किया गया है तो जारीकर्ता व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। *C.S.T. v. Cawnpore Chemical Works*, [2004] 39 STR 257.

**करमुक्ति**—मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी को दलहन की खरीद पर पूर्ण करमुक्ति नहीं है। *Parvati Mills, Sahjanwa, Gorakhpur v. Sales Tax Officer*, [2004] 39 STR 147.

प्रान्त बाहर के निर्देष्टा के लिये आदत में की गई खरीद पर धारा 12-क(2) के प्राविधान नहीं लागू होते हैं। *C.S.T. v. Ramesh Dal Mill, Hathras*, [2004] 39 STR 156.

अधिकरण द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि प्रश्नगत खरीद अन्तर्राज्यीय है जिसे चुनौती नहीं दी गई ऐसी स्थिति में राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। *C.S.T. v. Sunder Lal Kapoor Chandra, Lalitpur*, [2004] 39 STR 108.

प्रान्त बाहर के व्यापारी के लिये पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गल्ला की खरीद की गई कोई विक्रय पत्र नहीं बनाया गया—खरीद की धनराशि क्रेता के नाम डाली गई। क्रयधन पर कमीशन चार्ज किया गया—माल ट्रक/रेल से भेजा गया—वाद **मुकुन्दलाल बनारसीलाल**, [2003] 37 एस०टी०आर० 121 के निर्णय से आच्छादित है तथा व्यापारी प्रश्नगत गल्ला का प्रथम क्रेता नहीं है। *Mathura Commercial Company v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 142.

अन्तर्राज्यीय खरीद के संदर्भ में अधिकरण द्वारा यह नहीं देखा गया कि खरीद तथा खरीदे गये माल के डिस्पैच में क्या सम्बन्ध है। वाद पुनः निर्णयार्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। *C.S.T. v. Dhanraj Dal Mill, Aligarh*, [2003] 38 STR 819.

**धारा 3-डी—नियम 12-बी—करमुक्ति**—फार्म 3ग के प्रतिपत्र की छाया प्रति के आधार पर कर मुक्ति नहीं दी जा सकती है। *C.S.T. v. Dhanraj Dal Mill, Aligarh*, [2003] 38 STR 819.

**धारा 3-डी एवं 4-बी—नियम 25-बी**—मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी द्वारा कच्चे माल के रूप में भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ खरीदा गया जिसपर निगम ने कर वसूल किया। व्यापारी को यह कर की धनराशि वापसी योग्य है। *Bhawani Roller Flour Mills Pvt. Ltd. v. Senior Regional Manager, F.C.I.*, [2003] 38 STR 631.

**धारा 3-डी—करमुक्ति**—प्रपत्र 3ग(1) जारी करने मात्र से गल्ला की अन्तर प्रांतीय खरीद प्रांतीय अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य नहीं हो सकती है। *C.T.T. v. Mohan Lal Naresh Kumar, Muzaffarnagar*, [2003] 37 STR 92 : 2003 UPTC 307.

**धारा 3-डी**—प्रान्त बाहर के व्यापारी हेतु कमीशन एजेंसी में खरीद कर उस पर कमीशन व खर्चे चार्ज करके भेजा गया माल प्रांतीय अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है। *C.T.T. v. Mauzi Ram Rameshwar Das, Mathura*, [2003] 37 STR 131 : 2002 UPTC 1233.

जिस बिन्दु पर पुनर्विचार हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया गया है करनिर्धारक अधिकारी केवल उसी पर अपना निष्कर्ष दे सकता है तथा जो बिन्दु अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका है उस पर विचार करने का उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। *Satish Trading Co. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 95.

प्रपत्रों के आधार पर करमुक्ति का लाभ—प्रपत्र 3-ग(1) जारी करने वाले व्यापारी का पंजीयन जारी करने के दिनोंक से प्रभावी हो और प्रपत्र फर्जी न हो तो करदाता को प्रपत्र के आधार पर करमुक्ति का लाभ दिया जा सकता है। *C.S.T. v. Ram Karan Das Anil Kumar Arhti, Shahjahanpur*, [2003] 37 STR 299.

प्रान्त बाहर के निर्देष्टा के लिये क्रय किया गया गल्ला व्यापारी के हाथों प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत 3ग(1) फार्म जारी करने के आधार पर कर योग्य नहीं होगा। *Mukund Lal Banarasi Lal v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 121 : 2003 UPTC 525.

**धारा 3-डी एवं नियम 12-बी—करमुक्ति—निर्धारित घोषणा पत्र खो जाने के कारण नहीं दिये जाने से करमुक्ति का लाभ नहीं दिया गया।** 15-1-1988 के परिपत्र के अनुसार बिक्रेता व्यापारी से कर जमा किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित धनराशि के वेवर का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा सकता है। *Gupta Grain Merchant v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 375.

**धारा 3-डी एवं नियम 12(5)—प्रपत्र 3-ग क्रेता द्वारा न दिये जाने पर देशी घी का विक्रेता बिक्री पर कर देने के लिए उत्तरदायी है।** *C.T.T. v. New Brj Sudh Deshi Ghee Store, Meerut Etc.*, [2002] 36 STR 649 : 2002 UPTC 1031.

**धारा 3-डी एवं 12-बी—करमुक्ति—यदि प्रथम अपील अथवा अधिकरण के समक्ष प्रपत्र 3ग प्रस्तुत किया जाता है तो इसका लाभ व्यापारी को दिया जा सकता है।** *Pramod Sugar Corporation, Shyamganj, Bareilly v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 681.

**धारा 3-डी एवं 12-बी—अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अधिकरण द्वारा प्रपत्र 3-ग करमुक्ति हेतु विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है।** *Dhan Prakash Cane Crushers, Kasoli, Muzaffarnagar v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 358 : 2002 UPTC 788.

**धारा 3-डी—व्यापारी ने गेहूँ की खरीद पर करमुक्ति दावा विज्ञप्ति दिनांक 18-7-79 के आधार पर किया किन्तु यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसका मिल रोलर फ्लोर मिल है।** अधिकरण द्वारा व्यापारी की गेहूँ की खरीद पर करदेयता सही स्थिर की गई। *Agrawal Rice Mill, Bijnor v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 463.

**धारा 3-डी—करमुक्ति के लिये 3-ग(1) व (5) प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसके अभाव में करारोपण विधि सम्मत है।** कमिश्नर के परिपत्र के संदर्भ में कर से छूट के विषय में उच्च न्यायालय ने विचार करने से इन्कार किया क्योंकि नीचे के अधिकारियों के सम्मुख ऐसा कोई आधार नहीं रखा गया था। *Agrawal Rice Mill, Bijnor v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 463.

**करमुक्ति के लिये फार्म 3-ग(2) मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।** *M.P. Traders v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 21.

**फार्म 3ग(2) पर कटिंग या ओवर राइटिंग जारी करने वाले व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये।** फार्म के पीछे दिये गये विवरण को सम्बन्धित बिल से जांचा जा सकता है। *Arvind Kumar Gupta v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 117.

**प्रपत्र 3-ग न प्रस्तुत किये जाने पर अन्य साक्ष्यों के आधार पर करमुक्ति के दावे का अस्वीकरण उचित है।** *Ajal Kumar and Company, Badaun v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 283.

**कमिश्नर के परिपत्र पर निर्धारित कर से मुक्त होने हेतु व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।** *Ajal Kumar and Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 283.

**व्यापारी ने चावल की करयोग्य बिक्री रु० 2,53,030.50 स्वीकार किया जबकि अधिकरण द्वारा यह रु० 29,900 निश्चित की गई।** अधिकरण का आदेश निरस्त कर पुनः विक्रयधन निश्चित करने के लिये निर्देश दिया गया। *C.S.T. v. Khanna Rice Mills*, [2001] 33 STR 80.

**नष्ट गेहूँ जानवर का भोजन होने के कारण करमुक्त रहेगा।** *Commissioner of Sales Tax v. M/s. Ram Chandra Asha Ram*, 2000 UPTC 636 (SC).

**फार्म 3ग के बिना क्रयकर अथवा बिक्रीकर से मुक्ति नहीं दी जा सकती।** *C.S.T. v. Abdul Ghanl Banne Mian, Bijnor*, 2000 UPTC 303.

धारा 3-डी—धारा 3-डी(7) की अवधारणा को समाप्त करने हेतु प्रपत्र 3ग(2) की छाया प्रति या द्वितीय प्रति प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त नहीं है। *Shivam Industries, Agra v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 196.

धारा 3-घ(1) के प्राविधान के लिये उपधारा (2) अपवाद है। *C.S.T. v. Brij Mohan and Company, Moradabad*, [1999] 30 STR 452.

व्यापारी द्वारा अपनी जमीन पर उत्पादित अनाज की बिक्री उसके हाथों कर योग्य नहीं। *C.T.T. v. S/s. Acid and Chemicals Pvt. Ltd., Hasanpur*, [1999] 30 STR 424.

राज्य के बाहर के निर्देष्टा हेतु की गई गल्ले की खरीद को पहले निर्देष्टा से कर वसूल कर जमा किया गया तत्पश्चात इसे अन्तर्राज्यीय खरीद का दावा करके करमुक्त माना गया। गल्ले की खरीद तथा क्रेता द्वारा माल को राज्य के बाहर ले जाने की क्रिया में एकात्मकता स्थापित न होने के कारण इसे प्रान्तीय खरीद माना गया। *C.S.T. v. Jai Shiv Trading Co.*, [1999] 30 STR 466.

व्यापारी ने प्रान्त बाहर के आदती के माध्यम से कृषकों का माल बिक्री करना स्वीकार किया—अधिकरण ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि कृषकों ने व्यापारी को माल बेचा नहीं था प्रत्युत विक्रयार्थ सौपा था—अधिकरण का आदेश विधि—सम्मत नहीं। *C.S.T. v. S/s. Goel & Brothers, Jagner, Agra*, [1999] 30 STR 443.

3-घ (7) स्पष्टीकरण-II में किसानों से खरीदने के उपरान्त आटा मिलों को बेचे गये गेहूँ के लिये प्रपत्र 3ग (2) जारी करने का दायित्व विक्रयकर्ता क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का है। *Kanodia Flour Mills and another v. State of U.P. and others*, [1999] 30 STR 400.

व्यापारी का कथन कि उसने अपनी आदत में कृषकों द्वारा अपनी उपज विक्रयार्थ अपनी आदत में लाने पर प्रान्त बाहर के व्यापारियों के पास भेजा, अधिकरण ने मान लिया। अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। *C.S.T. v. Baba Rice & Dal Mill, Khurja*, [1999] 29 STR 53.

मंडी शुल्क की धनराशि के भुगतान पर विवाद होने के कारण वाद अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। *Ram Swaroop Agarwal v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 69.

बुलियन की बिक्री करने पर प्रपत्र 3 ग (2) जारी करने का दायित्व विक्रेता पर उस स्थिति में आता है जब उसने खरीद प्रान्त के भीतर से की हो। *Shree Krishna Abhushan Bhandar, Allahabad v. Central Ordnance Depot, Allahabad*, [1999] 29 STR 247.

कर प्रदत्त घना से निर्मित बेसन पर कर देयता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा स्पष्टीकरण—परिपत्रों का निर्वचन रिट याचिका में नहीं किया जा सकता। *M/s. Swastic Pulses Industries (Pvt.) Ltd. v. State of U.P.*, [1998] 28 STR 461.

विभागीय निर्देशों का निर्वचन याचिका में नहीं किया जा सकता जिसके लिये अधिनियम में अपील/पुनरीक्षण की व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं। *Swastic Pulses Industries (Pvt.) Ltd. v. State of U.P.*, [1998] 28 STR 461.

बार्ली और माल्ट दोनों ही जौ हैं और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत परिभाषित अनाज तथा दाल से भिन्न अनाज हैं और तदनुसार 30-4-1977 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत कर योग्य है। *C.S.T. v. National Cereals Products Ltd.*, [1998] 28 STR 449.

धारा 3-डी(1) का स्पष्टीकरण जो उ०प्र० व्यापारकर अधिनियम, 1948 में ऐक्ट संख्या 23/1976 द्वारा जोड़ा गया, सूची 2 इन्द्री संख्या 54 संविधान के 7वाँ शेड्यूल के विरुद्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्णीत वाद *Ram Vilas Ram Gopal case*, (1969) 24 STC 508 की पुष्टि की जाती है। *Chittarnal Narain Das v. C.S.T.*, (1970) 26 STC 344 :



(1970) UPTC 1276 का असमर्थन किया जाता है। *Food Corporation of India v. State of Kerala and others*, [1997] 26 STR 542 (SC).

प्रान्तीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी वस्तु पर क्रय कर दिया जा चुका है तब कर निर्धारण अधिकारी उसकी बिक्री की प्रकृति पर अन्वेषण नहीं कर सकता। *Chhotey Lal Jal Prakash v. C.S.T.*, [1993] 18 STR 347: 1994 UPTC 85.

कमीशन एजेंट के माध्यम से की गई प्रथम खरीद पर कर के भुगतान के प्रमाण के अभाव में व्यापारी पर कर आरोपित किया जा सकता है। *Shekher Chand Subhash Chand v. C.S.T.*, 1994 UPTC 56.

प्रान्त बाहर के निर्दिष्टाओं की ओर से की गई गल्ला व तिलहन की खरीद पर प्रान्तीय क्रय कर आरोपित नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Radhey Shyam Kedar Nath*, [1996] 23 STR 307: 1996 UPTC 1132.

**बिक्री-कर का दायित्व**—जो व्यापारी प्रथम क्रेता नहीं है वह बिक्री-कर के दायित्व से मुक्त है। क्रय-कर केवल प्रथम क्रेता पर ही लगाया जाता है। *Commissioner of Sales Tax v. Geep Co-operative Society, Allahabad*, 1975 UPTC 288.

धारा 3-घ वैध है तथा भारतीय संविधान के अनुकूल है। *J.K. Jute Mills Co. v. State of U.P.*, 12 STC 429 (SC); *Hiralal Ratan Lal v. S.T.O.*, 1974 UPTC 115 (SC).

धारा 3-घ के उपबन्ध धारा 14 व 15, केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करते हैं। *C.S.T. v. Babu Ram Mohan Lal*, 1987 UPTC 318.

**1 मई, 1977 के पहले खरीदे हुए खाद्यान्नों पर कर का दायित्व**—व्यापारी के पास 1 मई, 1977 के पहले खरीदे हुए खाद्यान्नों का स्टॉक था जिसको उसने उपर्युक्त तिथि के पश्चात् अपंजीकृत व्यापारी को बेचा। 1 मई, 1977 के पहले खाद्यान्न पर उपभोक्ताओं को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देय था। परन्तु उसके पश्चात् खाद्यान्न की प्रथम खरीद पर कर देय हो गया। प्रश्न यह था कि क्या करदाता पर कर देय वैध है। करदाता का यह कहना था कि उसने जो गोदाम का माल मई, 1977 के बाद विक्रय किया वह प्रथम खरीद नहीं मानी जा सकती है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय हुआ कि 1 मई, 1977 के पश्चात् पिछले रखे हुए माल को अपंजीकृत व्यापारी को बेचने पर कर देय है। *C.S.T. v. Babu Ram Mohan Lal*, 1987 UPTC 317.

धारा 3-घ के उपबन्ध आदेशात्मक है। इस धारा के अन्तर्गत छूट पाने के लिये वांछित फार्म 3-ग दाखिल करना आवश्यक है। करदाता छूट पाने का अधिकारी तभी है जब वह फार्म 3-ग में घोषणा-पत्र दाखिल कर दे। फोटो स्टेट कापी जिसके आधार पर करदाता छूट चाहता था अधिकरण द्वारा न मंजूर करना न्यायसंगत था। *Ram Richhpal Vijai Kumar v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 251.

चूँकि केवल फार्म 3-ग(1) दाखिल किया गया था और कर जमा किया गया था इससे यह नहीं कहा जा सकता कि करदाता ने कर दायित्व स्वीकार किया था। *Commissioner of Sales Tax v. Khandelwal & Co., Bareilly*, [1987] 6 STR 400.

करदाता ने राब विक्रेता एजेंट से खरीदा था इसलिये माल अन्य मालिकों का था। इसलिये करदाता प्रथम क्रेता माना जाता है और वह कर के लिये जिम्मेदार है। करदाता की खांड मशीन में अन्य व्यापारियों की राब सफाई के हेतु किराये पर आई। इसलिये ऐसी स्थिति में करदाता कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। *C.S.T. v. Shanti Pal Khandsari, Bareilly*, 1987 ATJ 592.

किसी व्यापारी को जारी किये गये फार्म जारीकर्ता व्यापारी द्वारा एकपक्षीय रूप से वापस नहीं लिये जा सकते। फार्म से सम्बन्धित सम्बन्धित सन्वयवहार की जाँच किया जाना आवश्यक है। *Shiv Prasad Kanhaiya Lal, Bahraich v. C.S.T.*, [2002] 36 STR (Tri) 196.

### 3-क. कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर—<sup>1</sup>[निकाल दिया गया]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

यह धारा उ०प्र० बिक्रीकर अध्यादेश, 1983 द्वारा लाई गई एवं अधि० सं० 25, सन् 1985 दि० 1.11.1985 के द्वारा संशोधन करते हुये दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया। दि० 1.8.1990 से अधि० सं० 28, सन् 1991 के द्वारा पच्चीस प्रतिशत किया गया। पत्र सं०—विधि 11/1986, दिनांक 26.1.1986 के अनुसार इस धारा की उपधारा (1) व (3) की परिधि में दस लाख के व्यापारियों पर कर आरोपित होना है।

इलेक्ट्रोड्स केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित आयरन व स्टील की श्रेणी में न होने कारण घोषित वस्तु नहीं है अतः उसकी बिक्री पर अतिरिक्त कर देय है। *Commissioner of Sales Tax v. Heera Electrodes*, [2001] 34 STR 468 : 2000 UPTC 1026.

केन्द्रीय विक्रय-धन पर भी अतिरिक्त कर देय होगा। *Dy. C.S.T. v. Aysha Hostery Factory (P.) Ltd.*, [1992] 15 STR 309 (SC) : 1992 UPTC 454 (SC).

केन्द्रीय बिक्री पर अतिरिक्त कर नहीं देय होगा। *Bangal Iron Corporation v. Commercial Tax Officer*, (1993) 90 STC 47 (SC).

<sup>2</sup>[3-घ. किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर कर—(1) धारा 3-क या धारा 3-ककक या धारा 3-घ में किसी बात के होते हुये भी, लेकिन, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 तथा विज्ञप्ति सं० 2371 दि० 23.11.1998 (प्रभावी 1.12.1998) द्वारा निकाला गया। दि० 1.12.1998 से पूर्व 3-क निम्नलिखित रूप में थी।

**3-क. कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर—**(1) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, जिसके विक्रय-धन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, किसी कर-निर्धारण वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन देय कर के अतिरिक्त पौष प्रतिशत की दर से अधिक कर का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की गणना करने में, घोषित माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) व्यापारी द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान उस मास का, जिसमें कर-निर्धारण वर्ष के आरम्भ में संगणित ऐसा विक्रय-धन दस लाख रुपये से अधिक हो जाए, विवरण-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व या उसके साथ किया जायेगा और जहाँ ऐसा विवरण-पत्र उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया गया हो, वहाँ अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले प्रथम विवरण-पत्र के पूर्व या उसके साथ किया जाएगा। इस प्रकार देय कर, कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से ऐसे विवरण-पत्र के अन्तर्गत आने वाली अवधि के अन्त तक की अवधि के लिए होगा और व्यापारी उस कर-निर्धारण वर्ष से समस्त अनुवर्ती अवधि के लिए कर-निर्धारण वर्ष के अन्त तक अतिरिक्त कर कर देनदार बना रहेगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकती है कि अतिरिक्त कर ऐसे दिनांक से, ऐसी रीति से और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर पर ऐसी दर से जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, देनदार होगा—

(क) प्रत्येक व्यापारी द्वारा भले ही उसके विक्रय-धन का कुल योग कुछ भी हो, या

(ख) प्रत्येक व्यापारी द्वारा जिसके धारा 3 की उप धारा (2) में यथा-निर्दिष्ट विक्रय-धन का कुल योग ऐसी धनराशि से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय ऐसे अतिरिक्त कर की गणना करने में :-

(1) "घोषित माल" के विक्रय का क्रय;

(2) उस दिनांक के, जब से ऐसा अतिरिक्त कर देय होगा पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित अन्य माल के विक्रय या क्रय, के सम्बन्ध में देय कर पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 13.9.1985)।

की धारा 14 और 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिये, शुद्ध विक्रय धन पर कर का भुगतान करेगा—

(क) किसी प्रयोजन के लिए नकद, आस्थगित, भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये, माल के प्रयोग करने के अधिकार के (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) अन्तरण; या

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व के (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) अन्तरण,

के शुद्ध विक्रय धन पर [बीस प्रतिशत] से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे कर का भुगतान करेगा और भिन्न-भिन्न माल या व्यापारियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न दरें घोषित की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध विक्रय धन के निर्धारण के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित राशियों को व्यापारी द्वारा प्राप्त या प्राप्त कुल राशि में से निकाल दिया जायेगा—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्तरण के लिये, चाहे ऐसे अन्तरण की सहमति उस कर-निर्धारण वर्ष के दौरान या पहले हो गई हो,—

- (1) वह धनराशि जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के अन्तर्गत आने वाले माल का [विक्रय मूल्य] प्रकट करें;
- (2) वह धनराशि जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त माल का मूल्य प्रकट करे;
- (3) वह धनराशि जो भुगतान में त्रुटि के लिये शास्ति के रूप में या उस व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा अन्तरण किया गया था, माल की हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो;

[प्रयोजनार्थ नियम 44-ग देखें]

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्तरण के लिए—

- (1) वह धनराशि जो केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के अन्तर्गत आने वाले माल का [विक्रय मूल्य] प्रकट करें;
- (2) वह धनराशि जो धारा-4 के अधीन छूट प्राप्त माल का मूल्य प्रकट करें;
- (3) वह धनराशि जो ऐसे माल का मूल्य प्रकट करे जिसके क्रय या विक्रय पर इस ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन किसी पूर्वतर प्रक्रम पर कर उद्ग्रहीत कर लिया गया हो या उद्ग्रहीत करने योग्य हो;
- (4) वह धनराशि जो धारा 4-क या धारा 4-ककक के अधीन छूट प्राप्त नई इकाई में निर्मित माल का मूल्य प्रकट करे;
- (5) वह धनराशि जो संविदी द्वारा संविदाकार को आपूर्ति किये गये माल का मूल्य प्रकट करे :

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 तथा विज्ञप्ति सं० 2371 दि० 23.11.1998 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.12.1998)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द 'मूल्य' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 13.9.1998)।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे माल का स्वामित्व संविदा की शर्तों के अधीन संविदा के पास रहे,

- (6) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए मजदूरी प्रकट करे,
- (7) वह सभी धनराशियां जो संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये पूर्ण या आंशिक प्रतिफल के रूप में उप संविदाकार को भुगतान की गई है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कटौती की तब तक अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि कटौती का दावा करने वाला व्यापारी इसका प्रमाण न दे कि उप संविदाकार रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है और ऐक्ट के अधीन कर का दायी है और ऐसी धनराशियाँ ऐसे उप-संविदाकार द्वारा इस ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन दाखिल किए गए विक्रय-धन के विवरण-पत्र में सम्मिलित है ;

- (8) वह धनराशि जो योजना बनाने, रूपांकन करने और वास्तुविदों की फीस प्रकट करे;
- (9) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त मशीन और औजारों को किराये पर या अन्यथा लेने के प्रभारों को प्रकट करे;
- (10) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त ऐसे उपभोज्यों का मूल्य प्रकट करे जिनका स्वामित्व संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित नहीं होता;
- (11) वह धनराशि जो अधिष्ठान और इसी प्रकार के अन्य व्ययों का इस सीमा तक मूल्य प्रकट करे जहाँ तक वह मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो;
- (12) वह धनराशि जो उस सीमा तक संविदाकार द्वारा अर्जित लाभ प्रकट करे जहाँ तक वह मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हो ।

[प्रयोजनार्थ नियम 44-ख देखें]

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्तरण के संबंध में संविदाकार द्वारा उचित लेखे न रखे गए हों या उसके द्वारा रखे गए लेखे कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वास योग्य न समझे जायें और मजदूरी और अन्य सेवाओं के प्रति उपगत वास्तविक प्रभार की धनराशियों और मजदूरी और अन्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ की राशियां अभिनिश्चय न हों तो मजदूरी और अन्य सेवाओं के ऐसे प्रभारों और ऐसे लाभ का उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अवधारणा संकर्म संविदा के मूल्य के ऐसे प्रतिशत के आधार पर किया जायगा जो विहित किया जाये और संकर्म संविदा के विभिन्न प्रकारों के लिये भिन्न-भिन्न प्रतिशत विहित किए जा सकते हैं ।]

[प्रयोजनार्थ नियम 44-ग व 44-ख देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

अगर कोई बिक्री अन्तर्राज्यीय है और उसमें वस्तु के प्रयोग का अधिकार अन्तरित है तो ऐसी अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं है। *Tata Elxsi Limited v. State of Uttaranchal*, [2004] 39 STR 231 (Uttaranchal) : 2004 UPTC 19 (Uttaranchal).

कर दायित्व की समाधान योजना संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। समाधान योजना का लाभ पाने के लिये राज्य सरकार शर्तें लगा सकती है तथा कोई व्यापारी अधिकार के रूप में योजना का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकता है। *Lalooji and Sons v. State of U.P. and others*, [2004] 39 STR 67 : 2003 UPTC 900.

राज्य, बिक्री की अवधारण करते हुए संविधान के अनुच्छेद 286 और केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम की धारा 3 से 5 के अन्तर्गत करारोपण के लिए सक्षम है। *Tata Elxsi Limited v. State of Uttaranchal*, [2004] 39 STR 230 (Uttaranchal) : 2004 UPTC 19 (Uttaranchal).

फोटोग्राफर द्वारा निगेटिव या पाजिटिव प्रिन्ट ग्राहक को देना मात्र सेवा कार्य नहीं है। प्रत्युत कुछ अंश सम्पत्ति के स्वामित्व का अन्तरण भी होता है जिसपर कर लगाने का कम्पिशनर का निर्देश अवैधानिक नहीं है। *Vaaho Photo International, Kanpur and another v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 462 : 2003 UPTC 600.

कुर्सी, टेंट जैसी वस्तुओं को प्रयोग के लिये दूसरे को दिया जाना प्रयोग के अधिकार का अन्तरण है तथा ऐसा सम्यवहार करयोग्य है। *Banda Tent House Association v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 879 : 2004 UPTC 133.

केन्द्रीय सरकार द्वारा 'सेवा कर' लगाने के कारण राज्य के कर आरोपित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। *State of U.P. & Anr. etc. etc. v. Union of India & Another etc. etc.*, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC).

टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु उपभोक्ता से वसूला गया रेन्टल सेवा हेतु अलग तथा प्रयोग के अधिकार हेतु अलग विभाज्य नहीं है। *State of U.P. & Anr. etc. etc. v. Union of India & Another etc. etc.*, [2003] 37 STR 183 (SC) : 2003 UPTC 404 (SC).

हायर पर्येज के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि पर धारा 3-एफ के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं। *C.T.T. v. Tata Eng. & Locomotive Co.*, [2003] 37 STR 94.

समाधान योजना के अन्तर्गत शासन को शर्तों के अधीन कर मुक्ति का लाभ देने का अधिकार है तथा व्यापारी समाधान योजना को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। *Jai Prakash Industries Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 398 : 2003 UPTC 1272.

जहाँ कम्पनी ने संविदा कर्म के निष्पादन में प्रयोग हेतु ठेकेदार को मशीनरी की आपूर्ति की जिसका स्वामित्व तथा जिस पर प्रभावी नियंत्रण कम्पनी का ही बना रहा, वहाँ वस्तु के प्रयोग का अधिकार का अन्तरण नहीं कहा जा सकता है। *State of Andhra Pradesh and another v. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.*, [2002] 35 STR 189 (SC).

व्यापारी ने जो भुगतान पाया वह बस की बॉडी के निर्माण से सम्बन्धित नहीं था। अधिकरण का यह निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है। *C.T.T. v. Jabbar Body Repairing*, [2001] 33 STR 67.

वस्तु—भीडिया चाहे वह कम्प्यूटर डिस्क, पुस्तक अथवा कैसेट के रूप में हो यदि वह सूचना तकनीक, उसकी डिजाइन या ड्राइंग से सम्बन्धित है, वस्तु की श्रेणी में आती है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, [2002] 35 STR 192 (SC).

ड्राइंग, डिजाइन, मैनुअल जो मशीनरी तथा औद्योगिक तकनीक से सम्बन्धित है कागज अथवा कैसेट पर आने के पश्चात वस्तु बन जाती है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, 2002] 35 STR 192 (SC).

यदि रिजर्व बैंक ने ड्राइंग, डिजाइन तथा मैनुअल के आयात के विरुद्ध भुगतान को सेवा सम्बन्धी भुगतान माना है तो कस्टम्स अधिनियम के प्राविधानों को नकारा नहीं जा सकता है। *Associated Cement Companies Ltd. v. Commissioner of Customs*, [2002] 35 STR 192 (SC).

जाब वर्क—व्यापारी ने गैस पाइप लाइन बिछाने का ठेका लिया जिसे सिविल संविदा नहीं माना। संविदा की शर्तों के अभाव में ठेके की प्रकृति एवं प्रकार का निर्णय करना कठिन—कर निर्धारक अधिकारी को ठेके की प्रकृति निश्चित करते हुए पुनः निर्णयार्थ वाद प्रति प्रेषित किया गया। *Project Technologists Pvt. Ltd., Jyotiba Phule Nagar v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 104 : 2002 UPTC 162.

हायर पर्चेज स्कीम में विक्रीत माल के विक्रयधन पर निर्धारित कर को अधिकरण ने इस आधार पर समाप्त कर दिया कि व्यापारी के ही गतवर्ष के बाद में उच्च न्यायालय ने ऐसे विक्रयधन को करयोग्य नहीं माना है। अधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। *C.T.T. v. Varanasi Auto Sales Pvt. Ltd., Alaipur, Varanasi*, [2001] 33 STR 18.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कारोपण एवं वसूली केवल नियमानुसार ही की जा सकती है। धारा 3-एफ के अनुसार केवल पट्टाकर्ता (Lessor) न कि पट्टेदार (Lessee) से कर वसूल किया जा सकता है। अतः पट्टेदार (Lessee) के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण—पत्र अवैध है। *HCL Office Automation Ltd. v. Asstt. Commissioner Trade Tax*, 2000 UPTC 837.

प्रदेशीय सरकार, किसी वस्तु के प्रयोग के हस्तांतरण पर कर आरोपित करने के लिये अधिकृत नहीं है जब तक कि उसका हस्तांतरण प्रदेश के भीतर न हो। कर, वस्तु की डिलेवरी के स्थान पर आरोपित नहीं किया जा सकता। बिक्री का स्थान जहाँ संविदा किया गया है, ही समझा जा सकता है न कि प्रयोग किये जाने वाले स्थान पर। *20th Century Finance Corporation Ltd. v. State of Maharashtra*, 2000 UPTC 593 (SC).

करदाता द्वारा ठेकेदार को निर्माण हेतु की गई आपूर्ति विषयक ठेके की शर्तों की जांच कर के अधिकरण द्वारा तथ्यों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया अतः अधिकरण का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। *Garrison Engineer (P) Prem Nagar v. C.R.T.*, [1999] 30 STR 640.

अलुमिनियम के दरवाजे तथा खिड़कियों लगाने की संविदा स्वीकार किये जाने के उपरान्त दिल्ली से उत्तर प्रदेश में लाये गये तथा संविदा के अनुसार लगाये सामान पर उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जा सकता। *M/s Santosh & Company, New Delhi v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 649.

विज्ञप्ति जारी करने हेतु अधिकार देने वाले विधान को असंवैधानिक घोषित कर दिये जाने के पश्चात् विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार समाप्त हो जाता है—पुरानी विज्ञप्ति का आश्रय संशोधित विधान के आधार पर नहीं लिया जा सकता। *Sardar Tundla Goods Transport Commission Agency v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 380.

टेलीफोन विभाग द्वारा सेवा कर लगाये जाने के पश्चात् राज्य सरकार उसी विषय वस्तु पर करारोपण नहीं कर सकती। *Union of India v. State of U.P.*, [1999] 29 STR 207.

नियम 44-बी के अभाव में भी धारा 3-च (2) (ख) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है। *Om Pal Singh v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 394.

संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल का विक्रय धन निर्धारित करते समय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 से आच्छादित वस्तुओं का मूल्य कुल प्राप्त अथवा प्राप्त धनराशि में नहीं लिया जायेगा। *Santosh & Company, New Delhi v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 649.

धारा 3-एफ असंवैधानिक घोषित होने के फलस्वरूप दिनांक 14-3-85 से पुनर्स्थापित होने एवं नियम 44-बी दिनांक 1-11-1996 से प्रतिस्थापित होने से 11-1-1995 से 1-11-1996 के मध्य

पारित कर निर्धारण आदेश अवैध समझे जायेंगे। *Dharam Prakash Agarwal v. C.T.T.*, [1998] 28 STR 645.

माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा *S/s Om Pal Singh v. State of U.P.*, (1999) 29 STR 394 में दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त निर्णय (Reverse) घोषित। धारा 3-एफ उ०प्र० ऐक्ट सं० 31/1995 द्वारा पूर्वगामी प्रभाव दि० 13-9-1985 से लागू होने के फलस्वरूप कर योग्य विक्रय धन निर्धारित करने के लिये नियम 44-ख की कोई आवश्यकता नहीं।

चीनी मिल में प्रयुक्त किये जाने हेतु प्राप्त लाईसेंस फीस धारा 3-एफ के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है क्योंकि लाईसेंस डीड द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रयोग किये जाने के अधिकार का हस्तांतरण हुआ है न कि चल सम्पत्ति के प्रयोग किये जाने का। *Swaroop Vegetable Products India Ltd. Muzaffar Nagar v. State of U.P.*, [1998] 27 STR 206.

धारा 3-घ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1976 द्वारा बढ़ाया गया है। प्रार्थी ने इसकी वैधता को चुनौती इस आधार पर दिया कि संशोधन केवल फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के विरुद्ध है। निर्णय यह हुआ कि धारा 3-घ के उपबन्ध भारतीय संविधान की धारा 14 के विरुद्ध नहीं है। *Food Corporation of India v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 209.

प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण में सम्पूर्ण स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। हस्तांतरित वस्तु को प्रयुक्त करने का अधिकार ऐसा होना चाहिये जिससे प्राप्त कर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति यहाँ तक की वस्तु के मालिक को उसके प्रयोग का अधिकार न हो। ट्रक से प्राप्त किराया भाड़ा धारा 3-एफ के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है। *Ahuja Goods Agency & anr. v. State of U.P.*, [1997] 26 STR 536.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 से आच्छादित बिक्री को छूट न दिये जाने के कारण धारा 3-एफ असंवैधानिक है। *V.K. Singhal v. State of U.P.*, [1995] 21 STR 244.

धारा 3-एफ के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति निरस्त योग्य है क्योंकि धारा 3-एफ असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। *Kanodia Road Lines v. State of U.P.*, [1995] 21 STR 323.

किश्तों पर क्रय किये गये संविदा के अन्तर्गत प्राप्त किश्त पर धारा 3-एफ के अधीन कर आरोपित नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Varanasi Auto Sales (P) Ltd.*, 1996 UPTC 288.

पेटिंग व पोताई सिविल संविदा नहीं है। *Anurag Enterprises v. State of U.P.*, 1996 UPTC 6.

उ०प्र० बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश सं० 16/1995 द्वारा धारा 3-एफ के संशोधित होने के फलस्वरूप दिनांक 13-9-85 से अस्पष्ट एवं विरोधत्मक नहीं है तथा अध्यादेश की धारा 39 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति पुनर्स्थापित मान्य होगी। *Ishwar Industries v. State of U.P.*, [1995] 22 STR 183.

'वाशेबुल एपरान' (सीमेंट कान्क्रीट प्लेटफार्म) सिविल संविदा कार्य के अन्तर्गत आता है। *Engineers Enterprises v. Dy. Commissioner, Allahabad*, [1996] 24 STR 120.

संविदा की शर्तें, याचिका दायर कर निर्णीत नहीं की जा सकती। *State of U.P. v. Bridge & Roof Co. (India) Ltd.*, [1997] 25 STR 328 (SC); 1997 UPTC 246 (SC).

**1[3-घ. कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर—(1) धारा 3-क या धारा 3-घ या धारा 3-च में दी गई किसी बात के होते हुये भी, और उपधारा (2) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य सरकार विज्ञप्ति**

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3-घ रबी गयी एवं 28.9.1994 को प्रवृत्त हुयी।

द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुये, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम या उपक्रम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को (जो कोई नगर निगम, नगरपालिका परिषद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था या तत्समय किसी अधिकृत नियंत्रक द्वारा प्रबंधित कोई संस्था न हो) बेचे गये माल के विक्रय-धन पर, यदि व्यापारी ऐसे विभाग से प्राप्त मान्यता प्रमाण-पत्र या ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी से प्राप्त घोषणा-पत्र, कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप-पत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करे तो केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी बिक्री के संबंध में विनिर्दिष्ट करे, लगाया और दिया जायगा, जब तक कि माल इस ऐक्ट की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर लगाने योग्य न हो।

1[परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी निगम, उपक्रम या कम्पनी को की गई बिक्री के मामले में व्यापारी से इस उपधारा के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी को माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश की प्रति, माल के परिदान का प्रमाण और रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।]

### [प्रयोजनार्थ नियम 12-ग (1) व (2) देखें]

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जिसे ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी द्वारा फिर से बेचने के लिए या बिक्री के लिये 2[विद्युत ऊर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन] से भिन्न, किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिये क्रय किया जाय, या यदि ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो, लागू नहीं होंगे।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र से माल क्रय करने के पश्चात् कोई ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी उपधारा (2) में उल्लिखित रीति से उसका उपयोग या निस्तारण करे तो अर्थदंड आरोपित करने के साथ इस ऐक्ट के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी इस ऐक्ट के अधीन ऐसे माल के क्रय या बिक्री या अन्यथा लागू दर पर और उपधारा (1) के अधीन लागू दर पर संगणित करके अन्तर के बराबर की धनराशि का देनदार होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा परन्तुक बड़ाया गया (प्रभावी 18.10.2002)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द 'विद्युत ऊर्जा' के स्थान पर प्रतिस्थापित।



**स्पष्टीकरण:**—संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा, जैसी वह 13 मई, 1994 को थी, के उपबन्ध 14 मई, 1994 और 27 सितम्बर, 1994 के बीच की अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे।]

**[प्रयोजनार्थ नियम 12-ग देखें]**

**महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा**

फार्म 3-घ पर की गई बिक्री पर करदाता कर मुक्ति का अधिकारी है। यदि फार्म गलत जारी किया गया है तो जारीकर्ता व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। *C.S.T. v. Cawnpore Chemical Works*, [2004] 39 STR 257.

कर निर्धारण—कर की विशेष दर—अपील स्तर पर प्रस्तुत फार्म 3-घ जाँच में सही पाया गया तथा इसे स्वीकार कर के कोई गलती नहीं की गई है। *C.T.T. v. Rama Safe Industries*, [2001] 33 STR 332.

सरकारी विभाग को बिक्री किये जाने के फलस्वरूप रियायती दर से कर वसूल किये जाने के कारण उसका यह दायित्व है कि फार्म 3घ जारी करे। अतः फार्म जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। *M/s. Swaroop Industries, Bareilly and another v. State of U.P. and others*, 2000 UPTC 850.

जल संस्थान किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। धारा 2(ई-1) एवं धारा 3-जी में प्रयुक्त 'उत्पादन' शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। *Commissioner Trade Tax v. Maha Prabandhak Jal Sansthan, Kanpur*, [2001] 34 STR 471 : 2000 UPTC 1000.

धारा 3-छ (1983 से पूर्व) नियमावली बनाने वाले प्राधिकारी को फार्म 3-घ दाखिल करने के लिये अवधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत नहीं करता अतः नियमावली 12-ग(2) जिसके द्वारा समय निर्धारित किया गया है वह धारा 3-छ के विरुद्ध एवं असंवैधानिक है। *Modi Rubber v. State of U.P.*, [1997] 25 STR 73.

अधिनियम की धारा 3-छ के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों को अधिकार प्रदत्त है कि वह अपने उपयोग के लिये माल की खरीद कर सकते हैं किन्तु घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा और उस पर बिक्रेता व्यापारी रियायती दर से कर लेगा। माल स्वयं के उपयोग में लेना आवश्यक है यदि वह स्वयं उपयोग नहीं करता तो पूरे दर से कर देय होगा। घोषणा पत्र नियम 12-ग की रीति से दिया जायेगा। *J.K. Mullik v. State of Madras*, (1972) 30 STC 443.

सरकारी कार्यालय को माल की बिक्री हेतु प्रत्येक बिल के लिये फार्म 3-घ देना आवश्यक होगा। *C.S.T. v. Saharanpur Int. Nirmata*, 1981 UPTC 1209.

**4. कर से छूट—**इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगा—

(क) पानी, दूध, '[नमक' प्रसंस्कृत और ब्राण्ड नाम वाले नमक को छोड़कर], समाचार-पत्र <sup>2</sup>[\*\*\*] या किसी अन्य माल की बिक्री या खरीद पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा छूट दे; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 तथा विज्ञप्ति सं० 3110 दि० 30.9.1997 द्वारा शब्द 'नमक' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.10.1997)।
2. उ०प्र० अधि० संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द और अंक 'संयुक्त प्रान्त मोटर स्ट्रिट' डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री करान अधिनियम, 1939 में यथा-परिभाषित मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल और अल्कोहल, निरकल दिया गया।

- 1[(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियोशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो; या
- (ग) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा छूट दें :]

प्रतिबन्ध यह है कि 2[खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)] के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिनके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो, जो प्रति वर्ष आठ हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्त भी है, आरोपित कर सकती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद—

- (क) 'पानी' के अन्तर्गत मिनेरल वाटर, एरेटेड वाटर, टानिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर 3[सुगन्धित पानी या कार्क से या अन्य प्रकार से सील बन्द पात्र में या कैप्सूल में बेचे जाने वाला निर्मित या प्रसंस्कृत पानी] नहीं है,
- 4[(ख) दूध में स्किम्ड दूध पाउडर, मक्खन या मक्खन तेल से तैयार किया गया पुर्नसंगठित या पुनर्मिश्रित दूध शामिल है किन्तु कन्डेन्सड मिल्क या दूध पाउडर या बेबी दूध शामिल नहीं है।]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धान की भूसी तथा चावल की भूसी दो विभिन्न वस्तुयें हैं। धान की भूसी की खरीद करने पर क्रेता व्यापारी पर कोई करदेयता नहीं है। *C.S.T. v. U.P. Straw and Agro Product Ltd., Moradabad, [2004] 39 STR 240.*

पुराना समाचार पत्र समाचार पत्र की ही श्रेणी में आता है तथा धारा 4(ए) के अन्तर्गत करमुक्त है। *C.S.T. v. Agrahari Rope Stores, [2003] 38 STR 651 : 2003 UPTC 1179.*

विज्ञप्ति दिनांक 7-9-1981 के अनुसार उत्पाद के करमुक्त होने हेतु अपीलार्थी द्वारा सन्दर्भित निर्णय पर उप कमिश्नर (अपील) द्वारा विचार न किया जाना न्यायिक बेईमानी है। *Swadishtha Soya Products v. State of U.P. and others, [2001] 34 STR 664.*

करमुक्ति—दूध में दुग्ध चूर्ण मिश्रित करने से वह दूध ही रहता है तथा करमुक्त है। *C.T.T. v. Nainital Dugadha Utapadak Sahkari Sangh Ltd. Nainital, [2001] 33 STR 355.*

खादी तथा विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन द्वारा सिले हुये सूती तथा ऊनी कपड़ों की बिक्री कर मुक्त नहीं है क्योंकि सम्बन्धित विज्ञप्ति में यह उद्योग अनुसूचित नहीं है। कमीशन स्वयं कर मुक्ति का पात्र नहीं

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द "या सुगन्धित पानी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा खण्ड "(ख) 'दूध' के अन्तर्गत कन्डेन्सड मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी मिल्क नहीं है" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)

है केवल इसके द्वारा संस्तुत संस्थायें छूट की पात्र हैं। *Khadi & Village Industries Commission v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 394.

तरबूज का बीज, सब्जी का बीज प्रमाणित नहीं है। उक्त मिठाई उत्पादकों द्वारा सूखे मेवे की भीति प्रयुक्त किया जाता है। अतः करमुक्त नहीं है। *Deepak Brothers v. C.T.T.*, 2000 UPTC 778.

तरबूज का बीज सब्जी का बीज है तथा 31.1.1985 की विज्ञप्ति के अनुसार करमुक्त है। *C.T.T. v. Hiralal Ram Das, Visheshwarganj, Varanasi*, [1999] 30 STR 465.

विज्ञप्ति संख्या एस०टी० II-3714/X-6 दिनांक 5-6-1985 के अनुसार एच०डी०पी०ई० फैब्रिक करयोग्य है तथा रबराइज्ड अथवा सिन्थेटिक वाटर प्रूफ फैब्रिक करमुक्त है। व्यापार कर अधिकरण को वाद इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कि इस तथ्य का परीक्षण किया जाय कि व्यापारी किस वस्तु की बिक्री करता है। *C.T.T. v. M/s. Rajesh Kumar Vikas Kumar Panday, Gorakhpur*, [1999] 29 STR 315.

तारपीन तेल के निर्माण हेतु गम रेजिन की खरीद पर व्यापारी कर से छूट का अधिकारी नहीं है। *C.S.T. v. S/s Bairnag Gram Swaraj Sangh*, [2000] 31 STR 52.

पोल्टरी फीड सप्लायमेंट संतुलित पोल्टरी फीड के अन्तर्गत होने के कारण विज्ञप्ति संख्या एस०टी० II-7038 दिनांक 31-1-85 के अनुसार करमुक्त है। *Ptya Pharmaceuticals Works v. Dy. Commissioner (Executive), Sales Tax*, [1998] 27 STR 34.

बून-ओ-मिल्क जो साधारणतया मिनरल मिश्रण कहलाता है उसको दूध की मात्रा बढ़ाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है, पशु आहार होने के कारण करमुक्त है। *C.S.T. v. Singhal Trading Company*, 1994 UPTC 1097.

पशु चलित वाहनों की पहियों की हब व रिम को जोड़ने के लिये पेच व नट, हार्डवेयर नहीं है। *C.S.T. v. Dhawan Industrial Works*, 1995 UPTC 590.

शैक्षिक व वैज्ञानिक यंत्र यद्यपि शैक्षिक संस्थाओं को बिक्री नहीं की गई, करमुक्त रहेगी। *Venytics Peripherals Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, 1995 UPTC 247.

झाड़ू की सीक विज्ञप्ति संख्या 2153 दिनांक 26-10-1991 के अनुसार करमुक्त है। *Baldeo Das Kunwar Sen v. State of U.P.*, [1996] 23 STR 68 : 1996 UPTC 396.

पशु आहार जो खराब गेहूँ से बनाया गया है, करमुक्त है। *Ram Chand Asha Ram v. C.S.T.*, 1996 UPTC 1328.

आवेदक द्वारा आइसक्रीम की बिक्री पर बिक्रीकर अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर लगाया। आवेदक ने 16 फरवरी 1965 को उ०प्र० राज्यपत्र में प्रकाशित अधिनियम की धारा 4 के अधीन उस अधिसूचना के आधार पर कर से छूट मिलने का दावा किया जिसके द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों को कर से मुक्त किया गया था। बिक्री-कर अधिकारियों के निर्णय से व्यथित होकर निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया कि आइसक्रीम दुग्ध का उत्पाद है। यह भी निर्धारित किया कि यदि तैयार करने की प्रक्रिया के समय कतिपय सत्व-सुगन्ध या गोंद आदि इसमें मिला दिया जाता है तो भी यह दुग्ध उत्पाद ही बना रहता है। फलस्वरूप 'आइसक्रीम' को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 16 फरवरी 1965 की अधिसूचना के कारण कर-निर्धारण से छूट दी गई। *Dayal Singh Kulfiwala v. C.S.T.*, 1978 UPTC 732.

बैलों तथा भैंसों द्वारा खीची जाने वाली गाड़ियों के पहियों की रिमों तथा एक्सिलों को जिनका करदाता निर्माण एवं बिक्री करता था, विज्ञप्ति दिनांक 28 मार्च, 1968 द्वारा कर-मुक्त किया गया था। इसलिये करदाता इन सामग्रियों के बारे में कर-निर्धारण के बाद धारा 22 के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने का हकदार था क्योंकि वह अभिलेख ही प्रत्यक्ष एक गलती प्रतीत होती थी। अधिकरण का निर्णय

कि करदाता उक्त सामग्रियों के विक्रय पर कर में छूट पाने का हकदार है, उचित था। C.S.T. v. Phoolson Agricultural Industries, [1987] 5 STR 338.

1[4-क. 2[कतिपय मामलों में व्यापार कर से छूट]—(1) 3[इस अधिनियम] में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए या सामान्य रूप से राज्य में या विशेष रूप से किसी जिले या उसके भाग में 4[किसी उद्योग के विकास] की प्रोन्नति के लिये ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह प्रार्थना-पत्र देने पर या अन्यथा 5[किसी विशिष्ट मामले में या सामान्य विज्ञप्ति द्वारा] किसी माल के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता का विक्रय-धन 6[उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनोंक या उसके पश्चात् के ऐसे दिनोंक से, जैसा राज्य सरकार द्वारा ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाये जो विज्ञप्ति का दिनोंक या ऐसी विज्ञप्ति का पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिनोंक हो सकता है और जहां कोई ऐसा दिनोंक विनिर्दिष्ट न किया जाये, वहाँ] 7[ऐसे निर्माता द्वारा प्रथम बिक्री के दिनोंक से, यदि ऐसी बिक्री उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनोंक से छः मास की समाप्ति के भीतर की जाय और किसी अन्य मामले में उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनोंक से छः मास की समाप्ति के पश्चात् के दिनोंक से] 8[पन्द्रह वर्ष] से अनधिक अवधि के दौरान, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, 9[माल की बिक्री पर व्यापार कर से मुक्त रहेगा] या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे :

10[प्रतिबन्ध यह है कि पाँच करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूँजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में या किसी विद्यमान इकाई, जो पाँच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पाँच करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूँजी विनिधान करे, में निर्मित माल के सम्बन्ध में कर से छूट या उसकी दर में कमी प्रदान की जा सकती है।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द 'बारह वर्ष' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.12.1994)।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000, दि० 12.1.2000 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 21.10.1999)।

11[प्रतिबन्ध यह है कि पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूँजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में, या किसी विद्यमान इकाई, जो पाँच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूँजी विनिधान करे, में निर्मित माल के सम्बन्ध में कर से छूट या उसकी दर में कमी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गठित समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है।]

(2) राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि यह उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में यह निर्दिष्ट करे कि कर से छूट या कर की दर में कमी निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुमन्य होगी—

- (क) सामान्यतया समस्त ऐसे माल के सम्बन्ध में जो ऐसी विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो, या
- (ख) उनमें से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो किसी नई इकाई में निर्मित किये जायें जिसके उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक पहली अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् पड़ता हो, या
- <sup>1</sup>[(खख) उन तैयार मालों के सम्बन्ध में जो किसी ऐसी इकाई में निर्मित किये जायें जिसने बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है; या]
- <sup>2</sup>[(ग) उनमें से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो किसी ऐसी इकाई में निर्मित किया गया है, जिसका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् किया गया है, और जो विविधीकरण की दशा में उन मालों से भिन्न है जो ऐसे विविधीकरण के पूर्व निर्मित किये जाते थे और विस्तार या आधुनिकीकरण की दशा में विस्तार या आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन है; और
- <sup>3</sup>[(घ) केवल उस स्थिति में जब निर्माता कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विनिर्दिष्ट की जाय, स्वीकृत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ]]

[प्रयोजनार्थ नियम 25 व 43 देखें]

<sup>4</sup>[(ङ) विज्ञप्ति के दिनांक से पूर्व के किसी दिनांक को अनुमन्य होगी ]]

<sup>5</sup>[(2-क) उपधारा (2) में या उसके अनुसरण में जारी की गई किसी विज्ञप्ति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी ऐसी नई इकाई को जिसने बिजली कनेक्शन प्राप्त किया हो, इस धारा के अधीन, छूट दे सकती है, यदि उसने उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक के पश्चात् और 29 जनवरी, 1985 के पूर्व माल के निर्माण के लिये, कुल स्वीकृति विद्युत भार का कम से कम 25 प्रतिशत, जो कारखाना या कर्मशाला के स्थापित करने में किये गये उपभोग से भिन्न हो, उपभोग किया हो ]]

<sup>6</sup>[(2-ख) यदि ऐसे निर्माता, का जो उपधारा (1) के अधीन कर से छूट के लिये या कर की दर में कमी के लिये पात्र था, चाहे उसे कर से ऐसी छूट या कर

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 20.7.1992)।

धारा 4-क

की दर में कमी पहले दी गई हो या न दी गई हो, धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत व्यापार बन्द हो जाय, और [यदि विक्रय, लाइसेन्स, संविदा, पट्टा, प्रबंध अभिकरण द्वारा या किसी अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता] उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती निर्माता को दी गई या दी जा सकने वाली कर से छूट या कर की दर में कमी की असमाप्त अवधि के लिये ऐसे उत्तराधिकार के साठ दिन के भीतर इस धारा के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी के लिये उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त अधिकारी स्वविवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले यथोचित और पर्याप्त कारणों से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक के छः मास के भीतर दिये गये आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकता है :

२[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर की देनदारी के प्रयोजन के लिए ऐसा निर्माता और उत्तराधिकारी निर्माता धारा 3-ग के अधीन हस्तान्तरकर्ता और हस्तान्तरिती माना जायगा।]

३[प्रतिबन्ध यह भी है कि असमाप्त अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेहा के कारण उत्तराधिकारी निर्माता का उत्पादन बन्द रहता है, निकाल दिया जायेगा।]

४[(3) जहां ५[कमिश्नर] की यह राय हो कि उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर या 13 सितम्बर, 1985 के पूर्व या पश्चात् सरकार द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के अधीन जारी किये गये किसी पात्रता के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त की गई कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का ६[किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है या ऐसे पात्रता प्रमाण पत्र को जारी करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है] या इकाई ने ऐसी किन्ही शर्तों का उल्लंघन किया है जिनके अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा दी गयी थी या यह कि इकाई जिसको इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, इस धारा के अधीन सुविधा का हकदार नहीं है या अल्प अवधि के लिये ही या किसी भिन्न

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.4.1997)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 13.9.1986)।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द 'बिडीकर कमिश्नर' के स्थान पर रखा गया।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 13.9.1985 को रखी गयी समझी जायेगी।

दिनांक से ऐसी सुविधा की हकदार है, वहां वह छूट या कमी की अवधि की समाप्ति के पूर्व या उसके पश्चात् दिये गये लिखित आदेश द्वारा, आदेश से विनिर्दिष्ट दिनांक से पात्रता प्रमाण-पत्र को रद्द या संशोधित कर सकता है और ऐसा दिनांक आदेश के दिनांक के पूर्व का हो सकता है, किन्तु दुरुपयोग या उल्लंघन के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र का रद्द किया जाना ऐसे दुरुपयोग या उल्लंघन के दिनांक के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायेगा।

[प्रयोजनार्थ नियम 77 देखें]

(4) सन्देहों के निवारण के लिए एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि जहां उप-धारा (3) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण-पत्र रद्द या संशोधित कर दिया गया हो, वहाँ व्यापारी उस अवधि के जिसके दौरान उसे इस धारा के अधीन छूट या कर की दर में कमी की सुविधा अनुमन्य न हो, अपने विक्रय धन पर कर का देनदार होगा।

(5) कोई निर्माता उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा के लिये अधिकारी होगा,—

(क) यदि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के सुसंगत दिनांक से छह मास के भीतर <sup>1</sup>[या उक्त उपधारा के अधीन जारी विज्ञापित के दिनांक से छः मास के भीतर] या <sup>2</sup>[30 सितम्बर, 1992] तक, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करता है तो उपधारा के अधीन विज्ञापित सम्पूर्ण अवधि के लिये,

(ख) यदि वह खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करता है तो उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिये, जिसकी संगणना आवेदन-पत्र के दिनांक से सुविधा की अवधि के अन्त तक की जायेगी।

<sup>3</sup>(ग) स्पष्टीकरण (1) में निर्दिष्ट किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जहां उक्त स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तें उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्वर्ती किसी दिनांक को पूरी की जाती है तो खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिए, जिसकी संगणना उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 की धारा 9(ग) द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 की धारा 2(ख) द्वारा शब्द और अंक '30 सितम्बर, 1991' के स्थान पर शब्द और अंक '30 सितम्बर, 1992' रखा गया (प्रभावी 20.7.1992)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा खण्ड (ग) के स्थान पर खण्ड '(ग) एवं (घ)' रखा गया।

गई हों, या 20 जुलाई, 1992 से, जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायेगी, किन्तु कोई निर्माता, जो खण्ड (ग), जैसा कि वह 20 जुलाई, 1992 के पहले था, के अधीन ऐसी सुविधा का पात्र था और उसने उक्त दिनांक के पूर्व ऐसी सुविधा के लिये आवेदन कर दिया था, तो वह उक्त खण्ड (ग) के अनुसार सुविधा का हकदार होगा।

- (घ) ऐसी नई इकाई के सम्बन्ध में, जिसमें वही माल निर्माण किया जाता हो, और जो किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो जो वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक के रूप में या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता है, यदि वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का उत्पादन आधारभूत उत्पादन से कम नहीं है:]

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का उत्पादन आधारभूत उत्पादन से कम हो तो आधारभूत उत्पादन की मात्रा में ऐसी कमी पर नई इकाई के विक्रय धन पर कर लगेगा।

**स्पष्टीकरण**—संदेहों के निवारण के लिये एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन कर से छूट या उसकी दर में कमी की सुविधा 20 जुलाई, 1992 के पूर्व के किसी दिनांक से अनुमन्य नहीं होगी।]

(6) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि उस प्रयोजन की पूर्ति हो गयी है जिसके लिये इस धारा के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा दी गई थी, या यह कि ऐसी सुविधा का जारी रहना अब लोक हित में नहीं है या लोक हित के विरुद्ध है, वहाँ वह विज्ञप्ति द्वारा, किसी उद्योग, व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को दी गयी ऐसी सुविधा वापस ले सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई सुविधा भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ली जायेगी।

**[स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(1) 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान "नई इकाई" का तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा 1 अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1990 तक स्थापित ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम से है—

- (क) जो औद्योगिक उपक्रमों के लाइसेंसकरण या रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो या जिसके सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी कर दिया गया हो या जो स्थायी रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हो;



- (ख) (एक) जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या
- (दो) जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया हो, या
- (तीन) <sup>1</sup>[जो किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी वित्त निगम या कम्पनी] से सावधि ऋण के लिये आवेदन करने के पश्चात् स्थापित किया गया हो चाहे ऐसा सावधि ऋण, उपक्रम के स्थापित होने के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत और संवितरित किया गया हो (जहाँ उपक्रम में पूँजी विनियोजन तीन लाख रुपये से अधिक न हो),
- (ग) जो ऐसी भूमि या भवन या दोनों पर हो जो ऐसे व्यापारी के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर ली गयी हो या ऐसे व्यापारी की किसी सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन निगम द्वारा आबंटित हो;
- (घ) जिसमें ऐसी मशीन, साधित्र या संघटन पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में न तो पहले ही प्रयोग में लाये गये हों और न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गये हों;
- (ङ) जो उस दिनांक को जब से उसे ऐसी सुविधा दी जा सकती हो इस धारा के अधीन सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो; और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित खण्ड (क) से (ङ) में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाला, कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम भी है,—
- (एक) जिसके पास पहले से राज्य में किसी अन्य स्थान पर वही माल निर्माण करने वाला कोई औद्योगिक उपक्रम हो; या
- (दो) जो किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी अन्य माल का निर्माण करता हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

<sup>2</sup>[(एक) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा रखा गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया (प्रभावी 20.7.1992)।

वही माल निर्माण किया जाता हो, और ऐसा व्यक्ति उस वर्तमान कारखाना या कर्मशाला में मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक के रूप में या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता है, यदि ऐसा वर्तमान कारखाना या कर्मशाला बन्द हो जाय, किन्तु जहाँ ऐसे कारखाने या कर्मशाला में उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 19 जनवरी, 1985 के पूर्व पड़ता है, वहाँ इस खण्ड को ऐसा समझा जायगा मानों शब्द "या उससे आसन्न" निकाल दिये गये हों, या]

(दो) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या विस्तार: प्रतिबन्ध यह है कि—

(एक) ऐसी किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 24 मार्च, 1984 के पूर्व पड़ता है, खण्ड (घ) में, शब्द "भारत में" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश में" प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे;

(दो) ऐसी किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 27 अगस्त, 1984 के पूर्व पड़ता है, और जिसमें पूंजी विनियोजन तीन लाख रुपये से कम न हो, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीयन या पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र देने की शर्त लागू नहीं होगी;

(तीन) ऐसी किसी नई इकाई के सम्बन्ध में, जिसका उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 6 मार्च, 1986 के पूर्व पड़ता है, कम से कम सात वर्ष की अवधि की पट्टा सम्बन्धी शर्त लागू नहीं होगी;

1[(चार) ऐसी इकाई को, जिसमें स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई शर्त उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्पूर्वी किसी दिनांक को पूर्ण कर ली हो, कर से छूट की अनुमन्यता के लिये उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिये नई इकाई माना जायेगा जिसकी संगणना 2[उक्त स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरी करने के दिनांक या 20 जुलाई, 1992 से, इसमें जो भी पश्चात्पूर्वी हो], ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायेगी ]]

(2) 31 मार्च, 1990 के पश्चात् "नई इकाई" का तात्पर्य ऐसे कारखाना या कर्मशाला से है जो किसी व्यापारी द्वारा ऐसे दिनांक के पश्चात् स्थापित किया गया हो और ऐसे कारखाने या कर्मशाला के सम्बन्ध में इस अधिनियम या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया (प्रभावी 20.7.1992)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

तदधीन बनाये गये नियमों या विज्ञापितियों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो और इसके अन्तर्गत राज्य में किसी अन्य स्थान पर उसी माल का निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई या किसी वर्तमान कारखाना या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर कोई अन्य माल का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाई भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

<sup>1</sup>[(क) कोई ऐसा कारखाना या कर्मशाला जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से प्रयुक्त <sup>2</sup>[\* \* \*] ऐसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटनों का उपयोग करता हो जो <sup>3</sup>[ब्यायलरों, जनरेटरों, मोल्डों और डाइयों] से भिन्न हो और किसी सरकारी कम्पनी या **केंद्रीय या राज्य** सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम द्वारा उसको बेची गई किसी मशीनरी, संयंत्र उपस्कर, साधित्र या संघटक से भिन्न हो <sup>4</sup>[:]

(ख) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें उसी माल का निर्माण किया जाता हो और जिसमें ऐसा व्यापारी मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तन निदेशक के रूप में या नियन्त्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता हो <sup>5</sup>[यदि ऐसा वर्तमान कारखाना या कर्मशाला बन्द हो जाय]; या

(ग) किसी विद्यमान कारखाना या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या विस्तार जो इस स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अर्थान्तर्गत कोई विस्तार; विविधीकरण या आधुनिकीकरण न हो;

<sup>6</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि यह सिद्ध करने का भार कि ऐसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटकों का भारत में किसी अन्य कारखाना या कर्मशाला में उपयोग नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिये उनके मूल्य को स्थिर पूंजी विनिधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, नई इकाई पर होगा; या

(3) "उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक" का तात्पर्य निम्नलिखित दिनांक में से पश्चात्वर्ती दिनांक से है, अर्थात्;

(क) ऐसा दिनांक जब माल के, यथास्थिति, निर्माण (चाहे परीक्षण या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया (प्रभावी 20.7.1992)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "या उपयोग के लिए अर्जित" निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा ";" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया (प्रभावी 20.7.1992)।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 27.7.1998)।

वाणिज्यिक स्तर पर) या पैकिंग करने में उपयोग के लिये अपेक्षित कोई कच्चा माल (जिसके अन्तर्गत सहायक सामग्री, संघटन पुर्जे और पैकिंग सामग्री भी है) प्रथम बार क्रय किया जाय; या

- (ख) जहाँ माल का निर्माण विद्युत के बिना सम्भव न हो, वहाँ वह प्रथम दिनोंक जब इकाई द्वारा किसी निर्माण (चाहे परीक्षण या वाणिज्यिक स्तर पर) के लिये किसी भी स्रोत से विद्युत प्रदाय प्राप्त किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के बाहर से 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् क्रय किये गये ऐसे कच्चे माल का पैकिंग सामग्री के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी के दिनोंक को खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये उसके क्रय का दिनोंक समझा जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्माण का कोई प्रक्रम ऊपर निर्दिष्ट किन्हीं दिनोंक के पूर्व प्रारम्भ किया जाय, वहाँ ऐसे प्रारम्भ का दिनोंक उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनोंक होगा];

1[(4) 'स्थिर पूंजी विनिधान' का तात्पर्य भूमि और भवन में और 2[ऐसे संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लांट भी हैं], मशीनरी, उपस्कर, सधित्रों, संघटकों, मोल्डों, डाइयों, जिगों और फिक्सचरों 3[के मूल्य] से है जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में 4[प्रयोग में न लाये गये हों]]

प्रतिबन्ध यह है कि—

- (क) भूमि और भवन 3[के मूल्य] का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए केवल निम्नलिखित को गणना में लिया जायगा—

(एक) भूमि और भवन के केवल ऐसे भाग 3[के मूल्य] जो किसी इकाई के कारखाने या कर्मशाला को स्थापित करने या चलाने के लिए आवश्यक हो;

(दो) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन भूमि और भवन के रजिस्ट्रीकरण में और किसी कानूनी निकाय को भूमि के विकास में देय और विकास प्रभार के रूप में उपगत व्यय;

(तीन) यदि इकाई ऐसी भूमि या भवन में स्थापित हो जो पहले से उसके मालिक, भागीदार, प्रबन्ध निदेशक, सम्प्रवर्तक निदेशक या नियंत्री कम्पनी के स्वामित्वाधीन हो और उसके द्वारा पूंजी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000 दि० 12.1.2000 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 21.10.1999)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "में विनिधान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "न तो प्रयोग में लाये गये हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गये हों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

में अपने अंश के रूप में दी गई हो, तो ऐसी भूमि या भवन का मूल्य;

(चार) यदि इकाई पट्टे पर ली गई भूमि या भवन में स्थापित हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण पर उपगत व्यय और <sup>1</sup>[उस अवधि के दौरान], जिसके लिए धारा 4-क के अधीन छूट दी जाय, पट्टे के कारण प्रीमियम के रूप में भुगतान की गयी या देय धनराशि या आनुपातिक धनराशि;

(पाँच) किसी कानूनी दायित्व के अधीन इकाई का स्थापित करने या चलाने के लिये आवश्यक भूमि या भवन <sup>2</sup>[के मूल्य];

(ख) <sup>3</sup>[ऐसे संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लांट भी हैं], मशीनरी, उपस्कर, साधित्र और संघटकों <sup>4</sup>[के मूल्य] चाहे खरीद, किराया या पट्टे के रूप में हो का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये केवल निम्नलिखित की गणना में लिया जायेगा—

(एक) ऐसे संयंत्र, उपस्कर, साधित्र, संघटकों और मशीनरी <sup>5</sup>[के मूल्य] चाहे खरीद, किराया या पट्टे के रूप में हो जो कारखाने या कर्मशाला को स्थापित करने या उसे चलाने के लिये आवश्यक हो;

(दो) विनिधान चाहे खरीद, किराया या पट्टे के रूप में हो जो किसी कानूनी दायित्व के अधीन आवश्यक हो; और

(तीन) ऐसे संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण और प्रतिष्ठापन में, और उसे उस स्थल तक लाने में, उपगत व्यय।

(ग) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, स्थिर पूंजी विनिधान अवधारित करने के लिये प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकती है।];

<sup>4</sup>[(घ) यदि किसी इकाई ने, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्ट्रीग्रेसन में से दो या अधिक मद के लिए स्थिर पूंजी विनिधान किया है किन्तु जब प्रत्येक ऐसे मद में किये गये स्थिर पूंजी विनिधान का अभिनिश्चय न किया जा सकता हो तो इकाई द्वारा यथा प्रस्तुत स्थिर पूंजी विनिधान के अवशिष्ट को स्वीकार किया जायेगा।]

<sup>5</sup>[(ड) किसी कैप्टिव पावर प्लांट में स्थिर पूंजी विनिधान के आधार पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इकाई ऐसी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "उस अवधि के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा शब्द "में विनिधान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000, दि० 12.1.2000 द्वारा शब्द "मशीनरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 21.10.1999)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा अन्तः स्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000, दि० 12.1.2000 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावी 21.10.1999)।

विद्युत परिषद से भिन्न किसी व्यक्ति को न करती हो और यदि इकाई ऐसी अधिक विद्युत को बिक्री उक्त परिषद से भिन्न किसी व्यक्ति को करती है, तो इकाई अपने निर्मित माल की बिक्री पर धारा 8 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ब्याज के साथ यथानुपात आधार पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगी।]

(5) "ऐसी इकाई जिसका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है" का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है—

1[(क) जो ऐसे व्यापारी की हो जो इस ऐक्ट या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन या माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार-कर के संबंध में प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित किसी ऋण योजना के अधीन किसी देय के भुगतान में व्यतिक्रमी न हो।]

2[(ख) जिसके ऐसे माल के जो—

(एक) विविधीकरण की जाने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में ऐसे उपक्रम द्वारा पहले निर्माण से भिन्न प्रकृति का हो; और

(दो) विस्तार या आधुनिकीकरण की जाने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में ऐसे उपक्रम में आधारभूत उत्पादन से अधिक निर्मित किये गये हों ;

उत्पादन का प्रथम दिनांक 31 मार्च, 1990 के पश्चात् किसी समय पड़ता हो।]

(ग) 3[उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यथा उपबन्धित के सिवाय जिसकी उत्पादन क्षमता, विस्तार या आधुनिकीकरण के पारेणामस्वरूप कम से कम पच्चीस प्रतिशत बढ़ गई हो या जिसमें विविधीकरण के पश्चात् पूर्वतर निर्माण किये गये माल से भिन्न प्रकार के माल का निर्माण किया जाता हो;

(घ) जिसमें (अवक्षयण के लिए व्यवस्था किये बिना) ऐसे मूल स्थिर पूँजी विनिधान का कम से कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूँजी विनिधान किया गया हो।]

4[(ङ) जो उसी जिले के भीतर स्थापित की गई हो जिसमें वर्तमान औद्योगिक इकाई स्थापित हों]

5["(6) इस धारा के प्रयोजनार्थ, मद "आधारभूत उत्पादन" का तात्पर्य,—

(क) अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता का अस्सी प्रतिशत; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.4.1992)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.4.1992)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.12.1994)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर-निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन या यदि इकाई में उत्पादन पांच वर्ष से कम अवधि का है तो पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन;

इनमें से जो भी अधिक हो, से है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी इकाई ने ऐसी सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण नहीं किया हो वहां उस इकाई के आधारभूत उत्पादन का अवधारण उन वस्तुओं, जिनके सम्बन्ध में विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है, के उत्पादन के आधार पर किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ स्थिर पूंजी विनिधान को अवधारित करने के लिये किसी निश्चित अवधि में किये गये विनिधान एक साथ जोड़े जाते हैं वहां विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रथम बार किये गये स्थिर पूंजी विनिधान के दिनांक के ठीक पूर्व के उत्पादन के आधार पर आधारभूत उत्पादन अवधारित किया जायेगा।<sup>1]</sup>

<sup>1</sup>[(7) वह इकाई जिसने बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है—

(एक) जिसने पिछले तीन कर निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में अपने द्वारा बनाये जा रहे तैयार माल के लिये कच्चे माल, पुर्जों, मध्यकों या संघटकों के क्रय की कुल धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत राज्य के बाहर से आयात किया है;

(दो) जिसने मूल स्थिर पूंजी विनिधान (अवक्षयण की व्यवस्था किये बिना) का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनिधान किया हो; और

(तीन) जिसने ऐसे कच्चे माल, पुर्जे मध्यकों या संघटकों का निर्माण किया है, जिन्हें राज्य के बाहर से आयात किया जाता था।]

<sup>2</sup>[(8) "कैप्टिव पावर प्लान्ट" का तात्पर्य ऐसे पावर प्लान्ट से है जो राज्य में किसी ऐसी इकाई द्वारा लगाया गया हो जो किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित विद्युत का उसकी स्थापित क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून उपभोग करती है;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई के सम्बन्ध में इस स्पष्टीकरण के विद्युत के उपभोग की अपेक्षाओं को निम्नलिखित सदस्यों की समिति की संस्तुति पर शिथिल कर सकती है—

(क) यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000, दि० 12.1.2000 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावी 21.10.1999)।

वित्त विभाग।

- (ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग।  
 (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग।  
 (घ) प्रबन्ध निदेशक, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश।  
 (ङ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्।]

[प्रयोजनार्थ नियम 6-क, 25, 43 46-ख, 46-ग, 77 व 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

यदि करदाता व्यापारी के लिये मशीनें दूसरी कम्पनी द्वारा मेमोरैन्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग के अन्तर्गत खरीदी गई तथा करदाता को डिलेवरी दे दी गई एवं उसका प्रयोग पर क्रेता कम्पनी ने नहीं किया तो पात्रता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से ऐसी मशीनें नई मानी जायेगी। *Panalfa Dongwon India Limited, Noida v. C.T.T.*, [2004] 39 STR 250.

**करमुक्ति**—नई इकाई, जिसे पात्रता प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध है, पर दलहन की खरीद पर 4% की दर से कर देयता है। *Janta Dal Mill v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 205.

**करमुक्ति**—यह कथन बलहीन है कि धारा 4-क के अन्तर्गत इकाई को केवल विद्युत वितरण विभाग द्वारा उर्जा की आपूर्ति पर ही छूट उपलब्ध है एवं उद्योग चलाने हेतु अन्य श्रोत (जनरेटर) द्वारा उर्जा की आपूर्ति पर नहीं। *C.T.T. v. Saket Surgicals India Pvt. Ltd.*, [2003] 38 STR 531 (LB) : 2003 UPTC 439 (LB).

**करमुक्ति**—नई इकाई के लिए खरीदी गई मशीनरी किसी अन्य इकाई में सुरक्षा कारणों से स्टोर किये जाने के कारण पुरानी मशीनरी मानकर पात्रता प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। *Rotomac Electricals Private Limited, Noida v. Trade Tax Tribunal*, [2003] 38 STR 600 : 2003 UPTC 1088.

**करमुक्ति**—पुराने क्रुसिबिल की खरीद इकाई में उत्पादन के कार्य में प्रयोग हेतु नहीं थी अतः पुरानी मशीनरी की खरीद के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *H.M. Industries & another v. Sales Tax Officer*, [2003] 38 STR 804 : 2003 UPTC 496.

**धारा 4-ए—करमुक्ति**—यदि मशीनरी की डिलेवरी फैंब्रीकेटर से सीधे ली गई तथा उसका प्रयोग बिक्रेता द्वारा नहीं किया गया है तो वह नई मशीनरी है और व्यापारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य है। *Calcutta Silicate and Chemical Industries, Meerut v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 771 : 2003 UPTC 968.

**करमुक्ति**—पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र यदि पूर्ण नहीं है तो व्यापारी को इस आशय का पक्ष दिया जायेगा कि वह कमियों को पूरा करे। यदि ऐसी कमियों 60 दिनों में पूरी कर दी जाती है तो प्रार्थना पत्र समय से माना जायेगा। जहाँ ऐसा पत्र नहीं दिया गया है उस दशा में यह नियम लागू नहीं होता है। *Tarun Alum (P) Limited, Bareilly v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 489.

पात्रता प्रमाण पत्र का आंशिक प्रयोग होने के बाद करदाता अधिस्थगन (मोरेटोरियम) का अधिकारी नहीं रह जाता है। *Bindal Batteries Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 887.

**करमुक्ति**—विज्ञप्ति संख्या 780, दिनांक 31-3-1995 के अनुसार यदि विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 1.4.1995 के पश्चात् किन्तु



दिनांक 31.3.2000 के पूर्व आधारभूत उत्पादन से अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त किया गया तो इकाई को कर में छूट उपलब्ध नहीं है। *Abhinav Steels Private Ltd., Industrial Area v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 700 : 2004 UPTC 6.

**करमुक्ति**—उ०प्र० अधिनियम सं० 22 सन् 1984 प्रभावी दिनांक 12-10-1983 के संशोधन के पूर्व यदि इकाई द्वारा पुरानी मशीन खरीद कर प्रयोग में लाई गई है तो इस आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। *Magnum Papers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.

**करमुक्ति**—फर्म के डायरेक्टर के संयुक्त परिवार की जमीन पर स्थापित की गई नई इकाई को धारा 4-क का लाभ दिया जा सकता है। *Kanhaiya Beverages Pvt. Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 116 : 2003 UPTC 549.

**करमुक्ति**—फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र देने के पश्चात भी करमुक्ति प्रदान की जा सकती है। कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र के पालन हेतु विभागीय अधिकारी बाध्य हैं। *Magnum Papers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.

**करमुक्ति**—उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि कच्चा माल की प्रथम खरीद की तिथि या बिजली कनेक्शन लेने की तिथि जो भी पहले हो, है। *Magnum Papers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.

**करमुक्ति**—ट्रायल रन के लिये कच्चे माल की खरीद की तिथि को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि नहीं माना जा सकता है। *Magnum Papers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.

**करमुक्ति**—वाद पुराना होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा मण्डल स्तरीय समिति को प्रति-प्रेषित करने के स्थान पर उसे निर्देश दिया कि प्रार्थी को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाय। *Magnum Papers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 240 : 2003 UPTC 354.

**धारा 4-ए—करमुक्ति—नई इकाई**—भूमि यूनिट के साझीदार के नाम हो और भवन फर्म के साझीदारों द्वारा उसके ऊपर निर्मित कराया गया हो तो भी यूनिट को करमुक्ति हेतु पूँजी विनियोजन में उसकी गणना की जायेगी। *Eskay Remedies v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 273 : 2003 UPTC 254.

**करमुक्ति**—अपंजीकृत लीज डीड निष्पादित करने के बाद यदि उसे पूर्वगामी प्रभाव से पंजीकृत करा लिया गया है तो धारा 4-क की शर्तों का पालन हो जाता है और व्यापारी को पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। *Sri Laxmi Tel Udyog and another v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 340 : 2003 UPTC 500.

**करमुक्ति**—जब व्यापारी ने उत्पादन 22.9.1993 को प्रारम्भ करके पहली बिक्री दिनांक 2.11.1993 को किया और पात्रता प्रमाण पत्र हेतु 28-4-1995 को आवेदन किया तो आठ वर्षों की अवधि 2.11.1993 से गिनी जायेगी किन्तु वास्तविक करमुक्ति का लाभ 28-4-1995 से दिये जाने से वह तीसरे तथा बाद के वर्षों में निर्धारित प्रतिशत की दर से कर देने का उत्तरदायी होगा। *Sharda Foundry & Engineering Works v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 381 : 2003 UPTC 807.

मण्डल स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय पुनर्विचार याचिका पोषणीय नहीं है अतः ऐसी याचिका अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील पोषणीय नहीं हो सकती है। *S.D. Cement (Pvt.) Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 388.

पात्रता प्रमाण पत्र में संशोधन करने के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मण्डल स्तरीय समिति को पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त अथवा संशोधित

करने का अधिकार नहीं है। *Markwell Paper Plast Pvt. Ltd v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 377 : 2003 UPTC 892.

**धारा 4-ए(3)—पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण—**व्यापारी का पात्रता प्रमाण पत्र दुरुपयोग किये जाने के आधार पर निरस्त किया गया—तथ्यों की जाँच उसकी फैक्टरी से नहीं की गई—सम्बन्धवहार लेखों में अंकित पाया गया—चालान तथा बिल जारी किये गये क्रेता तथा अन्य निर्माता का प्रमाण पत्र अभिलेख पर होने पर भी अविचारित रहा—आयात प्रमाणित नहीं किया जा सका—यह भी प्रमाणित नहीं किया गया कि प्रश्नगत केबुल का निर्माण व्यापारी की फैक्टरी में नहीं हुआ—संदेह के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण उचित नहीं। *Shivalik Pipes, Gautambudh Nagar v. C.T.T.* [T.T.R. No. 208/98], [2003] 37 STR 46 : 2003 UPTC 309.

जहाँ पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाने की अन्य शर्तें पूरी हो गई हों प्रथम बिक्री के दिन से करमुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिये। *Etah Steels Pvt. Ltd v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 252 : 2003 UPTC 1252.

**धारा 4-ए—करमुक्ति—**पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार करने के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। मण्डल स्तरीय समिति को निर्देश दिया गया कि व्यापारी द्वारा पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात निर्णय दे। *Tribhuwan Industries Ltd v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 511 : 2002 UPTC 711.

**धारा 4-ए एवं स्पष्टीकरण 5, 6(ए), 6(बी)—करमुक्ति—**उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर विस्तारीकरण करने पर करमुक्ति का लाभ दिया जा सकता है। *Paswara Petrochem Limited, Meerut v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 361 : 2002 UPTC 598.

**धारा 4-ए एवं स्पष्टीकरण 5 एवं 6—**कमिश्नर के द्वारा निर्गत परिपत्र गलत होने पर भी अधिकारियों पर बाध्यकारी है। *Paswara Petrochem Limited, Meerut v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 361 : 2002 UPTC 598.

**धारा 4-ए—निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार अधिनियम की धारा 4-A(3) के अन्तर्गत कमिश्नर को प्राप्त है।** *Markwel Paper Plast Pvt. Ltd v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 522 : 2002 UPTC 637.

**धारा 4-ए—**व्यापारी ने प्रार्थना—पत्र में "फोर्जिंग्स" शब्द लिखा गया—प्रार्थना—पत्र फोर्जिंग क्रैन्क-शाफ्ट के लिये जारी किया गया। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, फैक्ट्रीज ऐक्ट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में प्रार्थी विभिन्न फोर्जिंग्स के लिये पंजीकृत है। मण्डल स्तरीय समिति को प्रार्थना—पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया। *Herig Crankshafts Ltd v. C.S.T.*, [2002] 36 STR 675.

**धारा 4-ए एवं 4-बी—**रैपिंग पेपर पैकिंग पेपर है तथा इस के लिये व्यापारी को पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया जा सकता है—अधिकरण द्वारा दिया गया आदेश तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि वह साक्ष्यहीन आधार पर पारित किया गया है अथवा विधि विरुद्ध है। *C.T.T. v. S/s. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghaziabad*, [2002] 36 STR 669.

**धारा 4-ए(3), 10(2), (6)—करमुक्ति—**उत्पादन प्रारम्भ करने के तिथि के एक वर्ष के भीतर विस्तारीकरण करने पर भी करमुक्ति का लाभ पाने की पात्रता इकाई को प्राप्य है। *Swastik Tubes (P.) Ltd v. Trade Tax Tribunal, U.P.*, [2002] 36 STR 525 : 2002 UPTC 700.

**धारा 4-ए—**करमुक्ति की पात्रता के आवेदन पर विचार करते समय असम्बिलित वस्तुओं का विनिश्चय करने हेतु शब्दकोषीय अर्थ का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। ऐसा अर्थ लेना विधि संगत है जिससे अभीप्सित परिणाम प्राप्त हो सके। *Shanti Pulses, Saharanpur v. C.T.T.* [2002] 35 STR 3 : 2002 UPTC 16.

धारा 4-ए एवं 22—करमुक्ति—मण्डल स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया गया करमुक्ति का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं नकारा जा सकता है। *D. S. M. Group of Industries v. State of U.P.*, [2002] 36 STR 703 (LB) : 2002 UPTC 1008 (LB).

धारा 4-ए—जब यह नहीं सिद्ध किया जा सका कि व्यापारी ने पात्रता प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया था तो उसे कर की छूट की पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। *C.T.T. v. Precise Laboratories Ltd. Ghaziabad*, [2002] 35 STR 6 : 2002 UPTC 36.

धारा 4-ए—यदि शासकीय आदेश की उपेक्षा नहीं की गई है तथा छूट की मात्रा गलत ढंग से अधिक नहीं थी तो दी गई छूट को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। *C.T.T. v. Precise Laboratories Ltd. Ghaziabad*, [2002] 35 STR 6 : 2002 UPTC 36.

धारा 4-ए—जब पात्रता प्रमाण पत्र प्रभावी होने के कारण व्यापारी ने कर न वसूल किया हो तो व्यापारी को कर से छूट का लाभ दिया जाना अनुचित नहीं। *C.T.T. v. Precise Laboratories Ltd. Ghaziabad*, [2002] 35 STR 6 : 2002 UPTC 36.

धारा 4-ए—जब कर-निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा मांगी गई छूट को अंशतः अस्वीकार कर दिया हो तो अपील द्वारा ही उसे सही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा व्यापारी को छूट का अधिकारी घोषित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। *C.T.T. v. Precise Laboratories Ltd. Ghaziabad*, [2002] 35 STR 6 : 2002 UPTC 36.

धारा 4-ए—जेनरेटर की क्रय राशि को पूंजी विनिधान में सम्मिलित नहीं किया गया तब जेनरेटर के बिल को बाद में प्रस्तुत करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है किन्तु जब 19.5.1994 को लीजडीड प्रस्तुत करने की नोटिस दी गई और लीजडीड 6.10.1994 को प्रस्तुत की गई तो पात्रता प्रमाण पत्र का लाभ 6.10.1994 से ही दिया जा सकता है। *Sharp Leathers Limited, Agra v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 14 : 2002 UPTC 96.

धारा 4-ए—अधिकरण ने मंडलीय स्तरीय समिति को दिनांक 6-9-1999 के परिपत्र के अनुसार निर्णय देने के लिये कहा जिसपर कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपील में अधिकरण को स्वयं मामले पर निर्णय देना चाहिये। अधिकरण द्वारा वाद प्रतिप्रेषित करने का आदेश न्यायसंगत नहीं है। *Bareilly Coke Industries v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 28 : 2002 UPTC 76.

धारा 4-ए—जहाँ व्यापारी द्वारा तथ्यों का दुराव अथवा उनका अन्यथा विवरण न दिया गया हो, कमिश्नर को पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं है। *Bharat Steel Rolling Mill v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 42 : 2002 UPTC 122.

धारा 4-ए—व्यापारी ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के साक्ष्य में पोस्टल रसीद तथा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अविश्वास करने के लिये कोई आधार नहीं है। व्यापारी प्रथम बिक्री के दिनांक से पात्रता प्रमाण पत्र के लाभ का अधिकारी है। *Taruik Pharma (India) Ltd. Noida v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 96 : 2002 UPTC 204.

धारा 4-ए—करमुक्ति—अधिकरण द्वारा शासनादेश दिनांक 3-5-1993 की सही विवेचना नहीं की गई—व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया—वाद मण्डल स्तरीय समिति को पुनः निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया गया। *Mangalam Steels, Gwalior Road, Jhansi v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 239 : 2002 UPTC 450.

धारा 4-ए—करमुक्ति—जिला स्तरीय समिति को उच्च न्यायालय द्वारा मामला प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देश दिया कि पुनर्विचार याचिका की पुनः सुनवाई की जाय। समिति द्वारा उन बिन्दुओं पर भी विचार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई जो उच्च न्यायालय के सम्मुख नहीं उठाये गये थे। *M/s*

*Goodwill Brick Kiln v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 298 : 2002 UPTC 508.

धारा 4-ए एवं 13-ए(6)—पात्रता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी द्वारा क्षतिग्रस्त मशीन के पुर्जे तथा उपकरण मरम्मत हेतु भेजे जाते समय अभिग्रहीत किये जाने की स्थिति में केवल कर की देय धनराशि जमा कराना ही उचित। *V.S. Auto Parts Pvt. Ltd., Panki Industrial Estate, Kanpur v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 296 : 2002 UPTC 521.

धारा 4-ए—पात्रता प्रमाण पत्र का अधिकतम लाभ लिये जाने के बाद लम्बी अवधि के पश्चात् इसे निरस्त करना कमिश्नर के लिये सर्वथा अनुचित कार्यवाही थी। *Bharat Steel Rolling Mill v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 42 : 2002 UPTC 122.

धारा 4-ए—नई इकाई द्वारा खरीदी गई मशीनें पुरानी होने के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र का आवेदन अस्वीकार किया गया धारा 4-क (1)(घ) के स्पष्टीकरण पर अधिकरण द्वारा विचारोपरान्त पुनः निर्णयार्थ वाद प्रति प्रेषित किया गया। *Kediya Electrical Appliances v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 527.

धारा 4-ए—पुनर्विचार याचिका के समय किराये की रसीदें तथा लीज के अभिलेखों पर विचार न किया जाना अनुचित है। *Perfect Pack, Moradabad and another v. State of U.P. and others*, [2001] 34 STR 546.

धारा 4-ए—प्रथम बिक्री के बाद पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर उसके बाद की सीमित शेष अवधि के लिये छूट का लाभ अनुमन्य किया जाना चाहिये। *M/s. Perfect Pack, Moradabad and another v. State of U.P. and others*, [2001] 34 STR 546.

धारा 4-ए—करमुक्ति कालावधि बढ़ाने हेतु पुनर्विचार याचिका का अस्वीकरण तथ्यों पर सम्यक् विचार किये बिना किया जाना अनुचित है। *Doaba Cold Storage and Ice Fac. Allahabad v. State of U.P. and others* [2001] 34 STR 558.

धारा 4-ए—फर्म के साझीदार कम्पनी के निर्देशक भी हों तो फर्म तथा कम्पनी दोनों अलग अलग "व्यक्ति" हैं। *C.T.T. v. M/s. J.P.S. Plastic Pvt. Ltd., Meerut*, [2001] 34 STR 560 (LB).

पात्रता प्रमाण-पत्र चार वर्ष के लिए दिनांक 27.10.1985 से जारी किया गया तदोपरान्त दिनांक 4.12.1986 से छः वर्षों के लिये पात्रता प्रमाण पत्र संशोधित किया गया। प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.7.1990 को पारित किया गया। संशोधन के फलस्वरूप, धारा 21 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही की गई। प्रथम अपील अस्वीकार होने के फलस्वरूप द्वितीय अपील की गई। अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार करते हुये यह निर्णय दिया गया कि मंडल स्तरीय समिति (DLC) को पात्रता प्रमाण पत्र संशोधित किये जाने का अधिकार नहीं था। उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर किये जाने पर यह निर्णीत हुआ कि धारा 10 (10)(सी) ऐक्ट संख्या 31/1995 द्वारा दिनांक 25.8.1995 से लागू किया गया परन्तु धारा 4-ए के आदेश के विरुद्ध अपील न किये जाने के कारण अधिकरण द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं था। *C.T.T. v. Rohit Products Moradabad*, 2000 UPTC 906.

यदि नई यूनिट द्वारा मशीन सरकारी कम्पनी, कारपोरेशन जो केन्द्रीय सरकार व प्रान्तीय सरकार के अधीन हो अथवा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार से खरीदी गई हो तो ऐसी यूनिट को नई समझी जायेगी। *M/s. Polypack Pvt. Ltd., Kanpur v. C.T.T.*, 2000 UPTC 442.

यह निर्विवादित है कि यदि कोई निर्णय कर दिया गया हो तथा उसके विरुद्ध अपील न की गई हो, तब ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी के मध्य उक्त आदेश लागू होगा चाहे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा भिन्न निर्णय दे दिया गया हो। पूर्व निर्णय का अनुपालन करने के लिये अधिकरण तथा मंडल स्तरीय

समिति (DLC) बाध्य है। *Chandra Stamping Works Bulandshahar v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 433 इस सम्बन्ध में निम्न निर्णयों का भी अवलोकन करें। *Vallapally plantations Pvt. Ltd. v. State of Kerala*, 1999 (3) J.T. 496 (SC) एवं *B.S. Charti v. Hussain Nharhu Jamadar*, 1999 (1) SCC 273 (SC).

पात्रता प्रमाण-पत्र संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा जारी किये जाने के कारण व्यापार कर अधिकारी उसे अनदेखा करने के लिये अधिकृत नहीं है। केवल कमिश्नर कुछ परिस्थितियों में धारा 4-ए (3) के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकते हैं। अधिकारी द्वारा जारी नोटिस अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 एवं 227 में स्वीकार योग्य है तथा "Alternative remedy" से प्रतिबंधित नहीं है। *Anil Kumar Ramesh Chandra v. State of U.P.*, 2000 UPTC 383.

फैक्टरी का सर्वेक्षण न कराया जाना तथा उत्पादन से 6 माह की अवधि के बाद प्रार्थना पत्र दिया जाना, पात्रता प्रमाण-पत्र को अस्वीकार किये जाने का आधार नहीं हो सकता। *Mahabir Agro Products, Ltd., Bareilly v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 503.

पात्रता प्रार्थना पत्र उन शर्तों के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो प्रथम बिक्री के समय विद्यमान नहीं थे। *Aakash Cement Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 298.

पुराना डीज़ल इंजन जो मैकेनिकल शक्ति के लिये प्रयोग में लाया गया मशीनरी का पार्ट नहीं है। इस आधार पर पात्रता प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Aakash Cement Pvt. Ltd. v. Commissioner Sales Tax*, 2000 UPTC 298.

अप्रैल 1, 1990 के बाद से नई इकाई की परिभाषा में परिवर्तन। प्लांट व मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो किसी अन्य फैक्ट्री या वर्कशाप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये क्रय की गई हो। प्लांट की एसेसरीज़ को दी गई परिभाषा से निकाल दिया गया है। *Progressive Componets (Pvt.) Ltd. v. C.T.T.*, 2000 UPTC 131.

बड़े टैंकर से छोटे सिलेंडर में अमोनिया गैस का भरा जाना औद्योगिक क्रिया है जिस कारण यूनिट उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) में पंजीकृत है। अतः मण्डल स्तरीय समिति (DLC) का यह मत कि उक्त कार्य उत्पादन प्रक्रिया नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। *Shree Amonia Chemicals (Pvt.) Ltd. v. Commissioner Trade Tax*, 2000 UPTC 141.

बिल बुक पर पंजीयन संख्या गलत छपने के कारण नगद जमानत की मांग तब तक उचित नहीं है जब तक कि दो बिल बुक विभिन्न पंजीयन संख्या को प्रदर्शित करते हुये न पाया जाय। जमानत नगद व बैंक गारंटी के अतिरिक्त स्वीकार योग्य है। *Shivaji Belting Company v. C.T.T.*, 2000 UPTC 147.

*Jain Shudh Vanaspatti case*, 1983 UPTC 198 के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर दिये गये निर्णय दिनांक 16-10-1987 (1987 A.T.J. 1012) के अनुसार वाद में प्रकाशित अध्यादेश के आधार पर धारा 28-क के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति पुनर्जीवित होने के फलस्वरूप, इस कथन का समर्थन नहीं किया जा सकता कि विज्ञप्ति के अभाव में धारा 15-ए(1)(ओ) के अन्तर्गत अर्थदंड की कारवाई नहीं की जा सकती। *C.S.T. v. Ocean Time Agency, Agra*, 2000 UPTC 153.

पात्रता प्रमाण-पत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि नई इकाई द्वारा निर्मित वस्तु की बिक्री नई इकाई की ब्रान्च को की गई है। *C.S.T. v. Usha Rectifier Corporation (I) Ltd.*, 2000 UPTC 35 (LB).

नई यूनिट की स्कीम जो विज्ञप्ति संख्या 7558 दिनांक 26-12-1985 द्वारा लागू की गई, में

पूर्ण करमुक्ति की सुविधा उपलब्ध थी। तदोपरांत विज्ञप्ति संख्या 1093 दिनांक 27-7-1991 के अनुसार 1-4-1990 से पूर्व स्थापित यूनिट द्वारा विस्तारीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण उक्त तिथि के बाद परन्तु 31-3-1995 से पूर्व की स्थिति में विनियोजित स्थिर पूँजी के निश्चित प्रतिशत तक कर में छूट प्रदान की गई। तृतीय स्कीम जो विज्ञप्ति संख्या दिनांक 31-3-1995 द्वारा लागू की गई द्वारा उपलब्ध लाभ और कम कर दिया गया। उक्त स्कीम में नई यूनिट दिनांक 1-4-1995 एवं 31.3.2000 के मध्य स्थापित एवं एवं विस्तारीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण किये गये में अन्तर किया गया। विनियोजित स्थिर पूँजी एवं अतिरिक्त विनियोजित स्थिर पूँजी में अन्तर माना गया। नई स्थापित यूनिट के प्रकरण में छूट स्थिर पूँजी का 200% अथवा 250% तक छूट अनुमन्य है परन्तु विस्तारीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण की स्थिति में अतिरिक्त विनियोजित स्थिर पूँजी की सीमा तक ही लाभ अनुमन्य है। अतः अधिकरण का मत कि दोनो स्कीमों में कोई अन्तर नहीं है, त्रुटिपूर्ण है।

धारा 4-क स्पष्टीकरण (5) (घ) विस्तारीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण करने वाली यूनिट को छूट का लाभ सीमित नहीं करता, पात्रता प्रमाण पत्र ग्राह्य होने के लिये प्रारम्भिक स्थिर पूँजी का 25% अतिरिक्त स्थिर पूँजी का विनियोजित किया जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 4 (सी) के अनुसार जारी विज्ञप्ति दिनांक 27-7-1991 के द्वारा नई यूनिट की पूँजी एवं अतिरिक्त स्थिर पूँजी की गणना करने की रीति का उल्लेख किया गया है उक्त विज्ञप्ति में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अनुमन्य लाभ केवल अतिरिक्त विनियोजित स्थिर पूँजी के आधार पर देय होगा। ऐसा प्रतिबन्ध विज्ञप्ति संख्या दिनांक 31-3-1995 द्वारा लाया गया। अतः विज्ञप्ति संख्या दिनांक 27-7-1991 के अनुसार 31-3-1995 तक मूल विनियोजित स्थिर पूँजी यदि विस्तारीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया के आधार पर कर छूट अनुमन्य होगा।

नई यूनिट को स्थापित करने के लिये संस्था से लिये गये ऋण की अदायगी में दिया गया ब्याज तथा उत्पादन से पूर्व के खर्चे विनियोजित पूँजी में सम्मिलित किया जायेगा। *Kajaria Ceramics Ltd. v. C.T.T.*, 2000 UPTC 154.

नई यूनिट की परिभाषा में दिनांक 1-4-1990 से परिवर्तन कर दिया गया है। प्लान्ट व मशीनरी का नया होना अनिवार्य है। उक्त परिभाषा में एसेसरीज़ को निकाल दिया गया है। मोनो ब्लाक तथा पानी इंजन के बिल प्रस्तुत न करने की दशा में, उन्हें पुराना नहीं समझा जा सकता। ऐसी स्थिति मण्डल स्तरीय समिति (DLC) द्वारा लिया गया निर्णय न्यायोचित नहीं। *Progressive Components (Pvt.) Ltd. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 131.

विज्ञप्तियों में हुई त्रुटियों के कारण करमुक्ति की पात्रता समाप्त नहीं की जा सकती। *Gujarat Ambuja Cement Ltd. and Another v. Assessing Authority-Cum-Assistant Excise & Taxation Commissioner*, [1999] 30 STR (HP)(HC) 509.

पात्रता प्रमाण-पत्र धारक द्वारा निर्मित खण्डसारी की बिक्री कमीशन एजेंट द्वारा किये जाने पर उसको भी करमुक्त का लाभ उपलब्ध है। *C.S.T. v. S/s. Brij Mohan and Company, Moradabad*, [1999] 30 STR 452.

प्रमुख उत्पाद की प्रथम बिक्री के दिन से करमुक्ति की अवधि प्रारम्भ होती है। यदि उसके पूर्व सहउत्पाद का विक्रय किया गया है तो उस दिन से यह अवधि नहीं प्रारम्भ मानी जायेगी। *M/s. Suraj Vanaspati Ltd., Sikandrabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 617.

भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत न होने की स्थिति में व्यापारी को भूस्वामी नहीं कहा जा सकता तथा ऐसी स्थिति में उसे पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता। *M/s. Polycan Industries Allahabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 480.

जहाँ क्रेता अपंजीकृत व्यापारी है, क्रय के बिन्दु पर नहीं प्रत्युत विक्रय के बिन्दु पर कर आरोपणीय है। *C.S.T. v. S/s. Brij Mohan and Company, Moradabad*, [1999] 30 STR 452.

विशेष धूम्रहीन ईंधन 27.7.91 की विज्ञप्ति की इन्ट्री 11 एवं 16 से आच्छादित नहीं है। *C.T.T. v. M/s. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd., Moradabad*, [1999] 30 STR 605.

प्रथम बिक्री के दिन अनिबंधित भूमि के पट्टे का विलेख बाद में प्रथम बिक्री के दिन से ही पूर्वगामी प्रभाव से निबंधित कराये जाने की स्थिति में धारा 4-क की शर्तों का अनुपालन हो जाता है। *C.S.T. v. M/s. Kothari Moulders*, [1999] 30 STR 488 (LB).

दिनांक 27.7.1991 की विज्ञप्ति में वर्णित वस्तुओं का अर्थ साधारण तथा सामान्य ज्ञान पर आधारित होना चाहिये। *C.T.T. v. M/s. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd., Moradabad*, [1999] 30 STR 605.

विशेष धूम्ररहित ईंधन यद्यपि कोयले का एक रूप है तथापि सभी प्रकार का कोयला प्रतिबंधित सूची में न होने के कारण करमुक्ति की पात्रता वाली वस्तुओं में आता है। *C.T.T. v. M/s. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd., Moradabad*, [1999] 30 STR 605.

धारा 4-क (3) के अधिकारों का प्रयोग करते समय कमिश्नर को मंडल स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। *C.T.T. v. R.K. Coal Sales Pvt. Ltd.*, [1999] 30 STR 605.

पश्चातवर्ती विधि संशोधन के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। *M/s. Wax and Allied Products, Bareilly v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 614.

राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात कमिश्नर को समिति के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। *Suraj Vanaspati Ltd. v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 617.

धारा 4-क (3) द्वारा कमिश्नर को दिया गया अधिकार विवेकाधीन अधिकार है जिसका प्रयोग न्यायसंगत होना चाहिये। *M/s. Suraj Vanaspati Ltd., Sikandrabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 617.

एक बार पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही कमिश्नर द्वारा प्रारम्भ की गई जो व्यापारी के पक्ष में निर्णीत हुई। दूसरी बार लगभग 8/9 वर्ष बीतने के उपरान्त पुनः इसे प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जबकि व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप न हो। *M/s. Mala Roller Flour Mills, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.

काल सीमा निर्धारित न होने का तात्पर्य यह नहीं हो सकता है कि कोई भी कार्यवाही कभी भी प्रारम्भ की जा सकती है। *Mala Roller Flour Mills, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.

30.9.1982 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत पात्रता पत्र जारी किया गया व्यापारी को मान्यता प्रमाण पत्र भी दिया गया—1984 विज्ञप्ति में केवल एक का लाभ मिलने का प्रविधान किया गया—निर्णीत हुआ कि 1982 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत दी गई छुट अप्रमाणित रहेगी। *Mala Roller Flour Mills, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.

विधि के किसी अंश को निरसित किये जाने की स्थिति में जब तक अन्यथा उद्देश्य न इंगित हो रही हो, उस अंश के अनुपालन में की गई कोई कार्यवाही अप्रभावी रह गई। *Mala Roller Flour Mills, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.

पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने के कमिश्नर के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण द्वारा

अपील निस्तारण तक निष्प्रभावी बने रहने का आदेश दिया गया। *Sunny Enterprises, Bareilly v. Trade Tax Tribunal*, [1999] 30 STR 572 : 1999 UPTC 1028.

कमिश्नर की शक्ति का प्रयोग न्याय संगत होना चाहिए। *M/s. Mala Roller Flour Mills, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 652 : 1999 UPTC 953.

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किसी स्तर पर यह साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि पुरानी औद्योगिक इकाई बन्द हो चुकी थी तथा पुनरीक्षणकर्ता के क्रियाकलाप नई इकाई की स्थापना के लिये ही थे अतः उसकी इकाई को नई इकाई नहीं कहा जा सकता। *Alvtn Cement Private Ltd., v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 489 : 1999 UPTC 1028.

प्रत्येक महीने के लिये आधार उत्पादन के ऊपर के विक्रय धन का अनुमान लगाकर धारा 4-क के अन्तर्गत कर मुक्ति का दावा करना उचित। इस आधार पर मासिक विवरणी के साथ कर न जमा करने पर अर्धदण्ड की कार्यवाही अनुचित। *C.T.T. v. Modipon Ltd., Modi Nagar*, [1999] 30 STR 356 : 1999 UPTC 1108.

पात्रता प्रमाण पत्र द्वारा प्रदत्त कर मुक्ति की अवधि के साढ़े चार वर्षों के उपरान्त प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण कमिश्नर द्वारा की गई कार्यवाही अत्यधिक अनुचित है। *Janta Dal Mill, Radha Nagar, Fatehpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 350 : 1999 UPTC 1123.

चावल उत्पादन औद्योगिक इकाई 1-11-1988 से प्रारम्भ की गयी तथा प्रथम बिक्री दिनांक 28-1-1989 को हुयी—पात्रता प्रमाण पत्र सात वर्षों के लिये दिनांक 28-1-1989 से 27-1-1996 तक के लिए जारी किया गया किन्तु कर की छूट का लाभ दि० 26-10-1989 से प्रदान किया गया क्योंकि फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र दि० 26-10-1989 से प्रदान किया गया—मुख्य विवाद दि० 28-1-1989 से 25-10-1989 की अवधि से सम्बन्धित है—संयुक्त निदेशक इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रत्यावेदन दाखिल—परवर्ती घटना के आधार पर याची द्वारा माँगी गयी सुविधा अस्वीकार नहीं की जा सकती—याची दि० 20-1-1989 से 27-1-1996 तक धारा 4-ए के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। *M/s. Chandel Rice Mills Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1999] 29 STR 90 (LB) : 1999 UPTC 7 (LB).

कर से मुक्ति—नई इकाई का विस्तारीकरण—प्रार्थी द्वारा 1982 की स्कीम के अंतर्गत पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिया गया आवेदन अस्वीकृत—इसके विरुद्ध रिट याचिका भ्रवण हेतु लम्बित—पुनः 1991 की स्कीम में करमुक्ति के लाभ हेतु पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन—यह भी अस्वीकृत किया गया—अधिकरण का निर्देश की रिट याचिका में निर्णय के पश्चात् प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाय, न्याय संगत नहीं। प्रार्थना पत्र को गुणदोष के आधार पर निस्तारणार्थ आदेश दिये गये। *M/s. Raibareilly Flour Mills Pvt. Ltd. v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 169.

नई इकाई को उद्योग विभाग से पंजीयन 11.9.1986 को पाया उत्पादन 3-3-1986 को प्रारम्भ करके प्रथम बिक्री 5-3-86 को की गई—करमुक्ति प्रदान करने हेतु प्रासंगिक तिथि 5-3-1986 हुई। इकाई 6 वर्षों के लिए करमुक्ति की पात्र होगी। *Continental Chemicals Ltd. v. Sales Tax Officer and another*, [1999] 29 STR 187 (SC) : 1999 UPTC 220.

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र परिनियमिक होता है तथा उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना चाहिए। *Ellora Mechanical Products Pvt. Ltd., Noida v. Chairman, Noida*, [1999] 29 STR 301 : 1999 UPTC 400.

उच्च न्यायालय ने अधिकरण को निर्देश दिये कि अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाय। अधिकरण अपील की ग्राह्यता अथवा काल परिसीमन के बिन्दुओं पर विचार नहीं कर सकता। *M/s. Royal Laminators (P) Ltd., Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 146.



नई इकाई का किराये के भवन से अपने भवन में स्थानान्तरण के कारण उत्पादन नौ दिन बन्द तथा पूँजी में वृद्धि करने से लागत, तीन लाख से ऊपर विधि के किसी प्राविधान के उल्लंघन का उद्देश्य नहीं बताया गया इकाई को स्वीकृत किया गया पात्रता प्रमाण पत्र प्रभावी रहेगा। *C.S.T. v. Industrial Coal Enterprises*, [1999] 29 STR 172 (SC) : 1999 UPTC 250.

यदि लीज डीड प्रथम बिक्री के पश्चात निष्पादित की गई है तो निष्पादन तिथि से शेष अवधि हेतु करमुक्ति दी जानी चाहिए। *Divisional Level Committee and another v. Harswarup Drum Udyog*, [1999] 29 STR 180 (SC) : 1999 UPTC 217.

धारा 4-क के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु वर्तमान परिधान निर्माण इकाई में ही इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नया विद्युत कनेक्शन या भूमि/भवन का नया पट्टा नहीं कराया गया है। *Old Village Industries Ltd. v. Trade Tax Tribunal*, [1998] 28 STR 637.

विज्ञप्ति दिनांक 27-7-91 के संलग्नक 2 की प्रविष्टि 18 में वर्णित 'मिठाइयां, नमकीन, रेवड़ी, गजक' आदि में क्या टाफी सम्मिलित है—इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विज्ञप्ति का उद्देश्य तथा उसमें प्रयुक्त शब्द विचारित किये जाने चाहिए—व्यापारिक भाषा के सामान्य क्रम में लगाया जाने वाला शब्दार्थ ही लिया जाना चाहिए—संगत प्रविष्टि 'टाफी' को आच्छादित नहीं करती है। *Pappu Sweets and Biscuits etc. v. C.T.T.*, [1998] 28 STR 537 (SC).

मंडल स्तरीय समिति को पात्रता प्रमाण-पत्र के निरस्त व संशोधन का अधिकार नहीं है। *Mirchula Detergents (P) Ltd. v. C.S.T.*, [1998] 27 STR 193.

यदि कोई इकाई जाब वर्क का कार्य करती रही तो यह नहीं कहा जा सकता कि इकाई छः माह से अधिक बंद रही। *Shalimar International v. State of U.P.*, [1997] 26 STR 801.

धारा 4-क(3) के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के लिये उन शर्तों को ध्यान में रखना अनिवार्य है जिसके अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिस करनिर्धारण वर्ष में 6 माह के लिये इकाई द्वारा उत्पादन नहीं किया उस वर्ष से ही सम्बंधित सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्पूर्ण अवधि के लिये पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। *Bhawani Glass Works, Firozabad v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 810.

पात्रता प्रमाण-पत्र 7 वर्षों की लीज-डीड व साझीदारों के नाम में विद्युत कनेक्शन के न होने की दशा में अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। *Hitek Machine Tools v. Divisional Level Committee*, 1994 UPTC 193.

धारा 4-क के उद्देश्यों को देखते हुये करमुक्ति की शर्तों को उदारीकरण दृष्टिकोण से विचारणीय है। *Amit Plastic Industry v. Divisional Level Committee*, 1994 UPTC 121.

फैक्ट्रीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त किया जाना केवल निर्देशित है अतः करमुक्ति की तिथि तथा अवधि की तिथि एक ही होनी चाहिये। *Small Steel Industries v. State of U.P.* [1994] 20 STR 106: 1994 UPTC 519: *Sahu Stone Crushing Industries v. D.L.C.*, 1994 UPTC 1.

किराये पर लिये गये जनरेटर का पात्रता प्रमाण-पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जनरेटर तेल व खली के निर्धारण हेतु मशीनरी का पार्ट नहीं है। उसके पुराने होने के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं हो सकता। *Neel Kamal Oil Mills v. State of U.P.*, 1994 UPTC 606.

केन्द्रीय बिक्री प्रथम बिक्री की तिथि से करमुक्त होगी न कि परिभाषित उत्पादन की तिथि से। *Allied Motors Private Ltd. v. State of U.P.*, 1994 UPTC 735.

धारा 4-क

धारा 4-क स्पष्टीकरण 1(सी) के अनुसार फैक्ट्रीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना आवश्यक न होकर केवल निर्देशित है। *Saraswati Packing Industries v. State of U.P.*, 1994 UPTC 1033.

प्रथम बिक्री की तिथि यदि उत्पादन की तिथि से छः सप्ताह के भीतर है तब प्रथम बिक्री की तिथि तक विनियत पूँजी के आधार पर छूट की अवधि का आंकलन किया जाना चाहिये। *Prime Chemical Industries v. State of U.P. and another*, [1994] 20 STR 210; 1994 UPTC 953.

नई इकाई के नाम यदि भूमि व भवन नहीं है तो पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Preet Rice Mills v. D.L.C.*, 1994 UPTC 1211.

पुराने जनरेटर के प्रयोग की स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Nylogrip Belting Co. v. State of U.P.*, 1995 UPTC 443.

शासनादेश दिनांक 6-3-1986 के अनुसार 15 वर्ष की लीज-डीड नई यूनिट के लिये बाधक नहीं है। ऐक्ट नं० 28/1991 के आधार पर 7 वर्ष की लीज-डीड का होना केवल यह सुनिश्चित किया जाना है कि यूनिट बिना अवरोध के 7 वर्ष तक उत्पादन करती रही। *Jai Durga Detergent and Chemicals Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 183; 1995 UPTC 89.

नई इकाई की छूट के लिये यह विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है कि काली चादर और गैल्वनाइज्ड चादर अलग-अलग वस्तु है अथवा नहीं। पर्याप्त इतना होगा कि यह देखा जाये कि अपनाई गई प्रक्रिया निर्माण की परिभाषा में आती है। यदि प्रक्रिया निर्माण है तब धारा 4-क के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तें पूरी होने पर ऐसी इकाई छूट की पात्र होंगी। *C.S.T. v. Jagannatha Cotton Company* [1995] 22 STR 335 (SC).

धारा 4-क के स्पष्टीकरण 1(c) के अनुसार नई यूनिट फैक्ट्रीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन की तिथि से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। *Ashish Electronics v. State of U.P.*, 1995 UPTC 289.

धारा 4-क के स्पष्टीकरण 1(d) प्रयोग में लाये जाने हेतु अर्जित के विरुद्ध तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। केवल ऐसी मशीन यूनिट में स्थापित करने मात्र से पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं किये जाने योग्य नहीं है। *Morgardshammur India Ltd. v. State Level Committee*, [1995] 22 STR 5; 1995 UPTC 334.

कर की छूट, शासकीय आदेश अथवा विज्ञप्ति के आधार पर अनुमन्य है। *Krisons Electronic Systems Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1995] 22 STR 155; 1995 UPTC 1257.

मंडलीय स्तर समिति छूट की अवधि को घटाने के लिये अधिकृत नहीं है। *Newage Printing Ink Co. v. State of U.P.*, 1995 UPTC 952.

पुरानी व नई यूनिट के साझीदार समान हो तो नई यूनिट पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं है। *J.N. Industries v. State of U.P.*, 1995 UPTC 933.

विवादास्पद त्रुटियों का सुधार कमिश्नर द्वारा धारा 4-क (3) के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। *Mansarovar Bottling Company Ltd., Bijnor v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 337 : 1999 UPTC 864.

पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात पुरानी मशीन लगाये जाने के कारण पात्रता समाप्त नहीं की जा सकती। *Mansarovar Bottling Company Ltd. v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 337 : 1999 UPTC 864.

पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त इकाई का उत्पादन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चार वर्षों बाद लगाई गई

पुरानी पावर प्रेस मशीनों से कैसे प्रमाणित होता है और क्या पहले लगाई गई नई पावर मशीनों का विक्रय कर दिया गया है—इन बिन्दुओं पर बिना निष्कर्ष निकाले निर्माता के विरुद्ध विवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। *Superlite Engineering, Delhi Road, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 345.

पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्त किये जाने की स्थिति में संगत अवधि के लिये निर्धारित कर की माफी सम्बन्धी आदेश धारा 4-क (3) के अन्तर्गत आदेश नहीं है और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। *Janta Dal Mill, Radha Nagar, Fatehpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 350.

आयुक्त व्यापार कर को धारा 4-क (3) में पात्रता प्रमाण पत्र को संशोधित व निरस्त किये जाने का अधिकार प्रदत्त किया गया है, वह विचारशील है जिसका उपयोग अविलम्ब किया जाना चाहिये। अधिकारी को साधारण रीति से कार्य करते हुये विलम्ब करना न्यायोचित नहीं है। ऐसे आदेश का समर्थन अधिकरण द्वारा किया जाना न्यायोचित नहीं। *Arya Flavours (Pvt.) Ltd., Noida v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 353.

विवादास्पद त्रुटियों के लिये कमिश्नर को धारा 10 (2) के अन्तर्गत अपील करना होगा। *Mansarovar Bottling Company Ltd., Bijnor v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 337 : 1999 UPTC 864.

पात्रता प्रमाण पत्र उस तिथि से निरस्त किये जाने योग्य है जिस दिनोंक को उसका दुरुपयोग किया गया। *Kalpatru Udyog v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 219: 1995 UPTC 789.

धारा 4-क के प्राविधानों का पालन अक्षरक्षः होना अनिवार्य है तथा उदारीकरण की नीति नहीं अपनाई जा सकती। मशीन व साधित्र या संगठन पुर्जे यदि प्रयुक्त हो अथवा प्रयोग में लाये जाने हेतु अर्जित किये गये है तब ऐसी दशा में पात्रता प्रमाण प्रदान नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से पूर्व में दिये गये निर्णय अतिक्रमित समझा जा सकता है। *State Level Committee and another v. Morgardshammar India Ltd.*, [1996] 23 STR 298: 1996 UPTC 213 (SC).

कर से छूट प्रोत्साहन से सम्बन्धित नियम जो अधिक उन्नति एवं विकास के उद्देश्य से प्रेरित हो, को न्यायालय द्वारा उदारता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। *Commissioner of Income Tax v. Straw Board Manufacturing Co.*, 1989 Supl. (2) SCC 523; *Baj Temp Ltd., Bombay v. Commissioner of Income Tax, Bombay*, 1992 UPTC 857 (SC).

लीज-डीड यदि पूर्वगामी तिथि से पंजीकृत हो गई है तो नियमों के अनुकूल है। *Lata Plastic Works v. State of U.P.*, 1996 UPTC 638.

धारा 4-क के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है तथा यदि एक वर्ष से अधिक अवधि की लीज-डीड हो तो उसका निबंधन होना आवश्यक है। *Creative Handicrafts v. Chairman, Noida*, [1996] 23 STR 231: 1996 UPTC 436.

कम्पनी व डायरेक्टर विभिन्न व्यक्ति है। यूनिट यदि भिन्न स्वामित्व में हो तो कर से छूट अनुमन्य है। *Kumar Oil Mill (Pvt.) Ltd. v. State of U.P.*, [1996] 23 STR 228: 1996 UPTC 305.

परीक्षण (trial) निर्माण एवं व्यावसायिक निर्माण में कोई अन्तर नहीं है तथा छूट ट्रायल निर्माण की तिथि से अनुमन्य है। *Continental Chemicals v. Sales Tax Officer*, 1996 UPTC 399.

दो यूनिटों के बीच यदि कोई यूनिट स्थापित है तथा एक साझीदार दोनों में समान है, तो कर से छूट अनुमन्य है। *Venus Chemical Industries v. State of U.P.*, [1996] 23 STR 353: 1996 UPTC 453.

ऐक्ट सं० 31/1995 प्रभावी दि० 14-5-94 से पूर्व पारित पात्रता प्रमाण-पत्र अस्वीकार आदेश के विरुद्ध अपील व्यापार कर अधिकरण के समक्ष ग्राह्य है। *Krishna Mohan Agarwal v. State of U.P.*, 1996 UPTC 949.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत याचिका साहू स्टोन क्रशिंग इन्डस्ट्रीज़ बनाम डी०एल०सी०, 1994 UPTC 1 निरस्त करते हुये पुनः मामला इस परीक्षण के लिये प्रतिप्रेषित किया गया कि इस कथन पर विचार किया जाय कि क्या फैंक्ट्रीज़ ऐक्ट की धारा 2(m) एवं व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-क(5)(ग) दो यूनिटों में मतभेद किये जाने के आधार पर क्या असंवैधानिक है। *Divisional Level Committee v. Sahu Stone Crushing Industries*, [1997] 25 STR 64: 1996 UPTC 1372 (SC).

9 वर्षों की लीज-डीड प्रथम बिक्री के पश्चात सात वर्षों के लिये निबंधित होने तथा प्रथम बिक्री की तिथि से पूर्व सात वर्षों की अवधि आच्छादित होने की स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार योग्य नहीं है। *Adarsh Polypack v. State of U.P. and others*, [1996] 23 STR 340: 1996 UPTC 915.

विभिन्न कम्पनी के स्वामित्व में बगल में स्थापित यूनिट एवं प्रथम बिक्री की तिथि पर समान डायरेक्टरों के त्याग पत्र दे दिये जाने की स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि उन दोनों इकाईयों द्वारा समान वस्तुयें निर्मित की जा रही हो। *M.K. Vinyal Pvt. Ltd. v. Divisional Level Committee*, [1996] 24 STR 219; 1996 UPTC 1114.

व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-A(6) स्पष्टीकरण (b)(1)(11) अनिवार्य है। प्रार्थना-पत्र नियमित होना चाहिये तभी पात्रता प्रमाण पत्र नियमित प्रार्थना पत्र होने की तिथि से प्रदान किया जा सकता है। *Balaji Oil & Ice Industries v. Divisional Level Committee*, 1997 UPTC 95.

नई इकाई की स्थापना पर छूट का आवेदन-पत्र-प्रार्थी ने नोयडा में नई इकाई स्थापित करने पर धारा 4-क के अन्तर्गत छूट पाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। क्षेत्र विकास अधिकारी को छूट के आवेदन पत्र का फैंसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। विज्ञप्ति दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 के अनुसार केवल नोयडा (Noida) के अध्यक्ष को धारा 4-क के आवेदन पर फैंसला करने का अधिकार है। इसलिये नोयडा के अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वह धारा 4-क के अधीन दिये गये आवेदन पत्र का निर्णय करे। *D.E.I. Ltd. etc. v. State of U.P.*, [1987] 5 STR 446.

संशोधित निबन्धन के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रार्थी ने पुनः पात्रता प्रमाण-पत्र की मंजूरी के हेतु आवेदन पत्र धारा 4-क के अन्तर्गत दिया जा कि अधिकारियों ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह स्वयं अपने पूर्व निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिये सशक्त नहीं थे। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जो कि पुनर्विचार हेतु दिया गया है विचार करे यह ध्यान रखते हुए कि संशोधित प्रमाण-पत्र प्रार्थी को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है। *Pawan Industries, Buland Shahar v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 21.

पात्रता-प्रमाण-पत्र का प्रभाव-पात्रता प्रमाण-पत्र के स्वीकृत हो जाने के बाद बिक्री-कर अधिकारी की कर-निर्धारण आदेश पारित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बिक्री-कर अधिकारी को करदाता प्रार्थी के विरुद्ध कर-निर्धारण की कार्यवाही करने से रोक दिया गया। *Dilip Industries v. State of U.P.*, 1987 UPTC 412.

पात्रता प्रमाण-पत्र को अमान्य करने का अधिकार बिक्री-कर अधिकारी को नहीं है। केवल राज्य

सरकार को यह अधिकार है कि यदि पात्रता प्रमाण-पत्र गलत है तो वह उसे निरस्त कर सकती है। बिक्री-कर अधिकारी द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस जारी करना अमान्य था। *Kumar Fuels v. State of U.P.*, [1986] 3 STR 329.

नई इकाई में पात्रता प्रमाण-पत्र की माँग—सामान का उत्पादन तथा विद्युत कनेक्शन नई यूनिट में मुख्य विचारणीय बिन्दु है। नई यूनिट का कौन मालिक है या बिजली पुरानी फर्म के नाम थी या मशीनें पुरानी थीं और पुरानी फर्म द्वारा खरीदी गई थीं, यह सब बातें व्यर्थ हैं और तात्विक नहीं हैं। *Jagat Machinery Manufacturers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 433.

कम्पनी पात्रता प्रमाण पाने की कब अधिकारी है—केवल यह तथ्य कि पुरानी फर्म के भागीदार नई इकाई के संचालक हैं और फर्म की सभी देयादेय कम्पनी ने लिया है उससे कोई भेद नहीं होगा क्योंकि बिजली का कनेक्शन जो कि पुरानी फर्म के नाम दिया गया था नई इकाई का बिजली कनेक्शन नहीं माना जा सकता जो कि पात्रता प्रमाण-पत्र पाने हेतु कम्पनी के लिये आवश्यक था। *Jagat Machinery Manufacturers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 433.

धारा 4-क का लक्ष्य है कि नई इण्डस्ट्रियल यूनिट को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन कर्ता की छूट देना। फर्म के संस्थापन का लिहाज किये बिना नई इण्डस्ट्रियल इकाई जो कि इसके द्वारा चलाई गई है, छूट पाने की अधिकारी है। *Jagat Machinery Manufacturers Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 433.

<sup>1</sup>[4-कक. कतिपय औद्योगिक इकाइयों को कर की दर में रियायत—इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कुल नियोजन में उस अनुपात में नियोजित करे जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय, द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर कर की दर में पच्चीस से अनधिक उतने प्रतिशत की रियायत राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन दे सकती है जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें:

**स्पष्टीकरण:—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का वही तात्पर्य होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में इसके लिये दिया गया है और पद 'अल्पसंख्यक वर्गों' का वही तात्पर्य होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में इसके लिए दिया गया है।

<sup>2</sup>[4-ककक. कतिपय औद्योगिक उपक्रमों को विशेष रियायत—धारा 4-क में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कतिपय औद्योगिक उपक्रम का किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण कर दिया गया है तो वह <sup>3</sup>[विज्ञप्ति द्वारा किसी दिनोंक से जो 8 जुलाई, 1996 के पूर्व का न हो] ऐसे

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा धारा 4-कक एवं 4-ककक बढ़ाई गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा धारा 4-ककक प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा शब्द "विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को पन्द्रह वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए कर से ऐसी रियायत या छूट प्रदान कर सकती है, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाये ।]

4-ख. कुछ निर्माताओं को विशेष छूट—(1) धारा 3, 3-क, <sup>1</sup>[\*\*\*]; 3-कककक और 3-घ में किसी बात के होते हुए भी,

(क) यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन, कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन, प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो या यदि कोई माल किसी व्यापारी द्वारा उन परिस्थितियों में खरीदा जाय जिनमें ऐसा व्यापारी धारा 3-कककक के अधीन <sup>2</sup>[ऐसे माल की बिक्री पर व्यापार कर] का देनदार हो; और उस व्यापारी के पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो, तो वह ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ विनिर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय;

<sup>3</sup>[(क-1) यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन कर योग्य कोई घोषित माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा जो उसका प्रथम क्रेता हो किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को बेचा या सम्भारित किया जाय, जिसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया विधिमान्य मान्यता प्रमाण-पत्र हो तो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्रथम क्रेता को खण्ड (क) में यथा उल्लिखित अनुतोष दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि धान के सम्बन्ध में इस खण्ड या खण्ड (क) के अधीन किसी विज्ञप्ति को ऐसे दिनोंक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनोंक न हो:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड या खण्ड (क) के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिये नियमों को भी किसी ऐसे दिनोंक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनोंक न हो ।];

(ख) यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेचा जाय

1. शब्द "3-कक" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 8 द्वारा निकाल दिया गया।  
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।  
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे किसी हरयायती या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर के सम्बन्ध में रियायत, या कर से मुक्ति देने के लिये निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि उपधारा (2) में अभिदिष्ट विज्ञापित माल धारा 4-क में यथा परिभाषित ऐसी "नई इकाई" में, जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है, उत्पादन प्रारम्भ हो, और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, निर्मित हो।

<sup>1</sup>[(2) यदि किसी व्यापारी को उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल किसी विज्ञापित माल का प्रदेश में निर्माण करने के प्रयोजन के लिये या उसके द्वारा निर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे विज्ञापित माल की पैकिंग में प्रयोग के लिये अपेक्षित हो और उसका ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाये, मान्यता का प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और यदि प्रार्थी <sup>2</sup>[विलम्ब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुये] ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों को, जो निर्धारित की जायें, पूरा करता हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो निर्धारित की जायें, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा।

<sup>3</sup>[(2-क) जहाँ किसी विज्ञापित माल के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन जारी कोई मान्यता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है और विज्ञप्ति की, जिसके द्वारा ऐसा माल विज्ञापित किया गया है, ऐसी विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व के दिनांक से प्रभावी किया गया है वहाँ ऐसे माल के सम्बन्ध में मान्यता प्रमाण-पत्र को, ऐसी विज्ञप्ति के प्रभावी होने के दिनांक से विधिमान्य समझा जायगा।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)

**स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—**

- (क) निर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित माल का तात्पर्य कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, मशीन, संयंत्र, सज्जा, उपभोज्य स्टोर, फालतू पुर्जा, सहायक सामान, संघटक भाग, उप समुच्चय, इंधन या स्नेहक से है, और
- (ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विज्ञापित किया जाये।]

[प्रयोजनार्थ नियम 25-क देखें]

(3) [निकाल दी गई]।

(4)(1) यदि कर-निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसे व्यापारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था।

(क) वह निर्माण का व्यापार, जिसके प्रयोजन के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था, बन्द कर दिया है; या

(ख) मान्यता के प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है; या

<sup>1</sup>[(खख) इस अधिनियम के अधीन देय योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों के संदेय होने के दिनोंक से तीन मास के भीतर नहीं किया है; या]

(ग) धारा 8-ग के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(घ) वह ऐसा फर्म, संघ या संयुक्त हिन्दू परिवार है, जिसके सम्बन्ध में धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अर्थ में यह समझा जाय कि उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया है,

तो ऐसा अधिकारी या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, मान्यता प्रमाण-पत्र, ऐसे दिनोंक से जो वह निर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है।

(2) कर-निर्धारक अधिकारी उपधारा (2) के अधीन दिये गये मान्यता के प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दशा में जब व्यापारी ने अपने व्यवसाय के नाम या स्थान में परिवर्तन कर दिया हो अथवा व्यवसाय की किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नई शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से संशोधित कर सकता है :

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 13.9.1985)।



प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता का प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जायेगा और न संशोधित किया जायेगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाये।

<sup>1</sup>[(3) <sup>2</sup>[संयुक्त कमिश्नर], व्यापारी के आवेदन पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल का वास्तव में विज्ञापित माल के विनिर्माण में या राज्य में उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे विज्ञापित माल के पैकिंग में उपयोग हुआ है, उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त मान्यता प्रमाण-पत्र को भूतलक्षी प्रभाव से किन्तु 5 मार्च, 2001 के पूर्व के किसी दिनांक से नहीं, संशोधित कर सकता है।]

[प्रयोजनार्थ नियम 25-क (8) से (11) व 25-ख देखें]

<sup>3</sup>[(5) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करें, देनदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और इस ऐक्ट के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।

(6) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्करित सामग्री से निर्मित माल या ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ पैक किए जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा व्यापारी इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा उपधारा (4) के खण्ड (2) के पश्चात् खण्ड (3) अंतःस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "उप कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 1997 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर (5) एवं (6) प्रतिस्थापित।

ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर चार प्रतिशत की दर से आंकलित कर की धनराशि के अन्तर के बराबर धनराशि का देनदार होगा।]

(7) यह निर्धारित करने के लिए कि कोई बिक्री या खरीद अन्तर्राज्जीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के भीतर या भारत के बाहर निर्यात के दौरान में हुई है या नहीं, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारायें 3, 4 और 5 लागू होगी।

(8) इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड तब तक आरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(9) उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर इस धारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा 14 के अधीन न तो कोई अभियोग संस्थित किया जायेगा और न धारा 15-क के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

[प्रयोजनार्थ नियम 6-क, 46-ख, 46-ग, 77 व 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 4-बी—मात्र फार्म 3ख प्रस्तुत कर देने से पूर्ण करमुक्ति नहीं दी जा सकती है। *C.S.T. v. Indian Terpentine and Rosin Co., Bareilly*, [2004] 39 STR 216.

धारा 4-बी—मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी को दलहन की खरीद पर पूर्ण करमुक्ति नहीं है। *Parvati Mills, Sahjanwa, Gorakhpur v. Sales Tax Officer*, [2004] 39 STR 147.

धारा 4-बी—फार्म 3-ख अपील स्तर पर प्रस्तुत किया गया। इसे स्वीकार करने के पूर्व विभाग को फार्म व उसकी प्रविष्टियों की जाँच का अवसर विभाग को दिया जाना आवश्यक। *C.S.T. v. The Kishan Sahakar Chini Mills, Shahjahanpur*, [2004] 39 STR 154.

रबर चप्पल रबर उत्पाद है तथा विज्ञप्ति सं० एस०टी०-2-4519 दिनांक 29.8.1987 के अन्तर्गत व्यापारी मान्यता प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी है। *C.S.T. v. Vijay Rubber Industries, Meerut*, [2004] 39 STR 144 : 2003 UPTC 865.

धारा 4-बी—मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी द्वारा उत्पादित वस्तु यदि पैकिंग मैटेरियल है जो प्रमाण पत्र से आच्छादित है तो न तो प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है और न ही उसमें नवीकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। *C.S.T. v. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd., Ghaziabad*, [2003] 38 STR 787 : 2003 UPTC 1064.

धारा 4-बी—नियम 25-ए(1), (4), (9) एवं (10)—करमुक्ति—यदि सम्यवहार फार्म जारी करने वाले व्यापारी का पंजीयन निरस्त होने के बाद का है तब भी फार्म-3ख का लाभ व्यापारी को देने से मना नहीं किया जा सकता। जब यह कहा जाय कि फार्म जारी करने वाले व्यापारी को प्रश्नगत फार्म विभाग द्वारा जारी ही नहीं किया गया था तो करमुक्ति का दावा अस्वीकार करने के पूर्व करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है—यदि फार्म ने प्रश्नगत फार्म अपने पुनर्गठन के बाद किसी पूर्ववर्ती सम्यवहार के लिये जारी किया हो तो भी उसे फार्म का लाभ मिलना चाहिये—यदि फार्म में कतिपय धनराशि बढ़ाई गई है और जारीकर्ता व्यापारी द्वारा विवादित नहीं है तब भी फार्म का लाभ व्यापारी को दिया जाना है। *Star Paper Mills Ltd. Saharanpur v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 859.

धारा 4-बी(5)—नियम 25—यदि मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यापारी ने इस विश्वास पर

स्वनिर्मित ट्रान्सफार्मर के पुर्जों का प्रयोग ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत में किया कि वह इसके लिये अधिकृत था तो वह अर्धदण्ड की भागी नहीं है। *Sai Electricals (P) Ltd., Victoria Park, Meerut v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 554 : 2004 UPTC 9.

धारा 4-बी—करमुक्ति—फार्म 3-ख में कोई कमी नहीं है तो उसके आधार पर मांगी गई छूट अस्वीकार नहीं की जा सकती है। *C.T.T. v. Jitendra Oil Mill*, [2003] 37 STR 106 : 2003 UPTC 266.

धारा 4-बी—डीजल आयल—अनवरत प्रक्रिया उद्योग के लिये मशीनरी चलाने हेतु डीजल आयल की खरीद पर प्रपत्र 3ख का लाभ अनुमन्य है। *Vam Organic Chemicals Ltd., Gajraula v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 215 : 2003 UPTC 467.

धारा 4-बी(2)—करमुक्ति—फार्म 3ख का लाभ विक्रेता व्यापारी को इस आधार पर नहीं मना किया जा सकता कि क्रेता व्यापारी को खरीद की तिथि के पश्चात उसके कर निर्धारक अधिकारी द्वारा फार्म जारी किये गये हैं। क्रेता की किसी त्रुटि के लिये विक्रेता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। *C.S.T. v. Rana Steel, Saharanpur*, [2003] 37 STR 334 : 2003 UPTC 532.

धारा 4-बी(6)—अर्धदण्ड—व्यापारी ने 3-ख पर क्रीत धान से निर्मित चावल न तो प्रान्त के भीतर बेचा और न ही उसकी अन्तरप्रान्तीय बिक्री किया—परिपत्र की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण व्यापारी को उसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। उस पर अर्धदण्ड का आरोपण उचित पाया गया। *M/s Suraj Brothers & Co. v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 400.

रैपिंग पेपर पैकिंग पेपर है तथा इसके लिये व्यापारी को पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया जा सकता है—अधिकरण द्वारा दिया गया आदेश तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि वह साक्ष्यहीन आधार पर पारित किया गया है अथवा दिधि विरुद्ध है। *C.T.T. v. S/s. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghazilabad*, [2002] 36 STR 669.

धारा 4-बी(2)—बिटुमिन कान्क्रीट बालू व गिट्टी की खरीद से हाट मिक्स मैटेरियल बनाकर सड़क का निर्माण कार्य करने पर धारा 4-ख का लाभ अनुमन्य है। *P.N.C. Construction Company Ltd. v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262.

धारा 4-बी(2)—अधिकरण के आदेश पर व्यापारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया। अधिकरण के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई। पक्षों के ऊपर अधिकरण का निर्णय बाध्यकारी है। *P.N.C. Construction Company v. State of U.P.*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262.

धारा 4-बी(2)—पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने या कच्चे माल की खरीद में अनियमितता का आरोप न होने पर मान्यता प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु जारी की गई नोटिस अधिकार क्षेत्र में नहीं है। *P.N.C. Construction Company Ltd. v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262.

धारा 4-बी(2)—जहाँ मान्यता प्रमाण पत्र रद्द करने की नोटिस अधिकार क्षेत्र के बाहर जारी की गई है, उच्च न्यायालय संविधान की धारा 226/227 में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। *P.N.C. Construction Company Ltd. v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 354.

जहाँ मान्यता प्रमाण पत्र रद्द करने की नोटिस अधिकार क्षेत्र के बाहर जारी की गई है, उच्च न्यायालय संविधान की धारा 226/227 में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। *P.N.C. Construction Company Ltd. v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 354.

क्राफ्ट पेपर पैकिंग मैटेरियल है अथवा प्रमुख रूप से पैकिंग मैटेरियल है इसे सिद्ध करने में लालजी बोर्ड इण्डस्ट्रीज में दिया गया उच्च न्यायालय का निर्णय बाधक नहीं है। *Khatema Fibers Ltd. Etc. v. State of Uttar Pradesh & Another*, [2001] 33 STR 277 (SC).

मान्यता प्रमाण पत्र धारक द्वारा कर का भुगतान किये बिना धान खरीद कर चावल का निर्माण किया गया जिसे प्रान्त के बाहर आदतियों के माध्यम से बेचा गया। मान्यता प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण आरोपित अर्धदण्ड विधि सम्मत है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

अर्धदण्ड की नोटिस में धारा 4-ख (6) का उल्लेख किया गया जो संशोधन के पश्चात् धारा 4-ख (5) द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई। इस आधार पर नोटिस की वैधता प्रभावित नहीं होती है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

धारा 4-ख के अन्तर्गत चावल विज्ञापित वस्तु है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

मान्यता प्रमाण पत्र धारक द्वारा 3 ख पर खरीद से अथवा कृषकों से खरीदे धान से उत्पादित चावल प्रान्त बाहर के आदतियों द्वारा बेचा गया। कर-निर्धारण अधिकारी ने धान के क्रय पर करमुक्ति प्रदान किया जिसे गलत नहीं कहा जा सकता है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

धारा 4-बी (5)—अर्धदण्ड में आरोपण हेतु सदाशयता या दुराशयता पर विचार करना आवश्यक नहीं है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

धारा 4-बी (5)—अर्धदण्ड की मात्रा निर्धारित करने हेतु व्यापारी का कथन था कि इसके लिये धान की वह मात्रा निर्धारित की जानी चाहिये जिससे निर्मित चावल प्रान्त बाहर के आदतियों द्वारा बेचा गया है। यह प्रश्न प्रथम बार पुनरीक्षण स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है। *Ramraj Rice Mills, Mawana Meerut v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 301.

धारा 4-बी (4), (5)—प्रथम अपील में वाद आदेश दिनांक 10.12.1986 द्वारा करनिर्धारण अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया—एक पक्षीय आदेश द्वारा 26-3-1987 को कर निर्धारण आदेश प्रतिप्रेषित वाद में पूरा किया गया—इसे धारा 30 में 5-1-1988 को खोला गया तथा अन्तिम कर निर्धारण 25-6-1988 को किया गया—कर निर्धारण काल वाधित नहीं है क्योंकि उपधारा (4) तथा (5) के प्राविधान भिन्न स्थितियों के लिये है। *S.S. Brothers v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 312.

व्यापारी द्वारा पैकिंग सामग्री के निर्माण के लिये पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। कागज खरीद कर रोल कोर व प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) कागज का निर्माण किया गया। यह वस्तुये कागज होने के कारण विज्ञापित सं० एस०टी०-2-7551 दिनांक 31-12-76 से प्रतिबन्धित थी। अतः धारा 4-बी(5) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उचित थी। *Commissioner of Trade Tax v. Speed Packing Ltd. Ghazilabad*, 2000 UPTC 404 See also *Lalji Board Industries Firozabad v. State of U.P.*, (1998) 27 STR 173 (FB) : 1998 UPTC 311 (FB).

मान्यता प्रमाण पत्र धारक द्वारा रियायती दर पर कच्चा माल खरीद कर वैसा ही बेचने पर धारा 4-बी के प्राविधानों का उल्लंघन होता है अतः अर्धदण्ड आरोपित किया जा सकता है। *C.S.T. v. S/s. Raju Oil Mill, Jhansi*, [1999] 29 STR 42.

रैपिंग कागज भी कागज है, अतः धारा 4-ख के अंतर्गत मान्यता प्रमाण पत्र व्यापारी को प्रदान नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. S/s Brahmani Paper Mills Pvt. Ltd., Ghazilabad*, [1999] 29 STR 136.

धारा 3-ख तथा धारा 4-ख(5) एक दूसरे से पृथक है, प्रथम धारा में धनराशि की कमी को पूर्ण किये जाने की कारवाई की जाती है तथा दूसरी धारा में अर्धदंड आरोपित किया जाता है। संविधान की धारा 20(2) लागू नहीं होती। *India Casting Co. v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 470.

विक्रेता व्यापारी के करनिर्धारण अधिकारी क्रेता व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र का प्रतिकूल निर्णय लेने के लिये सक्षम नहीं है। धारा 21 के अन्तर्गत विक्रेता व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्रेता व्यापारी जिसने फार्म 3-ख प्रस्तुत किया के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। *M/s. Industrial Cables v. State of U.P. and others*, [1997] 25 STR 308 (LB).

रैपिंग कागज पैकिंग मैटीरियल है। मान्यता प्रमाण पत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Sidhumal Paper Conversion, Ghaziabad*, [1997] 25 STR 12.

'क्राफ्ट पेपर' कागज है अतः ऐसे उत्पादकों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता। *Lalji Board Industries v. State of U.P.*, [1998] 27 STR 173.

अर्धदंड आरोपित किये जाने हेतु विधायिका ने 'Mens rea' होने की शर्त नहीं रखी है। कच्चे माल का उपयोग केवल विज्ञापित वस्तु के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। यदि उसका उपयोग वस्तु की मरम्मत के लिये किया गया ऐसी स्थिति में अर्धदंड आरोपित किये जाने योग्य है। *Sai Electricals (P) Ltd. v. C.S.T.*, 1997 UPTC 721.

यदि मान्यता प्रमाण पत्र धारक ने रियायती दर से कच्चे माल की खरीद करने के पश्चात धारा 4-ख(2) का अनुपालन नहीं किया तो अर्धदंड आरोपित होने योग्य है। *Dayal Industries v. C.S.T.*, 1997 UPTC 975.

विज्ञप्ति संख्या 9316 दिनांक 17-12-75 में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। 1994 UPTC 595 में उद्घृत निर्णय निरस्त। *C.S.T. v. Shiv Dori Niwar Industries*, [1997] 25 STR 312.

पैकिंग पेपर के निर्माताओं को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। *C.S.T. v. U.P. Straw & Agro Products Ltd.*, 1994 UPTC 199.

बादामी कागज, कागज की श्रेणी में होने के फलस्वरूप मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा सकता। *Lalji Board Industries v. State of U.P.*, [1998] 27 STR 173; *Manish Paper & Board Mills Ltd. v. State of U.P.*, 1994 UPTC 164.

मान्यता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से प्रभावी है न कि किसी पूर्व तिथि से। *Jayshree Tyres Rubber Products v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 92.

मान्यता प्रमाण पत्र होजरी के निर्माण के लिये प्रदान किये जाने के कारण यदि होजरी कपड़ा का निर्माण किया गया तो मान्यता प्रमाण पत्र की शर्त का उल्लंघन है। *Kumar Hosiery Factory v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 67; 1994 UPTC 564.

व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-ख (5) कच्चे माल के दुरुपयोग से सम्बंधित अर्धदंड की कार्यवाही अपेक्षित है, किसी अन्य प्रकार की अनियमितता के लिये नहीं। *Nanak Gramodyog v. C.S.T.*, 1994 UPTC 1081.

विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-2-4519/X दिनांक 29-8-87 द्वारा स्थापित शर्त भेद से ग्रसित नहीं है। *Shakti Flour Mills v. State of U.P.*, [1995] 22 STR 89; 1994 UPTC 1255.

मान्यता प्रमाण पत्र पूर्वगामी प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता। *Jitendra Oil Mills v. State of U.P.*, 1994 UPTC 950.

धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक को धारा 4-ख के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Meerut Roller Flour Mills*, [1995] 21 STR 273; 1995 UPTC 285.

गैस सिलेंडर निर्माता के लिये फ्लाक्स, वेल्डिंग वायर, राड व इलेक्ट्रोड्स कच्चा माल है। *C.S.T. v. Parkaj Gas Cylinder Ltd.*, [1995] 22 STR 83 : 1995 UPTC 548.

कमीशन एजेंट यदि मान्यता प्रमाण पत्र धारक की ओर से क्रय करता है, तो उस पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। कमीशन एजेंट मान्यता प्रमाण पत्र धारक का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। *Hari Om Gupta v. State of U.P.*, 1995 UPTC 368.

किसी वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला बबूल की छाल कच्चा माल माना जायगा। 1996 UPTC 257 को मान्यता देते हुये जो सामग्री निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, वे सब कच्चा माल समझा जाना चाहिये। *Tannery and Footwear Corporation v. State of U.P.*, 1995 UPTC 736.

धारा 4-ख (6) में अर्धदंड प्रान्तीय देयकर से सम्बन्धित है अतः यदि व्यापारी द्वारा प्रान्तीय कर देय नहीं है जैसा कि वर्तमान व्यापारी के प्रकरण में स्थिति है कोई अर्धदंड धारा 4-ख (6) के अन्तर्गत आरोपित नहीं हो सकता। *Vam Organic Chemicals Ltd. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 105.

धारा 4-ख (6) संवैधानिक है 1987 UPTC 265 में निर्णीत वाद को मान्यता प्रदान की गई। *Diwan Rexin (P) Ltd. v. State of U.P.*, 1996 UPTC 551.

खली विज्ञापित वस्तु नहीं है। *Agarwal Oil Mills v. S.T.O.*, [1996] 23 STR 116: 1996 UPTC 335.

धारा 4-ख का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने का है। इस धारा की यही प्रयोजन है कि उद्योग-धन्धों के लिये खरीदे हुए कच्चे माल पर बिक्री-कर से छूट प्राप्त हो। *Chhitar Mal Ram Dayal v. C.S.T.*, 1980 UPTC 274.

अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 1979 के मार्फत ऐसे गेहूँ पर खरीद कर से छूट प्रदान की गई कि जिसे रोलर फ्लोर मिलों द्वारा आटा, मैदा, सूजी के विनिर्माण के लिये भारतीय खाद्य निगम से खरीद किया जाय। ऐसी छूट केवल उसी गेहूँ के लिये लागू की गई जो खाद्य निगम से ही खरीदा गया हो। बाजार से खरीदे हुए गेहूँ पर ऐसी छूट लागू नहीं थी। इस प्रकार का विभेद मनमाना नहीं है बल्कि इस प्रकार का मतभेद न्यायोचित व तर्कसंगत है। *Laxmi Distributing Agency Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, 1987 UPTC 969.

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पाने के हेतु जो आवेदन-पत्र दिया गया उस पर कई माह बाद निर्णय दिया गया। बेचने वाले व्यापारी को खरीददार व्यापारी चार प्रतिशत की दर से बिक्री-कर देता है। तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी हो जाने पर विक्रेता व्यापारी को खरीददार व्यापारी ने फार्म 3-ख दिया और बिक्री-कर की वापसी का दावा किया। बिक्र-कर की धनराशि को व्यापारी को वापस करने का निर्देश दिया गया। *Indu Engineering & Textiles Ltd. v. Assistant Commissioner (A)*, 1987 UPTC 632.

नई इकाई की उत्पाद तिथि मालूम करने के लिये कच्चे माल की प्रथम खरीद या विद्युत लगाने की तिथि, जो भी बाद में हो उसको विचार करने के लिये डिवीजनल लेवल कमेटी को निर्देश दिया गया। *U.P. Aluminium Industries v. Divisional Level Committee*, [1987] 6 STR 366.

अधिकरण ने करदाता के दावे पर सब प्रकार से विचार नहीं किया। अधिकरण ने यह भी जिक्र नहीं किया कि करदाता मूंगफली के अन्तिम स्टॉक जो कि अभी तक तेल उत्पादन करने में प्रयोग नहीं हुई है, उसके बारे में प्रतिदावा का अधिकारी था। अधिकरण ने अपने आदेश में किसी कारण उल्लेख नहीं किया कि करदाता मूंगफली के तेल की अन्तिम स्टॉक के मूल्य पर जो कि करदाता वर्ष के अन्त में रखता था, प्रतिदावा का अधिकारी नहीं था। अधिकरण ने अपनी जाँच के सम्बन्ध में करदाता के दावे

का जिक्र नहीं किया और मामले की जाँच इस प्रकार किया जो अपील के निर्णय करने के लिये आवश्यक था। अधिकरण का आदेश निरस्त करने योग्य है। मामला अधिकरण के पास पुनः विचार हेतु भेजा गया। *Agrawal Oil Industries v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 153.

कच्चे माल के उपयोग के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र का लाभ—माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता की निगरानी मंजूर करते हुए यह निर्णय दिया कि यदि करदाता को कच्चा माल की आपूर्ति के हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारा 4-ख के अधीन पारित है तो वह उसके लाभ के लिये अधिकृत है। प्रमाण-पत्र की शर्तों के उल्लंघन मात्र से करदाता को मान्यता प्रमाण-पत्र के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। *Desh Rice Oil & Flour Mill v. C.S.T.*, [1986] 4 STR 422.

मान्यता प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के फलस्वरूप अर्थदण्ड व कर वसूली की कार्यवाही बीच-बीच करदाता के खिलाफ धारा 3-ख व धारा 4-ख(4) के अधीन अर्थदण्ड व कर वसूली की कार्यवाही इस आधार पर की गई थी कि उसने धारा 4-ख के अन्तर्गत पारित मान्यता प्रमाण-पत्र का दुरुपयोग किया था जिसके विरुद्ध करदाता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किया था जो निरस्त हो गई। *Mahabir Wire Netting Industries v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 205.

1[4-खख. कतिपय मामलों में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री पर भुगतान किये गये कर का मुजरा—जहां कहीं ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री पर राज्य के भीतर खरीद या बिक्री पर कर का भुगतान किया जा चुका है, जिसका उपयोग ऐसे माल के निर्माण या पैकिंग में हुआ है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञप्ति जारी की गई है और ऐसे माल की बिक्री राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है तो ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की धनराशि, उक्त विज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये—

- (क) राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की धनराशि में से ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की सीमा तक, जिसका उपयोग राज्य के भीतर बिक्री किये गये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया था;
- (ख) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की धनराशि में से ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की सीमा तक, जिसका उपयोग अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री किये गये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया था; घटा दी जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन घटाई जाने वाली कर की कुल धनराशि इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन अलग-अलग देय कर की धनराशि से अधिक न होगी।]

[प्रयोजनार्थ नियम 6-क देखें]

1[4-ग. भारत के बाहर तैयार माल का निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत—धारा 4-ख में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री या दोनों की खरीद पर देय कर से छूट या रियायत प्रदान कर सकती है जिसका उपयोग केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 में यथापरिभाषित निर्यात के लिये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया है ।]

[प्रयोजनार्थ नियम 6-क देखें]

2[5. कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर की छूट—(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट हो,—

(क) किसी माल के विक्रय या क्रय पर, या

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसे माल जो उपर्युक्त विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जायें, के विक्रय या क्रय पर,

किसी विनिर्दिष्ट स्थल पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन छूट विज्ञप्ति के दिनोंक के पूर्व के दिनोंक से दी जा सकती है ।]

महत्वपूर्ण विधिक अदधारणा

धारा 5 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दि० 27-2-1998 की वैधता—ऐसी विज्ञप्ति निर्गत नहीं की जा सकती जो संविधान के अनुच्छेद 301 एवं 304(ए) का उल्लंघन करती हो। विज्ञप्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जिससे प्रान्त बाहर अथवा प्रान्त के अन्दर वस्तुओं में भिन्नता स्थापित हो। *Bela Cement Ltd. v. State of U.P.*, [2004] 39 STR 323.

धारा 5—नियम 27-डी—रिबेट—यदि विक्रेता व्यापारी द्वारा फार्म 7-जी व 7-एच प्रस्तुत कर दिया गया है तो वह रिबेट पाने का अधिकारी है। यदि क्रेता ने गलत घोषणा पत्र दिया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। *C.S.T. v. Indian Turpentine and Resin Company, Bareilly*, [2003] 38 STR 766 : 2003 UPTC 925.

6. अधिकारिता के प्रति आपत्ति—(1) किसी अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासंभव शीघ्र अवसर पर कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो ।

(2) यदि कर-निर्धारण अधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा किसी प्रकार के किसी अन्य कारण से

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।



जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो कोई कर-निर्धारण रद्द या अपखण्डित कर दिया गया हो तो कर निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर इस प्रकार कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**क्षेत्राधिकार—करनिर्धारण अधिकारी के क्षेत्रीय अथवा घन सम्बन्धी अधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रथम उपलब्ध अवसर पर उठाई जानी चाहिये इसे बाद में अपीलीय अथवा पुनरीक्षण स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है।** *C.S.T. v. Mool Chand Gulzar Lal*, [2004] 39 STR 223.

**क्षेत्राधिकार—अधिकरण द्वारा अभिग्रहीत माल को अवमुक्त करने के आदेश के पश्चात् पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट दाखिल की गई। इस स्थिति में अधिकरण अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् माल अवमुक्त किये जाने का आदेश देने हेतु सक्षम नहीं है।** *C.C.T. v. West Bengal Taxation Tribunal*, [2001] 33 STR 168 (Cal).

**क्षेत्राधिकार—विवादित बिन्दु पर अपील विचाराधीन होते हुये डिप्टी कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण की कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि सम्मत नहीं है।** *S. Unnikrishnan v. State of Kerala*, [2001] 33 STR 176 (Ker).

**अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति—यदि व्यापारी ने अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं किया तो वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं कर सकता।** *C.S.T. v. Vrijendra Industries*, [1987] 6 STR 154.

**क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बिक्री कर अधिकारी के किसी आदेश के फलस्वरूप हुई राजस्व की क्षति के लिए सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।** *C.S. Kesvan v. State of Kerala*, [1999] 30 STR 581 (Ker. HC).

**बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार का विधि पूर्वक प्रयोग करने में अधिकारी को स्वतंत्रता होनी चाहिए।** *C.S. Kesvan v. State of Kerala*, [1999] 30 STR 581 (Ker. HC).

**यदि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित आपत्ति नहीं उठायी गयी तब अपीलीय अधिकारी के समक्ष क्षेत्राधिकार न होने का आधार नहीं लिया जा सकता।** *C.S.T. v. Sabir Husain Joot Vyapar*, 1994 UPTC 26; *C.K.T. Calcutta v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 368 : STI 1994 All 499.

7. **विक्रय धन का निश्चित करना और कर का निर्धारण—(1) प्रत्येक व्यापारी, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता हो ऐसे कालांतरों (intervals) पर, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे आकार में, अपने विक्रय-धन या क्रय-धन के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, तथा उन्हें ऐसे ढंग से प्रमाणित करेगा, जो निर्धारित किये जायें, किन्तु कर-निर्धारक अधिकारी स्वविवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करके, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ा सकता है।**

**(1-क) उप-धारा (1) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व, या उसके साथ व्यापारी ऐसी रीति से, जो निर्धारित की जाय, ऐसे विवरण-पत्र में दिखाये गये विक्रय धन पर देय कर की धनराशि जमा करेगा।**

(1-ख) यदि किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप, उपधारा (1-क) के अधीन कर का जमा किया जाना स्थगित हो जाय तो विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक बाद के दिनांक से [ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत प्रतिमास] की दर से ब्याज देय होगा।

(1-ग) यदि किसी व्यापारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय से पूर्व किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से अधिक दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर के अन्तर की धनराशि और उपधारा (1-ख) के अधीन देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा मानो मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय व्यापारी के आवेदन-पत्र पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक तक बढ़ा दिया गया हो; किन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से कम दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधि के लिये देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है।

(1-घ) यदि किसी व्यापारी द्वारा विक्रय या क्रय किया गया माल विक्रय या क्रय के दिनांक से छः मास के भीतर लौटा दिया जाता है और ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण अभी लिया जाना बाकी है तो उस मास को जिसमें ऐसा माल लौटाया जाये, समाप्ति के 30 दिन के भीतर केवल उसी प्रयोजनार्थ उस अवधि के लिये जिसमें ऐसा [विक्रय या क्रय किया गया था], एक पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यदि कर-निर्धारण अधिकारी को ऐसी जांच करने के उपरांत, जिसको वह आवश्यक समझे, सन्तोष हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन दिये हुये विवरण-पत्र सही और पूर्ण हैं तो वह उसके आधार पर कर निर्धारित कर देगा।

(3) यदि निर्धारित अवधि के भीतर व्यापारी उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्र नहीं देता है अथवा जो विवरण-पत्र उसने दिया है, वह कर-निर्धारक अधिकारी को अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत होता है, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसको वह आवश्यक समझे, अपनी विवेक बुद्धि से व्यापारी का विक्रय-धन निश्चित करेगा और उसके आधार पर कर निर्धारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस वाक्यखण्ड के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व व्यापारी को उसके दिये हुये विवरण-पत्र की पूर्णता और शुद्धता को प्रमाणित करने का अवसर दिया जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

1[(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर धारा 28-ख प्रवृत्त होती है और जिसके लिए उक्त धारा के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये जांच चौकी पर विहित रीति में पृथक रूप से कर का निर्धारण किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के उपबन्ध कर निर्धारण के सभी मामलों पर लागू होंगे चाहे वे उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनों के पूर्व या पश्चात् उत्पन्न हों।

(6) उपधारा (4) और (5) के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि, जैसी भी दशा हो, वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।]

**स्पष्टीकरण**—इस धारा और धारा 7-क, 7-ख, 7-ग, 7-घ, 7-ङ, 8-क, 14, 15-क, 18, 21 और 24 में मद्द "विक्रय धन" का तात्पर्य यथास्थिति विक्रय धन अथवा क्रय-धन, अथवा दोनों से है।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 6, 12-क, 12-ख, 12-ग, 41, 42, 44, 44-क, 44-ख, 45,

46, 46-क, 46-ख, 46-ग, 75, 76, 77, 77-क, 77-ख, 77-ग, व 81 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 7—सर्वेक्षण पर लेखा पुस्तकें पूर्ण पाई गईं। करापवंचन सम्बन्धी कोई तथ्य नहीं मिला। प्रथम वर्ष के व्यापार में अच्छा विक्रयधन दिखया गया। लेखा पुस्तकें अस्वीकार किये जाने के बाद भी घोषित विक्रयधन स्वीकार किया जा सकता है। *Laxmi Sugandh Company, Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 207.

धारा 7—एक ही अवधि हेतु दो मासिक विवरणी में विभिन्न विक्रयधन प्रदर्शित करने से लेखा पुस्तकें अविश्वसनीय हो जाती हैं। *M/s Krishna Biharilal Bhagwan Das v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 208.

धारा 7 एवं 12(2)—निर्माण खाता न रखने पर लेखा पुस्तकें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। *Laxmi Sugandh Company, Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 207.

व्यापारी ने आयातित किराना को न तो लेखों में प्रदर्शित किया न ही विभाग को घोषित किया। सुविचारित करनिर्धारण किया जा सकता है। *Mahesh Chandra & Company, Bareilly v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 199.

निर्माण का लेखा न रखने का कारण, यदि लेखा बहियों अस्वीकार की गई हैं तो भी विक्रयधन के अपवंचन का संकेत देने वाले तथ्य के अभाव में घोषित विक्रयधन स्वीकार किया जा सकता है। *C.S.T. v. Premier Engineering Co.*, [2004] 39 STR 197.

भट्टे की क्षमता का निर्धारण सर्वेक्षण पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होने के कारण अनुचित नहीं—फुंकाई बन्द करने की सूचना के अभाव में आग बन्द होने का दावा सही अस्वीकार किया गया। संविदा कार्य में प्रयुक्त ईंटों का लाभ अस्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक कि फर्म तथा

व्यक्ति की प्रास्थिति क्या है। *Abdul Kadir Brick Company v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 157.

एक ही व्यापारी के विरुद्ध एक ही साल के लिए उसके द्वारा किये गये सभी व्यवसायों के लिए एक ही करनिर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है अधिक नहीं। *Indian Telephone Industries, Nainital v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 178.

सर्वेक्षण के समय यदि अधिकारी द्वारा विशेष रूप से कतिपय लेखा पुस्तकें नहीं माँगी गईं तो इन्हें प्रस्तुत न किये जाने को लेखों के अस्वीकरण का आधार नहीं बनाया जा सकता है। *Gopl Nath Gupta v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 94.

फुँकाई की अवधि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं—बिक्रीदर निर्धारण में कोई गलती नहीं—टूट-फूट की छूट न देना विधिक भूल—5 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया गया। *Dayal Bandhu Bhattha, Puranpur, Pilibhit v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 129.

फुँकाई की अवधि सर्वेक्षण पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित करके उत्पादन निर्धारित किया गया एवं 5 प्रतिशत की टूट फूट की छूट दी गई। यह तथ्यात्मक निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया। *Madhavar Bricks Field, Patthikhera, Fatehabad, Agra v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 137.

व्यापारी चीनी तथा शीरा का निर्माता—उसके द्वारा शीरा बह जाने एवं उससे कारशकारों की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने का दावा—यह व्यापारी का दायित्व है कि वह समुचित साक्ष्यों से अपने कथन को सिद्ध करे। *C.S.T. v. Basti Sugar Mills Company Ltd.*, [2004] 39 STR 139.

भट्टे में उत्पादन का प्रथम वर्ष तथा उसके आन्तरिक भाग में स्थित होने के तथ्य बिक्रीदर के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। *Gulshan Brick Works v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 140.

व्यापारी द्वारा घोषित पेराई सीज़न कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया संगत वर्ष में पेराई के परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे घोषित किये गये। ऐसी स्थिति में विक्रयधन के छिपाये जाने की आवधारणा उचित नहीं है। *Shivan Industries, Shahjahanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 110.

धारा 7—अधिकरण द्वारा स्टॉक रजिस्टर की समुचित जाँच नहीं की गई—रिम के स्थान पर बण्डल कहने के कारण विपरीत निष्कर्ष निकाला गया—रायल्टी के भुगतान को विक्रयधन अस्वीकार करने का कारण बनाया तथा प्रकाशन के कार्य में कम खर्च दर्शाने को भी घोषित विक्रयधन अविश्वसनीय होने का आधार बनाया—अधिकरण का निष्कर्ष विधि संगत नहीं। *Radhey Shyam & Company, Agra v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 806 : 2003 UPTC 710.

धारा 7—तृतीय पक्ष की डायरी में लिखित सम्यवहार 'कैन्सिल' नहीं लिखे गये—व्यापारी द्वारा उसे प्रतिपरीक्षण हेतु नहीं कहा गया—विपरीत निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं। *Dhanna Lal Nand Lal v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 510.

धारा 7—स्टॉक की तुलना में कम बिक्री तथा कोयले की अधिक खपत संदेह को स्थान देते हैं परन्तु इसके आधार पर लेखा पुस्तकों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। *C. Eleven Products, Khurja, Bulandshahar v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 618 : 2003 UPTC 1048.

धारा 7—भट्टा बन्द करने की सूचना दिये जाने के पश्चात् यदि सूचना की सत्यता की जाँच नहीं की गई तो किसी विपरीत सामग्री के अभाव में भट्टे में उत्पादन मानना न्याय संगत नहीं है। *M. Swastik P. Brick Field, Allahabad v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 599.

**धारा 7**—सर्वेक्षण के समय कोई विपरीत तथ्य नहीं पाये गये घोषित विक्रय धन पर संदेह करने का कोई आधार नहीं दिया गया—व्यापारी के सर्वेक्षण के समय अनुचित आचरण के आधार पर लेखा पुस्तकें अस्वीकार की गईं किन्तु अनुचित आचरण कैसे हुआ इस का आधार नहीं बताया गया—लेखा पुस्तकें स्वीकार करने के निर्देश दिये गये। *Kusum Enterprises, Allahabad v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 657.

**धारा 7**—विभाग ने किसी स्तर पर नहीं कहा कि चार दिनों में एक लाख ईट पकाई जा सकती है। अधिकरण द्वारा पाँच दिनों के स्थान पर चार दिनों में एक लाख पकाये जाने का निष्कर्ष गलत—घोषित बिक्री दर से अधिक पर बेचने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं—लेख बहियाँ अस्वीकृत—समान परिस्थितियों में अन्य भट्टे पर पाया गया बिक्री दर का उल्लेख नहीं—अधिकरण को साक्ष्यों के आधार पर बिक्री दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। *Krishna Bhatta Company v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 675 : 2004 UPTC 163.

**धारा 7(4)**—प्रार्थी द्वारा किसी स्तर पर पारेषण के मूल्य की घोषणा नहीं की गई तब कर निर्धारक अधिकारी के पास अनुमानतः विक्रयधन निर्धारित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। *Ashok Road Lines, Agra v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 504.

**धारा 7**—विक्रयधन का निर्धारण मुख्यतया तथ्यात्मक प्रश्न है। किसी विधिक बिन्दु के अभाव में प्रश्नगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया। *C.S.T. v. Golden Traders, Iqbal Super Market, Ghaziabad*, [2003] 37 STR 251.

**धारा 7**—अधिकरण द्वारा व्यापारी का विक्रय धन गत वर्ष के विक्रय धन के आधार पर निर्धारित किया गया—इसे न तो निरंकुश आदेश कहा जायेगा न ही यह अनुचित होगा विक्रय धन का निर्धारण तथ्यगत प्रश्न है तथा इसमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। *C.T.T. v. S/s Mool Chandra Sudhir Kumar, Hathras, Aligarh*, [2003] 37 STR 283.

**धारा 7**—व्यापारी ने कोल फील्ड से कोयला फार्म 31, 32 व सी के विरुद्ध खरीद कर भट्ठा मालिकों को बेचा। माल का स्वामित्व डेलीवरी लेते समय भट्ठा मालिकों को अन्तरित हुआ। यह कमीशन एजेन्सी पर्वेज नहीं है। *C.T.T. v. Sunil Kumar Goel*, [2003] 37 STR 425.

**धारा 7(2), 7-डी, 12-ए, 13-ए(4) एवं नियम 75**—अर्धदण्ड का आरोपण—जहाँ व्यापारी किसी अन्य व्यापारी से सम्यक्वहार किये जाने से इन्कार करता है और व्यापारी द्वारा ट्रान्सपोर्टर का प्रति परीक्षण हेतु बुलाने का आवेदन करता है तो कर निर्धारक अधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करे। बिना प्रति परीक्षण का अवसर दिये अर्धदण्ड का आरोपण विधि के अनुकूल नहीं। *United Hardware Stores v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 321 : 2003 UPTC 401.

**धारा 7 एवं केन्द्रीय बिक्रीकर ऐक्ट, धारा 5**—करमुक्ति—भारत के बाहर निर्यात के क्रम की गई बिक्री के समर्थन में व्यापारी द्वारा केन्द्रीय आबकारी विभाग का पत्र, नेशनल कामर्शियल बैंक काठमाण्डू द्वारा जारी एल०सी० की प्रति नेपाल के व्यापारी का पत्र इत्यादि प्रस्तुत किया गया—इन की सत्यता पर कोई संदेह कर निर्धारण अधिकारी ने नहीं व्यक्त किया—मात्र कस्टम्स प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के आधार पर व्यापारी का करमुक्ति का दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। *C.T.T. v. Khandelwal Engineering Works*, [2003] 37 STR 285 : 2003 UPTC 478.

**धारा 7, 8-ए एवं 22**—यदि किसी व्यापारी ने विभिन्न इकाईयों के लिये अलग अलग पंजीयन प्राप्त किया हो तब भी उसकी समस्त शाखाओं का विक्रय धन एक ही कर निर्धारण आदेश के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। *करमचन्द थापर एंड ब्रदर्स, बनाम राज्य, 1975 यू०पी०टी०सी० 22* के बाद

में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया। *Padam Gramodyog Samiti v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 391 : 2003 UPTC 896.

धारा 7 व 11 एवं नियम 41(5)—पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का क्षेत्र उन्हीं बिन्दुओं तक सीमित है जो अधिकरण के सम्मुख उठाये गये हैं। उसे केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि अधिकरण का निर्णय विधि के अनुकूल है अथवा नहीं। *State of U.P. & Others v. D.S.M. Group of Industries & Others*, [2003] 37 STR 171 (SC).

धारा 7(2), 12(2)—लेखों का अस्वीकरण—सर्वेक्षण में व्यापारी के विपरीत सामग्री पाई गई जिससे भारी करापवंचन का संकेत मिला—व्यापारी दूसरे के नाम में व्यापार करता हुआ पाया गया लेखों का अस्वीकरण अनुचित नहीं कहा जा सकता। *Sushil Kumar Sharad Kumar, Allahabad v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260.

धारा 7—लेखों का अस्वीकरण—कोयले की बिक्री के लिये बिल जारी किये गये—चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा प्रपत्र 31 में घोषित मूल्य कम माना गया—बिक्री दर के सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की गई—बिलों में घोषित बिक्री दर अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया। घोषित विक्रय धन मात्र इसलिये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारी ने फार्म 31 की द्वितीय प्रति जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत किया। *C.T.T. v. The Coal Traders*, [2003] 37 STR 287 : 2003 UPTC 429.

धारा 7—कर का निर्धारण—किसी विधिक बिन्दु के अभाव में पुनरीक्षण को अपील की भाँति निस्तारित नहीं किया जा सकता है। *C.T.T. v. Ashok Iron and Steel Rolling Mills, Gorakhpur*, [2003] 37 STR 81 : 2003 UPTC 176.

धारा 7—कर का निर्धारण—जहाँ न्याय एवं विवेक पर आधारित कर निर्धारण तथ्यों से समर्थित है उसे निरंकुश अथवा असम्बद्ध साक्ष्य पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। *C.T.T. v. Mohan Lal Naresh Kumar, Muzaffarnagar*, [2003] 37 STR 92 : 2003 UPTC 307.

धारा 7—कर का निर्धारण—सात दिन में एक लाख ईट का उत्पादन उचित पाया गया—मार्ग निर्माण में प्रयुक्त ईटों के लिये साक्ष्य के अभाव में छूट अस्वीकार किया जाना सही पाया गया। *Shama Brick Field v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 107.

धारा 7—एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध यदि व्यापारी की अपील गुणदोष के आधार पर निर्णीत की गई और उसने धारा 30 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है तो वह यह नहीं कह सकता कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है। *Ram Chandra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 111 : 2003 UPTC 555.

धारा 7—कर का निर्धारण—व्यापारी लेखा पुस्तकों के बाहर व्यापार करते हुये पाया गया है तथा व्यापार का स्तर भी विशाल हो तो करापवंचन से सम्बन्धित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया निर्धारण आदेश न तो अनुचित कहा जायेगा न ही निरंकुश। *Jai Ambey Trading Co. v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 265 : 2003 UPTC 1276.

धारा 7—कर का निर्धारण—करनिर्धारण आदेश अभिलेख पर आधारित सामग्री के आधार पर पारित किया गया हो तो उसे अनुचित अथवा निरंकुश नहीं कहा जा सकता है। *Chaudhary Cane Crusher, Village Amboli, Saharanpur v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 248.

धारा 7—सर्वेक्षण पर प्राप्त प्रतिकूल सामग्री के अनुकूल पारित करनिर्धारण आदेश त्रुटि युक्त नहीं कहा जा सकता है। *Rajendra Cycle Stores v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 249.

धारा 7—कर निर्धारण—जूतों के होलसेल व्यापारी का विक्रयधन खरीद मूल्य में खर्च तथा 3% लाम जोड़ कर स्थिर किया गया तथा प्रपत्र 3क के विरुद्ध एवं भारत के बाहर निर्यात के क्रम में की

गई बिक्री को दृष्टिगत रखा गया। विक्रयधन निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं। *C.S.T. v. Shah Chappal Stores, Gorakhpur*, [2003] 37 STR 289 : 2003 UPTC 963.

धारा 7—अधिकरण द्वारा व्यापारी का स्पष्टीकरण तथ्यों को दृष्टिगत करते हुये स्वीकार किया गया। तथ्यात्मक निष्कर्ष में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। *C.S.T. v. Shah Chappal Stores, Gorakhpur*, [2003] 37 STR 289 : 2003 UPTC 963.

धारा 7—कर निर्धारण—व्यापारी ने खली लोहटा तथा गुड़ के व्यापार करने से इन्कार किया। कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि इन वस्तुओं का व्यापार उसके द्वारा किया गया है। इन वस्तुओं का विक्रय धन निर्धारण किया जाना उचित नहीं। *C.S.T. v. Ram Karan Das Anil Kumar Arhiti, Shahjahanpur*, [2003] 37 STR 299 : 2003 UPTC 425.

धारा 7—कर निर्धारण—विक्रय धन निर्धारित करते समय अधिकरण द्वारा फुंकाई की अवधि, उत्पादन तथा प्रचलित बिक्री दर ध्यान में रखा गया। निर्धारित विक्रय धन अनुचित नहीं कहा जा सकता। *Choudhary Bhatta Co. Daultabad v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 295.

धारा 7—कर निर्धारण—विक्रय धन का निर्धारण करते समय सर्वेक्षण के समय प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखा गया। निर्धारित विक्रयधन अनुचित नहीं। *Sushil Kumar Sharad Kumar, Allahabad v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260.

धारा 7—सर्वेक्षण के समय लेखापुस्तकें प्रस्तुत न करना ही उनके अस्वीकरण के लिये पर्याप्त नहीं है। व्यापारी के विरुद्ध निर्णय लेने के पूर्व उसको सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। *M/s Ansari Saw mills v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 386 : 2002 UPTC 652.

धारा 7—संदेह के आधार पर लेखा पुस्तकों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Jagannath Prasad Kailash Chandra v. C.T.T.* (T.T.R. No. 4 of 2002), [2002] 36 STR 417 : 2002 UPTC 815.

धारा 7, 9—प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा करदाता को आयातक नहीं माना गया। बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रथम अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष को पलटना अधिकरण के लिये उचित नहीं था। *Taj Trading Co., Rampur v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 409 : 2002 UPTC 525.

धारा 7, 9—कर निर्धारण आदेश पारित करने के पूर्व अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का परिशीलन किया जाना आवश्यक है। *Northern India Engineering, Varanasi v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 533.

धारा 7, 10—अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण अधिकरण ने एकपक्षीय रूप से निस्तारण किया न्याय के हित में अपीलार्थी को एक अवसर देते हुये अपील अधिकरण को पुनः निस्तारणार्थ प्रतिप्रेषित की गयी। *M/s Janta Brick Field, Meerapur, Kunda, Pratapgrah v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 379 : 2002 UPTC 772.

धारा 7, 10—व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया अतः उसके द्वारा पारित आदेश विधि संगत नहीं। *Rana Jewellers (Gold), Allahabad v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 477 : 2002 UPTC 617.

धारा 7, 12—निर्माता व्यापारी द्वारा माल के उपभोग तथा उत्पादन के विवरण न रखे जाने के कारण उसकी लेखा पुस्तकों का अस्वीकरण अनुचित नहीं है। *Ganesh Ice Cream Factory v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 374 : 2002 UPTC 662.

धारा 7 एवं 12—उत्पादन का लेखा न रखने के कारण यदि बही खाते अस्वीकार किये गये हों तो मात्र इसी आधार पर घोषित विक्रय धन में वृद्धि नहीं की जा सकती है। *Munna Lal Sons & Co. (P) Ltd., Kannauj v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 542 : 2002 UPTC 952.

धारा 7—यदि क्रेता व्यापारी ने खरीद का भुगतान रेखांकित चेक से लिया है तो विक्रेता द्वारा बिक्री न किये जाने का कथन व्यापारी की लेखा पुस्तकों के अस्वीकरण का आधार नहीं बन सकता। *M/s Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 34 : 2002 UPTC 1.

धारा 7—व्यक्तिगत प्रयोग में लाई गई ईंटों पर कर से छूट मात्र ठेकेदार के प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र पर नहीं दी जा सकती है। वर्ष 1986-87 हेतु बिक्रीदर रु० 310 प्रति हजार निर्धारित की गई। *[M/s Luxmi Brick field v. C.T.T.]*, [2002] 35 STR 54 : 2002 UPTC 159.

धारा 7—कर निर्धारण—लेखापुस्तकें नहीं प्रस्तुत की गई, फार्म 31 का विवरण नहीं दिया गया, कारण बताओ नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया गया—न्याय एवं विवेक पर आधारित कर निर्धारण किया जाना उचित। *New Sangam Refrigeration Co. v. Member, Appellate Tribunal, Trade Tax*, [2002] 35 STR 231 : 2002 UPTC 485.

धारा 7—कर निर्धारण—खरीद के पर्चे नहीं प्रस्तुत किये गये, बाजार से खरीदे जूतों पर करदेयता नहीं स्वीकार की गई, कच्चे माल के क्रय का विवरण नहीं दिया गया, न्याय एवं विवेक पर आधारित कर निर्धारण उचित। व्यापारी 3-ख के लाभ का अधिकारी नहीं। *Pilot Shoes and Chappal Gramodyog Samiti, Agra v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 247 : 2002 UPTC 486.

धारा 7—लेखा-पुस्तकें—गत वर्ष रोकड़ खाता न रखने पर भी लेखा पुस्तकें स्वीकार की गई थीं। संगत वर्ष में किसी अन्य दोष के अभाव में घोषित विक्रय धन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि रोकड़ खाता नहीं रखा गया है। *Kisan Gur Khandsari Udyog, Sardhana, Meerut v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 269 : 2002 UPTC 312.

धारा 7—लेखा-पुस्तकें—कर निर्धारण वर्ष में फर्म का पुनर्गठन कर एकल स्वामित्व वाली फर्म को साझीदारी फर्म में परिवर्तित करने पर कर निर्धारण की प्रथम अवधि में सर्वेक्षण पर प्राप्त विपरीत तथ्य द्वितीय अवधि के लिये रखे गये लेखों को अस्वीकार किये जाने का कारण नहीं बनाया जा सकता है। *M/s. Shree Shiv Candle Works, Bareilly v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 260 : 2002 UPTC 308.

धारा 7(3) तथा नियम 41(8) का अनुपालन यदि नहीं किया गया है तो सुविचारित कर निर्धारण आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। *M/s Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 34 : 2002 UPTC 1.

धारा 7—अधिकरण द्वारा फुँकाई की अवधि तीन दिन बढ़ाया जाना तथ्यों पर आधारित पाया गया। 1984-85 में ईंटों की बिक्री दर रु० 385 उचित पाई गई। प्रारम्भिक स्टॉक पर विचार हेतु अधिकरण को निर्देश दिये गये। *Luxmi Brick Field v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 493 : 2002 UPTC 159.

धारा 7—फुँकाई की अवधि बढ़ाने हेतु अधिकरण द्वारा दिये गये कारण अनुमानों पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं है और व्यापारी द्वारा घोषित अवधि स्वीकार करने योग्य है। व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री दर केवल इसलिए नहीं अस्वीकार की जा सकती कि अन्य वादों में बिक्री दर ऊँची निश्चित की गई है। व्यापारी का कथन कि कमिश्नर ने अपनी अपील में क्षमता के सम्बन्ध में कोई आधार नहीं लिया था अस्वीकार किया गया क्योंकि अपील में की प्रति नहीं प्रस्तुत की गई जिसके अभाव में यह अवधारणा की जा सकती है कि इस प्रकार का आधार अपील में लिया गया था। *M/s Sunil Kumar Havaladar v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 512.

धारा 7—व्यापारी के यहाँ सर्वेक्षण पर दो स्कूटर तथा एक तिपहिया वाहन पाया गया। व्यापारी ने अपने को मरम्मत तथा सर्विसिंग के कार्य में लगा हुआ बताया। स्कूटर के स्वामियों का विवरण दिया गया किन्तु तिपहिया वाहन का विवरण नहीं दिया गया। व्यापारी ने अपने को ब्रोकर भी बताया था अतः



उसके विरुद्ध अवधारणा बनती है कि उसने तिपहिया वाहन की खरीद किया था। *Shobha Scooter House, Varanasi v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 454.

धारा 7—सर्वेक्षणों पर प्राप्त सामग्री के आधार पर लेखा पुस्तकों का अस्वीकरण तथा विक्रय धन का निर्धारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। *M/s. Blshan Swaroop Mangal Sain, Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 607.

धारा 7—अधिकरण द्वारा विक्रय धन निर्धारण करने हेतु समुचित कारण दिये गये हैं तो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। *M/s. Patel Brick Field v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 623.

धारा 7—जब भट्टे की क्षमता वास्तविक माप पर तथा ईटों का विक्रय दर प्रचलित बिक्री दर पर आधारित है तो किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। *M/s. Harl Chand Hemant Kumar, Allahabad v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 624.

धारा 7 एवं 21—कालेज के प्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भट्टा चलाया गया। प्रथम कर निर्धारण कालेज के विरुद्ध किया गया—बाद में पता चलने पर प्रबन्धक के विरुद्ध व्यक्तिगत व्यापारी के रूप में कर निर्धारण किया गया। अधिकरण ने संविदा शर्तों के आधार पर भट्टा प्रबन्धक का व्यक्तिगत माना। अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है। *Dwarika Prasad v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 492.

धारा 7 के अन्तर्गत बिना नोटिस के एक पक्षीय कर निर्धारण प्रक्रियात्मक रूप में अनियमित है जिसे आदेश को निरस्त करके उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर किये गये कर निर्धारण से सही किया जा सकता है। *M/s Prem Chand Suresh Chand v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 39 : 2001 UPTC 37.

रोकड़ खाता न रखने, भाड़ा खर्च कम दिखाने, कोयले के स्टॉक में भारी कमी व बिक्री दर कम प्रदर्शित किये जाने के आधार पर कोयला व्यापारी के लेखे अस्वीकार किये गये। अधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि डे बुक रखी गई है, भाड़ा का वाउचर उपलब्ध है, कोयले के स्टॉक में कमी होना स्वाभाविक है तथा बिक्री के कॅशमेमों जारी किये गये हैं ऐसी स्थिति में लेखों का स्वीकार किया जाना उचित है। *C.T.T. v. Bajrang Coal Agency, Varanasi*, [2001] 33 STR 56.

सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक के आधार पर व्यापारी का विक्रयधन नियत किया गया—इसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है। *Paryag Brick Field, Lukerganj, Allahabad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 63.

अधिकरण ने मुक्त पर्चों के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समुचित आधार पर स्वीकार किया। यह तथ्यपरक निष्कर्ष है तथा कोई विधिक प्रश्न नहीं उठता है। *C.S.T. v. Akansha Steels Pvt. Ltd., Moradabad Road, Sambhal*, [2001] 33 STR 64.

भाड़े के वाउचर जांच योग्य नहीं पाये गये। अतः लेखा पुस्तकें अस्वीकार करने योग्य है। *C.T.T. v. Bajrang Coal Agency, Assi, Varanasi*, [2001] 33 STR 65.

कोयला का विक्रय धन निर्धारित करने हेतु उसी तरह के मामले में प्राप्त औसत विक्रय दर लगाया गया। विक्रयधन का निर्धारण गलत नहीं। *C.T.T. v. Bajrang Coal Agency, Assi, Varanasi*, [2001] 33 STR 65.

व्यापारी ने मूर्तियों के विक्रय धन पर 8% कर स्वीकार किया तथा जमा किया। कर निर्धारण 10% की दर से कर के जमा न किये गये कर की धनराशि पर ब्याज की देयता नहीं पाई गई क्योंकि व्यापारी ने सद्भावना पूर्वक करदेयता 8% मानी थी। *C.T.T. v. Shiv Shanker Murti Foundary, Sara, Aligarh*, [2001] 33 STR 68.

बही खाते खो जाने के कारण घोषित विक्रय धन की जाँच नहीं हो सकी—घोषित विक्रयधन का अस्वीकरण उचित पाया गया। *Kallash Chandra Suresh Chandra, Fatehpur Sūkt, Agra v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 69.

स्टाक में 10 बण्डल यार्न कम पाये जाने से विक्रयधन के छिपाये जाने की अवधारणा बनती है। *M/s Ansari Yarn and Handicraft v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 71.

स्टाक के अन्तर पाये जाने पर लेखा पुस्तकें एवं घोषित विक्रयधन अस्वीकार किया गया। अधिकरण के व्यापारी की आख्या स्वीकार करते हुये लेखों को मान्यता दे दिया यह एक तथ्यपरक निष्कर्ष है जिस पर कोई विधिक बिन्दु नहीं उठता है। *C.T.T. v. Mata Pal and Brother*, [2001] 33 STR 72.

28 अप्रैल, 1984 से 21 मई, 1984 तक भट्टा न चलाया जाना स्वीकार करने पर भी अधिकरण द्वारा बंदी का पूरा लाभ व्यापारी को नहीं दिया गया। अधिकरण को विक्रयधन पुनः निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। *Chetan Das v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 73.

सर्वेक्षण पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने निर्धारित विक्रयधन में कमी कर दिया। अधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। *C.T.T. v. S/s Super Food Products, 78 Rajendranagar, Meerut*, [2001] 33 STR 74.

अधिकरण ने लेखा पुस्तकों में इंगित की गई कमियों के सम्बन्ध में व्यापारी का स्पष्टीकरण उपलब्ध सम्बन्धित साक्ष्यों के आधार पर उचित रूप से स्वीकार किया। *C.T.T. v. Ganesh Metal Industries, Mirzapur Gorakhpur*, [2001] 33 STR 76.

भट्टे की क्षमता के विषय में विवाद नहीं था। घोषित आग जलने की अवधि विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार करने के उपरान्त अधिकरण ने घोषित उत्पादन स्वीकार किया। आदेश तथ्यपरक होने एवं किसी विधिक विवाद के अभाव में अधिकरण का आदेश सही पाया गया। *C.T.T. v. Banugha Bricks Corporation, Jagdishpura, Agra*, [2001] 33 STR 82.

रोकड़ कम पाई गई। स्टाक में अन्तर पाया गया। साझीदार के पति द्वारा प्रान्त बाहर से खरीद किया जाना स्वीकार किया गया—लेखों का अस्वीकरण उचित पाया गया। *M/s Om Oil Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 83.

व्यापार के आकार के अनुरूप विक्रयधन निर्धारित किया गया हो तो कर निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं है। *M/s Om Oil Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 83.

कोयला व्यापारी द्वारा रोकड़ खाता तथा ट्रक भाड़े के भुगतान के पूर्ण विवरण न रखने तथा बिक्री दर कम दिखाने व एक नक्शा देर में दाखिल करने के आधार पर घोषित विक्रयधन अस्वीकार किया गया। अधिकरण द्वारा डे बुक नियमित रूप से रखने तथा उसमें खरीद बिक्री खर्च के विवरण रखे जाने के आधार पर बिक्री स्वीकार की गई। अधिकरण का तथ्यात्मक निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। *C.T.T. v. Rama Coal Depot, Muradaha, Varanasi*, [2001] 33 STR 87.

व्यापारी द्वारा घोषित करयोग्य विक्रयधन रु० 3,69,015.43 को बढ़ाकर समुचित आधार पर अधिकरण द्वारा रु० 36,25,000 किया गया। अधिकरण का आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं। *C.T.T. v. Vishwanath Prasad Chagan Lal*, [2001] 33 STR 89.

अधिकरण द्वारा व्यापारी का कथन मान लिया गया कि 994 टन कोयले का एलाटमेन्ट सस्पेन्ड होने के कारण आयात नहीं किया गया। अधिकरण के आदेश में कोई कमी नहीं पाई गई। *C.T.T. v. Sandeep and Co., Meerut*, [2001] 33 STR 90.

लेखा पुस्तकें न प्रस्तुत करने पर सुविचारित कर निर्धारण उचित है। *M/s. Ajal Kumar and Company, Badaun v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 283.

व्यापारी का कथन था कि आर्द्रता के कारण दाल का वजन बढ़ गया जो 0.4% आता है। इस आधार पर लेखापुस्तकों का अस्वीकरण उचित नहीं है। *M/s. Arvind Kumar Gupta v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 117.

आइसक्रीम निर्माता व्यापारी को अप्रैल से जुलाई तक अस्वस्थ मानने के पश्चात उसके द्वारा घोषित विक्रय धन को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। *M/s. Regal Ice Factory v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 126.

1985-86 में 5 दिन में एक लाख ईटों का उत्पादन माना गया था। 1986-87 में उत्पादन प्रति 5 दिनों में एक लाख का माना जाना अनुचित नहीं है। *M/s. Bharat Int Udyog v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 251.

कच्चे माल की खरीद का समुचित लेखा नहीं रखा गया है तथा एक बिल पुस्तकों में अंकित नहीं है तो लेखा पुस्तकें अस्वीकार करने योग्य है। *M/s H.A. International v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 356.

न्याय एवं विवेक के आधार पर किये गये कर निर्धारण में निर्धारित विक्रय धन के लिये समुचित कारण दिये जाने चाहिये। *M/s H.A. International v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 356.

व्यापारी की लेखा पुस्तकें सर्वेक्षण के आधारपर अस्वीकृत की गईं। अधिकरण द्वारा सर्वेक्षण से सम्बन्धित व्यापारी की आख्या स्वीकार की गई तथा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि लेखा पुस्तकें अस्वीकार नहीं की जा सकतीं। अधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई गई। *C.T.T. v. M/s. Purvanchal Krishi Yantra Udyog*, [2001] 33 STR 358.

दिनांक 8.3.1996 के एक पक्षीय कर निर्धारण के विरुद्ध व्यापारी की अपील में दिनांक 7.9.1996 को डिप्टी कमिश्नर (अपील) ने वाद पुनः निर्धारणार्थ प्रति प्रेषित किया। इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। इसी बीच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश अनुपालन में पुनः एक पक्षीय करनिर्धारण आदेश दिनांक 28.8.1997 को पारित कर दिया जिसके विरुद्ध पुनः व्यापारी ने अपील प्रस्तुत की। अधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 7-9-1996 की पुष्टि कर दी गई। कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.8.1997 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अधिकरण के आदेश के प्रकाश में डिप्टी कमिश्नर अपील द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। किन्तु व्यापारी के धारा 22 के आवेदन पर करनिर्धारण आदेश दिनांक 28.8.1997 को अप्रभावी घोषित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध कमिश्नर ने द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जिसमें डिप्टी कमिश्नर अपील के आदेश को रद्द करते हुये करनिर्धारण आदेश दिनांक 28.8.1997 को प्रभावी घोषित किया गया। उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि वाद प्रतिप्रेषित करने का प्रथम अपीलीय आदेश विधि सम्मत है तथा दिनांक 28.8.1997 का कर निर्धारण आदेश अप्रभावी है। अधिकरण के निर्देशों का पालन करने के लिए करनिर्धारण अधिकारी बाध्य है। *Dhampur Sugar Mills Ltd. v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 199.

व्यापारी के विरुद्ध प्राप्त सूचना के आधार पर बिना किसी जांच के तथा व्यापारी के स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना किया गया कर निर्धारण आदेश अधिकरण द्वारा निरस्त करके पुनः कतिपय जांच तथा व्यापारी के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त कर निर्धारण किये जाने का आदेश विधिक रूप में अशक्त नहीं कहा जा सकता है। *M/s. Ashok Kumar Gupta v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 239.

सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्टॉक रजिस्टर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष न प्रस्तुत करना लेखों के अस्वीकरण हेतु पर्याप्त है। *M/s Balkunth Nath Agrawal, Lauta Dealer v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 255.

व्यापारी द्वारा कुछ फार्म 31 वापस किये गये तथा कुछ फार्म 31 खो जाने की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई। वापसी तथा समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने की रसीद अपील में के साथ संलग्न की गई जिस पर विचार किये बिना अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं पाया गया। *M/s. Bombay Shoe Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 241.

विगत वर्ष के विक्रयधन तथा संगत वर्ष के घोषित विक्रयधन के आधार पर विक्रयधन में 31 हजार की वृद्धि अनुचित नहीं है। *M/s Baikunth Nath Agrawal, Lauta Dealer v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 255.

विक्रयधन में कमी, विवरणी तथा पुस्तकों में प्रदर्शित विक्रयधन में अन्तर तथा गतवर्ष के अंतिम रहतिया तथा संगत वर्ष के प्रारम्भिक रहतिया में भिन्नता के आधार पर अस्वीकृत लेखा पुस्तकों को अधिकरण द्वारा व्यापारी का स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुये मान्यता दी गई। अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण सही पाया गया। *C.T.T. v. Shri Ram Traders*, [2001] 33 STR 257.

सर्वेक्षण पर प्राप्त डायरी लेकर साझीदार भाग गया। डायरी के प्रथम तीन पृष्ठों में अंकित सम्यवहार से 8.5 लाख का अपवंचन पाया गया। लेखों का अस्वीकरण उचित है। *M/s. Hindustan Yarn Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 290.

सर्वेक्षण पर प्राप्त डायरी के प्रथम तीन पृष्ठों से 8.5 लाख का अपवंचन पाया गया। निर्धारित 14 लाख का विक्रयधन अधिक नहीं है। *M/s. Hindustan Yarn Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 290.

ईट के निर्माण का लेखा एवं खाते तथा अन्य पुस्तकें नहीं रखी गई हैं। तो खाते तथा घोषित विक्रय धन का अस्वीकरण उचित है। *M/s. Ismail Khan v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 293.

लेखा पुस्तकें अविश्वसनीय पाये जाने पर घोषित फुकाई की अवधि अस्वीकार की जा सकती है। *M/s. Ismail Khan v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 293.

सर्वेक्षण में प्राप्त मुक्त पर्चों पर लिखित सम्यवहारों से सम्बन्धित व्यापारी का स्पष्टीकरण अस्वीकार होने के दशा में केवल इसी आधार पर लेखा पुस्तक अस्वीकार की जा सकती है। *M/s. Katiyar Oil and Flour Mills v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 296.

निर्धारित विक्रयधन व्यापारी द्वारा घोषित उत्पादन के मापदण्डों के आधार निश्चित किये जाने के कारण उसे अधिक या अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। *M/s. Katiyar Oil and Flour Mills v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 296.

लेखा पुस्तकों के अस्वीकरण के पश्चात् उनसे प्राप्त ईटों का औसत विक्रयधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकरण द्वारा संगत वर्ष में प्रचलित औसत दर से विक्रयधन का निर्धारण विधि सम्मत है। *S/s Soma Mal & Sons v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 323.

अधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मुक्त पर्चों पर अंकित सम्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित है तथा विक्रयधन में गिरावट के आधार पर घोषित विक्रयधन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिकरण का आदेश सही पाया गया। *C.T.T. v. M/s Sas Engineers Pvt. Ltd.*, [2001] 33 STR 326.

मुक्त पर्चों के आधार पर व्यापारी का घोषित विक्रयधन अस्वीकार किया गया। अधिकरण ने मुक्त पर्चों पर लिखित सम्यवहार खातों में लिखा पाया केवल उधार बिक्री नहीं लिखी पाई गई। अधिकरण द्वारा घोषित खरीद मानकर कोई त्रुटि नहीं की गई है। *C.S.T. v. S/s Dwarika Prasad Kesarwani*, [2001] 33 STR 361.

इत्र एवं सुगंधि के व्यापारी ने व्यापार बन्द करने के पश्चात् अन्तिम रहतिया घोषित किया जिसे मान लिया गया। इसे मान लेने के बाद व्यापारी को यह नहीं सिद्ध करना है कि माल बिक्री योग्य नहीं था। *M/s Fragrance House v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 329.

व्यापारी द्वारा घोषित 48 दिनों की पेराई अवधि को अधिकरण बढ़ाकर 70 दिन निश्चित करने का कोई कारण नहीं दिया। अधिकरण का आदेश विधि सम्मत नहीं है। *M/s Ram Sugar Works v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 331.

सुविधेक से विक्रयधन का करनिर्धारण करते समय निर्माण करने वाली इकाई के वाद में बिजली की खपत पर विचार करना सुसंगत है। *M/s Jay Cee Rolling Shutter & Iron Engineer Works v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 362.

सर्वेक्षण में प्राप्त मुक्त पर्चों पर अंकित बिक्री को अधिकरण ने लेखा पुस्तकों में लिखा हुआ माना तथा अन्य किसी विपरीत तथ्य के अभाव में घोषित विक्रयधन सवीकार की जो तथ्यात्मक निष्कर्ष है जिसमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। *C.T.T. v. S/s Shubham Sheera Supply Co.*, [2001] 33 STR 364.

अधिकारियों द्वारा 7 लाख के विक्रयधन को छिपाया हुआ पाया गया—अधिकरण ने विक्रयधन में 10 लाख की वृद्धि किया जो तथ्यों पर आधारित होने के कारण सही है। *C.S.T. v. S/s Arora Wool International*, [2001] 33 STR 369.

सर्वेक्षण के समय भेजे गये माल को अभिलेखों में अंकित नहीं पाया गया आयात किये जा रहे माल के साथ समुचित प्रपत्र नहीं पाये गये। लेखा पुस्तकें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। *M/s. S. Kumar & Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 370.

सर्वेक्षण तथा मार्ग में हुई जांच पर पाये गये तथ्यों के आधार पर विक्रयधन का निर्धारण सही है। *M/s. S. Kumar & Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 370.

11.3.83 के सर्वेक्षण के आधार पर व्यापारी की लेखा पुस्तकों को अस्वीकार किया गया। अधिकरण ने निष्कर्ष लिया कि उस दिन व्यापारी की दूकान बंद थी, कोई भी दूकान पर मिला नहीं था तथा मुक्त पर्चों पर कोई तिथि नहीं पड़ी है और सर्वेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकरण का आदेश हस्ताक्षेप योग्य नहीं पाया गया। *C.S.T. v. S/s. Radhey Shyam Dharmendra Kumar*, [2001] 33 STR 374.

अधिकरण ने भट्टा चलाने की अवधि सर्वेक्षण के आधार पर तय करके दो चक्कर चलना माना। अधिकरण का यह तथ्यात्मक निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। *M/s. Durgajee Int Udyog v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 376.

करनिर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा कृषकों को अग्रिम धनराशि दिये जाने के आधार पर आसवन करने के कारण निर्माता मानकर कर लगाया। अधिकरण ने तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अग्रिम भुगतान से आसवन क्रिया का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा व्यापारी ने जाब वर्क किया है। अधिकरण का निर्णय उचित। *C.S.T. v. M/s Parvez Chemical Industries*, [2001] 33 STR 379.

सर्वेक्षण के समय पाये गये अधिक स्टॉक के सम्बन्ध में दिया गया व्यापारी का स्पष्टीकरण अधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया जो तथ्यों पर आधारित होने के कारण अशक्त नहीं है। *C.S.T. v. S/s Dal Chandra Suresh Chandra*, [2001] 33 STR 380.

उप कमिश्नर अपील द्वारा करयोग्य विक्रय धन में दो लाख रूपयों की की गई वृद्धि को तथ्यों पर आधारित होने के कारण अधिकरण ने सही माना। अधिकरण का निर्णय तथ्यात्मक है तथा उसमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। *C.T.T. v. Goel Steel Rolling Mill*, [2001] 33 STR 393.

सर्वेक्षण पर रु० 12458 का विक्रयधन अपवंचित पाया गया अधिकरण द्वारा करयोग्य विक्रयधन में एक लाख की वृद्धि अनुचित नहीं है। *M/s Mangal Prasad Kanhaiya Lal v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 396.

कैशमेमों न रखने पर घोषित विक्रय स्वीकार करने योग्य नहीं है। दाल, तेल, अनाज, आटा तथा बेसन का विक्रयधन निश्चित करके 4% का समान रूप से कर लगाना अनुचित नहीं। दागी दाल को दाल में मिलाकर बिक्री की गई है तो यह दाल की भांति ही करयोग्य है। *M/s Sukhdeo Rai Kapoor v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 397.

29 ट्रक लोड एम०एस० इनाट तथा 20 एम०टी० इनाट विभिन्न स्थानों पर पाया गया जिसे व्यापारी स्पष्ट नहीं कर सका। सुनिश्चित करनिर्धारण सही पाया गया। *C.S.T. v. M/s Durga Ispat Pvt. Ltd. Meerut Road, Muzaffarnagar*, [2001] 33 STR 386.

दो प्रपत्र 31 पर मंगाया जा रहा कोयला जांच पर प्रत्येक ट्रक में एक टन अधिक पाया गया जिसके आधार पर कुल खरीद 3580 टन निर्धारित की गई जिसे अनुचित या अधिक नहीं कहा जा सकता है। *C.T.T. v. S/s Chandra Coal Suppliers*, [2001] 33 STR 403.

अधिकरण द्वारा 6 दिनों में एक लाख ईटों का उत्पादन माना गया जिसके आधार पर उत्पादन 19 लाख आता है जो उसके द्वारा 21 लाख निकाला गया है। व्यापारी को टूट फूट का 5% लाम नहीं दिया गया है। अतः कर निर्धारण विधिसम्मत नहीं है। पुनः कर निर्धारण का आदेश दिया गया। *Malha Ram Kalyan Das Bhatta, Khatauli v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 407.

सर्वेक्षण पर रोड़ी की बिक्री पाई गयी जो लेखा पुस्तकों में अंकित है। सर्वेक्षण के समय कोयला रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसे कर निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक में 4,56,000 ईटें अधिक पाई गयी थीं जिन्हें अनुमान से गिनने के कारण बताया गया किन्तु पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेखों का अस्वीकरण सही पाया गया। *M/s. Shafique Bano and Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 412.

फुंकाई अवधि निर्धारित करने में सर्वेक्षण पर प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया गया। केवल आठ दिन की बन्दी का दावा अकारण अस्वीकार किया गया है। आठ दिन घटाकर फुंकाई की अवधि सुनिश्चित की गयी। ईटों का विक्रय दर गतवर्ष में रु० 310 स्थिर किया गया है संगत वर्ष में रु० 310 की बिक्री दर अधिक नहीं है। *National Brick Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 417.

व्यापारी के बही खाते अभिगृहित किये गये तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट के पास भेजे गये। न तो इन्हें व्यापारी को दिया गया न इसकी प्रतियाँ प्राप्त की गई अनुमान के आधार पर किया गया करनिर्धारण विधिसम्मत नहीं। व्यापारी को लेखापुस्तकें उपलब्ध कराने के पश्चात् पुनः निर्धारण करने का निर्देश दिया गया। *M/s Atma Steel Pvt. Ltd., Bulandshahar v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 421.

सम्पूर्ण कर निर्धारण आदेश अपीलीय आदेश में सन्निहित हो जाता है तथा कर निर्धारण आदेश में कोई संशोधन का प्रार्थना पत्र केवल अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। *M/s Rameshwar Dayal & Co. v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 334.

जिन मुक्त पर्चों के आधार पर धारा 21 में वाद पुनः खोला गया उनको जांच कर के यह निश्चित नहीं किया गया कि इन पर्चों पर अंकित संब्यवहार संगत वर्ष में किया गया है अथवा नहीं। वाद अधिकरण को आवश्यक जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। *M/s Dwarika Nath Steels Strips Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 93.

निर्माण का लेखा न रखने पर लेखापुस्तकें अस्वीकार करने योग्य हैं। *M/s Jay Cee Rolling Shutter & Iron Engineer Works v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 362.

बिक्रेताओं ने निर्धारिती को माल बेचने से इन्कार किया है, करदाता के यहाँ "उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु नहीं" के लेबल वाली भारत में बनी विदेशी मदिरा पाई गई जिसकी प्रान्तीय खरीद स्थापित नहीं की जा सकी—प्रमाणपत्र, लिखित तर्क तथा शपथ पत्र विचारोपरान्त अधिकरण द्वारा अस्वीकार किये गये तथा निष्कर्ष निकाला गया कि खरीद और बिक्री लेखों से बाहर की गई है। अधिकरण के निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होने से अशक्त नहीं हैं। *Surendra Kumar Wine Merchant v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 236.

धारा 21(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 7(3) के अन्तर्गत आदेश नहीं पारित किया है तो धारा 21 में उसे व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही का उसका अधिकार क्षेत्रा नहीं है। *C.S.T. v. Gorakhpur Spun Pipe, Gorakhpur*, [2001] 33 STR 286.

धारा 28-ख में उपलब्ध अवधारणा खण्डनीय है। अधिकरण को उपलब्ध सामग्री से निर्णय करना है कि क्या यह अवधारणा खण्डित की गई है। *M/s. Mau Goods Transport Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 387.

भारतीय रेल द्वारा पका भोजन, आईसक्रीम तथा ठंडा पेय यात्रियों को बेचे जाने पर करयोग्य है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 285 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को छूट केवल परोक्ष कर के लगाये जाने से है। *Commissioner of Sales Tax v. Northern Railway Catering and Vending*, 2000 UPTC 765. उक्त वाद में *Collector of Customs and another v. State of West Bengal and others*, (1999) 113 STC 67 में दिये गये निर्णय का अनुकरण किया गया।

कमिश्नर व्यापार कर, परिपत्र जारी करने के लिये अधिकृत नहीं है अतः विधि विभाग के परामर्श से इस आशय का जारी परिपत्र कि लेटेक्स सलूशन रबर उत्पाद नहीं समझा जा सकता, कर निर्धारण अधिकारी के न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप होने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं है। *सर्वश्री मर्करी लेबोरेट्रीज बनाम स्टेट आफ यू०पी०*, 2000 यू०पी०टी०सी० 82 के वाद में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया गया। *M/s. Universal Polyvinyl Chloride Gromodyog Sansthan v. State of U.P. and others*, 2000 UPTC 848.

यदि अस्थाई कर निर्धारण की कारवाई में करमुक्ति का दावा स्वीकार किया जा चुका है तब पुनः इस बिन्दु को अन्तिम कर निर्धारण कारवाई में उठाया नहीं जा सकता। *Sheo Narain Bhagwan Das v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 733.

लेखा पुस्तकों के अस्वीकृत होने के उपरान्त विक्रय धन, पाये गये कर अपवंचन के अनुपात में निर्धारित किया जाना चाहिये। *Raj Ornaments v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 732.

मात्र कोयले के उपभोग के आधार पर भट्टे की फुकाई अवधि नहीं बढ़ायी जा सकती। *Guraishi Bricks Suppliers v. C.S.T.*, 2000 UPTC 50.

कमिश्नर व्यापार कर द्वारा जारी निर्देश, कर निर्धारण अधिकारी पर बाध्य है तथा उससे भिन्न मत निर्धारित नहीं किया जा सकता। *Mercury laboratories Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, 2000 UPTC (LB) 82.

अधिकरण द्वारा लेखों का अस्वीकरण सही माना गया किन्तु उसने अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख एवं उन बिन्दुओं पर अपना निष्कर्ष नहीं दिया अतः यहां अधिकरण द्वारा कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला गया। *Raj Kumar Sanjay Kumar and Sons, Priyawan, Pratapgarh v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 637.

व्यापारी के विरुद्ध प्राप्त सूचना के आधार पर रु० 2,04,996 व रु० 19,992 की आपूर्ति पर 10 लाख का विक्रय धन का निर्धारण—बढ़ाया गया विक्रयधन विधि सम्मत नहीं पाया गया। *Sanjeev Kumar v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 446.

व्यापारी में सर्वेक्षण अधिकारी को बताया कि एकाउण्टेंट बैंक गया है और कैशबुक उसी के पास है। अधिकारी ने न तो एकाउण्टेंट की प्रतीक्षा की न ही व्यापारी के कथन पर अविश्वास व्यक्त किया। व्यापारी के विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। *M/s Jain Rolling Mills, Mukundnagar, Ghaziabad v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 638.

सर्वेक्षण के आधार पर निश्चित किया गया फुँकाई का समय सही 1982-83 वर्ष के लिये औसत विक्रयदर रु० 250 उचित माना गया। वर्ष 1982-83 के लिये औसत बिक्री दर रु 308 प्रति हजार निश्चित किया गया जबकि 6 दिनों में एक लाख ईटों का उत्पादन माना गया। *Ahuja Brothers, Naini, Allahabad v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 21.

निर्माण एवं कच्चे माल के रजिस्टर न रखने एवं घोषित विक्रयधन में अन्तर के आधार पर लेखा पुस्तकों को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाया गया। *M/s Gupta Glass Industries, Hathras v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 58.

1980-81 के लिये ईटों की बिक्रीदर 125 प्रति हजार निर्धारित किया गया। *Chhedilal v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 26

सत्ती बही में सर्वेक्षण के समय तक आया माल अंकित न होने के आधार पर लेखा पुस्तकें अस्वीकार नहीं की जा सकती। *Devi Singh Raghuxar Singh Kachcha Arhati v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 27.

किसी विपरीत तथ्य के अभाव में एवं गत वर्ष के विक्रयधन के आधार पर निर्धारित विक्रयधन में वृद्धि उचित नहीं पाई गई। *C.S.T. v. Virendra Kumar Rajesh Kumar*, [2000] 31 STR 30.

तृतीय पक्ष की लेखापुस्तकों में लिखें सम्यवहार के आधार पर बिना प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये व्यापारी की लेखापुस्तकें अस्वीकार नहीं की जा सकती। *Bansidhar Bankelal, Agra v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 31.

खरीद के पर्चे, रोकड़ तथा कैशमिमों एवं उत्पादन रजिस्टर न रखने पर लेखा पुस्तकों का अस्वीकरण उचित पाया गया। *Randhir Singh Kamal Bhan Singh, Handia, Alld. v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 32.

सर्वेक्षण पर लेखापुस्तकें प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इनका अस्वीकरण उचित पाया गया। *Roopesh Brick Field, Agra v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 34.

अभिगृहीत लेखापुस्तकों को व्यापारी के व्यापार से सम्बन्धित माने जाने के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दर्शायी गई अतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। *Bharat Brick Field v. State of U.P.*, [2000] 31 STR 37.

तथ्यों पर आधारित कर निर्धारण में किसी त्रुटि के अभाव में हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया। *Randhir Singh Kamal Bhan Singh, Handia, Alld. v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 32.

करदाता द्वारा अपने कथन को साक्ष्यों से संस्थापित न किये जाने पर इसे अस्वीकार किया जाना विधि संगत। *C.S.T. v. S/s Kishore Singh Oswal*, [1999] 30 STR 711.

कर-निर्धारण अधिकारी की निर्धारित तिथि पर अपराहन तक प्रतीक्षा के पश्चात व्यापारी के चले जाने के उपरान्त एक पक्षीय करनिर्धारण विधिक दृष्टि से सही नहीं। *Mahesh Chand, Hathras, Distt. Allgarh v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 448.



प्रान्त बाहर से प्रपत्र 31 पर की गई गेहूँ की खरीद इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि फार्म 31 पर वाहन नम्बर का उल्लेख सही नहीं था तथा टिकट सही नहीं लगा था। *Allen Roller Flour Mills, Izatnagar, Bareilly v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 708.

विक्रय धन आनुपातिक रूप में अत्यल्प होने पर अत्यन्त सावधानी पूर्वक रखी गई लेखा पुस्तकों को अस्वीकार किया जा सकता है। *C.S.T. v. S/s Kishore Singh Oswal*, [1999] 30 STR 711.

सुविचारित करनिर्धारण काल्पनिक एवं मनमाना न होकर साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये। *Ram Nath Ram Poojan Int Bhatta, Ghazipur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 714.

रु० 55,465.00 का विक्रयधन लेखों के बाहर पाया गया। घोषित विक्रयधन में रु० 1,50,000 की वृद्धि की गई। *Vijay Paper Mart v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 588.

निर्धारिती द्वारा घोषित 14.1 मेट्रिक टन प्रति फार्म 31 कोयले का आयात न मानने के लिये अधिकरण द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। घोषित मात्रा का अस्वीकरण स्वेच्छाचारी पाया गया। *Raju Coal Traders, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 450.

चीनी मिल द्वारा बोरों के बिक्री की अवधारणा कर के उसके विक्रय धन पर कर नहीं लगाया जा सकता। *C.S.T. v. S/s. Ramala Sahakari Chini Mills Ltd., Ramala*, [1999] 30 STR 436.

दूटा चावल से सम्बन्धित अभिलेखों में अन्तर मात्र क्या लेखों के अस्वीकरण हेतु पर्याप्त है इस बिन्दु पर अधिकरण ने विचार नहीं किया। वाद पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित। *Malik Rice Mill, Kemari, Rampur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 431.

घोषित विक्रयधन अस्वीकार किया जाना तथ्यों पर निर्धारित है अतः अधिकरण द्वारा इस बिन्दु पर निकाले गये निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता नहीं है। विक्रय धन का निर्धारण औचित्यपूर्ण होना चाहिये। वर्तमान वादी में उसका निर्धारण आधारहीन होने के कारण कम किया जाना उचित होगा अतः दायर पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। *Roshan Metal Stores, Thathrahi, Bindki, Fatehpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 366.

सर्वेक्षण के समय एक लाख ईंटें भट्टे पर पाई गई जबकि लेखापुस्तकों के अनुसार 9,77,475 होना चाहिए था—अधिकरण द्वारा निर्धारित 11,40,000 ईंटों की बिक्री में कोई त्रुटि नहीं मानी गई। *Uttam Int Bhandar v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 469.

दिनांक 7.5.1979 के सर्वेक्षण पर भट्टे में पर्याप्त संख्या में ईंटें पाई गई जबकि व्यापारी द्वारा 7.5.79 से ही आग प्रारम्भ बताई गई—अधिकरण द्वारा फुंकाई की अवधि तथा घोषित विक्रयधन में सामान्य वृद्धि न्यायोचित पाई गई। *M/s. Uttam Int Bhandar v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 469.

फुंकाई की अवधि निर्धारित करने हेतु अधिकरण ने समुचित कारण दिये अतः इसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया। 1985-86 हेतु विक्रय दर घटा कर रु० 290 किया गया तथा 1986-87 में अधिकरण द्वारा निश्चित किये गये विक्रय दर की पुष्टि की गई। *Vinod Kumar Brick Kiln Owner v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 560.

व्यापार कर अधिकरण द्वारा विक्रय धन निर्धारित किये जाने के आधार में परिवर्तन स्वीकार योग्य नहीं है। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वास्तविक आयातित कोयले की मात्रा के आधार पर कर निर्धारित किया गया। विक्रय धन निर्धारण के आधार में परिवर्तन अवांछित है। *Prakash Coal Company, Jaunpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 379.

प्रतिप्रेषित वाद में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अन्य तथ्यों की जाँच तथा विचार किया जाना अधिकार सीमा का उल्लंघन है। *Madras Rubber Factory Ltd. v. S.T.O.*, [1999] 30 STR 371.

दूसरे प्रान्त की सीमा के समीप व्यापार स्थल होने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रान्त बाहर से वस्तुओं की खरीद कर बेचा गया—उक्त आधार पर विक्रय धन की वृद्धि करना तब तक न्यायोचित नहीं है जब तक कि विश्वस्त सामग्री उपलब्ध न हो। *Kishori Lal Agarwal, Cycle Dealer v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 95.

विवरणी तथा लेखों में साधारण अन्तर व्यापारी के विरुद्ध नहीं—प्रपत्र 3ग (2) से आच्छादित खरीद से संबन्धित बिक्री बिक्रेता के लेखों में अंकित नहीं—पुनरीक्षणकर्ता के लेखे अस्वीकार नहीं किये जा सकते—बिक्रेताओं के पूरे पते नहीं दिये गये तथा संबन्धित लेखों का मिलान मण्डी शुल्क के भुगतान से नहीं कराया गया इस आलंजार पर लेखों का अस्वीकरण किया जा सकता है—चेक का भुगतान प्रमाणित करने का दायित्व पुनरीक्षणकर्ता का नहीं। *Pradeep Kumar and Company, Arhath, Jahangirabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 272.

व्यापारी द्वारा जारी बिल को संदेहास्पद मानकर लेखों का अस्वीकरण करने के पूर्व हस्तलिपि विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक है जब यह निष्कर्ष अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दी गई हो कि संव्यवहार लेखों में सम्यक रूप से अंकित था तो यह अवधारणा नहीं बनाई जा सकती कि विक्रयधन पर कर लगने से रह गया है। *C.T.T. v. Shyam Garments, Nayaganj, Hathras*, [1999] 29 STR 154.

समस्त विक्रीत कोयले की मात्रा निर्धारित करने के लिये प्रयोग में लाये गये सभी फार्म 31 की जांच किया जाना आवश्यक है। *Murli Coal Depot, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 309.

औसत विक्रय दर अन्य व्यापारियों के वाद में भिन्न निर्धारित किया गया। व्यापारी के बाद में निर्धारित विक्रय धन के अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बनता। *Murli Coal Depot v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 309.

दूसरे वाहन में पलटी किये जाने के कारण कोयले की मात्रा में हुई कमी का दावा निपटाते समय उ०प्र० कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 तथा संबंधित परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। *Murli Coal Depot, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 309.

अधिकरण के सामने व्यापारी की अपील अस्वीकृत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था जब उसने उप-कमिश्नर के निष्कर्ष को सही सुनिश्चित किया। *C.S.T. v. Nangal Electric Co. New Delhi*, [1999] 29 STR 302.

सर्वेक्षण अधिकारी से असहयोग करने तथा लेखा पुस्तकें न दिखाने एवं सर्वेक्षण के दिन तथा उसके पहले दिन की आमदनी लेखों में न लिखी होने के कारण घोषित विक्रय धन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वे पर अधिक स्टॉक पाये जाने पर लेखों का अस्वीकरण उचित पाया गया। सुविचारित करनिर्धारण अपवंचित विक्रयधन के अनुरूप होना चाहिए। *Prem Chandra Ramesh Chandra, v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 192.

कर निर्धारण—निर्माण किये जाने तथा बिक्री करने के सम्बन्ध में निष्कर्ष को कोई आधार नहीं दिया गया अतः कर निर्धारण उचित नहीं। *M/s. Veenus Paper Products, Agra v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 48.

अतिरिक्त कर भी कर निर्धारण के उद्देश्य से एक कर है और कर निर्धारण के नियमों से भिन्न नहीं है। यद्यपि कर की परिभाषा जैसा कि धारा 2-एन में परिभाषित है और 1-10-88 से लागू है, यह शब्द "कर" धारा 7 के अन्तर्गत आता है। अतः धारा 7 अतिरिक्त कर निर्धारण में भी लागू होगा क्योंकि

ऐसा अतिरिक्त कर भी एक करारोपण का अधिनियम के अन्तर्गत एक भाग है। और इस तर्क में कोई बल नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी अतिरिक्त कर का करारोपण करने का अधिकार नहीं रखता। *M/s. Indian Herbs Research & Supply Co., Sharda Nagar v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 32.

विक्रय घन की विवरणी तथा लेखों में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार जो भी अधिक हो, स्वीकृत रूप से देय कर होगा। *Charanjit Lal Rajendra Kumar Oil Dealer, Babina, Jhansi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 231.

एकपक्षीय कार्यवाही में सुविचार पूर्वक कर-निर्धारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त करने के लिये नियम 41(8) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस तामील होना आवश्यक है। *H.S.R. Bhatta Co. v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 469.

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कालातीत हुये वाद में करनिर्धारण हेतु नोटिस निर्गत करने का अधिकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सकता है। *Dilaver Singh Bhatta v. C.T.T.*, [1998] 28 STR 467.

विवेकानुसार कर निर्धारण उचित है यदि उत्पादन लेखा नहीं रखा गया तथा स्टॉक रजिस्टर में कमी पाई गई। 1981 UPTC 912 निर्णय निरस्त। *C.S.T. v. Girja Shanker Awanish Kumar*, [1997] 25 STR 315 (SC).

कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यापारी को निश्चित दर पर अमुक वस्तु बिक्री करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। *Hemraj Udyog, Agra v. C.T.T.*, [1997] 25 STR 198: 1997 UPTC 170.

अस्थायी कर निर्धारण आदेश से सम्बंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थिर निष्कर्षों से कर निर्धारण अधिकारी अंतिम कर-निर्धारण आदेश पारित किये जाते समय, बाध्य नहीं है। *C.S.T. v. Rahul Traders*, [1994] 20 STR 74 : 1994 UPTC 1035.

निर्माण लेखा तथा नियमित लेखा पुस्तकों के प्रस्तुत न करने की स्थिति में लेखा पुस्तकें अस्वीकार योग्य हैं। *Bhoorey Mal Nand Kishore v. C.S.T.*, 1994 UPTC 1127.

करदाता स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा इस्पात आदि का व्यापारी था Single Point Tax बिक्री-कर अधिकारी ने लगाया। करदाता ने प्रश्न यह उठाया कि क्या स्टेनलेस-स्टील को इस्पात या लोहे की श्रेणी में रखा जा सकता है। तब यह घोषित करते हुए निर्णय दिया कि स्टेनलेस-स्टील को लोहे या इस्पात की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः उस पर साढ़े तीन प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगाया जायेगा। *C.S.T. v. Industrial Mill Stores*, 1983 UPTC 807.

सुरक्षा विभाग ने एक अन्य मुकदमें में 'फोल्डिंग कोट' की आपूर्ति के हेतु माँग प्रस्तुत किया था परन्तु बाद में इस आपूर्ति को लेने से इन्कार कर दिया। विक्रय-कर आयुक्त ने सुरक्षा विभाग की क्षतिपूर्ति की धनराशि पर बिक्री-कर लगा दिया। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि विक्रय मूल्य नहीं है इसलिये इस पर बिक्री-कर नहीं लगाया जा सकता। *S.R. Industries v. C.S.T.*, 1983 UPTC 749.

करदाता पीतल के बर्तन व स्क्रीप का व्यापारी था। बिक्री-कर अधिकारी ने तीन वर्षों के लिये संयुक्त रूप से करदाता पर कर-निर्धारण किया। प्रश्न यह उठाया गया कि क्या इस तरह का संयुक्त रूप से कर-निर्धारण गलत था अथवा बिक्री-कर अधिकारी का यह आदेश उसके क्षेत्राधिकार के बाहर था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उपरोक्त आदेश बिक्री-कर अधिकारी द्वारा पारित किया हुआ विधिसम्मत था तथा बिक्री-कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत था। *Chhedilal v. C.S.T.*, 1983 UPTC 801.

जिस व्यापारी के यहाँ सौदे या आमद दिन के समय हुआ है और उसकी प्रविष्टि शाम तक बही-खातों में न की गई हो तो ऐसे बही-खाते अस्वीकार करने योग्य होते हैं। *Ramesh Chandra Kailash Chandra v. C.S.T.*, 1983 UPTC 306.

यदि किसी करदाता के हिसाब-किताब को अस्वीकार करने के पश्चात् बिक्री-कर लगाया जाता है तथा उस पर करदाता के स्वीकार किये हुए कर से अधिक कर लगाया जाता है तो जो अधिक कर की वृद्धि होगी उसका कोई आधार होना चाहिये। यदि वृद्धि किये हुए कर का कोई आधार नहीं है तो यह करारोपण गलत है। *C.S.T. v. Om Engineering Corporation*, 1982 UPTC 70.

यदि करदाता के हिसाब-किताब में प्रारम्भ व अन्त की रहतिया नहीं है तो इस आधार पर करदाता का हिसाब-किताब अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Prakash Paper Mart v. C.S.T.*, 1981 UPTC 857.

यदि कोई करदाता सर्वेक्षण के समय निर्धारित हिसाब-किताब दिखाने में असमर्थ था परन्तु कर-निर्धारण के तिथि पर हिसाब-किताब कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो इस आधार पर हिसाब-किताब को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Samar Cotton Mills*, 1981 UPTC 1217.

खरीद की रकम में लाभ की रकम को जोड़कर आवर्त (turnover) की घनराशि को निकालने की प्रणाली अवैध है। *Babu Lal v. C.S.T.*, 1987 UPTC 366.

यदि कर द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सकल आवर्त (turnover) स्वीकार कर लिया जाय तो बिना उचित कारणों के शुद्ध आवर्त में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती। अधिकरण द्वारा शुद्ध आवर्त में बढ़ोत्तरी करने वाला आदेश कर दिया गया और लेखा-बहियों को अस्वीकार करने वाला एवं करदाता द्वारा प्रस्तुत किया हुआ शुद्ध आवर्त को स्वीकार करने वाला सहायक आयुक्त (न्यायिक) का आदेश पुनः स्थापित किया गया। *Kewal Krishna Mahendra Kumar v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 334.

करदाता के लेखा पुस्तकों को कर-निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। जब क्रय तथा विक्रय कैशमेमो द्वारा समाप्ति है और अन्तिम स्टॉक का ब्यौरा नहीं रखा गया है परन्तु लेखा पुस्तकों की स्थिति वही हो जो पिछले वर्ष में रही हो तो केवल इस आधार पर लेखा पुस्तकों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि करदाता ने बन्द वाले स्टॉक का ब्यौरा नहीं रखा है। *Ludhiana Cycle Stores v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 138.

लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति का प्रश्न करदाता ने केवल एक ही खाता चालू रखा जो कि सभी प्रकार की वस्तुओं के विक्रय से सम्बन्धित था। इसलिये माल के क्रय तथा विक्रय का सत्यापन सम्भव नहीं था। चूँकि लेखा पुस्तकों की स्थिति वही थी जो पिछले वर्षों में थी और पिछले वर्ष भी लेखा-पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया गया था। अतः लेखा-पुस्तकों को इस वर्ष भी अस्वीकार कर दिया गया। अतः अधिकरण द्वारा किया गया निष्कर्ष तथ्य का निष्कर्ष है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Bijadhar Ram Dwarika Ram v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 80.

सर्वेक्षण के समय करदाता की अभ्यास-पुस्तिका में कुछ ऐसी प्रविष्टियाँ मिली जिनका विवरण लेख-बहियों में नहीं था। अतः विवरण की छान-बीन करने और धारा 7(3) के अन्तर्गत जाँच करने के बाद बिक्री-कर अधिकारी ने आवर्त (turnover) के छिपाये जाने का निष्कर्ष दिया। बिक्री का अनुमान किया जाना अवर प्राधिकारियों द्वारा न्यायसंगत था। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण का निर्णय सूती बनियाइनों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के बारे में लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति को उचित ठहराना तथा बिक्री-कर अधिकारी के आदेश को पुनः स्थापित करना न्यायसंगत था। *Babu Lal Chhote Lal v. C.S.T.*, 1987 UPTC 366.

सर्वेक्षण के समय लेखा-पुस्तकों को करदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा भिन्न-भिन्न

कागजों में लिखित क्रय-विक्रय के ऐसे सौदे पाये गये जिनके बारे में यह माना गया कि करदाता द्वारा उनको लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा गया है। प्राधिकारी ने कर-निर्धारण अधिकारी के निष्कर्ष एवं आवर्त छिपाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निष्कर्ष दिया और यह धारण किया कि लेखा पुस्तकों को अस्वीकार किया जाना न्यायाचित था। *Sri Prakash Shri Krishna Das v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 291.

ईटों के भट्टों के विषय में आवश्यक खाता भराई रजिस्टर आदि नहीं रखे गये। दो सर्वेक्षणों के समय अपूर्ण पुस्तकों को भी पेश नहीं किया गया और न वही-खातों के पेश करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया। करदाता द्वारा किये गये ईटों के उत्पादन का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः कर-निर्धारण अधिकारियों के निर्णय को अनुमोदन किया गया और निश्चय किया गया कि लेखा पुस्तकों की अस्वीकृति उचित थी। *Jaiswal Brick Field v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 165.

केवल इस कारण से कि करदाता ने खरीदे हुए माल का वाउचर्स नहीं रखा या उन व्यक्तियों का पता नहीं लिखा जिनके हाथ माल का विक्रय किया, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि करदाता द्वारा रखा हुआ क्रय-विक्रय का हिसाब गलत था। यही स्थिति उन मालो के चालानो व हिसाब व किताब न रखने के सम्बन्ध में भी होगी जहाँ करदाता उन्हें बिक्री करने हेतु नगर के बाहर ले गया। *Ganesh Jewellers v. C.S.T.*, 1987 UPTC 1004.

ईटों के भट्टे के व्यापार में सर्वेक्षण के समय करदाता का असहयोग अथवा लेखा-बहियों को न दिखाना अथवा दोनों अवधि में माल के उत्पादन में अन्तर मात्र से लेखा-बहियों अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *I.P. Bhatiya & Co. v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 294.

सर्वेक्षण के समय अधूरा बही-खाता का लाना तथा बही खाते में नित्य इन्द्राज न करना बही-खाता निरस्त करने के लिये पर्याप्त है। *Ram Richhpal Vijai Kumar v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 251.

अनेक सौदा बही-खातों में दर्ज नहीं थे परन्तु खुले पर्चों में पाये गये अतः बेस्ट जजमेंट कर-निर्धारण करना पर्याप्त था। किसी खास अवधि में छिपाया गया आवर्त (turnover) सम्पूर्ण वर्ष के आवर्त में बढ़ोत्तरी करने का आधार है। *Kohli Co-operative Industries v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 345.

ईटों के भट्टे के कारोबार में किसी एक वर्ष की क्षमता का निर्धारण उसके बाद के वर्षों की क्षमता निर्धारण में बाध्य नहीं है। कर-निर्धारण अधिकारी प्रासंगिक वर्ष के तथ्यों को विचार करने के बाद क्षमता के निर्धारण का अधिकार रखता है। *Harbans Brick Field v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 412.

ईटों के भट्टे के कारोबार में 'टूट-फूट' की छूट देना आवश्यक तथ्य है। अतः इस मद में पाँच प्रतिशत की छूट देय है। ईटों के आवर्त (turnover) को निश्चित करने में टूट-फूट की छूट देने का प्रश्न विहित है। *Guru Nanak Brick Field v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 422.

सर्वेक्षण के समय भट्टे के कारोबार में कोयला कम पाया गया। बही-खाता अस्वीकार करने योग्य है। निष्कर्ष यह निकला कि मौके पर कोयला कम होने से उचित कल्पना होगी कि ईटों का अधिक उत्पादन हुआ और उन्हें पुस्तकों के बाहर बेचा गया। *Singhal Brick Works v. C.S.T.*, 1988 ATJ 479.

भट्टे के कारोबार में भट्टे की क्षमता पिछले वर्ष के आधार पर सात लाख निर्धारित की गई जो मामला अपील में विचाराधीन है। अतः क्षमता का निर्धारण बिना किसी आधार के तथा अंकित उपकरण के था। केस वापस भेजा गया। *Chetwani Brick Field v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 359.

अस्थायी कर-निर्धारण सिर्फ अन्तरिम व्यवस्था है। अन्तरिम कर-निर्धारण अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह बही-खातों की जाँच करके आवर्त (Turnover) निर्धारित करे तथा करदाता साक्ष्य

व त-1 को प्रदर्शित करने का अधिकारी है। अस्थायी कर-निर्धारण की निर्णय की पुष्टि यदि अपील में हुई है तो भी वह अन्तरिम कर-निर्धारण के अधीन है। *Das Industries, Deoband v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 405.

कोयले की खपत में बढ़ोत्तरी—भट्टे के कारोबार में कोयले की खपत में ईटों के उत्पादन के अनुपात में बढ़ोत्तरी होना उचित व कर देय है। अधिकरण का निर्णय 6 दिन में एक लाख ईटों का उत्पादन उचित व वैधानिक था। *National Bricks Co. v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 451.

करदाता ने फर्नीचर का काम केवल चार माह किया। मीके पर सर्वेक्षण दो बार हुआ, एक प्रारम्भ में तथा दूसरा अन्त में। प्रथम सर्वेक्षण के समय पचीस हजार रुपये का स्टॉक मिला तथा दूसरे सर्वेक्षण के समय केवल पाँच हजार रुपये का स्टॉक मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि बीस हजार रुपये का स्टॉक बिक्री हुआ। अतः बिक्री धन चालीस हजार रुपये निश्चित करना अनुचित था। उच्च न्यायालय द्वारा वाद पुनः विचार हेतु वापस किया गया। *Priti Traders v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 373.

**7-क. कर निर्धारण वर्ष के निर्धारित भाग के लिये विक्रय धन का विवरण-पत्र—(1)** राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये आदेश दे सकती है और यदि व्यापारी के विक्रय-धन का, जैसा कि वह कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण वर्ष के उस भाग के लिये अवधारित किया गया हो, धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि, यदि कोई हो, से अनुपात उससे कम न हो, जो कर-निर्धारण अवधि का 12 मास से हो, कर-निर्धारक अधिकारी, धारा 7 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर-निर्धारण वर्ष के उस भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहाँ तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर-निर्धारण (*Provisional assessment*) कर सकता है।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो तो इस प्रकार कर निर्धारण किये जाने के कारण उसे पूरे वर्ष का कर निर्धारित करने तथा विक्रय धन पुनः निश्चित करने में कोई रुकावट न होगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 41(5), 41(6), 41(8), एवं

वे नियम जो उपरोक्त धारा 7 के लिये हैं, देखें]

**7-ख. 1[कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित किये जाने पर कर निर्धारण]**—जहाँ किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्गों के विक्रय-धन (*turnover*) में कर की दर परिवर्तित की जाय अथवा उसके सम्बन्ध में छूट (*exemption*) स्वीकृत अथवा रद्द (*cancel*) की जाय तो, वहाँ कर-निर्धारण, जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध उक्त परिवर्तन, छूट या रद्द करने के दिनों के पश्चात की कालावधि के विक्रय-धन के भाग से हो इस प्रकार परिवर्तित कर अथवा इस प्रकार स्वीकृत या रद्द की गयी छूट के आधार पर किया जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 18 द्वारा शब्द "किसी वर्ष में सभी कर निर्धारकों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**7-ग. मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा—**(1) यदि किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाय तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यापारी समझा जायेगा और उक्त मृत व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि :—

- (1) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि केवल मृतक की प्राप्ति परिसम्पत्तियों तक देनदार होगा;
- (2) कोई भी कार्यवाही जिसके अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही भी है; उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस पर वह व्यापारी की मृत्यु के समय लम्बित थी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यापारी पर जो भागीदारी फर्म हो और जिसके किसी भागीदार को मृत्यु के फलस्वरूप वह विघटित हो जाये; आवश्यक परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 41, 43, 46-ख, 46-ग,

77, 77-क, 48, 49, 50, 51, 52 व 53, देखें]

**7-घ. कर दायित्व का समाधान—**इस ऐक्ट के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुये, कर निर्धारक अधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी व्यापारी द्वारा, ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो, या तो एकमुश्त या उसके विक्रय धन पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार के दिनोंक के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एकमुश्त धनराशि या करार हुई दर में अनुपातिक परिवर्तन हो जायगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए कर निर्धारक अधिकारी में जाँच चौकी पर तैनात ऐसा अधिकारी जो व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 से निम्न श्रेणी का न हो, भी सम्मिलित है।]

[प्रयोजनार्थ धारा 3 एवं नियम 44, 44-क, 46-ख, 46-ग, 77, 77-क, व 48 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कर दायित्व की समाधान योजना संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। योजना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

का लाभ अधिकार रूप में नहीं मांगा जा सकता है। *Lalooji and Sons v. State of U.P. and others*, [2004] 39 STR 67 : 2003 UPTC 700.

**धारा 7-डी—समाधान योजना**—समाधान योजना को अंगीकृत करने के बाद यदि व्यापारी ने कोई बिक्री नहीं की है तो उसपर करदायित्व नहीं बनता है। यह मत *जालान कास्टिंग* में दिये निर्णय के अनुकूल न होने के कारण मामला बड़ी पीठ द्वारा निर्णीत होने योग्य पाया गया। बड़ी पीठ के निर्णय होने तक कर की माँग स्थगित की गयी। *Bhadauria Gram Sewa Sansthan, Fatehpur v. Assistant Commissioner, Sales Tax*, [2003] 38 STR 792.

समाधान योजना को परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है किन्तु पूर्वगामी प्रभाव से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। *Cimmco Ltd. v. State of U.P.*, 1997 UPTC 611 (DB).

समाधान योजना के प्रस्तर 16 के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (कार्यो) व्यापार कर अपने पूर्व अदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकते। *Ram Prakash Vijaya Kumar Pvt. Ltd. v. Dy. Commissioner (E) Sales Tax*, 1996 UPTC 998 (DB).

समाधान योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अवसर प्रदान न करते हुए अस्वीकार किया जाना नैसर्गिक नियम के विरुद्ध है। *Union of India v. Jesus Sales Corporation, J.T.* 1996 (3) (SC) 597 के बाद में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया गया। *Rameshwar Chand Mittal v. Addl. Commissioner (Legal)*, 1996 UPTC 1306.

धारा 7-डी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर निर्धारण आदेश पारित होने के उपरान्त भी किया जा सकता है। *Dharam Vir Ghai v. Dy. Commissioner Sales Tax*, 1994 UPTC 732.

समाधान योजना का लाभ योजना के आने के पूर्व पारित कर-निर्धारण आदेश पारित होने के बावजूद भी दिया जा सकता है। *Jethanand Bhatia v. State of U.P.*, 1995 UPTC 186.

ऐच्छिक विकल्प चुनने के बाद समाधान योजना से किन्हीं भी कारणों से अलग नहीं हो जाया जा सकता। *Jai Sharma Int Udyog v. Deputy Collector (Collection) Sales Tax*, 1992 UPTC 116 (DB).

स्थानीय निरीक्षण पर यदि भट्टे के पाये में मतभेद पाया जाय तथा आपत्ति किये जाने पर डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर का यह दायित्व बनता है कि वह असिसटेंट कमिश्नर अथवा दो भिन्न व्यापार कर अधिकारी से जाँच करवा कर आपत्ति का निराकरण कराये। बिना जाँच के आदेश पारित किया जाना अनियमित है। *Bajrang Int Udyog v. Dy. Commissioner (E) Sales Tax*, 1993 UPTC 469 (DB).

**7-ड. विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांक करना**—(1) निर्धारित रीति से अवधारित विक्रय-धन की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रुपये के गुणांक में न हो, निकटतम दस रुपये के गुणांक में पूर्णांक किया जायेगा, अर्थात् दस रुपये के ऐसे भाग जो पांच रुपये से कम हो छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को दस रुपया गिना जायेगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का विक्रय-धन समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को अगर ऐसी



धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये के पूर्णांक किया जायेगा, अर्थात् एक रुपये के ऐसे भाग को जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जायेगा।

**7-ब. अन्य धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये अन्तर्ग्रस्त धनराशि पांच रुपये से कम हो तो इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा कर, शुल्क, ब्याज या अर्थदण्ड न तो वसूल किया जायेगा और न ऐसी वापसी की अनुज्ञा दी जायेगी।

**8. कर का भुगतान तथा उसकी प्रगति**—(1) स्वीकृत रूप में देय कर निर्धारित समय के भीतर या इकत्तीस अगस्त, 1975 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, जमा किया जायेगा, ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर, निर्धारित अन्तिम दिनोंक के ठीक अगले दिनोंक से <sup>1</sup>[ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनोंक तक,] <sup>2</sup>[प्रतिमास] दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और दिया जायेगा और धारा 7 की कोई बात ऐसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से न तो रोकेंगी और न उसका प्रभाव उसे आस्थगित करने का होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ स्वीकृत रूप में देय कर का तात्पर्य उस कर से है जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय-धन या, यथास्थिति, क्रय धन या दोनों पर, जैसा कि व्यापारी द्वारा रखे गये लेखों में दिखाया गया हो या जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विवरण-पत्र या कार्यवाही में स्वीकृत किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो या, यदि कोई लेखा न रखा गया हो, जो व्यापारी के अनुमान के अनुसार, देय हो और इसके अन्तर्गत <sup>3</sup>[धारा 3-ख या धारा 4-ख की उपधारा (6) के अधीन] देय धनराशि भी है।

(1-क) इस धारा के अधीन निर्धारित कर, कर-निर्धारण और मांग की नोटिस में निर्दिष्ट रीति से तथा उसे तामील किये जाने के तीन दिन के भीतर जमा किया जायेगा।

### [प्रयोजनार्थ नियम 45 देखें]

<sup>4</sup>[(1-ख) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर से भिन्न कोई कर जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, का भुगतान उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 2001 द्वारा उपधारा (1-ख) के स्थान पर उपधारा (1-ख) एवं (1-खख) प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनोंक 5-3-2001)

<sup>5</sup>(1-ख) यदि स्वीकृत रूप से देय कर जिस पर उपधारा (1) लागू होती है, से भिन्न कोई कर जो किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुनः निर्धारित या बढ़ाया गया हो, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद तीन मास तक अदत्त रह जाय, तो ऐसी समाप्ति के दिनोंक से संगणित अदत्त धनराशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज देय हो जायेगा जिसकी अदायगी करनी होगी।

निर्धारण तथा माँग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, तो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से संगणित अदत्त धनराशि पर डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय हो जायेगा।

(1-खख) यदि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर किसी अधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा किये गये पुनः निर्धारण में या अन्यथा बढ़ाया जाय, तो व्यापारी, उपधारा (1-क) के अधीन व्यापारी पर पहले से तामील की गयी निर्धारण तथा माँग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से, बढ़ाये गये कर की अदत्त धनराशि पर, उपधारा (1-ख) में विनिर्दिष्ट दर से, साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा और बढ़ाये गये कर के सम्बन्ध में निर्धारण तथा माँग की नई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा और यह समझा जायेगा कि इस प्रकार बढ़ाये गये कर का निर्धारण प्रथम बार किये गये कर निर्धारण आदेश में किया गया था।]

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर की धनराशि अपील या पुनरीक्षण पर या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा परिवर्तित कर दी जाय तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः संगणना की जायेगी।

(1-ग) <sup>1</sup>[उपधारा (1), (1-ख), (1-खख) और (2)] के अधीन देय ब्याज की धनराशि, किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो व्यापारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायेगा।

(2) यदि किसी कर की वसूली न्यायालय या अधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखण्डित कर दिया गया हो, तो उपधारा (1) या (1-ख) में अभिदिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिए भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।

<sup>2</sup>[(2-क) <sup>3</sup>[उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-खख), (1-ग) या (2)] में किसी बात के होते हुये भी, कमिश्नर ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निर्माता के प्रार्थना-पत्र पर, धारा 4-क के अधीन छूट के बदले में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकृत कर सकता है। <sup>4</sup>[कमिश्नर] ऐसी परिस्थितियों में जिसमें वह

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-ख) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-ख), (1-खख) और (2)" प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-खख), (1-ग) या (2)" प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द 'राज्य सरकार' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

धारा 4-क के अधीन छूट वापस ले सकती है, कोई ऐसा अधिस्थगन वापस ले सकती है किन्तु ऐसा वापस लिया जाना भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा:

<sup>1</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से कमिश्नर ऐसे निर्माता को जिसकी किसी लघु इकाई के उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् पड़ता हो, प्रार्थना-पत्र पर धारा 4-क के अधीन छूट के बदले में स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकार कर सकता है और ऐसा अधिस्थगन स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 43 के उपबन्ध लागू होंगे]।

### [प्रयोजनार्थ नियम 43 देखें]

(3) किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बाह्य के होते हुये भी, कर-निर्धारक अधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यापारी के पास उसके अन्तिम पते पर जो कर निर्धारक अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायेगी, किसी व्यक्ति से—

- (क) जिसके द्वारा व्यापारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाये, या
- (ख) जिसके पास व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाय, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को—

(एक) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या;

(दो) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो धन देय होने या उसके पास होने के पहले न होगा,

उस धनराशि में से ऐसी धनराशि अदा करे जो व्यापारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या, जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करे।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के निमित्त व्यापारी को देय धनराशि या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि के हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् लगाया जायेगा, जिनके भुगतान उक्त व्यापारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों, और जो उस समय विधिवत अवस्थित हों।

(4) कर-निर्धारक अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।

(5) उपधारा (3) के अधीन नोटिस के पालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसने व्यापारी के प्राधिकार से भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी को रसीद, उस व्यक्ति को व्यापारी के प्रति दायित्व से, रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधिसंगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(6) जो व्यक्ति उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् व्यापारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है, वह कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (3) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, कर-निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि माँगी गई नोटिस या उसका कोई भाग उसके द्वारा व्यापारी को देय नहीं है, या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है तो इस धारा में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह माँगी गई धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो; कर-निर्धारक अधिकारी को भुगतान करे।

(8) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियों या कोई धनराशि जिसे कर-निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित हो या जिससे कि वह उपधारा (6) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के किसी विशेष या समान्य आदेश के अधीन रहते हुए मालगुजारी के बकाया के रूप में या कर निर्धारक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से वसूल की जा सकेंगी और वसूली के प्रयोजनों के लिये ऐसे कर निर्धारक अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को—

- (1) ऐसे सभी अधिकार होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी बिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिये हैं;
- (2) किसी अन्य क्षेत्र में अधिकारितायुक्त कर निर्धारक अधिकारी ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने का अधिकारी होगा यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य कर निर्धारक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के क्षेत्र में है और तदुपरान्त ऐसा अन्य कर-निर्धारक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी वसूली की कार्यवाही निर्धारित रीति से करेगा।

(9) उपधारा (1) और (1-क) में दी गयी किसी बात के होते हुए और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या

आज्ञा के होते हुये भी, यदि कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी पर इस ऐक्ट के अधीन किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण और मांग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो—

- (क) यदि कोई अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो कर निर्धारक अधिकारी व्यापारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसे कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाय, एक नयी नोटिस तामील करेगा, और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो;
- (ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो—
- (एक) व्यापारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गयी धनराशि वसूल की जायेगी;
- (दो) यदि वसूली की कोई कार्यवाही कर निर्धारण करने वाले अधिकारी से भिन्न किसी कर निर्धारण अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो कर निर्धारण करने वाला अधिकारी ऐसी कमी किये जाने की सूचना ऐसे कर-निर्धारक अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को देगा;
- (तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की, जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यापारी पर तामील की गई नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गई धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो;
- (ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि (कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के अभिदेश में) न हो, नयी नोटिस की आवश्यकता न होगी।

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यापारी द्वारा भुगतान की गई या जमा की गयी, या उससे वसूल की गई या उसे वापस की जाने योग्य किसी धनराशि को सर्वप्रथम उस पर बकाया कर की मूल धनराशि, शुल्क, अर्थदण्ड या अन्य देयों के प्रति समायोजित किया जायगा और तत्पश्चात् शेष

धनराशि को, यदि कोई हो, व्यापारी द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

किसी समिति के विरुद्ध पड़े व्यापार कर बकाये की वसूली उसके सचिव से की जा सकती है। जहाँ याचिका में समिति का पूंजी विनिवेश घोषित न हो तो यह अवधारणा की जा सकती है कि समिति की निधियों को स्वार्थ हेतु उसके पदाधिकारियों द्वारा हटाया गया है। *Naresh Chandra Gupta, Kasganj, Etah v. D.M., Etah*, [2004] 39 STR 37.

किसी कम्पनी के विरुद्ध पड़ी बकाये की धनराशि की वसूली उसके संचालक से की जा सकती है। *Sri Ram Gupta, Kanpur v. Assistant Collector (Collection), Trade Tax*, [2004] 39 STR 64.

यद्यपि कम्पनी, डायरेक्टर व शेयर होल्डर्स से प्रथक विधिक अस्तित्व रखते हैं किन्तु जहाँ कोई अवैधानिक एवं जालसाजी का कृत्य किया गया हो तब 'कारपोरेट' के आवरण को उठा कर डायरेक्टरों से वसूली की जा सकती है। *Sarjay Kumar Gupta, Kanpur Nagar v. D.M., Fatehpur*, [2004] 39 STR 31.

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि यदि व्यापारी विवरणी प्रस्तुत करें तो पुनः कर निर्धारण किया जाय। विवरणी प्रस्तुत की गई किन्तु कर निर्धारण नहीं किया गया। इसके अभाव में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। *General Manager, BSNL, Agra v. Assistant Commissioner Trade Tax, Agra*, [2003] 38 STR 673 : 2003 UPTC 1201.

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 10 के प्रविधान उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही में बाधक नहीं है। *Naresh Chandra Gupta v. The District Magistrate*, [2003] 38 STR 623.

ब्याज जमा करने का आदेश अपील योग्य है। *Hari Ram Seth Khandsari v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 906 : 2004 UPTC 106.

व्यापारी द्वारा भूल से जमा किया गया कर गलती मालूम होते ही वापसी योग्य हो जाता है। धारा 29 के प्राविधान कर निर्धारण, अपीलीय अथवा पुनरीक्षण आदेशों के परिणाम स्वरूप लागू होते हैं। *Hari Ram Seth Khandsari v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 906 : 2004 UPTC 106.

भूल से जमा किया गया कर व्यापारी द्वारा समायोजन किया गया। विभाग इस राशि पर ब्याज नहीं माँग सकता है। *Hari Ram Seth Khandsari v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 906 : 2004 UPTC 106.

व्यापार कर बकाया के क्रम में व्यापारी का प्लॉट विभाग द्वारा कब्जे में लिया गया तथा बकाया अदा करने पर भी कब्जा वापस नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा ऐसा पुनः न होने की अपेक्षा की। *Pinsel Computer Products v. State of U.P. and others*, [2003] 37 STR 416 : 2004 UPTC 157.

ब्याज की देयता—व्यापारी द्वारा फ्यूज्ड कालर तथा शोल्डर स्ट्रैप को सद्भावनापूर्वक करमुक्त मानते हुये कोई कर नहीं जमा किया—ग्राहकों से कर भी नहीं वसूल किया—उसपर ब्याज का दायित्व नहीं निर्धारित किया जा सकता है। *C.T.T. v. Omvik Electronic (P) Ltd. Kanpur*, [2003] 37 STR 293 : 2003 UPTC 805.

धारा 8—रुग्ण औद्योगिक इकाई को व्यापार कर अधिकारी द्वारा जारी कर जमा करने की नोटिस का स्थगन स्वतः नहीं हो सकता। कम्पनी में विघटन की कार्यवाही कर रहा उच्च न्यायालय इस मामले

पर विचार कर सकता है। *Classic Rugs Private Ltd., New Delhi v. Assistant Commissioner (Assessment) Trade Tax*, [2002] 35 STR 300 : 2002 UPTC 659.

**ब्याज की देयता**—उच्च न्यायालय द्वारा दामी को विक्रयधन का भाग होना दिनांक 18.12.1978 को सुनिश्चित किया। व्यापारी पर ऐसे विक्रयधन के भाग पर स्वीकृत कर पर देय ब्याज का दायित्व 1-1-1979 से होगा। *C.S.T. v. Satya Narain Suresh Chand*, [2003] 37 STR 348 : 2004 UPTC 140.

**वस्तु का वर्गीकरण**—मेटैलिक यार्न पर यार्न की भाँति कर देयता नहीं है अतः व्यापारी पर बकाया कर पर ब्याज का आरोपण उचित। *Deena Art Silk Store, Pili Kothi, Varanasi v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 291.

धारा 8—विभाग प्रार्थी को बकायेदार फर्म का साझीदार सिद्ध करने में विफल हो, तो फर्म के बकाये की वसूली उससे नहीं की जा सकती है। *Englishia Wine Country Sprit Shop, Varanasi v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 695 : 2002 UPTC 1094.

धारा 8 एवं 8-बीबी—फर्म के पुनर्गठन अथवा विघटन के कारण कोई भी साझीदार बकाया कर हेतु साझीदारी फर्म के दायित्व से मुक्त नहीं होता है। *Israr Ahmad v. Tahsildar Sadar, Muzaffar Nagar and others*, [2002] 35 STR 293 : 2002 UPTC 612.

धारा 8—बकायेदार को तभी बन्द करना चाहिए जब यह आभासित हो कि इससे बकाया धनराशि या उसका कोई भाग वसूल हो जायेगा। *N.C. Jain, Meerut v. Chief Secretary, Government of U.P. and others*, [2001] 34 STR 591.

धारा 8—कम्पनी के विरुद्ध बकाया कर की वसूली डाइरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति से नहीं की जा सकती है। *Chedi Lal Gupta v. Addl. Comm. of Trade Tax, Varanasi & Others*, [2001] 34 STR 650.

धारा 8(1)—व्यापारी ने विक्रय धन की विवरणी में न तो प्रश्नगत विक्रयधन को दर्शाया न ही करदेयता स्वीकार की—कर सम्बन्धी विवाद सदाशयतापूर्ण था—अतः ब्याज की देनदारी नहीं बनती है। *M/s Vijay Dal Mills v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 449.

धारा 8(1)—व्यापारी ने कार्यसंविदा के निष्पादन में प्लाण्ट तथा मशीनरी स्थापित किया तथा सदैव ही कार्यसंविदा का दावा किया। दावा अस्वीकार होने पर वह धारा 8(1) के अन्तर्गत ब्याज का देनदार नहीं है। *C.S.T. v. Heera Electrodes, Kosipur*, [2001] 34 STR 468.

धारा 8(1)—निर्धारित कर समाप्त कर दिये जाने की दशा में उस पर ब्याज लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। *C.S.T. v. L.H. Sugar Factory Ltd., Kashipur*, [2001] 34 STR 609.

बिक्री कर बकाया को वसूल करने हेतु अधिकारियों को चल सम्पत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं है। *Manoj Kumar Mishra v. State of U.P.*, [2001] 33 STR 127.

यदि रूप-पत्र 4 में घोषित विक्रय-धन एवं स्वीकृत कर से अधिक विक्रय-धन अपील के मेमोरेन्डम में घोषित किया गया हो, ऐसी स्थिति में ब्याज की देनदारी उस तिथि से होगी जब कि अधिक विक्रय-धन पर कर स्वीकार किया गया हो। *Commissioner of Sales Tax v. Public Int Company, Dhampur*, 2000 UPTC 739.

कम्पनी के विरुद्ध बकाया कर, उनके निदेशकों (Directors) से व्यक्तिगत रूप से वसूला नहीं जा सकता। *Rakesh Kumar Mittal v. Deputy Collector (Collection) Trade Tax, Dehradun*, 2000 UPTC 775.

यदि विवादित कर बोनाफाईड है, तो उसे स्वीकृत कर नहीं समझा जा सकता। अतः ब्याज देय

नहीं है। *Commissioner Sales Tax v. Refreshment Centre, Meerut*, 2000 UPTC 889 also see *Vijaya Dal Mills, Kanpur v. Commissioner Sales Tax*, 2000 UPTC 983 and *Commissioner of Trade Tax v. Heera Electrodes*, 2000 UPTC 1026.

यदि व्यापारी द्वारा करयोग्य टर्नओवर स्वीकार नहीं किया गया है, तब ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता। *Commissioner of Sales Tax v. Hindustan Aluminium Corporation*, 1999 UPTC 1 (SC).

ब्याज की देनदारी है यदि करमुक्ति का दावा सत्य नहीं पाया गया। *C.S.T. v. Baba Rice & Dal Mills*, (1999) 29 STR 53.

ब्याज देय होगा यदि करदाता द्वारा दाखिल रूपपत्र के साथ कर सही जमा नहीं किया गया है। *Ram Swaroop Agarwal v. C.S.T.*, 1999 UPTC 272.

व्यापारी की बैलेंसशीट से बिक्री किया जाना पाया गया अतः वह स्वीकृत बिक्री होने के फलस्वरूप देय कर पर ब्याज की देनदारी होगी। *Simbholi Sugar Mills Ltd. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 336.

ब्याज देय नहीं होगा यदि कर देयता औचित्य पूर्ण ढंग से विवादित है। *Commissioner of Trade Tax v. Rampur Distillery & Chemicals Co. Ltd.*, 1998 STD (HC) 10.

धारा 22 के अन्तर्गत आरोपित कर स्वीकृत कर नहीं है अतः ब्याज आरोपित किये जाने योग्य नहीं है। *C.T.T. v. Indian Communication Network Ltd.*, 1998 STD (HC) 11.

दिवादित करयोग्य विक्रय धन पर ब्याज देय नहीं है। *Commissioner of Sales Tax v. Actuas Victuous Pvt. Ltd.*, 1999 UPTC 966.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किये जाने का प्राविधान न होने के कारण ब्याज देय नहीं है। *C.T.T. v. Saru Copper Alloy Semis P. Ltd.* STI 2000 Alld. Also see *U.P. State Cement Corporation v. C.S.T.*, 2000 UPTC 284.

सोसाईटी के विरुद्ध बकाया की वसूली उसके सदस्यों से नहीं की जा सकती। *Shailesh Kumar v. Dy. Collector (Collection)*, [1999] 29 STR 195.

कम्पनी के विरुद्ध बकाया की वसूली डाईरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति से नहीं की जा सकती है। *Rakesh Kumar Mittal v. Dy. Collector (Collection)*, 2000 NTN 150.

बकाया कर पर ब्याज की देयता होगी यदि इक्साइज़ ड्यूटी जो क्रेताओं से वसूल की गई है, को विक्री धन का भाग माना गया है। *Gupta Glass Industries v. C.S.T.*, 2000 UPTC 40.

उत्पाद शुल्क घटा कर विक्रयधन पर कर दिया गया जो विधिसंगत नहीं था अतः ब्याज देय होता है। *M/s Gupta Glass Industries v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 58.

अधिकरण के आदेश में केन्द्रीय बिक्री से संबंधित देय ब्याज का उल्लेख नहीं होने के कारण उसे पुनरीक्षण में नहीं उठाया जा सकता। *M/s Gupta Glass Industries, Hathras v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 58.

धारा 8(2-A) के अन्तर्गत देयकर के स्थगन की अवधि वही रहेगी जो धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में स्वीकृत की गई है। *Ferrolite Jointings Private Ltd. v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 359.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के व्यापार कर अधिनियम की धारा 8(1) के आधार पर ब्याज नहीं वसूल किया जा सकता। *C.T.T. v. Sar Copper Alloy Semis Pvt. Ltd.*, [2000] 31 STR 42.



कम्पनी के संचालक को कम्पनी तथा इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में बिक्री कर बकाया अदा करने का निर्देश दिया गया। भुगतान न किये जाने पर पब्लिक डेब्ट (public debt) के रूप में वसूली की जा सकती है। *Raghunath Rai Talwar, Kanpur v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 562.

परिपत्र संख्या-वि०ब० बकाया-वसूली-91-92-482/ बि०क० दिनांक 2-7-91 के बिन्दु-5 के अनुसार, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी के विरुद्ध निर्गत बकाया वसूली कम्पनी के सदस्यों तथा प्रबन्धकों से व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकती, वसूली केवल कम्पनी से ही की जा सकती है। तथा उक्त परिपत्र के पैरा-3 व 4 से स्पष्ट है कि बकाया वसूली कम्पनी के सदस्यों तथा प्रबन्धकों से व्यक्तिगत रूप में नहीं की जा सकती है। वसूली केवल कम्पनी से ही की जा सकती है। अर्थात् कम्पनी की जो सम्पत्तियाँ हैं उन्हीं से वसूली का अधिकार उपलब्ध है। वसूली प्रमाण-पत्र केवल कम्पनी के नाम से ही जारी हो सकता है। यह प्रबन्धक, संचालक, मैनेजर या किसी अन्य प्रबन्धक के व्यक्तिगत नाम से जारी नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि वसूली प्रबन्धक संचालक, मैनेजर या कम्पनी के किसी सदस्य या व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति से नहीं की जा सकती है। चूँकि वसूली कम्पनी व उसकी सम्पत्ति से ही की जा सकती है तथा कम्पनी कृत्रिम व्यक्ति के रूप में एक संस्था है अतः कम्पनी से वसूली करते समय उत्पीड़क कार्यवाही के अन्तर्गत गिरफ्तारी के प्राविधान का उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिये की कम्पनी के विरुद्ध वसूली से सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्धक, संचालक, मैनेजर या अन्य किसी व्यक्ति को उत्पीड़क कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

सर्वश्री रघुनाथ तलवार बनाम स्टेट आफ यू० पी० एण्ड अदर्स द्वारा दायर रिट संख्या-138/94 (Since reported in [1999] 30 STR 562) में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 4-3-98 में, यह निर्णय दिया गया है, कि बकाया वसूली कम्पनी के डायरेक्टरों से भी की जा सकती है। पत्र सं०-वि०ब० बकाया वसूली-(98-99)-1011/व्यापार कर, दि० 29.9.1999, [1999] 30 STR (Statutes) 169.

कम्पनी के विरुद्ध बकाया धनराशि संचालक से वसूल नहीं की जा सकती। *Sri Raj Nath Gupta v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 569.

अतिरिक्त जमानत की मांग 20 लाख के बैंक गारण्टी के रूप में इसलिए की गई कि व्यापारी का कर प्रदत्त खरीद का दावा सही नहीं पाया गया था तथा विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा करापवंचन का मामला बनाया गया था। मांग का आधार भी नहीं प्रकट किया गया—नोटिस एवं आदेश को अवैधानिक पाया गया। *Aditya Trading Company, Ghazalabad v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 570.

विवादित कर पर ब्याज देय नहीं। *C.S.T. v. Actuas Victuous Pvt. Ltd.*, [1999] 30 STR 630.

पंजीकृत सहकारी समिति के विरुद्ध व्यापार कर बकाये की वसूली, समिति के पदाधिकारी से नहीं की जा सकती है। *Shallesh Kumar v. Dy. Collector (Collection) Sales Tax*, [1999] 29 STR 195.

स्वीकृत रूप से देय कर का तात्पर्य व्यापारी के द्वारा स्वीकृत कर की दर से तथा अधिनियम के अनुसार केवल उसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किये जाने का प्राविधान है। उसके जमा न होने पर 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होता है। धारा में, विवाद की सदाशयता व कदाशयता का उल्लेख न होने की स्थिति में, उक्त बिन्दु विचार किये जाने योग्य नहीं है। विवादित कर की देयता के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा यदि प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुये निर्णय दिया गया तब इस का तात्पर्य यह नहीं है कि कर देयता का बिन्दु विवादित नहीं था।

यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज के भुगतान करने का आदेश किया है तब उक्त आदेश की अपील धारा 9 में ग्राह्य है क्योंकि केवल धारा 10-क के अन्तर्गत वर्णित आदेशों की अपील वर्जित है। ब्याज के सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध अपील ग्राह्य होने का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा *Hind Lamp Ltd. v. State of U.P.*, 1986 UPTC 54 तथा अन्य निर्णय *C.S.T. v. Marble Emporium*, 1989 UPTC 880 में निश्चित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में *Banwari Lal Buddha v. C.S.T.*, 1987 UPTC 880 एवं *C.K. Chemicals v. C.S.T.*, 1989 UPTC 999 में लिया गया निर्णय खण्डपीठ द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार न करते हुये पारित किया गया है। अतः *Hind Lamp v. State of U.P.*, 1986 UPTC 54 में लिये गये निर्णय के अनुसार जो बाध्य है, यह निर्णय दिया गया कि वर्णित परिस्थिति में ब्याज देय नहीं होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय अपील ब्याज के आदेश के विरुद्ध ग्राह्य थी। *Hindustan Aluminium Corporation v. C.S.T.*, 1996 UPTC 795.

यदि विवरण पत्र के अनुसार देय कर जमा किया जा चुका है तब ब्याज का देनदार व्यापारी नहीं होगा क्योंकि वह इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि अन्तिम कर निर्धारण में कर की देनदारी क्या होगी। अतः ब्याज व्यापारी से वसूल नहीं किया जा सकता। *Associated Cement Company v. C.T.O.*, 1981 UPTC 1329 (SC) में माइनारिटी निर्णय पदस्थापित। *J.K. Synthetics Ltd. v. C.T.O.* 1994 UPTC 893 (SC).

कम्पनी के संचालक के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाणपत्र संशोधित होने तथा उसका नाम प्रमाण पत्र से निकाले जाने के पश्चात कम्पनी के विरुद्ध वसूली कार्यवाही की जा सकती है। *Rajendra Kumar Jaipuria v. Dy. Collector (Collection) Sales Tax*, [1999] 29 STR 206.

यू०पी० जमीनदारी एबोलीशन ऐंड लैंड रिफार्मस ऐक्ट, 1950 की धारा 341 के अनुसार सिविल प्रोसीजर कोड के नियम 58 आर्डर 21 के अन्तर्गत कर की वसूली माल गुजारी के रूप में किये जाने पर आपत्ति की जा सकती है। दाखिल आपत्ति प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र निस्तारित किये जाने योग्य है। *Jag Bhushan Kumar Jain and other v. State of U.P.*, [1999] 29 STR 330.

व्यापारी ने करदेयता न मानने हेतु सदभावनापूर्ण दावा नहीं प्रस्तुत किया अतः धारा 8 (1) के अन्तर्गत ब्याज देने के लिये उत्तरदायी है। *C.S.T. v. Baba Rice and Dal Mill, Khurja*, [1999] 29 STR 53.

किसी वस्तु पर कर की दर देय होने का विवाद कर निर्धारण कार्यवाही में ही सुनिश्चित किया जा सकता है तथा करदाता द्वारा अवशेष घनराशि धारा 8 (1-ए) के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है। यदि उसके अनुसार अपेक्षित घनराशि जमा नहीं की गयी तब उपधारा (1-बी) के प्राविधान लागू होंगे। धारा 8 (1) के अंतर्गत ब्याज विवादित वर्गीकरण पर देय नहीं है। *C.S.T. v. Hindustan Aluminium Corporation*, [1999] 29 STR 120 (SC).

कर भुगतान का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने के फलस्वरूप कर वसूल कर जमा न किया जाना प्रार्थी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। अंतरिम स्थगन आदेशों को निरस्त करते हुये कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह करनिर्धारण आदेश नियमानुसार पारित करें। *Mahabir Metal Company and others v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 361.

धारा 8 (1) के अंतर्गत कर, करदाता के लेखा पुस्तकों में घोषित विक्रय घन या कर विवरण पत्र में स्वीकृत विक्रय घन या अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकृत विक्रय घन पर देय होता है। यदि करदाता द्वारा लेखा पुस्तकें नहीं रखी गयी हैं तो उसके द्वारा अनुमानित बिक्री पर गणना की जाती है ऐसे स्वीकृत कर को यदि निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो धारा 8 (1) के अंतर्गत ब्याज देय होगा। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज की देयता नहीं है। *C.S.T. v. Hindustan Aluminium Corporation*, [1999] 29 STR 120 (SC).

व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत देय कर की धनराशि न जमा करने पर ब्याज का उत्तरदायित्व व्यापारी पर है। *M/s. Ram Swarup Agarwal v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 164.

विवरणी के साथ देय कर न जमा करने पर यदि अस्थायी कर निर्धारण नहीं किया गया तो व्यापारी इस आधार पर ब्याज के उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता है। *M/s. Ram Swarup Agarwal v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 164.

कम्पनी के विरुद्ध निकाली गई माँग उसके डायरेक्टर से वसूल नहीं की जा सकती। *G.C. Mehrotra v. Dy. Collector, Sales Tax (Collection) Alld.*, [1997] 26 STR 668.

यदि करदेयता संदिग्ध नहीं है तो ब्याज देय है। *Shree Bhagwati Flour Mills v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 453.

ब्याज देय नहीं होगा यदि व्यापारी द्वारा गल्ला की खरीद पंजीकृत व्यापारी से की हो। 3-ग प्रस्तुत न कर सकने की स्थिति में क्रयधन स्वीकृत रूप से करयोग्य नहीं मानी जा सकती। 1984 UPTC 358 में दिया गया निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित है। *C.S.T. v. Annapurna Mills*, 1994 UPTC 182.

अतिरिक्त कर पर ब्याज उस तिथि से देय है जब से कर देय है न कि कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की तिथि से। *Ram Kumar Gupta v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 70: 1994 UPTC 174.

लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध कर का बकाया, डायरेक्टर से नहीं वसूल किया जा सकता क्योंकि ऐसा, कोई प्राविधान अधिनियम में नहीं है। *Sudarshan Kumar Gulati v. Dy. Collector*, 1994 UPTC 717.

बकाये दार को तभी हिरासत में लिया जा सकता है जब कि यह जाँच कर ली जाय कि वह बकाया देने की क्षमता रखता है तथा भुगतान किये जाने से अपने को बचा रहा है। *Praveen Agarwal v. Dy. Collector*, 1994 UPTC 920.

ब्याज उस स्थिति में देय नहीं जबकि कर की देयता सही तौर से विवादित हो। *United Complex India Ltd. v. C.T.T.*, [1995] 21 STR 137: 1995 UPTC 168.

फार्म-सी न दाखिल कर सकने की स्थिति में कम जमा धनराशि पर ब्याज देय होगा। *Deewan Rubber Industries v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 342: 1996 UPTC 646.

3 ग(1) फार्म के दाखिल न हो सकने की स्थिति में ब्याज देय नहीं है क्योंकि वह स्वीकृत कर नहीं समझा जा सकता। *C.S.T. v. Damodar Das Kalyan Das*, 1996 UPTC 589.

ब्याज की देनदारी नहीं होगी, यदि कर देयता का विवाद मिथ्यात्मक नहीं है। *C.S.T. v. S.P. Singh, Contractor*, [1996] 23 STR 205 & 207 : 1996 UPTC 1040.

बकाया कर की माँग-बिक्री-कर नियमावली की धारा 92 के अन्तर्गत बकाया कर की माँग की नोटिस की तामीली कराई जाती है। जब तक नोटिस की तामीली पूरी नहीं हो जाती तब तक बकाया कर की माँग पूरी नहीं मानी जा सकती। *Prahlad Roy v. Sales Tax Officer*, 1976 UPTC 129.

ब्याज के सम्बन्ध में अपील या निगरानी का दाखिल करना-ब्याज के भुगतान की देयता स्वतः है। इसके लिये कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा माँग-पत्र भेजना व कर-निर्धारण करना आवश्यक नहीं है। अतः ब्याज के सम्बन्ध में अपील या निगरानी नहीं की जा सकती। *Banwar Lal Budhsen v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 169.

बिक्री-कर की वसूली-केवल एक हजार रुपया कर की वसूली के लिये अस्सी हजार रुपये की

मूल्य की जायदाद को करीब आधे मूल्य में बेचना अन्यायपूर्ण, गैर-कानूनी, तथा चूककर्ता के स्वार्थ के लिये हानिकर है। *Sardar Gurdeep Singh, Bareilly v. C.S.T.*, 1988 TLD 16.

स्थगन आदेश के समय में भी ब्याज की संगणना-बिक्री-कर के बकाये पर ब्याज की संगणना स्थगन आदेश के समय में प्रभावी रहती है। *Har Lal Shah v. A.S.T.O.*, 1983 UPTC 525.

बकाया कर की वसूली-बकाया बिक्री-कर साझीदारी फर्म में किसी साझीदार से वसूल किया जा सकता है। *Lee. S. Bedi v. Sales Tax Officer*, 1975 UPTC 311.

बिक्री-कर अधिकारी द्वारा ब्याज की माँग के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील स्थित रखने योग्य नहीं। तथापि अधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं प्रस्तुत की जा सकती। उच्च न्यायालय के समक्ष निगरानी भी अक्षम थी। *Pal and Company, Najibabad, Bijnore v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 80.

कर की वसूली डायरेक्टर के विरुद्ध होनी चाहिये यदि पंजीकृत फर्म जाली है। यदि प्रार्थी स्वयं कम्पनी थी तो कर की वसूली कम्पनी तथा उसकी सम्पत्ति से की जा सकती है। *Kamal Ktshore Khandelwal v. Sales Tax Officer*, [1987] 6 STR 82.

**8-क. व्यापारियों की रजिस्ट्री और उनके द्वारा कर की वसूली-<sup>1</sup>[(1) प्रत्येक व्यापारी-**

- (क) जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय धन पर धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन कर देय है, या
- (ख) जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है, या
- (ग) जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी या स्वीकृत छूट के अभाव में तदधीन कर का देनदार होता है, यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय धन धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि से कम न हो, या
- (घ) जो कर निर्धारण वर्ष के दौरान व्यापार प्रारम्भ करता है और जिसका ऐसे वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय धन, या जिसका उपर्युक्त अवधि किसी मास का वास्तविक विक्रय धन, धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि के बारहवें भाग से कम न हो,

कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप में ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायें, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और प्रार्थना पत्र के साथ [दो सौ रुपये] का शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करेगा :

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 27.4.1987)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यापारी के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना आवश्यक न होगा जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जो धारा 4 के अधीन, किन्तु उनके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आरोपित किसी शर्त के अधीन नहीं, कर मुक्त हो।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का योग विक्रय-धन होगा—

- (1) धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय का क्रय-धन या विक्रय का विक्रय-धन, जो भी अधिक हो;
- (2) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर योग्य क्रय का क्रय-धन; और
- (3) सभी अन्य माल के विक्रय का विक्रय-धन।

[प्रयोजना<sup>1</sup> नियम 54 देखें]

(1-क) (क) (एक) कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और धारा 8-ग के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त निर्धारित की जायें; प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर्ड करा सकता है।

<sup>1</sup>[(दो) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा जब व्यापारी रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है यदि वह उपधारा (1) के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है और किसी अन्य स्थिति में, उस दिनांक से जब वह रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देता है और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये <sup>2</sup>[पचास रुपये] का विलम्ब शुल्क जमा करता है, तो कर-निर्धारक अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने में विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण थे, और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश दे सकता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र यदि जारी किया जाये, उस दिनांक से प्रभावी होगा जब व्यापारी उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया।]

<sup>1</sup>[(ख) किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायित्व

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा रखा गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा उपधारा (1-क) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)।

बना रहे और ऐसे कर निर्धारण वर्ष के जिसके सम्बन्ध में शुल्क देय हो; प्रारम्भ के पूर्व निर्धारित रीति से <sup>1</sup>[एक सौ रुपये] का शुल्क जमा करता रहे, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रह जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के जिसके सम्बन्ध में शुल्क देय हो, पश्चात् ऐसा शुल्क और विलम्ब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये <sup>1</sup>[पचास रुपये] का विलम्ब शुल्क जमा करता है, तो कर-निर्धारक अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि समय से शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण थे, और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश दे सकता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त बना रहा समझा जाएगा मानो शुल्क जमा करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था] :

<sup>2</sup>[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण तब तक, प्रवृत्त रहेगा जब तक व्यापारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बना रहे, यदि व्यापारी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के नियत दिनों के पूर्व विहित रीति से नवीकरण फीस के रूप में <sup>1</sup>[एक हजार रुपये] की एकमुश्त धनराशि जमा करता है और पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे एकमुश्त जमा पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे वार्षिक नवीकरण के लिये जमा पर लागू होते हैं ]]

[प्रयोजनार्थ नियम 55, 56, 57, 60 व 61 देखें]

(1-ख) इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र इसे स्वीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा, या तो व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर या स्वप्रेरणा से, रद्द किया जा सकता है यदि ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उस व्यापारी ने, जिसे यह स्वीकृत किया गया था, व्यापार करना बन्द कर दिया है या वह रजिस्ट्रीकरण के दायित्वाधीन नहीं रह गया है या उसने कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों के देय होने के दिनों के से तीन मास के भीतर नहीं किया है या यदि किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा अधिकारी ऐसा करना उचित समझे ।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का विघटन <sup>3</sup>[\*\*\*] या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन या किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थान्तर्गत व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायेगा ।]

[प्रयोजनार्थ नियम 62 देखें]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा खण्ड (ख) में क्रमशः शब्द "पचास रुपये" "पच्चीस रुपये" और "पंच सौ रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा शब्द "या पुनः संगठन" का लोप किया गया।

<sup>1</sup>[1-ग] किसी व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये अधिकृत कर-निर्धारक अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की गई या अन्यथा प्राप्त किसी सूचना पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाण-पत्र का संशोधन कर सकता है और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का ऐसा संशोधन—

- (क) व्यापार के नाम, स्वामित्व या स्थान में किसी परिवर्तन या व्यापार का नया स्थान खोलने के मामले में, उस घटना के दिनोंक से जिसके कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी, प्रभावी होगा चाहे धारा 8-खख के अधीन उस निमित्त सूचना विहित समय के भीतर प्रस्तुत की गई हो या न की गई हो;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में किसी माल या माल के वर्ग के विवरण में किसी परिवर्तन या उपान्तर के मामले में, उस घटना के जिसके कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी, दिनोंक से यदि उस निमित्त सूचना धारा 8-खख के अधीन विहित समय के भीतर प्रस्तुत की जाय और किसी अन्य मामले में, कर निर्धारक अधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन या उपान्तर के लिये अनुरोध की प्राप्त के दिनोंक से प्रभावी होगा;
- (ग) किसी माल या माल के वर्ग के निकाल दिये जाने के मामले में, निकाले जाने के आदेश के दिनोंक से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापार के स्वामित्व में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप किसी व्यापारी का कर का भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है; तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का संशोधन उस दिनोंक से प्रभावी होगा जब धारा 8-खख के अधीन ऐसे परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की जाय ।

**स्पष्टीकरण-1**—इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के किसी संशोधन से इस अधिनियम के अधीन आरोपणीय कर या शास्ति या किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**स्पष्टीकरण-2**—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी—

- (क) अपने व्यापार के नाम में कोई परिवर्तन करता है; या
- (ख) कोई फर्म है और उसका विघटन किये बिना फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा रची गयी ।

- (ग) किसी न्याय का न्यासी है और उसके न्यासियों में कोई परिवर्तन होता है; या
- (घ) किसी प्रतिपाल्य (वार्ड) का संरक्षक है और संरक्षक में कोई परिवर्तन होता है; या
- (ङ) कोई संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसे कुटुम्ब का व्यापार किसी भागीदारी व्यापार में, उसके भागीदारों के रूप में समस्त या किन्हीं सहदायिकों के साथ, संपरिवर्तित होता है, तब केवल उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण ही उस व्यापारी या फर्म जिसके गठन में परिवर्तन हो गया है या नये न्यासी या नये संरक्षक या यथास्थिति, ऐसे भागीदारी व्यापार के भागीदारों के लिये रजिस्ट्रीकरण के नेय प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा, और धारा 8-खख द्वारा अपेक्षित रीति से सूचना प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का संशोधन किया जाएगा।

(1-घ) रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाण-पत्र को रद्द या उसका संशोधन उपधाराओं (1-ख) और (1-ग) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा।

(2)(क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो <sup>1</sup>[माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर] के रूप में और न <sup>1</sup>[माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर] के बदले में उस धनराशि का कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा, और कोई व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री के या खरीद के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के सिवाय, जिसे उसने माल बेचा हो, अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर के रूप में वसूल करेगा और न <sup>1</sup>[माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर] के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।

(ख) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत कमीशन एजेंट या धारा 2 के खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है) किसी विक्रय धन पर <sup>2</sup>[माल की बिक्री पर व्यापार कर] देय हो तो ऐसा व्यापारी उस व्यक्ति से, जिसे उसने चाहे अपनी ओर से या अपने निर्देष्टा की ओर से माल बेचा हो, देय <sup>2</sup>[माल की बिक्री पर व्यापार कर] की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल कर सकता है:

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।



<sup>1</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई व्यापारी, जिससे <sup>2</sup>[कर निर्धारक अधिकारी उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले में धारा 7-घ के अधीन समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाता है], किसी व्यक्ति से <sup>2</sup>[माल की बिक्री पर व्यापार कर] के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि उसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर वसूल नहीं करेगा।]

<sup>3</sup>[(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी क्रेता से कर वसूलने के प्रयोजनार्थ, व्यापारी द्वारा बेचे गये माल के मूल्य को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक के भाग को एक रुपया गिना जायेगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जायेगा। जहाँ वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि एक रुपये का ऐसा भाग हो जो पांच पैसे का गुणित न हो, वहाँ उसे पांच पैसे के निकटतम गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् ढाई पैसे से अधिक गुणित को पांच पैसे के अगले गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जायेगा।]

<sup>4</sup>[(4) (एक) धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यापारी, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिस पर धारा 18 की उपधारा (1) या इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, क्रेता को जहाँ विक्रय माल का मूल्य पचास रुपये से अधिक हो <sup>5</sup>[प्रिन्टिंग प्रेस से छपी हुई क्रम संख्या, फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और वह दिनांक जब से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है, फर्म की शाखाओं या गोदामों के साथ यथास्थिति, कैश मेमों या बिल या चालान देगा जिसको उसके या उसके सेवक, मैनेजर या एजेंट द्वारा सम्यक् रूप से भरा जायेगा और दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा] और उसकी कार्बन प्रति ऐसी अवधि तक सुरक्षित रखेगा, जैसी विहित की जाय;

(दो) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी क्रेता से माल की बिक्री पर व्यापार कर वसूल करता है, वहाँ कैश मेमो या बिल में बेचे गये माल की कीमत और वसूल किये गये कर की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी।]

<sup>6</sup>[(5) जहाँ कोई व्यापारी किसी कर देय माल को वाहन द्वारा परिवहन करता है तो वह बाहर के परिवहनकर्ता या चालक या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "छपी हुई क्रम-संख्या के साथ यथास्थिति, कैश मेमो या बिल या चालान देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेंट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2000, दि० 5.5.2000 द्वारा उपधारा (5) अंतःस्थापित (प्रभावी 6.3.2000)

की विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा गया एक माल परिवहन-मेमो देगा और ऐसे माल को ले जाने वाले वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे मेमो को उसके निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसी मांग पर वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति ऐसा मेमो प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह अवधारित किया जायगा कि-

- (क) व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल का लेखा जोखा नहीं दिया है; या
- (ख) यदि कोई फर्म है और उसका विघटन किये बिना फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या ऐसे माल का व्यापारी अभिनिश्चय न हो तो यथास्थिति, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे माल का परिवहन अपने वास्ते कर रहा है;

और यथास्थिति ऐसे व्यापारी, परिवहनकर्ता, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर कर का निर्धारण किया जायगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डनीय भी होगा।]

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 46-ख, 46-ग, 77, 77-क, 48 व 84-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

व्यापारी द्वारा अनधिकृत रूप से ग्राहक से वसूला गया कर ब्याज सहित उसे वापसी योग्य है। *Allahabad Wire Drawing Ind. P. Ltd., v. U.P. Small Industries Corp. Ltd.*, [2003] 38 STR 782 : 2003 UPTC 1059.

मान्यता प्रमाण पत्र धारक बिक्रेता व्यापारी फार्म 3-ख के विरुद्ध खरीदे गये माल की बिक्री पर ग्राहक से कर नहीं वसूल सकता है। *Allahabad Wire Drawing Ind. P. Ltd., v. U.P. Small Ind. Corp. Ltd.*, [2003] 38 STR 782 : 2003 UPTC 1059.

धारा 8-ए(5)—कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र (सरकुलर) की वैधानिकता को विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। *C.T.T. v. Bajaj Steel and Industries, Kanpur*, [2003] 38 STR 741 : 2003 UPTC 1012.

धारा 8-ए(5), 13-ए—फार्म 49 केवल पान मसाला के बाबत है और स्टेनलेस स्टील के परिवहन हेतु फार्म 49 आवश्यक नहीं है। *C.T.T. v. Bajaj Steel and Industries, Kanpur*, [2003] 38 STR 741 : 2003 UPTC 1012.

धारा 8-ए(5), 13-ए—फार्म 49—अभिग्रहण—विभाग द्वारा परिपत्र के जारी होने के समय तक फार्म 49 से केवल तीन वस्तुएं आच्छादित थीं। फार्म 49 के अभाव में स्टेनलेस स्टील शीट्स के अभिग्रहण की कार्यवाही न्यायोचित नहीं। *C.T.T. v. Bajaj Steel and Industries, Kanpur*, [2003] 38 STR 741 : 2003 UPTC 1012.

पंजीयन प्रमाण-पत्र—निरस्तीकरण—व्यापारी का पंजीयन इसलिये निरस्त किया गया कि सर्वेक्षण पर उत्पादन किया जाना नहीं पाया गया। अधिकरण द्वारा सर्वेक्षण पर पाये गये तथ्यों पर निष्कर्ष दिये बिना निरस्तीकरण आदेश अपास्त किया जाना उचित नहीं। *C.T.T. v. Deep Briquette Industries, Lucknow*, [2003] 37 STR 331 : 2003 UPTC 542.

धारा 8-ए(1-बी)—सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा नोटिस जारी करने के दिनोंक से 90 दिनों के भीतर पंजीयन निरस्त नहीं किया जा सकता है। *C.T.T. v. Chaurha Traders, Kirana Vyapar, Atarra, Banda*, [2002] 36 STR 548 : 2002 UPTC 1046.

धारा 8-ए(1-बी)—अनुमान एवं सम्भावनाओं पर आधारित व्यक्त विचार पंजीयन के निरस्तीकरण का कारण नहीं हो सकता है। *Amit Traders, Bareilly v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 525.

व्यापारी द्वारा व्यापार की प्राकृति के बदलने के फलस्वरूप पंजीयन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Suhasaria Products, Varanasi v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 386 : 1999 UPTC 64.

सृजित मांग के विरुद्ध जमानत की मांग पूरी न करने पर पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। अधिकरण ने कर निर्धारण रद्द कर दिया। पंजीयन प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण वैधानिक नहीं पाया गया। *Sri Hanuman Bhandar, Hapur v. State of U.P.*, [1999] 29 STR 171.

पंजीयन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जमानतदार पंजीकृत व्यापारी द्वारा घोषित विक्रयधन पर करदेयता नहीं है। *K.V.M. Supariwala v. A.C. (Assessment)*, 1997 UPTC 274.

पंजीयन का समय—व्यापार—कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी को पंजीयन का विधिक अधिकार प्राप्त है। पंजीयन के लिये कोई निश्चित अवधि उक्त अधिनियम में नहीं दिया गया है परन्तु करदाता को उचित समय के अन्दर पंजीयन विभाग द्वारा कराना चाहिये। *Rakesh Coal Agency v. S.T.O.*, 1983 UPTC 615.

यदि आयातित माल की बिक्री साबित है तो पंजीयन आवश्यक है यद्यपि विक्रय-धन (Turnover) 25,000 हजार रुपये से कम है। *Modern Gift Emporium, Saharanpur v. C.S.T.*, [1987] 5 STR : 1987 32 TLD 39 : 1987 STD 16 : 1987 12 ATJ 68.

**8-ख.** '[कतिपय मामलों में] अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण—'[(1) कोई व्यक्ति, जो एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की बिक्री किए जाने के लिए माल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने का इच्छुक हो, या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे एक वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य की बिक्री किये जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने का इच्छुक हो, इस बात के होते हुए भी कि उसको धारा 8-क के अधीन रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है ]।

(2) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र निर्धारित रीति से सत्यापित किया जायेगा, और उसके साथ प्रथम कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो, <sup>2</sup>[एक सौ रुपये], और प्रत्येक अनुवर्ती कर-

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 27.7.1998)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा शब्द, "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो, पचास रुपये का शुल्क भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण होगा।

(3) यदि कर-निर्धारण अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्ति की सदाशयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रतिभूति देने पर जिसे कर-निर्धारक अधिकारी आवश्यक समझे, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर सकता है। इस उपधारा के अधीन मांगी गयी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति पर धारा 8-ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त होगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, और धारा 8-क के उपबन्ध यथाशक्य, उसके सम्बन्ध में लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारक अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड व्यापारी समझा जायेगा और इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होगा। भले ही धारा 3 की उपधारा (2), '[\*\*\*]' या धारा 18 में न्यूनतम विक्रय धन के सम्बन्ध में कोई बात दी हो।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, अपने द्वारा निर्मित माल की बिक्री प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर, जैसी भी दशा हो, प्रारम्भ नहीं करता, तो वह यदि उसने धारा 4-ख की उपधारा (1) के अनुसार रियायती दर पर कर का भुगतान करके अथवा कर का भुगतान किये बिना कच्चा माल खरीदा हो, अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो ऐसे कच्चे माल की बिक्री या खरीद पर धारा 3-क या धारा 3-घ, जैसी भी दशा हो, के अधीन पूरी दर पर प्रयोज्य कर की धनराशि तथा धारा 4-ख की उपधारा (1) के अनुसार भुगतान की गयी कर की धनराशि, यदि कोई हो, के अन्तर के बराबर होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई अर्थदण्ड ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना आरोपित नहीं किया जायेगा।

1. शब्द "धारा 3-घ की उपधारा (3-क)" उपरो अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 द्वारा निम्नलिखित दिये गये (प्रभावी 1.11.1978)।

[प्रयोजनार्थ नियम 63, 6-क, 54 से 62, 46-ख, 46-ग, 77, 77-क व 48 देखें]

1[8-खख. व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—यदि कोई व्यापारी जिस पर धारा 8-क या धारा 8-ख के उपबन्ध लागू होते हैं—

- (क) अपने व्यापार या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा, त्यागना, लाइसेन्स, भाड़ा या किसी भी अन्य रीति से अन्तरित करता है या अपने व्यापार या उसके किसी भाग का अन्यथा चयन करता है; या
- (ख) किसी व्यापार का, चाहे क्रय द्वारा या अन्यथा, अर्जन करता है; या
- (ग) अपने व्यापार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है; या
- (घ) अपना व्यापार बन्द करता है या अपने व्यापार या भण्डागार के स्थान में परिवर्तन करता है, या व्यापार या भण्डागार का कोई नया स्थान खोलता है; या
- (ङ) अपने व्यापार के नाम, अभिनाम या स्वरूप में परिवर्तन करता है या उस माल के, जिसमें वह अपना व्यापार करता है, वर्ग या विवरण में, जैसा रजिस्ट्रीकरण के उसके प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, कोई परिवर्तन करता है; या
- (च) अपने व्यापार के सम्बन्ध में भागीदारी या अन्य सहयोजन में प्रवेश करता है; या
- (छ) कोई नया व्यापार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यापार में या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है; या
- (ज) किसी परिनियम के अधीन निगमित किसी कम्पनी के मामले में निदेशकों के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करता है; या
- (झ) धारा 4-क या धारा 4-ख या धारा 8-क या धारा 8-ख के अधीन किसी प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करता है,

तो वह उपर्युक्त किसी भी घटना के होने के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को 2[ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, सूचना देगा।]

[प्रयोजनार्थ नियम 54(4) देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

फर्म के पुनर्गठन अथवा विघटन के कारण कोई भी साझीदार बकाया कर हेतु साझीदारी फर्म के दायित्व से मुक्त नहीं होता है। *Israr Ahmad v. Tahsildar Sadar, Muzaffar Nagar and others*, [2002] 35 STR 293 : 2002 UPTC 642.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ायी गयी।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

**8-ग. राजस्व के हित में प्रतिभूति—<sup>1</sup>[(1) निकाल दिया गया]****<sup>1</sup>[(1-क) निकाल दिया गया]****<sup>2</sup>[(2) जहाँ कर-निर्धारक अधिकारी को—****(क) इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य किसी कर, अर्धदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये, या****1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 2001 द्वारा धारा 8-ग की उपधारा (1) और (1-क) निकाल दिया गया। दिनांक 5-3-2001 से पूर्व की स्थिति निम्न थी।****(1) प्रत्येक व्यक्ति—**

- (क) जो 12 अक्टूबर, 1963 को या उसके पश्चात् धारा 4-ख, 8-क या 8-ख के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या, यथास्थिति उसका नवीकरण करने के लिए प्रार्थना-पत्र देता है; या
- (ख) जिसका ऐसी मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रार्थना-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने का प्रार्थना-पत्र ऐसे दिनांक को विचाराधीन हो; या
- (ग) जिसके पास ऐसे दिनांक के पूर्व से मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र हो,

इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य कर, अर्धदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए निर्धारित रीति से और, यथास्थिति, ऐसे दिनांक से या उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से तीन मास के भीतर, यदि कर निर्धारण वर्ष के लिये उसका धारा 3 की उपधारा, (2) में यथानिर्दिष्ट वास्तविक या अनुमानित विक्रय-धन दस लाख रुपये से अधिक हो तो नकद या कमिस्तर के पक्ष में गिरवी रखे गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में एक हजार रुपये की प्रतिभूति देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यापारी से, जो केवल धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का व्यापार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र का उपयोग न करता हो, इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

**(1-क)** उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति व्यापारी के, यथास्थिति, मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र प्रवृत्त रहने तक और तत्पश्चात् उस समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्धदण्ड या अन्य धनराशि, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कारण या अन्यथा हो, उस पर बकाया रहती है, धृत रहेगी। नकद दी गई प्रतिभूति पर डाकघर बचत बैंक लेखा में जमा धनराशि पर तत्समय प्रयोज्य दर पर साधारण ब्याज दिया जाएगा।

**2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 2001 द्वारा उपधारा (2) प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)। दिनांक 5-3-2001 से पूर्व उपधारा (2) निम्न रूप में थी।****(2) जहाँ कर-निर्धारक अधिकारी को—**

- (क) इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य किसी कर, अर्धदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये, या
- (ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित रूप-पत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए, या
- (ग) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या, यथास्थिति, नवीकरण करने या उसको प्रभावी बने रहने के लिये एक शर्त के रूप में,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहां वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण पत्र की स्वीकृति या, यथास्थिति, नवीकरण के पूर्व या किसी समय जब ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत्ति हो, निर्देश दे सकता है कि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश दे विनिर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार से निम्न किसी प्रकार की ऐसी प्रतिभूति या, यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति ने प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो, ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किसी प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यदि ऐसा चाहे तो वह मांगे गये रूप में प्रतिभूति देने के बजाय उसे उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रूप में दे सकता है।

- (ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित रूप-पत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए, या
- (ग) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या, यथास्थिति, नवीकरण करने या उसको प्रभावी बने रहने के लिये एक शर्त के रूप में,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहां वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण पत्र की स्वीकृति या, यथास्थिति, नवीकरण के पूर्व या किसी समय जब ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत्ति हो, निर्देश दे सकता है कि व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी प्रतिभूति या, यदि व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो, किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए ;]

(3) कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी, या सम्बद्ध व्यक्ति से उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि, जिसे किसी व्यापारी द्वारा देना अपेक्षित हो, कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस कर—निर्धारण वर्ष के लिये, जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाये, व्यापारी के विक्रय—धन पर देय कर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।]

<sup>1</sup>[(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञापित किसी माल के सम्बन्ध में, सामान्य लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र की आवश्यकता हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जितनी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी ।]

(4) यदि किसी व्यापारी <sup>2</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] द्वारा <sup>3</sup>[ \* \* \* ] उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रतिभूति प्रतिभू-बन्ध पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाए तो व्यापारी <sup>2</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना धारा 4-ख या धारा 8-क या धारा 8-ख जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले <sup>4</sup>[या उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रूप-पत्र जारी करने वाले] कर-

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा शब्द "उपधारा (1) या" निकाल दिया गया ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा अन्तःस्थापित ।

निर्धारक अधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के नब्बे दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध-पत्र देगा अथवा निर्धारित रीति से अन्य प्रतिभूति देगा।

(5) कर-निर्धारक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा और समुचित तथा पर्याप्त कारण से किसी व्यापारी <sup>1</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग को—

- (क) व्यापारी <sup>1</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] द्वारा देय किसी कर या अर्थदण्ड की धनराशि अथवा अन्य धनराशि को वसूल करने के लिये; या
- (ख) यदि यह पाया जाय कि व्यापारी <sup>1</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] ने <sup>2</sup>[उपधारा (2)] में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें समुचित अभिरक्षा में नहीं रखा है,

जब्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी <sup>1</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यापारी <sup>1</sup>[या सम्बद्ध व्यक्ति] द्वारा दी गयी प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय। तो वह इसकी पूर्ति, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, करेगा।

<sup>3</sup>[(7) कर-निर्धारक अधिकारी, किसी ऐसे व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों या उपधारा (2) <sup>4</sup>[या उपधारा (3-क)] के अधीन आदेश या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो—

- (क) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत <sup>5</sup>[या यथास्थिति, नवीकरण] करने से इन्कार कर सकता है, या
- (ख) पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकता है, या
- (ग) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किन्हीं रूप-पत्रों को जारी करने से इन्कार कर सकता है,

जब तक व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का पालन न करे:

- 
1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित।
  2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
  3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
  4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित।
  5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 27.4.1987)।



प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश व्यापारी या सम्बन्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा।]

(8) कर-निर्धारक अधिकारी, व्यापारी [या सम्बन्ध व्यक्ति] द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, इस धारा के अधीन अथवा धारा 10 के अधीन व्यापारी [या सम्बन्ध व्यक्ति] द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा प्रतिभू-बन्ध-पत्र वापस करने अथवा कोई धनराशि या उसका भाग लौटाने का, यदि उसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता न हो, आदेश दे सकता है।

(9) इस धारा के अधीन दिए गये आदेश के विरुद्ध धारा 9 के अधीन अपील की जा सकेगी।

(10) कोई व्यक्ति जो अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, अपने पर आदेश तामील किये जाने के [नब्बे दिन] के भीतर किन्तु प्रतिभूति देने के पश्चात, धारा 10 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है।

(11) इस धारा के उपबन्ध ऐसे प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे [इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या न्यायालय के आदेश] देने की अपेक्षा की गई हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

[प्रयोजनार्थ नियम 77 व 77-क देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**धारा 8-सी(3-ए)—प्रतिभूति—**जमानत की धनराशि देय कर के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिये। *Girraj Stone Crusher Pvt. Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 344 : 2003 UPTC 241.

**धारा 8-सी(3-ए)—प्रतिभूति—**कमिश्नर द्वारा जमानत मांगे जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देते हुये परिपत्र जारी किया जा सकता है। *Girraj Stone Crusher Pvt. Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 344 : 2003 UPTC 241.

**धारा 8-सी(3-ए)—प्रतिभूति—**यदि भाड़ा अलग से चार्ज किया गया हो तो जमानत की धनराशि निश्चित करते समय भाड़ा की धनराशि को निकाल देना चाहिए। *Girraj Stone Crusher Pvt. Ltd., Agra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 344 : 2003 UPTC 241.

**धारा 8-सी(3-ए)—प्रतिभूति—**उच्च न्यायालय के लिये जमानत की धनराशि निश्चित करना उचित नहीं—कमिश्नर को विशेषज्ञों की राय से परिपत्र जारी करना चाहिए। *Girraj Stone Crusher Stone Crusher Pvt. Ltd., Agra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 344 : 2003 UPTC 241.

अतिरिक्त जमानत की माँग किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। व्यापार के प्रसार मात्र के आधार पर अतिरिक्त जमानत की माँग किया जाना उचित नहीं है। देय कर की सुरक्षा हेतु जमानत की माँग की जा सकती है। विवादित आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा शब्द "तीस दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

बिक्री पर कितना कर आरोपित किये जाने योग्य है तथा व्यापारी द्वारा कितना कर जमा किया गया तथा व्यापारी के विरुद्ध कितनी धनराशि अवशेष है। इन तथ्यों के अभाव में कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। *K.K. Steels Agra v. Asstt. Commissioner (Assessment) Trade Tax, 2000 UPTC 872.*

उद्देश्य परक अनुमान के बिना भारी जमानत की मांग पूर्णतया मनमानी कार्यवाही है। *Dinesh Chand Akash Kumar v. State of U.P., [2000] 31 STR 18.*

अतिरिक्त प्रतिभूति करदाता कम्पनी से अतिरिक्त प्रतिभूति 10 करोड़ माँगी गई—अपील में इस राशि को घटा कर 5 करोड़ कर दिया गया 10 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह राशि केवल अधिक ही नहीं है अपितु प्रतिभूति का रूप भी विधि अनुकूल नहीं है। अतिरिक्त प्रतिभूति की माँग, गिरवी—बंधक द्वारा, डाईरेक्टर्स, चेयरमैन, व परिवार के सदस्यगण की चल व अचल सम्पत्ति को करवाया जाना—ऐसी माँग किसी भी स्थिति में सही नहीं है। *Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T., [1999] 29 STR 87 : 1999 UPTC 4.*

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से धारा 8-सी (2) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिभूति माँगा जाना—यदि कम्पनी द्वारा स्वयं की प्रतिभूति दी जा रही हो तथा उस धनराशि तक कम्पनी श्रृण चुकाने में समर्थ हो, ऐसी प्रतिपूर्ति स्वीकार की जा सकती है क्योंकि कम्पनी के डायरेक्टर की स्वयं की हैसियत या उनका कम्पनी में हिस्सा उस धनराशि तक न हो जिस धनराशि की अतिरिक्त प्रतिभूति माँगी जा रही हो। *Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T., [1999] 29 STR 87 : 1999 UPTC 4.*

कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि दाखिल प्रतिभूति प्रतिज्ञा पत्र का विधिपूर्वक समाधान कर उचित आदेश पारित करें। *Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T., [1999] 29 STR 87 : 1999 UPTC 4.*

जमानत की माँग के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। *Kurelc Traders, Orai v. C.T.T., [1999] 29 STR 308.*

आयुक्त को निर्देश प्रचलित करने की शक्ति है—बिक्री—कर आयुक्त ने अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 के संशोधन के पश्चात् धारा 8-ग (3-क) में फार्म 21 या अन्य किसी फार्म को व्यापारी को जारी किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन में प्राप्त की गई शक्ति के प्रयोग में परिपत्र संख्या चेक-पोस्ट 7 भाग-2/1986-87-189/बिक्री—कर दिनांक 21.4.1986 जारी किया जिसमें फार्मों की आपूर्ति के लिये व्यापारी द्वारा प्रतिभूति दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त संशोधन के पश्चात् आयुक्त सशक्त है, कि वह यह निर्देश जारी करे कि व्यापारी को फार्म संख्या 21 जारी किये जाने के पहले धनराशि को प्रतिभूति देना है। *National Traders, Varanasi v. C.S.T., [1987] 5 STR 126.*

रिट याचिका में करदाता ने कर-निर्धारण कार्यवाही की इस आधार पर चुनौती दिया कि वह एक नई औद्योगिक इकाई होने के नाते कर मुक्त है। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट-याचिका स्वीकार करके यह अन्तरिम आदेश पारित किया कि करदाता के खिलाफ कर-निर्धारण कार्यवाही चलती रहे, परन्तु कर की माँग या वसूली न की जावे। इस आदेश के पारित होने के पश्चात् बिक्री—कर अधिकारी ने धारा 8-सी के अन्तर्गत करदाता से बिक्री—कर की अदायगी के हेतु एक लाख रुपये की प्रतिभूति माँगी। माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया और बिक्री—कर अधिकारी के आदेश को निरस्त करके यह मत व्यक्त किया कि स्थगनीय आदेश पारित होने के फलस्वरूप बिक्रीकर अधिकारी द्वारा प्रतिभूति माँगने का आदेश गैर कानूनी व अवैध था। *Surya Scooters Pvt. Ltd. v. State of U.P. and another, [1986] 3 STR 357.*

नई फर्म से पंजीयन के लिये प्रतिभूति की माँग—इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता की निगरानी को स्वीकार करके यह निर्णय दिया कि नई फर्म से पंजीयन कराने के समय पुरानी फर्म

के पिछले कारबार के आधार पर प्रतिभूति माँगना कानूनन गलत है। धारा 8-ग (1) के प्राविधानों के अनुपालन का विचार करना चाहिये। *Mahadeo Traders v. C.S.T.*, [1986] 4 STR 441.

**1[8-घ. संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती—(1)** धारा 8-क की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी व्यापारी को (जिसे इस धारा में आगे संविदाकार कहा गया है) किसी ऐसी संकर्म संविदा के, जो ऐसे वर्ग या मूल्य की भवन निर्माण संविदा न हो, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त लोक हित में विज्ञापित करे, अनुसरण में किसी माल के (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, संविदाकार को, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से, ऐसा भुगतान करते समय, ऐसी संकर्म संविदा के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय, यथास्थिति, सम्पूर्ण कर या उसके किसी भाग की तुष्टि के लिये; उसे देय राशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा :

<sup>2</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि <sup>3</sup>[कर निर्धारक अधिकारी] का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह कारण अभिलिखित करके आदेश दे सकते हैं कि किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों में, यथास्थिति; कोई ऐसी कटौती नहीं की जायगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायगी:

<sup>4</sup>[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के अनुसार जहाँ किसी संविदाकार द्वारा, अपने उप संविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है तो ऐसे भुगतानों की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जाएगा जिसमें से इस उपधारा के अधीन कटौती की जानी है ]]

<sup>5</sup>[परन्तु यह भी कि जहाँ इस उपधारा में निर्दिष्ट माल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 3, 4 या 5 द्वारा आच्छादित हो, वहाँ ऐसे माल के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन किसी धनराशि की कटौती नहीं की जायेगी ]]

(2) कोई संविदाकार, जो किसी उपसंविदाकार को उसके साथ, संविदाकार द्वारा लिये गये संकर्म के पूर्ण या आंशिक निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व में, चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, अन्तरण के लिये की गई किसी संविदा के अनुसरण में कोई भुगतान करने या किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हो; नकद या चेक या ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 27.4.1987)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक अधिकारी" प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 29-1-2001)।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित तथा पूर्वगामी प्रभाव दि० 27.4.1987 से प्रभावी।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।

से ऐसा भुगतान या निर्वहन करते समय, उप संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल या बीजक से जो संविदाकार द्वारा देय हो, ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के अधीन देयकर के आंशिक या पूर्ण भुगतान के रूप में, ऐसे भुगतान या निर्वहन के 4 प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा :

<sup>1</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन उतनी धनराशि पर कोई कटौती नहीं की जाएगी जितनी पर उपधारा (1) के अधीन पहले ही कटौती की जा चुकी हो ॥

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस मास के, जिसमें कटौती की जाय, आगामी मास की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायगी ।

<sup>2</sup>[(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, देगा ।

(4-क) संविदाकार या उप-संविदाकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र में, ऐसे भुगतान के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें ऐसी रीति से प्रमाणित करेगा, जैसी निर्धारित की जाय किन्तु कर निर्धारक अधिकारी स्वविवेकानुसार कारणों को अभिलिखित करके ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ा सकता है ॥

(5) किसी कटौती को, जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो और सरकारी कोषागार में जमा की गई हो, उस व्यक्ति की ओर से जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की गई है कर का भुगतान माना जायगा और उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये कर-निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायगी ।

(6) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित तथा पूर्ववर्ती प्रमाण दि० 27.4.1987 से प्रणाली ।  
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 द्वारा उप-धारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी धनराशि के दुगने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस दिनांक से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, उस दिनांक तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, अद्वारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

(8) जहाँ कटौती करने के पश्चात् धनराशि जमा न की गयी हो, वहाँ उपधारा (7) में निर्दिष्ट ब्याज सहित ऐसी धनराशि सम्बद्ध व्यक्तियों की समस्त अस्तियों पर भार होगी।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार कटौती के रूप में भुगतान से यथास्थिति, संविदाकार या उप-संविदाकार से इस अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर-निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता हो जहाँ व्यक्ति के व्यापार का स्थान या निवास स्थान स्थित हो।

[प्रयोजनार्थ नियम 46-ख, 46-ग, 77 व 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

ठेकेदार को किये गये वास्तविक भुगतान पर 4% की कटौती की जानी है। कमिश्नर का परिपत्र कि ऐसी धनराशि पर कटौती न की जाय जिसका भुगतान ठेकेदार को न किया गया हो, विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी है। *C.S.T. v. N.T.P.C. Ltd., Dadri, Ghazilabad, [2004] 39 STR 182.*

स्रोत से कर की कटौती—अनुबन्ध व्यापारी तथा रेलवे के बीच हुआ। याचिका में व्यापार कर विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। याचिका पोषणीय नहीं है। अनुबन्ध आपूर्ति का था अथवा सेवा संविदा का, यह विभाग द्वारा निर्णीत किया जा सकता है। *Rawatsons Engineer (P) Ltd. v. Assistant Engineer, [2004] 39 STR 34 : 2004 UPTC 64.*

**क्रयकर**—भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित गेहूँ की व्यापारी द्वारा खरीद करने पर इसलिये करमुक्ति नहीं दी जा सकती कि निगम ने फार्म 3-ग व्यापारी को दिया है। *Allahabad Milling Co. (Pvt.) Limited v. C.S.T., [2003] 38 STR 620 : 2003 UPTC 1057.*

धारा 8-डी—संकर्म संविदा के अन्तर्गत निष्पादित कार्य हेतु व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया एवं संविदा अभिलेख जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया तो अपीलीय अधिकारी द्वारा वाद का प्रतिप्रेषण अनुचित नहीं कहा जा सकता है। *Executive Officer, Municipal Board v. C.T.T., [2003] 37 STR 268.*

धारा 8-डी(6)—अर्थदण्ड—ठेकेदार को देय धनराशि से 4% की दर से कटौती कर के शासकीय

कोष में न जमा करने पर अर्धदण्ड का आरोपण उचित है। *Garrison Engineer (Air Force) Agra v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 241 : 2002 UPTC 442.

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने पर भी करदाता द्वारा स्रोत पर कर नहीं काटा गया और न ही इसके लिए कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। धारा 8-डी(6) की कार्यवाही उचित। *Meerut Development Authority v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 32.

धारा 8-डी(6) के अन्तर्गत किसी भी धनराशि का अर्धदण्ड लगाने के लिये कारण बताया जाना आवश्यक है। *Meerut Development Authority v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 32.

धारा 8-घ(6) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु विवेक वर्ग प्रयोग आवश्यक है। यांत्रिक रूप से अर्धदंड आरोपित किया जाना अनुचित है। *Lala Lajpat Rai & Associated Hospital v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 163: 1996 UPTC 1075.

**1[8-ड. अभिकर्ता द्वारा कटौती—धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (पांच) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उक्त धारा के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन व्यापारी नहीं माना गया है, उस व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किये गये या ऐसी भूमि में उत्पन्न किये गये जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धकदार, काश्तकार के रूप में या अन्यथा कोई हित हो, कृषि या उद्यान कृषि उपज के विक्रय के लिए या उसके द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद के विक्रय के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन हेतु भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा भुगतान करते समय चार प्रतिशत के बराबर या ऐसी निम्नतर दर से जो धारा 3-घ के अधीन अधिसूचित की जाय, धनराशि की कटौती करेगी और धारा 8-घ की उपधारा (3) से (9) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।]**

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**धारा 8-ई—भुगतान से कर की कटौती—विधायिका कर वसूली का स्रोत निश्चित करने में सक्षम है।** *Rapti Commission Agency v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780.

**धारा 8-ई—संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 92-ए—धारा 8-ई के प्राविधानों की वैधता—धारा 8-ई के प्राविधान को संकुचित करके पढ़ा जाना चाहिये जिससे वह अन्तरप्रान्तीय विक्रयों एवं क्रयों के सम्यवहार हेतु वैध हो सके।** *Rapti Commission Agency v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780.

**धारा 8-ई—संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 92-ए—जब एक व्याख्या विधि को असंवैधानिक बना रही हो तथा दूसरी इसे संविधान सम्मत तो दूसरी व्याख्या को ही न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।** *Rapti Commission Agency v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780.

यह विनिश्चय किये बिना कि सम्यवहार प्रान्तीय, अन्तरप्रान्तीय वहिप्रान्तीय या निर्यात के क्रम को

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा धारा 8-ड अंतःस्थापित (प्रभावी दिनांक 29-1-2001)।

बिक्री का है अथवा नहीं किसी व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती करने का अधिकार देने की शक्ति राज्य विधायिका में नहीं है। *M/s. Nathpa Jhakri Jt. Venture v. State of H.P. and others*, [2001] 34 STR 549 (SC) : 2000 UPTC 459 (SC).

यह विनिश्चय किये बिना कि बिक्री अन्तरप्रान्तीय या निर्यात के क्रम में या राज्य के बाहर की है या राज्य के भीतर की है 4% कर वसूलने का अधिकार देने की शक्ति राज्य विधायिका में नहीं है। *Steel Authority of India Ltd. v. State of Orissa and others etc.*, [2001] 34 STR 572 (SC) : 2000 UPTC 374 (SC).

यदि संविदा के अन्तर्गत व्यापारी संविदाकार को भुगतान की जाने वाली धनराशि से कटौती न करने पर अर्धदण्ड का उत्तरदायी है तो वह सम्बन्धित प्राविधानों को चुनौती दे सकता है। *Steel Authority of India Ltd. v. State of Orissa and others etc.*, [2001] 34 STR 572 (SC) : 2000 UPTC 374 (SC).

**1[9. अपील—(1) कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से, जो धारा 10-क<sup>2</sup> या धारा 13-क की उपधारा (6)] में उल्लिखित आदेश से भिन्न हो, क्षुब्ध कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति आदेश की प्रति तामील किये जाने के दिनोंक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाए :**

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर, शुल्क या अर्धदण्ड की विद्वादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपये से अधिक न हो, वहाँ अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप में अपील सुनने वाले अधिकारी से अनुरोध कर सकता है जिस पर अपील सुनने वाला अधिकारी तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

**[प्रयोजनार्थ नियम 65, 66, व 67 देखें]**

(1-क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

**2[(1-ख) इस ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों या इस ऐक्ट के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किये गये, इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, विक्रय धन या क्रय धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो ;**

(2) अपील निर्धारित रूप में होगी और निर्धारित विधि से सत्य सिद्ध की जायेगी।

**[प्रयोजनार्थ नियम 66 देखें]**

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) <sup>1</sup>[अपील सुनने वाला अधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनकी जांच करने के पश्चात् और अपीलकर्ता और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् या, यथास्थिति, उपधारा (1-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्]:

(क) कर निर्धारण या अर्थदण्ड की किसी आज्ञा की दशा में—

- (1) ऐसी आज्ञा की पुष्टि या उसका अधिशून्यन कर सकता है, या
- (2) यथास्थिति कर-निर्धारण का अर्थदण्ड की धनराशि को कम करके या, बढ़ाकर ऐसी आज्ञा में परिवर्तन कर सकता है, चाहे ऐसी कमी या बढ़ोत्तरी अपील के आधार में उठाये गये प्रश्न से या अन्य प्रकार से उद्भूत हों; या
- (3) आज्ञा को रद्द कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, नई आज्ञा दे; या
- (4) कर-निर्धारक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी जांच करे जैसी निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाय और ऐसे समय के भीतर जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसकी वह समय-समय पर अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और ऐसे समय की समाप्ति पर, अपील सुनने वाला अधिकारी, चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या नहीं, पूर्ववर्ती उप-खण्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील पर निर्णय दे सकती है; या

(ख) किसी अन्य आज्ञा की दशा में, ऐसी आज्ञा की पुष्टि कर सकता है, उसको निरस्त अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपीलकर्ता अपील वापस कर लेने के लिये आवेदन करता है और निर्धारित कर या अर्थदण्ड को बढ़ाने के लिये कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो इस उपधारा की कोई अपील सुनने वाले अधिकारी को अपील की किसी प्रक्रम पर ऐसी टिप्पणी के साथ जिसे वह उचित समझे, खारिज करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

<sup>2</sup>[परन्तु यह और कि अपीलीय प्राधिकारी को धारा 8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी ।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 18.10.2003) ।



**1[(3-क) अपील सुनने वाला अधिकारी—**

- (क) ऐसे मामले में, जिसमें अपीलकर्ता उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अनुरोध करता है, अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्धदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किये जाने तक स्थगित करेगा; और
- (ख) किसी अन्य मामले में, अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्धदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किये जाने तक स्थगित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि—

- 2[(1) इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत न किया जाय;]
- (2) 3[ \* \* \* ]
- (3) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उस धनराशि के भुगतान के लिये, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।

**स्पष्टीकरण—**किसी अधिकारी द्वारा स्थगन के लिये उसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र को अधिकारिता के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील सुनने वाला अधिकारी ऐसे प्रार्थना-पत्र को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4-क) ऐसी अपील में, जिसका संक्षिप्त निस्तारण कर दिया गया है, दिए गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।]

(5) यदि निर्धारित कर या लगाये गये शुल्क या अर्धदण्ड की धनराशि उपधारा (3) के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा कम कर दी जाये, तो अपील सुनने वाले अधिकारी भुगतान किये गये अधिक कर, शुल्क या अर्धदण्ड लौटाने का आदेश देंगे।

(6) इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 (इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963) की धारा 5 लागू होगी।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।  
 3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा निकाला गया (प्रभावी 8.8.1997)।

(7) अपील सुनने वाला अधिकारी, कमिश्नर के नियन्त्रण तथा अधीक्षण में रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियन्त्रण तथा अधिकार में कमिश्नर द्वारा कोई ऐसा आदेश, अनुदेश या निर्देश नहीं दिये जायेंगे कि अपील सुनने वाले अधिकारी के अपीली कृत्यों के प्रयोग विषयक विवेक में हस्तक्षेप हो।

स्पष्टीकरण—<sup>2</sup>[\*\*\*]

[प्रयोजनार्थ नियम 68 साथ में नियम 2(घघ), 4, 46-ख,  
46-ग, 75, 76, 77, 77-क, 77-ख 77-ग, 81(3) व 71 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 9(3)(iv) के अन्तर्गत अपीलीय निर्देशों के अनुपालन में कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी जॉच रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की तो वाद जॉचोपरान्त प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश अपीलीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं कहा जा सकता है। *Bhanwar Singh and Brothers and another v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 195.

धारा 9—एक ही व्यापारी द्वारा किये दो व्यवसायों के लिए धारा 7 के अन्तर्गत दो करनिर्धारण आदेश एक ही वर्ष के लिए पारित किये गये। अपील केवल एक के विरुद्ध की गई तथा दूसरा करनिर्धारण आदेश अन्तिम होगा। अपील में वाद इस निर्देश से प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता कि व्यापारी का दोनों व्यवसायों हेतु कर निर्धारण आदेश पारित किया जाय। *Indian Telephone Industries, Nainital v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 178.

धारा 9—नियम 77—कर निर्धारण आदेश की जानकारी होने को उसकी तामील नहीं कहा जा सकता। विवादित आदेश की तामील होने के 30 दिनों में भीतर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये। तामील नियम में निर्धारित विधि से ही की जानी चाहिये। *Jagdamba Brick Industries, Agra v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 687.

धारा 9 एवं परिसीमा अधिनियम, धारा 5—अपील दाखिल करने में देरी क्षमा हेतु बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल किया गया—देरी क्षमा प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर, ने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया है। अतः अधिकरण द्वारा देरी क्षमा प्रार्थना पत्र का अस्वीकरण न्यायोचित नहीं है। *Radhey Shyam Shree Krishna, Ghaziabad v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 759 : 2003 UPTC 1021.

धारा 9 एवं 10—नियम 77-ए एवं 77-बी—अपील पर अधिवक्ता द्वारा जोर न दिये जाने के कारण अधिकरण द्वारा अपील का एकपक्षीय निस्तारण—व्यापारी ने ऐसा निर्देश अधिवक्ता को नहीं दिया—अपीलार्थी द्वारा जोर न दिये जाने का कोई कारण न होने पर वह अपने अपील पर सुनवाई का अवसर पाने का अधिकारी। अधिकरण को अपील प्रत्यावर्तित करने का निर्देश दिया गया। *Panwar Brick Field v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 612 : 2003 UPTC 1002.

धारा 9—केन्द्रीय बिक्रीकर ऐक्ट, धारा 10-ए—एक पक्षीय आदेश द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया गया हो और व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न मिला हो तो अधिकरण द्वारा वाद का

प्रतिप्रेषण अनुचित नहीं कहा जा सकता है। *M/s Vegpro Foods & Feeds Limited, Jalaun v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 30 : 2003 UPTC 154.

**धारा 9 एवं 30—अपील—**अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु दिया गया स्पष्टीकरण उदारता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए जब तक कि प्रार्थी अकर्मण्यता अथवा कदाशयता का दोषी न हो। *Shiv Narain & Co. v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 365.

**धारा 9(3)—**यदि अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित करते समय समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचार कर लिया है तो उच्च न्यायालय उसमें किसी विधिक प्रश्न निहित न होने की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। *Central Distillery & Breweries Ltd. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 172 : 2002 UPTC 1249.

**धारा 9(3) एवं केन्द्रीय बिक्रीकर ऐक्ट, धारा 6(2)—**द्वितीय अपील के निस्तारण के किसी शक्तिहीनता अथवा अवैधानिकता न होने के कारण रिट याचिका अस्वीकार की गई। *Alpa Marketing Enterprises, Kanpur Dehat v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 69 : 2003 UPTC 212.

**धारा 9(3) एवं 10(6)—**अधिकरण द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुये स्थगित धनराशि को 80% तक बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। *Virendra Pal Gupta v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 73 : 2003 UPTC 306.

**धारा 9(3-ए)—**अधिकरण द्वारा 85% विवादित धनराशि स्थगित किये जाने के विरुद्ध पुनरीक्षण तीन वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया—इस बीच अपील निस्तारित हो जाने की संभावना—यदि अपील अमी भी अनिस्तारित हो तो उसके शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया गया। *Ram Pal & Co. v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 262.

**धारा 9 एवं 10—अपील—**जहाँ पर व्यापारी को अपने अधिवक्ता की गलती के कारण सुनवाई का समुचित अवसर न मिला हो तो वाद की पुनः सुनवाई किया जाना न्याय संगत होगा। *Nand Lal Baburi, Chandauli v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 725 : 2002 UPTC 1107.

**धारा 9(3-ए) एवं 10(8)—**जमानती बाण्ड जमा करने में हुई देरी को अधिकरण द्वारा क्षमा किया जा सकता है तथा उसके द्वारा जमानत जमा करने का समय भी बढ़ाया जा सकता है। *Advance Pipes Ltd., Sikandrabad v. Trade Tax Tribunal, Ghaziabad*, [2002] 36 STR 443 : 2002 UPTC 750.

**धारा 9—**दूषित अपील के क्रमांक से भिन्न क्रमांक पर अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपील फाइल करने में हुआ विलम्ब क्षमा कर दिया गया है। *Associated Distributors Ltd. Ghaziabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173.

**धारा 9 एवं 10—**अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई देरी क्षमा हेतु बताया गया कि व्यापारी बाहर थे और लौटने पर जब उन्हें आदेश प्राप्त हुआ तब अपील प्रस्तुत की गई आदेश व्यापारी की पत्नी पर तामील बताया गया। पत्नी का कोई शपथपत्र नहीं दिया गया। किसी विधिक प्रश्न के अभाव में पुनरीक्षण खारिज किया गया। *Gayatri Gems v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 227 : 2002 UPTC 426.

**धारा 9(2)—**परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 5—प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रथम अपील खारिज की गई द्वितीय अपील अस्वीकार होने के फलस्वरूप पुनरीक्षण दायर किये जाने पर परिस्थितियों को देखते हुये क्षमा प्रार्थना पत्र सहानुभूति पूर्वक विचार योग्य पाया गया तथा प्रथम अपील गुण व दोष पर निर्णय किये जाने का आदेश किया गया। *M/s. Darshan Tent House, Allahabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 114 : 2002 UPTC 333.

धारा 9(3-A) एवं 10—अपीलीय अधिकारी की स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय व्यापारी के आर्थिक स्थिति पर विचार करना चाहिये। *M/s. Najibabad Stone Crusher Gramodyog v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 272 : 2002 UPTC 292.

धारा 9(3-A) एवं 10(6)—व्यापारी की खराब आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके द्वारा विवादित कर का 5% जमा कर देने पर शेष धनराशि वसूली हेतु स्थगित की गई। *Sanjeev Kumar Timber Traders v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 357 : 2002 UPTC 650.

धारा 9—यदि अपीलकर्ता रु० 14000 चार सप्ताह के भीतर जमा कर दे तो शेष राशि जमा करने पर जोर न दिया जाय तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील सुन ली जाय। *Sri Durga Gramodyog Sansthan, Varanasi v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 627.

धारा 9—कालातीत अपील विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र—अधिवक्ता के परामर्श पर व्यापारी ने धारा 30 के अन्तर्गत अनुतोष हेतु आवेदन किया—एक पक्षीय आदेश के अभाव में यह पोषणीय नहीं था—तदनन्तर देरी क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई—अधिवक्ता के त्रुटिपूर्ण परामर्श के कारण हुई देरी क्षमा योग्य है। *M/s. Zafar Leather Cloth House v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 703.

धारा 9(1-बी)(बी)—उच्च न्यायालय द्वारा आत्माराम मिश्रा के वाद में दिया गये निर्णय के अनुसार अपीलार्थी द्वारा निर्धारित कर का 20% नहीं जमा किया गया—प्रथम अपील इसी कारण निरस्त कर दी गई—द्वितीय अपील लम्बित होने की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आत्माराम मिश्रा के वाद में दिया गया उच्च न्यायालय का निर्णय उलट दिया गया—अधिकरण ने भी अपील निरस्त कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। *M/s Ghaziabad Development Authority v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 504.

धारा 9(6)—व्यापारी को उपलब्ध कैश क्रेडिट लिमिट रु० 40 लाख में केवल रु० 38,79,208.74 निकाले गये अतः उसे एक लाख नकद तथा शेष की जमानत नकद या बैंक गारण्टी से भिन्न रूप में देने पर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया गया। *Agrawal Motors (Tyres), Mirzapur v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 589.

धारा 9 एवं 10—अपील—अधिकरण को प्रथम अपीलीय अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने की स्थिति में उसकी विवेचना करना आवश्यक है क्योंकि उसके तथ्यात्मक निष्कर्ष अंतिम होते हैं। *M/s Remeshwar Dayal & Co. v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 359.

धारा 9 एवं नियम 77—व्यापारी के अधिवक्ता पर तामील किया गया प्रथम अपीलीय आदेश विधि सम्मत है। *Kansal Trading Company v. Member Sales Tax Tribunal*, [2001] 33 STR 173.

वेवर एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय आर्थिक स्थिति के साथ प्रथमदृष्ट्या (*Prima facie*) वाद के गुण व अवगुण पर विचार किया जाना आवश्यक है। *Harthar Sugandh (P) Ltd. Kannauj v. C.T.T.*, 2000 UPTC 756.

यदि टर्नओवर निर्धारण हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया गया तो समस्त बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है। *U.P. Rolling Mills Co. Pvt. Ltd., Kanpur v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 943.

कमिश्नर व्यापार कर, परिपत्र जारी करने के लिये अधिकृत नहीं है अतः विधि विभाग के परामर्श से इस आशय का जारी परिपत्र कि लेटेक्स सलूशन रबर उत्पाद नहीं समझा जा सकता, कर निर्धारण अधिकारी के न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप होने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं है। *सर्वश्री मर्करी लेबोरेट्रीज बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2000 यू०पी०टी०सी० 82* के वाद में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया

गया। *M/s. Universal Polyvinyl Chloride Gromodyog Sansthan v. State of U.P. and others*, 2000 UPTC 848.

उद्देश्यपरक अनुमान एवं बिना अवसर प्रदान किये, भारी जमानत की माँग पूर्णतः मनमानी कार्यवाही है। *Dinesh Chand Akash Kumar v. State of U.P.*, (2000) 31 STR 20.

माँग की नोटिस एक आदेश्य अतः धारा 9 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध अपील ग्राह्य है। *Precise Laboratories Ltd. v. C.T.T.*, (2000) 117 STC 226 (All)

प्रतिप्रेषित वाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्देशित बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपना मत व्यक्त करते हुये व्यापारी का धारा 22 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का निर्णय करते हुये पुनः वाद का प्रतिप्रेषण उचित नहीं। *Sheela Agency, Etawah v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 440.

अपील की विषय वस्तु न बदली होने पर अपीलीय आधार में परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है। *M/s. G.D. Steels & Gases Private Limited, Sahibabad, Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 36.

विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुये प्रयुक्त की जानी चाहिये। *M/s. Somani Iron and Steel Ltd., Kanpur v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 471.

आदेश की जानकारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई अपील समय के अन्दर की गई मानी जायेगी। *Bij and Company, Ghaziabad v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 300.

कमिश्नर को धारा 10(2) के अन्तर्गत केवल प्रथम अपीलीय आदेश का चुनौती देने का अधिकार है। *M/s. G.D. Steels & Gases Private Limited, Sahibabad, Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 35.

अपील ग्राह्य होने के लिए निर्धारित कर का 20% जमा किये जाने की आवश्यकता को शिथिल करते हुये असिस्टेंट कमिश्नर (न्याय) द्वारा पर्याप्त धनराशि में कमी किये जाने के उपरान्त भी अपीलकर्ता द्वारा देय धनराशि जमा न किये जाने के फलस्वरूप दायर अपील अस्वीकार की गयी। अपील अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया—माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि, यदि पुनरीक्षणकर्ता 15 दिन के अन्दर निर्धारित कर का 20% जमा कर देता है, ऐसी दशा में अधिकरण के आदेश दि० 7.8.1998 निरस्त समझा जाये तथा ए०सी० (न्याय) वाराणसी का आदेश दि० 24.6.1996 भी निरस्त समझते हुये व्यापारी की अपील ग्राह्य कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। *Uday Bhan Yadav Ent Bhatta, Ballia v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 68.

वसूली का स्थगन—90% वसूली स्थगन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण—शत प्रतिशत स्थगन आदेश न देने हेतु कोई पर्याप्त कारण नहीं—सम्पूर्ण विवादित कर की वसूली स्थगित की गई। *M/s. Balaji Oil Mill v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 156.

जब व्यापारी धारा 4-क में पात्रता प्रमाण पत्र धारक है तथा कर में छूट एवं वापसी के दावे के आधार पर स्थगन आदेश की प्रार्थना करता है और अधिकांश बकाया धन जमा किया गया है तब इस दशा में उसका स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। *M/s. Precise Laboratories Limited v. Trade Tax Tribunal, Bench-I, Ghaziabad*, [1999] 29 STR 229.

व्यापारी ने कई सौ करोड़ की संविदायें लीं। आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर वसूली का स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता। स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय किसी वाद के गुणदोष पर विचार नहीं किया जा सकता। *Mitusi & Company Ltd., Sonebhadra v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 197.

बकाया कर की वसूली—साझेदारों की अचल सम्पत्ति बैंक द्वारा गिरवी। चल सम्पत्ति तहसीलदार द्वारा अभ्याग्रह—फर्म के साझेदारों की गिरफ्तारी व अवरोध उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम व केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत, प्रथम अपील के लम्बित होने तक के लिए स्थगित। *M/s Annapurna Laghu Dal Udyog, Jhansi v. Trade Tax Tribunal*, [1999] 29 STR 67.

प्रतिप्रेषित वाद में किया गया कर निर्धारण प्रतिप्रेषण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के निर्णय पर निर्भर होता है। यदि प्रतिप्रेषण आदेश निरस्त किया जाता है तो प्रतिप्रेषित वाद में किया गया कर निर्धारण भी स्वतः निरस्त हो जायेगा। *U.P. Brick Field, Mori Kalan, Baraut, Meerut v. C.S.T.*, [1998] 28 STR 631.

प्रथम अपीलीय अधिकारी को कर में वृद्धि का अधिकार है किन्तु बिना अवसर दिये नहीं। *Anil Shoe Corner v. C.T.T.*, [1997] 25 STR 384.

प्रथम अपीलीय अधिकारी वस्तु विषय से सीमित नहीं है। *आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम एसबेसटास सीमेंट प्रोडक्शन लिमिटेड*, 1994 UPTC 859 (SC) का अनुकरण किया गया। मदन स्टूडियो बनाम एसिस्टेंट कमिश्नर, 1975 UPTC 58 में दिया गया निर्णय ओवररूल्ड हो गया। *Saru Smelting Pvt. Ltd., Meerut v. C.S.T.*, [1997] 25 STR 66.

प्रतिप्रेषण उस बिन्दु पर किया जाना अनुचित है जिसे अपील के आधार में नहीं उठाया गया। कर में वृद्धि का अधिकार केवल उसी बिन्दु पर है जो अपील का विषय है। *C.S.T. v. Gaya Prasad Arora*, 1994 UPTC 119.

धारा 22 एवं धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित होने का आधार, अपील विलम्ब से दाखिल किये जाने में नहीं लिया जा सकता। *Vakeel Ahmad v. C.S.T.*, 1994 UPTC 323.

धारा 9 के अन्तर्गत विलम्ब से अपील दायर किया जाना क्षमा किये जाने योग्य है यदि मूल कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध धारा 30 के अन्तर्गत दिया गया प्रार्थना पत्र इस सद्भावना के साथ दाखिल किया गया हो कि प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की आशा है। *C.S.T. v. Vaish Glass Works*, (1974) 33 STC 513 (All.).

प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षित है कि यदि अपील के विषय से हट कर किसी अन्य बिन्दु पर निर्णय दे रहे हैं तो पारित कर निर्धारण आदेश में विधिक कमी को इंगित करें। *Steel Fabricator v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 92; 1995 UPTC 192.

स्वीकृत कर जमा करने में विलम्ब की छूट व्यापारी को दी जा सकती है यदि जमा करने की रकम में कोई कमी रह गई हो या कर विलम्ब से जमा किया गया हो। *Agarwal Machinery Stores v. C.S.T.*, 1974 UPTC 330.

अपील दाखिल करने में विलम्ब—यदि अपील दाखिल करने में विलम्ब होता है तो करदाता को इसकी छूट दी जा सकती है। *C.S.T. v. Tilak Ram Arhthi*, 1976 UPTC 586; *C.S.T. v. Budh Prasad Jagdish Prasad*, 1982 UPTC 17.

अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित कर की 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने की आवश्यकता—करदाता ने कोई विवरण (return) दाखिल नहीं किया और प्रारम्भ से यह आपत्ति करता रहा कि वह गल्ला की खरीददारी पर जो कि Ex-U.P. Principal के हेतु की गई है कोई कर देने का दायित्व नहीं रखता है, अतः उससे अपील ग्रहण किये जाने के पूर्व निर्धारित कर के धनराशि की 20 प्रतिशत की राशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिये धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन परित्याग की इच्छा करने का प्रश्न नहीं उठता। *Atma Ram Misra v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 464.

ब्याज की माँग-बिक्री-कर अधिकारी द्वारा की गई ब्याज की माँग धारा 9 के अन्तर्गत पास किया गया आदेश नहीं माना जा सकता। धारा 9 में प्रयोग शब्द "आदेश" निश्चय ही अनुद्धान करता है कि फरीकन के मध्य क्या अभिनिर्णयन है। ब्याज की राशि के विरुद्ध कोई अपील नहीं दाखिल की जा सकती है क्योंकि बिक्रीकर अधिकारी करदाता से ब्याज जुमाने के रूप में स्वीकृत कर न देने पर लगता है। *Banwari Lal Budh Sen v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 169.

इस वाद में करदाता ने इस आधार पर कर देयता स्वीकार नहीं किया कि उसने राज्य के बाहरी प्रिंसिपल के लिये खाद्यान्न खरीदा था जिसको बिक्री-कर अधिकारी ने अमान्य कर दिया। प्रश्न यह था कि उपर्युक्त स्थिति में निर्धारित कर का 20 प्रतिशत कर जमा करना अनिवार्य था। उच्च न्यायालय ने करदाता की निगरानी को स्वीकार करके निर्णय दिया कि यदि करदाता कर-दायित्व स्वीकार नहीं करता तो अपील प्रस्तुत करने हेतु 20 प्रतिशत कर जमा करना आवश्यक नहीं था। *Atma Ram Misra v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 464.

इस वाद में करदाता के बही-खाते आयकर विभाग द्वारा अभिग्रहीत किए गए थे जिसके कारण करदाता अपना हिसाब-किताब बिक्री-कर निर्धारण के समय नहीं दिखा सका। माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता की निगरानी स्वीकार करके यह निर्णय दिया कि करदाता की शिकायत उचित है। अतः वाद का कर निर्धारक अधिकारी के सम्मुख पुनः विचार करने के लिये प्रतिप्रेषित किया जाना सही व उचित था। *Jain Brass Rolling Mills v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 295.

बिक्री-कर अधिकारी ने एकल विक्रय कर का निर्धारण नहीं किया। अपीलीय प्राधिकारी इसको कर सकता है। आधार व कारण अपीलीय प्राधिकारी ने नहीं दिया जो कि आवश्यक था। अधिकरण ने भी कोई आधार नहीं दिया। अतः वाद पुनः विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। *Deen Brothers v. C.S.T.*, 1987 TLD 188.

**10. अधिकरण—**<sup>1</sup>[(1) एक अधिकरण होगा जिसमें अध्यक्ष सहित ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित में से नियुक्त करना आवश्यक समझे :

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह (qualified) हैं, और

<sup>2</sup>[(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो <sup>3</sup>[संयुक्त-कमिश्नर] से अनिम्न पद पर हों, या रहे हों :]

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) यदि अधिकरण में एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का/के सदस्य हों या रहे हों, तो उसे या उनमें से ज्येष्ठतम को अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा;

(2) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावी 19.11.1982)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "उप कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2003)।

तक कि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्ववर्ती लगातार पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय (जिसके अन्तर्गत समस्त अन्य आय नहीं है) पर आय-कर का भुगतान न किया हो।

[प्रयोजनार्थ नियम 70, एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 देखें]

(1-क) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हताएँ या शर्तें निर्धारित कर सकती हैं जिन्हें वह उचित समझें।

(1-ख) उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, चाहे उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 से पूर्व या पश्चात् नियुक्त किया गया हो, उसी प्रकार लागू रहेंगे, जिस प्रकार वे किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त अधिकरण का कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस रूप में पूर्ववत् कार्य कर सकता है ॥

1[(2) धारा 9 (उक्त धारा की उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न) धारा 10-ख, धारा 4-क की उपधारा (2-ख) या उपधारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 35 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी निदेश या धारा 4-क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थान्तर्गत किसी पात्रता प्रमाण-पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के किसी आदेश, से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय या निदेश की प्रति उस पर तामील किये जाने के दिनोंक से नब्बे दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि दो हजार रुपये से अधिक न हो और कोई विधिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो, वहाँ अपीलार्थी अपने विकल्प पर अधिकरण से अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है, जिस पर अधिकरण तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद 'कोई व्यक्ति' के अन्तर्गत कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कमिश्नर और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार भी है ॥



(2-क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाय ॥

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, इस धारा के अधीन अपील <sup>1</sup>[या अन्य प्रार्थना-पत्रों] पर लागू होगी ।

[प्रयोजनार्थ ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल रेगुलेशन, 1988 की धारा 6, 7, 8, 14, 15, व 16 देखें]

(4) अधिकरण, अपीलकर्ता की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर अपील खारिज कर सकता है ।

<sup>2</sup>[(5) अधिकरण, यदि उसने उपधारा (4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या, यथास्थिति, उपधारा (2-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्—]

(क) ऐसे आदेश को पुष्ट, निरस्त या परिवर्तित कर सकता है, या

(ख) आदेश को रद्द कर सकता है और यथास्थिति, कर निर्धारक या अपील सुनने वाले पुनः परीक्षण अधिकारी या <sup>3</sup>[कमिश्नर या पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी] को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जाँच, जैसी यदि विनिर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात् नया आदेश दे, या

(ग) कर, शुल्क या अर्थदण्ड की, या अन्य ऐसी धनराशि को जो देय धनराशि से अधिक वसूल कर ली गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस करने का आदेश दे सकता है ।

**स्पष्टीकरण**—आदेश में परिवर्तन करने के, खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित या अर्थदण्ड की धनराशि को कम करने या बढ़ा कर आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार भी है ।

[प्रयोजनार्थ ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल रेगुलेशन, 1988  
की धारा 9, 10, 10-क, 12, 18, व 20 देखें]

<sup>4</sup>[(6) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो <sup>5</sup>[ऐसी अपील के झापन के साथ प्रस्तुत किये गये] अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है 'उसके अधीन देय किसी कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को पुनः कर

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 19.11.1982)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा "बिक्रीकर कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1983 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(एक) कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली की स्थगन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी ने <sup>1</sup>[धारा 9 की उपधारा (1-ख) अधीन] जमा करने के लिए अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का सन्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(दो) अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में खण्ड (1) की अपेक्षा को अभिव्यक्त या शिथिल कर सकता है।

<sup>2</sup>[(तीन) अधिकरण को, धारा 8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कर निर्धारक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की शक्ति नहीं होगी।]

[प्रयोजनार्थ ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल रेगुलेशन, 1988 की धारा 11 देखें]

(7) <sup>3</sup>[\* \* \*]

<sup>4</sup>[(8) जहां अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, शुल्क या अर्थदण्ड की वसूली के स्थगन के लिये या उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिये आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, शुल्क या अर्थदण्ड की वसूली स्थगित हो गई है वहां अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक अपीलार्थी बकाया धनराशि के भुगतान के लिए सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।]

(9) अधिकरण के सदस्य समय-समय पर यथागठित एक, दो या अधिक सदस्यों की न्यायापीठ में बैठेंगे, और वे अधिकरण का ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें उपधारा (10) और नियमों के अधीन रहते हुए अधिकरण के अध्यक्ष के आदेश से या उसके निर्देशानुसार प्रविष्ट किये जायें।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा शब्द 'धारा 9-की उपधारा (1) के अधीन' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980 द्वारा निराली गई।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

(10) <sup>1</sup>[(क) धारा 9 के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण—

<sup>2</sup>[(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि <sup>3</sup>[दो लाख रुपये] से अधिक हो;]

<sup>4</sup>[(2) किसी अन्य मामले में, या किसी ऐसे मामले में, जहाँ 9 जुलाई, 1997 के पूर्व प्रस्तुत कोई अपील जो अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध न हो, <sup>5</sup>[1 मई, 2003 को लम्बित रही हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हो, एक सदस्य द्वारा किया जायगा;]

(ख) धारा 10-ख के अधीन दिए गये आदेश <sup>6</sup>[या धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिए गये निर्देश] के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा;

<sup>7</sup>[(ग) धारा 4-क की उपधारा (2-ख) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश या धारा 35 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय या धारा 4-क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थान्तर्गत किसी पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसकी सुनवाई और निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा ॥]

(घ) अध्यक्ष, यदि वह ऐसा उचित समझे—

(1) किसी अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण बृहद्तर न्यायपीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है;

(2) किसी अपील का अन्तरण एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को कर सकता है।

<sup>8</sup>[(ङ) दो या अधिक सदस्यों के किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले में,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 को धारा 15(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 6.5.2003)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा उपखण्ड "(2) किसी अन्य मामले में, एक सदस्य द्वारा किया जायेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "5 मार्च, 2001 को लम्बित रही हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति पचास हजार रुपये से अधिक न हों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 6.5.2003)।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

कोई ऐसा आदेश जो मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है ॥

<sup>1</sup>[(10-क) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय एक साथ किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और उसका विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ यह विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहां वह, यदि पूर्वतर विनिश्चय—

(क) लघुत्तर न्यायपीठ या समसंख्य न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है;

(ख) वृहदतर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी अधिकारितायुक्त वृहदतर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी वृहदतर न्यायपीठ ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।

(11) अधिकरण की बैठक का स्थान और प्रक्रिया और अधिकरण को अपील और अन्य लेख प्रस्तुत करने की रीति, नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी होगी जैसी अधिकरण अंगीकार करना उचित समझे।

(12) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार होगा। यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष—

(क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्य की राय के लिए मामला निर्दिष्ट कर सकता है, तदन्तर मामले का निर्णय ऐसी राय के अनुसार किया जायगा, या

(ख) वृहदतर न्यायपीठ बना सकता है।

[प्रयोजनार्थ नियम 69, 71, 2 (जज); 46-ख, 46-ग, 75 से 77-ग व 81(3) एवं 65 से 68 और ट्रेड टैक्स ट्रिब्युनल रेगुलेशन, 1988 की धारा 3, 4, 5, 17, व 13 देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

विवादित बिन्दु पर निर्णय देने हेतु आवश्यक तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध हों तो वाद को पुनः

निर्णयार्थ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं। *Maruti Trades v. C.T.T.*, [2004] 39 STR 49.

केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र विवादित कर का 20 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर बाकी धनराशि हेतु स्थगन आदेश दिया गया। *Telecom District Manager, BSNL, Badaun v. S.T. Tribunal, Bareilly*, [2004] 39 STR 70.

स्थगन आदेश पारित करते समय अधिकरण द्वारा आपाततः वाद के गुणदोष एवं आर्थिक स्थिति पर विचार किया गया—प्रथम अपील लम्बित होने की स्थिति में विवादित कर का 75 प्रतिशत स्थगित किया गया। *Associated Cement Companies Ltd. v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 24.

वेवर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते समय अधिकरण को विवादित कर का एक तिहाई भाग जमा करने की समय सीमा नहीं निश्चित करना चाहिए। व्यापारी द्वारा विवादित कर का एक तिहाई भाग जमा करने पर अधिकरण को स्थगन प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु आदेशित किया गया। *Union of India v. U.P. Trade Tax Tribunal, Meerut*, [2004] 39 STR 62.

**धारा 10—आयकर अधिनियम, धारा 254—**अधिकरण को अपने द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेने का अधिकार है। *Panwar Brick Field v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 612.

**धारा 10—**अधिकरण को अपने सम्मुख प्रस्तुत अपील की विषय वस्तु तक सीमित रह कर निर्णय करने का अधिकार है। *Krishna Bhatta Company v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 675 : 2004 UPTC 163.

**धारा 10—**कमिश्नर की अपील पर अधिकरण को अधिक से अधिक कर निर्धारण को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है इससे अधिक कर दायित्व नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि व्यापारी की अपील में अधिकरण को, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कर अथवा अर्थदण्ड बढ़ाने का अधिकार नहीं है। *C.S.T. v. R.S. Steel Works, 13 Civil Lines, Bareilly*, [2003] 38 STR 836.

**धारा 10—नियम 68—ट्रिब्यूनल रेगुलेशन 11(तीन)(डी)—**व्यापार कर अधिकरण को अपने किसी आदेश को वापस लेने का अधिकार है। सुनवाई की तिथि आगे बढ़ाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय वह शर्त लगा सकता है। *Anant Ram Prem Prakash v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 525 : 2003 UPTC 1263.

**धारा 10(5)—**व्यापार कर अधिकरण को अपने एक पक्षीय आदेश को वापस लेकर अपील की पुनः सुनवाई करके निर्णय करने का अधिकार है। *Ram Sewak Coal Depot, Deori, Mirzapur v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 514 : 2003 UPTC 608.

**धारा 10(5), 22—नियम 77—**नियम 77 के अन्तर्गत समुचित रीति से नोटिस की तामील किये बिना एक पक्षीय रूप से अपील का निस्तारण व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना होगा, अतः अविधिक होगा। *Bharti Carpenter Workshop v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 648 : 2003 UPTC 1166.

**धारा 10—**उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को वाद का निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया गया। वाद निस्तारण हेतु आवश्यक सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध न होने के कारण अधिकरण ने वाद कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। *Murl Coal Depot v. C.T.T.* (T.T.R. No. 719/2002), [2003] 37 STR 104 : 2003 UPTC 315.

**धारा 10—**व्यापारी के असहयोग के कारण कर निर्धारण आदेश की पुष्टि द्वितीय अपील में की गई। उसके अधिवक्ता द्वारा सहयोग का आश्वासन दिये जाने के पश्चात् द्वितीय अपील पुनः निस्तारण हेतु अधिकरण को प्रतिप्रेषित की गई। *Kalakankar Bricks Factory, Alapur, Pratapgarh v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 67.

**धारा 10**—उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को वाद प्रतिप्रेषित किया। अधिकरण को अधिकार है कि वह स्वयं निर्णय को या वाद नीचे के अधिकारी को प्रतिप्रेषित करें। जहाँ आवश्यक सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ अधिकरण द्वारा वाद का प्रतिप्रेषण गलत नहीं कहा जा सकता है। *Murlī Coal Depot v. C.T.T.* (T.T.R. No. 720/2002), [2003] 37 STR 102 : 2003 UPTC 451.

**धारा 10**—एकपक्षीय निस्तारित अपील की पुनः सुनवाई हेतु दिया गया आवेदन जिसमें अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट किये गये हों, अधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये। *Indian Steel Works v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 280 : 2003 UPTC 424.

**धारा 10**—व्यापारी किसी भी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधिकारियों द्वारा उसके तर्कों पर विचार नहीं किया गया। अधिकरण को निर्देश दिया गया कि व्यापारी द्वारा विपक्षी को रु० 2000 का हरजाना का भुगतान करने पर उसकी द्वितीय अपील पर पुनः सुनवाई करके निर्णय दें। *Jamuna Prasad Jaiswal v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 353 : 2003 UPTC 1068.

**धारा 10(6)**—अधिकरण द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त 80% विवादित धनराशि स्थगित की। उच्च न्यायालय द्वारा 10% विवादित धनराशि जमा करने एवं जमानत देने के उपरान्त शेष धनराशि स्थगित किये जाने का निर्देश दिया गया। *Vaibhav Casting Pvt. Ltd., Kanpur v. T.T.T. & another*, [2003] 37 STR 52 : 2003 UPTC 117.

**धारा 10(6)**—स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अधिकरण द्वारा व्यापारी की आर्थिक स्थिति का सम्यक् विवेचन किया जाना आवश्यक है। *Monnet Industries Ltd., Muzaffarnagar v. T.T.T. & another*, [2003] 37 STR 56 : 2003 UPTC 165.

**धारा 10(6)**—व्यापारी द्वारा रु० 30,000 जमा करने के उपरान्त अधिकरण को वेवर प्रार्थना पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। *Sonebhadra Fuels, Chandauli v. T.T. Tribunal*, [2003] 37 STR 64.

**धारा 10(6)**—विवाद प्रस्त कर रु० 25,65,000 में रु० 1,25,000 जमा करने के बाद स्थगन प्रार्थना पत्र विचार करने हेतु अधिकरण को निर्देश दिया गया। *Dwadesh Shreni Trading Company, Agra v. T.T. Tribunal*, [2003] 37 STR 71.

**धारा 10(6)**—जहाँ वाद के आपाततः गुण दोष को ध्यान में रखकर अधिकरण द्वारा 8% विवादित कर जमा करने पर एक तिहाई कर जमा की शर्त शिथिल करने का आदेश दिया हो, वहाँ आदेश में कोई कमी नहीं कही जा सकती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय वाद के गुणदोष केवल आपाततः विचारणीय है। *Ganga Welfare Society, Rasra, Ballia v. T.T. Tribunal, Varanasi*, [2003] 37 STR 98 : 2003 UPTC 369.

**धारा 10(6)**—व्यापारी की आर्थिक स्थिति को विवेचना किये बिना स्थगन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अस्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं है। *Jain Son Tractors, Bijnor v. T.T. Tribunal, Meerut*, [2003] 37 STR 129 : 2003 UPTC 540.

**धारा 10(6)**—विवादित कर का एक तिहाई कर जमा करने की शर्त शिथिल करने हेतु आपाततः परिलक्षित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिये—वाद के गुण-दोष पर निर्णय तो अपील की सुनवाई के समय ही किया जा सकता है। *Ganga Welfare Society, Ballia v. Trade Tax Tribunal*, [2003] 37 STR 226 : 2003 UPTC 369.

**धारा 10(6)**—विभाग द्वारा कुर्क की गई भूमि को व्यापारी ने स्थगित धनराशि की जमानत में प्रस्तुत किया। जमीन का मूल्य स्थगित धनराशि को देखते हुये पर्याप्त था। कर निर्धारण अधिकारी को कुर्क जमीन को जमानत में स्वीकार करने के निर्देश दिये गये। *Prem Heavy Eng. Works P. Ltd., Meerut v. T. T. Tribunal, Meerut*, [2003] 37 STR 374 : 2003 UPTC 887.

**धारा 10(6)**—स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ बेवर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अधिकरण केवल अपवाद स्वरूप विशेष दशा में एक तिहाई धनराशि जमा करने से व्यापारी को मुक्त कर सकता है। जिसके लिये उसे सुस्पष्ट कारण अंकित करना आवश्यक है। *R.H.L. Profiles Limited v. T.T. Tribunal, Kanpur*, [2003] 37 STR 418.

**धारा 10**—जब तक ऐसा कोई सशक्त कारण न हो, अधिकारी द्वारा वाद का निस्तारण करने हेतु उसे नीचे के अधिकारियों को प्रतिप्रेषित नहीं करना चाहिये। *Indian Farmers Fertilizer Co-operative Ltd., Bareilly v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 554 : 2002 UPTC 1049.

**धारा 10 एवं नियम 69**—द्विसदस्यीय पीठ द्वारा अपील सुनी गई। दोनों सदस्यों द्वारा अलग तिथियों में आदेश पारित किया गया—इसे द्विसदस्यीय पीठ का आदेश नहीं माना जा सकता। *Sonali Trading Company v. S.T. Tribunal, Faizabad and others*, [2002] 36 STR 437 (LB) : 2002 UPTC 683 (LB).

**धारा 10 एवं नियम 69**—द्विसदस्यीय पीठ द्वारा अपील की सुनवाई की गई तथा दोनों सदस्यों में मतैक्य नहीं हुआ—मामला तृतीय सदस्य को बहुमत के आधार पर निर्णयार्थ भेजा जाना चाहिये। *Sonali Trading Company v. S.T. Tribunal, Faizabad and others*, [2002] 36 STR 437 (LB) : 2002 UPTC 683 (LB).

**धारा 10**—अपील की सुनवाई आगे की तिथि में निश्चित करने का प्रार्थना पत्र गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिये। *Lord Krishna Textiles Mills, Saharanpur v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 631 : 2002 UPTC 832.

**धारा 10**—स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र टेलीग्राम द्वारा दी गई—अपील एकपक्षीय रूप से निस्तारित की गई—निस्तारण गुण दोष के आधार पर नहीं किये जाने के कारण सुनवाई के पश्चात पुनः निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। *Sanjay Oil and Flour Mills, Aligarh v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 516 : 2002 UPTC 810.

**धारा 10(6)**—एक तिहाई कर जमा करने की शर्त से मुक्त करने के पश्चात 75 प्रतिशत का स्थगन दिया जाना उचित नहीं। 95 प्रतिशत धनराशि स्थगित की गई। *Bhagwan Vanaspati Mills Ltd. v. Trade Tax Tribunal, Bareilly*, [2002] 36 STR 488 : 2002 UPTC 730.

**धारा 10(6)**—व्यापारी की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विवादित कर का 95 प्रतिशत वसूली—स्थगन आदेश दिया गया। *Yadav Timber v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 536 : 2002 UPTC 636.

**धारा 10(6)**—स्थगन प्रार्थना पत्र तथा धनराशि जमा करने की शर्त शिथिल करने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय व्यापारी के वाद के आपाततः गुणदोष एवं उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिये। *Raj Bahadur Gupta v. Member, T.T. Tribunal, Moradabad*, [2002] 36 STR 540 : 2002 UPTC 1014.

**धारा 10(6)**—स्थगन एवं बेवर प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते समय व्यापारी की आर्थिक स्थिति तथा उसके वाद की आपाततः दिखने वाले गुणदोष को ध्यान में रखा जाना चाहिये। *U.P. Furnishers v. T.T. Tribunal, Agra*, [2002] 36 STR 579 : 2002 UPTC 1082.

**धारा 10(6)**—स्थगन तथा बेवर प्रार्थना पत्रों का निस्तारण व्यापारी की वित्तीय स्थिति तथा वाद में निहित गुणदोष को दृष्टिकोण में रखते हुये किया जाना चाहिये। *Khalil Usmani v. T.T. Tribunal, Agra*, [2002] 36 STR 585 : 2002 UPTC 1064.

**धारा 10(6)**—व्यापारी ने आस्थगन प्रार्थना पत्र में आर्थिक विपन्नता को रेखांकित किया जिस पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया। विवादित कर का 5 प्रतिशत जमा करने पर शेष राशि की

वसूली स्थगित की गयी। *Sachchida Nand and Partners, Badaun v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 630 : 2002 UPTC 850.

**धारा 10(6)**—कमजोर आर्थिक स्थिति तथा प्रार्थी का सशक्त वाद का दावा स्थगन आदेश पारित करते समय विचार किया जाना चाहिये। *O.R.S. Steels Private Limited, Varanasi v. T.T. Tribunal, Varanasi*, [2002] 36 STR 633 : 2002 UPTC 1063.

**धारा 10(6) द्वितीय प्रतिबन्ध**—व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर कुछ नहीं—सारे घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये—आर्थिक विपन्नता को ध्यान में रखते हुये बैंक गारन्टी अथवा कैश सेक्योरिटी से भिन्न जमानत देने पर वसूली की कार्यवाही स्थगित की गई तथा अपील का निस्तारण दो माह में करने का निर्देश दिया गया। *Kunwar Rice Mill, Bijnor v. Trade Tax Tribunal, Meerut*, [2002] 36 STR 628 : 2002 UPTC 880.

**धारा 10(6)**—आपाततः परिलक्षित गुण दोष एवं व्यापारी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुये द्वितीय अपील का निर्णय शीघ्र करने के निर्देश अधिकरण को दिया गया तथा तब तक के लिये वसूली स्थगित की गयी। *Hewlett Packard India Ltd. Noida v. T.T. Tribunal, Ghaziabad*, [2002] 36 STR 684 : 2002 UPTC 982.

**धारा 10(6)**—शपथ पत्र पर पर्णित तथ्यों पर विचार करके अधिकरण ने विचारोपरान्त आदेश पारित किया अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्यों की अनदेखी की गयी। पाँच प्रतिशत विवादित कर का जमा करने पर शेष राशि स्थगित की गयी। *Geeta Traders, Koonch, Jallon v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 690 : 2002 UPTC 1054.

**धारा 10(6)**—स्थगन तथा वेवर प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु वाद का आपाततः गुण दोष तथा व्यापारी की आर्थिक स्थिति सुसंगत विषय हैं जिसपर विचार किया जाना चाहिये। *Apollo Tyres Limited v. T.T. Tribunal, Meerut*, [2002] 36 STR 693.

**धारा 10(6)—रिवीजन**—उच्च न्यायालय पुनरीक्षण का निस्तारण करते समय अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। *C.T.T. v. S/s. Brahmani Paper Mill Pvt. Ltd. Ghaziabad*, [2002] 36 STR 669.

**धारा 10(5)**—द्वितीय अपील का निस्तारण अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा वाद के गुणदोष को दृष्टिगत किये बिना कारण रहित आदेश द्वारा अपील निरस्त करना विधि सम्मत नहीं है। *Fusion Fittings (I) Ltd., Noida v. State of U.P.*, [2002] 36 STR 687 : 2003 UPTC 163.

**धारा 10**—मामले से सम्बन्धित समस्त सामग्री अधिकरण के सम्मुख उपलब्ध होने की स्थिति में अधिकरण को वाद का निर्णय गुण दोष पर करना चाहिये तथा इसे प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिये। *Agarwal Coke Industries v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 32 : 2002 UPTC 82.

**धारा 10**—अधिकरण की एक बेंच दूसरी बेंच द्वारा दिये गये निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे मामला बृहत्तर बेंच को संदर्भित करना चाहिये। *Associated Distributors Ltd. Ghaziabad v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 78 : 2002 UPTC 173.

**धारा 10**—अधिकरण का निर्णय, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, जब तक अपास्त नहीं किया जाता, पक्षकारों पर बाध्यकारी है। *P.N.C. Construction Company Ltd. v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 181 : 2002 UPTC 262.

**धारा 10 एवं 11—पुनरीक्षण**—जब अधिकरण के आदेश में कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता न हो तो कोई विधिक प्रश्न नहीं उठता जिसका उत्तर पुनरीक्षण में दिया जा सके। *U.P. State Bridge Corporation Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 238 : 2002 UPTC 455.



**धारा 10(8)**—स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय विवादित कर का तिहाई भाग जमा करने सम्बन्धी शर्त को शिथिल करने के आवेदन पर विचार करते समय अधिकरण को आपततः वाद के गुण दोष तथा याची की आर्थिक स्थिति दोनों पर ही ध्यान देना चाहिये। *M/s Tata Coffee Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 77 : 2002 UPTC 156.

**धारा 10(8)**—अधिकरण द्वारा एक तिहाई विवादित कर जमा न किये जाने के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु व्यापारी की आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया। व्यापारी को एक तिहाई कर जमा करने तथा अधिकरण को स्थगन प्रार्थना पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया। *M/s. Swarup Vegetable Products Industries Ltd. v. Trade Tax Tribunal*, [2002] 35 STR 262 : 2002 UPTC 300.

**धारा 10(8)(2)**—व्यापारी के इस कथन पर अधिकरण ने विचार नहीं किया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तथा निर्माण कार्य कर प्रदत्त कोयले से किया गया है। साठ हजार रुपये जमा करने के उपरान्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के निर्देश दिये गये। *M/s. Singh Coal Briquette v. Trade Tax Tribunal, Varanasi*, [2002] 35 STR 162 : 2002 UPTC 245.

**धारा 10**—अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत द्वितीय अपील को अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के जमा न किये जाने के आधार पर अग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 10 में स्वीकृत कर के जमा किये जाने की कोई शर्त नहीं है। *Sumat Kumar Jain v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 496.

**धारा 10**—अपील में निहित विविध बिन्दुओं पर अधिकरण द्वारा निर्णय न दिया जाना तथा अपने तर्कों एवं निष्कर्षों का निर्णय में उल्लेख न किया जाना उचित नहीं है। *M/s. Sumat Kumar Jain v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 496.

**धारा 10**—अधिकरण अपने एक पक्षीय आदेश को समाप्त करने हेतु साक्षम है। *C.S.T. v. Sunderdas Brick Field, Allahabad*, [2001] 34 STR 630.

**धारा 10**—अपील की सुनवाई के समय उपास्थित न होने के लिये समुचित कारण दर्शाये जाने की स्थिति में अपीलार्थी को उसकी पिछली असावधानियों के लिये दण्डित करना उचित नहीं है। *S.P. Jain and Company v. Trade Tax Tribunal, Ghaziabad & Arr.*, [2001] 34 STR 660.

**धारा 10(8)**—अपीलीय अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत विवादित कर का स्थगन आदेश दिया जिसे अधिकरण द्वारा 90 प्रतिशत कर दिया गया। *M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Jhansi v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 632.

**धारा 10(8)**—स्थगन आदेश पारित करते समय समस्त समस्याओं और परिस्थितियों पर विस्तार किया जाना अपेक्षित है। *M/s. Poshwal Chemical Industries, Kanpur Nagar v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 635.

**धारा 10(10-ए)**—व्यापारी की द्वितीय अपील 21-12-1984 को निर्णीत हुई। कमिश्नर की द्वितीय अपील व्यापारी की अनुपस्थिति में सुनने के बाद 27-3-1991 को निर्णीत हुई। अधिकरण ने पूर्ववर्ती आदेश को विचार में नहीं लिया। व्यापारी का कथन कि प्रथम अपीलीय आदेश 21-12-1984 के अधिकरण के आदेश में मिश्रित हो गया, नहीं माना गया। धारा 10(10-ए) के अनुसार अधिकरण को 21-12-1984 के आदेश के प्रभाव को विचार करके कमिश्नर की अपील सुनने के समय अपने अधिकार को यथोचित उपयोग करना चाहिए था—वाद अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। *M/s Satyam Steels, Ghazabad v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 509.

**धारा 10 एवं 9(3)(ए)(4)**—कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित तथा अपीलीय अधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट में तथ्यात्मक विरोध होने की स्थिति में अधिकरण द्वारा वाद प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि

नहीं की गई। *Ram Bharose Lal Hari Shanker v. C.T.T.*, [2001] 34 STR 626.

धारा 10—सुनवाई की तिथि की नोटिस मिलने के पश्चात् भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित न होने पर अधिकरण द्वारा दिया गया गुणदोष पर आधारित निर्णय विधि सम्मत है। *M/s. Ismail Khan v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 293.

धारा 10—पुरानी धारा 10 में वर्णित जज रिवीजन्स तथा नई धारा 10 में वर्णित अधिकरण के अधिकार एक ही हैं। *C.T.T. v. S/s. Marwah and Co., Dehradun*, [2001] 33 STR 345.

धारा 10—अपीलार्थी द्वारा अपील के आधारों में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर अधिकरण ने विचार नहीं किया अतः अधिकरण का आदेश समर्थन योग्य नहीं है। वाद पुनः निर्णयार्थ अधिकरण को प्रति प्रेषित किया गया। *M/s. Cescon Limited v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 416.

धारा 10 धारा 4-ए—31.3.1995 की विज्ञप्ति का लाभ पाने हेतु करदाता ने अपनी उत्पादक इकाई का विस्तार कर के 1998 में उत्पादन प्रारम्भ किया किन्तु 1.7.1999 की विज्ञप्ति के द्वारा छूट का लाभ वापस ले लिया गया। अधिकरण के सामने मामला अपील में लम्बित होने से उसे निर्देश दिया गया कि अपील का निस्तारण तीन माह में किया जाय। वसूली की कार्यवाही स्थगित की गई। *M/s Brindban Beverages Ltd. Bareilly v. T.T.T.*, [2001] 33 STR 425.

धारा 10 (3) व परिसीमा अधिनियम, धारा 5—अपीलीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप स्वीकार योग्य नहीं है। स्वीकृत आदेश में हस्तक्षेप उसी स्थिति में किया जा सकता है जब कि विवादित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध पारित किया गया हो। *C.T.T. v. U.P. Paper Corporation. Pvt. Ltd.*, [2001] 33 STR 337 (SC).

धारा 10 में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है जिसके अनुसार द्वितीय अपील तब तक दाखिल नहीं की जा सकती जब तक स्वीकृत बिक्री पर कर जमा न कर दिया जाय। उक्त आधार पर द्वितीय अपील ग्राह्य न होने का निर्णय विधि संगत नहीं है। विभिन्न विवादित बिन्दुओं में से कुछ बिन्दुओं पर निर्णय दिया जाना, विधि संगत नहीं है। *Sumat Kumar Jain v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 1016.

अपीलाधीन वर्ष के बकाया कर व ब्याज के माफ किये जाने के उपरान्त द्वितीय अपील निरर्थक हो गई फलतः अपील में पारित किया गया प्रतिप्रेषण आदेश निरस्त किया गया। *Bairi Nag Gram Swaraj Sangh v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 73.

धारा 3-एफ, यू०पी० ऐक्ट न० 31/1995 द्वारा पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 13-9-85 से लागू किया गया, के अनुसार आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है, न कि अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार। अतः अधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित वाद में दिये गये निर्देशानुसार आदेश पारित किये जाने में संशोधन वांछित। *Ravi Art Ceramics Industries, Ghazilabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 375.

अधिकरण द्वारा अपील का निस्तारण—विवादित सभी बिन्दुओं पर अधिकरण को अपना निर्णय देना अपेक्षित—ऐसा न करना विधिक त्रुटि। *M/s. Kuldeep Memorial Trust, Deoband, Saharanpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 603.

अधिकरण का आदेश। हर प्रकार से उसका पालन होगा और वह लागू होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में स्थगित न कर दिया गया हो ऐसा न करने पर न्यायाधिक प्रणाली में अब्यवस्था हो जाएगी। अतिज्ञानस्थ अधिकारी को अधिकरण के आदेश को कार्यान्वित करने का आदेश दिया जाता है। *M/s. Modi Rubbers Ltd. v. Trade Tax Tribunal*, [1999] 29 STR 102.

अधिकरण की द्विसदस्यीय पीठ में मतभेद होने पर तीसरे सदस्य के मत की प्राप्ति के पश्चात् आदेश धारा 10(5) के अन्तर्गत पारित किया जाना द्विसदस्यीय पीठ द्वारा आवश्यक है क्योंकि तीसरा

सदस्य केवल अपना अभिमत व्यक्त करता है। *Shivam Gramodhyog Sansthan v. C.T.T.*, 1998 UPTC 843.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयकर अधिकरण द्वारा किये गये कार्यों को न्यायिक कार्य की संज्ञा दी गयी तथा यह भी पर्यवेक्ष किया गया कि वह उच्च न्यायालय की अधीनस्थ कोर्ट है अतः स्वतः अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकती है। *Income Tax Appellate Tribunal Through President v. V.K. Agrawal* (1999) 30 STR (I.T. Section) 227 (SC).

अधिकरण द्वारा अपील का निस्तारण—एक पक्षीय निर्णय देने के कारण व्यापारी को अपने तर्क रखने का अवसर नहीं मिला—अपील में विवादास्पद बिन्दु फर्म के पुनर्गठन तथा तदजन्य नई इकाई पर प्रभाव से सम्बन्धित था—अधिकरण को वाद पुनःप्रेषित किया गया। *Newson Food Products, Sarsol, Aligarh v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 152.

देरी की अवधि को स्पष्टीकरण न देने पर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। *Punjab Paint Colour & Varnish Works (P.) Ltd. v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 496.

निर्दिष्ट रूप में निर्धारित अवधि के भीतर जमानत न दिये जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना न्यायसंगत। *Ved Praksah, Dhanaura v. A.C. (Assessment) Trade Tax*, [1999] 29 STR 312.

एक्ट सं० 11/1997 के संशोधन के पूर्व रु० 10,000 से ऊपर के विवादित कर की अपील प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण एकल पीठ द्वारा दीवान इण्टरप्राइजेज में उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किया गया। न्यायालय के मतानुसार दीवान इण्टरप्राइजेज में दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार आवश्यक। *Manoj Dal Mills, Agra v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 269.

एक्ट सं० 11/1997 के लागू होने से पूर्व रु० 10,000 से अधिक विवादित कर से सम्बन्धित अपील द्विसदस्यीय अधिकरण के समक्ष दाखिल की गयी। उक्त अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप रु० 50,000 तक के विवादित कर की अपील निर्णित करने का अधिकार एकल सदस्यीय अधिकरण होने के कारण, उनके द्वारा निस्तारित किया गया। व्यापारी का यह दावा कि द्विसदस्यीय पीठ द्वारा अपील का निस्तारण किया जाना चाहिये था न कि एकल सदस्यीय पीठ द्वारा, *C.I.T. v. Dhadi Sahu*, 199 I.T.R. Page 610 में दिये गये निर्णय के आलुझार पर स्वीकार किया गया तथा निर्देशित किया गया कि द्विसदस्यीय अधिकरण द्वारा अपील का निस्तारण किया जायें। *Dewan Enterprises v. C.T.T.*, 1998 UPTC 1186.

उक्त निर्णय *Manoj Dal Mill, Agra v. C.T.T.*, (1999) 29 STR 269 में स्वीकार न करत हुये भिन्न मत स्थिर कर, मामला खण्ड पीठ को प्रेषित किया गया तथा यह मत स्थिर किया गया कि *Commissioner of Income Tax v. Dhadi Sahu*, 199 ITR 610 में लिया गया निर्णय Distigushable है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित वाद *Mohd. Meera v. Theeru Malaia*, AIR 1966 (SC), 430 में यह कहा गया है कि अपील का निर्णय दिया जाना प्रक्रियात्मक न कि कोई Vested Right प्रदान करता है।

यद्यपि अधिकरण द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को पुनः खोले जाने का प्राविधान अधिनियम में नहीं है परन्तु निहित शक्ति Inherent Power से अधिकरण एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु उपलब्ध है। क्योंकि विधिक नियमों "Rule of Statutory Construction" के अनुसार अधिकरण व अन्य संस्था ऐसी अतिरिक्त शक्ति न्याय प्रदान किये जाने हेतु, से युक्त है। *M/s. Radhey Shyam and Company v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 77; *Grindlays Bank v. Central Government Industrial Tribunal*, AIR 1981 (SC) 606; *Satnam Verma v. Union of*

*India*, AIR 1985 SC 294; *M.P. Patdar and Company v. Additional Judge*, 1982 UPTC 117; *Shivam Behari Tiwari v. Goods Tax Officer*, 1985 UPTC 638.

सरकारी विभाग से विवादित कर की वसूली अधिकरण द्वारा अपील के निस्तारण अथवा सचिवों की समिति द्वारा विवाद हल किये जाने तक स्थगित की गई। *New Okhla Industrial Development Authority, Noida v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 604.

व्यापारी एक बीमार इकाई है, उधार की पूंजी से व्यापार किया जा रहा है। अधिकरण को वेवर की शर्त शिथिल कर देना चाहिये था। *Bihar Sponge Iron Limited, Modi Nagar v. Trade Tax Tribunal*, [1999] 30 STR 432.

धारा 10-ख व धारा 21 का प्राक्खान एक दूसरे से मिलते हुये भी भिन्न है धारा 10-ख के अन्तर्गत उन्ही सामग्रियों पर विचार किया जा सकता है जो करनिर्धारण अधिकारी के सम्मक्ष आदेश पारित करते समय उपलब्ध थे। करनिर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात प्राप्त सूचनाओं का उपयोग धारा 10-ख की कार्यवाही में नहीं लाया जा सकता। धारा 10-ख की कार्यवाही करनिर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है जबकि धारा 21 की कार्यवाही करनिर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है। *C.S.T. v. J.K. Satch Agricultural Machines Ltd., Kanpur*, 1999 UPTC 1297.

कमिश्नर व्यापार कर धारा 10-ख के के अन्तर्गत केवल उन्हीं अभिलेखों पर विचार कर सकते हैं जो कर-निर्धारण अधिकारी के सम्मक्ष उपलब्ध था। उनके द्वारा नये साक्ष्यों को प्राप्त कर जांच नहीं की जा सकती। *Samrat Carpet, Alld. v C.T.T.*, 1999 UPTC 1203.

कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण—कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील व्यापार कर अधिकरण द्वारा गुण दोष के आधार पर निस्तारित नहीं किये जाने पर अपील पुनः अधिकरण द्वारा निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित की गई। *M/s. Indian Oil Corporation Ltd, Agra v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 223.

वाद को प्रतिप्रेषण करने का अधिकार यद्यपि अधिकरण को धारा 10 में है किन्तु उसका प्रयोग न्याय के उद्देश्य से किया जाना वांछित है न कि विभाग को एक दूसरी पाली खेलने का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से। *Sarang Electronics (Pvt.) Ltd., Muzaffarnagar v. C.T.T.*, [1998] 27 STR 214.

स्थगन प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति विवेक के प्रयोग किये बिना निस्तारित करना उचित नहीं है। शक्ति का प्रयोग न्यायिक आधारों पर होना चाहिये। *Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd. v. Trade Tax Tribunal*, [1997] 25 STR 22.

अधिकरण का यह मत भ्रमात्मक है कि द्वितीय अपील दायर करते समय कर निर्धारण आदेश व प्रथम अपील के आधार की प्रति दाखिल की जाय। नियम 66(5) ऐसा करने के लिये निर्देशित नहीं करता। *C.S.T. v. Surendra Kumar Amar Nath*, [1994] 19 STR 103: 1994 UPTC 578.

अधिकरण एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने की शक्ति स्वतः रखता है। *Alucast Rural Industrial Estate v. C.S.T.*, 1994 UPTC 18.

लेखा पुस्तकें अस्वीकृत योग्य है यदि लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गईं तथा एक श्रेणी की वस्तु के स्टॉक में अन्तर पाये जाने पर अन्य वस्तुएँ जिसमें व्यापार किया जा रहा है, की बिक्री बढ़ाई जा सकती है। *Ranglal Gauri Shanker v. C.S.T.*, 1994 UPTC 47.

अपील यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई हो तथा निर्णय में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया हो तथा वह विवाद में पार्टी न बनाया हो, ऐसी स्थिति में

प्रतिकूल प्रभाव उक्त व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। *Vardhman Trading Co. v. Sales Tax Tribunal*, 1994 UPTC 577.

यदि अपूर्ण लेखा पुस्तकें उपलब्ध हुईं तो लेखा पुस्तकें अस्वीकार होने योग्य है। *Ganga Brick Industries v. C.S.T.*, 1994 UPTC 195.

स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शिथिल प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेते समय यह वांछित है कि प्राईमा फेंसी अपील के गुण व अवगुणों पर, तभी आर्थिक कठिनाई पर विचार किया जाय। *S.A.E. India Ltd. v. C.T.T.*, 1994 UPTC 550.

प्रथम अपीलीय आदेश, द्वितीय अपीलीय आदेश में समाहित होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने आदेश का संशोधन धारा 22 के अन्तर्गत करने हेतु सक्षम नहीं है। *Kheria Brothers v. Assistant Commissioner (J) Sales Tax*, [1995] 22 STR 50 : 1995 UPTC 593.

अधिकरण को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह विभागीय अपील दाखिल न किये जाने की स्थिति में कर में वृद्धि कर सके। *Hari Prasad v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 313 : 1995 UPTC 215.

ईटों के भट्टे के व्यापार में पिछले वर्ष का संवरण स्कन्ध आगामी वर्ष का प्रारम्भ स्कन्ध होता है इसलिये इस स्कन्ध पर छूट देना आवश्यक है ताकि करदाता को दुबारा बिक्री-कर न लगाया जा सके। *Sitaram Bhatta, Bagpat v. C.S.T.*, 1982 UPTC 792.

बही खातों को माल के स्टॉक की कमी व हिसाब-किताब की कमी पाये जाने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Babu Lal Buddhu Lal, Allahabad*, 1983 STD 12.

दो सदस्यीय अधिकरण द्वारा द्वितीय अपील निस्तारित-प्रत्यावर्तन के अपील का निस्तारण दो सदस्यीय अधिकरण द्वारा ही होगा न कि एक सदस्यीय अधिकरण द्वारा। *C.S.T. v. State Electricity Board*, [1986] 3 STR 466.

**अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों की अपील**—प्रथम अपीलीय आदेश के विरुद्ध दोनों पक्षों ने अपील प्रस्तुत किया। करदाता की अपील पहले निर्णीत किया गया जिसमें अधिकरण ने करदाता के बही-खातों को स्वीकार करने योग्य मत व्यक्त किया। अधिकरण ने बाद में विभाग की अपील इस आधार पर खारिज कर दिया कि करदाता का बही-खाता स्वीकार होने के कारण अब विक्रय-धन में कमी या अधिकता होने का प्रश्न व्यर्थ है। विभाग ने उच्च न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के परिपेक्ष में दोनों अपीलों को एक साथ सुनना चाहिये। उच्च न्यायालय ने विभाग की दलील स्वीकार न करके निगरानी खारिज कर दिया। *C.S.T. v. Ganesh Ent Udyog*, [1987] 5 STR 141.

**अपील का समय से प्रस्तुत न होना**—अधिवक्ता की लापरवाही से अपील अधिकरण के समक्ष समय के अन्दर दाखिल नहीं हुई समय की देरी क्षमा करने योग्य है। *Ajanta Arts v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 112.

विभाग व करदाता दोनों पक्षकारों को अपील दाखिल करने का अनुविहित अधिकार है। विभाग की अपील अधिकरण द्वारा इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि करदाता की अपील पहले निर्णीत हो चुकी है। अधिकरण को विभाग की अपील कानूनी ढंग से निर्णय करना चाहिये। *C.S.T. v. Gaya Prasad Anil Kumar, Allahabad*, [1986] 4 STR 502.

**न्यायाधिकरण के अधिकारों का विश्लेषण व समीक्षा**—न्यायाधिकरण प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय या आदेश को प्रतिक्रमण कर सकता है लेकिन तभी जब कि प्रथम अपील अधिकारी का आदेश कानूनन गलत है। न्यायाधिकरण अपने निर्णय को कपोल कल्पना के आधार पर आधारित नहीं कर सकता। न्यायाधिकरण को सभी तथ्यों का अनुसंधान करना चाहिये न कि केवल निर्णय का सार बिना कारण का वर्णन किये हुए। आवर्तन (turnover) में आवश्यक बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती चूंकि धारा

12(2) के अन्तर्गत बही-खाता अस्वीकार किया गया था। तथ्यों के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार करने योग्य नहीं है। न्यायाधिकरण का कार्य द्वितीय अपील की सुनवाई में पूर्ण न्याय सम्बन्धी है। *Vishwanath Foundry Works, Sahjanwa v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 391.

**पुनरीक्षण**—पुनरीक्षण अधिकारी ने इस कथन "स्क्रेप सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य नहीं थी और अतिरिक्त कर पुनरीक्षण में प्रथम बार नहीं लगाया जा सकता" को खारिज कर दिया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के कथन कर निर्धारण अधिकारी से सम्बन्धित है इसलिये पुनरीक्षण में प्रथम बार इस प्रकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। *Union Carbide India Ltd. v. C.S.T.*, 1983 UPTC 744.

**न्यायाधिकरण की शक्तियाँ**—धारा 10 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण की शक्तियाँ कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों के समान विस्तृत नहीं है तथा न्यायाधिकरण द्वारा कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। *Anand General Stores v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 387.

**तथ्य सम्बन्धी त्रुटियाँ**—सर्वेक्षण के समय हिसाब-किताब में पाये गये विभिन्न दोषों के आधार पर लेखा पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया गया। अधिकरण के आदेश में तथ्य सम्बन्धित त्रुटियाँ एक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में थीं। मामले को अधिकरण को पुनः विचार करने के लिये निर्देश दिया गया। *Sukhwasi Lal Brijesh Chandra v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 205.

**आवर्त (turnover) की घनराशि का निश्चय**—लेखा-बहियों को अस्वीकार करते हुए उप-आयुक्त (न्यायिक) ने आवर्त की घनराशि को घटा दिया। इसके विरुद्ध दो अपील प्रस्तुत की गईं। एक व्यापारी की तरफ से तथा दूसरी विभाग की ओर से। करदाता की अपील सुनवाई के लिये नम्बर पर पहले आयी जिसका विरोध विभाग ने पूर्णरूपेण किया। बाद में आवर्त में कमी किये जाने के विरुद्ध विभाग की द्वितीय अपील सुनवाई के लिये नम्बर पर आयी वह इस आधार पर निरस्त कर दी गयी कि लेखा पुस्तकों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद आवर्त में कमी किये जाने के खिलाफ की गई अपील का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिकरण ने आयुक्त की अपील को उचित ढंग से खारिज किया। करदाता की लेखा पुस्तकों को स्वीकार कर लेने के पश्चात् आवर्त की घनराशि के अवधारण या आवर्त की घनराशि में कमी या बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। *C.S.T. v. Ganesh Int Udyog, Roorkee*, [1987] 5 STR 141.

**लेखा पुस्तकों की स्वीकृति**—अधिकरण आदेश लेखा पुस्तकों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में तथ्य के निष्कर्षों पर आधारित है। इसलिये उसके आदेश में कानूनी कोई त्रुटि अन्तर्ग्रस्त नहीं है। *C.S.T. v. Madan Lal Dana & Sons, Bareilly*, [1987] 6 STR 94.

**तथ्य का निष्कर्ष**—अन्तर्ग्रस्त विवाद के प्रयोजन के लिये किसी मामले में नितांत असंगत विचारों पर आधारित तथ्यों का निष्कर्ष माननीय उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता और उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। *C.S.T. v. Bulaki Das Vinod Kumar*, [1987] 5 STR 155.

करदाता ईंटों के भट्टे का कारोबार करता था। अधिकरण ने आवर्त के अनुमान का निश्चय किया। फुकाई की अवधि के विषय में अभिलिखित किये गये निष्कर्ष हेतु अभिलेख पर पर्याप्त तात्विक उपलब्ध थी। बिक्री-कर अधिकरण का निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित था। अतः यह निष्प्रय दिया गया कि बिक्री-कर अधिकरण के आदेश में कानूनी कोई त्रुटि नहीं थी। *Janta Bricks Factory v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 22 : 1987 UPTC 1797 : 1987 ATJ 454.

**कर योग्य आवर्तन के निश्चय करने का प्रश्न**—अधिकरण ने आवर्तन का अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं दिया। अतः अधिकरण को निर्देश दिया गया कि मामले पर पुनः विचार करे। *Sukhwasi*

*Lal Brijesh Chandra, Budaun v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 205.

**ईटों के विक्रय की दर**—बिना किसी आधार के ईटों की बिक्री का औसत दर निश्चय करना कानूनन मान्य नहीं होता। केवल बिक्री की दर निश्चित करने के लिये अधिकरण को निर्देश देते हुए वाद वापस किया गया। *Ramesh Chandra Brick Kiln Owner v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 288.

**ईटों की बिक्री का दर नियत करना**—विभिन्न तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर आधारित बिक्री-कर अधिकारी के निष्कर्ष पर विचार करते हुए ईटों की बिक्री का दर अधिकरण ने नियत किया। अतः यह निर्णय हुआ कि अधिकरण द्वारा ईटों के विक्रय का दर नियत करने में कानूनन कोई त्रुटि नहीं है। *Janta Bricks Factory v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 22 : 1987 UPTC 1797 : 1987 ATJ 454.

**अधिनियमों की व्याख्या**—सही वैधानिक सिद्धान्त यही है कि प्रभारी-धारा/धाराओं में भिन्न करारोपण कानून की धाराओं को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये कि जिससे व्यवस्थापक मण्डल का वह आशय प्रभावी हो सके जो कि प्रभार को प्रभावी बनाता हो और उपबन्धों को भी इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये कि कर निर्धारण की पत्रवली कार्य करने योग्य हो सके। ऐसी परिस्थिति में अदालत को वह अर्थ लेना चाहिये जिससे व्यवस्थापक मण्डल का अभिप्राय अच्छे ढंग से प्रभावित हो सके। *C.S.T. v. Vijendra Industries*, [1987] 6 STR 154.

**द्वितीय अपील**—अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व इन बिन्दुओं पर कि क्या पुनरीक्षणों के आधार में हुई गलती की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था, क्या अधिकरण ने कर निर्धारण अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि को यह आश्वासन दिया था कि करदाता की कर देयता पर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अधीन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अधीन विचार किया जायेगा, क्या करदाता उत्तर प्रदेश में बिक्री करने के हेतु एक आयातकर्ता के रूप में कर देयता दायित्वाधीन है तथा क्या राजस्व विभाग पर उत्तर प्रदेश की बिक्री में एक आयातकर्ता के रूप में कर निर्धारण करने के बाद तथा कर-निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति न किये जाने की दशा में करदाता पर उसी प्रकार का कर निर्धारण करने से निबन्धित है। अधिकरण ने एक मिश्रित आदेश यह धारण करने हेतु पारित किया कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता का कोई दायित्व नहीं था। ऊपर लिखे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्पष्ट निष्कर्षों के अभाव में अधिकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया और मामला स्पष्ट निष्कर्ष प्रदान करने हेतु तथा उनका विधि के अनुसार विनिश्चित करने के लिये वापस कर दिया गया। *C.S.T. v. Bartaria & Sons, Bareilly*, [1987] 6 STR 98.

**अधिकरण का क्षेत्राधिकार**—प्रथम अपील में आलू की चिप्स कर मुक्त किये जाने के विरुद्ध विभाग ने द्वितीय अपील अधिकरण के सम्क्ष नहीं दाखिल किया। करदाता की द्वितीय अपील में आलू की चिप्स के प्रश्न पर अधिकरण निर्णय नहीं कर सकता है। *Tarachand Pahwa & Sons v. C.S.T.*, [1988] TLD 103.

**द्वितीय अपील में अधिकरण की शक्तियाँ**—करदाता केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम दोनों ही द्वारा शासित व्यापार करता था। यह मालूम हुआ कि करदाता ने उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अधीन बहुत अधिक मात्रा में बिक्री-कर को छिपाया था और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर के दायित्व के विषय में अधिकरण द्वारा किये गये मामले के प्रति-प्रेषण को माननीय उच्च न्यायालय ने बहाल किया। यह तो मानी हुई बात है कि करदाता ने ऐसा भी कारोबार किया जो कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने योग्य था और करदाता ने रु० 2,52,114.95 का turnover दिखलाते हुए विवरण पत्र भी दाखिल किया। अधिकरण ने इस उपधारणा के अन्तर्गत कि करदाता ने केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अधीन भी बिक्री छिपाया होगा, उस अधिनियम के अधीन

करदाता के दायित्व के बारे में और अधिक जांच के हेतु मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया। अतः यह निर्णय दिया गया कि अधिकरण के आदेश में कानूनन कोई त्रुटि नहीं थी। *Khanna Novelties v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 573.

अधिकरण ने केस का स्थगन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि पहले भी दो बार केस स्थगन किया गया था। अधिकरण का आदेश गलत व अनुचित था। स्थगन अस्वीकृत करते समय अधिकरण को कारण देना चाहिये था। केस पुनः विचार हेतु वापस किया गया। *Taj Cutlery & Allied Agencies, Moradabad v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 417.

प्रथम अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुये, अधिकरण को विस्तृत कारण देना या प्रथम अपील के मूल आधारों को दोहराना आवश्यक नहीं था। *Dhruva Kumar & Sons v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 93.

अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों के अपील की एक साथ सुनवाई—सहायक आयुक्त (न्याय) के आदेश के विरुद्ध विभाग व करदाता दोनों ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। विभाग की अपील का निर्णय पहले हुआ और वह बिक्री—कर अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए स्वीकृत हुई। बाद में करदाता की अपील यह निश्चित करते हुए खारिज हुई कि सहायक आयुक्त (न्याय) का आदेश उचित था और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकरण के दोनों निर्णयों में स्पष्ट विरोधाभास व विसंगतियाँ होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ होना चाहिये थी। अतः करदाता के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि दोनों अपीलों पुनः एक साथ अधिकरण द्वारा सुनी जायें। *Suresh Chand Mittal, Bulandshahr v. C.S.T.*, 1988 TLD 152.

करदाता की अनुपस्थिति में अधिकरण के एकपक्षीय निर्णय देने के पहले अपील की सुनवाई की स्थगन तिथि की सूचना करदाता को देना आवश्यक था। अधिकरण का एकपक्षीय अपील का निर्णय करना उचित नहीं था। अतः अधिकरण का दीर्घाकृत नहीं हो सकता। *Jai Hind Bhatta v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 438.

नकद धनराशि के संतुलन में भिन्नता होने के कारण लेखा पुस्तकों को अस्वीकृत किया गया। नकद धनराशि के संतुलन में भिन्नता होने के निर्णय को स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई परन्तु अधिकरण ने इस भाग को अपील का निर्णय करते समय ध्यान नहीं दिया। निर्णय जो कि मूल तथ्यों को विचार करने के बिना दिया गया था वह दीर्घाकृत करने योग्य नहीं है। मामला पुनः विचार हेतु अधिकरण को भेजा गया। *Jagannath Rai v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 395.

विधि या तथ्यों के सभी प्रश्न जो करदाता के कर—निर्धारण से सम्बन्धित है अधिकरण के समक्ष उठाये जा सकते हैं। अधिकरण पक्ष को अतिरिक्त अपील का कारण लेने की स्वीकृति दे सकता है यदि उन कारणों का उत्तर देने के लिये दूसरे पक्ष को पूर्ण अवसर प्रदान किया जाय। करदाता का जो दावा उपशमन पाने हेतु बिक्री—कर अधिकारी के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया था उसे प्रथम बार अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में अधिकरण का न मंजूर करना उचित था। *Pawan Kumar Agrawal v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 445.

अधिकरण की शक्तियाँ—धारा 10(5)(ख) के अन्तर्गत अधिकरण को यह अधिकार देता है कि वह कर—निर्धारण अधिकारी या अपीलीय अधिकारी या निगरानी अधिकारी या आयुक्त बिक्री—कर के आदेशों को निरस्त कर दें और उन्हें पुनः जाँच करके निर्णय करने हेतु आदेश देने के लिये निर्देश दे दें। *Tara Prasad Arun Kumar v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 167.

अधिकरण को केस का निर्णय न्यायिक आत्म से करना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये विवादित प्रश्नों का निर्णय साक्ष्यों को देखकर करना चाहिये तथा हर प्रकार के गुण व अवगुण को देखकर कारण



देते हुए निर्णय करना चाहिये। अपील की सुनवाई में अधिकरण का कार्य पूर्णरूप से न्यायिक है। अधिकरण के लिये आवश्यक है कि वह सभी प्रतिद्वन्दी विवादों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के दावे के तथ्यों को देखते हुए अपना निर्णय दें। *C.S.T. v. Uma Trading Company*, [1988] 7 STR 156.

**10-क. आज्ञार्ये जिनके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा—** निम्नलिखित के विरुद्ध न तो कोई अपील की जायेगी और न पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा:

(क) धारा 7 या धारा 21 के अधीन कोई आज्ञा या नोटिस जिसमें कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण के निमित्त कोई जाँच प्रारम्भ की जाय, या

<sup>1</sup>[(ख) धारा 13 या धारा 13-क की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) अथवा धारा 28-क की उपधारा (6) के अधीन कोई अपेक्षा या कार्यवाही ]]

**10-ख. कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण—**(1) कमिश्नर या <sup>2</sup>[संयुक्त-कमिश्नर] से निम्न पद का कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत करे, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित धारा 10-क के उल्लिखित आदेश से भिन्न किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए मांग सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश जिससे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश—

(क) उस आदेश को, जो धारा 9 के अधीन अपील की विषय वस्तु हो या रह चुका हो, या उक्त धारा के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दिए गये आदेश का, पुनरीक्षण करने के लिए नहीं दिया जायगा;

**स्पष्टीकरण—**यदि किसी आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली जाय या धारा 22 के अधीन देय शुल्क का भुगतान न करने या धारा 9 की उपधारा (1) का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया जाय तो यह नहीं समझा जायेगा कि वह आदेश धारा 9 के अधीन अपील की विषय-वस्तु रह चुका है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "उप कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।

- (ख) प्रश्नगत आदेश के दिनोंक से साठ दिन की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जायगा;
- (ग) प्रश्नगत आदेश के दिनोंक से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1979 के प्रारम्भ के दिनोंक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं दिया जायेगा।

[प्रयोजनार्थ नियम 46-ख, 46-ग, 75 से 77-ग व 81(4) एवं 71 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कापर शीट की बिक्री ब्रास वेअर निर्माता को की गई मानकर 2 प्रतिशत कर लगाया गया। किसी विपरीत तथ्य के अभाव में ऐसी बिक्री ब्रास वेअर निर्माता से भिन्न को की गई बिक्री मानते हुये 8 प्रतिशत की दर से कर लगाने हेतु धारा 10-बी की कार्यवाही विधि संगत नहीं। *C.S.T. v. Singhal Metal Traders, Moradabad*, [2004] 39 STR 10.

धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही इस आधार पर कि व्यापारी द्वारा टायर, ट्यूब व रिम की खरीद नहीं की गई तथा आयातित टिम्बर बेचे जाने का निष्कर्ष निकाला गया। व्यापारी का कथन कि टायर, ट्यूब व रिम बग्गी क्रेता द्वारा आपूर्ति की गई। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि बग्गी का निर्माण नहीं किया गया। किसी सामग्री के अभाव में मात्र अनुमान के आधार पर धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। *C.S.T. v. Mahamahim Shriv Agriculture Implements, Bulandshahar*, [2004] 39 STR 98.

धारा 10-बी—अर्धदण्ड आदेश पारित किये जाने के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। *Ashok Tin & General Industries, Free Ganj, Agra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 263 : 2003 UPTC 489.

धारा 10-बी—अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की विवेचना के उपरान्त डिप्टी कमिश्नर द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारक अधिकारी को निर्देश दिये जाने में कोई अनियमितता नहीं है। *Jhoola Refineries Ltd. Tilmapur, Ashapur Varanasi v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 244 : 2002 UPTC 458.

धारा 10-बी—विवादित कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील का निस्तारण हो जाने के पश्चात कमिश्नर को पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। *M/s. Pooran Chand & Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 253.

धारा 10-बी—धारा 10-बी के अन्तर्गत पुनरीक्षण में उपकमिश्नर द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये बिना कर निर्धारण को पुनः करनिर्धारण आदेश दिया जाना अनुचित नहीं है। *C.S.T. v. S/s Trilok Chandra Braj Bhushan*, [2001] 33 STR 320.

धारा 10-बी—उपकमिश्नर कार्यपालक द्वारा किसी करनिर्धारण आदेश का पुनरीक्षण करने हेतु किसी अद्वैतानिकता या अनौचित्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। *C.S.T. v. S/s. Shakir Metal Works, Tantanpada, Aligarh*, [2001] 33 STR 401.

धारा 10-बी—कर निर्धारण करने में सर्वेक्षण पर उपलब्ध विपरीत सामग्री पर भली भांति विचार नहीं किया गया उपकमिश्नर द्वारा आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। *M/s Rubey Industries Corporation, Noida v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 428.

धारा 10-बी—उप-कमिश्नर द्वारा कर निर्धारण का पुनरीक्षण तभी किया जा सकता है जब कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील न की गई हो। जहाँ प्रतिप्रेषित वाद के अनुपालन में कर-निर्धारण किया

गया और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई वहाँ धारा 10-बी के क्षेत्राधिकार का प्रयोग उप-कमिश्नर भली भौति कर सकता है क्योंकि पूर्व के कर-निर्धारण आदेश अपील ग्रस्त होने के पश्चात् भी निरस्त किये जाने के कारण अस्तित्वहीन हो चुके होते हैं। *M/s Rubey Industries Corporation, Noida v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 428.

धारा 10-बी एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2)—केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश का भी कश्मिनर द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकता है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार 1948 के प्रान्तीय अधिनियम में पुनरीक्षण करने सम्बन्धी समस्त प्राविधान लागू होते हैं। *M/s Rubey Industries Corporation, Noida v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 428.

यदि कोई सूचना कर निर्धारण के समय उपलब्ध न हो तो उस आधार पर धारा 10-बी के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश का संशोधन नहीं किया जा सकता है। *Balaji Trading Co. v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 391 See also *Commissioner of Sales Tax v. Agan Lal Fakir Chand, Arhti*, [1996] 24 STR 101 : 1996 UPTC 1087.

करनिर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं का उपयोग धारा 10-ख की कार्यवाही में नहीं लाया जा सकता। *C.S.T. v. J.K. Satch Agricultural Machines Ltd., Kanpur*, 1999 UPTC 1297.

धारा 10-ख के अन्तर्गत पुनरीक्षण का अधिकार अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रयुक्त किया जा सकता है। जाँच (Enquiry) किये जाने के लिये उक्त अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। *Samrat Carpet v. C.T.T.*, 1999 UPTC 1203.

पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा करनिर्धारण की शुद्धता औचित्य एवं वैधता की जांच की जा सकती है। *C.T.T. v. S/s Suhag Industries, Kanpur*, [2000] 31 STR 49.

कर निर्धारण के समय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही कमिश्नर को यह जांच करना है कि कर निर्धारण वैधानिक है अथवा नहीं—यदि कोई आवश्यक जांच नहीं की गई है उसी स्थिति में धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। *M/s. Lal Chand Radhey Shyam, Meerut v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 462.

किसी वस्तु की करदेयता के अन्वयण का लाभ आदि व्यापारी को दिया गया है तो उसे धारा 10-ख या 21 के अन्तर्गत वापस नहीं लिया जा सकता। *Commandant Central Weapons Stores, C.R.P.F., Rampur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 678.

पुराने खाली टिन कन्टेनर को पुराने अप्रयोग्य स्टोर्स मानकर धारा 10-ख में कार्यवाही पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकारी में नहीं आती है। *Commandant Central Weapons Stores, C.R.P.F., Rampur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 678.

धारा 10-बी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग धारा 21 में प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये नहीं किया जा सकता। *Shyam Lal Om Prakash v. Revising Authority*, 1994 UPTC 525 and *A.K. Corporation v. State of U.P.*, 1994 UPTC 75.

धारा 10-बी का उपयोग व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर भी किया जा सकता है किन्तु उक्त निर्णय के विपरीत *State of Andhra Pradesh v. T.G. Lachmaia Shetti*, 1994 UPTC 825 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पुनरीक्षण की सुविधा केवल विभाग को ही उपलब्ध है न कि व्यापारी को। *S.D.O., Telephones v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 288: 1994 UPTC 58.

अधिनियम 12 सन् 1979 प्रभावी दिनांक 3.10.80 द्वारा धारा 10-बी लागू किया गया। उक्त तिथि से चार वर्ष भीतर पारित आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। *Shyam Lal Om Prakash v. Revising Authority*, 1994 UPTC 525.

धारा 10-बी एवं धारा 21 के अन्तर्गत समानान्तर कार्यवाही नहीं की जा सकती। *United Tractors v. State of U.P. and others*, [1996] 24 STR 303; 1996 UPTC 1185.

धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही से सम्बंधित नहीं है जिसमें दी गई नोटिस अवधारणा के न होने के कारण निरस्त कर दी गई हो। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत मूल आदेश पारित करने की तिथि से चार वर्ष के भीतर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लेना चाहिये। *C.S.T. v. Agan Lal Fakir Chand*, [1996] 24 STR 101; 1996 UPTC 1087.

**पुनरीक्षण अधिकारिता**—पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग धारा 10-ख के अन्तर्गत केवल आयुक्त, बिक्री-कर द्वारा किया जा सकता है। *Anand General Store v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 387.

धारा 21 की नोटिस निरस्त होने के कारण मूल आदेश का संशोधन न होने के कारण धारा 10-ख की कार्यवाही अवधि समाप्त होने के कारण नहीं की जा सकती। *Ceat Tyres of India Ltd. v. C.S.T.*, [1997] 25 STR 122.

**11. विशेष मामलों में उच्च-न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अन्तर्ग्रस्त है—**[(1) धारा 10 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, या अधिकरण द्वारा धारा 22 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च-न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में विधिप्रश्न अन्तर्ग्रस्त है :]

(2) कोई व्यक्ति, जो पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेश से, जिसमें इस धारा के अधीन जैसा कि वह [27 अप्रैल, 1978 के ठीक पूर्व थी (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है)] मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, क्षुब्ध हो, यदि उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनांक से ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए परिसीमा समाप्त न हुई हो, उक्त दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनांक से ठीक पूर्व थी, कोई प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि समाधान के लिए एक सौ बीस दिन की अवधि जैसा कि उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, समाप्त हो गई है, तो ऐसा प्रार्थी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध उक्त दिनांक से सात दिन के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि-प्रश्न है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र में मामले से सम्बन्धित विधि प्रश्न का ठीक-ठीक वर्णन होगा और विधि-प्रश्न के सूत्रीकरण या किसी अन्य विधि-प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय सक्षम होगा।

(5) इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसा कि वे उक्त दिनोंक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में समाधान भेजने के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र, जो उक्त दिनोंक को पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जायगा। इस प्रकार अन्तरित प्रत्येक ऐसे प्रार्थना-पत्र को और इस धारा की उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनोंक के ठीक पूर्व थी, प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को, जो उक्त दिनोंक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और उसका निस्तारण तदनुसार किया जायगा।

(6) यदि उच्च न्यायालय के उक्त दिनोंक के पूर्व पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त, पुनरीक्षण अधिकारी से इस धारा की उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनोंक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण देने और समाधान के लिए उच्च न्यायालय को भेज देने की अपेक्षा की हो तो ऐसे अधिकारी यथाशीघ्र, उसे तदनुसार समाधान के लिए भेजेगा। इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक समाधान और उस धारा की उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनोंक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुपालन में उक्त दिनोंक के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा भेजा गया प्रत्येक समाधान इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और तदनुसार उसका निस्तारण किया जायेगा।

(6-क) यदि पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी ने उक्त दिनोंक के पूर्व, इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनोंक के ठीक पूर्व था; प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया हो, और ऐसे अधिकारी ने उक्त दिनोंक के पूर्व समाधान न भेजा हो, तो वह यथाशीघ्र, उच्च न्यायालय को समाधान के लिए भेजेगा। प्रत्येक ऐसा समाधान, और उक्त दिनोंक के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा पहले से भेजा गया और उक्त दिनोंक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक समाधान, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और तदनुसार उसका निस्तारण किया जायगा।

1[(7) यदि उस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो तो उच्च

न्यायालय उस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिए आशयित आदेश के अधीन देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिए कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे ॥

(8) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तर्ग्रस्त विधि-प्रश्न का निर्णय करेगा और यदि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिए निर्णय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है, और तदुपरान्त अधिकरण ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो ।

1[(8-क) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 10 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिये सभी प्रार्थना-पत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना-पत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चय पहले कर दिया गया है, वहां यदि उच्च न्यायालय अवशेष प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई करते समय, यह विचार करता है कि पूर्वतर विनिश्चय से ऐसे अवशेष प्रार्थना-पत्रों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, तो वह ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को रद्द कर सकता है और तत्पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकता है ॥

(9) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये दिये गये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत कमिश्नर 1[और राज्य सरकार] भी है ।

[प्रयोजनार्थ नियम 77 एवं 71 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 11—पुनरीक्षण—विधिक प्रश्न के अभाव में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र का निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं किया जा सकता है। *Om Ayurvedic Pharmacy, Gandhi Nagar, Basti v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 55 : 2003 UPTC 175.

धारा 11 एवं 10(8)—व्यापारी द्वारा रु० 3000 तथा रु० 2000 क्रमशः 1993-94 तथा

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा अन्तःस्थापित।

1996-97 के लिये जमा करने पर अधिकरण को स्थगन प्रार्थना पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया। *Zubey Sugar Works v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 61 : 2003 UPTC 214.

**धारा 11**—उच्च न्यायालय अधिकरण के उस निष्कर्ष को निरस्त नहीं कर सकता जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनौचित्य नहीं है। *Naseer (Driver) v. Commissioner of Trade Tax*, [2002] 36 STR 537 : 2002 UPTC 1043.

**धारा 11**—अधिकरण द्वारा वाद के समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त पारित आदेश में यदि कोई अवैधानिकता नहीं है तो उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकारी की तरह साक्ष्य परीक्षण नहीं कर सकता। *Nafees Ahmad, B.K.O., Basti v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 582 : 2002 UPTC 1085.

**धारा 11**—एक ही मार्कावाले काजू के कार्टून की खरीद विभिन्न व्यापारियों से खरीदा जाना तथा स्टोरेज रसीद भण्डारण के कई दिनों बाद जारी किया जाना तथ्यगत प्रश्न है जो पुनरीक्षण में विचारणीय नहीं है। *C.T.T. v. Bhagwati Trading Co.*, [2002] 35 STR 31 : 2002 UPTC 7.

**धारा 11**—वाद प्रतिप्रेषित करने वाले अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका उस आधार पर अपास्त नहीं की जा सकती कि अपीलीय आदेश के अनुपालन में कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। *M/s Kanha Vanaspati Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 34.

**धारा 11**—पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पांच साल की देरी से प्रस्तुत किया गया। विलम्ब हेतु दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। *M/s Indodan Milk Products Ltd. v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 235 : 2002 UPTC 502.

**धारा 11**—पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में समुचित विधिक बिन्दु का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। *C.S.T. v. S/s Malik General Store, Muzaffarnagar*, [2001] 34 STR 482.

**धारा 11 एवं 8-डी**—अधिनियम के किसी प्राविधान को अधिनियम द्वारा सृजित किसी अथारिटी द्वारा संवैधानिक होने अथवा न होने के विवाद पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। *Meerut Development Authority v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 32.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह निर्णय देना कि अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों पर आधारित है तथा किसी हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है, उचित नहीं है। तथ्यों के निष्कर्षों की विवेचना वांछित था। अतः वाद पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित होगा। *Commissioner of Sales Tax v. Prag Ice and Oil Mills*, 2000 UPTC 874 (SC).

शासन के दो विभागों के मध्य उत्पन्न विवाद शासनादेश संख्या 160 दिनांक 16.1.1991 के अनुसार सचिव की कमेटी द्वारा ही तय किया जाना वंछित है। यही स्थिति पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिये भी लागू है। *New Okhla Development Authority v. Commissioner Trade Tax*, 2000 UPTC 448 See also *State Electricity Board v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 492 and *Pradeshliya Industrial and Investment Corporation v. Dy. Collector (Collection) Sales Tax*, 1994 UPTC 833.

शासन के दो विभागों के मध्य उठे विवाद में उच्च न्यायालय का यह दायित्व है कि वह मामले को शासन स्तर पर निर्णीत कराये। न्यायालय में ऐसे वाद नहीं उठाने चाहिये। *Oil and Natural Gas Commission v. Collector of Central Excise*, 1991(4) Judgment Today 158 (SC).

यू०पी० आवास एवं विकास परिषद द्वारा विलम्ब से दखिल पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के आधार पर क्षमा योग्य नहीं है। *U.P. Avas Evam Vikas Parishad v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 513.

अंतरिम आदेशानुसार माल छोड़े जाने के कारण दाखिल पुनरीक्षण निष्कीय हो गया। *Commissioner of Trade Tax v. Kothari Pouches Ltd., Noida*, 2000 UPTC 561.

तथ्यों पर दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि वह अनुचित (*perverse*) हो तथा उपलब्ध सामग्री पर आधारित न हो। *Savitri Khansari Udhog v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 134.

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में वह बिन्दु नहीं उठाया जा सकता जिसका उल्लेख अधिकरण के विवादित आदेश में नहीं किया गया हो। *Gupta Glass Industries v. C.S.T.*, 2000 UPTC 40.

पुनरीक्षण में कोई नया प्रश्न उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। *Commandant Central Weapons Stores, C.R.P.F., Rampur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 678.

तथ्यात्मक निष्कर्ष में कारण के आभाव में उच्चन्यायालय हस्ताक्षेप कर सकता है। *Devi Singh Raghuxar Singh Kachcha Arhatti v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 27

देरी क्षमा हेतु प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। *M/s Z.B. Engineering Works v. Trade Tax Tribunal, Agra*, [2000] 31 STR 50

प्रत्येक दिन की देरी के लिये स्पष्टीकरण न दिये जाने एवं राजाज्ञा के अन्तर्गत बनाई गई कमेटी तक पहुँच का मार्ग खुला होने के कारण देरी क्षमा का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया गया। *U.P. State Electricity Board v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 45

अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अथा—पुनरीक्षण ट ने प्रस्तुत किया—अभिलेख से ज्ञात होता है कि ट ने अपने तथा अ के लिये प्रारम्भ से ही मामले में अभियोजित रहा—ट को पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का अधिकार है। *Transport Corporation of India Ltd. v. C.T.T.*, [1998] 28 STR 369.

धारा 11 के अन्तर्गत पुनरीक्षण अधिकारों का प्रयोग तभी किया जाना चाहिये जब कि यह प्रमाणित हो कि अधिकरण द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विचार नहीं किया तथा जो निर्णय लिया गया वह नियमानुसार नहीं है एवं मनमानी है। *Guddi Glass House v. C.T.T.*, [1998] 27 STR 189.

पुनरीक्षण में नया बिन्दु विचारणीय नहीं है। *C.S.T. v. Doon Engineering (P) Ltd.*, 1995 UPTC 1326; [1995] 22 STR 123.

धारा 11 की सीमा तथा किस प्रकार के आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। 1996 UPTC 633 व 671 भी देखें। *Tanrnumal Brick Kiln v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 38; 1996 UPTC 65.

कोर्ट फीस ऐक्ट, 1897 के शेड्यूल 2 के क्रमांक 4-क के अनुसार धारा 11 के अन्तर्गत दायर पुनरीक्षण में रूपया 250 कोर्ट फीस देय है। यू0पी0 सेल्स टैक्स (संशोधन) ऐक्ट, 1995 की धारा 40(1) के अधीन जहाँ कहीं भी नियमों और रेगुलेशन में शब्द "सेल्स टैक्स" का प्रयोग किया गया है वही शब्द "ट्रेड टैक्स" पढ़ा जाना है। *Mahaveer Singh Narain Singh v. C.S.T.*, 1997 UPTC 101.

तथ्यपरक प्रश्न—धारा 11 के अन्तर्गत निगरानी—तथ्यपरक प्रश्न में धारा 11 के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Pyare Lal Shyam Lal*, 1983 STD 9.

वह आधार (*ground*) जो अधिकरण के समक्ष नहीं प्रस्तुत किये गये थे उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किये जा सकते। अधिकरण के समक्ष ईंटों के भट्ठे के दौरे (*round*) के विषय में कोर्तर्क नहीं प्रस्तुत किये गये। अतः इस विषय पर उच्च न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। *Jatswal Brick Field v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 165.



टीन के डिब्बों में रखे हुए बिस्कुटों का आयात तथा विक्रय व्यापारी करता था। बिक्री-कर अधिकरण द्वारा निकाला गया। तथ्य का निष्कर्ष यह था कि करदाता फुटकर तथा खुले हुए बिस्कुट बेचता था और इस तथ्य की चुनौती उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण में नहीं की जा सकती। *Banaras Supply Agency, Varanasi v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 66.

सहायक आयुक्त (न्याय) तथा बिक्री-कर अधिकारी द्वारा ब्याज का अधिरोपण किये जाने के लिये पारित किया हुआ आदेश धारा 9 या धारा 10 के अन्तर्गत आदेश नहीं होता। इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी नहीं दाखिल की जा सकती। *Banwar Lal Buddha Sen v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 169.

**ईंटों की बिक्री का दर**—ईंटों की बिक्री का दर निश्चित करने के लिये कर-निर्धारण अधिकारी ने तीन तथ्यों पर विचार किया। सम्पूर्ण कोयला सड़क द्वारा लाया गया था। ईंटों का भट्टा एक गाँव में था तथा जिलापूर्ति अधिकारी ने ईंटों के बेचने की दर 110 रुपया प्रति हजार निश्चित किया था। करदाता ने कोई साक्ष्य कई तरह के ईंटों के बेचने के औसत दर निश्चित करने के बारे में दिये गये विवरण के support में नहीं प्रस्तुत किया। बिक्री-कर अधिकारी ने करदाता के विवाद को ईंटों के बिक्री के दर के सम्बन्ध में विश्वास नहीं किया और ईंटों की बिक्री की दर 110 रुपया प्रति हजार निश्चित किया जिसे अधिकरण ने पुष्टि किया। अतः यह निर्णय दिया गया कि (i) बिक्री की दर के सम्बन्ध में निष्कर्ष केवल साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है, (ii) विधि का कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं था कि जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो तथा (iii) बिक्री की दर के सम्बन्ध में होने वाले विवाद में कोई बल नहीं है। *Jaiswal Brick Field v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 165.

वस्तु की प्रकृति अथवा उसके स्वरूप के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया गया। इसलिये उसको पहली बार पुनरीक्षण में नहीं उठाया जा सकता। बरें, तिलहन से विभिन्न है इसलिये यह विवादस्पद था कि क्या 4 प्रतिशत की दर से बरें की बिक्री पर कर लगाया जा सकता था। ऐसा कोई विवाद नीचे के अधिकारियों के सम्मक्ष नहीं उठाया गया। अतः यह विवाद बिन्दु पुनरीक्षण में पहली बार नहीं उठाया जा सकता। *Luxmi Ji Flour & Dal Mills v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 343 (339).

सुनारगीरी का फुटकर कार्य करदाता ने साबित नहीं किया अतः अधिकरण द्वारा किया हुआ तथ्यों के बारे में निर्णय बाध्य है। *Shri Krishan Kumar v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 44.

धारा 35 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय अधिकरण ने किया जो कि अन्तिम था और उच्च न्यायालय में इसकी पुनरीक्षण दायर नहीं हो सकती। *Super Cotton Bowl Refilling Works v. C.S.T.*, 1987 TLD 218.

प्रस्तुत वाद में अधिकरण ने ईंटों के भट्ठे के मालिक करदाता के बही-खातों को अस्वीकार करके कर-निर्धारण किया। सर्वेक्षण के दौरान कोयला पाया गया तथा चौकीदार ने बयान दिया कि भट्टा दो माह से नहीं चला। करदाता के स्पष्टीकरण को विभाग ने नहीं माना। माननीय उच्च-न्यायालय ने करदाता के पुनरीक्षण को निरस्त करते हुए निर्णय दिया कि अधिकरण ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला वह तथ्यों पर आधारित था। अतः पुनरीक्षण में उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Smt. Keshri Devi Agarwal v. C.S.T.*, 1986 TLD 3.

प्रस्तुत वाद में करदाता (भट्ठा के मालिक) के बही खातों को अस्वीकार करके विक्रय-धन अनुमानित किया गया। प्रथम अपील में बही खातों के अस्वीकार होने के प्रश्न पर बहस नहीं की गई। अधिकरण ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया कि करदाता के अधिवक्ता ने बही खातों के अस्वीकार किये जाने का विरोध नहीं किया। करदाता के अनुसार अपील में लेखा पुस्तकों के अस्वीकार होने का विरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरीक्षण को निरस्त करते हुए निर्णय

दिया कि अधिकरण का आदेश अभिलेखों के तथ्यों पर आधारित है जिसमें कानूनी प्रश्न निहित नहीं है। अतः अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Vijal Narayan Pandey v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 73.

प्रस्तुत वाद में करदाता की पुनरीक्षण में अर्धदण्ड कम किया गया जिसके खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं किया। उसके बाद अधिकरण ने विभाग की पुनरीक्षण बिना सुने निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध विभाग ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल किया। विभाग का तर्क था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सन्दर्भ में अधिकरण को निर्देश दिया जाय कि वह उसकी अपील गुणदोष के आधार पर तय करें। उच्च न्यायालय ने विभाग की पुनरीक्षण खारिज करते हुये यह निर्णय दिया कि करदाता की पुनरीक्षण का फैसला जिसमें अर्धदण्ड कम किया गया था, के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं किया इससे वह निर्णय अन्तिम व बाध्य माना जायेगा। *Ganesh Flour Mills Co. v. C.S.T.*, 1986 TLD 102.

यदि अधिकरण ने लेखा पुस्तकों को स्वीकार कर लिया है तथा पर्याप्त आधार दे दिया तो पुनरावृत्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Murna Lal Anil Kumar*, 1986 TLD 212.

करदाता ने जो साक्ष्य दिया उससे करदाता का केस प्रत्यक्षतः साबित हो गया। अधिकरण ने कर-निर्धारण को उचित रूप से अभिशून्य कर दिया। अधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथ्यों का निष्कर्ष है। अतः उसके निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। *C.S.T. v. Bareilly Express Transport Co., Delhi*, [1988] 7 STR 214.

अधिकरण द्वारा अभिलिखित उपलब्धियों लेखा पुस्तकों को निरस्त करने के बारे में साक्ष्य की मान्यता पर आधारित है जो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। अधिकरण द्वारा दी गई अभिलिखित उपलब्धियों न तो किसी कानूनी प्रश्न को उत्पन्न करती है और न उसके लिये लिखित तथ्य है जो कि उन उपलब्धियों में हस्तक्षेप करने के लिये उचित हो। *Girja Shanker & Co. v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 206.

लेखा पुस्तकों को निरस्त करने के बारे में उपलब्धियों जो विविध कर-निर्धारण अधिकारियों ने दिया वह तथ्य की उपलब्धियों है और वे प्रासंगिक मैटीरियल पर आधारित है जिसमें उच्च-न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Lakhi Ram Deep Chand v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 240.

अभिलिखित उपलब्धियों को उलटने के लिये उच्च अधिकारी को कारण निर्देश करना चाहिये। यह नीचे की अधिकारियों की उपलब्धियों को अपनी इच्छा व तरंग में निरस्त करने के हेतु नहीं चुन सकता। प्रस्तुत वाद में यही बात प्रथम अपीलीय अधिकारी ने किया था। अतः अधिकरण ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित रूप से निरस्त किया। *Banarasi Das & Sons v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 341.

क्या नया बहाना प्रथम बार पुनरीक्षण में लिया जा सकता है। नया बहाना जो कि अधिकरण के समक्ष या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष नहीं लिया गया वह प्रथम बार उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण में लेने के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती। *Harvansh Brick Field v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 412.

अधिकरण की कार्यवाहियों जो बिक्री-कर अधिकारी के मौके की जाँच पर आधारित है और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य की उपेक्षा करते हुए जो कि करदाता ने दाखिल किया था वह मनमानी थी तथा दीर्घाकृत नहीं हो सकती। कोई उचित कारण रेकार्ड पर इस बात का नहीं मिला कि क्यों करदाता का सम्पूर्ण दावा मंजूर नहीं हुआ। अधिकरण का आदेश इस दृष्टि से दीर्घाकृत नहीं हो सकता। *Sumera Brick Field, Gorakhpur v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 356.

**12. व्यापारियों द्वारा लेखा रखना—(1)** प्रत्येक व्यापारी, जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है, जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश के अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो, ऐसा सच्चा तथा सही लेखा रखेगा, जिसमें ऐसे माल का मूल्य दिखाया गया हो जो उसने बेचा हो अथवा मोल लिया हो और उस दशा में जब साधारण रूप से रखे लेखों से उपर्युक्त विवरण स्पष्ट रूप से व्यक्त न हों, तो वह सच्चा तथा सही लेखा उस रूप में रखेगा, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित किया जाय :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धारा ऐसे व्यापारियों पर लागू नहीं होगी, जिन पर इस ऐक्ट के अधीन कर नहीं लगाया जाता है।

(2) कोई निर्माता जो, इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखा के अतिरिक्त, कच्चे माल और उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर प्राप्त उत्पाद के सम्बन्ध में स्टॉक बहियां रखेगा :

<sup>1</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वर्ग के निर्माताओं की स्थिति में, जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट है, पांच लाख रुपये से अधिक न हो, कमिश्नर <sup>2</sup>और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार] इस उपधारा की अपेक्षाओं को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझे, शिथिल <sup>3</sup>कर सकती है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखने के लिए अपेक्षित लेखे तथा स्टॉक बहियाँ व्यापारी द्वारा या, जैसी भी दशा हो, निर्माता द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो निर्धारित की जाय, परिरक्षित की जायेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 72 एवं 73 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

निर्माण लेखा रखा जाना आवश्यक है किन्तु घोषित क्रय व विक्रय धन अस्वीकार केवल उसी दशा में किया जा सकता है जबकि अभिलेख पर उनके अपवचन का कोई प्रमाण उपलब्ध हो।

(1) *M/s. Agarwal Plastic Industries, Modi Nagar, Ghaziabad v. C.S.T.*, [1989] 10 STR 444 : 1989 UPTC 1281 : 1989 ATJ 1025.

(2) *M/s. Agarwal Plastic Industries, Modi Nagar, Ghaziabad v. C.S.T.*, [1991] 14 STR 92 : 1991 ATJ 751 : 1991 UPTC 1029 : 1991 STI (All) 304.

**लेखों का अस्वीकरण—**सर्वेक्षण में व्यापारी के विपरीत सामग्री पाई गई जिससे भारी करापवचन का संकेत मिला—व्यापारी दूसरे के नाम में व्यापार करता हुआ पाया गया लेखों का अस्वीकरण अनुचित नहीं कहा जा सकता। *Sushil Kumar Sharad Kumar, Allahabad v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 296 : 2003 UPTC 260.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 12-क

निर्माता व्यापारी द्वारा माल के उपभोग तथा उत्पादन के विवरण न रखे जाने के कारण उसकी लेखा पुस्तकों का अस्वीकरण अनुचित नहीं है। *Ganesh Ice Cream Factory v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 374 : 2002 UPTC 662.

उत्पादन का लेखा न रखने के कारण यदि बही खाते अस्वीकार किये गये हों तो मात्र इसी आधार पर घोषित विक्रय धन में वृद्धि नहीं की जा सकती है। *Munna Lal Sons & Co. (P) Ltd., Kannauj v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 542 : 2003 UPTC 952.

विक्रयधन में कमी, विवरणी तथा पुस्तकों में प्रदर्शित विक्रयधन में अन्तर तथा गतवर्ष के अंतिम रहतिया तथा संगत वर्ष के प्रारम्भिक रहतिया में भिन्नता के आधार पर अस्वीकृत लेखा पुस्तकों को अधिकरण द्वारा व्यापारी का स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुये मान्यता दी गई। अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण सही पाया गया। *C.T.T. v. Shri Ram Traders*, [2001] 33 STR 257.

फार्म प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप कर से मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती परन्तु इस आधार पर लेखा पुस्तकें अस्वीकार नहीं हो सकती। *Eastern Tube Co. v. C.S.T.*, 1980 UPTC 1119 एवं *New Golden Electric Works v. C.S.T.*, 1992 UPTC 1056 : 1992 (23) ATJ 758.

यदि कर निर्धारण विवेक के आधार पर किया गया हो तब बिक्री का अनुमान अभिलेख पर उपलब्ध समग्री के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रतिपूर्ण समग्री के अभाव में विक्रयधन बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं। *Vishnu Charan Manufacturing Co. v. C.S.T.*, [1993] 18 STR 232 : 1993 UPTC 796 : STI 1993 (All) 232.

उपादकों के बाद में स्टॉक रजिस्टर का रखा जाना अति आवश्यक है। उसका न रखा जाना तकनीकी कमी नहीं है। इस कमी के आधार पर लेखा पुस्तकें अस्वीकार करते हुये बिक्री का अनुमान किया जाना उचित। *C.S.T. v. Grijja Shankar Awanish Kumar*, [1997] 25 STR 315 (SC) : 1997 UPTC 213 (SC).

रोकड़ खाता न रखने की दशा में परन्तु खरीद बिक्री व उत्पादन का विवरण रखे जाने की स्थिति में लेखा पुस्तकें अस्वीकार नहीं की जा सकती। *Mahesh Kumar v. C.S.T.*, 1997 NIN 682.

गत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में कम बिक्री घोषित किया जाना लेखा पुस्तकों को अस्वीकार किये जाने का कारण नहीं बनाया जा सकता। *Shambhoo Ratan Shailendra Kumar v. C.S.T.*, (1972) 30 STC 374.

पथाई भराई रजिस्टर का रखा जाना धारा 12(2) का अनुपालन माना जायेगा। *Imran Khan v. C.S.T.*, 1982 UPTC 238.

महन्ती बही का रखा जाना धारा 12(2) का अनुपालन है। *Uma Shakar Vijay Shanker v. C.S.T.*, 1981 UPTC 201.

**12-क. साबित करने का भार—**<sup>1</sup>[(1)] किन्हीं कर-निर्धारण कार्यवाहियों में, जब तक कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले को धारा 3-क, धारा 3-घ, धारा 4, धारा 4-क, धारा 4-ख या धारा 7-घ में उल्लिखित किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 12-क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया गया तथा उसके पश्चात् उपधारा (2) बढ़ा दी गयी।

अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा, और कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

<sup>1</sup>[(2) जहां कोई व्यापारी यह दावा करे कि वह क्रय के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में धारा 3-घ के अधीन कर का देनदार नहीं है, वहां—

- (क) उसके द्वारा की गयी कोई घोषणा या जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें वह प्रथम क्रेता होना स्वीकार करे और <sup>2</sup>[माल के क्रय पर व्यापार कर] के भुगतान का दायित्व स्वीकार करे, ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्रों में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के सम्बन्ध में <sup>2</sup>[माल के क्रय पर व्यापार कर] के भुगतान करने के उसके दायित्व का निश्चयक साक्ष्य होगा;
- (ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों के जिनके आधार पर वह दायित्व से ऐसी छूट का दावा करता है, अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा और, विशेष रूप से व्यापारी उस व्यक्ति का जिससे पहले उसने क्रय के ऐसे संव्यवहार में माल खरीदा है, पूर्ण विवरण बताने के लिये भी जिम्मेदार होगा; और
- (ग) किसी ऐसे दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसका विवरण ऐसे व्यापारी द्वारा बताया जाता है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**धारा 12-ए—**व्यापारी चीनी तथा शीरा का निर्माता—उसके द्वारा शीरा बह जाने एवं उससे काश्तकारों की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने का दावा—यह व्यापारी का दायित्व है कि वह समुचित साक्ष्यों से अपने कथन को सिद्ध करे। *C.S.T. v. Basti Sugar Mills Company Ltd.*, [2004] 39 STR 139.

**धारा 12-ए—**व्यापारी पर यह सिद्ध करने का भार है कि उसने निर्देष्टा के लिये उसकी ओर से माल की खरीद किया है। *C.T.T. v. Sunil Kumar Goal*, [2003] 38 STR 562 : 2003 UPTC 1036.

**धारा 12-ए एवं नियम 75—**जहाँ व्यापारी किसी अन्य व्यापारी से सम्व्यवहार किये जाने से इन्कार करता है और व्यापारी द्वारा ट्रान्सपोर्टर का प्रति परीक्षण हेतु बुलाने का आवेदन करता है तो कर निर्धारक अधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करे। बिना प्रति परीक्षण का अवसर दिये अर्धदण्ड का आरोपण विधि के अनुकूल नहीं। *United Hardware Stores v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 321 : 2003 UPTC 401.

**धारा 12-ए—**बालू के परिवहन हेतु व्यापारी को परमिट जारी किये गये। व्यापारी पर सिद्ध करने का भार है कि उसने परमिट का प्रयोग नहीं किया है। *Ram Chandra v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 111 : 2003 UPTC 555.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 12-क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया गया तथा उसके पश्चात् उपधारा (2) बढ़ा दी गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द 'क्रय कर' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

धारा 12-ए—किसी वस्तु की स्थानीय खरीद प्रमाणित करने का भार व्यापारी पर है तथा इसके अभाव में कर देयता व्यापारी की है। *Kailash Chandra Suresh Chandra, Fatehpur Sikri, Agra v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 69.

धारा 12-ए—साक्ष्य भार—व्यापारी द्वारा सम्पूर्ण आवंटित कोयला नहीं उठाया गया—कोलियरी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि शेष कोयला नहीं उठाया गया—यह प्रमाण नहीं दिया कि शेष कोयला उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं लाया गया—व्यापारी द्वारा साक्ष्य भार का निर्वहन नहीं किया गया। *M/s. Trugl Narayan Pandey v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 414.

धारा 12-ए—यह सिद्ध करने का भार व्यापारी का है कि उसने प्रान्त के भीतर से माल खरीदा है। *M/s Olympic International v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 25.

करदाता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऋणात्मक तथ्य प्रमाणित करें। *Kanhoria Pipe and Fittings Co. v. C.S.T.*, 2000 UPTC 81.

तृतीय पक्ष के अभिलेखों को कर-निर्धारण का आधार तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक निर्धारिती को प्रति परीक्षण का अवसर न दे दिया जाय। *Rathi Super Steels Ltd. v. C.T.T.*, [1998] 28 STR 489:

व्यापारी ने विवरणी में खरीद को करयोग्य दर्शाया अतः यह उसका करयोग्य विक्रयधन है। *C.S.T. v. Jai Shiv Trading Co.*, [1999] 30 STR 466.

ऋणात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Goel Metal Industries*, 1994 UPTC 1184.

धारा 12-क की प्रकृति प्रक्रियात्मक (Procedural) होने के कारण किसी व्यवहार की प्रकृति धारा 12-क के आधार पर निश्चित नहीं की जा सकती। *C.S.T. v. Bakhtawar Lal Kailash Chand*, 1995 UPTC 830.

धारा 12-क साक्ष्य के नियम निर्धारित करता है तथा इसका स्वरूप प्रक्रियात्मक है। इसके अन्तर्गत नकारात्मक तथ्य तथा वे तथ्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं है साबित करने की अपेक्षा नहीं है। धारा 12-क के अधीन वही तथ्य साबित करना चाहिये जो कि खास तौर से करदाता की जानकारी में है। धारा 12-क में की गई उपधारणा खण्डनीय होती है। *Enterprising Traders v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 264.

विभाग की ओर से यह मिथ्या व्यपदेशन (misrepresentation) किया गया कि खरीद करने वाले व्यापारी द्वारा फार्म 3-क गाजियाबाद की एक फर्म को दिया गया था। इसका स्पष्टीकरण केवल खरीद करने वाला व्यापारी ही कर सकता है। बेचने वाला व्यापारी को खरीददार व्यापारी के मिथ्या व्यपदेशन (misrepresentation) से कोई मतलब नहीं है तथा वह खरीद करने वाले व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ फार्म 3क को जारी किया जाना स्वीकार किये जाने के आधार पर ही छूट करने का हकदार हो जाता है। *C.S.T. v. Phoolson Trading Corporation*, [1987] 6 STR 284.

अतिरिक्त साक्ष्य—यदि अपील में अतिरिक्त साक्ष्य दूसरे पक्ष के आपत्ति न करने पर देने के लिये स्वीकृति दी जाती तो फिर बाद में दूसरा पक्ष उस साक्ष्य की ग्राह्यता के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं कर सकता। सुनवाई का मौका यह निर्धारित नहीं करता कि कार्यवाही या साक्ष्य का प्रवेश अमान्य या शून्य है। ऐसी स्थिति में मामला पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। *Ilyas Ahmad, Body Maker v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 248.

यदि करदाता यह दावा करता है कि वह कोई अपवाद या छूट का अधिकारी था और उसे साबित नहीं कर सका तो वह धारा 12-क के अन्तर्गत कल्पना कर सकता है। *Bulbul Prasad Amar Nath v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 365.

**12-ख. अपील में अतिरिक्त साक्ष्य**—कर निर्धारिती अपील सुनने वाले या अधिकरण के समक्ष मौखिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे कर-निर्धारक अधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर [कर निर्धारक प्राधिकारी] को चुनौती देने या खंडन करने का युक्ति-युक्त अवसर दिया जायेगा।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**धारा 12-बी एवं 3-डी—करमुक्ति**—यदि प्रथम अपील अथवा अधिकरण के समक्ष प्रपत्र 3ग प्रस्तुत किया जाता है तो इसका लाभ व्यापारी को दिया जा सकता है। *Pramod Sugar Corporation, Shyamganj, Bareilly v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 681.

**धारा 12-बी एवं 3-डी—अतिरिक्त साक्ष्य** के रूप में अधिकरण द्वारा प्रपत्र 3-ग करमुक्ति हेतु विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है। *Dhan Prakash Cane Crushers, Kasoli, Muzaffarnagar v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 358 : 2002 UPTC 788.

अपील में अतिरिक्त साक्ष्य—वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्यापारी को परामर्श नहीं दिया गया—बिक्रीकर अधिकरण को अतिरिक्त साक्ष्य पर विचारार्थ निर्देश दिये गये। *M/s. Eastern India Match Co., Khalilabad, Basti v. Commissioner of Sales Tax*, [1999] 29 STR 157.

अपीलीय स्तर पर व्यापारी को अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने का अवसर प्रदान करना चाहिये। *M/s. Micro Abrasive (India) Ltd. Dhampur, Bijnor v. C.T.T.*, 1995 NTN 232.

विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। किन्तु बिना कारण बताये कि किन परिस्थितियों में साक्ष्यों को कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सका, उन्हें ग्राह्य न किया जाना उचित है। *Vindhya Basu Pratisthan v. C.S.T.*, [1997] 25 STR 116 : 1997 NTN 134.

यदि किन्ही कारणवश फार्म, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके हों तो उन्हें कारण स्पष्ट करते हुये अपीलीय स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है। *C.S.T. v. Gauri Shaker Krishna Kant*, 1980 ATJ (Supp) 292 : STI 1981 (All) 15 and *C.S.T. v. Jain Tube Co.*, 1994 UPTC 1150; *C.S.T. v. Bomabay Jewellers*, 1996 UPTC 69.

**13. लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार**—(1) कोई ऐसा अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक प्राधिकारी" प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)।

हिसाब-किताब उपस्थित करे जिनका सम्बन्ध उनके व्यापार से हो और उक्त अधिकारी उसका निरीक्षण (Inspection) और परीक्षण (Examine) कर सकता है तथा उसकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में ऐसी जांच कर सकता है, जो आवश्यक हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से चार वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि की बहियों, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायेंगे, जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, जिसके लिए कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(2) ऐसे सब बहियों, लेख-पत्र और लेखे तथा खाते बही जिनको कोई व्यापारी अपने साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास हो, और उसके व्यापार के स्थान या गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा तलाशी और निरीक्षण के लिए प्राप्त रहेंगे, जिनको इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अधिकार दे।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसा विश्वास करने के लिए यथोचित कारण हो कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धनराशियों के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे लेखे, खाते या लेख-पत्र पर, जो आवश्यक हो, अपना अधिकार कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिए तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायें, इस प्रकार अधिकार करने के दिनोंक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिए बाध्य होगा, जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या लेख-पत्र के लिये जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। अधिकारी लेखा, खाता या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहाँ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर प्रत्येक लेखे, खाते या लेख-पत्र में किये अथवा लगाये गये हों।

1[(3-क) उपधारा (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा के अधीन कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख-पत्र अभिग्रहण करने वाला अधिकारी,



उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और कमिश्नर के पूर्वानुमोदन से, ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख-पत्र को उनसे संगत वर्षों के सम्बन्ध में उस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियां पूरी होने के दिनोंक के तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, रोक सकता है ॥

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यापार के स्थान या गाड़ी या किसी अन्य भवन या स्थान में जहां उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई बही-खाते, लेख-पत्र, लेख या माल रखता है या तत्समय रखे हुए है, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी आवासिक स्थान में, जो व्यापार गृह-निवास-स्थान न हो न तो प्रवेश करेगा, न उसका निरीक्षण करेगा और न उसकी तलाशी लेगा, जब तक कि कमिश्नर द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाय।

(4-क) उपधारा (2) के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को—

- (1) किसी व्यापारी के स्थान या गाड़ी या ऐसे व्यापार के स्थान या गाड़ी में पाये गये किसी सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र को जिसके बारे में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेखा या माल रखे जाते हैं या रखे हैं अथवा उसके अन्दर हैं, यदि ऐसे व्यापार के स्थान या गाड़ी या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दें या वहां उपलब्ध न हो अथवा जब उससे खोलने को कहा जाये तो उसे न खोले अथवा खोलने से इन्कार करे, मुहर बन्द करने का अधिकार होगा;
- (2) यदि ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति अध्यासन या प्रभार में व्यापार के स्थान या गाड़ी अथवा व्यापार के स्थान या गाड़ी में पाये गये सन्दूक अलमारी या अन्य पात्र उपस्थित हों, किन्तु उस स्थान से चला जाये या ऐसा करने के लिए अवसर दिये जाने के पश्चात् वह ऐसे व्यापार के स्थान या गाड़ी या सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र को न खोले तो, उसे तोड़कर खोल सकता है और उसमें पाये गये सामान तथा लेखों की सूची तैयार करेगा।

(4-ख) [निकाल दी गई]

(4-ग) कोई भी व्यक्ति उपधारा (4-क) के अधीन लगाई गई किसी मोहर से अन्तःक्षेप नहीं करेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को—

- (क) जो किसी व्यापारी को या उसकी ओर से देने के निमित्त किसी माल का परिवहन करता है या उसे अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो उसके पास होने की सम्भावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे, जैसी भी दशा हो;
- (ख) जो किसी व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में कोई लेखा, बही या लेख-पत्र रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखा हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त ऐसे लेख, बही या लेख-पत्र को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

(6) किसी सार्वजनिक सेवा वाली मोटरगाड़ी अथवा किसी यान-पात्र से माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अग्रेषण (Forwarding) एजेन्ट, उस क्षेत्र के, जहाँ से माल भेजा जाय, कर-निर्धारक अधिकारी को अपने द्वारा परिवहन किये गये या अग्रेषित (Forwarded) सभी माल का ऐसा विवरण-पत्र जो निर्धारित किया जाय; प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध कर-निर्धारक अधिकारी को, प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों की शुद्धता का सत्यापन करने के उद्देश्य से, ऐसे परिवाहक या एजेन्ट के कब्जे में की लेखा बहियों या अन्य लेख-पत्रों को मांगने तथा उनकी जांच करने की शक्ति होगी, और वह परिवाहक या एजेन्ट मांग किये जाने पर लेखा बहियों या अन्य लेख-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और 165 के उपबन्ध [यथाशक्य] इस धारा के अधीन प्रवेश करने या तलाशी लेने या निरीक्षण करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन कोई निरीक्षण करने या तलाशी लेने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रुकी रहें, सम्मिलित नहीं की जायगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 84, 46-ख, 46-ग, 77 एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

अभिग्रहीत लेखा पुस्तकें अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाही पूरी होने के 30 दिन के उपरान्त नहीं रोकी जा सकती। *Polar Industries v. A.C.(S.I.B.), Trade Tax, Noida, And Another, [2002] 36 STR 407 : 2002 UPTC 505.*

धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने अधिकृत किया है, समस्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा लेखों का जो सामान्य व्यापारिक सम्बन्धवहार हेतु व्यापारी द्वारा रखे गये हैं और वस्तुएँ

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 27 द्वारा शब्द "यथावश्यक परिवर्तन सहित" के स्थान पर शब्द "यथाशक्य" रखा गया।

जो उसके कब्जे में हैं, की जाँच कर सकता है। धारा 13 की उपधारा (4-ए) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा व्यापार स्थल उस समय सील किया जा सकता है जब वस्तु का स्वामी उपलब्ध न हो अथवा व्यापार स्थल खोलने से इन्कार कर रहा हो। *M/s. Shakti Briquettes, Allahabad v. State of U.P. and others*, [2002] 35 STR 267 : 2002 UPTC 328.

अधिकारी वाहन पर लदे माल को अभिग्रहीत करने के लिए अधिकृत है न कि वाहन को। नियम 84(1) माल के निरीक्षण के लिये वाहन को रोकने का अधिकार देता है किन्तु केवल उतने समय तक के लिये जब तक निरीक्षण एवं माल के उतारने में लगे। अनधिकृत एवं अवैधानिक कार्य करने के कारण याची मुआवजा का हकदार है। *Ram Singh and others v. State of U.P., and Hindustan Transport Agency, Varanasi v. State of U.P.*, 2000 UPTC 865.

लेखों को दिखाने, प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार जो धारा 13(7) में उपलब्ध है, का अनुपालन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 व 165 का अनुपालन करते हुये किया जाना चाहिये। *Mahalakshmi Polyplast Pvt. Ltd. v. State of U.P.*, 1994 UPTC 1161 (DB).

अभिग्रहीत अभिलेखों को 90 दिन के बाद रखने के लिये स्पष्ट कारण का उल्लेख रखें, कमिशनर, व्यापार कर की अनुमति होना अनिवार्य है। *Kailash Chand Om Deo Oil Mills v. S.T.O.*, 1994 UPTC 402 एवं *Jhunjhunwala Oils Mills v. State of U.P.*, 1994 UPTC 172.

सर्वेक्षण के समय लेखा पुस्तकों का परीक्षण प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत है तथा पायी गयी लेखा पुस्तकों की माँग कर निर्धारण के समय नियमों के अनुकूल है। *Vishambher Singh Layak Ram v. C.S.T.*, 1972 UPTC 742.

लेखा पुस्तकों का अभिग्रहण किये जाने से पूर्व इस तथ्य का प्रमाण उपलब्ध होना अनिवार्य है कि व्यापारी द्वारा कर अपवंचन किया जा रहा है जिसकी जाँच किया जाना आवश्यक है। उचित कारण अनुमान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष विद्यमान होना अनिवार्य है। यदि न्यायालय द्वारा विपरीत परिस्थितियाँ पाई गईं तो ऐसा अभिग्रहण अवैधानिक समझा जा सकता है। *Agarwal Engineering Stores v. State of U.P.*, 1971 UPTC 210 (FB).

**13-क. अभिग्रहण (Seize) करने का अधिकार—**(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा—

- (1) जो किसी व्यापारी के स्थान या गाड़ी या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाया जाये, या
- (2) जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि माल व्यापारी का है और जो उसके व्यापार या गाड़ी अथवा भवन में या स्थान पर पाया जाये;

किन्तु जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में रखे गये लेखों, रजिस्ट्रों या अन्य लेखों में न रखा गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहित सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और उस पर उक्त अधिकारी तथा कम से कम दो सम्मानित साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(1-क) यदि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाड़ी, भवन या स्थान में पाया गया माल

किसी वास्तविक व्यापारी का नहीं है अथवा यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यापारी ने अपने व्यापार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्ट्रों या अन्य लेखों में उचित रूप से लेखबन्द नहीं किया है तो उसे ऐसे माल का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, तथा ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में इस धारा के शेष उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[प्रयोजनार्थ नियम 84 देखें]

(2) उपधारा (1) के अधीन माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उनकी निरापद अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा और अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य लेख-पत्रों के साथ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट सूची सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को भेजेगा।

<sup>1</sup>[(3) उक्त कर निर्धारण अधिकारी, व्यापारी या यथास्थिति, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति पर जिसे आगे इस धारा में प्रभारी व्यक्ति कहा गया है, एक लिखित नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे यह कारण बताने को कहा जाएगा कि उस पर अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जाए।

(4) यदि ऐसे अधिकारी का, व्यापारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि उक्त माल उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखों रजिस्ट्रों और अन्य लेख-पत्रों में नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश देगा।]

(5) उपधारा (4) के अधीन अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश की प्रति व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

<sup>2</sup>[(6) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति पर लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जाएगी, जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किए जाने के लिए सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसके नकद <sup>3</sup>[\* \* \*] जमा करने पर, इस प्रकार अभिग्रहीत माल को, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में छोड़ा जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या <sup>4</sup>[उप-कमिश्नर] से अनिम्न पद का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा शब्द "जिसमें बैंक ड्रॉफ्ट भी है" निम्नतः दिये गये।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "सहायक कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2003)।

कोई धनराशि जमा किए या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझें, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाए ।]

(7) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (6) के अधीन जमा की गई किसी ऐसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनोंक से तीस दिन के भीतर, निर्धारित रीति से, जमा किया जायेगा । धूक करने पर कर-निर्धारक अधिकारी माल की बिक्री ऐसी रीति से करायेगा जो निर्धारित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 29 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा ।

[(8) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लेख-पत्र भेजने के पूर्व या तत्पश्चात् कर-निर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ, यथास्थिति, निर्धारित कर या आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ यथास्थिति, माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है । ऐसे माल के बिक्री-आगम का समायोजन ऐसी बिक्री के व्यय निर्धारित व्यापार कर, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा । शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी ।]

[प्रयोजनार्थ नियम 82 देखें]

(9) \* \* \*

[(10) यदि उपधारा (6) के अधीन जमा की गई धनराशि उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गई अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी ।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 84, 46-ख, 46-ग, 75 से 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

माल का अभिग्रहण—या 1) उत्तर रेलवे की सिटी बुकिंग एजेंसी का कार्य करता है उसके द्वारा माल रेलवे से डिलेवरी लेकर लाने समय अभिग्रहीत किया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के नाम प्राथमिकी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा निकाला गया (प्रभावी 8.8.1997) ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा अन्तःस्थापित ।

दर्ज कराई गई करापबंधन के ऐसे मामलों में याची का सहयोग देखने को मिला। याची के पक्ष में अभिग्रहीत माल अवमुक्त न करके विभाग द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। *Mohd Ateeq Siddiqui v. State of U.P.*, [2004] 39 STR 80 : 2004 UPTC 154.

**अर्थदण्ड**—धारा 13-ए(3) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने हेतु व्यापारी को 30 दिन का समय दिया जाना वैधानिक आवश्यकता है। इसके बिना अर्थदण्ड का आरोपण विधिक दृष्टि से अनुचित होगा। *C.S.T. v. Durga Prasad Ram Nath, Kanpur*, [2004] 39 STR 59.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—निर्धारित तिथि तक फार्म-34 के निर्गमन जाँच चौकी पर समर्पण न करने के पश्चात ही अधिकारी द्वारा धारा 28-ए के अन्तर्गत अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। जाँच अधिकारी द्वारा परिवहन किये जा रहे माल की जाँच फार्म-34 में की गई घोषणा के सन्दर्भ में ही की जानी चाहिये उससे अन्यथा नहीं। *Madhya Bharat Transport Carrier, Agra v. C.T.T.*, [2004] 39 STR 42 : 2003 UPTC 1218.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—प्रयोगशाला की जाँच में माल बिल में लिखे माल से भिन्न पाया गया। अभिग्रहण की कार्यवाही को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अर्थदण्ड की कार्यवाही में व्यापारी समस्त बिन्दुओं को उठाने के लिये स्वतंत्र है। *Yog Petro Pvt. Ltd., Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 88.

**अभिग्रहण**—धारा 8-ई के संदर्भ में किसी माल का अभिग्रहण तभी किया जा सकता है जब धारा 13-क की सभी शर्तें पूरी हों। *Rapti Commission Agency v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 534 : 2003 UPTC 780.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—अस्तित्व जाँच में कुछ माल भिन्न बैच नम्बर का पाया गया—माल का अभिग्रहण किया गया और जमानत की माँग की गयी—यदि अधिकरण द्वारा तथ्यात्मक निष्कर्ष अंकित किया गया है कि यह सुनिश्चित होना सम्भव नहीं है कि यह वही माल था जिसे व्यापारी ने स्टॉक ट्रांसफर में भेजा था तथा जिसे एक भाग को पुनः प्रान्त के भीतर लाया जा रहा था तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय अधिकरण के निष्कर्ष की जाँच नहीं करेगा। *Crop Health Product Ltd., Gajraula v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 722.

**अर्थदण्ड**—अर्थदण्ड का आरोपण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाय कि प्रश्नगत वस्तुयें लेखा पुस्तकों में अंकित नहीं की गई हैं। यदि अभिग्रहण नहीं किया गया है तो अर्थदण्ड लगाने का प्रश्न नहीं होता। *C.S.T. v. Lord Krishna Sweet and Bakery, Muzaffarnagar*, [2003] 37 STR 260.

**अर्थदण्ड**—मूल प्रति तथा बिल की कार्बन कापी की है लिखावट में भिन्नता के आधार पर माल का अभिग्रहण एवं अर्थदण्ड का आरोपण न्याय संगत नहीं। *Behati Roto Plastic (Pvt.) Limited, Ghaziabad v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 403.

वाहन चालक द्वारा स्वीकार किया गया कि न तो सम्बन्धित लेखपत्र जाँच हेतु प्रस्तुत किये गये और न ही वाहन निर्दिष्ट चेकपोस्ट से गुजरा। अधिकरण द्वारा जमानत की धनराशि घटा कर 44,000 कर दी गई। अधिकरण के आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। *Swastika Pipe Ltd., Ghaziabad v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 76 : 2003 UPTC 397.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—जहाँ पारेक्षण किसी पंजीकृत व्यापारी से सम्बन्धित हो, किसी संदेह की स्थिति में सम्यवहार की सूचना सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दी जानी चाहिये जो कर निर्धारण के समय उसका सम्यक् परीक्षण करेगा। इन परिस्थितियों में बिना जमानत वसूल किये माल को अवमुक्त किया जा सकता है। *C.T.T. v. Shyam Ji Traders*, [2003] 37 STR 88 : 2003 UPTC 123.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—व्यापारी का कथन की माल के साथ आवश्यक अभिलेख उपलब्ध थे जिसकी जानकारी अधिकारी को थी। अनुमानित मूल्य पर देय कर के बराबर जमानत जमा करने पर माल अवमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया। *Kanpur Agra Goods Transport Co. Kanpur v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 59 : 2003 UPTC 137.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—परिवहनशील माल के साथ समुचित लेखपत्र का अभाव—प्रश्नगत माल के मूल्य का 10% जमा करने पर माल अवमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया। *V.K. Traders v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 74.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—बिना समुचित लेख पत्र के परिवहन किया जा रहे माल के अवमोचन हेतु अधिकरण द्वारा मूल्य का 40% जमानत जमा करने का आदेश अवैधानिक नहीं है। *Polar Industries Limited, Noida v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 109 : 2003 UPTC 545.

**अभिग्रहण एवं जमानत**—समुचित लेख पत्रों के बिना माल का परिवहन करते हुये पाया गया। मांगी गई जमानत को 44,040 से घटा कर 20,000 किया गया। *Mishrilal & Sons v. Trade Tax Tribunal*, [2003] 37 STR 66.

याची द्वारा ट्रक चैसिस खरीद कर उसकी बाडी का निर्माण कराने हेतु उसे प्रदेश के अन्दर भेजा गया। फार्म 31/32 के अभाव में चैसिस का अभिग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि याची इन वस्तुओं का व्यापार नहीं करता है। *Garuda Carriers and Shipping Pvt. Ltd., Nagpur v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 157 : 2002 UPTC 1198.

व्यापार कर अधिकारी को उस वाहन को अभिग्रहीत करने का अधिकार नहीं है जिससे प्रश्नगत माल का परिवहन किया जा रहा हो। *Arita Gupta (Smt.) and others v. State of U.P. and others*, [2002] 36 STR 475 : 2002 UPTC 657.

**अर्धदण्ड**—परिवहन किये जा रहे माल के साथ चालान तथा दिये गये पत्र पर व्यापारियों पता उपलब्ध—माल के आयात करने का कोई प्रमाण नहीं—व्यापारी पंजीकृत तथा सम्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित—बिक्रेता व्यापारी से कोई जाँच नहीं की गयी। अनुमान पर आयात की अवधारण विधिसंगत नहीं—तथ्यों के विपरीत समान निष्कर्ष भी विधिसंगत नहीं—अर्धदण्ड समाप्त किया गया। *Jagannath Prasad Kailash Chandra v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 420 : 2002 UPTC 620.

**अर्धदण्ड**—जाँच चौकी पर माल के साथ फ्रैंकिंग मशीन द्वारा तैयार किया गया चालान पाया गया—माल जाब वर्क से सम्बन्धित था तथा लेखा पुस्तकों में अंकित पाया गया—अर्धदण्ड की कार्यवाही उचित नहीं। *Securipax India Pvt., Ltd., New Delhi v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 513 : 2002 UPTC 713.

**अर्धदण्ड**—वाहन में 20 बोरा माल अधिक पाया गया चालक का कथन कि यह उसकी स्वयं की खरीद थी जो मार्ग में की गई थी। चालक के शपथ पत्र को गलत नहीं बताया गया। व्यापारी के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। *Aman Trading Company, Barrelly v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 697 : 2002 UPTC 998.

**अभिग्रहण और जमानत**—जब अभिग्रहण के पश्चात जमानत जमा करके माल अवमुक्त करा लिया गया हो तो अभिग्रहण एवं जमानत से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध कोई विधिक बिन्दु विचारणीय नहीं बचता है। *M/s. Subhash and Company v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 388 : 2002 UPTC 670.

**अभिग्रहण और जमानत**—व्यापारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को अभिग्रहीत माल को अवमुक्त करने हेतु उस दशा में पर्याप्त नहीं माना जा सकता जहाँ विभाग को उसका खण्डन करने हेतु अवसर न दिया गया हो। *C.T.T. v. Bharat Interstate Carrier, Delhi*, [2002] 36 STR 529.

गलत ट्रान्जिट पास पर माल का परिवहन करना पाया गया हो तथा पारगमन पत्र पर अंकित माल से भिन्न माल पाया जाये तथा कतिपय माल घोषित न किया गया हो तो अधिकारी द्वारा माल का अभिग्रहण किया जाना उचित है। *Panipat Indore Transport Co., Delhi v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 730 : 2002 UPTC 1124.

जब माल प्रान्त के बाहर के लिये लादा गया हो और वाहन चालक प्रान्त के भीतर माल उतारने के लिये कथन करें तो पारेषिती के बारे में जाँच पड़ताल आवश्यक है। *Suraj Kumar Yadav v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 738 : 2002 UPTC 1060.

**अभिग्रहण और जमानत**—अधिकरण के निष्कर्ष कि माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा था, के पश्चात् कोई विधिक प्रश्न निर्णय हेतु नहीं रह जाता है। *Shiv Trading Co. Manila, Dholpur, Rajasthan v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 380 : 2002 UPTC 739.

**अभिग्रहण और जमानत**—जब माल के साथ बिल्टी इनवाइस व फार्म 31 उपलब्ध है तो अनुमान पर आधारित किसी अवधारणा पर किसी अन्य व्यापारी को आयातकर्ता मानते हुये अभिग्रहण एवं जमानत मांगने की कार्यवाही उचित नहीं है। *I.G. Shoes Pvt. Ltd., Kanpur v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 634 : 2002 UPTC 902.

**अभिग्रहण और जमानत**—व्यापारी द्वारा आयात किये जा रहे माल को करमुक्त मानते हुये स्वयं सूचित किया गया कि फार्म 31 नहीं है—अधिकरण और अन्य अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन का प्रयास नहीं माना गया—व्यापारी पंजीकृत है—नकद या बैंक गारंटी के रूप में जमानत मांगा जाना न्याय संगत नहीं—माल बिना जमानत अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये। *Indian Trading CO., Varanasi v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 431 : 2002 UPTC 593.

प्रपत्र 31 के अभाव में यह मानने योग्य नहीं पाया गया कि करापवंचन का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था अतः माल बिना जमानत अवमुक्त कर दिया जाना चाहिए। *Capital Power Systems Limited Noida v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 662 : 2002 UPTC 1112.

पंजीयन निरस्त होने तथा करापवंचन की संभावना पर माल का अभिग्रहण किया गया—पंजीयन अब भी प्रभावी पाया गया—अधिकरण द्वारा अनुमानित मूल्य पर कर का भुगतान करने पर माल को अवमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया। *M/s Shivam Roadways, and another v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 40 : 2002 UPTC 28.

फार्म 31 के अभाव में 15,00,000 की सुपाड़ी का आयात किया जा रहा था। आपाततः अभिग्रहण का मामला बनता है। विभाग की 2,00,000 नकद तथा 2,50,000 की नकद अथवा बैंक गारंटी से भिन्न जमानत पर माल अवमुक्त करने के आदेश दिये गये। *Kothari Pouches Limited v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 101 : 2002 UPTC 216.

जमानत की धनराशि जमा कर दिये जाने के पश्चात धारा 13-क(6) के अन्तर्गत निर्णयार्थ कोई मामला नहीं बचता है। *C.T.T. v. Balaji Traders*, [2002] 35 STR 291 : 2002 UPTC 529.

व्यापारी द्वारा पारेषक को प्रेषित प्रपत्र 31 परिवहनकर्ता के लिपिक द्वारा भूल से किसी अन्य वाहन के चालक को दे दिया गया जिसका पता जाँच चौकी पर जाँच के पश्चात चला—व्यापारी पंजीकृत है। देयकर की दोगुनी धनराशि जमा करने के उपरान्त माल अवमुक्त करने का आदेश दिया गया। *Alka Trading Company v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 148 : 2002 UPTC 237.

**अभिग्रहण और जमानत**—अनेक बिल्टियों में एक से सम्बन्धित माल को फार्म 31 में अंकित नहीं पाया गया। व्यापारी पंजीकृत था अतः प्रश्नगत माल पर देय कर के बराबर जमानत जमा करने पर माल अवमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया। *C.T.T. v. Shree Vishnu Traders*, [2002] 35 STR 232 : 2002 UPTC 495.



माल का वर्णन प्रपत्र 34 में 'थिनर' किया गया जांच पर बेन्जाइन पाया गया। अधिकरण ने जांच हेतु सैम्पुल लेने का निर्देश दिया तथा टैकर सील कर के इन्डेन्सिटी बांड पर उसे अवमुक्त करने का निर्देश दिया तथा निर्गम जांच चौकी पर सील की जांच का भी निर्देश दिया। *कमिश्नर व्यापार कर बनाम मोहन रोडलाइन्स, ग्वालियर, [2001] 34 एस०टी०आर० 636* को देखते हुए अधिकरण के आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। *C.T.T. v. Ram Singh, [2002] 35 STR 175 : 2002 UPTC 247.*

व्यापारी द्वारा आयात किये जा रहे माल को करमुक्त बताया तथा फार्म 31 न होने की सूचना स्वयं जांच चौकी अधिकारी को दिया—व्यापारी पंजीकृत है—करापवंचन के प्रयास का निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया—जमानत की मांग करना अनुचित है। *M/s Indian Trading Company, Varanasi v. C.T.T., [2002] 35 STR 314 : 2002 UPTC 593.*

ट्रिपशीट में घोषित तथा जांच पर प्राप्त वस्तु की श्रेणी में यदि थोड़ा अन्तर मिले तो अभिग्रहण का मामला नहीं बनता है। *C.T.T. v. M/s Mohd. Maqsidul Haq, [2002] 35 STR 328 : 2002 UPTC 654.*

अधिकरण ने आदेश दिया था कि पारेषण का एक भाग बिना जमानत मुक्त किया जाये तथा शेष जमानत लेकर तथा इन्डेन्सिटी बाण्ड लेकर ट्रिपशीट जारी की जाये। अधिकरण के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। *C.T.T. v. Jabalpur Golden Transport Co., [2002] 35 STR 319.*

उत्तर प्रदेश राज्य से 275 बोरा चाय का पारेषण दिल्ली को हो रहा था। प्रवेश चौकी पर प्रपत्र 34 निर्गत किया गया जिसे निर्गम चौकी पर खारिज कराया गया। 145 बोरा चाय ट्रान्सपोर्टर के गोदाम में पड़ा रहा तथा 130 बोरा पारेषिती को दिया गया—दोनों के स्टॉक रजिस्ट्रों में यह अंकित था। यह नहीं कहा जा सकता कि सम्यवहार लेखों में अंकित नहीं था। *M/s. Satya Narayan Bhanwar Lal v. C.T.T., [2001] 34 STR 459.*

जब तक यह न निष्कर्ष लिया गया हो कि व्यापारी ने दो सेटों में बिल का प्रयोग किया है, बिल पर छपा हुआ पंजीयन क्रमांक गलत होने के आधार पर विपरीत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। *Shivaji Belting Corporation v. C.T.T., [2001] 34 STR 639.*

अधिकरण का निष्कर्ष कि करापवंचन का प्रश्न नहीं उठता है तथा माल के साथ वांछित प्रपत्र उपलब्ध थे, साक्ष्यों पर आधारित होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। *C.S.T. v. M/s. Gramophone Company of India, Kanpur, [2001] 34 STR 608.*

स्टॉक ट्रान्सफर वाउचर के साथ माल दिल्ली शाखा को जा रहा था। जब मोबाइल स्कैंड के अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत करके जमानत मांगी गई। उस अधिकारी को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि माल अन्तरप्रान्तीय बिक्री के दौरान जा रहा था अथवा नहीं। अभिग्रहण आदेश निरस्त किया गया। *C.S.T. v. Mahendra Radio & Television Pvt. Ltd. Meerut, [2001] 33 STR 31.*

यदि माल का अभिलेख लेखापुस्तकों में नहीं किया गया है तो अभिग्रहण तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। *S/s Raja Enterprises v. C.S.T., [2001] 33 STR 322.*

परिवहनशील माल लेखा पुस्तकों में अंकित पाया गया। अर्थदण्ड की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। *C.T.T. v. S/s Ktshan International, [2001] 33 STR 325.*

परिवहन किये जा रहे माल को उपलब्ध प्रपत्रों में अंकित मात्रा से अधिक पाया गया—भिन्न पाया गया तथा अधिक मूल्य का पाया गया—अभिग्रहण की कार्यवाही उचित पाई गई। बाद की परिस्थितियों को देखते हुये माल के मूल्य का 15% नकद जमानत जमा करने पर माल अवमुक्त करने का निर्देश दिया गया। *M/s. Shiv Traders, Kanpur v. C.T.T., [2001] 33 STR 391.*

माल का अभिग्रहण इस आधार पर किया गया कि पारगमन पत्र निर्गम चौकी पर समप्रित करने के उपरान्त इसे प्रान्त के अन्दर लाया जा रहा था। आरोपित अर्धदण्ड हेतु सुनवाई का समुचित अवसर न दिये जाने के आधार पर समाप्त कर दिया गया। यदि अधिकरण ने सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना पाया तो मामला पुनः निर्णयार्थ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। *C.T.T. v. M/s Bharat Kumar*, [2001] 33 STR 427.

प्रवेश चौकी पर घोषणा पत्र दिये बिना ड्राइवर गाड़ी के साथ भाग गया जिसे पीछा करके पकड़ा गया। उसने प्रपत्र खो जाने की बात कही जिसे अधिकरण ने बाद का सोच समझ कर दिया गया वक्तव्य माना। अधिकरण द्वारा अभिग्रहण की कार्यवाही उचित रूप से सही पाई गई है। *Som Distilleries and Breweries Ltd. v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 434.

व्यापारी के गोदाम प्रान्तीय सीमा पर जांच चौकी के बाहर स्थित हैं उस के बिलों की जांच से विक्रेता फर्जी पाये गये—व्यापारी का कथन था कि उसने भुगतान चेक तथा ड्राफ्ट से किया है किन्तु सम्बन्धित अभिलेखीय—साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। यह सिद्ध करने का भार व्यापारी पर है कि उसकी खरीद प्रान्तीय है। *Olympic International, Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 137.

अक्रमांकित चालान लेटर पैड पर जारी किये जाने पर 1000 रु० का अर्धदण्ड आरोपण सही पाया गया। *C.T.T. v. M.M. Medical Agency, Aligarh*, [2001] 33 STR 19.

माल के साथ बिल/बिल्टी नहीं पाये गये किन्तु नोटिस प्राप्त होने के दो घण्टे के भीतर दोनों ही प्रस्तुत करने पर भी अर्धदण्ड लगाया गया। अधिकरण का निष्कर्ष है कि माल का सम्बन्ध एक सही व्यापारी से है तथा सम्यवहार लेखांकित है अतः अर्धदण्ड आदेश निरस्त किया गया। अधिकरण के आदेश में कोई अशक्तता नहीं है। *C.T.T. v. Ravi Oil Mill, Gursara, Jhansi*, [2001] 33 STR 75.

अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि मूल चालान वाहन चालक द्वारा खो जाने पर द्वितीय प्रति चालान की जारी की गई है अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है। *C.T.T. v. Anoop Traders, Azamgarh*, [2001] 33 STR 78.

प्रथम अपील में निष्कर्ष निकाला गया कि पारेषण लेखा पुस्तकों में अंकित था एवं माल सही व्यापारी से सम्बन्धित था। अधिकरण ने इसकी पुष्टि किया है अतः अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता। यह तथ्यपरक निष्कर्ष है तथा उसमें कोई विधिक प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। *C.T.T. v. Lahariya Glass Industries, Hathras*, [2001] 33 STR 79.

व्यापारी पंजीकृत तथा पात्रता प्रमाण पत्र धारक है पारेषिती भी वास्तविक व्यापारी है तथा करापवंचन का कोई उद्देश्य नहीं दृष्टिगत होता तो अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता है। *C.T.T. v. Shreesh Udyog, Industrial Estate, Gorakhpur*, [2001] 33 STR 408.

अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है कि माल प्रान्त के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा था तथा उसमें करापवंचन का उद्देश्य नहीं था। *C.T.T. v. Dharmpal Singh, Narsana, Mathura*, [2001] 33 STR 60.

वाहन चालक ने भूल से बिल प्रस्तुत नहीं किया। अधिकरण द्वारा माल का सम्बन्ध वास्तव में व्यापारी से सम्बन्धित होना पाया गया। बिना जमानत माल छोड़ने का अधिकरण का आदेश साक्ष्यों पर आधारित पाया गया तथा उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। *C.T.T. v. Anode Forma Pvt. Ltd., Panki Ind. Area, Kanpur*, [2001] 33 STR 62.

अधिकरण ने पाया कि परिवहनशील माल के साथ समुचित प्रपत्र थे। माल के मूल्य से सम्बन्धित प्रश्न पर जांच नियमित कर निर्धारण के समय की जा सकती है तथा अभिग्रहण का कोई औचित्य नहीं

है। अधिकरण का निर्णय तथ्यपरक पाया गया। *C.S.T. v. Mac dowell & Company Ltd., Ghaziabad*, [2001] 33 STR 95.

आवश्यक अभिलेखों के बिना माल परिवहन करते हुये पाया गया—जमानत की मांग सही मानते हुये इसे मूल्य का 10% कर दिया गया। *Gulshan Kumar Handa, Jhansi v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 130.

जांच चौकी अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष नहीं अंकित किया गया कि प्रश्नगत माल पारगमन पत्र में अंकित माल से भिन्न है। अभिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता है। *C.T.T. v. S/s Om Carrying Corporation*, [2001] 33 STR 399.

स्रे आयल को मिनरल आयल मानकर अभिग्रहित किया गया तथा जमानत मांगी गई। अधिकरण द्वारा माल बिना जमानत छोड़ने का आदेश दिया गया तथा माल का सैम्पुल लेकर तकनीकी सलाह प्राप्त कर उस पर अर्धदण्ड की कार्यवाही के समय विचार करने का निर्देश दिया गया। अधिकरण का आदेश सही पाया गया। *C.T.T. v. Sushil & Brothers, Kannauj*, [2001] 33 STR 404.

परिवहन शील माल का अभिग्रहण बिल पर क्रमांक मुद्रित न होने के कारण किया गया। अधिकरण का निष्कर्ष है कि माल वास्तविक व्यापारी से सम्बन्धित है तथा क्रमांक स्टाम्प द्वारा डाला गया है। अधिकरण का तथ्यात्मक निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित पाया गया। *C.T.T. v. S/s Kanpur Metal Products*, [2001] 33 STR 406.

प्रवेश जांच चौकी द्वारा फार्म 34 पर बेटल नट लिखा गया जबकि वाहन में गैम्बियर का परिवहन किया जा रहा था। अधिकरण ने प्रवेश जांच चौकी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर इसे लिपिकीय भूल माना जो तथ्यात्मक निष्कर्ष है और साक्ष्यों पर आधारित है। *C.T.T. v. S/s Navin Road Lines, Gwalior*, [2001] 33 STR 411.

माल अभिग्रहीत करने के पश्चात जब विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचना देने पर पुलिस द्वारा अभियोजन की कार्यवाही की गई हो तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के माल अवमुक्त नहीं किया जा सकता है। *Gulshan Kumar Handa, Jhansi v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 130.

अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि माल का अभिलेखन लेखा-पुस्तिकों में किया गया है तथा धारा 13-क के अन्तर्गत अभिग्रहण का मामला नहीं बनता है जो तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। *C.T.T. v. Leather World Wide, Noida*, [2001] 33 STR 133.

माल के साथ सभी प्रपत्र उपलब्ध थे तथा माल का सम्बन्ध वास्तविक व्यापारी से स्पष्ट था ऐसी स्थिति में जमानत की मांग गलत है क्योंकि अभिग्रहण ही अवैधानिक था। *C.T.T. v. S/s Sahu Traders*, [2001] 33 STR 366.

धारा 13-क के अन्तर्गत अभिग्रहण उसी दशा में किया जा सकता है जब कि वस्तु का परिवहन लेखा पुस्तकों में अंकित न किया गया हो। सन्देह पर वस्तु का अभिग्रहण विधिक नहीं है। *M/s. Naresh Traders v. Commissioner of Trade Tax, 2000 UPTC 483* See *M/s. Nitish Trading Company, Kanpur v. Commissioner of Trade Tax, 2000 UPTC 431*.

विभाग को अपनी कमजोरी एवं कर्तव्यों को अनुपालन न करने का लाभ नहीं दिया जा सकता अतः अभिग्रहण आदेश एवं जमानत की माँग अवैधानिक है। *Ritco Transport Co., Varanasi v. Commissioner of Trade Tax, 2000 UPTC 488*.

प्रत्येक वाद में अधिकतम जमानत की मांग किये जाने का औचित्य नहीं है। *Ravi Goods Carrier, New Delhi v. Commissioner of Trade Tax, 2000 UPTC 429*.

वस्तु पर कर की दर को ध्यान में रखकर जमानत की धनराशि की माँग करना उचित होगा न

कि मूल्य का 40% की जमानत प्रत्येक वाद में मांगी जाये। *M/s. Godawari Steels Ghaziabad v. Commissioner of Trade Tax*, [1999] 30 STR 417 : 1999 UPTC 1046.

व्यापारी का बैंक खाता अभिग्रहीत किया जाना अवैधानिक है एवं प्रशासनिक आतंकवाद है। *Krishna Traders, Kanpur Nagar v. State of U.P. and others*, 2000 UPTC 506.

कमिश्नर व्यापार कर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.9.1998 के अनुसार चेकपोस्ट से पास की गई गाड़ियों को सचल दल (Mobile squade) द्वारा जांच हेतु रोका नहीं जाना चाहिये। उक्त पत्र विभागीय अधिकारियों पर पुर्णतः लागू होता है। अतः उक्त कृत्य परिपत्र में दिये गये निर्देशों के विरुद्ध। *Raghunath Laxminarain Spices Pvt. Ltd. v. State of U.P. and others*, 2000 UPTC 554.

अधिकारी वाहन पर लदे माल को अभिग्रहीत करने के लिए अधिकृत है न कि वाहन को। नियम 84(1) माल के निरीक्षण के लिये वाहन को रोकने का अधिकार देता है किन्तु केवल उतने समय तक के लिये जब तक निरीक्षण एवं माल के उतारने में लगे। अनधिकृत एवं अवैधानिक कार्य करने के कारण याची मुआवजा का हकदार है। *Ram Singh and others v. State of U.P., and Hindustan Transport Agency, Varanasi v. State of U.P.*, 2000 UPTC 865.

माल के पारगमन के लिये प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध किये जाने पर, परिवहन किये जाने वाले माल घोषित माल से जाँच रिपोर्ट के आधार पर भिन्न पाये जाने पर, माल अभिग्रहण किया गया। धारा 13-क(6) में दिया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। विभाग का यह दावा कि उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील का प्राविधान होने के कारण याचिका अस्वीकार योग्य है, न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया तथा माल अवमुक्त किये जाने का आदेश दिया गया क्योंकि अभिग्रहण विधिवत् नहीं था। *Tarsem Singh, Calcutta v. Trade Tax Officer*, 2000 UPTC 19.

कमिश्नर की अनुमति लिये बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल किया जाना अनुचित तथा विधि का दुरुपयोग है। *M/s. New J.T.C. Corporation, Delhi v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 573.

प्रति ट्रक प्रतिदिन के लिये ट्रक छूटने के दिनांक तक रु० 2500 की क्षतिपूर्ति याची को दिये जाने का आदेश दिया गया। *M/s. New J.T.C. Corporation, Delhi v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 573.

माल के साथ डुप्लीकेट बिल तथा बिल्टी पाई गई। बिल तथा जांच पर पाये गये माल की मात्रा में अन्तर पाया गया—बिल की मूल अथवा कार्बन प्रति किसी स्तर पर प्रस्तुत नहीं की गई। यह अवधारणा सही निकाली गई कि माल लेखापुस्तकों के बाहर परिवहन किया जा रहा था। *Vijay Paper Mart v. Commissioner of Trade Tax*, [1999] 30 STR 588.

अधिकरण के निष्कर्षों में तालमेल का अभाव पाया गया एवं उसे संतुलित करने हेतु वाद उसे प्रतिप्रेषित किया गया। *M/s. Unique Enterprises, Lal Guan, Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 586.

माल के मूल्य के 20% के बराबर जमानत उचित पाई गई। *Commissioner of Trade Tax v. S/s. Rals Khan, Nagpur*, [1999] 30 STR 664.

पंजीकृत वाहन प्रान्त के भीतर बॉडी निर्माण हेतु लाने के लिये फार्म 31 या 32 की आवश्यकता नहीं है। *Suhail Ahmad v. Commissioner of Sales Tax*, [1999] 29 STR 179.

धारा 13-ए—बैच नम्बर की भिन्नता के कारण माल अभिग्रहीत नहीं किया जा सकता।

*Commissioner of Trade Tax v. M/s. Central Distillery & Breweries Ltd.*, [1999] 29 STR 60.

नियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि बिल की कारबन प्रति बनाई जाय अतः हस्तलिखित बिल की प्रति को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। धारा 13-A (4) के अन्तर्गत अर्थदंड आरोपित किये जाने का कोई कारण नहीं है। लेखा पुस्तकों में व्यवहार अंकित न होने की जाच तुरन्त न किये जाने के कारण, व्यापारी के कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *D.K. Steels, Jhansi v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 328.

अभिग्रहण आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं—केवल माँगी गयी जमानत की धनराशि में कमी। *S/s Dasmesh Transport Organisation, Ludhiana v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 94.

धारा 13-क तथा धारा 28-क के अन्तर्गत ट्रक के अभिग्रहण का अधिकार नहीं है। *Rajendra Sood v. T.T.O Checkpost, Satna*, [1998] 27 STR 184.

माल का परिवहन केवल बैच नम्बर घोषित करके किये जाने पर यह स्वीकार योग्य नहीं है कि व्यापार कर से सम्बन्धित अभिलेखों में बिक्री अंकित है। *Sir Shadi Lal Enterprises Ltd. v. Trade Tax Tribunal*, [1997] 26 STR 792.

व्यवहार की प्रकृति निश्चित करने के लिये अभिलेखों को अभिग्रहीत नहीं किया जा सकता। *Radhey Shyam Paper Stores v. C.S.T.*, 1994 UPTC 35.

ट्रक ड्राइवर के अधीन वस्तु का अभिग्रहण किये जाने तथा अर्थदंड ट्रक मालिक पर अर्थदंड लगाने एवं माल ट्रांसपोर्टर को दिये जाने में कोई अनियमितता नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टर माल का इन्चार्ज है। *C.S.T. v. Seth Industrial Corporation & Mahwa U.P. Roadways*, 1994 UPTC 140.

25 लाख के मूल्य के सामान के आयात का आदेश देते समय व्यापारी के पास फार्म 31 नहीं थे—कारण बताओ नोटिस का उत्तर भी तुरन्त नहीं दिया गया अतः अभिग्रहण आदेश में हस्तक्षेप करने से न्यायालय ने इन्कार किया। जमानत की धनराशि 40% से घटा कर 15% की गई। *Godawari Steels, 15-Navyug Market, Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 417.

वस्तु के मूल्य के 40% की जमानत प्रत्येक वाद में नहीं माँगी जा सकती—जहाँ वस्तु 4% की दर से कर योग्य है, 15% की जमानत पर्याप्त मानी गई। *Godawari Steels, 15-Navyug Market, Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 417.

क्रेता विक्रेता एवं पारेषक के संदेहात्मक पाये जाने की स्थिति में अभिग्रहण की कार्यवाही उचित। *Bihar Carrying Corporation, Patna v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 420.

धारा 13-क(4) के अन्तर्गत कार्यवाही में यह विचारणीय नहीं होता कि औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तु स्वयं निर्मित की गई। *Krishna Synthetic Ltd. v. State of U.P.*, [1995] 22 STR 151; 1995 UPTC 1198.

व्यापारी ने क्रेता को माल प्रान्त बाहर ले जाने हेतु डिलेवरी दिया—क्रेता को प्रान्त के भीतर माल उतारते हुये पाया गया—व्यापारी का कथन कि उससे माल का कोई सम्बन्ध डिलेवरी देने के बाद नहीं रहा प्रथम अपील में माना गया—अधिकरण का अन्यथा मत न्यायोचित नहीं। *Indian Oil Corporation Limited, Idgah, Agra v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 434

धारा 13-क(6) की कार्यवाही में किसी वस्तु की करदेयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। करदेयता का बिन्दु केवल कर निर्धारण की कार्यवाही में ही सुनिश्चित हो सकता है। *Misra Traders v. C.S.T.*, 1994 UPTC 13.

धारा 13-क(6) की कार्यवाही माल अवमुक्त किये जाने हेतु जमानत की धनराशि सुनिश्चित किये जाने से सम्बंधित है न कि अभिग्रहण के औचित्य पर विचार किये जाने से। *Kunj Bihari Mantri & Sons v. C.S.T.*, 1994 UPTC 620.

माल का अभिग्रहण केवल उसी दशा में किया जा सकता है जबकि अभिलेखों में उसकी प्रवृष्टि अंकित न हो। व्यवहार की प्रकृति केवल कर निर्धारण की कार्यवाही में सुनिश्चित की जा सकती है। *Kashī Papers v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 291; 1994 UPTC 977.

ट्रक का अभिग्रहण अवैधानिक है। *Nirmala Devi v. State of U.P.*, 1994 UPTC 996.

अर्धदंड बिना अभिग्रहण के आरोपित नहीं की जा सकती। *Suhag Industries v. Sales Tax Tribunal*, [1995] 21 STR 275; 1995 UPTC 171.

नियमों में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है कि माल परिवहन किये जाते समय बिल व बीजक साथ में हो। यदि चालान माल के परिवहन साथ पाया जाता है तब अर्धदंड आरोपित नहीं किया जा सकता। *J.J. Enterprises v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 266; 1995 UPTC 1203.

धारा 13-क के अन्तर्गत अभिग्रहण माँगी जाने वाली जमानत में कर अपवंचन का उद्देश्य देखा जाना अनिवार्य नहीं है। फार्म 31 का प्रस्तुत न किया जाना धारा 28-A का उल्लंघन है। *G.E. Apar Lighting (P) Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 22 STR 283; 1996 UPTC 66.

जब माल के व्यापारी का पता नहीं चलता या माल लेखा पुस्तकों में सही प्रकार से प्रविष्ट नहीं पाई जाती तभी माल का अभिग्रहण किया जा सकता है। इन आधारों के अभाव में माल का अभिग्रहण नहीं किया जा सकता। *Shaw Stock Distillery v. Sales Tax Officer*, 1983 UPTC 387.

माल के अवमुक्त किये जाने पर ट्रान्जिट पास पर आवश्यक टिप्पणी करके वापस किये जाने का निर्देश दिया गया। *Bihar Carrying Corporation, Patna v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 420.

एक ट्रक जो निर्धारित सामान ले जा रहा था उसका बिक्री-कर अधिकारी (सचल दल) ने निरीक्षण किया। बिक्री-कर अधिकारी ने ट्रक के निरीक्षण के पश्चात् शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया तथा सामान को छोड़ने के लिये कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपील करने पर सहायक आयुक्त (न्याय) ने जमानत की रकम कम कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध बिक्री-कर आयुक्त तथा करदाता दोनों ने अपील दाखिल किया। अधिकरण ने यह निर्णय दिया कि धारा 13-क(6) के अन्तर्गत पारित आदेश अपीलीय आदेश होते हैं और बिक्री-कर अधिकारी (सचल दल) ने जमानत की जो रकम जमा करने का आदेश दिया था वह उचित था। अधिकरण के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्ट किया। *C.S.T. v. Sterling Machine Tools*, 1983 UPTC 300.

उत्तर प्रदेश में माल का आयात फार्म संख्या 31 पर बिना उचित घोषणा के किया गया। प्रश्न यह उठा कि क्या घोषणा-पत्र किसी सदभावनापूर्वक गलती से छूट गया या किसी विशेष प्रयोजन से छोड़ दिया गया था। यह प्रश्न बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में नकद धनराशि के बजाय अभिग्रहीत माल के बीजक मूल्य की 40 प्रतिशत धनराशि के बराबर धनराशि की बैंक गारन्टी जमानत के रूप में देने के हेतु प्रार्थी को अनुमति दी गयी। *Harbansh Lal Malhotra & Sons Ltd. v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 56.

नकद जमानत जमा करने पर अभिग्रहीत माल को छोड़ दिया गया था परन्तु आठ माह तक न तो अर्धदण्ड की कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और न जमानत की धनराशि वापस की गई। प्रार्थी से प्रार्थना-पत्र पर बिक्री-कर अधिकारी की ओर से एक माह के अन्दर अर्धदण्ड की कार्यवाही पूरी करने का आश्वासन दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि अर्धदण्ड की कार्यवाही का निस्तारण एक माह के अन्दर नहीं किया जाता तो नकद अथवा बैंक गारन्टी से भिन्न कोई अन्य जमानत दिये जाने पर

जमा की गयी नकद जमानत की धनराशि लौटा दी जायेगी। परन्तु नकद जमानत की धनराशि वापस कर दिये जाने पर भी कर-निर्धारण अधिकारी को अर्थदण्ड की कार्यवाही जारी रखने से एक महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी रोका नहीं जा सकेगा। *Kanhalya Traders v. Sales Tax Officer*, 1987 UPTC 131.

धारा 13-क(6) के अन्तर्गत रेलवे प्रशासन के कब्जे का सामान अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। बर्तनों के बन्डल को रेलवे पार्सल आफिस से ठेले पर शहर के बुकिंग एजेन्सीज पर लाते समय बिक्री-कर अधिकारी ने इस आधार पर अधिग्रहीत किया कि सामान के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। उपायुक्त बिक्री-कर ने रेलवे प्रशासन की प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया। इसलिये उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दाखिल की गई जो स्वीकार हुई। यह निर्णय दिया गया कि अधिग्रहण गैर-कानूनी था क्योंकि रेलवे प्रशासन के कब्जे का सामान बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। *Union of India v. Sales Tax Officer*, [1986] 4 STR 378.

करदाता ने ब्रास बुरादा व तार उत्तर प्रदेश के अन्दर बेचा तथा ट्रक द्वारा माल भेजा जो कि बिक्री-कर अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया तथा 40 प्रतिशत की मांग माल को छोड़ने के लिये किया। उच्च न्यायालय ने करदाता की रिट-याचिका मंजूर करके यह निर्णय दिया कि बिक्री-कर अधिनियम की धारा 13-क (6) के अन्तर्गत माल छोड़ने के लिये कर के डेढ़-गुना रकम की जमानत के रूप में जमा करना कानूनन सही है। माल के मूल्य का 40 प्रतिशत धन मांगना गैर-कानूनी है। *Suresh Chand Satish Chand, Kanpur v. State of U.P.*, [1985] 2 STR 344.

भौतिक जांच पर बोरों की संख्या एवं माल की मात्रा में अन्तर पाया गया—व्यापारी की आख्या विश्वसनीय न मानकर अधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि परिवहनशील माल लेखापुस्तकों में अंकित नहीं था—अधिकरण का निष्कर्ष सही पाया गया। *Chand Rice Mill, Nangla Akil, Dist. Rampur v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 506.

धारा 13-क (7) के अधीन जमानत जमा करने के आदेश के विरुद्ध अपील धारा 9(1) के अन्तर्गत दाखिल की जा सकती है। *C.S.T. v. Sterling Machine Tools*, 1983 UPTC 300.

**1[13-कक. न्यून मूल्यांकन की दशा में माल को अधिग्रहीत करने की शक्ति—(1)** जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी या धारा 13-क के अधीन सशक्त किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाने, या आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने वाले व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल को आयात करने के लिये घोषणा-प्रपत्र में ऐसे माल का प्राक्कलित मूल्य उसकी उचित कीमत से कम दर्शाया गया है या ऐसे प्रपत्र में प्राक्कलित विक्रय नहीं दर्शाया है और ऐसे माल का उपधारित विक्रय मूल्य ऐसे माल की उचित कीमत से कम है, तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी व्यापारी को, यथास्थिति, ऐसे प्राक्कलित विक्रय मूल्य या उपधारित विक्रय मूल्य के 105 प्रतिशत का भुगतान करके ऐसे माल को अधिग्रहीत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2000 दिनांक 5.5.2000 द्वारा नई धारा 13-कक अंतःस्थापित (प्रभावी 6.3.2000)।

(3) घोषणा-प्रपत्र पर छपी हुयी नोटिस को उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए नोटिस समझी जायगी और व्यापारी की सुनवाई के लिये अलग से नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिग्रहीत माल को ऐसी रीति से निर्धारित किया जायगा जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "उचित कीमत" का तात्पर्य ऐसी रीति से अवधारित मूल्य से है जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(दो) उपधारित विक्रय मूल्य घोषणा-प्रपत्र में दर्शायी गयी क्रय कीमत की 110 प्रतिशत के बराबर होगा ॥

[प्रयोजनार्थ नियम 83 देखें]

**13-ख. पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति**—धारा 13, धारा 13-क या धारा 28-क के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस या अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों की सहायता ले सकता है।

**14. अपराध और दण्ड**—(1) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपयुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर की नियत समय के भीतर न दे, अथवा

(ख) [निकाल दिया गया]।

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए धारा 8-क के अधीन और उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करें, अथवा

(घ) किसी बही, लेख-पत्र अथवा लेखे का निरीक्षण (Inspection) या परीक्षण (Examination) करने, देने से, इन्कार करे या उन्हें निरीक्षण या परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से इन्कार करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे अथवा धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करने से इन्कार करे, अथवा

(ङ) इस अधिनियम के अनुसार बनाये गये नियमों के किसी आदेश का उल्लंघन करता हो,

किसी अन्य विधि के अधीन, जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन, उसके द्वारा देय कर तथा अन्य धनराशि की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है और जब अपराध बराबर

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा निकाल दिया गया।



होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध बराबर होता रहे, पचास रुपये तक हो सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती बार (Subsequent) सिद्ध दोष ठहराये जाने पर न्यूनतम दण्ड जो दिया जायगा वह 500 रुपये की धनराशि का या अपराध में अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि को, जो भी कम हो, अर्थदण्ड होगा।

- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो जानबूझकर—
- (क) इस अधिनियम के अधीन झूठा विवरण-पत्र अपने विक्रय-धन का प्रस्तुत करे; या
- (कक) धारा 4-ख के अधीन रियायती दर पर या कर दिए बिना खरीदे गये किसी माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए करे अथवा ऐसे माल का अन्यथा निस्तारण करे; या
- (ककक) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए भी, इस अधिनियम या तदधीन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विक्रय धन की विवरणी बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत न करे अथवा पहले या विवरणों के साथ जैसा धारा 7 की उपधारा (1-क) में व्यवस्थित है कर जमा न करे; या
- (ख) गलत लेखे, रजिस्टर या खाते रखे या प्रस्तुत करे, अथवा
- (खख) निकाल दिया गया
- (ग) कोई गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दे या प्रस्तुत करे जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके, अथवा
- (घ) रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करे; अथवा
- (ङ) कर का, जिसका इस अधिनियम के अधीन देनदार हो, भुगतान करने से बचे; अथवा
- (च) धारा 13 के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उस धारा 13 की उपधारा (2), (3), (4), (4-क) और उपधारा (5) के खण्ड (क) में और धारा 13(क) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करने से रोके या उसमें बाधा डाले; अथवा
- (चघ) धारा 13 की उपधारा (4-क) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तःक्षेप करे; अथवा

- 14(छ) किसी माल की बिक्री या क्रय पर कोई कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो; अथवा]
- (छछ) धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं भी कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डाले या उसे करने से रोके; अथवा
- (ज) कोई ऐसी सूचना देने से इन्कार करे या देने की उपेक्षा करे, जो उसकी जानकारी या अधिकार में हो और जिसे देने का आदेश उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिया गया हो, या ऐसी सूचना दे जिसका कोई महत्वपूर्ण विवरण मिथ्या हो; अथवा
- (झ) धारा 8-ग के अधीन माँगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे या करता रहे;

किसी अन्य विधि के अधीन जो उस समय प्रचलित हो उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर साधारण कारावास के दण्ड का जो एक वर्ष तक हो सकता है, या अर्धदण्ड का या दोनों का भागी होगा और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्धदण्ड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, 100 रुपये तक हो सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि द्वितीय या अनुवर्ती बार (Subsequent) सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर न्यूनतम दण्ड जो दिया जायेगा वह तीन माह की अवधि के लिए साधारण कारावास होगा।

(3) कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) न करेगा तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे की श्रेणी का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

याची रेलवे बुकिंग एजेंट के रूप में सेवार्य देता है—रेलवे रसीद पर पृष्ठांकन कराये बिना माल ले जाते हुये पकड़ा गया। अधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा माल अभिगृहीत किया गया। याची को माल अपने पक्ष में अवमुक्त कराने का अधिकार नहीं क्योंकि मामला करापवंचन से सम्बन्धित है तथा माल के वास्तविक मालिक को ही यह अवमुक्त किया जा सकता है। *Mohd. Ateeq Siddiqui v. State of U.P.*, [2003] 37 STR 409.

प्रथम सूचना रिपोर्ट को रिट क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निरस्त करने से उच्च न्यायालय उस समय इन्कार कर देगा जब आपाततः उसमें किसी संज्ञेय अपराध किये जाने का संकेत मिल रहा हो। *Deepak Jain, Agra v. State of U.P. and others*, [2002] 36 STR 428.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

माल अभिग्रहीत करने के पश्चात जब विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचना देने पर पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में अभियोजन की कार्यवाही कर अभिग्रहीत माल को विभाग की सुपुर्दगी में देने के पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 के अन्तर्गत बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के माल अवमुक्त नहीं किया जा सकता है। *Gulshan Kumar Handa, Jhansi v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 130.

जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञानीय अपराध आरोपित किया गया है, उच्च न्यायालय रिट याचिका में उसे रद्द करने का आदेश नहीं दे सकता है। *Sri Kuldeep Singh, & Others Etc. Etc. v. The State of U.P. and others*, [2001] 34 STR 548.

प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता की जाँच का अधिकार उच्च न्यायालय को नहीं है। न्यायालय को केवल यह देखने का अधिकार है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे तथ्य हैं जिससे संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) किया गया अथवा नहीं। यदि ऐसे तथ्य विद्यमान हैं तो जाँच पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता। धारा 14 में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है जिससे व्यापार के दौरान रखी गई लेखा पुस्तकों में किये गये फरेब की जाँच एवं मुकदमें को प्रतिबन्धित करे। यदि कथित अपराधी जाँच में सहयोग प्रदान करने के लिये तत्पर है एवं सहयोग देता है, तब चार्जशीट किये जाने तक गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है। *सर्वश्री न्यू जे०टी०सी० कारपोरेशन बनाम स्टेट आफ यू०पी०*, [1999] 30 STR 573 : 1999 यू०पी०टी०सी० 1226 में तथा *कृष्णा ट्रेडर्स बनाम स्टेट आफ यू०पी०*, 2000 यू०पी०टी०सी० 274 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अनुचित एवं विधिअनुकूल नहीं रहा। *Ashok Kumar v. State of U.P. and others*, [2001] 34 STR 641 : 2000 UPTC 916.

**14-क. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1)** यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किए जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी (Incharge) और उसके प्रति उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था, अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक (Due & Diligence) उपाय किए थे।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और वह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग-एजेण्ट या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति (Connivance) से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग-एजेण्ट या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप हो तो कम्पनी के ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग-एजेण्ट या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार, उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे।

**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है तथा उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में डायरेक्टर का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

**15. अपराधों का समाधान—**<sup>1</sup>[कर निर्धारक अधिकारी] को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के आदेशों के विरुद्ध कोई अपराध किया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उचित रूप से यह सन्देह हो कि उसने अपराध किया है, ऐसे अपराध के समाधान के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करे—

- (क) जो उस दशा में, जब अपराध किसी ऐसे कर के, जो इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हो, न देने के सम्बन्ध में हो, उस कर के अतिरिक्त, जो इस प्रकार वसूली योग्य हो, वसूल करने योग्य कर की दुगुनी धनराशि से अधिक न हो।
- (ख) जो उस दशा में जब अपराध किसी ऐसे कर से, जो अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हो, देने में टाल-मटोल करने के सम्बन्ध में हो, उस कर के अतिरिक्त, जो इस प्रकार के वसूली योग्य हो, पांच सौ रुपये से अधिक या वसूल करने योग्य कर की दुगुनी धनराशि जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।

<sup>2</sup>[(खख) जहाँ धारा 28-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन या आयात या परिवहन का दुष्प्रेरण (Abetment) अपराध में समाविष्ट हो वहाँ धन की कोई राशि जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन अंतर्निहित (Involve) कर की धनराशि से कम न हो के तीन गुने या अन्तर्ग्रस्त माल की लागत का चालीस प्रतिशत जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।]

(ग) जो अन्य दशाओं में <sup>3</sup>[पाँच हजार] रुपये से अधिक न हो।

<sup>4</sup>[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए कर-निर्धारक अधिकारी में ऐसा अधिकारी जो जांच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो से निम्न श्रेणी का न हो, भी सम्मिलित है।]

[प्रयोजनार्थ नियम 46-ख, 46-ग, 77, 77-क एवं 78 देखें]

**15-क. कतिपय दशाओं में अर्धदण्ड—**(1) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रकाश 28.9.1994)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित। (प्रकाश 14.5.1994)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1992 द्वारा शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर एक लक्ष।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रकाश 28.9.1994)।

- (क) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों की उपेक्षानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण पत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन देय कर जमा नहीं किया है; या

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**अर्धदण्ड**—बम्बई कार्यालय से सदा की भौति करदाता को ड्राफ्ट समय से नहीं मिला क्योंकि वहाँ अव्यवस्था थी। विभाग ने करदाता के प्रति दुराशयता नहीं सिद्ध की। कर न जमा करने हेतु समुचित कारण का अभाव राजस्व को सिद्ध करना होता है। इसके अभाव में अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता है। *Syn Blotics v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 96.

**अर्धदण्ड**—व्यापारी ने विभाग को चेक द्वारा निर्धारित समय पर विवरणी सहित कर का भुगतान किया—बैंक द्वारा "इफेक्ट नाट क्लियर" के रिमार्क के साथ चेक वापस कर दी गई—बैंक खाते में अपेक्षित रकम की उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यापारी का दायित्व—व्यापारी द्वारा विभाग को चेक इस आशय से जारी किया गया कि प्रस्तुत चेक का समय से भुगतान हो जाय—व्यापारी की कार्यवाही को सदाशयता पूर्ण न मानने का कोई कारण नहीं—अतः प्रश्नगत मामले में अर्धदण्ड अपास्त किये जाने योग्य है। *Modi Industries Ltd., Modinagar v. C.S.T.*, (S.T.R. No. 1692 of 1991), [2003] 38 STR 797 : 2003 UPTC 1019.

**अर्धदण्ड**—अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विधि से घनाभाव के कारण कर न जमा करने पर अर्धदण्ड आरोपण उचित नहीं। *Krishna Arhat Kendra v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 337 : 2003 UPTC 522.

स्वीकृत समय के बाद जमा करने हेतु आवेदन नहीं दिया गया—नोटिस पाने के पश्चात दिया गया चेक अनादरित हो गया—व्यापारी का कार्य दुर्भावना पूर्ण मानते हुए अर्धदण्ड का आरोपण सही पाया गया। *Willard India Ltd. v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 134.

एक ट्रक शीरा दिल्ली भेजा गया। माल के साथ लेटर हेड पर बनाया गया चालान उपलब्ध था। धारा 15-ए(1)(ए) या धारा 15-ए(1)(ओ) में अर्धदण्ड का मामला नहीं बनता है। *C.T.T. v. S/s. Pragati Sales*, [2001] 33 STR 245.

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा मासिक विवरणी के साथ समय के भीतर देयकर जमा न करने के कारण न्यूनतम अर्धदण्ड आरोपित किया गया। अधिकरण द्वारा इसे बढ़ा कर देय कर का 24% निर्धारित करना उचित नहीं पाया गया। *M/s. Pangasa Garments v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 247.

स्वीकृत कर देय तिथि से आठ दिन बाद ब्याज सहित धारा 15-ए की नोटिस भेजने के पूर्व जमा किया गया। अधिकरण द्वारा आरोपित कर समाप्त किये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई। *C.T.T. v. Tata Iron Steel Co. Ltd., Kanpur*, 2000 UPTC 471.

निर्धारित अवधि में स्वीकृत कर जमा न किये जाने तथा समय बढ़ाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा न किये जाने के लिये समुचित कारण नहीं था। करदाता का यह कथन कि हेड आफिस से धनराशि के उपलब्ध होने में विलम्ब हुआ तथा स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा कर दिया गया, पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया। अतः वाद प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया गया। *Pradeep Phosphates Ltd. v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 54 : 2000 UPTC 8.

अर्धदण्ड आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना इस धारणा पर आधारित है कि कर विलम्ब से

जमा किया जबकि अर्धदण्ड की कार्यवाही विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने हेतु की गई है अतः अर्धदण्ड का आरोपण उचित है। *M/s. Nav Bharat Automobiles, Nunhai, Agra v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 592.

31.12.69 तथा 31.3.1970 को समाप्त होने वाली तिमाही की विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत की गई—15.4.1990 से बीमार होने के तथ्य का इस विलम्ब से कोई सम्बन्ध नहीं है। *M/s. Nav Bharat Automobiles, Nunhai, Agra v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 592.

समय से कर व विवरणों न देने के स्पष्टीकरण पर अधिकरण द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। विवरणी प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र न देना अर्धदण्ड आरोपण के लिये पर्याप्त नहीं। *M/s Paradeep Phosphates Limited v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 54

ग्राहक से कर वसूल कर के कोषागार में नहीं जमा किया गया। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। *Nav Bharat Automobiles, Nunhai, Agra v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 592.

कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज नहीं दिया गया। अर्धदण्ड आदेश विधि सम्मत पाया गया। *M/s. Nav Bharat Automobiles, Nunhai, Agra v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 592.

प्रत्येक महीने के लिये आधार उत्पादन के ऊपर के विक्रय धन का अनुमान लगाकर धारा 4-क के अन्तर्गत कर मुक्ति का दावा करना उचित। इस आधार पर मासिक विवरणी के साथ कर न जमा करने पर अर्धदण्ड की कार्यवाही अनुचित। *C.T.T., v. Modipon Ltd., Modi Nagar*, [1999] 30 STR 356.

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वापसी योग्य न पाये जाने की दशा में केवल व्यापारी द्वारा मान्य वापसी योग्य धनराशि के आधार पर देयकर की ओर समायोजन नहीं हो सकता अतः देय कर के निर्धारित रीति से न जमा होने के कारण अर्धदण्ड की कार्यवाही की जा सकती है। *C.S.T. v. R.S. Steel Works, Civil Lines Bareilly*, [1999] 29 STR 241.

यदि व्यापारी द्वारा विक्रयधन से संबन्धित प्रपत्र समय के भीतर दाखिल कर दिया गया तथा स्वीकृत कर जमा करने के लिये समय की माँग हेतु प्रार्थना पत्र बाद में प्रस्तुत किया गया परन्तु उसकी कोई जानकारी नहीं की गई, ब्याज सहित कर जमा करने के बावजूद भी अर्धदण्ड आरोपित योग्य है। *Premier Vinyl Flooring Ltd. v. C.S.T.*, 1994 UPTC 773.

करदाता का व्यापार स्थल सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर में है परन्तु करदाता ने कर का भुगतान चेक द्वारा गाजियाबाद शाखा का दिया जो कि बिक्री-कर अधिकारी ने अमान्य कर दिया। बाद में करदाता ने मियाद व्यतीत हो जाने पर कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया। इस पर विभाग ने धारा 15-क(1) के तहत करदाता पर अर्धदण्ड आरोपित किया जिसका समर्थन प्रथम, द्वितीय अपील में हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरावृत्ति को स्वीकार कर लिया और अर्धदण्ड को निरस्त करके यह निर्णय दिया कि सिकन्दराबाद के बैंक की शाखा में करदाता का कोष कम था इसलिये गाजियाबाद की शाखा का चेक दिया था। इसलिये करदाता का कार्य दुराशयुक्त नहीं था परन्तु उचित कारणों पर आधारित था। *Willard India Limited v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 374.

करदाता पर धारा 15-ए(1)(ए) के अन्तर्गत अर्धदण्ड इस आधार पर आरोपित किया गया कि उसने स्वीकृत कर रिटर्न के साथ नहीं जमा किया जिसकी पुष्टि अधिकरण तक हुई। करदाता ने आर्थिक परेशानियों को दर्शित किया जिसको अधिकरण ने नहीं माना। उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरावृत्ति को खारिज करते हुए अर्धदण्ड के आरोपण की पुष्टि किया। केस के तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि करदाता ने ग्राहकों से कर वसूल किया था परन्तु कर न जमा करके उसने उस रकम को व्यापार के अन्य प्रयोजन में लगा दिया था। *Willard India Ltd. Sikandrabad v. C.S.T.*, 1988 TLD 148.

करदाता के लेखा-पुस्तकों को अस्वीकार किया गया और विक्रय-धन में बढ़ोत्तरी की गई। बाद में कर-निर्धारण अधिकारी ने धारा 15-क (1)(ए) के तहत इस आधार पर अर्धदंड लगाया कि करदाता ने जान-बूझकर गलत रिटर्न दाखिल किया था जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय अधिकारियों ने किया और उसके खिलाफ करदाता ने उच्च न्यायालय में पुनरावृत्ति दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरावृत्ति को खरिज करके निर्णय दिया कि अधिकरण का आदेश सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् पारित किया गया था। अतः पुनरावृत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Deen Dayal v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 415.

यदि करदाता बिना किसी कारण कर नहीं जमा करता है तो धारा 15-क (1) (ए) के तहत कर न देने के अर्धदंड का दायित्व उठाता है। आमतौर से करदाता पर अर्धदंड नहीं आरोपित किया जाता जब तक कि यह न दिखलाया जाय कि करदाता ने जानबूझ कर कानून का उल्लंघन किया या उसकी अवहेलना की। अर्धदंड की कार्यवाही कर-निर्धारण की कार्यवाही की तरह नहीं है, यहाँ तक कि अर्धदंड की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है। अर्धदंड का आरोपण अपवाद होना चाहिये न कि नियम। अर्धदंड का लगाना स्वचालित नहीं है। *C.S.T. v. Naresh Udyog, Loni, Ghaziabad*, [1988] 7 STR 59.

करदाता ने निष्कपट भाव से सम्पूर्ण कर की धनराशि पाँच प्रतिशत ब्याज सहित धारा 15-क (1) (क) की नोटिस पाने पर जमा कर दिया। करदाता का कोई बदनियती का इरादा नहीं था। अतः अर्धदंड का निरोपण उचित नहीं था। *Adarsh Cement Product (Pvt.) Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 38.

प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि वहाँ माल का कम मूल्यांकन था अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया। जब कि तथ्य के अनुसार कम मूल्यांकन नहीं था तो अर्धदण्ड आरोपित करने का कोई कारण नहीं था। माल के कम मूल्यांकन किये जाने पर अधिकरण के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह इस प्रश्न का निर्णय करे कि क्या धारा 15-क(1)(क) के अन्तर्गत अर्धदण्ड लगाया जा सकता है। *C.S.T. v. Bhoore Singh Basant Singh*, [1988] 7 STR 42.

करदाता के खिलाफ धारा 15-क के तहत अर्धदण्ड की कार्यवाही इस आधार पर की गई कि उसने कुछ महीनों के देय कर जमा नहीं किया। उच्च न्यायालय ने विभाग की पुनरावृत्ति स्वीकार करके निर्णय दिया कि कर को न जमा करने के फलस्वरूप लगाया गया अर्धदण्ड उचित है। कुछ मामलों में कर-निर्धारण आदेश द्वितीय अपील में विचाराधीन होने के कारण अर्धदण्ड देय नहीं है। अपील निस्तारण होने के बाद विभाग यदि चाहे तो अर्धदण्ड की कार्यवाही कर सकता है। *C.S.T. v. Shree Gopal Motors*, [1986] 3 STR 491.

(ख) ने इस अधिनियम के अधीन विक्रय-धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है; या

(ग) ने अपने विक्रय-धन का ब्यौरा छिपाया है, अथवा जानबूझकर ऐसे विक्रय-धन का त्रुटिपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया है; या

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**अर्धदण्ड**—धारा 21 में कार्यवाही करके कर लगाया गया तत्पश्चात् विक्रयधन छिपाने एवं गलत हिसाब किताब रखने के आरोप में धारा 15-ए(1)(सी) एवं (डी) के अन्तर्गत अर्धदण्ड लगाया गया। बाद में धारा 21 की कार्यवाही अपास्त की गई। अर्धदण्ड आदेश अवैधानिक हो गया। *P. Anand & Sons v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 165 : 2004 UPTC 217.

**अर्धदण्ड**—मात्र इस आधार पर विक्रयधन छिपाने के आरोप में अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता है कि व्यापारी द्वारा कर निर्धारण की कार्यवाही में दी गई आख्या अस्वीकार कर दी गई है। *Dhanna Lal Nand Lal v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 510.

**अर्धदण्ड**—जब कर का दायित्व प्रपत्र जारी किये जाने के कारण समाप्त नहीं होता तो मात्र प्रपत्र 3ग(4) जारी करने से अर्धदण्ड के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं। *C.S.T. v. Jagdish Rai Shyam Mohan, A.K. Muzaffarnagar*, [2003] 38 STR 611.

**अर्धदण्ड**—अधिकरण द्वारा निष्कर्ष अंकित किया गया कि व्यापारी ने करापवंचन के प्रयास में करयोग्य विक्रयधन को छिपाया। निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है अतः अधिकरण ने व्यापारी की अपील उचित रूप से अस्वीकार किया। *Kailash Coal and Coke Co., Moradabad v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 356 : 2003 UPTC 875.

सर्वेक्षण पर प्राप्त मुक्त पर्चों पर उल्लिखित सामग्री लेखापुस्तकों में अंकित न पाये जाने के आधार पर विक्रयधन का अपवंचन माना गया। निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित एवं हस्तक्षेप योग्य नहीं है। *Ram Shyam Trading Co. v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 502.

प्रथम अपील में अर्धदण्ड की राशि घटाने के समुचित कारण दिये गये। द्वितीय अपील में बिना कारण बताये इसे बढ़ाया जाना अनुचित है। *M/s Ram Shyam Trading Co. v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 502.

प्रथम अपील में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया गया है कि व्यापारी द्वारा जानबूझ कर करापवंचन का प्रयास किया गया है विभाग द्वारा साक्ष्य भार का सम्यक् निर्वहन किया गया है अतः अर्धदण्ड का आरोपण उचित है। *M/s Sikka Metal Works v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 581.

व्यापारी ने प्रपत्र 3 ग(2) में घोषित विक्रयधन की अपेक्षा कर निर्धारण के समय कम विक्रयधन घोषित किया। जानबूझकर करापवंचन के ध्येय से ऐसा किये जाने का संकेत मिलता है। *Durga Prasad Jugal Kishore, Jhansi v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 583.

धारा 15-ए(1)(सी) एवं धारा 15-ए(1)(क्यूक्यू)—कमिश्नर की अपील करनिर्धारण आदेश के विरुद्ध थी जबकि अधिकरण ने अर्धदण्ड आदेश का समर्थन किया। अधिकरण का आदेश अपास्त करके पुनः निर्णयार्थ वापस भेजा गया। *M/s Jagdish Narain Shankar Prasad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 219.

व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की पुस्तक में उत्पादन व बिक्री पाये जाने की स्थिति में धारा 15-ए(1)(सी) के अन्तर्गत व्यापारी पर अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता। *Commissioner of Sales Tax v. K.B. Industries Blasapur, district Rampur*, 2000 UPTC 753.

सर्वेक्षण के समय अभिग्रहीत लेखा पुस्तकों में खरीद एवं बिक्री अधिक पाई गई। अर्धदण्ड आरोपित किये जाने के लिये यथेष्ट सामग्री है। करदायित्व अधिकरण द्वारा कम किये जाने के फलस्वरूप अर्धदण्ड में कमी किया जाना औचित्य पूर्ण है। *Shree Ram Traders v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 61 : 2000 UPTC 42.

कर निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिकरण के सम्मुख विचाराधीन होने पर आर्धदण्ड से संबंधित अपील भी उन्हीं के साथ निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित की गई। *M/s Sundarlal Jaiswal v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 47.

अर्धदण्ड की कार्यवाही में समय अवधि की सीमा लागू नहीं होती। यदि किसी पार्टी का कथन प्रयोग में नहीं लाया जाता तब उसका प्रति परीक्षण आवश्यक नहीं है। राजस्व की धोखा घड़ी में अर्धदंड भयावह होनी चाहिये। *Ocean Time Agency v. C.T.T.*, [1997] 25 STR 379.



अपील में अपवंचित कर को कम किये जाने के पश्चात अर्धदण्ड की राशि तदानुसार कम कर दी गई। *M/s Shree Ram Traders v. C.T.T.*, [2000] 31 STR 61.

धारा 15-क (1)(ग) के अन्तर्गत निर्धारित कर तथा स्वीकृत जमा कर के अन्तर के आधार पर अर्धदण्ड आरोपित किया जा सकता है अपवंचन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवश्यक है। कर निर्धारण आदेश के आधार पर अर्धदण्ड आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है। *Abdul Rasheed Brick Klin Ownerv. C.S.T.*, 1994 UPTC 280.

**आवर्त का छिपाना**—अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री धारण करने के लिये कि कतिपय माल का सम्बन्ध करदाता से था अधिकरण ने करदाता पर अर्धदण्ड अधिरोपित किया। यह एक तथ्य के पाये जाने का निष्कर्ष है जिसका समर्थन पर्याप्त सामग्री द्वारा किया गया है उसमें पुनरावृत्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। *Ganesh Rice and Dal Mills v. C.S.T.*, 1987 UPTC 456.

कर—निर्धारण आदेश पारित करने के पहले वास्तविक रूप से अर्धदण्ड का आरोपण अपवर्जित नहीं होता। *Ganesh Rice and Dal Mills v. C.S.T.*, 1987 UPTC 456.

परिस्थितियों तथा तथ्यों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने यह निष्कर्ष दिया कि मामले में आपराधिक मनःस्थिति मौजूद है। अधिकरण के आदेश में कानूनन कोई त्रुटि नहीं है अतः पुनरावृत्ति में उसकी पुष्टि की गई। *Ganesh Rice and Dal Mills v. C.S.T.*, 1987 UPTC 456.

**अर्धदण्ड का अधिरोपण**—अर्धदण्ड की कार्यवाही यदि आवर्तन के छिपाने के आधार पर की गई हो और करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सही न मालूम पड़ता हो तो भी जब तक विभाग अपराधिक—मनःस्थिति (mens-rea) साबित करने में सफल न हो, केवल करदाता के स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिये जाने के आधार मात्र अर्धदण्ड का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। अधिकरण का आदेश निरस्त किया गया। *Jai Durga Khandsari Udyog v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 84.

धारा 15-क(1)(ग) के तहत अर्धदण्ड आरोपित करने के लिये मनःस्थिति (mens-rea) एक आवश्यक उपादन है। चूक स्थापित करने का भार विभाग के ऊपर है। लेखा—पुस्तकों के निरस्त किये जाने के आधार पर केवल आवर्तन का रिटर्न (return) नामजूर किया गया है। फलस्वरूप उच्च आवर्तन पर बेस्ट जजमेंट कर—निर्धारण किया गया इससे यह आवश्यक नहीं माना जा सकता कि आवर्तन छिपाया गया है। अर्धदण्ड की कार्यवाही कर—निर्धारण की कार्यवाही से स्वतन्त्र है और प्रमान्ता की ओर कोई उपलब्धियाँ उल्लिखित करना जो कि प्रासंगिक है, अर्धदण्ड की कार्यवाही में आवर्तन (turnover) के प्रश्न पर निर्णीत विषय की तरह परिचालित नहीं करती है। *Deen Dayal v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 415.

(घ) ने मिथ्या लेखा, रजिस्टर या लेख-पत्र रखा है अथवा प्रस्तुत किया है; या

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 21 में कार्यवाही करके कर लगाया गया तत्पश्चात विक्रयधन छिपाने एवं गलत हिसाब किताब रखने के आरोप में धारा 15-ए(1)(सी) एवं (डी) के अन्तर्गत अर्धदण्ड लगाया गया। बाद में धारा 21 की कार्यवाही अपास्त की गई। अर्धदण्ड आदेश अवैधानिक हो गया। *P. Anand & Sons v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 165 : 2004 UPTC 217.

धारा 15-ए(1)(डी) एवं केन्द्रीय बिक्रीकर ऐक्ट, धारा 10-ए के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित करने के पूर्व व्यापारी को यदि नोटिस नहीं दी गई है तो विवादित आदेश निरस्त किये जाने के बाद मामले का पुनः निस्तारण किया जाना आवश्यक है। *Motwani Brothers, Badshah Bagh, Varanasi v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 65.

धारा 15-ए(1)(डी) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आदेश पारित करने के पूर्व यदि व्यापारी पर नोटिस की तामील नहीं है तो व्यापारी को सुनवाई का अवसर देकर पुनः कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। *Kunal Traders, Varanasi v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 58 : 2003 UPTC 120.

धारा 15-ए(1)(डी) एवं केन्द्रीय बिक्रीकर ऐक्ट, धारा 10-ए के अन्तर्गत अर्धदण्ड का आरोपण—व्यापारी पर बिना नोटिस तामील किये पारित एक पक्षीय अर्धदण्ड आदेश विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में व्यापारी को अवसर देकर पुनः आदेश पारित किया जाना चाहिये। *Zen Agencies, Varanasi v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 90 : 2003 UPTC 233.

धारा 15-ए(1)(डी)—व्यापारी अण्डी का तेल परिवहन कर रहा था जब उसका अभिग्रहण करके जमानत पर छोड़ा गया। तेल का सैम्पुल शासकीय प्रयोगशाला में जाँच के बाद अलसी के तेल तथा अन्य तेल से मिश्रित पाया गया अधिकरण का निष्कर्ष है कि आयातित तेल व्यापारी द्वारा परिवहन किया जा रहा था और इसमें अर्धदण्ड का केस नहीं बनता है। अधिकरण का आदेश सही पाया गया। *C.T.T. v. Lalta Prasad Vishan Lal, Shyamgarj, Bareilly*, [2001] 33 STR 91.

असत्य लेखा रखने हेतु अर्धदण्ड लगाने के लिए बिल तथा सम्बन्धित वस्तु पर अंकित ब्राण्ड नाम भर पर्याप्त नहीं। *Bans Augar Zips (P) Ltd., Ghaziabad v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 49.

(ड) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, '[अपने द्वारा देय कर] का भुगतान नियत समय के भीतर नहीं किया है; या

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

केवल निर्धारित किये हुए कर की अदायगी न करने से हर मामले में अर्धदण्ड का लगाना आकर्षित नहीं होता। क्या बाकीदार के ऊपर अर्धदण्ड लगाना चाहिये के प्रश्न को विचार करने में कर-निर्धारण अधिकारी को विवेक निहित किया गया है। विवेक जो इस तरह दिया गया है वह कर्तव्य के साथ-साथ न्यायिक है जो कि न्यायिक ढंग से प्रयोग करना चाहिये। अतः मामला अधिकरण के सम्मक्ष नूतन विचार हेतु भेजा जाना चाहिये। *Hindustan Metal Industries, Hapur v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 418.

(घ) धारा 8-क की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार बिल या कैशमीनों नहीं देता है; या

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण कराए बिना अथवा धारा 8-ग के अधीन मॉग की गयी प्रतिभूति दिये बिना व्यापार करे या करता रहे; या

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

यदि व्यापारी नियतिक है और उस पर कर का दायित्व नहीं है तो पंजीयन न प्राप्त करने के कारण दण्डित नहीं किया जा सकता है। *C.T.T. v. The Fairex Productions*, 2003 NTN 263.

धारा 8-क में पंजीयन योग्य व्यक्ति यदि पंजीयन प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 15-क(1)(छ) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित किया जाना उचित है। *Razi Art Emporium v. C.S.T.*, 1996 UPTC 518.

यदि व्यापारी कर देयता नहीं है तो पंजीयन प्राप्त न करना केवल एक टेक्निकल भूल है। अर्धदण्ड आरोपित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। *Girish Chand v. C.S.T.*, 1994 UPTC 305.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा शब्द "अपने पर निर्धारित कर" के स्थान पर रखा गया।

- (ज) रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है; या
- (झ) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार किसी बही, लेख-पत्रों या लेखे का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने की अनुमति नहीं देता है या निरीक्षण अथवा परीक्षण के लिए उन्हें प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या उसमें उपेक्षा करता है अथवा उनकी प्रतियां लेने की अभ्यनुज्ञा देने से इन्कार करता है; या
- (ञ) धारा 13 के अधीन अधिकृत अधिकारी को अथवा धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डालता है या करने से रोकता है; या
- (ट) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम में प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इन्कार करता है अथवा उसकी उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; या
- (ठ) ऐसा मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र देता है, अथवा प्रस्तुत करता है जिसके कारण किसी क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर आरोपणीय न रह जाय; या

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 15-ए (1)(एल)—व्यापारी ने कमीशन एजेन्सी में तृतीय पक्ष का माल प्रान्त बाहर बिकने हेतु भेजा तथा प्रपत्र 3-ग(4) व 3-ग(1) जारी किया—इस सम्बन्ध पर कोई कर दायित्व नहीं बनता अतः धारा 3-ख व 15-ए(1)(एल) के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं। *C.S.T. v. Jagdish Rai Shyam Mohan*, [2001] 33 STR 316.

धारा 15-ए(1)(एल)—अधिकरण द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर जिस व्यक्ति को मुंशी माना गया जिस पर करनिर्धारण आदेश की तामीली बताई गई। सर्वेक्षण से व्यापारी को अवगत नहीं कराया गया। अधिकरण का आदेश विधि सम्मत नहीं पाया गया। *M/s Ramesh & Company Battha v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 335.

विशिष्ट परिस्थिति में फार्म 3-ग(2) का जारी किया जाना विधि अनुकूल नहीं था किन्तु धारा 15-क(1)(ठ) के प्राविधानों के अनुसार फार्म मिथ्या नहीं था। *Jwala Industries, Nainital v. C.S.T.*, 1999 UPTC 742.

- (ड) निर्धारित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के ऐसे प्रपत्र का प्रयोग करता है जिसे उसने या उसके नियोक्ता अथवा एजेण्ट ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त न किया हो; या

- (द) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना व्यापार स्थान बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है; या
- (ण) धारा 28-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिए दुष्प्रेरित (abets) करता है; या

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

निर्माता द्वारा कच्चे माल का आयात बिना फार्म 31 के किया गया—बिल, एक्साइज गेटपास तथा बिल्टी जॉच चौकी पर प्रस्तुत किये गये—करापवंचन के प्रयास के अभाव में अर्धदण्ड का आरोपण उचित नहीं। *C.S.T. v. Swadeshi Polytex Ltd.*, [2004] 39 STR 210.

ट्रैफिक जाम के कारण ड्राइवर द्वारा फार्म 31 यू०पी० की सीमा पर एकत्रित नहीं किया जा सका—माल की खरीद फार्म 'सी' के विरुद्ध की गई—कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि करापवंचन का कोई उद्देश्य निहित नहीं था—अर्धदण्ड आरोपण उचित नहीं पाया गया। *Sahai Tractor Automobiles, Bulandshahar v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 193.

प्रान्त बाहर से बिना फार्म 31 के माल का आयात करना तथा उसे लेखों में न अंकित करना एवं विभाग को न घोषित करना यह अवधारणा उत्पन्न करता है कि आयात का उद्देश्य करापवंचन का था। *Mahesh Chandra & Company, Bareilly v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 199.

फार्म 31 में वस्तु का नाम सही घोषित किया गया। पारेषक की गलती के कारण इन्वाइस में वस्तु का नाम अन्यथा दिये जाने के आधार पर अपवंचन के प्रयास की धारणा नहीं बनाई जा सकती है। रद्द घोषित किये गये फार्म 31 पर आयात के आधार पर भी अपवंचन का उद्देश्य नहीं माना जा सकता है। *Ureka Polymers Ltd. v. Trade Tax Tribunal, Ghaziabad*, [2004] 39 STR 159.

फार्म 31 में आयातक का नाम चालान में अंकित नाम से भिन्न पाया गया। वाहन चेक पोस्ट पर जॉच हेतु स्वेच्छा से नहीं रोका गया। इसे चेक पोस्ट से 50 गज दूर रोका गया। यह बिना घोषणा पत्र के आयात था जो धारा 28-क का उल्लंघन है एवं दण्डनीय है। *Goel Steel Tubes v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 161.

ड्राइवर ने चेक पोस्ट पर गाड़ी खाली बताया पीछा करके गाड़ी की जॉच पर माल लदा हुआ पाया गया। फार्म 31 व 35 पूर्णतया बिना भरे हुए पाये गये। यह गाड़ी की जॉच से बचने का प्रयास था। अधिकरण द्वारा अर्धदण्ड आदेश की पुष्टि किया जाना उचित। *Century Laminating Company, Hapur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 184.

व्यापारी ने स्वनिर्मित तथा आयातित साइकिल एवं उसके पुर्जों पर इस आधार पर कर नहीं जमा किया कि उसका धारा 4-क के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र लम्बित था। आयातित वस्तुओं के विक्रयधन के सम्बन्ध में कर न जमा करने का समुचित कारण नहीं था अधिकरण द्वारा निम्नतम अर्धदण्ड इस आधार पर लगाया गया कि व्यापारी ने देय कर ब्याज सहित जमा कर दिया था। अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया गया। *Atlas Cycle Industries Ltd. v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 75.

फार्म 31, चालान तथा बिल में घोषित वस्तु एवं उसकी मात्रा में अन्तर नहीं है तो अवमूल्यन के आधार पर उसका अभिग्रहण तथा अर्धदण्ड का आरोपण विधि संगत नहीं है। *Vardan Textiles v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 103.

वाहन का ट्रान्सपोर्ट चार्ज पाने तथा उसकी सर्विसिंग कराने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि फार्म-34 पर प्रान्त बाहर ले जाया जा रहा वाहन वस्तुतः प्रान्त के अन्दर विक्रयार्थ लाया जा रहा था। *Auto Trading Co., Bareilly v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 53.

वस्तु का परिवहन प्रान्त बाहर से प्रान्त बाहर के लिये किया जा रहा था। धारा 28-क के उल्लंघन हेतु अर्धदण्ड आरोपित करने का प्रश्न नहीं उठता। *C.S.T. v. Haryana Tube Co. Pvt. Ltd., Delhi Road, Hlsar*, [2003] 38 STR 828 : 2003 UPTC 1140.

आयातित माल प्राप्त करने वाला व्यापारी फार्म 31 जारी कर सकता है भले ही वह आयात किये जा रहे माल का स्वामी न हो। *C.S.T. v. Parasrampuria Synthetics Ltd. Delhi*, [2003] 38 STR 900.

माल का आयात करते समय फार्म 31 के कुछ कालम नहीं भरे गये थे। यह एक कार्य विधिक भूल है तथा इस आधार पर अर्धदण्ड आरोपित करना विधि संगत नहीं है। *I.C.I. India Limited v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 497 : 2003 UPTC 491.

फार्म 31 की वैधता अवधि कमिश्नर व्यापार कर द्वारा बढ़ा दी गई थी जिस को जाँच अधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया—परिवहनकर्ता को वैध फार्म 31 दिये गये किन्तु उसकी लापरवाही से माल प्रेषण में देर की गई—यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि परिवहनकर्ता तथा व्यापारी की कोई सौँठ-गौँठ थी। *Pepsico India Holding Ltd., Lucknow v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 664 (LB) : 2003 UPTC 856 (LB).

माल के साथ फार्म 31 नहीं पाया गया—सम्व्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित पाया गया—भुगतान चेक से किया गया—फार्म 31 के अतिरिक्त सभी उपलेख प्रस्तुत किये गये—फार्म सी भी जारी किया गया—यह निष्कर्ष नहीं अंकित किया गया कि आयातित माल विक्रय हेतु था—अर्धदण्ड का आरोपण विधि संगत नहीं। *Modi Industries Ltd., Modinagar v. C.S.T.* (S.T.R. No. 276 of 1992), [2003] 38 STR 795 : 2003 UPTC 1032.

धारा 28-ए के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर धारा 15-ए(1)(ओ) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपणीय नहीं है यदि माल स्वामी का घोषणा पत्र 31 उपलब्ध न हो। अर्धदण्ड आरोपित करने के लिये कर अपवंचन का उद्देश्य निहित होना आवश्यक है। *Western India Enterprises Ltd., Delhi v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 898 : 2003 UPTC 724.

व्यापारी द्वारा क्रेन किराये पर दिया। किरायेदार ने अपने फार्म 31 पर इसका आयात किया। इसमें कोई त्रुटि नहीं की गई और धारा 28-क के प्राविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। अभिग्रहण एवं अर्धदण्ड आदेश अवैधानिक पाये गये। *J.M. Bakshi & Company, Bombay v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 902.

जहाँ पात्रता प्रमाण पत्र के कारण प्रश्नगत वस्तु निर्धारित के हाथों करमुक्त है, अर्धदण्ड लगाने हेतु यह सिद्ध करने का दायित्व विभाग का है कि व्यापारी उसका निर्माता नहीं है। *Shivalik Pipes, Gautambudh Nagar v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 37 : 2003 UPTC 272.

जहाँ आयातित वस्तु प्रान्त के भीतर बिक्री हेतु नहीं है तथा प्रान्त के भीतर होते हुये दूसरे प्रान्त को जाना है तो फार्म-31 अथवा 32 की आवश्यकता नहीं होगी तथा अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. Jai Bharat Transport Corporation, Belanganj, Agra*, [2003] 37 STR 270.

जब यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि परिवहन किया जा रहा माल व्यापारी की फैक्ट्री में निर्मित नहीं था और प्रान्त बाहर से आयात किया जा रहा था, तो आरोपित अर्धदण्ड का समर्थन नहीं

किया जा सकता है। *Shivalik Pipes, Gautambudh Nagar v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 37 : 2003 UPTC 272.

करापवंचन का प्रयास यदि सिद्ध नहीं होता तो फार्म 31 के बिना आयात करने पर अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता है। *C.S.T. v. Bharat Post Dodhastores, Muzaffarnagar*, [2003] 37 STR 330.

माल के साथ इन्वाइस तथा गेटपास पाया गया किन्तु फार्म 31 पारेषिती से सम्बन्धित नहीं पाया गया। वाहन चालक का कथन कि भूल से अन्य व्यापारी का फार्म 31 उसे दे दिया गया है जबकि पारेषिती द्वारा पूर्व में ही फार्म 31 पारेषक को भेज दिया गया था। करापवंचन का निष्कर्ष किसी अधिकारी द्वारा नहीं निकाला गया है। अर्धदण्ड आदेश विधिसंगत नहीं है। *Northern Motors, Kanpur v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 395 : 2003 UPTC 884.

जब तक यह निष्कर्ष न अंकित किया गया हो कि वस्तु का आयात देय कर के निर्धारण के बचने के उद्देश्य से किया जा रहा था। अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है। *Mewa Lal & Sons v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 75 : 2003 UPTC 165.

वाहन चालक द्वारा स्वयं वाहन रोककर प्रवेश चौकी पर प्रपत्र 35 भरकर बिल तथा गेट पास के साथ प्रस्तुत किया गया। मात्र प्रपत्र 31 के अभाव के कारण अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता इसके लिये करापवंचन का उद्देश्य सिद्ध किया जाना आवश्यक है। *M/s. Prakash Enterprises, Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 461.

व्यापारी ने गुड्स ट्रान्सपोर्ट रसीद सेल्फ के नाम बनवाया तथा माल के साथ क्रेता का फार्म 31 भेजा। करापवंचन का उद्देश्य न होने के कारण अधिकरण ने अर्धदण्ड आदेश निरस्त कर दिया। अधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। *C.T.T. v. S/s Avery India Ltd. Swarup Nagar, Kanpur*, [2001] 33 STR 61.

निर्देश दिये जाने के बावजूद ट्रक ड्राइवर के गाड़ी लेकर भागने से यह स्पष्ट होता है कि माल का अवमूल्यन करके बिल बनाया गया है तथा ऐसे मामले में अधिकतम 40% का अर्धदण्ड उचित है। *M/s. Opt India Madicure Pvt. Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 114 : STI 2001 Alld. 16.

व्यापारी द्वारा चांदी खरीद कर दिल्ली की पार्टी से उसे चांदी की पट्टियों में बदलवाया गया जिसे फार्म 31 के द्वारा पुनः प्रान्त में लाया गया जिसके साथ पार्टी का बिल भी था—सम्व्यवहार लेखों में अंकित था—धारा 28-क के उल्लंघन में अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता। *Dharam Pal Satya Pal v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 288.

व्यापारी ने आयात किये जा रहे माल को आइरन शीट कटिंग स्क्रीप घोषित किया। जांच चौकी पर अधिकारी ने इसे एम०एस० शीट कटिंग डिस्क माना तथा अर्धदण्ड लगाया। अधिकरण ने व्यापारी की घोषणा को सही मानते हुये आरोपित अर्धदण्ड समाप्त कर दिया। *C.T.T. v. S/s Supreme Engineering Works*, [2001] 33 STR 365.

अधिकरण द्वारा व्यापारी का कथन स्वीकार कर लिया गया कि ड्राइवर केवल 5-7 कदम प्रवेश चौकी के आगे बढ़ गया था तथा माल दिल्ली की पार्टी द्वारा अस्वीकार करने के पश्चात् वापस लाया जा रहा था। अधिकरण द्वारा आरोपित अर्धदण्ड उचित रूप से समाप्त किया गया। *C.S.T. v. S/s A.K. Chamicals*, [2001] 33 STR 372.

ड्राइवर द्वारा जाँच चौकी पर प्रपत्र न प्रस्तुत करने पर यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि माल प्रान्त बाहर से लाया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध होना चाहिये। *Securipax India Pvt. Ltd., Ghaziabad v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 23.

रेलवे से माल की डिलेवरी लेने के पूर्व व्यापारी द्वारा प्रपत्र 31 पृष्ठांकित नहीं कराया गया। करनिर्धारण की कार्यवाही के समय कर निर्धारण अधिकारी को सम्यक्वहार का पता चला। किसी दुराशयता के अभाव में अर्धदण्ड आदेश अपास्त किया गया। *M/s Balkunth Nath Agrawal Lauta Dealer v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 216.

आयात किये जा रहे माल के साथ फार्म 31 व बिल होने के बाद भी अर्धदण्ड लगाया गया क्योंकि गेट पास पर अन्य व्यापारी का नाम अंकित था। अधिकरण ने अर्धदण्ड समाप्त कर दिया क्योंकि करापवंचन का कोई उद्देश्य नहीं पाया गया। अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यात्मक तथा साक्ष्यों पर आधारित पाया गया। *C.S.T. v. M/s. S.R. Paper Cores*, [2001] 33 STR 383.

फार्म 31 के अभाव में जब तक यह प्रमाणित न हो कि कर अपवंचन का उद्देश्य निहित था तब तक अर्धदण्ड आरोपित किया जाना अनुचित है। *Commissioner of Trade Tax v. Bharat Heavy Electricals Ltd.*, 2000 UPTC 418.

**अर्धदण्ड**—प्रान्तबाहर के व्यापारी को भेजा गया पारेषण स्वीकार न किये जाने पर पुनः वापस लाया गया—फार्म 31/32 साथ में न होने के कारण अर्धदण्ड आरोपित किया गया—यह नहीं सिद्ध किया गया कि माल वही नहीं था—करापवंचन का उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया—अर्धदण्ड निरस्त किया गया। *M/s Modi Industries, Ltd. v. C.S.T.* [2000] 31 STR 65.

जांच चौकी पर सम्बन्धित विलेख दूसरे दिन प्रस्तुत किये गये—विलेखों की मूल प्रतियां विभागीय पत्रावली में अधिकरण द्वारा पाई गई—अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि करापवंचन का कोई उद्देश्य नहीं था—अधिकरण के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। *C.S.T. v. Jaipur Golden Transport Co., Delhi*, [1999] 30 STR 627.

जब तक कर अपवंचन प्रमाणित न हो तब तक धारा 15-A (1) (ओ) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता। *Network Limited v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 373.

अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होने एवं किसी विधिक बिन्दु के न होने से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से इन्कार किया गया। *C.T.T., v. Modi Olivetti Ltd., Rampur*, [1999] 30 STR 436.

प्रपत्र 31 प्रस्तुत नहीं किये जाने सम्बन्धी व्यापारी की आख्या अधिकारियों द्वारा सही नहीं पाई गई—यह एक तथ्यात्मक निष्कर्ष था जिसमें किसी त्रुटि की ओर इंगित नहीं किया गया अतः अर्धदण्ड का आरोपण सही था। *M/s. Meenakshi Tradin Company, Saharanpur v. C.S.T.*, [1999] 30 STR 478.

धारा 28-ख के अन्तर्गत अर्ध दण्ड के आरोपण हेतु अभिग्रहण की कार्यवाही आवश्यक नहीं है। *C.T.T. v. M/s Suresh Chandra Jain, Jhansi*, [1999] 30 STR 494.

धारा-28-क का उल्लंघन करके माल का आयात—संदर्भित अवसर पर प्रश्नगत विक्रय धन मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के कारण करमुक्त—फार्म 31 के अभाव में आयात करना मात्र अर्धदण्ड के लिये पर्याप्त नहीं—कर निर्धारण एवं कर के भुगतान का उद्देश्य अर्धदण्ड के लिये आवश्यक। *C.S.T. v. J.B. Lamination (P.) Ltd., Noida, Ghaziabad*, [1998] 28 STR 379.

मात्र प्रपत्र 31 में घोषणापत्र के अभाव में माल आयात करने के आधार पर धारा 15-क (1) (ण) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता। कर अपवंचन का उद्देश्य पाये जाने पर ही ऐसा किया जा सकता है। *C.S.T. v. Karam Chand & Bros. (C.S.) Ltd.*, [1999] 29 STR 224.

फार्म 31 के बिना यदि कोई वस्तु जो बिक्री के उद्देश्य से आयात नहीं की गई है धारा 15-क (1) (ण) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित किये जाने योग्य नहीं है। *Elegant Associates Pvt. Ltd*

v. C.S.T., [1994] 19 STR 115; 1994 UPTC 9 and *Krishna Products Ltd. v. C.S.T.*, 1994 UPTC 382.

करापवंचन का उद्देश्य नहीं स्थापित किया गया अतः 28-क के उल्लंघन हेतु धारा 15-क (1) (ण) के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड में पर्याप्त कमी कर दी गई। *Transport Traders Organisation, Bombay v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 279.

धारा 15-क (1) (ण) के अन्तर्गत अर्थदंड आरोपित योग्य होने के लिये विभाग को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि कर अपवंचन का उद्देश्य निहित था। *Rasool Handicrafts Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 161; 1995 UPTC 909.

व्यापार कर नियमावली का नियम 83(4) केवल निर्देशन मात्र है। धारा 15-क (1) (ण) के अन्तर्गत अर्थदंड केवल फार्म-31 के अभाव में आरोपित योग्य तब तक नहीं है जब तक यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि कर अपवंचन का उद्देश्य निहित था। *Modi Industries Ltd. v. C.S.T.*, [1995] 21 STR 181; 1995 UPTC 928.

यदि आयात के समय सभी अभिलेख थे किन्तु फार्म-31 अज्ञानतावश उपलब्ध नहीं था तथा कर अपवंचन का उद्देश्य निहित नहीं था तो ऐसी दशा में धारा 15-क (1) (ण) में अर्थदंड आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। *C.S.T. v. Shakti Cylinder Pvt. Ltd.*, [1996] 23 STR 338; 1996 UPTC 549.

आयातित सिल्कयार्न अधिग्रहण किया गया और उसके ऊपर माल के मूल्य का 40 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया गया। जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरावृत्ति स्वीकार करके निर्णय दिया कि बिक्री-कर आयुक्त के परिपत्र दिनांक 10 मई, 1984 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में न्यूनतम अर्थदण्ड कर का तीन गुणा माना गया है। यह परिपत्र विभागीय कर अधिकारियों के लिये मान्य व बाध्य है। *S. Narain Bhai Shanker Lal, Varanasi v. C.S.T.*, 1987 TLD 176.

अधिकरण का निर्णय कानून की दृष्टि से यह निश्चय करना गलत था कि धारा 28-क अमान्य हो चुका है और इसलिये कोई अर्थदंड नहीं लगाने योग्य था। *C.S.T. v. Bulaki Das Vinod Kumar, Ghaziabad*, [1987] 5 STR 156.

व्यापारी ने प्रान्त के बाहर से बिना फार्म 31 का प्रयोग किये माल आयात किया। अतः अधिकारियों द्वारा यह धारण किया गया कि धारा 28-क का उल्लंघन ही अर्थदंड का अधिरोपण करने हेतु पर्याप्त है। कर की धनराशि को छिपाने या उसका भुगतान करने में टाल-मटोल करने का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसे मामलों में इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि उनमें आपराधिक मनःस्थिति (*mens-rea*) थी या नहीं। धारा 15-क के तहत अर्थदंड आरोपित करने के लिये कर के अपवंचन का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। केवल बिना फार्म-31 के प्रयोग के आयात किये हुए माल के सम्बन्ध में धारा 28-क का उल्लंघन महत्व रखता है। *C.S.T. v. Bulaki Das Vinod Kumar, Ghaziabad*, [1987] 5 STR 156.

(त) अपनी गाड़ी या यान को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है; अथवा रोकने या खड़ा रखने से इन्कार करता है जब धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 के अधीन अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाय; या

(थ) धारा 28-ख में यथा-व्यवस्थित माल के पारगमन के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है; या



### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

वाद की सुनवाई हेतु नोटिस व्यापारी को 4.12.1987 को प्रेषित की गई जबकि सुनवाई की तिथि 17.11.1987 थी। अर्थदण्ड आदेश सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किये जाने के कारण विधि सम्मत नहीं। अधिकरण को पुनः सुनवाई के पश्चात निर्णय देने का निर्देश दिया गया। *Kishorilal & Raja Ram v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 163.

परिवहन कर्ता/व्यापारी द्वारा माल प्रान्त के बाहर के पारेषिती को डिलीवर किये जाने का निष्कर्ष अधिकरण द्वारा अंकित किये जाने पर धारा 28-बी की अवधारणा समाप्त हो जाती है तथा अर्थदण्ड आरोपित करने का मामला नहीं बनता है। *C.T.T. v. Gurjeet Singh S/o. Sri Atma Singh, Agra*, [2003] 38 STR 764.

किसी व्यक्ति के लिये यह संदेव अवसर है कि वह यह सिद्ध कर दे कि प्रश्नगत माल उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है। तदर्थ दिये गये प्रमाण पत्र तथा शपथपत्र को बिना जाँच किये इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि वह बाद में सुविचार के पश्चात दिया गया है। *Raj Kishore, Kalyanganj, Aligarh v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 847.

कस्टम्स अभिलेखों में सम्बन्धित वाहन का उल्लेख न पाये जाने पर यह तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता कि व्यापारी फार्म 34 प्राप्त करने तथा समर्पण करने में असफल रहा है तथा वाद प्रति प्रेषित नहीं किया जा सकता जिससे विभाग द्वारा कमियों को ठीक किया जा सके। *Kailash Chandra Gupta v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 412 : 2003 UPTC 1168.

धारा 28-ख के अन्तर्गत प्रान्त के अन्दर बिक्री किये जाने की सम्भावना का प्रतिरोध किया जा सकता है किन्तु ऐसा किये जाने के लिये ठोस आधार व साक्ष्य होना आवश्यक है। मात्र माल के प्राप्तकर्ता द्वारा दिये गये प्रमाण के आधार पर उक्त धारा में उल्लिखित सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है। *Transport Corporation of India v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 209.

धारा 28-ख के अन्तर्गत प्रान्त के अन्दर बिक्री की सम्भावना को प्रमाण के आधार पर अमान्य ठहराया जा सकता है यदि सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा पारगमन प्रपत्र उन्मोचित (डिस्वार्ज) किया गया हो। धारा 15-क(1)(थ) के अन्तर्गत अर्थदंड इस आधार पर आरोपणीय नहीं है कि पारगमन प्रपत्र में उल्लिखित अन्तिम जाँच चौकी पर उसे अम्यप्रित (सरेन्डर) न किया गया हो। *Pharindra Nath Chaturvedi v. C.S.T.*, 1996 UPTC 774.

धारा 15-क(1)(थ) के अन्तर्गत अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है यदि माल, प्रांत से बाहर जाने वाली स्थित जाँच चौकी पर पूर्व घोषित माल से कम माल पाया जाता है। यह अभिधारणा उचित है कि कम पाया गया माल प्रांत के भीतर विक्रय कर दिया गया। *Indian Roadways Corporation Ltd. v. C.S.T.*, 1994 UPTC 319.

<sup>1</sup>[(थथ)धारा 8-क की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बिक्री या क्रय पर व्यापार-कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले उससे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है:] या

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

पंजीकृत व्यापारी द्वारा निर्धारित दर से क्रेता से अधिक कर वसूल कर के जमा कर दिये जाने

पर अर्धदण्ड का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है। *Hari Mandir Mineral Traders, Allahabad v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 829 : 2003 UPTC 1030.

व्यापारी ने अधिक कर वसूल करके जमा किया। बाद में पूर्वगामी प्रभाव से कर की दर कम कर दी गई। व्यापारी का वापसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया। तथा अधिक जमा कर जब्त कर लिया गया जिसके बाद उसने रिट याचिका दायर की जो अस्वीकार हो गई इसके पश्चात व्यापारी अर्धदण्ड आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है। *M/s. Hira Lal Ayodhya Prasad v. State of U.P.*, [2001] 33 STR 97.

कन्फेक्शनरी के व्यापारी ने 8.8% कर वसूल किया एवं जमा किया। कर निर्धारण 5.5% की दर पर किया गया। शेष कर व्यापारी को वापस नहीं किया गया अधिकरण ने निष्कर्षित किया कि व्यापारी का कार्य सद्भावनापूर्ण था तथा अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता। अधिकरण के आदेश की पुष्टि की गई। *C.T.T. v. Sun Rise Enterprises, Dehradun*, [2001] 33 STR 58.

व्यापारी द्वारा देय कर वसूल कर जमा किया गया अपील स्तर पर प्रपत्र 3-ख प्रस्तुत करने के कारण वसूल किया गया कर अधिक वसूला गया कर में परिवर्तित हो गया जिसे व्यापारी ने ग्राहक को उसके आगे के बिलों में समायोजन कर दिया। अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता है। *C.T.T. v. Sahu Sons*, [2001] 33 STR 328.

ग्राहक से कर वसूल कर व्यापारी द्वारा जमा नहीं किया गया। अर्धदण्ड का आरोपण उचित है। अर्धदण्ड की धनराशि घटाकर वसूल किये गये कर की मात्रा के बराबर किया गया। *M/s. M.M. Company v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 367.

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक कर वसूल करने के लिये व्यापारी पर अर्धदण्ड लगाया। अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि व्यापारी ने अधिक कर नहीं वसूल किया प्रत्युत वस्तु का मूल्य, खर्च तथा लाम इत्यादि वसूल किया। यह तथ्यात्मक निष्कर्ष है इसमें कोई विधिक प्रश्न निहित नहीं है। *C.S.T. v. Sp. Intex Trading Company, Kanpur*, [2001] 33 STR 384.

यदि कर वसूल कर जमा कर दिया गया हो तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर भी आरोपित किया गया हो परन्तु बाद में अधिकरण द्वारा करमुक्ति प्रदान कर दी गई हो तो ऐसी स्थिति में धारा 15-ए(1)(क्यूक्यू) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित किया जाना नियमानुकूल नहीं है। *Kwality Ice Cream Co. Allahabad v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 913.

पंजीकृत व्यापारी द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा ऊँची दर से कर वसूल कर जमा कर दिये जाने की स्थिति में अर्धदण्ड नहीं लगाया जा सकता। *C.T.T. v. The State Trading Corporation*, [1999] 30 STR 661.

उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा 8-क(2)(क) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचे जाने पर व्यापार कर अथवा व्यापार कर के स्थान पर अन्य कोई धनराशि वसूल किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अर्धदण्ड धारा 15-क(1)(थथ) के अन्तर्गत आरोपित योग्य नहीं। *Majhola Distillery and Chemical Works v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 332.

धारा 15-क(1)(थथ) में जो अर्धदण्ड आरोपित किया गया है वह अधिक वसूले गये कर के बराबर है जो धारा 29-क(2) के अन्तर्गत शासन के कोष में जमा रहने योग्य होने के कारण वापसी योग्य नहीं है। अतः आरोपित अर्धदण्ड उचित है। *B.S. Metal Printing and Pressing Works, Agra v. C.S.T.*, [1998] 27 STR 164.

यदि व्यापारी ने सद्भाव से कर वसूल कर जमा कर दिया है तो उस पर अर्धदण्ड आरोपित करना न्यायोचित नहीं है। *Gopal Rai Sri Ram v. C.T.T.*, [1997] 26 STR 766.

धारा 15-क (1) (क्यूक्यू) के अन्तर्गत अर्थदंड बिना 'उद्देश्य' के आरोपित योग्य है केवल यह तथ्य विद्यमान होना चाहिये कि वसूल किया गया कर जमा नहीं किया गया। *Jwala Industries v. C.S.T., 1995 UPTC 1218.*

यदि कर अधिकारीगण इस बात से सन्तुष्ट हैं कि करदाता के प्रति किसी निष्कपट भावना की चाह नहीं थी तो धारा 15-क (1) (थथ) के तहत करदाता को अर्थदण्ड के आरोपण से मुक्त किया जा सकता है। अर्थदण्ड निष्कपटता के आधार पर लगाया गया था। अतः अधिकरण के पारित किये हुए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। *C.S.T. v. Prahlad Rai Sat Narain, Hapur, [1988] 7 STR 372.*

(द) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्य प्रकार से कार्य करता है,

तो, वह ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यापारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त—

- (1) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट दशा में देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो,
- (2) खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट दशा में ऐसे कर की धनराशि का, जो इस प्रकार बचा ली गयी होती, कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु उसके '[दो सौ प्रतिशत] से अधिक न हो,
- (3) खण्ड (च) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम व्यतिक्रम के लिए अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का पचास प्रतिशत अथवा उसकी दुगनी धनराशि जो भी अधिक हो, और द्वितीय तथा प्रत्येक अनुवर्ती व्यतिक्रम के लिए एक सौ रुपये अथवा उसके अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का चार गुना, जो भी अधिक हो,
- (4) खण्ड (छ) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त एक सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पाँच सौ रुपया;
- (5) खण्ड (झ), खण्ड (ट), खण्ड (ड) या खण्ड (द) में अभिदिष्ट दशा में दो हजार रुपये से अनधिक धनराशि;
- (6) खण्ड (ज) या खण्ड (ञ) में अभिदिष्ट दशा में पाँच हजार रुपये से अनधिक धनराशि; और
- (7) खण्ड (त) में अभिदिष्ट दशा में एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि;
- (8) खण्ड (थथ) में अभिदिष्ट दशा में ऐसी धनराशि जो वसूल किए गए कर की धनराशि या यथास्थिति; अधिक वसूल की गई धनराशि से

कम न हो किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो;

- 1[(9) खण्ड (ग), या खण्ड (थ) में अभिदिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर उदग्रहणीय कर का तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो ]]

अर्थदंड के रूप में देगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद कर-निर्धारक अधिकारी के अन्तर्गत जांच चौकी पर तैनात 2[व्यापार-कर अधिकारी, (श्रेणी दो)] से अनिम्न पद का अधिकारी या धारा 13 या धारा 13-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।

3[(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जायेगी और अर्थदण्ड के रूप में आरोपित धनराशि ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी तामिली के तीस दिन के भीतर जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर उसे उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह मालगुजारी का कोई बकाया हो ]]

(3) उपधारा (1) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी, जब तक व्यापारी या अन्य सम्बद्ध व्यक्ति की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिए यथोचित अवसर न दिया जाये।

4[(3-क) उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें धारा 28-ख के अधीन माल के पारगमन के लिए प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, समाप्ति से छः वर्ष के अवसान के पश्चात् उपधारा (1) के खण्ड (थ) में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(4) धारा 14 के अधीन कोई अभियोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं चलाया जायेगा, जिनके लिए इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड लगाया जा चुका हो और देय कर के अतिरिक्त उस अर्थ-दण्ड की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका हो।

(5) हटाया गया।

(6) इस धारा के आदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ-साथ धारा 7-ग में अभिलिखित निष्पादन (Executor) प्रबन्धक (Administrator) तथा विधिक प्रतिनिधि (Legal Representative) पर भी लागू होंगे।

[प्रयोजनार्थ नियम 43(7), 46-ख, 46-ग, 48, 77 एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

अधिकरण द्वारा धारा 13-क(6) के आदेश पर विचार किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अर्थदंड आदेश इससे पूर्व पारित किया जाय। अभिगृहीत माल अर्थदंड आदेश के पारित किये जाने

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द "सहायक बिक्रीकर अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा रखी गयी (प्रभावी 25-4-1990)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा उपधारा (3-क) अन्तःस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।

से पूर्व भी अवमुक्त किया जा सकता है। *C.S.T. v. Sethi Industrial Corporation*, 1994 UPTC 140.

**16. हानि-रक्षा**—कोई नालिश, अभियोग अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में न की जा सकेगी, जो इस ऐक्ट के अधीन अथवा तदधीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किया जाने वाला हो।

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

कोई भी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ पाने हेतु आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य सद्भावना पूर्ण एवं उत्तम विश्वास के साथ किया हुआ हो। *Narain Mishra v. Pramod Kumar Gupta*, [2003] 37 STR 181 (SC).

**[17. कतिपय कार्यवाहियों पर रोक**—इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी कर या दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी ऐसे कर-निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायेगा।]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

किसी वसूली की सूचना के विरुद्ध जमानतदार द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। *V.K. Malik v. State of Haryana*, 2002 (32) STJ 73.

यदि किसी अधिनियम के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगायी जाये, ऐसी परिस्थिति में अधिनियम से सम्बन्धित वाद दीवानी न्यायालय में स्वीकार नहीं किये जा सकते। *Dhule Bhai v. State of M.P.*, AIR 1969 (SC) 78.

व्यापारी के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा मृतक व्यापारी की सम्पत्ति से कर की वसूली किये जाने के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर किया जाना व्यापार कर अधिनियम की धारा 17 से प्रतिबन्धित होने के कारण मुकदमा दायर किया जाना न्यायोचित नहीं है। *Smt. Deepak Bhalla v. State of U.P. and others*, 1992 UPTC 41 (DB).

दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है यदि यह प्रमाणित हो कि किसी अधिनियम के मूल भूत प्रविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अथवा अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकरण न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हों। *State of Orissa v. Laxminarain Lal*, (1978) 43 STC 364 (Orissa).

**18. पुनर्निर्माणित अथवा नये फर्मों पर कर-निर्धारण तथा साझा का बदला जाना**—(1) कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार बन्द करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका औसत मासिक विक्रय-धन, व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के भाग की समाप्ति पर <sup>2</sup>[निर्माताओं की स्थिति में <sup>3</sup>एक लाख] रुपया या अन्य

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 की धारा 19 द्वारा रखा गया (प्रभावी 25.4.1990)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 की धारा 13 द्वारा शब्द "पचास हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" और शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार" रख दिये गये।

व्यापारियों की स्थिति में <sup>2</sup>[एक लाख पचास हजार] रुपया या] उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञापित की जाय, के बारहवें भाग से न्यून न हो, या ऐसी अवधि के जिसके विक्रय-धन पर धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, ऐसे व्यापार के बन्द होने के तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उसे ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र (Statement) भी प्रस्तुत करेगा।

**स्पष्टीकरण**—किसी व्यापारिक संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन <sup>1</sup>[ \* \* \* ] अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायेगा।

(2) कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार आरम्भ करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका शेष (Remainder) वर्ष के लिये अनुमानित औसत मासिक विक्रय-धन <sup>2</sup>[निर्माताओं की स्थिति में <sup>3</sup>[एक लाख] रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में <sup>3</sup>[एक लाख पचास हजार] रुपया या] उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञापित की जाय, के बारहवें भाग से कम न हो; या ऐसी अवधि के जिसके विक्रय-धन पर धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, तो वह व्यापार आरम्भ किये जाने वाले महीने की समाप्ति से तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उससे ऐसे कालान्तरों में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कर-निर्धारक अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय कि उपधारा (1) या (2) के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्र ठीक और पूर्ण है, तथा औसत मासिक विक्रय-धन यथास्थिति उपधारा (1) या (2) के अनुसार आंकलित धनराशि से कम नहीं है, या व्यापारी के विक्रय-धन पर धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर लगाया जा सकता है, तो वह व्यापारी पर कर-निर्धारण विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों (Returns) में दिखलाये गये कुल विक्रय-धन पर करेगा।

(4) यदि तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी उपधारा (1) या (2) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से (to the best of his judgment)

1. उपरोक्त अधिनियम द्वारा शब्द "अथवा पुनः संघटन" निकाल दिए गए।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 की धारा 13 द्वारा शब्द "पचास हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" और शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार" रख दिये गये।

व्यापारी का विक्रय-धन अवधारित करेगा और देय कर, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, किसी ऐसे मामले में जो उपधारा (1) या (2) के अधीन आता है, औसत मासिक विक्रय-धन तत्रोल्लिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़कर; जिसे धारा 29-क की उपधारा (1) के अधीन जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो, अदा किये गये कर की शेष राशि वापिस कर दी जायेगी।

अपवाद—उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड ऐसे व्यापार पर लागू नहीं होगा जिसके विक्रय-धन पर धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट क्रय-धन, विक्रय-धन योग को विक्रय-धन समझा जायेगा।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 6, 12-क, 12-ख, 12-ग, 41, 42, 44, 44-क, 44-ख, 45, 46, 46-क, 46-ख, 46-ग, 48, 75, 76, 77, 77-क, 77-ख, 77-ग एवं 81 देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

नये फर्म का कारोबार का निर्धारण वर्ष 1979-80 में 15.11.1979 से आरम्भ किया गया। अधिकरण का यह निष्कर्ष था कि कारोबार कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में आरम्भ हुआ था। इसलिये अधिकरण द्वारा धारा 18 का योग में लाना उचित था। *Kunwar Bahadur Sanjay Kumar v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 150.

जहाँ करदाता के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं था तथा वह वही करदाता है जिसने दो भिन्न-भिन्न ईंटों के भट्टे एक ही कर-निर्धारण वर्ष में दो भिन्न-भिन्न समय में चालू किये थे। चूँकि दूसरा भट्टा वर्ष के दौरान में ही कुछ समय के अन्तर में आरम्भ किया गया था इसलिये एक ही करदाता के लिये दो भिन्न-भिन्न कर-निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिये एक ही करदाता के दो भिन्न-भिन्न चलने वाले कारोबार के संकलित आवर्तन के सम्बन्ध में एकल कर-निर्धारण विधि-मान्य होता है। *Ramesh Chand Brick Kiln Owner v. C.S.T.*, [1987] 6 STR 288.

**19. अल्पवयस्क तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर-निर्धारण—**यदि किसी अल्पव्यस्क (नाबालिग या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से तथा उसके लाभ के लिये कोई संरक्षक (वली) ट्रस्टी या एजेन्ट व्यापार करता हो, तो ऐसे संरक्षक, ट्रस्टी या एजेन्ट पर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा तथा उसे वसूल किया जायेगा, जैसा कि ऐसे अल्पवयस्क या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता तथा उससे वसूल किया जाता, यदि वह वयस्क (बालिग) व समर्थ होता और यदि वह अपना व्यापार स्वयं करता होता और ऐसी दशा में इस अधिनियम के सब आदेश और उनके अधीन बने नियम लागू होंगे।

[धारा 18 में निर्दिष्ट नियमों को इस धारा के प्रयोजनार्थ देखें]

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

अल्पव्यस्क पर धारा 19 के अन्तर्गत कर आरोपित एवं उसकी वसूली नहीं की जा सकती।

अल्पव्यस्क के संरक्षक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही किया जाना नियमानुकूल है। *Commissioner Sales Tax v. Bishan Swaroop Bansal*, 1984 UPTC 463 : 1984 ATJ 374.

**20. प्रतिपालक (कोर्ट आफ वार्ड्स) आदि पर कर-निर्धारण**—यदि किसी व्यापार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोर्ट आफ वार्ड्स, ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल, आफिशियल ट्रस्टी या किसी रिसेवर या मैनेजर, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, "चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो" जो व्यापारी की ओर से यथार्थ में उसके व्यापार का प्रबन्ध करता हो; जो व्यापारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, के नियन्त्रण में है, तो कर ऐसे कोर्ट आफ वार्ड्स, ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल, रिसेवर या मैनेजर पर उसी प्रकार लगाया जायेगा जैसे कि वह उस व्यापारी पर लगाया जाता या उससे लिया जाता; यदि वह अपना व्यापार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब आदेश और उसके अधीन बनाये गये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।

[धारा 18 में निर्दिष्ट नियमों को इस धारा के प्रयोजनार्थ देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

यदि किसी व्यापारी की सम्पत्ति न्यायालय द्वारा नियुक्त आफिशियल के अधिकार में दे दी गयी है, कर की वसूली यद्यपि व्यापारी द्वारा व्यापार किया जा रहा हो, से वसूली नहीं की जा सकती बकाये की देनदारी ऐसे नियुक्त आफिशियल पर ही हो सकती है। *C.S.T. v. Ram Sewak Hari Om*, 1982 UPTC 168.

**21. उस विक्रय-धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर-निर्धारित न किया गया हो, कर-निर्धारित करना**—(1) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का, किसी कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, सम्पूर्ण विक्रय-धन या उसका कोई भाग कर-निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उस पर ऐसी दर से कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण किये जाने की दर से कम हो; अथवा उसके सम्बन्ध में गलत तौर पर किन्हीं कटौतियों या छूट की अनुज्ञा दी गयी हो; तो कर-निर्धारक अधिकारी व्यापारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् उस व्यापारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायेगा जिससे वह लगाया जाता यदि विक्रय-धन, कर-निर्धारण या पूर्ण कर-निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, से रह न गया होता।

**स्पष्टीकरण 1[एक]**—इस उपधारा की कोई भी बात कर-निर्धारक अधिकारी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 के द्वारा विद्यमान स्पष्टीकरण को, "स्पष्टीकरण एक" के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया (प्रभावी 1.3.1978)।



के लिये उसके सुविचार से कर-निर्धारण करने में रूकावट पैदा करने वाली न समझी जायेगी।

<sup>1</sup>[स्पष्टीकरण (दो)—इस धारा और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए "कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसने पूर्वतर कर निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया हो और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है जिसे तत्समय व्यापारी पर कर निर्धारित करने की अधिकारिता हो।

स्पष्टीकरण (तीन)—इस उपधारा के अधीन नोटिस जारी करने के बावजूद जहां कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का कोई आदेश ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व से विद्यमान हो, वहां वह उसी प्रकार प्रभावी बना रहेगा, जब तक ऐसी नोटिस के अनुसरण में इस धारा के अधीन किये गये कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण के किसी आदेश द्वारा उसमें परिवर्तन न कर दिया जाये।]

<sup>2</sup>[(2) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का कोई आदेश <sup>3</sup>[ऐसे वर्ष के अन्त से दो वर्ष, या 31 मार्च, 1998, जो भी पश्चात्वर्ती हो] की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा :

<sup>4</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि यदि कमिश्नर <sup>5</sup>[का स्वयं या कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर यह समाधान हो जाये] कि ऐसा करना न्यायोचित और समीचीन है, कर-निर्धारण अधिकारी को इस निमित्त प्राधिकृत कर दिया है, तो इस बात के होते हुये भी कि ऐसे कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण करने में मत परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त हो सकता है, ऐसा कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी किया जा सकेगा किन्तु <sup>6</sup>[ऐसे वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या 31 मार्च, 2002 के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो,] नहीं किया जा सकेगा :

<sup>7</sup>[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिये कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण 31 मार्च, 1993 तक किया जा सकता है :]

<sup>8</sup>[प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा 4-क के अधीन स्वीकृत पान्नता प्रमाण-

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 के द्वारा स्पष्टीकरण (दो) एवं स्पष्टीकरण (तीन) अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.3.1973)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी 8.8.1997)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा रखा गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा शब्द "ऐसे वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 18.10.2002)।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 32 (तीन) द्वारा अन्तःस्थापित।

पत्र धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन कमिश्नर द्वारा संशोधित या निरस्त किया गया हो तो कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का आदेश उपयुक्त प्रमाण-पत्र के संशोधित या निरस्त किये जाने के आदेश की प्रति, कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने के दिनोंक से एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1995 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिये कर निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण 31 मार्च, 1995 तक किया जा सकता है ॥

(3) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन नोटिस उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तामील कर दी गई हो तो उसके अनुसरण में कर निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का आदेश ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् छः मास के भीतर दिया जा सकता है ।

1[\*\*\*]

(4) यदि कर-निर्धारण का कोई आदेश रद्द कर दिया जाय और मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अधिकारी द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पुनः कर निर्धारण के लिए प्रतिप्रेषित किया जाय तो कर-निर्धारण अधिकारी को मामले के प्रतिप्रेषण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनोंक से, एक वर्ष के भीतर या 31 दिसम्बर, 1982 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पुनः कर-निर्धारण का आदेश दिया जा सकता है ।

1[\*\*\*]

3[(4-क) यदि कर-निर्धारण का कोई आदेश कर निर्धारक अधिकारी की अधिकारिता के अभाव के आधार पर या किसी अन्य तत्समान आधार पर किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अभिखण्डित कर दिया जाय; तो जिस कर निर्धारक अधिकारी का आदेश इस प्रकार अभिखण्डित किया गया है उसे ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के दिनोंक से एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1993 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अधिकारितायुक्त कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण का नया आदेश दिया जा सकता है ।

4[(5) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का कोई आदेश धारा 30 के अधीन रद्द कर दिया जाय तो उस वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का नया आदेश उस दिनोंक से जब, पूर्ववर्ती आदेश रद्द किया गया था, छः मास के भीतर किया जा सकता है ॥

1[\*\*\*]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[(5-क) यदि किसी बीमार इकाई के विरुद्ध पारित कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण या शास्ति का कोई एक पक्षीय आदेश राज्य सरकार द्वारा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश द्वारा अपास्त कर दिया जाय तो उस वर्ष के लिये, यथास्थिति, कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण या शास्ति का नया आदेश राज्य सरकार के आदेश की प्राप्ति के दिनोंक से एक वर्ष के भीतर सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है ।]

<sup>2</sup>[(6) जहां किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो तो स्थगन आदेश के दिनोंक को प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनोंक को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संगणना करने में परिसीमा की अवधि छः मास से कम हो जाये तो ऐसा कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनोंक से छः मास के भीतर किया जा सकता है ।]

<sup>3</sup>[(6-क) करदाता के किसी अन्य कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण <sup>4</sup>[या किसी अन्य विषय] के सम्बन्ध में कोई अपील या अन्य कार्यवाही जिसमें विधि का ऐसा प्रश्न अन्तर्गस्त हो, जिसका प्रश्नगत कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ सकता हो, जिस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रही हो, उस अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा काल की गणना करने में निकाल दिया जायेगा ।]

(7) यदि किसी कर-निर्धारण अधिकारी ने किसी व्यापारी के किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण में—

(क) किसी विक्रय-धन को सम्मिलित कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय ने अपने में विधिपूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे विक्रय-धन को—

- (1) किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिये उस व्यापारी के, या
- (2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन उस व्यापारी के, या
- (3) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।  
 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।

1956 के अधीन किसी अन्य व्यापारी के कर-निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो,

- (ख) किसी विक्रय-कर को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर-निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय ने, अपने में निहित विधिपूर्वक अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे विक्रय-धन को इस अधिनियम के अधीन उस व्यापारी के कर-निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के लिये हो या किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिए,

तो इस धारा की, समय को सीमित करने वाली कोई बात, यथास्थिति, ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिये उस व्यापारी के या ऐसे अन्य व्यापारी के, चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 6, 48, 12-क, 12-ख, 12-ग, 41, 42, 44, 44-क, 44-ख, 45, 46, 46-क, 46-ख, 46-ग, 75, 76, 77, 77-क, 77-ख, 77-ग एवं 81 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

केस कर निर्धारण हेतु पत्रावली सहायक आयुक्त (क.नि.) को स्थानान्तरित की गई। उनके द्वारा कर निर्धारण किये जाने के पश्चात व्यापार कर अधिकारी द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत व्यापारी को जारी नोटिस विधि सम्मत। *C.S.T. v. Mool Chand Gulzari Lal*, [2004] 39 STR 223 : 2004 UPTC 71.

व्यापारी को फार्म 3क के विरुद्ध घोषित बिक्री पर करमुक्ति दी गई। जौंच में पाया गया कि क्रेता व्यापारी ने उससे माल खरीदा ही नहीं था तथा करापवंचन हेतु किया गया गठबंधन था। धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु यह समुचित सामग्री थी। *Excellent Motors v. Addl. Commissioner, Trade Tax Officer, Kanpur*, [2004] 39 STR 71.

धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये यह पूर्वशर्त है कि अभिलेख पर ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जिसके आधार पर यह विश्वास किया जा सके कि व्यापारी का कोई विक्रयधन कर लगने से रह गया है। मात्र इस आधार पर पाम आयल के विक्रयधन को करदाता के हाथों करयोग्य नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा घोषित बिक्रेताओं का पता नहीं चलता है। करारोपण हेतु यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि व्यापारी निर्माता अथवा आयातक है। *P. Anand & Sons, Agra v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 14 : 2004 UPTC 202.

कर निर्धारण अधिकारी की अज्ञानता अथवा असावधानी के कारण दी गयी कर मुक्ति पर धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही विधि सम्मत है। ऐसी कार्यवाही कर निर्धारण करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रारम्भ की जा सकती है। *Shyam Babu Valshya & Co. v. A.C. Trade Tax, Banda*, [2004] 39 STR 26 : 2004 UPTC 210.

धारा 21 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार ग्रहण करने हेतु विधिक नोटिस का विधिवत् तामील होना पूर्व आवश्यकता है। *Ram Prakash Naresh kumar, Allgarh v. C.T.T.*, [2004] 39 STR 55.

करदाता उत्तर प्रदेश राज्य के स्वामित्व वाला कार्पोरेशन है—विभागों के बीच विवादों के निबटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है—इस कमेटी को निर्देश दिये गये कि वह प्रश्नगत विवाद

भी निर्णीत करे। *U.P. State Sugar Corporation Ltd. Unit Rampur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 51.

सर्वेक्षण पर प्राप्त पर्चे में अंकित सम्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित नहीं पाया गया। धारा 21 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करना विधि सम्मत है। *Jagdamba Steel, Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 106.

सर्वेक्षण पर अपवंचित विक्रयधन 2 लाख का पाया गया। धारा-21 के अन्तर्गत कर लगने से बचा हुआ विक्रयधन 3 लाख निर्धारित किया गया जो न तो निरंकुश आदेश है और न ही अनुचित। *Jagdamba Steel, Kanpur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 106.

पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु यह पूर्वशर्त है कि अभिलेख पर ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जो यह विश्वास करने का आधार बन सके कि व्यापारी का कतिपय विक्रयधन कर लगाने से रह गया है। बिक्रेताओं का सत्यापन न हो पाने की स्थिति में करदाता पर पाम आयल के विक्रयधन पर कर तभी लगाया जा सकता है जब यह सिद्ध हो कि वह निर्माता अथवा आयातक है। *P. Anand & Sons, Agra v. C.S.T.* (S.T.R. No. 490 of 1992), [2004] 39 STR 131.

व्यापारी द्वारा बोलडर्स की आपूर्ति स्टैकिंग करके करने के लिये संविदा ली गई। बोलडर्स के मूल्य में चुनने, रायल्टी, टैक्स, चुंगी तथा परिवहन के व्यय सम्मिलित थे। यह बिक्री की संविदा है न कि कार्य संविदा। *C.S.T. v. S.K. Goel Contractor*, [2004] 39 STR 84.

करदाता उत्तर प्रदेश राज्य के स्वामित्व वाला कार्पोरेशन है—विभागों के बीच विवादों के निबटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है—इस कमेटी को निर्देश दिये गये कि वह प्रश्नगत विवाद भी निर्णीत करे। *U.P. State Sugar Corporation Ltd. Unit Rampur v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 51.

वाद को खोलकर पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कर निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपित कर निम्न दर पर लगाया गया है। *C.S.T. v. J.K. Cotton Spinning & Weaving Mills Co. Ltd., Kanpur*, [2003] 38 STR 606.

करदाता द्वारा समस्त सम्बन्धित तथ्य घोषित करने के उपरान्त पोटेशियम क्लोरेट को रासायनिक उर्वरक माना गया। केवल मत परिवर्तन के आधार पर कि यह रासायनिक उर्वरक नहीं है पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही विधि संगत नहीं है। *Chandra Brothers v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 509.

करनिर्धारण वर्ष 1982-83 के लिये पुनः करनिर्धारण की नोटिस 31-3-1988 तक दी जा सकती है। पूर्व तिथि से काल सीमा बढ़ाया जाना अनुचित नहीं। *Dalmia Dairy Industries Ltd. v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 883.

विधिवत जारी नोटिस की नियमतः तामील धारा 21 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार ग्रहण करने हेतु आवश्यक है। चस्पाविधि द्वारा तामील सबसे निर्बल पद्धति है तथा अन्य उपायों का उपयोग किये बिना इसको नहीं अपनाया जा सकता है। *Jata Shankar Singh, SonBhadra v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 753 : 2003 UPTC 1043.

यदि व्यापारी पर क्षेत्राधिकार की नोटिस विधिवत तामील नहीं है तो वाद करनिर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है। *Jata Shankar Singh, SonBhadra v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 753 : 2003 UPTC 1043.

भूल अभिलेख पर स्पष्ट परिलक्षित है तो यह धारा 22 के अन्तर्गत संशोधनीय है तथा धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। *C.S.T. v. R.S. Steel Works, Bareilly*, [2003] 38 STR 836.

व्यापारी के विरुद्ध प्रान्त बाहर के व्यापारियों को बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई। मण्डी समिति का प्रमाण पत्र तथा शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यापारी ने सूचना अपने सम्बन्धित नहीं माना—व्यापारी के कथन को खण्डित करने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं—अधिकरण द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत किया गया कर निर्धारण समाप्त करना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुकूल है। *C.S.T. v. M/s Rungta and Bros, Tamkuhl Road, Deoria* [2003] 37 STR 281 : 2003 UPTC 520.

जब किसी वस्तु पर कर की दर विवादित हो तो धारा 21 या 22 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकती है। *Gujarat Cooperative Milk Marketing Fedration v. A.C. (A) Trade Tax*, [2003] 37 STR 230 : 2003 UPTC 384.

संशोधित मस्टर्ड आयल के मस्टर्ड आयल (सरसों के तेल) की भौति मूल कर—निर्धारण में सुविचार पूर्वक कर लगाया गया। उसके विक्रयधन पर पुनः कर निर्धारण हेतु वाद खोला नहीं जा सकता है। *Gujarat Cooperative Milk Marketing Fedration v. A.C. (A) Trade Tax*, [2003] 37 STR 230 : 2003 UPTC 384.

व्यापारी के विरुद्ध प्राप्त सूचना की सत्यता सिद्ध करने का दायित्व विभाग का है और तृतीय पक्ष के लेखों से प्राप्त सूचना के लिये उसे प्रार्थी के द्वारा प्रति परीक्षित कराने हेतु दिये गये व्यापारी के आवेदन को अस्वीकार नहीं है किया जा सकता। *Rajesh Agros, Meerut v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 573 : 2002 UPTC 1069.

कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उचित समय व अवसर प्रदान किया जाना चाहिये तथा कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए अधिकृत आदेश में कारण स्पष्ट करना चाहिये। *Dinesh Crystal, Rampur v. State of U.P.*, [2002] 36 STR 535.

धारा 21 में कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व अभिलेख पर ऐसी सामग्री होना अनिवार्य है जिससे कर निर्धारण अधिकारी को विश्वास हो कि कतिपय विक्रयधन पर कर लगने से रह गया है। *M/s. Gaurav Traders, Kanoon Goyan, Meerut v. C.S.T.*, [2002] 35 STR 116.

धारा 21 हेतु पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व व्यापारी पर विधिक रूप से नोटिस का तामील किया जाना अनिवार्य है। *Om Traders v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 309 : 2002 UPTC 646.

तृतीय पक्ष की लेखापुस्तकों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया पुनः कर निर्धारण अधिकरण द्वारा तीसरी बार तृतीय पक्ष की परीक्षा/प्रतिपरीक्षा के उपरान्त पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं। नियम 75 के अन्तर्गत अधिकरण को स्वयं ऐसी जाँच करके निर्णय करना चाहिये। *Shiv Shakti Traders v. C.T.T.*, [2002] 35 STR 304 : 2002 UPTC 665.

व्यापार कर अधिकारी (वि०अनु०शा०) के पत्र के आधार पर धारा 21 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कर निर्धारण के पश्चात् व्यापारी ने कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने एवं करनिर्धारण हेतु प्रथम अपील में चुनौती दिया। अपीलीय अधिकारी ने कार्यवाही को प्रारम्भ किये जाने को विधि सम्मत माना किन्तु कर निर्धारण पुनः करने हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित वाद में पुनः कर निर्धारण के विरुद्ध व्यापारी ने अपील की जिसमें धारा 21 की कार्यवाही प्रारम्भ करने को भी चुनौती दिया—निर्णीत हुआ कि अपीलीय निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने को आगे चुनौती नहीं दी गई अतः यह बिन्दु अन्तिम रूप से स्थिर हो गया तथा अब व्यापारी इसे पुनः नहीं उठा सकता है। *M/s U.P. Rolling Mills Company Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 506.

कोयले के उपभोग को आधार बनाकर किये गये कर निर्धारण को पूर्ण करने में यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों ने स्वच्छन्दता पूर्ण कार्यवाही की है। *M/s U.P. Rolling Mills Company Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 506.

किस विक्रयधन पर कर लगने से रह गया है यह सिद्ध करने का उत्तर दायित्व विभाग का है। *M/s. Shakti Udyog, Bijnor v. C.S.T.*, [2001] 34 STR 599.

व्यापारी ग्लास बीड्स का उत्पादक था जिसने प्रक्रियात्मक व्ययों का विवरण मूल कर निर्धारण के समय प्रस्तुत किया। विभाग का यह कथन नहीं है कि व्यापारी ने कोई तथ्य छिपाया है। ऐसी परिस्थिति में पुनः कर निर्धारण हेतु वाद खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। *M/s. Mohini and Company and another v. T.T.O, Firozabad*, [2001] 33 STR 419.

फर्म के एक साझीदार के पिता पर धारा 21 के अन्तर्गत तामील की गई नोटिस विधि सम्मत नहीं है। *C.S.T. v. Sanjay Traders*, [2001] 33 STR 218.

व्यापारी का कथन है कि उसने केवल गत वर्ष का रहतिया बेचा है। उसके द्वारा किसी खरीद करने का साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भूल सुधार की आवश्यकता नहीं है। *C.S.T. v. Samrat Trading Company, Mirzapur*, [2001] 34 STR 620.

व्यापारी द्वारा प्रपत्र 3ग(2) जारी करने की सूचना के आधार पर पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही की गई। व्यापारी द्वारा ऐसे कुछ प्रपत्र 3ग(2) खो जाना बताया गया जबकि इनमें से एक प्रपत्र व्यापारी द्वारा जारी किया जाना पाया गया इस प्रपत्र के आधार पर विक्रयधन का निर्धारण अनुचित नहीं कहा जा सकता। *C.T.T. v. Anil Kumar Sudhir Kumar*, [2001] 33 STR 20.

सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अंत से 8 वर्ष के भीतर धारा 21 के अन्तर्गत कमिश्नर व्यापार कर द्वारा पुनः कर-निर्धारण का आदेश किया जा सकता है। *Additional Commissioner (Legal) v. Jyoti Traders*, [1999] 29 STR 122 (SC) : 1999 UPTC 45 का अनुकरण किया गया। *Commissioner of Sales Tax v. S/s. Continental Pumps and Motors Ltd.*, 2000 UPTC 466.

धारा 21 के अन्तर्गत यदि नोटिस जारी करते समय तक कोई प्रतिकूल सूचना उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में व्यापारी के विरुद्ध पुनः कर-निर्धारण कार्यवाही नहीं की जा सकती।

नोटिस जारी किये जाने मात्र से मूल कर निर्धारण आदेश निरस्त नहीं समझा जा सकता। ऐसा समझने के लिए यह आवश्यक है कि नोटिस विधिवत जारी कि जाय। इसके अतिरिक्त यू०पी० ऐक्ट संख्या 28/91 द्वारा पूर्वगामी तिथि 1.3.1973 से धारा 21 का स्पष्टीकरण 3 अधिनियम में लाया गया। जिसके अनुसार धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने मात्र से मूल कर निर्धारण समाप्त न होने का प्राक्ख्यान है। *Hira Lal Ratan Lal v. Commissioner of Sales Tax*, 2000 UPTC 416.

धारा 21 के अन्तर्गत दी गई नोटिस अवैध है यदि उसमें अवधारणा के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। *Jain Sugar Works, Hapur v. C.S.T.*, 2000 UPTC 413.

धारा 21(2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत कमिश्नर एवं एडिशनल कमिश्नर द्वारा उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। *Modi Zerox Ltd., Rampur v. Addl. Commissioner of Trade Tax Moradabad and Another*, 2000 UPTC 502.

धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही उसी दशा में की जा सकती है जब कि साधारणतः यह विश्वास करने का आधार हो कि किस बिक्री पर कर लगाये जाने से रह गया। उच्चन्यायालय, अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत हस्तक्षेप कर सकता है। *Royal Trading Co. Saharanpur v. Trade Tax Officer*, 2000 UPTC 642.

अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विवेक रहित है। उनके द्वारा इस तथ्य का सत्यापन नहीं किया गया कि वास्तविक की गई खरीद क्रेता द्वारा कितनी धनराशि की है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय एवं धारा 21 के अन्तर्गत पारित इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी

करदाता को अवसर देते हुये उचित जांच कर आदेश पारित करें। *Ramesh Chand Divesh Kumar, Muzaffar Nagar v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 364.

वर्ष 1974-75 के लिये धारा 21 की नोटिस 10.8.89 जो तामील की गई। इस नोटिस के आधार पर किया गया कर निर्धारण विधि सम्मत पाया गया। *C.S.T. v. S/s. R.K. Construction Co., Alaipur, Varanasi*, [1999] 30 STR 444.

यदि मूल कर निर्धारण के समय सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध हो तब धारा 21 के अन्तर्गत उन्ही सामग्री के आधार पर नोटिस जारी नहीं की जा सकती है—मत परिवर्तन धारा 21 में निषेध है। *Matanhelia Trading Co., and another v. State of U.P.*, [1999] 30 STR 374.

स्वचालित बिस्कुट निर्माण की इकाई में घोषित से अधिक कर्मचारियों की संख्या पाये जाने पर अतिरिक्त उत्पादन किया जाना नहीं माना जा सकता और इस आधार पर धारा 21 में पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही न्याय संगत नहीं। *M/s Raj Kamal Biscuit Factory, Kanpur v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 641.

बोरों में चीनी की बिक्री की गई। बोरों का अलग से मूल्य नहीं लिया गया। मूल कर निर्धारण में बोरों की बिक्री पर कर नहीं लगाया गया। तत्पश्चात किसी नये तथ्य के अभाव में धारा 21 की नोटिस विधि सम्मत नहीं। *U.P. Sugar Co. Ltd., Padrauna v. Trade Tax Officer*, [1999] 30 STR 390.

व्यापारी द्वारा मूल कर निर्धारण के समय घोषित विक्रय धन की तुलना में, सर्वे के समय पाये गये स्टॉक के थोड़े अन्तर के फलस्वरूप यह नहीं माना जा सकता कि व्यापारी ने रु० एक लाख के विक्रय धन का अपवंचन किया है। अधिकरण द्वारा तथ्यों पर जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें मध्यस्थता किया जाना वांछित नहीं। *C.T.T. v. J.P. Rewa cement, Allahabad*, [1999] 30 STR 405.

मात्र मत परिवर्तन के आधार पर पुनः कर निर्धारण नहीं किया जा सकता। *M/s. Indian Oil Corporation Ltd., Agra v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 253.

नोटिस जारी करने की तिथि के तीन दिन के भीतर पुनः कर निर्धारण करने से निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। *Indian Oil Corporation Ltd., Agra v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 253.

व्यापारी के विरुद्ध एकत्रित बिक्री की सूचना हस्ताक्षर रहित होने के कारण विश्वसनीय नहीं समझी जा सकती जब तक कि तथ्यों की जाँच पुनः न की जाय। *C.T.T. v. Tripathi and Sons, Deoria*, [1999] 29 STR 327.

धारा 21 की नोटिस जारी करने के पूर्व निर्धारण अधिकारी को विश्वास करने का कारण होना आवश्यक है। मत—परिवर्तन के आधार पर जारी नोटिस अवैधानिक तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर। *Durga Metal Works (P.) Ltd. v. A.C. (A) Sales Tax, Gorakhpur*, [1999] 29 STR 305.

1-11-1976 के संशोधन के फलस्वरूप 31-3-1982 के भीतर धारा 21 की नोटिस के आधार पर 1974-75 का कर निर्धारण विधि संगत। *Vijai Kumar Surendra Kumar v. Sales Tax Officer*, [1999] 29 STR 316.

पुनः कर निर्धारण—संशोधित धारा 21 के अंतर्गत (जो 1991 अधिनियम के अंतर्गत 9-2-91 से लागू हुई) चार वर्ष की अवधि को बढ़ा कर आठ वर्ष की गई—बिक्री कर अधिकारी ने कमिश्नर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात नोटिस चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, जारी किया—उच्च न्यायालय ने कमिश्नर द्वारा अनुमोदन व उसके अंतर्गत नोटिस जारी होने की कार्यवाही करे, रद्द किया—उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है, और कमिश्नर द्वारा दिया गया अनुमोदन, जो चार वर्ष के उपरान्त



का था, वैध था। *Additional Commissioner (Legal) v. Jyoti Traders*, [1999] 29 STR 122 (SC).

धारा 21 के अंतर्गत कर निर्धारण फिर से उन्मुक्त करना। शीरा का कारोबार। कोई साक्ष्य मूल्यांकन अधिकारी को इस बाबत नहीं मिला कि किसी भी तरह की टिप्पणी बिल के पीछे पृष्ठ में शीरा के दर प्रति ड्रम लिखी थी। कोई ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिला कि किन लोगों के नाम वह बिल लिखा गया था। विभाग के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि शीरा की बिक्री बढ़ी हुई दर से की गई है अतः विक्रय घन बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। *M/s. Savitri Khandsari Udyog, Sambhal v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 134.

मत परिवर्तन के आधार पर धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। *Industrial Cables (India) Ltd. v. State of U.P. and others*, [1997] 25 STR 308 (LB) See also 1997 UPTC 49 and 1997 UPTC 269.

धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही तब ही वैधानिक है जब कि नोटिस की तामीली नियम 77 के अनुसार की गई हो। तामीली प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व विभाग का है। *Shambhu Dayal Gupta Kheda Waley v. C.T.T.*, [1997] 25 STR 180.

धारा 21 की नोटिस में वर्ष का उल्लेख न होने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है। *Murra Lal, Roorkee v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 804.

यू०पी० ऐक्ट संख्या 21/1995 के पूर्व आयुक्त धारा 21(2) में कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये अधिकृत नहीं थे। उक्त कार्यवाही के लिये करनिर्धारक अधिकारी का लिखित कारण होना अनिवार्य था। यू०पी० ऐक्ट 31/1995 के आने के बाद आयुक्त स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। *Balaji Brick Field v. Trade Tax Officer, Firozabad*, [1997] 26 STR 619.

यू०पी० ऐक्ट संख्या 28/1991 दिनांक 19.2.91 से लागू किया गया। उक्त तिथि से पूर्व यदि किसी वाद में कर-निर्धारण की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसी स्थिति में आयुक्त धारा 21(2) में वाद खोले जाने का आदेश पारित करने के लिये अधिकृत नहीं है। *Carew and Company Ltd. v. C.T.T.*, [1997] 26 STR 453.

धारा 21 का प्राविधान, विक्रयघन निर्धारण न किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर लागू होता है। *M/s. Pradeep Kumar Pramod Kumar v. C.S.T.*, 1994 UPTC 372.

ऐक्ट नं० 28/1991 जो 19.2.91 से लागू है, द्वारा करदाता को प्रदत्त अधिकार छीना नहीं जा सकता। *Chopra Diesel v. State of U.P. and others*, [1994] 19 STR 27; 1994 UPTC 115.

धारा 30 के अन्तर्गत पुनः सुनवाई हेतु खोले गये वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के कारण धारा 21(5) में निर्धारित समय-बद्ध सीमा की वृद्धि हो जाती है। *Kunj Behari Mantri & Sons v. C.S.T.*, 1994 UPTC 620.

धारा 21 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस अधिवक्ता पर तामील किया जाना अवैधानिक है। *Samvat Biscuit and Confectionery Works v. C.S.T.*, 1994 UPTC 1144.

ऐक्ट संख्या 28/1991 के द्वारा धारा 21 के स्पष्टीकरण 3 के फलस्वरूप मूल पारित आदेश धारा 21 के अन्तर्गत पारित आदेश द्वारा परिमार्जित न होने के कारण, प्रथम अपील ग्राह्य है। *Moolchand Harish Chand v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 7; 1994 UPTC 928.

धारा 21 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस में यदि इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि किस विक्रयघन पर कर आरोपित किये जाने से रह गया है, पूर्णतः अवैधानिक ही नहीं वरन् अधिकार हीन है। *Indo National Limited v. State of U.P.*, 1995 UPTC 924.

धारा 21 के अन्तर्गत दी गई नोटिस में किस विक्रयधन पर कर आरोपित किये जाने से रह गया को स्पष्ट न किये जाने के फलस्वरूप विधिक नहीं है। *C.S.T. v. Jain Khandsari Udyog*, [1996] 24 STR 34; 1996 UPTC 1160.

कर निर्धारण के लिये धारा 21 वास्तविक (substantive) धारा नहीं है। मूल कर निर्धारण आदेश जो धारा 7 के अन्तर्गत पारित किया गया अपनी स्थिति में पूर्णतः विद्यमान रहता है। *C.S.T. v. Agan Lal Fakir Chand*, [1996] 24 STR 101; 1996 UPTC 1087.

धारा 21 के अन्तर्गत मत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। *Shiv General Industries v. C.S.T.*, 1997 UPTC 49.

यदि धारा 21 की नोटिस की वैधता उच्च अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जा चुकी तब पुनः उक्त बिन्दु पर नीचे के प्राधिकारी के समक्ष विवाद नहीं उठाया जा सकता। सी०पी०सी० की धारा 11 'रेस जुडिकेटा' का सिद्धान्त लागू होगा। *Anand Export Corporation v. C.S.T.*, [1996] 23 STR 75; 1996 UPTC 81.

धारा 21(7) के प्राविधान असंवैधानिक नहीं है। A.I.R. 1963 SC 1358 पराशर एवं एक अन्य बनाम बसन्त सेन द्वारिकादास तथा अन्य, विस्तार से देखें। *U.P. Co-operative Spinning Mills Ltd. v. State of U.P.*, 1997 UPTC 77.

धारा 21 के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति पर तामील नोटिस वैध है क्योंकि जो अधिकार पत्र दिया गया वह केवल कर निर्धारण की कार्यवाही तक सीमित नहीं था। *Anand Khandsari Udyog v. C.T.T.*, [1997] 25 STR 302; 1997 UPTC 175.

धारा 3-ड के तहत क्रय-कर लगाये जाने पर तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को नजर-अन्दाज कर देने से या अनवैधता से आवर्त पर कर-निर्धारित न किये जाने पर धारा 21 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही विधिमान्य रूप से आरम्भ की जा सकती है। *C.S.T. v. Jai Bharat Bhatta Co.*, 1979 UPTC 834.

कर-निर्धारण के मूल आदेश को धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके फिर से खोला गया। जब एक बार धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दी गई तो कर-निर्धारण का मूल आदेश फिर से खुल जाता है और उसके बाद धारा 21 के अन्तर्गत पारित किया हुआ कोई भी आदेश कर-निर्धारण वर्ष का ही आदेश माना जायेगा। *Kundan Lal Shrikishan v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 425.

करदाता जिन वस्तुओं का व्यापार करता था वह एकल बिन्दु पर कर-योग्य थीं। सर्वेक्षण अधिकारी ने सर्वेक्षण के समय बैंक ड्राफ्ट बरामद किये। उन बैंक ड्राफ्टों का करदाता ने कारोबार में किस प्रकार उपयोग किया था यह बात करदाता की विशेष जानकारी में थी। इस बात को सिद्ध करने का भार करदाता पर था। अतः ऐसे प्रमाण के अभाव में करदाता के विरुद्ध धारा 21 के अन्तर्गत कर-निर्धारण की कार्यवाही कानूनी ढंग से आरम्भ की गई। *Agency King v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 544.

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अधिकरण को तथ्यों के निस्तारण करने का अन्तिम अधिकार है, परन्तु जहाँ तक धारा 21 के अन्तर्गत की नोटिस की तामीली का प्रश्न है अधिकरण की संतुष्टि कर-निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि नहीं मानी जा सकती। *Munna Lal Sot v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 572.

फर्म के विघटन होने के बाद नोटिस की तामील फर्म के प्राधिकृत अभिकर्ता पर की गई। इस तरह की नोटिस की तामीली को फर्म पर विधिमान्य तथा विधि के अनुसार की गई तामीली माना गया। नोटिस की तामीली एक व्यक्ति पर जो कि फर्म का प्राधिकृत अभिकर्ता था और फर्म के एक भागीदार द्वारा प्राधिकृत किया गया था वैध किया गया। *C.S.T. v. Auto Sales Corporation*, [1987] 6 STR 33.

यदि सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपवंचन प्रदर्शित है परन्तु प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय बिक्री-कर अधिकारी द्वारा विचार करने में छूट गया है तो बाद में पुनः कर-निर्धारण के लिये धारा 21 के अन्तर्गत पर्याप्त आधार है। *Gopal Metal Industries, Mirzapur v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 13.

प्रारम्भिक स्तर पर सैकरीन को अवर्गीकृत वस्तु की भाँति साढ़े तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। बाद में इसे केमिकल्स मानकर छः प्रतिशत की दर पुनः कर-निर्धारण किया गया जो कि अवैध था सैकरीन के निर्माण प्रक्रिया के पूरे तथ्य बिक्री-कर अधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे इसलिये बाद में वह अपनी राय नहीं बदल सकता। *C.S.T. v. Madhu Chemical Works, Bareilly*, [1988] 7 STR 134.

केवल राय बदलने के आधार पर धारा 21 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। *C.S.T. v. Bhagwan Das Haridas*, [1987] 5 STR 448.

करदाता ने सीमेंट का आवर्तन घोषित किया और यह भी स्पष्ट किया कि व्यापार बन्द हो गया है तथा सीमेंट का बचा हुआ स्टॉक पत्थर बन गया है। बिक्री-कर अधिकारी ने तथ्यों को विचार करके मूल कर-निर्धारण आदेश में उपशमन दिया। पुनः कर-निर्धारण का करना अवैध किया गया। बिक्री-कर अधिकारी द्वारा कोई नया तथ्य धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये नहीं घोषित किया गया। *Prakash Paper House, Allahabad v. C.S.T.*, 1987 TLD 167.

धारा 29 के तहत करदाता के विरुद्ध कार्यवाही इस आधार पर चलाई गई कि आय-कर अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत कागजातों से अपवंचन था। अधिकरण ने उपरोक्त कार्यवाही इस आधार पर निरस्त कर दी कि अपवंचन का मामला साबित नहीं था। अधिकरण का आदेश के विरुद्ध विभाग ने उच्च न्यायालय में पुनरावृत्ति दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने पुनरावृत्ति निरस्त करके यह निर्णय दिया कि अपवंचन साबित करना तथा दस्तावेज का दाखिल कराना विभाग की जिम्मेदारी थी जिसको उसने पूरा नहीं किया। आयकर विभाग द्वारा पारित आदेश यद्यपि अन्तिम व बाध्य नहीं है परन्तु इसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है जिस पर विचार किया जा सकता है। *C.S.T. v. National Sugar Industries, Meerut*, [1986] 4 STR 446.

**22. भूल का सुधार—(1)** <sup>1</sup>[कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में] अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी बात को, स्वप्रस्ताव से या व्यापारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे दिया गया है तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, अर्थदण्ड, शुल्क या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाये हुये कर के बढ़ने का होगा, [सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी] नियत रूप से मांग की फिर से सूचना व्यापारी को देगा और उसके बाद इस अधिनियम के और उसके अधीन बने नियमों के सब आदेश उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे की प्रारम्भ में सूचना देने पर लागू होते हैं।

[प्रयोजनार्थ नियम 45, 46-ख, 46-ग, 77 एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी पश्चातवर्ती निर्णय से उत्पन्न विधिक भूल का सुधार धारा 22 के अन्तर्गत किया जा सकता है। *Rita Ice Cream v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 166.

बकाया कर की धनराशि स्वीकृत कर की थी अथवा अतिरिक्त कर की थी यह अधिकरण द्वारा विस्तृत विवेचना के आधार पर निर्णीत की गई है अतः इसे धारा 22 के अन्तर्गत पुनर्विचारित नहीं किया जा सकता है। *Amritsar Oil Works, Agra v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 101.

मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते समय यदि कोई सूचना अभिलेख पर नहीं थी तो उसके आधार पर धारा 22 के अन्तर्गत भूल सुधार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। *C.S.T. v. Jalashwar Ram, Gorakhpur*, [2003] 38 STR 629.

जब कोई आदेश अधिनियम में संशोधन के पूर्व के प्राविधानों के अन्तर्गत पारित किया गया है और संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से किया गया है तो आदेश अभिलेख पर प्रत्यक्ष भूल है, और संशोधनीय है। *C.S.T. v. Prakash Chandra Narendra Kumar, Meerut*, [2003] 38 STR 63 : 2003 UPTC 843.

स्टील स्ट्रक्चर को आइरन तथा स्टील के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता। यदि स्टील स्ट्रक्चर के विक्रयधन पर कर निर्धारण लोहा तथा स्पात की भाँति किया गया है तो यह अभिलेख पर उपलब्ध स्पष्ट भूल है तथा धारा 22 के अन्तर्गत संशोधनीय है। कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का निस्तारण होने के पश्चात धारा 22 का प्रार्थना पत्र प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। *C.S.T. v. R.S. Steel Works, Bareilly*, [2003] 38 STR 836.

अभिलेख पर स्पष्ट परिलक्षित भूल को ही धारा 22 के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है। विवाद ग्रस्त मामलों में यह संशोधन संभव नहीं है। *C.T.T. v. Arun Kumar Atul Kumar, Aligarh*, [2003] 38 STR 524.

जहाँ अपील की सुनवाई हेतु नोटिस की तामील समुचित रूप से नहीं की गई है और अपील एक पक्षीय रूप से निर्णीत की गई है, धारा 22 के अन्तर्गत ऐसी भूल का सुधार किया जा सकता है। *Ram Sewak Coal Depot, Mirzapur v. C.T.T.*, [2003] 38 STR 514 : 2003 UPTC 608.

अभिलेख पर प्रत्यक्ष भूल का ही सुधार किया जा सकता है—विवादित बिन्दुओं पर धारा 22 के अन्तर्गत आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। *Gujarat Cooperative Milk Marketing Fedration v. A.C. (A) Trade Tax*, [2003] 37 STR 230 : 2003 UPTC 384.

परिकल्पित अथवा लम्बी बहस के बाद उभरे विचारों के आधार पर भूल सुधार करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को नहीं है। भूल सुधार के अधिकार का प्रयोग तभी हो सकता है जब त्रुटि आपातः परिलक्षित हो रही हो। निर्णय में हुई त्रुटि के लिये इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुस्थिर की गई त्रुटि के सुधार हेतु भी इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। *C.S.T. v. Indian Explosives Ltd., Kanpur*, [2003] 37 STR 32 : 2003 UPTC 363.

भूल सुधार का अधिकार आपाततः परिलक्षित भूल तक सीमित है। निर्णय में हुए त्रुटि अथवा लम्बी बहस के बाद संस्थापित त्रुटि के सुधार हेतु ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। *C.S.T. v. Ashoka Silicate Factory, Kanpur*, [2003] 37 STR 83 : 2003 UPTC 121.

भूल सुधार का अधिकार क्षेत्र अभिलेख पर स्पष्टतः परिलक्षित भूल तक सीमित है। लम्बी बहस के उपरान्त खोजी गई भूल अथवा निर्णय में की गई भूल ऐसे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। *C.S.T. v. Essential Oil & Chemicals, Bareilly*, [2003] 37 STR 86.

धारा 22 के अन्तर्गत भूल का संशोधन तभी किया जा सकता है जब भूल अभिलेख पर स्पष्ट परिलक्षित हो तथा उसमें बहस एवं जाँच की आवश्यकता न हो। *C.T.T. v. Anandeshwar Industries, Kanpur*, [2003] 37 STR 327 : 2003 UPTC 829.

धारा 22 के अन्तर्गत भूल सुधार के लिये त्रुटि आपाततः परिलक्षित होनी चाहिये तथा उसमें निहित बिन्दु पर बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये और न ही मतान्तर के आधार पर त्रुटि सुधार सम्भव है। *Hindustan Safety Glass Works, Allahabad v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 545.

जहाँ लम्बी बहस आवश्यक हो वहाँ धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। *D. S. M. Group of Industries v. Chairman, Trade Tax Tribunal*, [2002] 36 STR 707 (LB) : 2002 UPTC 955.

मच्छर भगाने की अगरबत्ती पर 7.5% निर्धारित कर को बढ़ाकर 10% लगाया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में धारा 22 की कार्यवाही सही है। *C.S.T. v. S/s Malik General Store, Muzaffarnagar*, [2001] 34 STR 482.

तथ्यात्मक विवादित प्रश्न धारा 22 के अन्तर्गत नहीं निर्णीत किये जा सकते हैं। *I.T.C. Agro-Tech Limited v. C.T.T.*, [2001] 33 STR 102.

धारा 22 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधान अत्याधिक सीमित हैं। केवल अभिलेख पर स्पष्ट भूल का ही सुधार वांछित है। *Daulat Industries, Moradabad v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 928.

विवाद कि अमुक वस्तु किस विज्ञप्ति के अन्तर्गत करयोग्य है, का संशोधन धारा 22 के प्राविधानों का प्रयोग कर नहीं किया जा सकता। इस वाद में निम्न दोनों निर्णयों *Concreate Spun Pipe Works v. Sales Tax Officer, Kanpur*, (1969) 24 STC 48 एवं *Kakkar General Stores and others v. State of U.P.*, 1997 UPTC 56 का अनुकरण किया गया। *I.T.C. Agro Tech Ltd. v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 362.

धारा 22 के अंतर्गत संशोधन स्पष्ट भूल सुधार उस स्थिति में वांछित नहीं है जबकि किसी बिन्दु पर निर्णय वादी व प्रतिवादी के दावों को सुनकर निर्णय दे दिया गया हो। *Precise Laboratories Ltd. v. C.T.T.*, (2000) 117 STC 226 (All).

अधिकरण के आदेश में प्रपत्र 3-ख के आधार पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न होने के कारण पुनरीक्षण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। व्यापारी को अधिकरण के समस्त धारा 22 का प्रार्थना पत्र देना चाहिए। *M/s Gupta Glass Industries, Hathras v. C.S.T.*, [2000] 31 STR 58.

प्रपत्र 31 में सालवेन्ट एक्सट्रैक्टेड मूंगफली का तेल प्रदर्शित करके आयात किया गया तथा लेखों में तथा अन्य प्रपत्रों में मूंगफली का रिफाइन्ड तेल दिखाया गया। फार्म 31 की घोषणा को मान कर किये गये कर निर्धारण में धारा 22 के अन्तर्गत सुधार किया जा सकता है। *Charanjil Lal Rajendra Kumar Oil Dealer, Babtna, Jhansi v. C.T.T.*, [1999] 29 STR 231.

धारा 22 के अंतर्गत संशोधन स्पष्ट भूल सुधार किये जाने हेतु पारित किया जा सकता है। विवादित

एवं लम्बी बहस यदि आदेश को संशोधित किये जाने के लिए आवश्यक है, ऐसी स्थिति में धारा 22 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। *M/s Khedia Brothers, Lalitpur, etc. v. Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax*, [1999] 29 STR 138.

किसी विधिक व्यवस्था का संज्ञान में न लेना एक त्रुटि है। *C.S.T. v. M/s Patel Bechar Bhai Lahu Bhai, Lalitpur*, [1999] 30 STR 565.

अभिलेख पर स्पष्ट भूल का तात्पर्य क्या है? कर निर्धारण अधिकारी ने भूलवश यदि ब्याज आरोपित नहीं किया, सुधार धारा 22 के अन्तर्गत किया जा सकता है। *L.P. Nagar and Co. v. C.S.T.*, 1997 UPTC 51.

किन परिस्थितियों में भूल सुधार किया जा सकता है तथा ब्याज आरोपित हो सकता है। निर्णय देखें। *Shree Bhagwati Flour Mills v. C.S.T.*, [1997] 26 STR 453.

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं संशोधन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना चाहिये। 1987 UPTC 493 में उद्धृत निर्णय पुनः विचार योग्य है। *C.S.T. v. Sukh Lal Ice & Cold Storage Co., Jhansi*, 1994 UPTC 105.

धारा 22 के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश का संशोधन नहीं किया जा सकता केवल स्पष्ट मूल ही संशोधन योग्य है। *Uttarakhand Udyog (P) Ltd. v. C.S.T.*, [1994] 20 STR 295; 1994 UPTC 1243.

धारा 22 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश कमिश्नर व्यापार कर, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। *Kakkar General Stores and another v. State of U.P.*, [1996] 24 STR 144; 1997 UPTC 56.

सही किया हुआ आदेश उस आदेश में विलीन नहीं हो जाता जो कि भूल सुधार करने के लिये किया गया था। दोनों ही आदेशों का अपना अलग-अलग अस्तित्व है। सही किया हुआ आदेश भूल सुधार करने वाले आदेश के साथ पढ़ा जाता है। विलियन के सिद्धान्त का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कि कर में बढ़ोत्तरी करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की जावे। कर में बढ़ोत्तरी करने वाला भूल सुधारक आदेश तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया। यह निष्कर्ष दिया गया कि बाद में धारा 22 के अन्तर्गत बिक्री-कर अधिकारी द्वारा और लम्बी दर के अनुसार कर लगाया गया आदेश अवैध नहीं था। *Luxmi Ji Flour and Dal Mills v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 343.

भूल सुधार करने के लिये आवेदन-पत्र धारा 22 के अन्तर्गत इस आधार पर दिया गया कि माल की खरीद उत्तर प्रदेश के बाहर के मालिकों की ओर से की गई थी और ऐसी खरीद के कारण माल का अन्तर प्रान्तीय परिवहन हुआ और ऐसा माल उत्तर प्रदेश बिक्री कर के अधीन मुक्त था। यह आवेदन-पत्र मूल कर-निर्धारण आदेश के ज्ञापित होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया था। अतः यह निष्कर्ष दिया कि भूल सुधारक आवेदन-पत्र अनुरक्षणीय था और अधिकरण ने सही रूप में उक्त आवेदन-पत्र को स्वीकार किया था। *Kundan Lal Shrikishan v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 425.

किसी भूल को सुधार करने के लिये आवेदन-पत्र दाखिल करने की तीन वर्ष की मर्यादा की अवधि की गिनती धारा 22 के अन्तर्गत पारित किये हुए आदेश की तिथि से की जावेगी न कि कर-निर्धारण के मूल आदेश की तिथि से। *Kundan Lal Shrikishan v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 425.

**धारा 22 के कार्य-क्षेत्र**—धारा 22 एक सीमित प्रयोग रखता है। यह एक आदेश को पुनरावृत्ति या पुनरीक्षण द्वारा उलटने के लिये अनुमति नहीं देता है। बल्कि भूल या त्रुटि को सुधारने की अनुमति देता है जो कि स्पष्ट लिपिबद्ध है। करदाता भूल सुधारने के आवेदन-पत्र की आड़ में अधिकरण से उसके

स्वयं के आदेश को पुनरीक्षण करने की मांग नहीं कर सकता। स्पष्ट अंकित की हुई भूल ही सुधार की जा सकती है। धारा 22 का क्षेत्राधिकार निर्णय की भूल को नहीं सुधारता है। भूल सुधार करने के आवेदन-पत्र के नाम से यह सम्भव नहीं है कि एक पक्ष अधिकरण द्वारा दिये हुए निर्णय के विरुद्ध तर्क करने का अवसर प्राप्त करे। *Matwala Ram Kishan Chand v. C.S.T.*, [1988] 7 STR 433.

अधिकरण ने निर्णय किया कि आबकारी ड्यूटी जो करदाता ग्राहकों से वसूल करता है विक्रय-धन का भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वाद में अधिकरण के धारा 22 के तहत अपने आदेश में संशोधन किया और निर्णय दिया कि आबकारी ड्यूटी विक्रय-धन का भाग है तथा ब्याज भी देय है। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध करदाता ने उच्च न्यायालय में पुनरावृत्ति दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने करदाता की पुनरावृत्ति निरस्त करके निर्णय दिया कि अधिकरण का आदेश उचित व वैध है। परन्तु ब्याज का आरोपण करना अवैध है। *Indian Herbs Research and Supply Co. v. C.S.T.*, [1987] 5 STR 435.

उच्च न्यायालय ने विभाग की पुनरावृत्ति को खारिज करके निर्णय दिया कि कर-निर्धारण अधिकारी धारा 22 के अन्तर्गत अपने निर्णय में त्रुटियों को सही करके संशोधन नहीं कर सकता। *C.S.T. v. Triveni Engineering Works*, 1985 TLD 16.

वर्ष 1973-74 में उत्तर रेलवे प्रबन्धक करदाता ने पुराना सामान जिसका कोई प्रयोग नहीं था, बेचा। करदाता का यह कहना था कि वह व्यापारी नहीं है इसलिये उस पर कर की जिम्मेदारी नहीं है। धारा 22 के अधीन सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर ने नोटिस जारी किया कि संशोधित प्राविधानों के अनुसार उपर्युक्त बिक्री पर कर देय है और अपने आदेश में संशोधन किया। जिसके विरुद्ध अपील तथा बाद में पुनरावृत्ति दाखिल किया। पुनरावृत्ति में अधिकरण के आदेश को निरस्त किया गया और पुनरावृत्ति स्वीकार हुई। इस वाद के तथ्य ऐसे नहीं हैं जिसमें धारा 22 की शक्तियों का आह्वान किया जाय। *C.S.T. v. Controller of Stores, N.E.R., Gorakhpur*, 1985 TLD 80.

केवल वही मूल जो स्पष्ट रूप से लिखी है धारा 22 के अन्तर्गत सुधार की जा सकती है। कर-निर्धारण अधिकारी अपने स्वयं आदेश को जाँच करके पुनरीक्षण नहीं कर सकता। धारा 22 के तहत बिक्री-कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश जाँच के आधार पर संशोधित सुधार नहीं किया जा सकता। *Lakshmi Narain Anand Prakash v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 81.

कर-निर्धारण की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर नोटिस दिनांक 21 मई, 1982 को धारा 22 के अन्तर्गत जारी की गई। संशोधन आदेश 11 अक्टूबर, 1982 को पारित किया गया हालाँकि वह तीन वर्ष की अवधि के बाहर का था वैध माना जायेगा। *C.S.T. v. India Steel Supply Company*, [1987] 5 STR 485.

**23. कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी—**(1) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार, जो विवरण-पत्र (स्टेटमेन्ट्स और रिटर्नस) या लेखे (हिसाब) या लेखे-पत्र (डाकुमेन्ट) प्रस्तुत किये जायें अथवा जो साक्ष्य या शपथ-पत्र, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये जायें अथवा किसी माँग की वसूली से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के, जो लेख (रिकार्ड) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के प्रयोजन के लिए तैयार किया जाय, इन सब में जो कुछ विषय होगा वह गोपनीय (कांफिडेन्शियल) माना जायेगा।

(2) उपधारा (1) में जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होंगे, यदि—

- (1) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 5, 1860) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिये अभियोग चलाना हो; या
- (2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है और यह आवश्यक है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय, या
- (3) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की वसूली के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो, या
- (4) इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के किसी ऐसे दीवानी के मुकदमों में हो, जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो, या
- (5) इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेन्ट्स) का अवरोध करने के लिये जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाये, या
- (6) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो, या
- (7) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जाँच करने के प्रयोजनार्थ हो; या
- (8) वह लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो।

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

किसी भी न्यायालय द्वारा व्यापारी से सम्बन्धित अभिलेखों की माँग की जा सकती है तथा उसकी गोपनीयता भंग नहीं समझी जाये। *Kailash Nath & Others v. Tota Ram Kanhatya Lal & Others*, 1975 UPTC 164.

कोर्ट द्वारा अभिलेखों की माँग पर कोई प्रतिबंध नहीं है अतः उनका प्रस्तुत किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है। *Shaw Wallance and Co. v. Sri Venkateshwaran Bone Mill*, (1980) 45 STC 416 (AP).

**24. नियम बनाने का अधिकार—**(1) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।

(2) ऐसे नियमों में, विशेष रूप से और पूर्ण वर्णित अधिकार की सामान्यता को बिना प्रभावित किये, निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में आदेश हो सकते हैं :—

- (क) सभी ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिसका इस अधिनियम के अनुसार नियत करना आवश्यक अथवा नियत संगत हो;
- (ख) माल बेचने अथवा खरीदने के काम में लगे हुए व्यक्तियों को लाइसेंस



देने के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने तथा लाइसेंस की फीस से सम्बन्धित प्रतिबन्ध लगाने के लिए;

- (ग) इस अधिनियम के अनुसार कर आंकने के विषय में विक्रय-धन को निर्धारित करने की विधि के लिए;
- (घ) तालिकाओं और लेख-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए तथा व्यक्तियों के शपथपूर्ण वक्तव्य लेने के तथा उनकी उपस्थिति को बाध्य करने के विषय में;
- (ङ) इस अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्यों तथा अधिकारों के विषय में;
- (च) साधारणतया इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुकरणीय विधि को तथा कार्यवाही से सम्बन्धित प्रयोग में लाये जाने वाले फार्मों को, नियमित करने के विषय में;
- (चच) [निकाल दी गई]
- (छ) धारा 29-क की उपधारा (1) के अधीन जमा की गयीं धनराशियों की वापसी (Refund), ऐसी वापसियों (Refunds) के लिए प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वह की जा सकती हैं;
- (छछ) धारा 13 की उपधारा (4-क) के अधीन मुहर लगाने की रीति और वह रीति जिसमें वह व्यक्ति जिसके द्वारा उसे हटाया जायेगा और उक्त उपधारा में अभिदिष्ट मुहरबन्द सम्पत्ति और अन्य माल तथा लेख्यों की अभिरक्षा के लिये;
- (छछछ) धारा 13-क के अधीन अभिगृहीत माल की अभिरक्षा; और
- (ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।

(4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम सरकारी गजट में छापे जायेंगे और इस प्रकार छप जाने पर उनका तुरन्त प्रभाव इस अधिनियम के समान ही होगा।

(5) <sup>1</sup>[निकाल दिया गया]

[इस धारा के प्रयोजनार्थ नियम 3, 4, 5, 6, 28, 41, 44, 44-क, 44-ख, 44-ग, 75, 76, 77, 77-क, 77-ख व 81 और 88 से 110 दत्त्यादि देखें]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1984 द्वारा निकाल दिया गया।

1[25. भूतलक्षी दिनोंक से विज्ञप्तियाँ जारी करने का अधिकार—यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह धारा 3-क \* \* \*] या धारा 3-घ या धारा 4 या धारा 4-ख के अधीन इस प्रकार विज्ञप्ति जारी कर सकती है जिससे कि वह ऐसे दिनोंक से प्रभावी हो सके जो ऐसी विज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनोंक से छः मास के पूर्व की न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन भूतलक्षी दिनोंक से कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी जिससे व्यापारी के कर-दायित्व में वृद्धि होने की सम्भावना हो ।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

पूर्वगामी तिथि से विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती। दिनोंक 1.6.1994 द्वारा कर की दर में परिवर्तन किये जाने वाली विज्ञप्ति निरस्त की गई। *Ashok & Brothers v. State of U.P.*, [1997] 25 STR 108 : 1997 UPTC 178.

यदि किसी विज्ञप्ति में कई वस्तुएँ एक साथ रखी गई हैं, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे शब्दों के अर्थ से निकलता है। *Pradeep Agarbatti v. State of Punjab*, [1997] 26 STR 857 (SC) : (1997) 107 STC 561 (SC).

26. विलीन (स्टेट्स) राज्य में उक्त अधिनियम को प्रचलित करना—कर-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक व्यापारी, जो 1 जनवरी, 1950 से बनारस, रामपुर या टेहरी-गढ़वाल की विलीन रियासतों में माल खरीदने या बेचने या पहुँचाने (सप्लाइ) का कारोबार कर रहा हो, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यापारी समझा जायेगा, जिसने कर-निर्धारण वर्ष में कारोबार प्रारम्भ किया हो और धारा 18 के निर्देश (प्राविजन्स) आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे ।

[धारा 18 में निर्दिष्ट नियमों को इस धारा के प्रयोजनार्थ देखें]

### 27. [निकाल दी गई]

28. जाँच चौकियाँ तथा नाके की स्थापना—यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य के भीतर माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जाएँ, जांच चौकियाँ तथा नाके स्थापित करने का निर्देश दे सकती है ।

[प्रयोजनार्थ नियम 5, 83(1) एवं 83(2) देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

बिना फार्म 31/32 के माल आयात करने मात्र से अर्धदण्ड का आरोपण नहीं किया जा सकता। यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि व्यापारी का इरादा सद्भावना पूर्ण नहीं था। *C.S.T. v. S/s. Kamal Fuel Industries, Cheppel Street, Meerut*, [1999] 29 STR 160.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.11.1979)।
2. शब्द "धारा 3-क" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 की धारा 17 द्वारा निरस्त गये।

जाँच चौकी की स्थापना केवल प्रान्त के अन्दर बिक्री पर कर के अपवंचन को रोकने के लिये की गयी है। *Jain Shudh Vanaspati Ltd. v. State of U.P.*, 1983 UPTC 198.

**28-क. घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना—(1)** कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर से किसी स्थान से राज्य के भीतर, व्यापार के सम्बन्ध में <sup>1</sup>[धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन छूट प्राप्त माल से भिन्न ऐसे परिमाण या माप में या मूल्य के] माल को जो—

(क) (एक) खाद्यान, अनाज, दालों, सोयाबीन और उसके समस्त उत्पादों और सभी कच्चे माल जिसके अन्तर्गत, लीसा, विरोजा और किसी प्रकार का तेल निकालने के लिए प्रयुक्त तिलहन भी है, की दशा में, बीस किलोग्राम से अधिक हो, और

(दो) अन्य सभी माल की दशा में, पचास रुपये से अधिक का हो, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हों; लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो, कर-निर्धारक अधिकारी से, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो जहाँ उस व्यक्ति के व्यापार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान करके घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता व्यापार के सम्बन्ध में भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे माल को लाना, आयात करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।

#### [प्रयोजनार्थ नियम 83(4) देखें]

(2) यदि ऐसा माल सड़क द्वारा पारेषित किया जाना हो तो—

<sup>2</sup>[(क) आयातकर्ता, पारेषक (consignor) को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाला गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक्

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 29-1-2001)। उपधारा (2) का खण्ड (क) दिनांक 29-1-2001 से पूर्व निम्न रूप में था।

(क) आयातकर्ता, पारेषक (Consignor) को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियों और ऐसे अन्य लेख-पत्र जो निर्धारित किए जाएँ, ले जायेगा और धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी या नाके को पार करने के पहले ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति ऐसी जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा और माल सहित घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख-पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा।

और माल सहित घोषणा पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा।

रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य, लेख पत्र, जो निर्धारित किये जायं, ले जायेगा और ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति,—

- (एक) जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर धारा 28 के अधीन कोई जांच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जांच चौकी या नाके को पार करने के पहले ऐसी जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, और
- (दो) जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो, तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, देगा;]
- (ख) जांच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी उसे दिये गये घोषणा-पत्र की प्रति के लिए एक रसीद देगा और गाड़ी के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की कोई प्रति देना आवश्यक न होगा, यदि वह ऐसी अन्य जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दें;
- 1[(ग) (निकाल दिया गया)
- (घ) आयातकर्ता खण्ड (क) के अधीन उसे या उसके अभिकर्ता को दिये गये घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और लेख-पत्रों को ऐसी अवधि तक रखे रहेगा जैसी निर्धारित की जाये और जब कभी ऐसी अवधि के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि ऐसा रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित (Consigned) किया जाय तो आयातकर्ता—
- (क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया गया हो; निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत न कर दे या करवा न दे, और;
- (ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायेगा और न

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा उपधारा (2) के खण्ड (ग) का लोप किया गया (प्रभावी दिनांक 29-1-2001)। उपधारा (2) का खण्ड (ग) दिनांक 29-1-2001 से पूर्व निम्न रूप में था।

(ग) यदि ऐसा माल राज्य में बाहर से ऐसी सड़क से लाया जाय जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो, या यदि किसी अन्य कारण से घोषणा-पत्र की एक प्रति यथा उपर्युक्त जांच चौकी या नाके पर न दी जा सके तो पारेषिती (Consignee) ऐसे माल छुड़ाने के पश्चात् कर-निर्धारण अधिकारी को अगले कार्य दिवस तक घोषणा-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा-पत्र की एक प्रति न हो।

(4) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत असबाब के रूप में लाया जाये तो उन्हें लाने वाला व्यक्ति अपने साथ निर्धारित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र रखेगा, और आयातकर्ता उसे अगले कार्य दिवस तक उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4-क) यदि कोई व्यक्ति व्यापार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक है और प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) (3) और (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा-पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र" रखा गया हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को प्रत्येक जांच चौकी या नाके पर, या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी भी अन्य स्थान पर रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि, यथास्थिति, उस जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये, और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो, उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक (Consignee) और पारेषिती (Consignor) का नाम और पता देगा।

#### [प्रयोजनार्थ नियम 83(5) से 83(9) देखें]

(6) यदि उपधारा के अधीन तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न कर दुष्चरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है, किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक लेख-पत्रों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति के सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसे माल का इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य देय कर को भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(7) माल को इस प्रकार रोकने के सम्बन्ध में धारा 13-क की उपधारा (2), (6) और (8) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(8) इस धारा की किसी बात को यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इससे किसी रेल प्रशासन या रेलवे के सेवक या डाकघर के किसी पदाधिकारी पर

कोई आभार आरोपित होता है, या वह किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में तलाशी लेने, रोकने या अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में यथा-परिभाषित रेल में या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में यथा-परिभाषित किसी डाकघर में हो।

[प्रयोजनार्थ नियम 83, 85, 86, 87-क, 5, 46-ख, 75, 76, 77 एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

**अभिग्रहण**—समुचित प्रपत्र तथा फार्म 31 के साथ प्रान्त बाहर से माल का परिवहन किया गया। सन्दिग्ध अवमूल्यन से सम्बन्धित प्रश्न का अवधारण नियमित कर निर्धारण के समय किया जा सकता है तथा माल का अभिग्रहण औचित्यपूर्ण नहीं। अधिकरण का आदेश तथ्यपरक पाया गया। *C.S.T. v. Delhi Calcutta Carrying Corporation*, [2004] 39 STR 100 : 2003 UPTC 949.

जाँच चौकी अधिकारी को माल अभिग्रहण करने का अधिकार है किन्तु जिस वाहन से माल का परिवहन किया जा रहा है उसे रोकने का अधिकार नहीं है। *Mohd. Kasim S/o Mohd. Zahoor, Kolkata v. State of U.P.*, [2003] 38 STR 449 : 2003 UPTC 625.

धारा 28-ए के प्राविधानों के उल्लंघन हेतु धारा 15-ए(1)(ओ) के अन्तर्गत अर्धदण्ड आरोपित करते समय सम्यक्वहार की प्रकृति पर निर्णय लिया जाना निर्दिष्ट प्राविधानों के विपरीत है। इसकी प्रकृति कर निर्धारण के समय ही निश्चित की जा सकती है केवल यह देखा जाना आवश्यक है कि निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से माल आयात किया गया अथवा नहीं। दाखिल दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारों को कर निर्धारण अथवा अन्य कार्यवाही हेतु कभी भी बुलाया जा सकता है। *Parry and Company Ltd., New Delhi v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 894 : 2003 UPTC 742.

सम्प्रेषिती का नाम माल पाने वाले के स्थान पर यदि किया गया है तो उसके विरुद्ध किसी कर की बकाया धनराशि की वसूली हेतु अभिग्रहीत माल जमानत जमा किये जाने के बाद भी अधिकारी द्वारा रोका जा सकता है। *Bharat & Company v. T.T.O., Sahayta Kendra, Raksa, Jhansi*, [2003] 37 STR 147 : 2003 UPTC 95.

धारा 28-ए एवं नियम 83(4)—आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हों और उनके फर्जी होने का संदेह न व्यक्त किया गया हो तो माल का अभिग्रहण विधिसम्मत नहीं है। *Vijay Hosiery Factory, Allahabad v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 740 : 2002 UPTC 1087.

माल का अभिग्रहण इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि फार्म 31 के साथ संलग्न पत्र में यह निर्देश था कि माल किसी दूसरे व्यापारी को डिलेवर कर दिया जाये। *Vijay Hosiery Factory, Allahabad v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 740 : 2002 UPTC 1087.

धारा 28-ए, 28-सी, 28-डी एवं 15-ए(1)(ओ)—प्राविधान असंवैधानिक घोषित किये जाने के पश्चात अधिनियम में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया फिर यह प्रश्न अर्थहीन हो जाता है कि क्या वह राज्य विधायिका की विधायी शक्ति से परे था अथवा नहीं। *Intelligence Officer of Sales Tax v. Yogesh Trading Co. Ltd.*, [2002] 35 STR 275 (SC) : 2002 UPTC 315 (SC).

अभिग्रहण की कार्यवाही हेतु यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि माल प्रान्त के बाहर से लाया जा रहा है। *C.T.T. v. S/s. Rals Khan, Nagpur*, [1999] 30 STR 664.

धारा 28-ए—जाँच चौकी पर ड्राइवर द्वारा माल से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। घोषणा पत्र में माल का उल्लेख करना रह गया। इसे माल अभिग्रहीत करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। *C.T.T. v. Subhash Steel Trading Corporation, Jhansi*, [2001] 33 STR 59.

माल के अभिग्रहण हेतु अधिकारी को यह विश्वास होना आवश्यक है कि करापबंधन का प्रयास किया

जा रहा है अन्तिम निष्कर्ष तो अर्धदण्ड की कार्यवाही में ही निकाला जा सकता है। *C.T.T. v. S/s. Rais Khan, Nagpur*, [1999] 30 STR 664.

अर्धदण्ड—बिना फार्म-31 के माल का आयात अर्धदण्ड का आरोपण—जमानत की मांग करने वाले आदेश के विरुद्ध व्यापारी की अपील अधिकरण द्वारा स्वीकृत विभाग द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गई अधिकरण का निष्कर्ष अंतिम हो गया प्रस्तुत अपील में उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती। *C.T.T. v. Verma Roadways, Kanpur*, [1999] 29 STR 153.

जहाँ अर्धदण्ड का आरोपण स्वविवेकाधीन हो, अधिकारों का प्रयोग न्यायिक होना चाहिये। *C.S.T. v. Kamal Fuel Industries, Cheppel Street, Meerut*, [1999] 29 STR 160.

विभागीय परिपत्र के निर्देशों के अनुसार यदि माल का परिवहन किया जा रहा है, तो जाँच चौकी पर रोका जाना उचित नहीं। एक हजार से कम मूल्य का माल होने पर फार्म 31 आवश्यक नहीं है। *Ranjan Kumar Goel v. C.T.T.*, [1998] 27 STR 21.

एक हजार से कम मूल्य का माल आयात करने पर फार्म 31 की आवश्यकता नहीं है। *Godhan Singh Tyagi v. C.T.T.*, STI 1997 Alld. 355.

घोषणा प्रपत्र फार्म 31 व प्रमाण प्रपत्र फार्म 32 जिस व्यक्ति द्वारा प्रान्त बाहर से माल लाने का आदेश दिया गया था जिस व्यक्ति द्वारा माल दिया जाना है, में से कोई व्यक्ति दे सकता है क्योंकि फार्मों में घोषणा दिये जाने का उद्देश्य प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने की सूचना मात्र है। *Electric Foreman (Construction), Agra v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 42; 1994 UPTC 189.

**1[28-ख. राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और 2[माल के पारगमन के लिए प्राधिकार] का जारी किया जाना—**जब राज्य के बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 28-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे, तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात् पहली जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी से 2[माल के पारगमन के लिए प्राधिकार] निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने बहिर्गमन करने से पूर्व अंतिम जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को वही माल के पारगमन के लिए प्राधिकार सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गाड़ी से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य गाड़ी या वाहन से परिवहन कर दिया जाये, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1983 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 34 द्वारा शब्द "पारगमन पत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, गाड़ी के भाड़ेदार को भी गाड़ी का स्वामी समझा जाएगा।]

[प्रयोजनार्थ नियम 83, 85, 86, 87, 87-क, 5, 46-ख, 75, 76, 77, एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

ट्रान्सपोर्टर पर यह दायित्व है कि वह सिद्ध करे कि या तो ट्रान्जिट, पास सरेन्डर किया गया है या माल प्रान्त के बाहर चला गया है। *Ashok Road Lines, Agra v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 504.

इन्डेमनिटी बाण्ड लेकर फार्म 34 जारी करने का अधिकरण का आदेश विधिसंगत है। *C.T.T. v. S/s. Mohan Roadlines, Gwalior, M.P.*, [2001] 34 STR 636.

ट्रिपशीट में 55 बोरा अरहर का भूलवश उल्लेख न करना ड्राइवर ने कहा अधिकरण ने बिना जमानत माल छोड़ने एवं ट्रिपशीट में 55 बोरे का उल्लेख करने एवं उसे निर्गम जांच चौकी पर जांचने का निर्देश दिया। *C.T.T. v. S/s Ravi Traders*, [2001] 33 STR 373.

माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात खो जाने की स्थिति में अंतिम सहायता केन्द्र पर प्रार्थना पत्र व हलफनामा भौतिक जाँच करने के लिये प्रस्तुत किया गया जिसे अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। निर्णीत यह हुआ कि "अस्वीकार" आदेश निरस्त किया जाने योग्य है तथा भौतिक सत्यापन किया जाना वांछित था किन्तु ट्रान्सपोर्टर अग्रिम कार्यवाही से बचने के लिये हकदार नहीं होगा। *Om Carrying Corporation v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 526.

प्रान्त के भीतर आयातित माल को ट्रक की मरम्मत हेतु किसी स्थान पर उतारने मात्र से कोई अवैधानिकता नहीं होती। *Bihar Carrying Corporation, Patna v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 420.

विभाग द्वारा पंजी 4 अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार प्रस्तुत न किये जाने पर ट्रान्जिट पास निर्गत जांच चौकी पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह अवधारणा नहीं की जा सकती माल प्रान्त के भीतर बेच दिया गया हो। *C.T.T. v. Assam Bengal Carrier U.P. Border, Ghaziabad*, [1999] 30 STR 499.

ट्रान्सपोर्टर द्वारा ट्रिपशीट का निर्गत जांच चौकी पर समग्रण नहीं किया गया—पंजी 4 की अनुपलब्धता विषयक प्रमाण पत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया गया—उसके विरुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। *C.T.T. v. S/s. Indian Roadways Corporation, U.P. Border, Delhi*, [1999] 29 STR 155.

एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर माल परिवहन किये जाने अथवा पलटी किये जाने के आधार पर अधिकार पत्र जारी किये जाने से रोका नहीं जा सकता। *M/s. K. Joshi Enterprises v. State of U.P.*, 1998 UPTC 202.

ट्रक ड्राइवर को धेक—पोस्ट पर राज्य से बाहर माल ले जाते समय परिवहन पास दिखलाना आवश्यक है। परिवहन पास न दिखलाने से उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर कर देने के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। *Sodhi Transport Company and another v. State of U.P. and another*, [1986] 4 STR 1.

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 2001 द्वारा "स्पष्टीकरण—ऐसे मामले जहाँ किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कोई गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल के परिवहन के लिए भाड़े पर ली जाये तो गाड़ी के भाड़ेदार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए गाड़ी का स्वामी समझा जायेगा।" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)।



धारा 28-ख की व्यवस्था और बिक्री-कर नियमावली का नियम 87 यन्त्र समूह व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था कर लगाने के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आता है। धारा 28-ख तथा नियम 87 वैधानिक रूप से मान्य हैं और इससे संविधान के अनुच्छेद 301 का अतिक्रमण नहीं होता है। *Sodhi Transport Company and another etc. v. State of U.P.*, [1986] 4 STR 1.

धारा 28-ख में प्रयोग किये हुए शब्दों 'यह उपधारणा की जायेगी' से खण्ड योग्य उपधारणा उत्पन्न होती है न कि कोई निश्चयक प्रमाण। ऐसी सम्भावना (उपधारणा) का खंडन वह व्यक्ति कर सकता है। कि जिसके विरुद्ध धारा 28-ख के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। *Sodhi Transport Company and another etc. v. State of U.P. and another etc.*, [1986] 4 STR 1.

धारा 28-ख में अन्तर्विष्ट सम्भावना के नियम के सही अर्थ का मूल्यांकन किये बिना एकपक्षीय अथवा अन्यथा कर का निर्धारण किया गया। विभाग इस आधार पर अग्रसर हुआ कि धारा 28-ख में निश्चयक सम्भावना का नियम अन्तर्विष्ट है और करदातागण ने धारा 28-ख का अर्थ ग्रहण करने पर सम्भावना (उपधारणा) के खण्डन करने का प्रयास नहीं किया। इसके वजह से वास्तविक परिवहनकर्त्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः यह निश्चित किया गया कि बिना धारा 21 के प्रतिबन्धों के 1.6.1979 के पहले का एकपक्षीय या अन्यथा किये गये समस्त निर्धारणों का तथा 1.6.1979 के बाद किये गये एकपक्षीय निर्धारणों का पुनः कर-निर्धारण किया जाय। *Sodhi Transport Company and another etc. v. State of U.P. & another etc.*, [1986] 4 STR 1.

**28-ग.** [निकाल दी गई]

**28-घ.** [निकाल दी गई]

**29. धनराशि की वापसी—(1)** कर-निर्धारक अधिकारी इस अधिनियम के अधीन व्यापारी द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये किसी कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे, निर्धारित रीति से, वापस कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पाई गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन या सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 (1956 का ऐक्ट 74) के अधीन व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार वापस की जाने वाली धनराशि, यथास्थिति, कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दिए गये वापसी के आदेश के दिनांक से, या यदि ऐसा आदेश किसी अन्य सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा दिया जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश प्राप्ति के दिनांक से, तीन मास के भीतर वापस नहीं की जाती है, जैसा की ऊपर दिया गया है, तो व्यापारी, '[यथास्थिति, ऐसे आदेश के दिनांक से या वापसी के ऐसे आदेश की कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा प्राप्ति के दिनांक से] वापसी के दिनांक तक के लिए ऐसी धनराशि पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।

(3) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, बिक्री या आदेश के होते हुए भी, यथास्थिति ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन, या दोनों पर, जिसे व्यापारी ने या तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र में

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

या अन्यथा किसी कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किया हो, इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या शुल्क को वापस करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

1[(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी निश्चित माल के क्रय पर कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसे माल से निर्मित माल के मूल्य में ऐसा कर सम्मिलित है और राज्य सरकार ने ऐसे क्रयों पर भूतलक्षी प्रभाव से कर दायित्व से छूट प्रदान कर दी है तो व्यापारी ऐसे माल के क्रयों पर भुगतान किये गये कर की वापसी का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह कर निर्धारक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध न कर दे कि उसने कर के दायित्व को किसी तीसरे पक्ष को किसी विक्रय के परिणाम के रूप में या अन्यथा में अन्तरित नहीं किया है।]

**स्पष्टीकरण-1**—धनराशि की वापसी का दिनांक वह दिनांक समझा जायेगा जब धनराशि वापसी का बाउचर तैयार होने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को भेज दी जाये।

**स्पष्टीकरण-2**—पद 'वापस' के अन्तर्गत उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कोई समायोजन भी है।

[प्रयोजनार्थ नियम 89 से 104 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

प्रथम अपील में निर्देश दिया गया कि अधिक जमा कर व्यापारी को वापस किया जाय। समय से रिफण्ड नहीं देने पर विभाग पर ब्याज देने का उत्तरदायित्व है। *Rattanlal Om Prakash v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 219.

अधिकारियों द्वारा वापसी योग्य धनराशि पर देय ब्याज का भुगतान न किया जाना विधान का उल्लंघन है तथा उनके द्वारा विधिक उत्तरदायित्व का अनिर्वहन है। *Rattanlal Om Prakash v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 219.

कर निर्धारण आदेश के अनुपालन में अधिक जमा किया गया कर वापसी योग्य होने पर 12% वार्षिक ब्याज देने का आदेश किया गया है। *Deys Medical Stores Ltd. v. C.S.T.*, [2004] 39 STR 380.

कर निर्धारण आदेश के पश्चात् स्वीकृत कर के अतिरिक्त जमा किया गया कर निर्धारण आदेश को निरस्त कर के बाद पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने पर वापसी योग्य हो जाता है तथा व्यापारी की प्रार्थना पर किसी अन्य वर्ष के बकाये में समायोजित किया जा सकता है। *Hind Lamps Limited, Shikohabad, Ferozabad v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 641 : 2003 UPTC 971.

व्यापारी ने अपीलीय आदेश के आधार पर वापसी योग्य धनराशि का समायोजन आवेदित किया जिसे करनिर्धारण अधिकारी द्वारा यह कर अस्वीकार किया गया कि अपील का निर्णय जाली है। शासकीय कार्य के नियमित होने की अवधारणा है जिसे केवल इन्कार करने मात्र से खण्डित नहीं किया जा सकता है। *Raj Moti Dal Mills, Hathras v. S.T.O.*, [2003] 38 STR 682 : 2003 UPTC 1131.

व्यापारी द्वारा अनधिकृत रूप से ग्राहक से वसूला गया कर ब्याज सहित उसे वापसी योग्य है। *Allahabad Wire Drawing Ind. Pvt. Ltd., v. U.P. Small Industries Corporation Ltd.*, [2003] 38 STR 782 : 2003 UPTC 1059.

भूल से जमा किया गया कर व्यापारी द्वारा समायोजन किया गया। विभाग इस राशि पर ब्याज नहीं माँग सकता है। *Hari Ram Seth Khandsari v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 906.

व्यापारी द्वारा भूल से जमा किया गया कर गलती मालूम होते ही वापसी योग्य हो जाता है। धारा 29 के प्राविधान कर निर्धारण, अपील या पुनरीक्षण आदेशों के परिणाम स्वरूप लागू होते हैं। *Hari Ram Seth Khandsari v. C.S.T.*, [2003] 38 STR 906.

जब रिट क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि जमा धनराशि वापसी योग्य होने पर 18% वार्षिक ब्याज के साथ व्यापारी को वापस की जायेगी तो अधिकारी यह नहीं कह सकते कि अधिनियम में ब्याज दिये जाने का प्राविधान नहीं है। *Tata Refractories Ltd. & another v. Sales Tax officer and others*, [2003] 37 STR 34 (SC).

जमा किया गया कर वापस करने हेतु दिया गया आवेदन पत्र निस्तारित करने हेतु व्यापार कर अधिकारी को सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। *D.S. Sugar Industries, Baraut v. State of Uttar Pradesh*, [2002] 36 STR 748 : 2002 UPTC 1096.

रिफण्ड वाउचर जारी करने के पश्चात् बैंक को एडवाइस नोट नहीं भेजा गया। विभाग पर वापसी योग्य धनराशि पर ब्याज का दायित्व बनता है। *Shiva Commodities v. T.T.O. (Check Post), Raksa, & another*, [2002] 36 STR 469 : 2002 UPTC 640.

धारा 29(2)—नियम 90—अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभाग द्वारा जमाकर की वापसी न किये जाने पर उसके द्वारा ब्याज देय है। *M/s Trade Link India, Ghaziabad v. T.T.O., Ghaziabad*, [2002] 35 STR 125 : 2002 UPTC 136.

धारा 29 के अनुसार अधिक जमा कर, ब्याज सहित वापसी योग्य है अतः याची को देय धनराशि कर निर्धारण वर्ष 97-98 में, समायोजित किया जाना वांछित है। *M/s. Starling Machine Tools, Agra, v. Commissioner of Trade Tax*, 2000 UPTC 838.

आदेश की तिथि से 3 माह के भीतर अधिक जमा धनराशि के वापस न किये जाने की स्थिति में ब्याज देय है। वापसी के आदेश से यदि एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता तो उस पर 10% की दर से ब्याज भी देय होगा। *Bharat Heavy Electricals Ltd. Sonbhadra v. State of U.P.*, 2000 UPTC 557.

व्यापारी से कर अवैधानिक रूप से वसूल किये जाने पर मूलधन के साथ साथ ब्याज भी प्रदान किया जाना चाहिये। *बाबूराम इयानन्द प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०* 1997 UPTC 1264 का अनुकरण किया जाना उचित है। *Anuj Bricks v. State of U.P.*, 2000 UPTC 999.

करदाता द्वारा अधिक वसूला गया कर जमा करने पर वापसी देय है। नियम व प्रक्रिया के आभाव में ग्राह्य समय के भीतर अधिक भुगतान किया गया कर वापस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना नहीं कर सकते। *C.T.T. v. Sterling Machine Tools*, [2000] 31 STR 67 : 2000 UPTC 29.

बकाया कर की धनराशि में अधिवः जमा कर का समायोजन तभी किया जा सकता है जब निर्धारित रीति से उसे वापसी योग्य पाया गया हो। *C.S.T. v. R.S. Steel Works, Civil Lines Bareilly*, [1999] 29 STR 241.

यदि निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत कर रूप पत्र के साथ जमा नहीं किया गया तो धारा 15-ए(1) (ए) के अन्तर्गत अर्धदंड आरोपित योग्य है। धारा 29 के अन्तर्गत अधिक जमा धनराशि का समायोजन तब तक सम्भव नहीं है जब तक यह सुनिश्चित न हो जाय कि अधिक जमा धनराशि समायोजित होने योग्य है। अधिकरण को बाद इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कि यह स्पष्ट किया जाय कि जिस तिथि को व्यापारी द्वारा कर जमा करना था उस तिथि को अधिक जमाकर समायोजित योग्य पाया गया अथवा नहीं। *C.S.T. v. R.S. Steel Works Bareilly*, [1999] 29 STR 241; 1999 UPTC 767.

वर्ष 1988-89 में अधिक वसूले गये कर को क्रेडिट नोट जारी करके ग्राहकों को वापस किया जाना विधि सम्मत है अथवा नहीं इसे सुनिश्चित करने के लिये यह देखा जाना आवश्यक है कि क्रेडिट नोट सम्बन्धित नियमों के प्रभावी होने के पूर्व में जारी किये गये अथवा नहीं। *C.T.T. v. S/s. Hindustan Safety Glass Works Pvt. Ltd., Allahabad, [1999] 29 STR 325.*

व्यापारी को वापसी योग्य धनराशि इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती कि बैंक में व्यापार कर के रूप में जमा धनराशि सिविल कोर्ट के आदेश से जम्त (attach) कर लिया गया है। *R.L. Veerendra & Co. v. Assessing Officer, [1997] 25 STR 38.*

अधिक जमा धनराशि की वापसी में प्रक्रिया में होने वाला विलम्ब क्षम्य नहीं है। ब्याज देय होगा। *Baburam Daya Nand Prakash v. State of U.P., [1997] 26 STR 678.*

व्यापार कर के रूप में बैंक में जमा धनराशि, विभाग के खाते में जमा माना जायेगा तथा व्यापारी को वापस की जाने वाली धनराशि ब्याज सहित देय है। *R.L. Veerendra & Co. v. Assessing Officer, [1997] 25 STR 38; 1997 UPTC 114.*

यदि निर्धारित अवधि आदेश के तीन महीने के भीतर अधिक जमा धनराशि वापस नहीं की जाती तो नियमानुसार ब्याज देय होगा। *Modi Industries v. C.S.T., 1982 UPTC 1097.*

कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा देयकर से अधिक भुगतान किये गये कर को वापस किया जाना नियमानुकूल एवं आवश्यक है। वापसी प्रक्रिया के न होते हुये भी अधिनियम में प्रविधान होने के कारण वांछित धनराशि वापस की जानी चाहिये। प्रतिबन्ध केवल यह है कि ऐसी धनराशि दो वर्ष के बाद वापस नहीं की जा सकती किन्तु वर्तमान प्रकरण में वापसी हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र कालबाधित नहीं समझा जा सकता। *C.S.T. v. Auraiya Chamber of Commerce, 1986 UPTC 917 (SC).*

**29-क. किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गई धनराशि के वितरण की प्रक्रिया—**<sup>1</sup>[(1) जहां धारा 8-क की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी माल की बिक्री या क्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की जाए, वहां ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाये, जमा करेगा।]

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा जमा की गई कोई धनराशि, उस मात्रा तक जहां तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे व्यापारी ने उसे वसूल किया हो, अथवा उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की धरोहर के रूप में रखी जायेगी, और इस प्रकार जमा करने से ऐसा व्यापारी जमा धनराशि की मात्रा तक तत्सम्बन्धी दायित्व से उन्मुक्त होगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय, तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग के लिए <sup>2</sup>[\*\*\*] तदर्थ दावा किये जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे व्यापारी ने धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया हो, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, नियत रीति में, वापस कर दी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण आदेश के दिनोंक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अन्तिम आदेश

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा रखी गयी।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 द्वारा शब्द "ऐसे प्रपत्र में जो नियत किया जाये" निकाल दिये गये।

दिये जाने के दिनोंक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**—पद “अपील, पुनरीक्षण या समाधान में अन्तिम आदेश दिये जाने” के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा, अथवा अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी है।

**[प्रयोजनार्थ नियम 105 से 110 एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, 32-क, 132, 133, 136, 137, 226 व 227 देखें]**

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 29-ए(3)—जहाँ व्यापारी द्वारा गलत कर वसूल किया गया है तो यह धनराशि उसे उनको वापस करना चाहिये जो इसके लिए अधिकारी हैं। जहाँ व्यापारी ने इस प्रकार गलत वसूले गये कर को वापस करने का दावा किया हो वहाँ व्यापार कर अधिकारी द्वारा जाँच करके अपना निष्कर्ष दिया जाना चाहिये। *D.C.M. Shriram Consolidated Ltd. Meerut v. State of U.P. and another*, [2002] 35 STR 140 : 2002 UPTC 65.

जहाँ अधिक वसूला गया कर जमा किया गया हो और उसे जब्त कर लिया गया हो तो इसे तब तक वापस नहीं किया जा सकता है जब तक जब्त करने का आदेश निरस्त न कर दिया गया हो। यदि कमिश्नर के परिपत्र में ग्राहकों से अधिक वसूले गये कर का उल्लेख नहीं है तो परिपत्र का लाभ व्यापारी को नहीं मिल सकता है। *Hira Lal Ayodhya Prasad v. State of U.P.*, [2001] 33 STR 97.

ग्राहकों से वसूल कर जमा धनराशि केवल ग्राहको को ही वापसी योग्य है न कि व्यापारी को तथा अन्य वर्ष के देय कर में भी अधिक जमा धनराशि समायोजित नहीं कि जा सकती है। *Commissioner of Sales Tax v. Kumar Aluminium Industries Shahjahanpur*, 2000 UPTC 745.

1993 के संशोधन के पूर्ववर्ती वर्ष के लिये गलती से वसूले गये कर को व्यापारी ने क्रेडिट वाउचर द्वारा क्रेताओं को वापस कर दिया। व्यापारी ऐसे कर को, जो शासकीय कोषागार में जमा किया जा चुका था, वापसी का अधिकारी है। *D.C.M. Limited, Daurala Sugar Works, Daurala, Meerut v. C.T.T.*, [1999] 30 STR 412. उक्त निर्णय का *C.T.T. v. Sterling Machines Tools*, 2000 UPTC 29 में इसका अनुसरण किया गया।

ग्राहकों से अधिक वसूला गया कर कोषागार में जमा किया गया। जिनसे ऐसा कर वसूला गया है वही इसे वापस पाने के अधिकारी है व्यापारी की इसे वापस नहीं किया जा सकता। *C.S.T. v. S/s Kumar aluminium Industries*, [2000] 31 STR 71.

1993 में अधिक जमा किये गये कर की वापसी संबंधी नियमों को लागू हो जाने के पश्चात केवल वे व्यक्ति ही वापसी के अधिकारी है जिनमें सम्बन्धित राशि वसूल की गई थी तथा जिन्होंने उसकी वापसी के लिये आवेदन किया है। *C.T.T. v. S/s Sterling Machine Tools*, [2000] 31 STR 67.

यदि व्यापारी ने ग्राहक को अधिक वसूला कर वापस कर दिया है तो ऐसी दशा में व्यापारी को उसका एजेंट मानते हुये अधिक जमा धनराशि वापस की जा सकती है। *Agarwal Enterprises v. T.T.O. Allahabad*, [1997] 26 STR 491.

धारा 29-क असंवैधानिक घोषित होने के फलस्वरूप व्यापारी को वापसी नहीं रोकी जा सकती। *C.T.T. v. Rampur Distillery & Chemical Co. Ltd.*, [1997] 26 STR 517.

अधिक जमा धनराशि व्यापारी को वापस योग्य नहीं है। 1987 UPTC 135 (SC) का अनुपालन किया गया। *M/s. Ashoka Batteries v. C.S.T.*, [1994] 19 STR 88; 1994 UPTC 462.

यू०पी० ऐक्ट नं० 20/1971 द्वारा धारा 29-क जो संशोधित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 UPTC 694 द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। उसे पुनर्स्थापित, वाद के निर्णय द्वारा नहीं किया जा सकता। *Kheria Brothers v. Asstt. Comm. (J) Sales Tax*, [1995] 22 STR 50; 1995 UPTC 593.

धारा 4-क के अन्तर्गत कर से मुक्ति होने के कारण, यदि वसूल की गई धनराशि ग्राहक को वापस कर दी गई तो ऐसी दशा में व्यापारी को धनराशि वापसी योग्य है। *O.D. Industries v. State of U.P.*, [1996] 23 STR 125; 1996 UPTC 307.

धारा 29-क ऐसे कर की वापसी का उपबन्ध करती है जो व्यापारी द्वारा जमा तो कर दिया गया हो परन्तु देय न हो। उस कर की धनराशि उन व्यक्तियों को वापस की जायेगी जिनसे वह वसूल की गई थी न कि उस व्यापारी को जिसने उसे जमा किया था। धारा 29-क बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धाराओं में यू०पी० टैक्सेशन लॉज संशोधन अधिनियम, 1969 की धारा 19 द्वारा जोड़ा गया था जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 (3) अनुसूची सात, सूची दो की प्रविष्टि 54 द्वारा सक्षम है। *Kasturi Lal Har Lal v. State of U.P. and others*, [1987] 5 STR 1 (SC).

स्टेट आफ यू०पी० बनाम अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कं० में दिया गया निर्णय अब्दुल कादर एन्ड कं० बनाम सेल्स टैक्स आफिसर, हैदराबाद, 15 STC 403 एवं अशोका मार्केटिंग लि० बनाम स्टेट आफ बिहार, 26 STC 254 पर आधारित था—आर०एस० जोशी बनाम अजीत मिल्स लि०, (1977) 4 SCC 98 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय की सात जजों की पीठ द्वारा अशोका मार्केटिंग लि० के निर्णय को निरस्त किया जिसके फलस्वरूप अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कं० केस स्वतः निरस्त हो गया—कस्तूरी लाल हर लाल बनाम स्टेट आफ यू०पी० [1987] 5 STR 1 (SC) के निर्णय में अशोका मार्केटिंग के वाद पर विचार किया गया। किन्तु अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कं० का उल्लेख किये जाने से रह गया—इससे यह नहीं समझा जा सकता कि अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कं० के वाद में दिया गया निर्णय विद्यमान है—प्रतिवादी को वापसी का लाभ अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कं० में पारित निर्णय के आधार पर उपलब्ध नहीं होगा। *The Asstt. Commissioner (Judicial), Sales Tax and others v. M/s. Kheria Brothers and another*, [1998] 28 STR 630 (SC).

फार्म 3-बी तथा फार्म 'सी' के विरुद्ध की गई बिक्री-प्रपत्र न मिलने के कारण पूर्ण दर पर क्रेता से कर वसूल कर विभाग में जमा किया गया—प्रपत्र मिलने पर क्रेडिट नोट के द्वारा क्रेताओं को सम्बन्धित धनराशि वापस की गई—विभाग द्वारा सन्दर्भित बिक्री पर कर में रियायत या कर मुक्ति यथास्थिति स्वीकार की गई—निर्णीत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अधिक वसूल की गई कर की धनराशि स्वयं वापिस किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा विभाग में जमा की गई धनराशि को विभाग द्वारा नहीं रोका जा सकता है। *Indian Turpentine and Rasin Co. Ltd. v. C.T.T.*, [1998] 28 STR (Trib) 124.

अवैध रूप से वसूले गये कर की वापसी आवश्यक है। गलती की जानकारी होने पर एक वर्ष के अन्दर की वापसी का प्रार्थना-पत्र दिया गया था जो कि वैध है। परिसीमा अधिनियम की धारा 96 लागू होती है। *C.S.T. v. Auratya Chamber of Commerce*, [1986] 4 STR 178.

करदाता के पक्ष में यह निर्णय होने पर कि वहन-शुल्क विक्रय-धन का भाग नहीं है, करदाता ने कर की वापसी के लिये कार्यवाही किया। अधिकरण ने करदाता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जिसके विरुद्ध विभाग ने उच्च न्यायालय में पुनरावृत्ति दाखिल किया। विभाग के अनुसार अनुसरण के समक्ष विभाग का प्रार्थना-पत्र धारा 22 के अन्तर्गत विचाराधीन था जिस प्रार्थना-पत्र को बिना निस्तारण किये अधिकरण ने वापसी की मांग को स्वीकार किया जो कि त्रुटि थी। विभाग की पुनरावृत्ति को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और विभाग के तर्क की पुष्टि करते हुए केस पुनः विचार हेतु वापस भेज दिया। *C.S.T. v. U.P. State Cement Corporation*, [1986] 4 STR 480.

करदाता ने रिटर्न दाखिल किया और लगभग सात हजार रुपया बतौर कर जमा किया। तीन वर्ष तक चूंकि कोई कर-निर्धारण आदेश की मांग-पत्र दाखिल नहीं हुआ इसलिये उसका लाभ करदाता को पुनरीक्षण अधिकारी ने दिया और आदेश दिया कि जमा की हुई रकम वापस किया जाय। करदाता ने रुपया वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जिसको विभाग ने धारा 29(3) के तहत अस्वीकार इस आधार पर कर दिया कि करदाता ने स्वयं सात हजार रुपया जमा किया था जो वापस नहीं किया जा सकता। इस आदेश के विरुद्ध करदाता ने उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दाखिल किया। उच्च न्यायालय में रिट-याचिका अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि धारा 29(3) के तहत वापसी (refund) देय नहीं है। *Mangoo Mal Chandra Prakash v. State of U.P.*, [1987] 6 STR 339.

**29-ख. घोषित माल के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति—**(1) यदि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 14 में अभिदिष्ट किसी माल की बिक्री या क्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर लगाया गया हो और बाद में ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की जाय, और ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के सम्बन्ध में उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन लगाये गये कर की प्रतिपूर्ति, कर-निर्धारक अधिकारी को कर का भुगतान करने के दिनोंक से अथवा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनोंक से, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, छः महीने के भीतर लिखित रूप में प्रार्थना-पत्र देने पर अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री करने वाले व्यक्ति को की जायेगी।

(2) यदि कर-निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रार्थना-पत्र उपधारा (1) के अधीन चलने योग्य है तो वह ऐसे कर की धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रार्थी को निर्धारित रीति से कर देगा और किसी अन्य दशा में, प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकृत न किया जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिपूर्ति करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन प्रार्थी द्वारा देय कर अथवा किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति की जायेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 77 एवं 89 से 105 देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

'घोषित वस्तुओं' के सम्बन्ध में धनराशि का समायोजन, धारा 29-ख में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर ही हो सकता है। *Om Dal Factory v. State of U.P.*, 1996 UPTC 1079.

यदि घोषित वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपित किया जा चुका है तथा पुनः उसकी बिक्री अन्त तक प्रान्तीय की गई हो एवं अन्तप्रान्तीय बिक्री पर कर का भुगतान किया जा चुका हो तब व्यापारी द्वारा 6 माह के अन्दर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रान्त में जमा कर की वापसी किया जाना आपेक्षित है। विज्ञप्ति सं० 1483 दिनोंक 25-2-1981 द्वारा अन्तप्रान्तीय बिक्री पर कर मुक्ति प्रदान की गयी जिस कारण केन्द्रीय कर देय नहीं है। केन्द्रीय कर की वसूली एवं प्रान्तीय

कर के भुगतान में समायोजन की कार्यवाही अवैधानिक। केन्द्रीय बिक्रीकर आरोपित किया जाना त्रुटिपूर्ण।  
*Ram Karan Das Anil Kumar v. C.T.T.*, 1995 UPTC 54.

**30.** <sup>1</sup>[कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति]—(1) किसी मामले में जिसमें <sup>1</sup>[कर-निर्धारण या अर्थदण्ड] के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, व्यापारी उक्त आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश रद्द करने तथा उस मामले पर पुनः विचार के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है; और यदि उक्त अधिकारी को संतोष हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनोंक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि <sup>2</sup>[कर-निर्धारण या अर्थदण्ड] के एकपक्षीय आदेश के रद्द किये जाने के लिए कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यापारी ने देय स्वीकार किया हो, भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।

(2) यदि धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन कोई कर-निर्धारण या अर्थदण्ड आदेश एकपक्षीय दिया जाय तो व्यापारी आदेश तामील किये जाने के <sup>3</sup>[तीस दिन] के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे कर-निर्धारक अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी ने ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए विवरण-पत्र निर्धारित अन्तिम दिनोंक से <sup>3</sup>[तीस दिन] के भीतर प्रस्तुत कर दिया है और विवरण-पत्र के अनुसार देय धनराशि जमा कर दी है, तो वह ऐसे आदेश और उसके अधीन जारी की गई मांग की नोटिस को भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या रद्द कर सकता है।

<sup>4</sup>[(3) यदि किसी व्यापारी को धारा 4-क के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र, उस अवधि के लिये जिसके लिये कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश या अपील में कोई आदेश पात्रता प्रमाण-पत्र के स्वीकार किये जाने के पूर्व पारित किया गया हो, स्वीकार किया जाता है तो ऐसा आदेश, अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारक अधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा या तो स्वतः या व्यापारी के आवेदन पर ऐसा पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार करने के आदेश की प्रति की उसके द्वारा प्रति के एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1995 तक, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, रद्द किया जा सकता है और विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सकता है :

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 36(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा शब्द "कर-निर्धारक" के स्थान पर रखा गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 के द्वारा शब्द "पन्द्रह दिन" के स्थान पर रखा गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1995 की धारा 36 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 14.5.1994)।



प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी द्वारा इस उपधारा के अधीन आवेदन उपर्युक्त अवधि के भीतर किया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाहर भी किया जा सकता है।]

[प्रयोजनार्थ नियम 46-ख, 46-ग, 77 एवं 77-क देखें]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 30 का प्रार्थना पत्र निस्तारण करते समय तक व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर नहीं जमा किया गया था। उसके विरुद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि इसमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। *Kesharwanl Int (Brick), Udyog Varanasi v. C.T.T.*, [2003] 37 STR 145 : 2003 UPTC 101.

अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु दिया गया स्पष्टीकरण उदारता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए जब तक कि प्रार्थी अकर्मण्यता अथवा कदाशयता का दोषी न हो। *Shiv Narain & Co. v. C.S.T.*, [2003] 37 STR 365.

जहाँ पर व्यापारी को अपने अधिवक्ता की गलती के कारण सुनवाई का समुचित अवसर न मिला हो तो वाद की पुनः सुनवाई किया जाना न्याय संगत होगा। *Nand Lal Baburl, Chandauli v. C.T.T.*, [2002] 36 STR 725 : 2002 UPTC 1107.

व्यापारी का कथन था कि उसने धारा 30 के प्रार्थना देने के पूर्व स्वीकृत कर जमा कर दिया है। अधिकरण द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है। मामला पुनः निर्णय हेतु वापस किया गया। *M/s Goenka Overseas Pvt. Ltd. v. C.S.T.*, [2001] 33 STR 390.

नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध पारित आदेश प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने का निर्देश उचित था। अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय विधि विपरीत होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य पाया गया। *Commissioner of Sales Tax v. R.P. Dixit Sajhidar*, 2000 UPTC 888 (SC).

परिसीमा अधिनियम की धारा 5, व्यापार कर अधिनियम, की धारा 30 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। *Badaun Bone Mills v. C.S.T.*, 1995 UPTC 237.

धारा 5, परिसीमा अधिनियम, व्यापार कर अधिनियम, की धारा 30 के प्रार्थना पत्र में लागू होती है। *Shiv Traders, Muzaffarnagar v. C.S.T.*, [1997] 26 STR (Art.) pp. 15-20.

धारा 30 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र जो दाखिल किया गया उस पर विचार नहीं किये जाने के फलस्वरूप, वाद कर निर्धारण अधिकारी को प्रति प्रेषित किया जाना वांछित है। *Laxmi Kant Pandey, Banda v. C.S.T.*, [1999] 29 STR 331.

धारा 30 एवं धारा 8(1) के प्रविधान स्वीकृत कर से सम्बन्धित भिन्न है। धारा 8(1) के प्रविधान को धारा 30 साथ नहीं पढ़ा जा सकता। धारा 30 के अन्तर्गत जो कर व्यापारी द्वारा स्वीकार किया गया है उसका जमा होना केवल आवश्यक है। *Jakhodia Engineering Works v. C.S.T.*, 1993 UPTC 30 : STI 1992 (All) 452 : [1993] 17 STR 39.

धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के कारण यदि अपील दायर किये जाने में विलम्ब हुआ हो, ऐसी स्थिति में विलम्ब छमा किये जाने योग्य है तथा अपील गुण व दोष पर निर्णित किया जाना चाहिये। *National Steel Works v. C.S.T.*, 1992 (23) ATJ 577 : 1992 NTN 153.

यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यापारी के अपील पर वाद खोले जाने का निर्णय का आदेश पारित कर दिया गया हो तो उसे पुनः खोलने का आदेश कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। *Sab Chemist v. C.S.T.*, 1995 UPTC 571.

धारा 30 के प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृत कर जमा किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय यह दिया गया कि ऐसा प्रार्थना पत्र तब तक ग्राह्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ स्वीकृत कर जमा होने का प्रमाण न दिया जाये। प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र में निर्णय लिये जाने से पूर्व मात्र रु० 150 जो कम था जमा किया गया। निर्णय यह हुआ कि धारा 30 के प्रतिबन्ध का पूर्ण अनुपालन किया गया तथा इस आधार पर दिया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। *Chaudhary Chemicals v. C.S.T.*, 1993 UPTC 1146.

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिये गये आधार से भिन्न आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 30 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को कालबाधित माना जाना न्याय संगत नहीं है। *M/s. Jagdamba Bardana Store v. C.S.T.*, 1990 UPTC 12.

धारा 30 के प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। व्यापारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रथम अपील्य अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त साक्ष्य बिना प्रार्थना पत्र के अस्वीकार किया गया। निर्णित यह किया गया कि अपीलीय अधिकारी को अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। *Atul Coal Depo v. C.S.T.*, STI 1992 (All) 261.

अधिकरण द्वारा स्वतंत्र मत स्थिर न कर केवल प्रथम अपीलीय अधिकारी के पर्यवेक्षण (observation) को दोहराते हुये लिया गया निर्णय विधि अनुकूल नहीं पाया गया। *New Iron and Metal Industries v. C.S.T.*, [1986] 3 STR 387.

**31. (1)** यदि किसी व्यापारी ने, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1956 की धारा 7 के द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार, पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन के आधार पर कर-निर्धारण किये जाने की स्वेच्छा व्यक्त की हो, तो उस पर कर ऐसी दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, जो उस वर्ष में प्रचलित हों, जिसके लिए कर-निर्धारण किया जा रहा हो, और यदि उस कर-निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग पर कर की दरों में परिवर्तन कर दिया जाय, तो व्यापारी ऐसे माल के विक्रय-धन के सम्बन्ध में, परिवर्तित दरों के अनुसार कर का उसी प्रकार देनदार होगा मानो परिवर्तित दरें पूर्व वर्ष में भी उसी अनुपात में उतने दिनों के लिए प्रचलित थीं, जितने दिनों के लिए वे कर-निर्धारण वर्ष में प्रचलित रहीं।

(2) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आज्ञा में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1956 द्वारा संशोधित किये जाने की पूर्व की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुए भासित होने वाली किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कर-निर्धारण या दी गई आज्ञायें; किये गये सभी कार्य या की गई सभी कार्यवाहियाँ, जारी किये गये सभी निर्देश, प्रयुक्त सभी क्षेत्राधिकार या लगाये गये अथवा वसूल किये गये सभी कर; विधि की दृष्टि से उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायेंगे मानो वे कर-निर्धारण, आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियाँ, निर्देश, क्षेत्राधिकार और कर, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1962 (अधि० 3 सन् 1963) द्वारा यथा-संशोधित इस अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथास्थिति, विधिवत् दिये गये, दी गई, किये गये, की गई, जारी किये गये, प्रयुक्त हुए, लगाये गये या वसूल किये गये हों और मानों इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनोंकों पर प्रचलित रहा हो।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पदावली "पूर्व वर्ष" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1956 की धारा 2 द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के उपखण्ड (2) में दिया हुआ था।

**32. कतिपय मामलों में शुल्क**—<sup>1</sup>[(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् दाखिल किये गये इस अधिनियम के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा, चाहे ये कर-निर्धारण, अर्थदण्ड या अन्य कार्यवाहियाँ, जिनसे ऐसी अपील या प्रार्थना-पत्र उत्पन्न हुआ हो, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई हो :

- |  |  |
|--|--|
| (क) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप पत्र पर                                   | विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का दो प्रतिशत किन्तु कम से कम <sup>2</sup> [पचास रुपया] और अधिक से अधिक <sup>2</sup> [पाँच सौ रुपया]।                          |
| (ख) धारा 10 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर                                  | विवादग्रस्त, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत किन्तु कम से कम पाँच सौ रुपया और <sup>3</sup> [5 मार्च, 2001 को और से अधिक से अधिक दो हजार एक सौ रुपये]। |
| (ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना पर   | पचास रुपया।  |
| (घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर—   |  |
| (1) जब वह व्यापार कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण को सम्बोधित हो | बीस रुपया।   |
| (2) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो।                     | दस रुपया।]   |

(2) इस धारा में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारित रीति से देय होगा और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञाप-पत्र या प्रार्थना-पत्र में संलग्न किया जाएगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ देय शुल्क की धनराशि <sup>4</sup>[पचास रुपये] से अधिक न हो, वहाँ उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी 1.11.2000)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 द्वारा क्रमशः शब्द "एक सौ रुपये" एवं "एक हजार रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 18-10-2002)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द "अधिक से अधिक दस हजार रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द "पन्द्रह रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 5-3-2001)।

(3) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क देय न होगा :

- (क) कमिश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र या अपील का ज्ञाप-पत्र;
- (ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गई हो, और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो; और
- (ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र, जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या स्थल जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की याचना की गई हो।

[प्रयोजनार्थ नियम 48-क, 48-ख, 48-ग एवं 77-ग देखें]

### महत्त्वपूर्ण विधिक अवधारणा

ज्ञाप-पत्र या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क से सम्बन्धित यह धारा अधि० सं० 3 सन् 1983 के द्वारा लाया गया एवं दि० 20.7.1981 से प्रभावी किया गया तथा समय-समय पर संशोधित हुयी। अधि० सं० 31 सन् 1995 के द्वारा उपधारा (2) संशोधित की गयी एवं अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, दि० 31.10.2000 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया जिसे 1.11.2000 से प्रभावी बनाया गया एवं पुनः उपधारा (1) में खण्ड (क) में अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा दि० 5.3.2001 से संशोधन किया गया। दिनांक 1.11.2000 के पूर्व यह धारा निम्न रूप में थी।

(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 20 मई, 1978 को या उसके पश्चात् दाखिल किये गये इस अधिनियम के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा, चाहे वे कर-निर्धारण, अर्थदण्ड या अन्य कार्यवाहियों जिनसे ऐसी अपील या प्रार्थना-पत्र उत्पन्न हुआ हो उक्त दिनांक के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई हों :

- |  |  |
|--|--|
| (क) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर                         | विवादप्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का दो प्रतिशत किन्तु कम से कम पाँच रुपया और अधिक से अधिक दो सौ पचास रुपया;         |
| (ख) धारा 10 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर                        | विवादप्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का साढ़े-सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पन्द्रह रुपया और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपया। |
| (ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर                            | पचास रुपया।  |
| (घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर—                                 |  |
| (1) जब वह कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण को सम्बोधित हो। | तीन रुपया।   |
| (2) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो।           | दो रुपया।  |

धारा 32 के अन्तर्गत प्रति प्रेषित आदेश एवं अन्य आदेश में कोई अन्तर नहीं माना गया। कोर्ट की विवादित कर के प्रतिशत पर देय है तथा न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि प्रस्तावित है। यदि आवर्त या कर निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित कर की धनराशि निहित नहीं है। अतः व्यापारी केवल न्यूनतम धनराशि रु० 15 भुगतान किये जाने हेतु देनदार है। *Premier Vynyl Flooring Ltd. v. C.S.T.*, [1983] 18 STR 370 : 1983 UPTC 1078; *Parthi Raj Chandra Birani v. C.S.T.*, 1995 UPTC 904 : STI 1995 (All) 196.

**33. वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध**—इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल होने योग्य किसी धनराशि के सम्बन्ध में कर-निर्धारक अधिकारी, अपने हस्ताक्षर से, कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें देय धनराशि निर्दिष्ट होगी। ऐसा प्रमाण-पत्र दायित्व की विद्यमानता, उसकी धनराशि तथा देनदार व्यक्ति के सम्बन्ध में निश्चयक साक्ष्य होगा, और प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर, उसमें निर्दिष्ट धनराशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो वह मालगुजारी का बकाया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर को, प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने के प्रयोजनों के लिए, समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे, जो—

- (क) किसी कलेक्टर को रेवेन्यु रिकवरी ऐक्ट, 1890 (ऐक्ट सं० 1, 1890) के अधीन प्राप्त हों; और
- (ख) किसी दीवानी न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (ऐक्ट सं० 5, 1908) के अधीन प्राप्त हों।

**स्पष्टीकरण**—पद "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी भी है, जो राज्य में मालगुजारी से सम्बद्ध तत्समय प्रचलित दिधि के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो।

#### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

वारण्ट आफ अरेस्ट निकालने के पहले कुर्की द्वारा वसूली का प्रयास किया जाना चाहिये। *N.C. Jain, Meerut v. Chief Secretary, Government of U.P.*, [2001] 34 STR 591.

एक बार व्यापारी को कर के लिए उत्तरदायी न होने का निष्कर्ष अंकित करके पुनः वसूली निकालने के बाद व्यापारी के कारागार में बंद रहने पर उसे रु० 10,000 की क्षतिपूर्ति की गई तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से इसे वसूल करने का कहा गया। *N.C. Jain, Meerut v. Chief Secretary, Government of U.P. and others*, [2001] 34 STR 591.

कलेक्टर का वसूली प्रमाण पत्र में लिखित बकाया दारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का नाम अंकित करने का अधिकार नहीं। मुतक पिता की देन दारी पुत्र से वसूल नहीं की जा सकती। *Lal Jee and others v. C.S.T. and others*, STI 1993 (All) 77.

यदि किसी व्यक्ति द्वारा वसूली अधिकारी के सम्मुख आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाये तो उसका अवसर दिया जाना आवश्यक है। *Ram Narain v. Collector and others*, 1970 UPTC 143; *Samaria v. State of U.P.*, 1981 ATJ 386; *Praveen Agarwal v. Deputy Collector*, 1994 UPTC 920.

यू० पी० जमींदारी अबोलिशन ऐंड लेन्ड रिफार्मस ऐक्ट, की धारा 281 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा व्यापार कर अधिनियम की धारा 33 में कोई विरोध नहीं, बकाये दार को बन्दी बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि देय धनराशि की वसूली उक्त प्रक्रिया से सम्भव है। *Ram Narain Agarwal v. State of U.P.*, STI 1983 (SC) 287; *Jhaboo Ram v. Deputy Collector (Collection)*, [1987] 6 STR 8.

स्थगन आदेश के क्रियान्वित अवधि के भीतर कर की वसूली नहीं की जा सकती। *Vishnu Kumar Gupta and another v. State of U.P.*, 1997 UPTC 787.

**34. राजस्व को कपट वंचित करने के लिए किये गये अन्तरण को शून्य होना—**(1) जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार-अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में किसी [जंगम या स्थावर] सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर अथवा अन्य देय कपट वंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के समापन परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भावी तथा प्रतिफल दाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) की बात बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 (ऐक्ट संख्या 10, 1949) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी अथवा तदर्थ विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न होगी।

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 34—बिक्री कर बकाया को वसूल करने हेतु अधिकारियों को चल सम्पत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं है। *Manoj Kumar Mishra v. State of U.P.*, [2001] 33 STR 127

धारा 34 में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर देय पर की वसूली न हो सकने के उद्देश्य से प्रतिबन्ध लगाया गया किन्तु चल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं। विचारणीय यह है कि उक्त नियम क्या चल सम्पत्ति पर भी लागू होते हैं? न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का सम्यवहार जो गलत उद्देश्य एवं मिली भगत से किया गया है वह उस पर बाधित नहीं है जिस का हित ऐसे सम्यवहार से प्रभावित होता हो। हस्तांतरण अवैधानिक एवं अक्रिया शील समझा जायेगा। क्या अर्थदण्ड अथवा कर की धनराशि ट्रक को रोककर अथवा भूराजस्व अधिनियम की विधि से वसूली की जा सकती है? न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत हस्तक्षेप किये जाने को अस्वीकार किया गया। *Mahngoo Yadav v. State of U.P.*, 1987 UPTC 199; *Anjam Ali v. Sales Tax Officer (C.P.)*, 1997 NTN 170.

कर निर्धारण आदेश पारित होने से पूर्व किये गये हस्तांतरण को अवैध नहीं ठहराया जा सकता तथा ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध वसूली नहीं की जा सकती। *Ananti Devi v. Additional Collector*, 1970 UPTC 34.

**35. विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण—**(1) यदि न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 7 या धारा 21 के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यत्र कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 द्वारा शब्द "स्थावर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावी दिनांक 29.1.2001)।

- (क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, उपक्रम या सरकारी विभाग का व्यापारी है, या
- (ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है; या
- (ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य; यथास्थिति क्या है; या
- (घ) किसी व्यापारी विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है; या
- (ङ) किसी विक्रय या क्रय-विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है; तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यापारी, धारा 32 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे लेख्यों सहित निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(2) कमिश्नर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चय करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिश्चय देने के पूर्व कमिश्नर स्व-विवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी ऐसे में जांच करने के लिए कर सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिए आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कमिश्नर के विनिश्चय में किसी कर-निर्धारक अधिकारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) कोई प्रश्न, जो अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा।

1[(5) उपधारा (3) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय इस धारा के अधीन कमिश्नर द्वारा किया गया कोई विनिश्चय धारा 10 और 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा और आवेदक, कर-निर्धारक अधिकारी और अपील अधिकारी पर बन्धनकारी होगा।]

(6) इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति प्रार्थी और सम्बद्ध कर-निर्धारक अधिकारी को भेजी जायेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 77 देखें]

महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

धारा 35 में पारित निर्णय में बोड़ा, लोबिया, चितला दाना विज्ञप्ति सं० 2693/दिनांक 1-4-1986 के अन्तर्गत सब्जी का बीज नहीं है तथा इसपर दलहन की भाँति करदेयता है। S/s Anil Kumar Subzi Beej Bikreta, Varanas., [2001] 33 STR (Statutes) page 9.

धारा 35 में पारित निर्णय में एच०डी०पी०ई० फैब्रिक्स टेक्सटाइल्स नहीं है तथा इसपर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता है। *S/s Gaurav Traders, Pandey Hata, Gorakhpur, [2001] 33 STR (Statutes) page 9.*

धारा 35 में पारित निर्णय के विरुद्ध धारा 11 के अन्तर्गत पुनरीक्षण दायर नहीं किया जा सकता केवल याचिका अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दाखिल की जा सकती है। *C.S.T. v. Super Cotton Bowl Refilling Works, [1989] 9 STR 422 (SC) : 1989 UPTC 489 (SC) : (1989) 73 STC 61 (SC) : 1989 (1) SCC 643 : STI 1989 (SC) 14.*

धारा 35 में दिया गया निर्णय कर निर्धारण अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा प्रार्थी पर लागू। यदि धारा 10 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी तब सभी पर वह निर्णय लागू होगा। यदि संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये कानून के विरुद्ध है तब उसे विचार किया जाना आवश्यक नहीं। *J.J. Enterprises v. C.T.T., [1996] 24 STR 1 : 1996 UPTC 471; Hotel Balaji v. State of A.P., [1993] 17 STR 153 (SC) : 1993 UPTC 318 (SC).*

नोट : उ०प्र० ऐक्ट सं० 31/1995 जो 14-5-1994 से लागू है, के द्वारा अधिनियम की धारा 10(2) में परिवर्तन कर धारा 35 के आदेश के विरुद्ध अधिकरण में अपील दायर किये जाने का प्राविलक्षण लाया गया। अधिकरण के निर्णय के उपरान्त उक्त आदेश को धारा 10(5) के अन्तर्गत समझे जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय में धारा 11 के अन्तर्गत दायर किया जा सकता है।

**36. किस्त मन्जूर करने का अधिकार—(1)** ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति देने की शर्तों को सम्मिलित करते हुए, जैसी आरोपित किये जाने के लिए उपयुक्त समझी जायें,—

- (क) राज्य सरकार ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, चौबीस से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है; और
- (ख) कमिश्नर उसी तरह, ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग एक लाख रुपये से अधिक न हो, बकाया हो, बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

(2) जहाँ ऐसा व्यापारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के दस दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सम्बद्ध कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में आरोपित करने या निर्बन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ देय धनराशि तुरन्त वसूल की जा सकेगी।

[प्रयोजनार्थ नियम 6-क, 46-ख, 46-ग, 77 एवं 77-क देखें]



### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

देय कर को किरतों में भुगतान किये जाने के प्रार्थना पत्र लम्बित होने की दशा में कुर्क की गयी सम्पत्ति की निलामी स्थगित। *Bilas Tubes Ltd. v. State of U.P. & Others*, 1999 UPTC 1078.

धारा 36 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र से पूर्व वसूली स्थागित समझी जायेगी। *Anand Food Products v. C.S.T.*, 1990 STI 257 (All).

<sup>1</sup>[37. कतिपय परिस्थितियों में कर से परिहार करने का अधिकार—<sup>2</sup>[ \* \* \* ]

**38. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा—<sup>3</sup>[(1)]** धारा 8 की उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2) और धारा 36 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा <sup>4</sup>[विद्यमान या भावी देयों] के भुगतान को आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की जायें, करने की अनुज्ञा दे सकती है यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण इकाई घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा पुनरुद्धार के लिये अनुमोदित किया जाय ।]

<sup>3</sup>[(2) धारा 30 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी बीमार इकाई के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निर्देश दे सकती है ।]

### महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा

बीमार इकाई की वसूली बिना बोर्ड की आज्ञा लिये नहीं की जा सकती। *Modi Industries Ltd. v. State of U.P.*, 1997 35 STI (All) 321 : 1997 NTN 491.

इकाई रुग्ण घोषित होने के फलस्वरूप शासन द्वारा कर की वसूली स्थगित की गई किन्तु जमा कर की वसूली के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये ऐसी स्थिति में कमिश्नर द्वारा धनराशि वापस करने व कर में समायोजित करने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी। *M/s. Amitabh Textiles Mills Ltd. v. State of U.P.*, 1993 UPTC 200.

### <sup>5</sup>[अनुसूची]

1. धारा 37 तथा धारा 38 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा धारा 37 निरस्त दी गयी और सदैव से निरस्त की गयी समझी जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1992 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 38 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया तपश्चात् उपधारा (2) बढ़ायी गयी।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1991 द्वारा शब्द "देय बकाया" के स्थान पर रखा गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2000, द्वारा 'अनुसूची' का लोप किया गया (प्रभावी 1.11.2000)।